Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक 1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
Website: www.csidc.in Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N SERVICE TAX REGN No.:AABCM6288NSD004
CIN: U45203CT1981SG001853, Phone no.EPBX +917716002071-72-73,
Managing Director: 07712583793 Executive Director: 07712583792
Fax:+917712583794

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत 17 बिंदुओं की जानकारी का स्वप्रकटीकरण

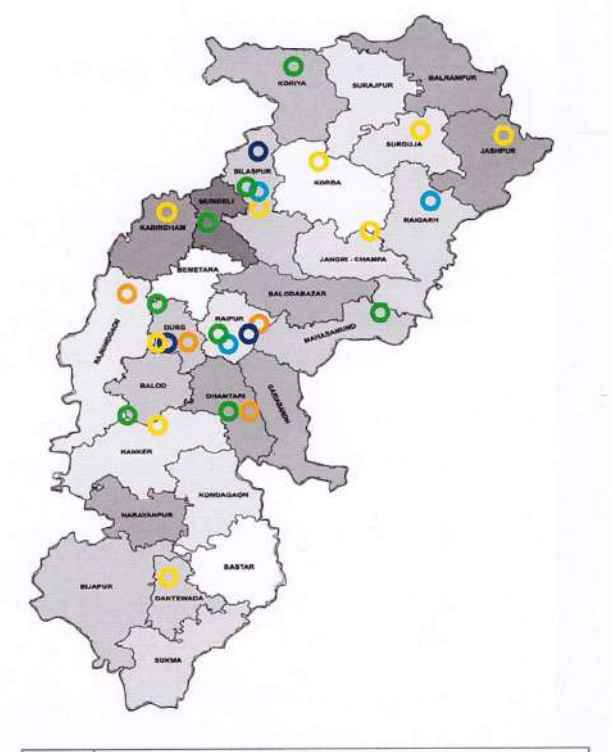

	Established Growth Centres (4)
	Integrated Infrastructure Development Centres (10 IIDCs)
	Proposed industrial areas (8)
	Large Industrial Areas (3 New Projects)
	Industrial Parks (5 Ongoing Projects)

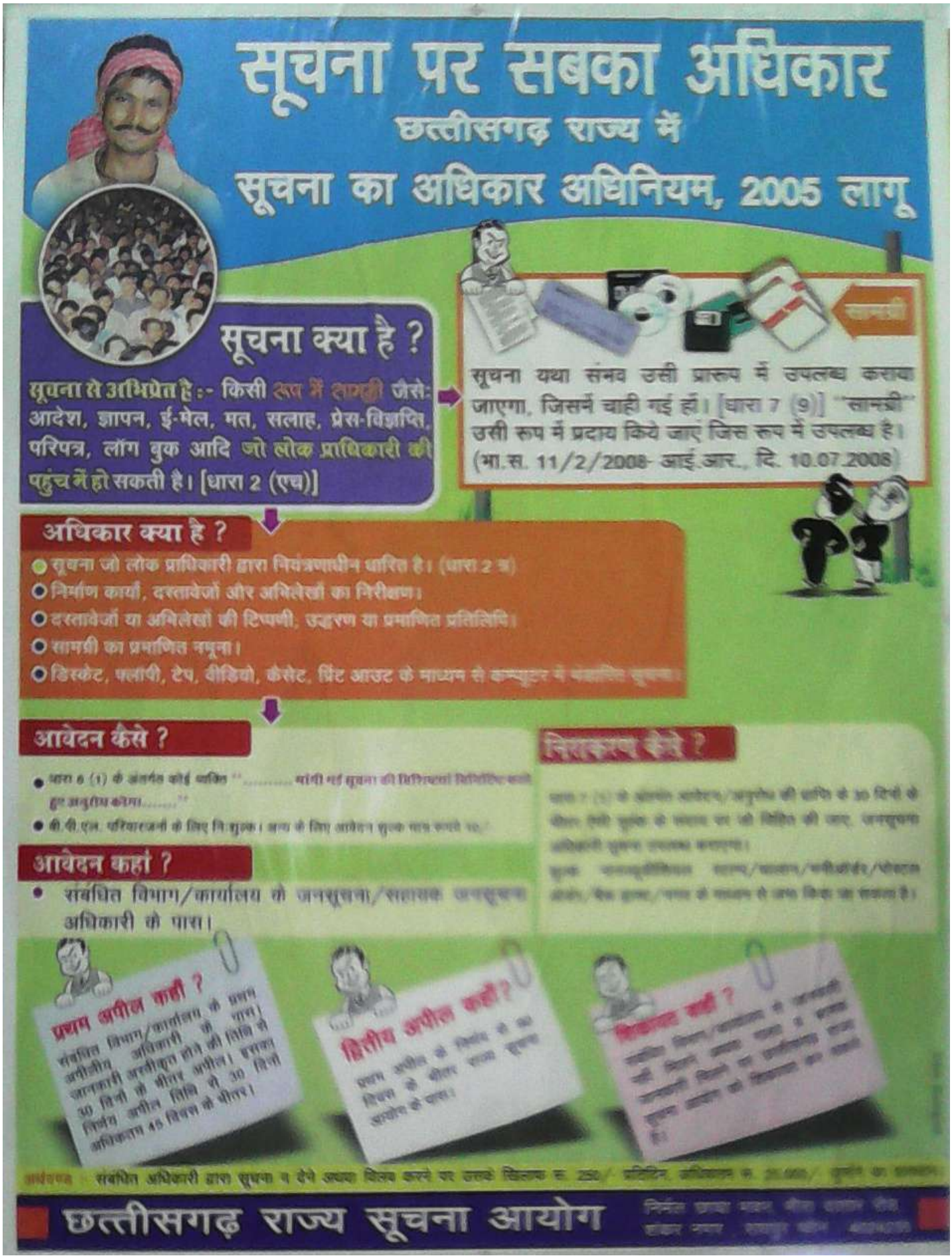
सूचना पर सबका अधिकार
छत्तीसगढ़ राज्य में
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू
सूचना क्या है ?
सूचना से अभिप्रेत है :- किसी रूप में सामग्री जैसे: आदेश, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, लॉग बुक आदि जो लोक प्राधिकारी की पहुंच में हो सकती है। [धारा 2 (एच)]
सूचना यथा संभव उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें चाही गई हो। [धारा 7 (9)] "सामग्री" उसी रूप में प्रदाय किये जाएं जिस रूप में उपलब्ध है। (भा.स. 11/2/2008- आई.आर., दि. 10.07.2008)
अधिकार क्या है ?
सूचना जो लोक प्राधिकारी द्वारा नियंत्रणाधीन धारित है। (धारा 2 ञ)
निर्माण कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण।
दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि।
सामग्री का प्रमाणित नमूना।
डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो, कैसेट, प्रिंट आउट के माध्यम से कम्प्यूटर में भंडारित सूचना।
आवेदन कैसे ?
आवेदन कहां ?
संबंधित विभाग/कार्यालय के जनसूचना/सहायक जनसूचना अधिकारी के पास।
प्रथम अपील कहां ?
द्वितीय अपील कहां ?
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर

मैन्यूअल

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के तहत् 17 बिन्दुओं की जानकारी

1.	अपने संगठन की विशिष्ठताएं, कर्त्तव्य और कार्यों के बारे में जानकारी। (56–66)	10.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी उनके मासिक वेतन और अपने विनियमों के मुताबिक दिये जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण। (480–486)
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य (67–154)	11.	सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए गए वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट। (487–497)
3.	निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। (67–302)	12.	सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है। (498–507)
4.	अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड। (67–328)	13.	अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम (508–514)
5.	अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका अन्य अभिलेख। (67–392)	14.	अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का ब्यौरा। (515–521)
6.	विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गों का विवरण (393–4220)	15.	आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष कों व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि। (522–527)
7.	नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण। (421–428)	16.	संस्था के समस्त सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां एवं सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं। (528–533)
8.	अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी। (429–450)	17. 17 17 17 17 17	अन्य कोई सूचना विहित की जावे। – (534–722) **(i) सीएसआईडीसी सेवा एवं भर्ती नियम–2011– (724–766)** **(ii) कम्पेन्डियम ऑफ बेस्ट प्रेक्टिसेस – (829–976)** **(iii) सर्वश्रेष्ठ आवेदन पत्रों एवं जवाब का विवरण** **(iv) आदर्श पुनर्वास नीति – (535–547)** **(v) Discaimer & Updation date – (729)** **(vi) बुंदेलॉज सिक्योरिटॉस एंड कंसलटेन्ट प्रा.लि. L/34 यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर (छ.ग.) (690)** **(vii) वर्तमान में पदस्थ समस्त अधिकारी /कर्मचारी की 01.10.2018 की स्थिति सूची (793 से 827)** **(viii) दिनांक 27.05.2019 का अपडेट (828 से 861)**
9.	अधिकारियों और कर्मचारियों तथा विभाग के अन्य व्यक्तियों की निर्देशिका (डायरेक्टरी) (451–479)		**मेन्यूअल –2015 (INDEX - Page 1-2-3-4)** क्रमशः.....

मेन्यूअल –2015

(INDEX - Page 1-2-3-4)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के तहत् 17 बिन्दुओं के अंतर्गत स्वप्रकटीकरण *Suo motu* हेतु विभिन्न कक्षों की जानकारी हेतु

* प्रस्तावना	औद्योगिक नीति 2014–19 छत्तीसगढ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	पृष्ठ क्रमांक 09 से 55			
1. अपने संगठन की विशिष्ठताएं, कर्त्तव्य और कार्यों के बारे में जानकारी।		पृष्ठ क्रमांक 56 से 66			
बिन्दु	कक्ष का नाम	बिन्दु अनुसार पृष्ठ क्रमांक			
		2	3	4	5
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य	* माननीय अध्यक्ष, कक्ष	67	67	67	67
	* प्रबंध संचालक, कक्ष	67	67	67	67
	* कार्यपालक संचालक, कक्ष	68–83	68–83	68–83	68–83
	1. प्रभारी, भू–अर्जन कक्ष	84	155	–	–
	2. मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन)	85–87	156–157	303	329–349
	3. मुख्य महाप्रबंधक, विपणन कक्ष	88–92	158–283	304	350
	4. मुख्य अभियंता कार्यपालन अभियंता, संभाग – 01	93–100	284	305–307	351–354
	5. कार्यपालन अभियंता, संभाग – 02	101–104	284	308–310	351–354
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।	6. कार्यपालन अभियंता, संभाग–03	105–109	284	311–313	351–354
	7. कार्यपालन अभियंता, संभाग –04	110–114	284	314–316	351–354
	8. प्रभारी, आई.पी.पी.डी., वित्त प्रकोष्ठ + कम्प्युटर कक्ष+ एन.एम.एफ.पी. कक्ष	115–117	285–286	–	355
	9. प्रभारी, निर्यात संवर्धन कक्ष / जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	118–119	287	317	–
	10. उपप्रबंधक लेखा–वेतन प्रकोष्ठ	120–126	288	–	356
	11. कंपनी सचिव एवं प्रभारी विधि प्रकोष्ठ	127	289	318	357–358
	12. प्रबंधक सामान्य कक्ष	128	290–291	319–320	–
	13. प्रभारी, संपदा प्रकोष्ठ	129	292	321	359–384
	14. मुख्य महाप्रबंधक, कार्मिक–प्रशासन एवं प्रभारी, भू–आबंटन (मेटलपार्क–रायपुर)	130–132	293	–	385–386
	15. प्रभारी, कोलसेल मुख्यालय	133	–	–	–
	16. महाप्रबंधक,सीएसआर एवं पुर्नवास कक्ष	134	294	322	387
4. अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड।	17. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी, समन्वय कक्ष / भू.–आबं. (औ.क्षे. बिरकोनी)	135–136	295–298	323–325	388–389
	18. महाप्रबंधक, शाखा कार्यालय दुर्ग	137	–	–	–
	19. मुख्य महाप्रबंधक, शाखा कार्या. तिफरा बिलासपुर।	138	299	326	390
	20. मुख्य प्रबंधक, कोल सेल, बिलासपुर।	139–141	–	–	–
	21. महाप्रबंधक, कच्चा माल भण्डार, भिलाई	142	300	327	391
5. अपने अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका अन्य अभिलेख।	22. प्रभारी, शो–रूम रायपुर, फर्नीचर वर्क्स अभनपुर कृषि उपकरण कारखाना भिलाई	143–150	301	–	–
	23. प्रभारी, परीक्षण प्रयोग शाला भिलाई	151	–	–	–
	24. प्रभारी, हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर	152–153	302	328	392
	25. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, नई दिल्ली	154	–	–	–

मेन्यूअल –2015
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
(INDEX - Page 2)

बिन्दु	कक्ष का नाम	बिन्दु अनुसार पृष्ठ क्रमांक			
		6	7	8	9
6. विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गों का विवरण	* माननीय अध्यक्ष, कक्ष	–	–	–	451
	* प्रबंध संचालक, कक्ष	–	–	–	451
	* कार्यपालक संचालक, कक्ष	–	–	–	451
	1. प्रभारी, भू–अर्जन कक्ष	393	–	–	452
	2. महाप्रबंधक (भू–आबंटन)	394	–	–	453
	3. मुख्य महाप्रबंधक, विपणन कक्ष	395	–	–	454
	4. कार्यपालन अभि., संभाग – 01	396–397	421	429–432	456–457
7. नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।	5. कार्यपालन अभि., संभाग – 02	398–400	421	429–432	458–459
	6. कार्यपालन अभियंता, संभाग–03	401–402	421	429–432	460
	7. कार्यपालन अभियंता, संभाग –04	403–405	421	429–432	461
	8. प्रभारी, आई.पी.पी.डी., वित्त प्रकोष्ठ + कम्प्युटर कक्ष+ एन.एम.एफ.पी. कक्ष	406	–	–	462
	9. प्रभारी, निर्यात संवर्धन कक्ष / जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	–	–	–	463
	10. उपप्रबंधक लेखा–वेतन प्रकोष्ठ	407	–	–	464
	11. कंपनी सचिव एवं प्रभारी विधि प्रकोष्ठ	408	422	433–444	465
	12. प्रबंधक सामान्य कक्ष	–	–	–	466
	13. प्रभारी, संपदा प्रकोष्ठ	409	423	445	467
8. अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।	14. महाप्रबंधक, कार्मिक–प्रशासन एवं प्रभारी, (मेटलपार्क–रायपुर)	410–411	–	–	468–470
	15. प्रभारी, कोलसेल मुख्यालय	–	–	–	475
	16. महाप्रबंधक,सीएसआर एवं पुर्नवास कक्ष	412	424	446	471
	17. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी, समन्वय कक्ष / भू.–आबं. (औ.क्षे. बिरकोनी)	413–414	425	447	472
	18. महाप्रबंधक, शाखा कार्यालय दुर्ग	–	–	–	473
	19. मुख्य महाप्रबंधक, शाखा कार्या. तिफरा बिलासपुर।	415	426	448	474
	20. प्रबंधक, कोल सेल, बिलासपुर।	416	–	–	475
9. अधिकारियों और कर्मचारियों तथा विभाग के अन्य व्यक्तियों की निर्देशिका (डायरेक्टरी)	21. महाप्रबंधक, कच्चा माल भण्डार, भिलाई	417	427	449	455
	22. प्रभारी, शो–रूम रायपुर, फर्नीचर वर्क्स अभनपुर कृषि उपकरण कारखाना भिलाई	418	–	–	476
	23. प्रभारी, परीक्षण प्रयोग शाला भिलाई	–	–	–	477
	24. प्रभारी, हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर	419	428	450	478
	25. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, नई दिल्ली	420	–	–	479

मेन्यूअल–2015

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर

(INDEX - Page 3)

बिन्दु	कक्ष का नाम	बिन्दु अनुसार पृष्ठ क्रमांक			
		10	11	12	13
10. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी उनके मासिक वेतन और अपने विनियमों के मुताबिक दिये जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण।	* माननीय अध्यक्ष, कक्ष	–	–	–	–
	* प्रबंध संचालक, कक्ष	480–486	–	–	–
	* कार्यपालक संचालक, कक्ष	480–486	–	–	–
	1. प्रभारी, भू–अर्जन कक्ष	480–486	–	–	–
	2. महाप्रबंधक (भू–आबंटन)	480–486	–	–	–
	3. मुख्य महाप्रबंधक, विपणन कक्ष	480–486	487	–	508
	4. कार्यपालन अभि., संभाग – 01	480–486	–	–	–
11. सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए गए वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट।	5. कार्यपालन अभि., संभाग – 02	480–486	–	–	–
	6. कार्यपालन अभियंता, संभाग–03	480–486	–	–	–
	7. कार्यपालन अभियंता, संभाग –04	480–486	–	–	–
	8. प्रभारी, आई.पी.पी.डी., वित्त प्रकोष्ठ + कम्प्युटर कक्ष+ एन.एम.एफ.पी. कक्ष	480–486	–	498–501	–
12. सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है।	9. प्रभारी, निर्यात संवर्धन कक्ष / जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	480–486	–	–	–
	10. उपप्रबंधक लेखा–वेतन प्रकोष्ठ	480–486	488–490	–	–
	11. कंपनी सचिव एवं प्रभारी विधि प्रकोष्ठ	480–486	491	502	509
	12. प्रबंधक सामान्य कक्ष	480–486	–	–	–
	13. प्रभारी, संपदा प्रकोष्ठ	480–486	492	503	510
	14. महाप्रबंधक, कार्मिक–प्रशासन एवं प्रभारी, (मेटलपार्क–रायपुर)	480–486	–	–	–
	15. प्रभारी, कोलसेल मुख्यालय	480–486	–	–	–
	16. महाप्रबंधक,सीएसआर एवं पुर्नवास कक्ष	480–486	493	504	511
	17. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी, समन्वय कक्ष / भू.–आबं. (औ.क्षे. बिरकोनी)	480–486	494–495	505	512
13. अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम	18. महाप्रबंधक, शाखा कार्यालय दुर्ग	480–486	–	–	–
	19. मुख्य महाप्रबंधक, शाखा कार्या. तिफरा बिलासपुर।	480–486	–	–	–
	20. प्रबंधक, कोल सेल, बिलासपुर।	480–486	–	–	–
	21. महाप्रबंधक, कच्चा माल भण्डार, भिलाई	480–486	496	506	513
	22. प्रभारी, शो–रूम रायपुर, फर्नीचर वर्क्स अभनपुर कृषि उपकरण कारखाना भिलाई	480–486	–	–	–
	23. प्रभारी, परीक्षण प्रयोग शाला भिलाई	480–486	–	–	–
	24. प्रभारी, हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर	480–486	497	507	514
	25. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, नई दिल्ली	480–486	–	–	–

मेन्यूअल –2015

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर

(INDEX - Page 4)

बिन्दु	कक्ष का नाम	बिन्दु अनुसार पृष्ठ क्रमांक			
		14	15	16	17
14. अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का ब्यौरा।	* माननीय अध्यक्ष, कक्ष	पृष्ठ क्रमांक 515 से 516 तक	पृष्ठ क्रमांक 515 से 516 तक	पृष्ठ क्रमांक 515 से 516 तक	–
	* प्रबंध संचालक, कक्ष				–
	* कार्यपालक संचालक, कक्ष				–
	1. प्रभारी, भू–अर्जन कक्ष	–	–	–	534–551
	2. महाप्रबंधक (भू–आबंटन)	–	522	–	548–581
	3. मुख्य महाप्रबंधक, विपणन कक्ष	517	–	–	616–668
	4. कार्यपालन अभि., संभाग – 01	–	–	–	–
15. आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष कों व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि।	5. कार्यपालन अभि., संभाग – 02	–	–	–	–
	6. कार्यपालन अभियंता, संभाग–03	–	–	–	–
	7. कार्यपालन अभियंता, संभाग –04	–	–	–	–
	8. प्रभारी, आई.पी.पी.डी., वित्त प्रकोष्ठ + कम्प्युटर कक्ष+ एन.एम.एफ.पी. कक्ष	–	–	–	635–654
	9. प्रभारी, निर्यात संवर्धन कक्ष/ जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	–	–	–	–
	10. उपप्रबंधक लेखा–वेतन प्रकोष्ठ	–	–	–	655
	11. कंपनी सचिव एवं प्रभारी विधि प्रकोष्ठ	–	–	–	–
16. संस्था के समस्त सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां एवं सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	12. प्रबंधक सामान्य कक्ष	–	–	–	–
	13. प्रभारी, संपदा प्रकोष्ठ	–	523	–	657
	14. महाप्रबंधक, कार्मिक–प्रशासन एवं प्रभारी, (मेटलपार्क–रायपुर)	–	–	–	–
	15. प्रभारी, कोलसेल मुख्यालय	–	–	–	–
	16. महाप्रबंधक,सीएसआर एवं पुर्नवास कक्ष	518	524	–	658
	17. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी, समन्वय कक्ष/भू.–आबं. (औ.क्षे. बिरकोनी)	519	525	528–531	659–674
17. अन्य कोई सूचना विहित की जावे।	18. महाप्रबंधक, शाखा कार्यालय दुर्ग	–	–	–	–
	19. मुख्य महाप्रबंधक, शाखा कार्या. तिफरा बिलासपुर।	–	–	–	–
	20. प्रबंधक, कोल सेल, बिलासपुर।	–	–	–	–
	21. महाप्रबंधक, कच्चा माल भण्डार, भिलाई	520	526	532	–
	22. प्रभारी, शो–रूम रायपुर, फर्नीचर वर्क्स अभनपुर, कृषि उपकरण कारखाना भिलाई	–	–	–	675–679
	23. प्रभारी, परीक्षण प्रयोग शाला भिलाई	–	–	–	680–684
	24. प्रभारी, हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर	521	527	533	685
	25. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, नई दिल्ली	–	–	–	–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का मैन्यूअल

औद्योगिक नीति 2014–19 छत्तीसगढ
शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

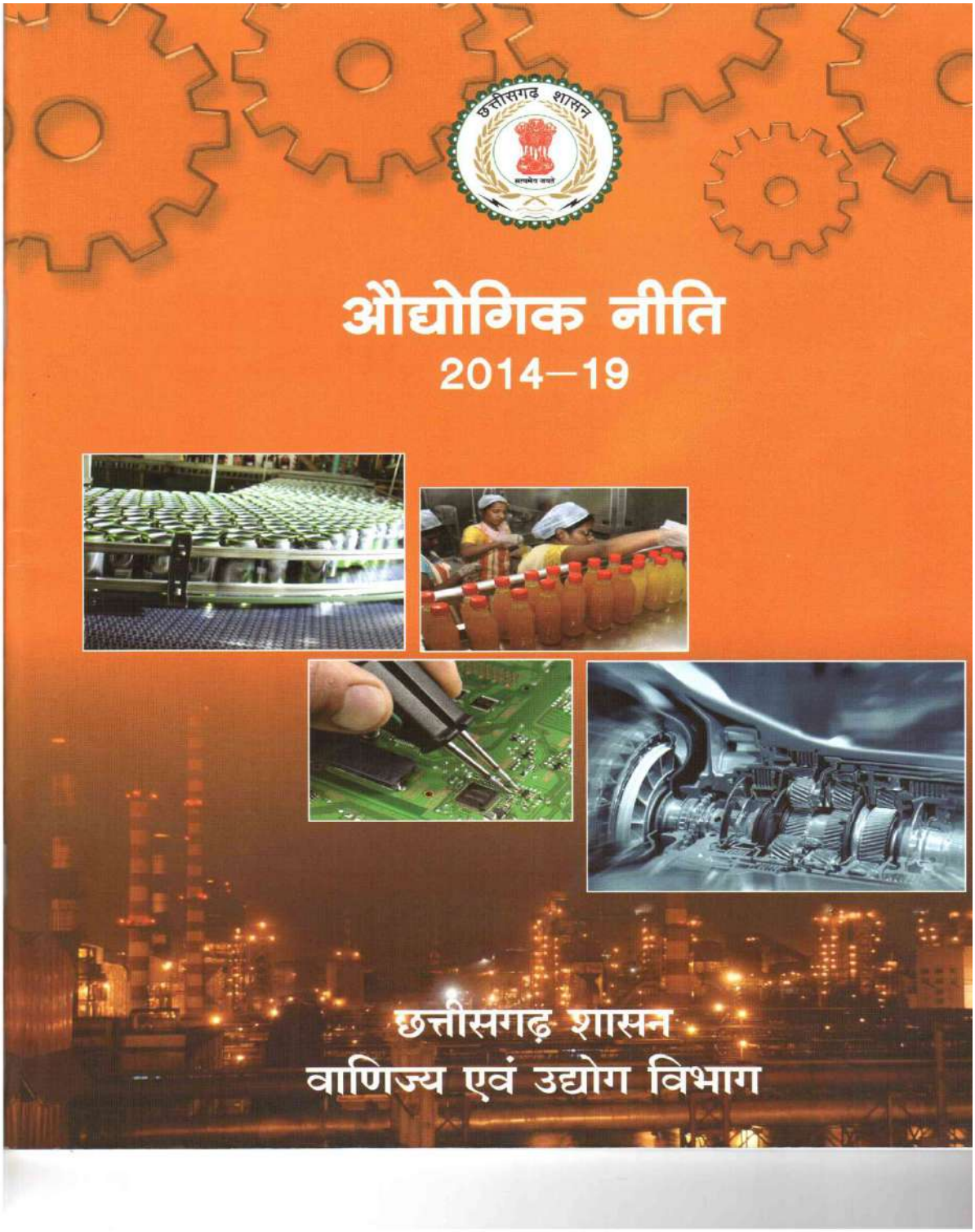

(1) प्रस्तावना (Preface)

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन विकास की अपार संभावनाओं के साथ हुआ था । राज्य अपनी आर्थिक शक्तियों जैसे अपार खनिज संपदा, 44 प्रतिशत वन क्षेत्र, शांत श्रम माहौल, आवश्यक बुनियादी ढांचें की उपलब्धता एवं सुशासन की बदौलत देश में निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपने को स्थापित करने में सफल रहा है । यह राज्य सड़क, रेल एवं वायु संपर्क के माध्यम से देश के सभी प्रमुख मेट्रो शहरो से जुड़ा हुआ है। राज्य की राजधानी ''नया रायपुर'' देश के प्रथम ''स्मार्ट सिटी'' के रूप में विकसित हो रही है, यहां भूमिगत विद्युत आपूर्ति एवं संचार सुविधाओं का नेटवर्क नियोजित है। देश में विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं जीरो पावर कट के रूप में इस राज्य की पहचान बन चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत दरें अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम है। गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं खनिजों की बहुलता के कारण राज्य में सीमेन्ट, स्टील, एल्युमिनियम की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में कम है।

राज्य में पारदर्शी एवं जनोन्मुखी प्रशासन हेतु Ease of Doing Business कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी प्रकार की स्वीकृतियां, अनुमोदन आदि जारी करने के लिए आन–लाईन प्रक्रिया लागू की जा रही है। प्रक्रियाओं के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है तथा Deemed Approval का प्रावधान भी किया गया है/किया जा रहा है। सत्यापन आदि के लिए स्वप्रमाणन का प्रावधान भी रखा गया है। उपयुक्त भौगोलिक स्थिति (Location), प्रचुर नैसर्गिक संसाधन, आदर्श मूल्य पर भूमि की उपलब्धता, कुशल श्रमिक, गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति, कम लागत मूल्य, पारदर्शी प्रशासन आदि कारकों से यह राज्य निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा है।

1.2 राज्य में सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना के आधार पर राज्य के गठन के पश्चात ''औद्योगिक नीति 2001–06'', ''औद्योगिक नीति 2004–09'' एवं ''औद्योगिक नीति 2009–14'' लागू की गई । राज्य की तृतीय औद्योगिक नीति 2009–14 के सफल क्रियान्वयन से राज्य में औद्योगिक विकास की दर 6.07 प्रतिशत रही। वर्ष 2009–10 में राज्य से रूपये 1675 करोड़ का निर्यात हुआ था, जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर रूपये 7701 करोड़ हो गया । राज्य के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से केन्द्रीय शुल्क एवं सेवा कर के रूप में वर्ष 2009–10 में रूपये 4470 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था, जबकि वर्ष 2012–13 में रूपये 7889.76 करोड़ के राजस्व का अर्जन हुआ। राज्य में औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन के रूप में विगत 5 वर्षों में लगभग 252 करोड़ रूपये के अनुदान दिए गए। साथ ही रूपये 30. 71 करोड़ की राशि का मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई एवं 159 उद्योगों को विद्युत शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए । 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सेक्टर में 7.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

1.3 राज्य गठन के पश्चात राज्य में उपलब्ध कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि खनिज संपदाओं के दोहन हेतु कोर सेक्टर के विकास की नीति अपनायी गयी थी। इस नीति के तहत उद्योग विभाग द्वारा स्टील, सीमेन्ट एवं एल्यूमिनियम परियोजनाओं द्वारा निष्पादित 121 एमओयू में से 60 एमओयू के अंतर्गत परियोजनाएं प्रारंभ/विस्तारित हो चुकी है तथा शेष 61 एमओयू के अंतर्गत परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर है । इन परियोजनाओं में 44000 करोड़ रूपये से अधिक राशि का पूंजी निवेश हो चुका है । ऊर्जा विभाग द्वारा पावर संयंत्रों की स्थापना हेतु निष्पादित 73 एमओयू में कुल 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के विरूद्ध लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है जिनमें लगभग रूपये 1,20,000 करोड़ का पूंजी निवेश होगा। कोर सेक्टर में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है । अब राज्य शासन ने नान–कोर सेक्टर यथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोटिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, आईटी सेक्टर, फार्मास्युटिकल, हेल्थ केयर, पर्यटन, स्किल डेव्हलपमेंट, वनोपज पर आधारित उद्योग आदि में निवेश प्रोत्साहन की नीति को अपनाया है । इसी उद्देश्य से वर्ष 2012 में राज्य में प्रथम बार ''ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2012'' का सफल आयोजन किया गया, जिसमें नान–कोर सेक्टर के उद्योगों के लिए 275 एमओयू एवं 155 ई.ओ.आई. का निष्पादन किया गया । राज्य में नान–कोर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012'', आटोमोटिव उद्योग नीति 2012'', ''सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2012–17'' तथा ''सोलर पालिसी 2012–17'' लागू की गई है । राज्य में 1500 से अधिक राइस मिलें, 200 से अधिक दाल मिलें, 200 से अधिक पोहा मिलें तथा 20 से अधिक खाद्यान्न तेल मिलों की स्थापना से राज्य में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो रहा है।

1.4 राज्य में "रेल्वे कारीडोर" की स्थापना की प्रस्तावित योजना राज्य शासन एवं भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है । इस योजना के अन्तर्गत दो रेल्वे कारीडोर (ईस्ट कारीडोर एवं ईस्ट– वेस्ट कारीडोर) 300 कि.मी. की लंबाई एवं दल्ली राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल्वे परियोजना 235 कि.मी. लंबाई में बनायी जानी है जिसके लिये एम.ओ.यू. निष्पादित हो चुके है व इन लाईनों के निर्माण से राज्य में औद्योगिक विकास के क्रांतिकारी परिणाम आयेगें।

1.5 भारत सरकार द्वारा सूरत (गुजरात) से पाराद्वीप (उड़ीसा) तक गैस पाईप लाईन बिछाने की योजना है, जिसके तहत् गैस पाईप लाईन की मुख्य ट्रंक पाईप लाईन राज्य के राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर एवं महासमुंद जिलों से होकर निकलेगी, जिसका प्रभाव इन जिलों व निकटवर्ती जिलों के औद्योगिक विकास पर भी सकरात्मक रूप से होगा।

1.6 राष्ट्र में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने में परिवर्तन हो रहे है, इस परिवर्तन को ध्यान में रखते औद्योगिक नीति 2014– 19 की रूपरेखा तैयार करते समय राज्य के उद्योग संघों, उद्योगपतियों, विभागीय अधिकारियों, राज्य शासन के औद्योगिक विकास से संबंधित विभाग प्रमुखों आदि के साथ विचार–विमर्श किया गया है। महत्वपूर्ण विचारों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुये ''औद्योगिक नीति 2014–19'' तैयार की गई है, जो औद्योगिक विकास की एक नई दिशा तय करेगी तथा ''छत्तीसगढ़'' देश में तीव्रता से औद्योगिक विकास कर रहे राज्यों में आने वाले दशक में सिरमौर होगा।

(2) उद्देश्य (**Objective**)

2.1 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना Make in India की भांति राज्य में Make in Chhattisgarh की योजना को क्रियान्वित करने हेतु Make in India के अन्तर्गत आने वाले विनिर्माण से संबंधित क्षेत्रों को राज्य में प्राथमिकता से बढ़ावा देना।

2.2 राज्य के समग्र एवं तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निर्मित सकारात्मक माहौल का लाभ लेते हुए वर्ष 2024 तक देश के प्रमुख औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों के समकक्ष छत्तीसगढ़ राज्य को लाना।

2.3 राज्य के मूल निवासियों को स्व–उद्यम की ओर प्रेरित करना तथा उद्योगों में मूल निवासियों को नौकरी एवं रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना।

2.4 स्थापित हो रहे उद्योगों के अतिरिक्त राज्य में ऐसी विविध औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करना, जो अब तक स्थापित नहीं हुई है।

2.5 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए अनुकूल वातावरण बनाना एवं उपयुक्त अधोसंरचना विकसित करना।

2.6 राज्य में पूंजी निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी एवं सुगम बनाकर तथा अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर औद्योगिक निवेश की गति को तीव्र करते हुए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।

2.7 राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में औद्योगिक विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।

2.8 प्रदूषण मुक्त, कौशल आधारित उद्योग यथा– आई.टी., जैव प्रौद्योगिकी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज, हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण, ऑटोमोबाईल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, व्हाईट गुड्स, नवीन एवं नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के उपकरणों, टेक्सटाइल एवं कोर सेक्टर पर आधारित डाउन स्ट्रीम उद्योगों तथा रोजगार प्रधान लघु उद्योगों को प्राथमिकता से स्थापित करना।

2.9 औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति, विकलांग (निःशक्त), सेवानिवृत्त सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों एवं महिला उद्यमियों को लाने हेतु अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना।

2.10 औद्योगिक अधोसंरचना के निर्माण एवं संधारण में निजी क्षेत्र को भागीदारी देना।

2.11 उपलब्ध खनिज एवं वन सम्पदा तथा संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करते हुए स्थानीय स्तर पर उद्योगों का जाल बिछाकर जनसामान्य के जीवन स्तर में वृद्धि करना।

2.12 राज्य के स्थानीय नागरिकों के कौशल विकास में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

2.13 राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज/ उत्पादों हेतु भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना।

(3) रणनीति (Strategy)

3.1 Ease of Doing Business के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाहियां की जा रही है–

(i) आवेदन पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की संख्या यथासंभव कम करना एवं उनका सरलीकरण।

(ii) यथासंभव दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों का स्वप्रमाणीकरण।

(iii) अनुमति/अनुमोदन/स्वीकृति आदि जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना एवं उनकी संख्या में कमी करना।

(iv) प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समय–सीमा का निर्धारण तथा निर्धारित समय–सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर Deemed Approval के प्रावधान करना।

(v) कार्यों का ऑन–लाईन निष्पादन।

(vi) निरीक्षण के माध्यम से सत्यापन किये जाने की प्रक्रिया के स्थान पर स्व–प्रमाणन की व्यवस्था करना।

3.2 राज्य में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मा.मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। निवेशकों के द्वारा राज्य में परियोजनाओं की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियों के मामलों की बोर्ड के द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है एवं निर्णय लिये जाते हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय प्रचलित राज्य के अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत लिये गये निर्णयों पर over riding होगें। इसी प्रकार निवेशकों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है।

3.3 राज्य में औद्योगिक तथा अधोसंरचना परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में आ रही कठिनाईयों/समस्याओं के निराकरण की मॉनीटरिंग हेतु "State PMG" पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

3.4 राज्य में कार्यरत् उद्योगों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु एक पृथक पोर्टल विकसित किया जावेगा जिससे उद्योगों को उनके आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी आसानी से ज्ञात हो सकेगी।

3.5 राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु जिलावार उपयुक्त व संभाव्य स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा इस प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की पारदर्शी प्रणाली अपनायी जाना।

3.6 वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु युक्तियुक्त ढंग से भूमि बैंक की स्थापना ।

3.7 अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना ।

3.8 राज्य में बीमार एवं बंद पड़े उद्योगों के पुर्नस्थापन हेतु पृथक नीति बनाई जायेगी।

3.9 औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहद् उद्योगों के सुदृढ़ीकरण हेतु– उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादन प्रणाली का तकनीकी उन्नयन, वित्त पोषण में सहायता, निवेश एवं विपणन सुविधाओं का सरलीकरण एवं अधिकारों का और अधिक विकेन्द्रीकरण करना ।

3.10 शासन की योजनाओं से उद्यमियों एवं नवयुवकों को प्रभावी ढंग से अवगत कराया जाना।

3.11 समयबद्ध अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का विकास करना ।

3.12 निगरानी मूल्याकंन एवं शिकायत निवारण तंत्र हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी व्यवस्था करना।

(4) औद्योगिक अधोसंरचना हेतु कार्य योजना (Action Plan)

(4.1) औद्योगिक क्षेत्रों एवं भूमि बैंक की स्थापना :–

4.1.1 राज्य के समस्त जिलों में औद्योगिक दृष्टि से सम्भाव्य स्थानों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु सर्वसुविधायुक्त नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना । औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन नोडल एजेंसी होगा।

4.1.2 नया रायपुर में प्रदूषण मुक्त उद्योगों की स्थापना की जावेगी ।

4.1.3 राज्य के स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का यथासंभव विस्तार किया जावेगा ।

4.1.4 निजी क्षेत्र में यथा आवश्यक औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

4.1.5 राज्य शासन एवं भारत सरकार की प्रस्तावित "रेल कारीडोर योजना" एवं दल्लीराजहरा–रावघाट– जगदलपुर रेल्वे परियोजना के कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकित कर रखी जावेगी।

4.1.6 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों हेतु पहुंच मार्ग, स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार, भूमि बैंक आदि की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को भूमि क्रय करने के अधिकार देते हुए सशक्त बनाया जावेगा।

4.1.7 स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु बहुमंजिला औद्योगिक शेड–भवन बनाये जावेगें तथा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के युक्तियुक्त उपयोग हेतु रिक्त भूमि पर भी बहुमंजिला भवन/शेड बनाये जायेगें।

4.1.8 राज्य में औद्योगिक भूमि की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु दीर्घकालीन योजना को दृष्टिगत रखते हुये 10000 हेक्टेयर भूमि का भूमि बैंक विकसित किया जावेगा।

4.1.9 भूमि बैंक हेतु किये जाने वाले निजी भूमि के अर्जन, शासकीय भूमि के हस्तांतरण में न्यूनतम 20ः आबंटन योग्य भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को आबंटित करने हेतु आरक्षित रखी जावेगी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जावेंगे। पार्ट–1 धारित करता हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

4.1.10 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना लागत को कम करने हेतु नये औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्र/विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु भूमि आरक्षित की जावेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक/पेय जल की आपूर्ति हेतु युक्तियुक्त व्यवस्था की जायेगी तथा संचार सुविधाओं हेतु भी भूमि आरक्षित रखी जावेगी।

4.1.11 औद्योगिक क्षेत्रों का संधारण राज्य शासन/सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है, किन्तु इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर एवं अन्य स्थानीय कर वसूल किये जाते है जिनके युक्तियुक्तकरण हेतु अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जावेंगे।

4.1.12 समूह आधारित उद्योगों के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा स्वयं/पीपीपी मॉडल में विशेष पार्क स्थापित किये जावेंगे जैसेः– जेम्स एवं ज्वेलरी (एस.ई.जेड.), फुड प्रोसेसिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, रेलवे सहायक उद्योग काम्पलेक्स, एल्युमिनियम पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, कोर सेक्टर पर आधारित डाउन स्ट्रीम उद्योग पार्क, सोलर एवं सोलर आधारित उत्पाद पार्क, हर्बल पार्क, प्लास्टिक पार्क तथा इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद पार्क इत्यादि।

4.1.13 औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण हेतु गठित अधोसंरचना निगरानी समितियों को प्रभावी बनाया जावेगा।

4.1.14 औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार उच्च भारवहन क्षमता की आर.सी.सी. सड़कें, उच्च गुणवत्तायुक्त विद्युत का सतत् प्रदाय, जल प्रदाय, टूल रूम/टेस्टिंग लैब, फायर ब्रिगेड, भण्डारण, संचार सुविधा आदि के लिए व्यवस्था की जायेगी/पहल की जायेगी।

4.1.15 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

4.1.16 औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण का समुचित ध्यान रखा जावेगा । आवश्यकतानुसार एफ्यूलेंट ट्रीटमेंटप्लांट, हेजारड्सवेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सालिड वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकिल्ड जल उपयोग एवं सघन वृक्षारोपण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित किया जावेगा।

4.1.17 औद्योगिक क्षेत्रों/भूमि बैंक के निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के आवासीय प्रयोजन हेतु शासकीय एजेंसियों यथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, अन्य शासकीय एजेंसियां तथा निजी क्षेत्र को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

(4.2) <u>औद्योगिक भूमि प्रबंधन :–</u>

4.2.1 औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भूमि आबंटन हेतु नवीन भू–आबंटन नियम बनाये जायेगें तथा राज्य एवं जिला स्तर पर भू– आबंटन के अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण किया जावेगा।

4.2.2 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि आबंटन की दरों के निर्धारण की युक्तियुक्त पद्धति निर्धारित की जावेगी ।

4.2.3 भूमि– शेड हस्तांतरण की दरों को युक्तिपूर्ण ढंग से संशोधित किया जावेगा।

4.2.4 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि, शेड– भवन रिक्त कराने हेतु तथा विभागीय देयताओं की वसूली हेतु सी.एस.आई.डी.सी./जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को क्रमशः बेदखली परिसर अधिनियम तथा राजस्व विभाग के अधिकार प्रत्यायोजित किये जायेंगें।

(5) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता –

5.1 भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विपणन संरक्षण हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2012 से लागू "पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इण्टरप्राइजेस'' के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विपणन हितों के संरक्षण हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में प्लांट लेवल कमेटी का गठन किया जावेगा जिसमें संबंधित सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंध संचालक एवं औद्योगिक संघ भी सदस्य होंगे। स्थापित सहायक उद्योगों के हित संरक्षण का भी पूर्ण ध्यान रखा जावेगा।

5.2 राज्य में स्थापित/ स्थापनाधीन मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पर प्रभावकारी ढ़ंग से व्यवस्था की जावेगी कि वे अपनी परियोजना में लगने वाले सामग्रियों का क्रय राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से प्राथमिकता से करें ।

5.3 प्रचलित छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के संरक्षण/ प्रतिस्पर्धी बनाये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किये जावेंगे।

5.4 छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का पालन राज्य के निगमों, मण्डल, बोर्ड एवं अन्य शासकीय संस्थाओं द्वारा लागू किये जाने हेतु प्रभावी प्रावधान किये जावेंगे।

5.5 राज्य के शासकीय विभागों में अनेक ऐसे सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन राज्य में प्रारंभ नहीं हो पाया है, ऐसे उद्योगों को राज्य में प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

(6) उद्यमिता विकास

6.1 राज्य में उद्यमिता विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा औद्योगिक संभाव्य सर्वेक्षण, प्राथमिक एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, निवेश पूर्व अध्ययन, संभावित नये उद्यमियों का चयन एवं उनके परियोजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग, टेक्नो इकानामिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने, औद्योगिक प्रबंधकीय एवं वित्तीय कन्सलटेन्ट के रूप में कार्य करने, इंजीनियरिंग कन्सलटेंसी सेवाएं प्रदान करने, परियोजना पर्यवेक्षण सेवाएं देने तथा उद्यमिता जागरूकता, उद्यमिता विकास, स्किल डेव्हलपमेंट कार्यक्रम, फैकल्टी डेव्हलपमेंट कार्यक्रम, ट्रेनर ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, विपणन सहयोग, वर्कशॉप, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आदि कार्यों हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ कंसल्टेंसी आर्गेनाईजेशन **(CGCON)** का गठन विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य शासकीय विभागों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में किया जावेगा।

6.2 युवाओं में उद्यमिता विकास हेतु विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों द्वारा किये जाने वाले उद्यमिता कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करते हुए एक वार्षिक कलेण्डर तैयार कर सम्पूर्ण राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा ।

6.3 राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की नवीन रूपरेखा बनायी जावेगी जिसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं औद्योगिक भ्रमण की व्यवस्था भी होगी ।

6.4 उत्पाद आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये जावेंगे।

6.5 राज्य के उद्यमियों को प्रतिष्ठित ''इंटरप्रोन्यरशिप डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद'' एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण हेतु भेजा जावेगा।

6.6 उद्यमिता विकसित करने हेतु अन्य तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थाओं की सेवाएं भी ली जावेगी तथा इन संस्थाओं में उद्यमिता विकास कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु समन्वय स्थापित किया जावेगा।

6.7 राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान तथा अन्य अनुमोदित एजेंसियों से जिले में संभावित उद्योगों के प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार कर उद्यमियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) निर्यात

राज्य से सीधे निर्यात हेतु निम्नानुसार योजना क्रियान्वित की जावेगीः—

7.1 नया रायपुर में "एक्सपोर्ट फैसिलेटेशन सह कन्वेशन सेन्टर" की स्थापना।

7.2 रायपुर में एयरकार्गो की स्थापना कस्टम क्लियरेंस सुविधा के साथ प्रारंभ करवाना।

7.3 राज्य में निर्यात संभावित उत्पाद/सामग्री, निर्यात अधोसंरचना की आवश्यकता आदि का सर्वेक्षण कर कार्य योजना बनाना तथा निर्यात/आयात से संबंधित वेबसाइट का प्रभावी उपयोग करना।

7.4 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने एवं उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद्, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एवं राज्य शासन की एजेंसियों के समन्वित सहयोग से "जागरूकता कार्यक्रम" आयोजित किये जावेगें।

7.5 भारत सरकार की निर्यात संबंधी योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु उद्योग संचालनालय में "निर्यात प्रकोष्ठ" का गठन किया जावेगा।

7.6 राज्य से निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर कर छूट की युक्तियुक्त व्यवस्था लागू की जावेगी।

7.7 राज्य में निर्यात से संबंधित विनिर्माण उद्योगों को अधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिये जायेंगें।

7.8 इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो को सर्वसुविधायुक्त एवं विस्तारित करने हेतु आवश्यक पहल की जावेगी ।

7.9 रायपुर स्थित डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के कार्यालय को अपग्रेड करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा ताकि समस्त क्लियरेंस एक साथ हो सकें।

(8) उद्योग मित्र

8.1 राज्य में औद्योगिक निवेश/विकास की सरलीकृत प्रक्रिया हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर रू. 10 करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं को उद्योग स्थापना की प्रारंभिक स्थिति से उद्योग स्थापना तक एवं उद्योग स्थापना के पश्चात् औद्योगिक निवेश की योजनाओं का लाभ देने हेतु विभागीय अधिकारियों को औद्योगिक इकाईवार ''उद्योग मित्र'' नामांकित किया जावेगा जो उद्यमियों को सम्पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

8.2 राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में उद्योग संवर्धन सहायता समिति, संचालनालय स्तर पर उद्योग आयुक्त/संचालक की अध्यक्षता में समन्वय समिति, औद्योगिक अधोसंरचना एवं विपणन की समस्याओं के निवारण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. में प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में समन्वय समिति तथा शासन से संबंधित मुद्दों के निराकरण हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में अर्न्तविभागीय समिति का गठन किया जावेगा जिसकी बैठकें प्रत्येक तीन माह में की जावेगी।

8.3 राज्य स्तर पर उद्योग संचालनालय, सी.एस.आई.डी.सी., राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की कार्यप्रणाली को आधुनिक एवं कम्प्यूटराइज्ड किया जावेगा। प्रथमतः EM-Part I एवं EM-Part II को ऑनलाईन करने व तदोपरांत सभी आवेदन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त किये जाने तथा उनके निराकरण की कार्यवाही की जावेगी ।

8.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की पर्यावरणीय सम्मति के विकेन्द्रीकृत प्रावधानों का परीक्षण कर प्रचलित सूची को विस्तारित किया जावेगा।

8.5 औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–आबंटन, भू–हस्तांतरण, जल एवं विद्युत की दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर औद्योगिक संघों का भी पक्ष सुना जाकर निर्णय लिये जावेंगें।

(9) सिंगल विंडो प्रणाली

9.1 छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 के तहत् राज्य में सिंगल विंडो प्रणाली जिला एवं राज्य स्तर पर विकसित की जावेगी जिसके फलस्वरूप औद्योगिक निवेश से संबंधित समस्त प्रकार के क्लियरेंस यथा प्रमाण–पत्र, अनापत्ति, सहमति, नामांकन, पंजीयन, अनुमति, अनुमोदन, लायसेंस, आबंटन निर्धारित समयावधि में प्राप्त हो सकेंगे।

9.2 इस प्रणाली को ''मितान'' कहा जावेगा।

(10) श्रम सुधार

10.1 श्रम सन्नियमों को सरलीकृत किये जाने हेतु आवश्यक पहल की जावेगी।

10.2 राज्य में स्थापित होने वाले विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों को भारत शासन की नीतियों के अनुसार श्रम सन्नियमों से मुक्त किया जावेगा।

10.3 श्रम सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु जिला स्तर पर गठित ''टास्क फोर्स'' जिसमें उद्योग विभाग, श्रम विभाग तथा औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, की बैठकें नियमित रूप से की जावेगी।

10.4 औद्योगिक दृष्टि से तीव्रता से विकास कर रहे जिलों में आवश्यकतानुसार श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने हेतु पहल की जावेगी।

10.5 श्रम कानूनों की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। ऑनलाइन नवीनीकरण की व्यवस्था होने तक 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण किया जावेगा।

(11) मानव संसाधन विकास

राज्य में युवाओं के लिए "कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013" लागू है । कौशल विकास को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए राज्य के आई. टी. आई., डिप्लोमाधारी एवं स्नातक इंजीनियर्स को राज्य में स्थापित औद्योगिक परियोजनाओं में एप्रेन्टिशिप एवं इन्टर्नशिप तथा व्होकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने हेतु प्रभावी पहल की जावेगी।

राज्य में नवीन आई. टी. आई. एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना हेतु, उद्योग आधारित नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु, कौशल उन्नयन के लिए डिग्री/डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स की शुरूआत करने तथा महिलाओं के कौशल विकास के संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रयास किये जायेंगे ।

(12) क्लस्टर विकास

राज्य में चांवल, पोहा, दाल, वायर ड्राइंग, रि–रोलिंग मिलें, स्टोन कटिंग एण्ड पॉलिशिंग, कोसा सिल्क, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद, लघु वनोपज आधारित उद्योग आदि क्लस्टर्स की पहचान की गई है। इनके विकास हेतु भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजनाओं के तहत् सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु ''मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्लस्टर विकास योजना'' प्रारंभ की जावेगी जिसमें भारत सरकार से स्वीकृत होने वाले क्लस्टर को राज्य शासन से भी 10: अनुदान दिया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 50 लाख प्रति क्लस्टर होगी।

(13) ब्रांड – " विश्वसनीय छत्तीसगढ़."

13.1 राज्य की आर्थिक शक्तियों से देश व विदेश को परिचित कराने, देश तथा देश के बाहर के औद्योगिक घरानों को राज्य में विभिन्न सेक्टर यथा ऑटोमोबाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, व्हाईट गुड्स, अधोसंरचना विकास, पर्यटन, नवीन–नवीकरणीय ऊर्जा, हर्बल, लघु वनोपज आदि के क्षेत्रों में देशी एवं विदेशी पूँजी आकर्षित करने हेतु "रोड शो / इन्वेस्टर मीट" का आयोजन किया जावेगा।

13.2 राज्य की सम्पूर्ण ब्रांडिंग हेतु राज्य के "ब्रांड एम्बेसेडर" बनाये जाने हेतु आवश्यक पहल की जावेगी।

13.3 राज्य शासन की समग्र विकास की योजनाओं को राज्य के जन–जन तक पहुंचाये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

13.4 सम्पूर्ण राज्य में जिला स्तर पर एक साथ "उद्योग दिवस" मनाया जायेगा, जिसमें औद्योगिक विकास हेतु सेमीनार, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे तथा उद्यमी पुरस्कार वितरित किये जायेंगे।

(14) उद्योगों के दायित्व :–

14.1 उद्योगों को नियमानुसार राज्य शासन द्वारा लागू सी.एस.आर. पालिसी का पालन करना अनिवार्य होगा।

14.2 उद्योगों को अपने उद्योगों में राज्य के मूल निवासी स्नातक अभियंता, डिप्लोमा कोर्स, आई. टी.आई. उत्तीर्ण करने वाले युवकों को कुल नियोजन का क्रमशः 10%, 20% एवं 25% की संख्या में तीन माह से छः माह की अवधि में एप्रेन्टिशिप एवं इन्टर्नशिप देनी होगी।

(15) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन –

15.1 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में परिभाषाएं ''परिशिष्ट–1'' के अनुसार लागू होगी।

15.2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देने हेतु उद्योगों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(1) **संतृप्त श्रेणी के उद्योग**– ''परिशिष्ट–2 अ'' सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची तथा ''परिशिष्ट–2 ब'' औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची। ''परिशिष्ट–2 अ'' में दर्शाये उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी परन्तु ''परिशिष्ट–2 ब'' में दर्शाये उद्योगों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

(2) प्राथमिकता उद्योग – "Make In Chhattisgarh" की परिकल्पना के तहत राज्य में स्थापित कराये जाने वाले प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग जो औद्योगिक नीति, 2014–19 के परिशिष्ट–3 में सम्मिलित है ।

(3) **कोर सेक्टर के उद्योग**– कोर सेक्टर से आशय हैं मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स अंतर्गत स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्युमिनियम संयंत्र (परिशिष्ट–4 अनुसार)।

(4) **सामान्य श्रेणी के उद्योग** – संतृप्त श्रेणी के उद्योग, प्राथमिकता उद्योग तथा परिशिष्ट 4 में दर्शित कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग ।

15.3 राज्य में औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित रणनीति अपनाते हुए निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें ''परिशिष्ट–5'' अनुसार दी जावेगी।

राज्य में उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, विद्यमान उद्योगों में शवलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) हेतु सामान्य वर्ग के उद्यमियों को ब्याज अनुदान, स्थायी पूँजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क से छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन पर भूमि प्रीमियम में छूट/रियायत, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में छूट, युक्तियुक्त भू–आबंटन सेवा शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, प्रवेश कर भुगतान से छूट, विकलांग/निःशक्त रोजगार अनुदान दिये जावेंगे।

राज्य में स्थापित राईस मिलों को आधुनिकीकरण हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये पूंजी निवेश पर अधिकतम सीमा के अधीन औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

15.4 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ प्रारंभ करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले उपरोक्तानुसार कंडिका 15.3 में अंकित अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी।

15.5 महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों को 15.3 में अंकित सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

15.6 राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की धारा में लाने हेतु परिशिष्ट–6 अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के संबंध में विशेष आर्थिक पैकेज दिया जावेगा।

15.7 औद्योगिक परियोजनाओं/भूमि बैंक/औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु भू–अर्जन से प्रभावित कृषकों/विस्थापितों हेतु शासन की पुर्नवास नीति का पालन कराया जायेगा एवं प्राप्त क्षतिपूर्ति मुआवजा की राशि से कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जायेगी ।

15.8 राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

भारत सरकार से स्वीकृत अनुदान यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो राज्य शासन के अनुदान की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जावेगी।

15.9 औद्योगिक पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन राज्य एवं जिला स्तर पर किया जावेगा।

15.10 राज्य में लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना, पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज का विस्तार में निवेश करने पर उन्हें भी औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी।

15.11 राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी ।

15.12 राज्य के युवाओं में स्वउद्यमों के अवसरों में वृद्धि हेतु ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' प्रारंभ की जा चुकी है । इस योजना में इस नीति के अन्तर्गत निर्माण एवं सेवा उद्यमों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जावेंगे।

15.13 कोयला से द्रव्य ईंधन/गैस/पेट्रोलियम उत्पाद की उत्पादन तकनीक को प्राथमिकता से प्रोत्साहित किया जावेगा।

15.14 औद्योगिक विकास के आधार पर विकास खण्डों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है :–

1 **विकासशील क्षेत्र** – इस श्रेणी में राज्य के उन विकासखंडों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें औद्योगिक विकास प्रारंभ होकर सतत् रूप से प्रगति पर है, जो **परिशिष्ट–7** पर अंकित है ।

2 **पिछड़े क्षेत्र** – इस श्रेणी में अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के समस्त विकासखंड एवं सामान्य जिलों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड समावेशित है, जो **परिशिष्ट– 8** पर अंकित है।

15.15 निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

1 सामान्य वर्ग के उद्यमी
2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी
3 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक निवेशक, विदेशी तकनीक वाले उद्योग
4 महिला उद्यमी
5 राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन

15.16 निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
2 मध्यम उद्योग
3 वृहद उद्योग
4 मेगा प्रोजेक्ट्स
5 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स

15.17 ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, राईस मिलों के आधुनिकीकरण तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन) पर प्राप्त होंगे ।

15.18 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन उन्हीं पात्र उद्योगों को प्राप्त होगें जो नियोजन में, अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करेगें ।

15.19 जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट –1 / आई.ई.एम./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो **अथवा** राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009–2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009–2014 में प्रावधानित अनुदान/ छूट/ रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा ।

15.20 नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

15.21 नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स जो राज्य में अब तक स्थापित नहीं हुए है, के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन से अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद में विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

15.22 राज्य में विभिन्न सेक्टरों में निवेश हेतु निम्नानुसार नीतियॉ बनाई गई हैं–

1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012
2. ऑटोमोटिव उद्योग नीति, 2012

जिन उद्योगों ने उपरोक्त नीतियों में से जिस नीति के अंतर्गत एम.ओ.यू. निष्पादित किए हैं/ई. एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. धारक हैं, उन्हें उस नीति के अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के साथ–साथ इस औद्योगिक नीति में घोषित वे अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगी जो उस नीति में नहीं हैं।

15.23 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायतों की योजनाओं का लाभ पात्र उद्योगों को देने के लिये औद्योगिक नीति के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 03 माह के अन्दर अधिसूचनाएँ जारी की जायेगी, नियम बनाये जायेंगे तथा संगत कानूनों के अन्तर्गत प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जायेंगे ।

15.24 औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी के ऐसे उद्योग जिनकी नीतियॉ अन्य विभागों द्वारा तैयार की गई हैं, उनमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु वांछित राशि के लिए संबंधित विभागों द्वारा उनके बजट में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।

(16) उद्योगों को गैर वित्तीय सुविधाएं –

राज्य में तीव्र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति एवं औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रतिस्पर्धी बनाने परिशिष्ट– 9 अनुसार गैर वित्तीय सुविधाएं भी दी जावेंगी।

(17) क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा

औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2019 तक होगी । उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता हेतु 1 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा तथा उद्योग स्थापना के पूर्व दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 1 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक ही प्राप्त होगें। 05 वर्षों की इस कालावधि में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक नीति के प्रावधानों की समय–समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश/संशोधन एवं अंकित प्रावधानों का विलोपन करे ।

परिशिष्ट–1

औद्योगिक नीति 2014– 19

परिभाषाएं :–

1. **''नियत दिनांक''** से आशय है – औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रभावी होने का दिनांक अर्थात् 01 नवम्बर 2014,

2. **''औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र''** से आशय है **''परिशिष्ट–7''** में सम्मिलित क्षेत्र,

3. **''औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र''** से आशय है **''परिशिष्ट–8''** में सम्मिलित क्षेत्र,

4. **''औद्योगिक क्षेत्र''** से आशय है तथा इसमें सम्मिलित है– नियत दिनांक से पूर्व एवं पश्चात् के राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के आधिपत्य में तथा संधारित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, राज्य शासन/भारत सरकार से अनुमोदित/सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र, नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र तथा अंशतः औद्योगिक क्षेत्र (ऐसे उद्योग जिन्होने औद्योगिक क्षेत्रों में अंशतः भूमि आबंटन प्राप्त कर एवं अंशतः औद्योगिक क्षेत्रों से संलग्न भूमि क्रय कर उद्योग स्थापित किया जा रहा हो/उद्योग स्थापित किया हो)।

5. **"औद्योगिक इकाई"**– औद्योगिक इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो विनिर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्यम के तहत् स्थापित है/प्रस्तावित है।

6. **''नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई''** (ग्रीन फील्ड उद्योग) से आशय ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2014 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति ई0एम0 पार्ट–1/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर 2014 को/के पश्चात् तथा 31 अक्टूबर 2019 तक हो,

   ऐसे उद्योगों को भी नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई की श्रेणी में मान्य किया जावेगा जो दिनांक 01.11.2014 की स्थिति में वैध ई.एम. पार्ट–1/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करते हों, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर 2014 को/के पश्चात् तथा 31 अक्टूबर 2019 तक हो,

6.1– नवीन उद्योग की पात्रता हेतु निम्नांकित शर्तो की पूर्ति आवश्यक हैः–

(1) भूमि– एकल स्वामित्व के प्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व से भिन्न प्रकरणों में भूमि औद्योगिक इकाई के नाम से/ कम्पनी के नाम से होना अनिवार्य है।

(2) शेड–भवन – उपरोक्तानुसार भूमि पर नवीन शेड भवन निर्मित किया गया हो।

(3) प्लांट एवं मशीनरी– उपरोक्तानुसार भूमि एवं शेड भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हों।

6.2 विद्यमान उद्योग के परिसर में विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किया गया उद्योग भी नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई की श्रेणी में मान्य किया जायेगा, यदि निम्नांकित शर्तों की पूर्ति होती हो–

(1) नियत दिनांक के पश्चात् नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट–1, आई.ई.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो, या नियत दिनांक को नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई के नाम से जारी ई.एम. पार्ट–1, आई.ई.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस वैध हो ।

(2) भूमि– एकल स्वामित्व के प्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व से भिन्न प्रकरणों में भूमि नवीन औद्योगिक इकाई/ कम्पनी के नाम से होना अनिवार्य है।

(3) शेड भवन– उपरोक्तानुसार भूमि पर नवीन शेड भवन निर्मित किया गया हों।

(4) प्लांट एवं मशीनरी– उपरोक्तानुसार भूमि एवं शेड भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हों।

(5) नवीन उद्योग हेतु पृथक से उत्पादन, क्रय–विक्रय पंजियॉ संधारित की गई हो ।

(6) विद्यमान परिसर में स्थापित पूर्व विद्यमान उद्योग को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित किसी अनुबंध/अधिसूचना का उल्लंघन न होता हो,

(7) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर उपरोक्त के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित हो,

टीपः– विद्यमान उद्योग/विद्यमान औद्योगिक इकाई में नवीन उत्पाद का समावेश नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य नहीं होगा।

7 **''विद्यमान उद्योग/विद्यमान औद्योगिक इकाई''** से आशय ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जिसने औद्योगिक नीति 2001–06 के प्रभावी होने के दिनांक 01 नवम्बर, 2001 के पश्चात् एवं औद्योगिक नीति 2009–14 के समापन की तिथि 31 अक्टूबर, 2014 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई0एम0 पार्ट–2/आई.ई.एम./आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित हो।

8 **''विद्यमान उद्योग के विस्तार''** से आशय है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों, मेगा प्रोजेक्ट्स, अति वृहद उद्योगों / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में औद्योगिक नीति वर्ष 2014–19 के नियत दिनांक को/के पश्चात उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश करते हुए उद्योग विभाग से पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि होती हो तथा विस्तार के तहत् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक हो।

9 अ. **''सूक्ष्म एवं लघु उद्योग''** से आशय है ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

ब. **''सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम''** से आशय ऐसे उद्यम से है जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सेवा श्रेणी के अंतर्गत हो एवं समय–समय पर जारी की गई सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 धारित करता हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

10 अ. **''मध्यम उद्योग''** से आशय ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के अन्तर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित अधिकतम पूंजी निवेश से अधिक किंतु अधिकतम रु. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक इकाई ने सक्षम अधिकारी से यथास्थिति ई0एम0 पार्ट–1/ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

ब. **''मध्यम सेवा उद्यम''** मध्यम सेवा उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में मध्यम सेवा उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 धारित करता हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

11 **''वृहद उद्योग''** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 10 करोड़ से अधिक तथा स्थायी पूंजी निवेश रु. 100 करोड़ तक हो (मेगा प्रोजेक्ट की परिभाषा के अंतर्गत व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स को छोड़कर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यथास्थिति आई0ई0एम0/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

12 **''मेगा प्रोजेक्ट''** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो या/एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, किन्तु निम्नांकित सेक्टर में मेगा प्रोजेक्ट्स उन्हें मान्य किया जावेगा जिनका स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार है :–

क्र.	श्रेणी	स्थायी पूंजी निवेश
1	2	3
1	व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद	रू0 50 करोड़ से 100 करोड़ तक
2	फार्मास्युटिकल उद्योग	रू0 15 करोड़ से 20 करोड़ तक
3	आई.टी.सेक्टर, बायो टेक्नॉलॉजी	रू0 15 करोड़ से 20 करोड़ तक
4	टेक्सटाईल	रू0 50 करोड़ से 100 करोड़ तक
5	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण,	रू0 30 करोड़ से 60 करोड़ तक
6	साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स	रू0 25 करोड़ से 100 करोड़ तक

13 **''अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट''** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने रूपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई. एम/औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र धारित करता हो या/एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, किन्तु ''मेगा प्रोजेक्ट'' की उपरोक्त तालिका में दर्शित उद्योगों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा की राशि से अधिक राशि का स्थायी पूंजी निवेश होने पर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में मान्य किया जावेगा।

14 **''संतृप्त श्रेणी के उद्योग''** से आशय है राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–2 अ एवं परिशिष्ट–2 ब में सम्मिलित उद्योग ।

15 **''प्राथमिकता उद्योग''** से आशय है ''Make In Chhattisgarh'' की योजना के तहत राज्य में स्थापित कराये जाने वाले प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग जो औद्योगिक नीति, 2014–19 के परिशिष्ट–3 में सम्मिलित है ।

16 ''**कोर सेक्टर के उद्योग**'' से आशय है मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्युमिनियम संयंत्र (परिशिष्ट–4 अनुसार)।

17 **"सामान्य उद्योग" से आशय है –** परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–3 एवं परिशिष्ट 4 में दर्शित उद्योगों को छोड़कर शेष अन्य उद्योग ।

18 **''स्थायी पूंजी निवेश''** से आशय है किसी नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण यथास्थिति जो लागू हो, हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक भूमि/भूमि– विकास, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति तथा बाउन्ड्रीवाल पर किये गये निवेश से है ।

स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यमों में उद्योग परिसर में वैध ई.एम. पार्ट– I/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् छः माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश।

(ख) मध्यम उद्योगों/मध्यम सेवा उद्यमों में उद्योग परिसर में वैध ई.एम. पार्ट– I/आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् बारह माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

(ग) वृहद् उद्योगों में उद्योग परिसर में वैध आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् अठ्ठारह माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

(घ) मेगा प्रोजेक्ट में उद्योग परिसर में वैध आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् चौबीस माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

(ड.) अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में उद्योग परिसर में वैध आई.ई.एम./आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् तीस माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

टीप – कम्पनियों के अमलगमेशन/मर्जर से सृजित निवेश को स्थायी पूंजी निवेश में मान्य नहीं किया जावेगा।

19 **''भूमि मूल्य''** से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के भुगतान मूल्य से है तथा इसमें सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/भू–प्रब्याजि तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि । भू–प्रब्याजि से आशय है भू आबंटन अधिकारी द्वारा आबंटित भूमि हेतु भुगतान की गई राशि (भू–भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य कर– उपकरों को छोड़कर)

टीप– निजी भूमि पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होना आवश्यक है।

20 **''शेड–भवन''** से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में भूमि पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टैण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम ।

21 **''विद्युत आपूर्ति निवेश''** से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/ विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु विद्युत की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को भुगतान की गयी राशि से है।

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जायेगी।

(2) केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा।

22 **''जल आपूर्ति निवेश''** से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/ विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में औद्योगिक उत्पाद हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो। इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जायेगी।

23 **''प्लांट एवं मशीनरी''** से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना व परिवहन पर किये गये पूंजी निवेश/व्यय से है।

टीप : न्यूनतम 10 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए प्राप्त किए गए ऐसे लीज–होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया" द्वारा जारी "एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड" के अनुसार किया जायेगा, किन्तु उसका लीज़ मूल्य किसी भी दशा में उस प्लांट/मशीनरी के मूल्य से अधिक नहीं लिया जायेगा ।

24 **''वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक''** से आशय है–

(क) **सूक्ष्म–लघु उद्योग–** औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 30 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो पहले हो।

(ख) **मध्यम उद्योग–** औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 60 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो।

(ग) **वृहद उद्योग–** औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 90 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो।

(घ) मेगा प्रोजेक्ट– व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता, फार्मास्युटिकल्, आई टी सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाइल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साईकिल निर्माण/साईकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स के मेगा प्रोजेक्ट तथा 100 करोड़ से अधिक एवं 500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट। औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हों।

(ड.) रू. 500 करोड़ से अधिक एवं 1000 करोड़ रूपये तक के स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रोजेक्ट में औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

(च) **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट** रू. 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में तथा व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई. टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स की श्रेणी में आने वाले अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 210 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

25 **वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र–**

(1) औद्योगिक इकाई की योजना अनुसार उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा ''वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र'' जारी किया जायेगा,

(2) औद्योगिक इकाई की योजनानुसार औद्योगिक इकाई के पक्ष में एक ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। चरणबद्ध उत्पादन करने पर तद्नुसार पूंजी निवेश, उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक एवं रोजगार की प्रविष्टियॉ की जायेगी।

(3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में ई.एम. पार्ट–2 जारी करने के साथ–साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा।

(4) वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा ।

(5) औद्योगिक इकाई की योजना से भिन्न उत्पाद का उत्पादन करने पर इसका समावेश वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में किया जायेगा, किंतु भिन्न उत्पाद पर किसी भी प्रकार के अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता नहीं होगी।

टीपः– यह स्पष्ट किया जाता है कि

1– इस नीति के अन्तर्गत यदि कोई उद्यमी "विद्यमान उद्योग/औद्योगिक इकाई" की परिभाषा में नहीं आता किन्तु उद्योग में विस्तार करता है चाहें विद्यमान उद्योग के विस्तार की परिभाषा की परिधि में आता हो अथवा न आता हो, इसकी प्रविष्टियाँ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में की जावेगी व इस आशय का प्रमाणन भी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में किया जावेगा।

2– आधुनिकीकरण से संबंधित प्रविष्टियां एवं प्रमाणन वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में की जावेगी।

26 **''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी''** से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की परिभाशा के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित जाति/जनजाति का हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में आने बाबत् स्थायी प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

27 **''अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग''** से आशय ऐसे उद्योग से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं राज्य के मूल निवासी द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो/स्थापित हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हो, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो एवं यथास्थिति वैध ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/ आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करते हो।

28 **''विनिर्माण उद्योग''** से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विनिर्माण की श्रेणी में आने वाले उद्योग ।

29 **''जाब वर्क''** से आशय है ऐसा क्रियाकलाप या गतिविधि जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जावे ।

30 **''योजना''** से आशय है –

(अ) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों में सक्षम प्राधिकारी को दाखिल ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस हेतु दिये गये आवेदन/ आवेदन के साथ संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट में औद्योगिक इकाई द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर)।

(ब) मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में राज्य शासन के साथ निष्पादित एम0ओ0यू0 में उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) या भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आई.ई.एम./ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र जारी करने हेतु दिये गये आवेदन/ जारी अभिस्वीकृति में उद्योग की परियोजना लागत, जो कम हो (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) ।

टीप– विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योगों में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण के प्रकरणों में पृथक योजना बनाकर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

31 **''महिला उद्यमी''** से आशय राज्य की मूल निवासी ऐसी महिला से है, जिसने उद्योग स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं हों एवं उनके उद्योग में नियोजित कुल रोजगार के न्यूनतम 25 प्रतिशत महिलाएं प्रबंधकीय, कुशल एवं अकुशल श्रेणी में कार्यरत हो।

32 **''विकलांग/ निःशक्त''** से आशय राज्य के उस मूल निवासी से है, जो भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की परिधि में आता हो एवं इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र धारित करता हो।

33 **''सेवा निवृत्त सैनिक''** से आशय है जो भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं/ अर्द्धसैनिक बल से सेवा निवृत्त हुआ हो एवं तदाशय का संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय से प्रमाण–पत्र धारित हो एवं राज्य का मूल निवासी हो।

34 **''नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति''** से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों में शहीद / विकलांग हुए व्यक्ति अथवा / एवं उसके परिवार का सदस्य हो एवं राज्य का मूल निवासी हो व इसमें सम्मिलित है पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री एवं माता–पिता, इस प्रयोजन हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारित हो ।

35 ''निर्यातक उद्योग'' से तात्पर्य उस उद्योग से है जिसके पक्ष में भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा L.O.P. (लेटर ऑफ परमिशन) जारी किया गया हो।

36 ''100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग'' से आशय ऐसे निर्यातक उद्योग से है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई परिभाषा के अंतर्गत आता हो ।

37 **''शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन)''** से आशय ऐसे उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग से है जो विद्यमान उद्योग की श्रेणी में आता हो तथा सक्षम प्राधिकारी से ई.एम.पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो, यदि औद्योगिक नीति 2014–19 के नियत दिनांक के पश्चात अपने विद्यमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है तो नवीन उत्पाद शवलीकृत श्रेणी में आयेगा बशर्ते कि औद्योगिक इकाई ने नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 के पश्चात् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत पूंजी निवेश किया हो तथा कुल रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो । इसके लिए 31 अक्टूबर, 2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा ।

38 **''सावधि ऋण''** सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित/ पंजीकृत/अनुज्ञप्ति प्राप्त बैंक/वित्त निगम/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम/अन्य निगम/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/ नागरिक सहकारी बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण (इसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य एवं स्थापना व्यय भी सम्मिलित किया जायेगा) ।

39 **''परियोजना प्रतिवेदन''** – परियोजना प्रतिवेदन से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना हेतु राज्य शासन के किसी विभाग/बोर्ड, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम संस्थान, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट या निजी क्षेत्र के किसी कन्सलटेन्ट/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/चार्टर्ड इंजीनियर से तैयार कराया गया परियोजना प्रतिवेदन जिसमें परियोजना के वित्तीय स्वरूप के अतिरिक्त कच्चा माल की उपलब्धता, विपणन की संभावनाएं, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी अध्ययन, लाभ–हानि, शासन की नीतियों आदि का भी उल्लेख हो।

40 **कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय/प्रबंधकीय पद** की वही परिभाषा मान्य की जायेगी जो राज्य शासन द्वारा समय –समय पर जारी की जावे।

41 **अप्रवासी भारतीय** की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी की जावे।

42 **एफडीआई निवेशक** की वही परिभाषा मान्य होगी जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की जावे ।

43 **विदेशी तकनीक से संबंधित उद्योग** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसे भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक परियोजना स्थापित करने हेतु क्लियरेन्स दिया हो।

44 **राज्य के मूल निवासी** से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे तथा जो इसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारित करता हो ।

45 **"बंद औद्योगिक इकाई" –**

1. उद्योग विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान, छूट एवं रियायतों के प्रकरणों में बंद औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जो स्थापित है व उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित है तथा उद्योग स्थापना के पश्चात् मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को समुचित एवं मान्य कारण सूचित किये बिना छः माह से अधिक की अवधि हेतु लगातार बंद है।

2. उपरोक्त 1 से भिन्न प्रकरणों में बंद/बीमार औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी बंद/बीमार औद्योगिक इकाईयों से है जो कि औद्योगिक वित्त एवं पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) या किसी परिसमापक को निर्दिष्ट की गई हो, या वित्तीय संस्थाओं या बैंको द्वारा अधिग्रहित की गई हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित बीमार उद्योग की श्रेणी में आती हो अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा बंद/बीमार घोषित की गई हो।

46 **उद्योग परिसर** – उद्योग परिसर से आशय है राज्य शासन/उद्योग विभाग की किसी एजेंसी द्वारा औद्योगिक परियोजना की स्थापना हेतु/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित भूमि एवं/या वैध रूप से क्रय की गई भूमि की चर्तुसीमा।

टीपः– इस चर्तुसीमा में वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन की भूमि सम्मिलित नहीं होगी।

47 **"ग्रामोद्योग"** से आशय है कि ग्रामोद्योग का कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग कोई माल तैयार करता हो या सेवा प्रदान करता हो, जिसमें स्थाई पूंजी राशि रू. 50,000/– के निवेश से एक कारीगर या श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराता है।

48 **"ग्रामीण क्षेत्र"** से आशय है ऐसा कोई भी क्षेत्र जो जनसंख्या के अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांवों की परिभाषा के अंतर्गत आता हो, या कोई नगरीय क्षेत्र जो 2011 की जनगणना या केन्द्र सरकार द्वारा समय– समय पर बनाये गये आंकड़ों अनुसार जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक न हों।

49 **"ग्रामोद्योग इकाई"** से आशय है कोई भी ग्रामोद्योग इकाई जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्गीकृत इकाई की स्थापना (प्रतिबंधात्मक/नकारात्मक उद्योग को छोड़ कर) ।

50 **राईस मिलों का आधुनिकीकरण**– से आशय है विनिर्माण/उत्पादन से संबंधित स्थापित उद्योगों में स्थापित मशीनों में कुछ नवीन मशीनें/उपकरण जोड़कर या स्थापित मशीनों के स्थान पर नवीन तकनीकी वाली वैसी ही मशीनों की स्थापना करना है, जिससे उत्पाद की किस्म में सुधार हो या उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती हो या निर्मित उत्पाद की उत्पादन लागत में कमी आयें या अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता हों।

टीपः– राईस मिलें उद्योग विभाग/खाद्य विभाग में कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत हो तथा आधुनिकीकरण की परिभाषा के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रूपये 100 लाख का निवेश करते हुये नियत दिनांक के पश्चात् आधुनिकीकरण को पूर्ण करती हों।

51 **स्थायी रोजगार** – स्थायी रोजगार से आशय औद्योगिक इकाई द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग में प्रबंधन/कुशल श्रम/अकुशल श्रम की श्रेणी में अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को उनकी सेवाओं हेतु सीधे दिये जाने वाले वेतन/पारिश्रमिक अर्थात् इसमें ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया गया रोजगार सम्मिलित नही होता।

52 **''भूमि बैंक''** से आशय है, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि एवं शासकीय भूमि।

53. **व्हाईट गुड्स** – व्हाईट गुड्स से आशय है व इसमें सम्मिलित है – एयर कंडीशनर, रेफ्रीजरेटर, वाशिंग मशीन, टेलीविजन सेट आदि।

टीप– उपर्युक्त परिभाषाओं के संबंध में विवाद की स्थिति में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

परिशिष्ट–2

संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)

(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
(2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
(3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
(4) आरा मिल (सॉ मिल)
(5) लेदर टैनरी
(6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
(7) किसी भी उत्पाद की रि–पैकिंग
(8) मिनरल वाटर
(9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
(10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
(11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग
(13) स्टोन क्रेशर/ गिट्टी निर्माण
(14) स्पंज आयरन
(15) क्लिंकर
(16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
(2) हालर मिल
(3) मुरमुरा मिल
(4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
(5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी
(6) मिनी सीमेंट प्लांट
(7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप – संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

परिशिष्ट–3

प्राथमिकता उद्योगों की सूची

(अ) वर्गीकरण के आधार पर –

1 हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग

2 आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स

3 साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स

4 प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स

5 नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद

6 एल्युमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद

7 भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल, पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी को छोड़कर)

8 ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)

9 फार्मास्यूटिकल उद्योग

10 एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज मेडीसिन का निर्माण

11 व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद

12 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग

13 जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद

14 टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)

15 रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स

16 नवीन एवं नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।

17 विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु लगने वाले मशीनरी एवं उपकरण

18 जेम्स एवं ज्वेलरी

19 मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट

20 स्पोर्टस गुड्स।

21 निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कम्पनी एवं भारतीय कम्पनी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग।

22 कोयले से द्रव्य ईंधन/गैस/पेट्रोलियम उत्पाद

23 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें ।

टीप– प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा ।

(ब) उत्पाद आधारित

1 एच0डी0पी0ई0 बैग्स एवं पाईप्स
2 मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग, हाउस होल्ड प्लास्टिक के आयटम
3 ट्रान्समीशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण
4 स्व–चालित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स/एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स
5 बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
6 लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
7 फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
8 रेडीमेट गारमेन्ट्स (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले)
9 सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स
10 निर्यातक उद्योग एवं 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग
11 वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
12 कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
13 फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाईट पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पालिशिंग तथा टाईल्स निर्माण
14 पोलिस्टर स्टेपल फाईबर
15 ग्रामोद्योग इकाईयां यथा पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबुन एवं वाशिंग पावडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सी.एफ.एल. बल्ब, स्टील विंण्डो/डोर/रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश 10 लाख रूपये हो।
16 सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख)
17 वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 25 लाख हो),
18 हेंड पंप
19 सबमर्सिबल पंप
20 इलेक्ट्रिक मोटर
21 ग्रेन साइलो
22 प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री
23 पेन्ट/डिस्टेम्पर
24 पोहा
25 नान प्लास्टिक बैग्स
26 ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं

टीप– प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा ।

परिशिष्ट–4

कोर सेक्टर के उद्योग

कोर सेक्टर की श्रेणी में निम्नांकित मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स आयेगें –

1. स्टील संयंत्र
2. सीमेंट संयंत्र
3. ताप विद्युत संयंत्र
4. एल्युमिनियम संयंत्र

टीप 1. – कोर सेक्टर के उद्योगों को स्टाम्प शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त इन्हें इस औद्योगिक नीति में प्रावधानित अन्य कोई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

2. औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि में भारत सरकार द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू करने पर प्रवेश कर भुगतान से छूट नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 से गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू होने की तिथि तक सीमित होगी।

परिशिष्ट–5

औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन (अनुदान, छूट एवं रियायतें)

1– ब्याज अनुदान :–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योगों द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा –

क– सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक ।	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 15 लाख वार्षिक ।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक ।	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक ।

ख– मध्यम एवं वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक ।	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक ।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक ।	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक ।

ग– मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्टिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई,टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक ।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 100 लाख वार्षिक ।

2– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जायेगा –

क– सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 30 लाख	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 60 लाख,
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 60 लाख,	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 80 लाख,

ख– मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 60 लाख	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 70 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट––8 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू. 70 लाख	स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम, रू. 100 लाख

ग– वृहद उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 90 लाख	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 110 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट––8 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू. 100 लाख,	स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम, रू. 120 लाख

घ– मेगा / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)–

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 350 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम, रू. 500 लाख

3– विद्युत शुल्क छूट :–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

क– सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

ख– मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

नोट – केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

4– स्टाम्प शुल्क से छूट –

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को (कोर सेक्टर के उद्योग सहित परिशिष्ट –4 अनुसार) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी –

4.1 (अ) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

4.2 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/ क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर, (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

4.3 भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग

4.4 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू–खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा क्रय/लीज पर ली जाने वाली भूमि पर

4.5 बंद/बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर क्रय–विक्रय से संबंधित विलेखों पर

4.6 फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर

4.7 लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर ।

5 – औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायतः–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

(अ) सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	निरंक	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट	भू–प्रब्याजि में 60 प्रतिशत छूट

(ब) वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर):–

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	भू–प्रब्याजि में 20 प्रतिशत छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	भू–प्रब्याजि में 25 प्रतिशत छूट

6— **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान —**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिया जायेगा —

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट—7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट—8 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2 लाख

7— **भूमि उपयोग में परिवर्तन—**

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू—उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू—पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

8— **औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भू—आवंटन सेवा शुल्क :—**

(1) औद्योगिक प्रयोजनार्थ (भूमि बैंक) हेतु निजी भूमि के अर्जन एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क निम्नानुसार रहेंगे —

क— निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू—अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि,

ख— निजी/ शासकीय भूमि के आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 10 प्रतिशत राशि,

टीपः यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर किये जाने वाले निजी/शासकीय भू—आवंटन प्रकरणों में भूमि मूल्य में उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. को देय 10 प्रतिशत भू—आवंटन सेवा शुल्क जोड़ा जायेगा । जिला प्रशासन को देय 5 प्रतिशत भू—अर्जन शुल्क भू—प्रब्याजि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

9— **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान—**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0— 9000, आई0एस0ओ0—14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 1 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रत्येक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

10— **तकनीकी पेटेन्ट अनुदान —**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

11— प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान —

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

12— मार्जिन मनी अनुदान —

राज्य के महिला उद्यमी, सेवा निवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 35 लाख होगी।

13— औद्योगिक पुरस्कार योजना —

13.1 राज्य स्तर पर

निम्नांकित श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा —

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु,
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग

13.2 जिला स्तर पर

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार दिया जावेगा, जिसकी पुरस्कार राशि रू. 25,000 एवं प्रशस्ति पत्र होगा।

राज्य एवं जिला स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार उन उद्योगों हेतु नहीं होगे जो राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/ संतृप्त उद्योगों की श्रेणी में हो।

14 प्रवेश कर भुगतान से छूट —

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर परिशिष्ट—4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) को निम्न विवरण अनुसार प्रवेश कर भुगतान से छूट दी जायेगी—

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 5 वर्ष तक छूट	प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 6 वर्ष तक छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 6 वर्ष तक छूट	प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 7 वर्ष तक छूट

टीप – 1. कोर सेक्टर की श्रेणी में आने वाले उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी।

2. औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि में भारत सरकार द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू करने पर प्रवेश कर भुगतान से छूट नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 से गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू होने की तिथि तक सीमित होगी।

15 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान –

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर परिशिष्ट–4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति तब तक की जावेगी जब तक उन्हें स्थायी नौकरी में रखा जाता है।

16 इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)–

16.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

16.2 विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानों की प्राप्ति हेतु कंस्लटेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।

परिशिष्ट–6

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज

विशेष आर्थिक पैकेज के तहत् निम्नानुसार अनुदान छूट एवं रियायतें तथा भूमि आबंटन आदि की सुविधा दी जावेगी :–

1– ब्याज अनुदान :–

पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क– **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग–** औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 20 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 50 लाख वार्षिक।

ख– **मध्यम एवं वृहद उद्योग–** औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 60 लाख वार्षिक।

ग– मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट् (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 70 लाख वार्षिक ।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 120 लाख वार्षिक ।

2– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क– सूक्ष्म एवं लघु उद्योग– औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 80 लाख रूपये।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 80 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 120 लाख रूपये।

ख– मध्यम उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 80 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 90 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम 125 लाख रूपये।

ग– वृहद उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 120 लाख रूपये।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 120 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम 140 लाख रूपये।

घ– मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर):–

क्षेत्र	
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 350 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम, रू. 500 लाख

3— परियोजना प्रतिवेदन अनुदान—

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति — औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.50 लाख तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2.50 लाख ।

4— विद्युत शुल्क छूट (केवल नवीन उद्योगों हेतु)—

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी के सामान्य उद्योगों एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी में सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) —

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट—7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट—8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप — केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

5— औद्योगिक क्षेत्रों में भू—आबंटन पर भू—प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए) :—

(1) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू—प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू—भाटक की दर 1 रू0 प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू—खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखने की पूर्व नीति यथावत रहेगी ।

आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक की पूर्व नीति यथावत रहेगी ।

(3) अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाये जायेंगे ।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि–शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जावेगा।

(6) मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स के परिशिष्ट 4 में दर्शित कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू–प्रीमियम एवं भू–भाटक में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी ।

6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0– 14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणियां, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 1.25 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7– तकनीकी पेटेन्ट अनुदान –

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

8– प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान –

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत या अधिकतम रू0 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

9– मार्जिन मनी अनुदान –

रू. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उप योजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 40 लाख होगी ।

10– औद्योगिक पुरस्कार योजना –

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

11— अन्य आर्थिक प्रोत्साहन —

उपरोक्त विशेष औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति निम्नानुसार औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे :—

11.1 स्टाम्प शुल्क से छूट

11.2 प्रवेश कर भुगतान से छूट

11.3 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान

11.4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान) (केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए)

टीपः— नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पॉर्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पॉर्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो भू—आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

परिशिष्ट–7

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

1–	जिला रायपुर –	विकास खण्ड–धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर
2–	जिला बलौदाबाजार–भाटापारा –	विकासखण्ड – बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा
3–	जिला बिलासपुर –	विकासखंड– बिल्हा, कोटा, तखतपुर,
4–	जिला दुर्ग –	विकास खंड – धमधा, पाटन, दुर्ग
5–	जिला राजनांदगांव –	विकास खंड – राजनांदगांव।
6–	जिला महासमुंद –	विकास खंड– महासमुंद
7–	जिला धमतरी –	विकास खण्ड– धमतरी
8–	जिला जांजगीर–चांपा –	विकास खण्ड– अकलतरा, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), सक्ती, एवं बलोदा
9–	जिला रायगढ –	विकास खण्ड– रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया।
10–	जिला कोरबा –	विकास खण्ड– कोरबा, कटघोरा।

परिशिष्ट–8

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

1–	रायपुर जिला –	आरंग विकासखंड
2–	बलौदाबाजार–भाटापारा जिला –	कसडोल, बिलाईगढ़, पलारी विकासखंड
3–	बिलासपुर जिला–	गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।
4–	मुंगेली जिला–	मुंगेली, पथरिया, लोरमी विकासखंड।
5–	बालोद जिला –	बालोद, डौंडी,, डौंडीलोहारा, गुंडरदेही एवं गुरूर विकासखंड ।
6–	बेमेतरा जिला–	बेमेतरा, साजा, नवागढ एवं बेरला विकासखंड।
7–	राजनांदगांव जिला –	अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान,डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड।
8–	महासमुंद जिला–	बसना, पिथौरा, बागबाहरा एवं सराईपाली विकासखंड।
9–	धमतरी जिला –	नगरी, मगरलोड, कुरूद विकासखंड।
10–	जांजगीर–चांपा जिला–	मालखरौदा, जैजेपुर, डभरा एवं पामगढ़ विकासखंड।
11–	रायगढ़ जिला–	धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड।
12–	कोरबा जिला–	करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।
13–	गरियाबंद जिला –	गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, फिंगेश्वर विकासखण्ड
14–	कबीरधाम जिला–	कवर्धा, पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड।

15– उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया के समस्त विकासखंड

परिशिष्ट–9

गैर वित्तीय सुविधाएं :–

1. भूमि व्यपवर्तन हेतु व्यपवर्तन के संपूर्ण अधिकार जिला स्तर पर संबंधित जिले के कलेक्टर को दिये जावेंगें तथा भू व्यपवर्तन के पश्चात् भू–राजस्व का पुर्ननिर्धारण भी कलेक्टर द्वारा 30 दिवसों की समय–सीमा में किया जावेगा। इस बाबत् आवश्यक संशोधन भू–राजस्व संहिता में किये जावेंगें।
2. औद्योगिक परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना हेतु स्थानीय निकायों (नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत) द्वारा लिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने /डीम्ड अनापत्ति मान्य किये जाने/ग्रामीण आबादी से 2 किलोमीटर दूर उद्योगों की स्थापना पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने बाबत् यथोंचित संशोधन संबंधित अधिनियमों में किये जावेंगें।
3. औद्योगिक परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना हेतु वांछित क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल व सुसाम्य बनाने हेतु निम्नानुसार संशोधन किये जायेंगें :–
   - 3.1 छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं सरंक्षण मण्डल द्वारा उद्योगों को दी जानी वाली परिचालन सम्मति की नवीनीकरण की अवधि बढ़ाकर रेड श्रेणी के उद्योगों के लिए 5 वर्ष, आरेंज श्रेणी के उद्योगों लिए 10 वर्ष तथा ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के लिए 15 वर्ष की अवधि हेतु दी जावेगी।
   - 3.2 एक ही परिसर में किये जाने वाले क्रियाकलापों के लिए पृथक–पृथक परिचालन सम्मति के स्थान पर सम्मतियों को एकीकृत कर एकल प्रमाण–पत्र जारी किये जावेंगें एवं भविष्य में परिचालन सम्मति एक ही होगी।
   - 3.3 इलेक्ट्रिकल लाइसेंस का नवीनीकरण 5 वर्ष की अवधि हेतु किया जावेगा।
   - 3.4 छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियमों के अन्तर्गत समस्त उद्योगों के लिए भण्डारण अनुज्ञा पत्र की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष की जावेगी।
   - 3.5 भारतीय बायलर अधिनियम के अन्तर्गत बायलर के नवीनीकरण प्रमाण–पत्र के लिए निरीक्षण तृतीय पक्ष अर्थात् प्रशिक्षित इंजीनियरों के द्वारा किया जावेगा व इस व्यवस्था हेतु अधिसूचना जारी की जावेगी।
   - 3.6 किसी औद्योगिक इकाई के स्वरूप (एकल स्वामित्व साझेदारी प्राइवेट लिमिटेड) का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) में परिवर्तन होने पर उनके पंजीयन हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में परीक्षण किया जावेगा।
4. औद्योगिक परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली कृषि भूमि को कृषि जोत सीमा अधिनियम से छूट देने बाबत् परीक्षण कर आवश्यक संशोधन किये जायेंगें।
5. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दोहरा करारोपण न किया जावे इस हेतु समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को को स्थानीय निकायों की परिधि से बाहर रखने हेतु परीक्षणोपरान्त संबंधित अधिनियमों में यथोचित संशोधन किये जावेंगें/अधिसूचनाएं जारी की जावेगी।
6. औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग विभाग/उसकी किसी एंजेंसी के माध्यम से आबंटित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रचलित भू–हस्तांतरण शुल्क में कमी की जावेगी।

सम्पर्क व्यक्ति :–

श्री सुनील मिश्रा (आई.एफ.एस.)
प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)
उद्योग भवन, प्रथम-तल, रिंग रोड नं.–01, तेलीबांधा,
रायपुर – छत्तीसगढ़ – 492006
दूरभाष क्रमांक 91– 0771–6002071,72,73
फैक्स नं. – 91–0771–2583794
Website:www.csidc.in,
Email address:csidc.cg@gov.in, csidc_raipur@yahoo.com

भू– भाटक आदि की देय राशियों की ऑनलाईन भुगतान सुविधा

सीएसआईडीसी द्वारा इकाईयों को आबंटित भूमि का भू–भाटक आदि की देय राशियों का ऑनलाईन भुगतान निगम में वर्ष–2015से प्रारंभ किया गया है, जिसमें आबंटित इकाईयों को राशियों का ऑनलाईन भुगतान स्वयं करने के लिए आई–डी एवं पासवर्ड जारी कर दिये गये है। भू–भाटक आदि की देय राशियों का देयक भी ऑन–लाईन उपलब्ध हो जाता है। उक्त प्रक्रिया चिप्स एवं आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से प्रारंभ की गई है निगम द्वारा आबंटित भूखण्डों का भुगतान ऑनलाईन करने की सुविधा सभी इकाईयों को उपलब्ध कराई जा रही है। इससे इकाईयों को भुगतान हेतु कार्यालय में आने में लगने वाले श्रम, समय एवं व्यय से मुक्ति प्राप्त हुई है।

मैन्यूअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क

मैन्यूअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु, आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र में औचित्य दर्शाते हुये निर्धारित शुल्क सहित, निगम के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा किसी दस्तावेज की प्रति मागें जाने पर, इसका वास्तविक व्यय, आवेदक को कार्यालय में जमा करना होगा ।

:: सम्पर्क ::

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
दूरभाष : +91–771–2535434, फैक्स : +91–771–2535434
वेबसाईट : www.industries.cg.gov.in

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
शास्त्री चौक, रायपुर 492 001
दूरभाष : +91–771–4066351–52, फैक्स : +91–771–4066315
ई–मेल : sipb.cg@gov.in

उद्योग संचालनालय
उद्योग भवन, भू–तल, रिंग रोड़–1, तेलीबांधा, रायपुर 492006
दूरभाष : +91–771–2583652–54, फैक्स : +91–771–2583651
ई–मेल : inddirectoratecg@gmail.com

जिला स्तर पर
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि.
उद्योग भवन, प्रथम–तल, रिंग रोड़–1, तेलीबांधा, रायपुर 492006
दूरभाष : +91–771–6002071–73, फैक्स : +91–771–2583794
वेबसाईट : www.csidc.in, ई–मेल : csidc.cg@gov.in

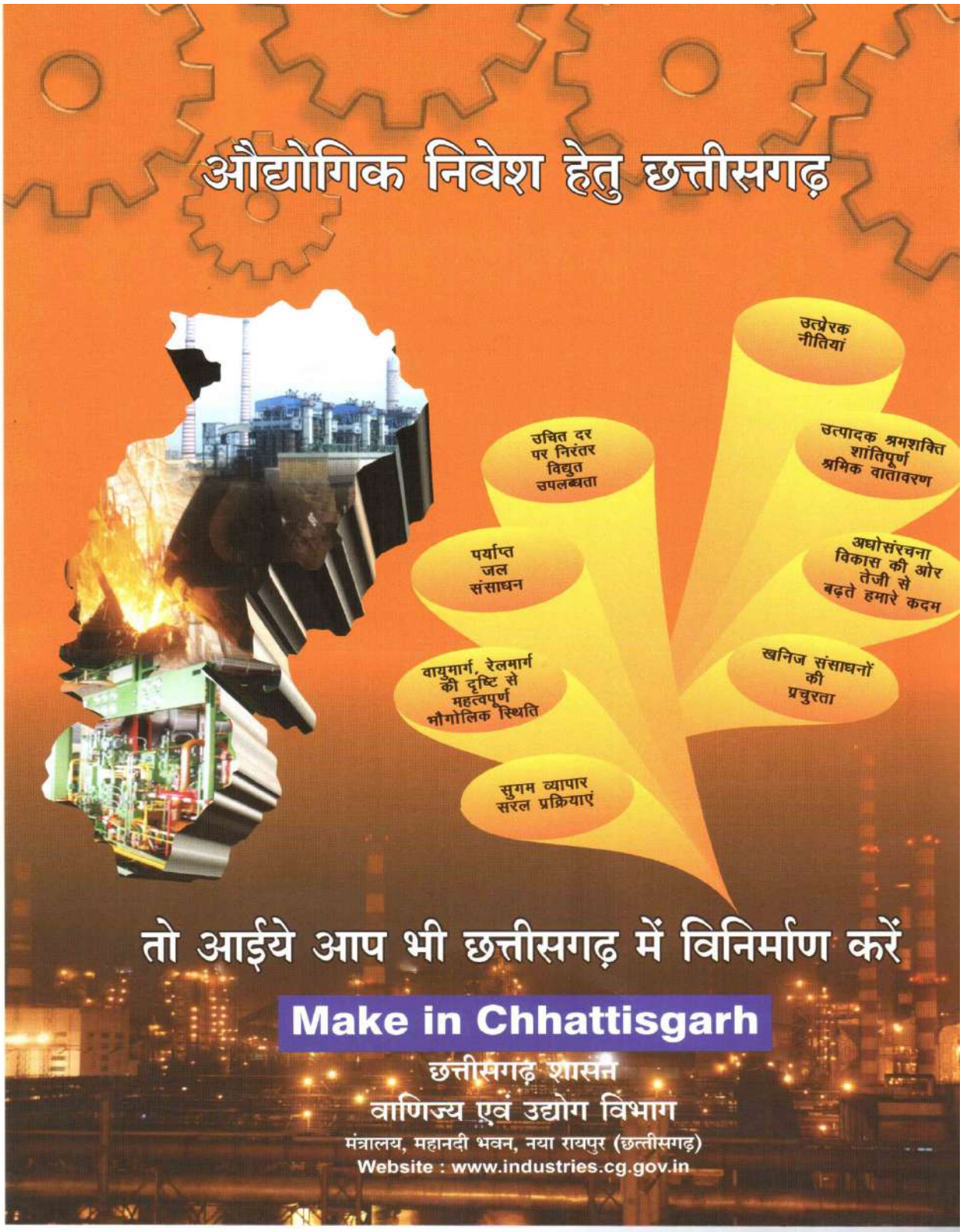
औद्योगिक निवेश हेतु छत्तीसगढ़
उत्प्रेरक नीतियां
उत्पादक श्रमशक्ति शांतिपूर्ण श्रमिक वातावरण
उचित दर पर निरंतर विद्युत उपलब्धता
अधोसंरचना विकास की ओर तेजी से बढ़ते हमारे कदम
पर्याप्त जल संसाधन
खनिज संसाधनों की प्रचुरता
वायुमार्ग, रेलमार्ग की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति
सुगम व्यापार सरल प्रक्रियाएं
तो आईये आप भी छत्तीसगढ़ में विनिर्माण करें
Make in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Website : www.industries.cg.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का मैन्यूअल

मैन्युअल–1 (Manual - 1)

अपने संगठन की विशिष्ठताएं, कर्त्तव्य और कार्यों के बारे में जानकारी।

1.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

निगम के मुख्य उद्देश्य राज्य शासन की नीतियों एवं नियमों के तहत राज्य के औद्योगिक विकास एवं संवर्धन, औद्योगिक अधोसंरचना का विकास एवं संधारण, आवश्यकता अनुसार विभिन्न उद्यमों हेतु शासकिय एवं निजी भूमी का अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने मे सहयोग, लघु उद्योगों को विपणन सहायता, कच्चा माल आपूर्ति, निर्यात संवर्धन हेतु कार्य करना है। निगम के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण, निगम के पंजीकृत मेमोंरेडम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित है, जिसकी प्रति अवलोकन हेतु कार्यालय में उपलब्ध है।

1.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

निगम का मिशन राज्य के समग्र औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक वातावरण निर्मित करना एवं राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करना है।

1.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

निगम मूलतः पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के उपक्रम, मध्य प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की एक सहायक कंपनी के रूप में मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लि. के नाम से कंपनी अधिनिमय 1956 के तहत दिनांक 17/11/1981 को गठित किया गया था । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरांत, राज्य शासन के निर्णय अनुसार इस निगम को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में दिनांक 17/04/2001 को परिवर्तित किया गया है । राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित निगम यथा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश राज्य निर्यात निगम, मध्य प्रदेश स्टेट टैक्स्टाईल कार्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम आदि का विभाजन उपरांत इस निगम में संविलियन किया गया है।

1.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

निगम का प्रधान कर्तव्य राज्य के औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, औद्योगिक अधोसंरचना का विकास व संधारण, रखरखाव साथ साथ लघु उद्योगों को विपणन सहायता, कच्चा माल आपूर्ति, निर्यात संवर्धन आदि के संबंध में राज्य शासन की नीतियों एवं निदेर्शो तथा राज्य शासन द्वारा सौपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन करना है ।

1.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

निगम के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है :–

1.5.1 राज्य में पूर्व से स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्रों /औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव करना ।

1.5.2 औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराना ।

1.5.3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करना ।

1.5.4 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को आवश्यकतानुसार भूमि का आबंटन करना ।

1.5.5 लघु उद्योग इकाईयों को विपणन सहायता, कच्चा माल आपूर्ति

1.5.6 शासकीय/अर्द्धशासकीय/सर्व उपक्रमों एवं अन्य उद्योगों के द्वारा निर्मित उत्पादों के सेम्पलों का परिक्षण कर प्रमाण जारी करना । इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सामाग्रियां तथा स्टील, ब्रिक्स, रेत इत्यादि का परिक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किया जाना ।

1.5.7 निर्यात संवर्धन।

1.5.8 शासकीय विभागों /संस्थाओं में क्रय हेतु भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत विभिन्न आरक्षित वस्तुओं के दरों का निर्धारण कर रेट कांट्रेक्ट करना ।

1.5.9 पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली एवं संबंधित दायित्वों का पुर्नभुगतान।

1.5.10 राज्य शासन के आदेशानुसार विभिन्न प्रदर्शनी, राज्योत्सव, व्यापार मेले, इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन ।

1.5.11 उत्पादन इकाई द्वारा निर्मित समाग्रियों का विक्रय ।

1.5.12 राज्य शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार अन्य कार्य ।

1.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

निगम का गठन मुख्यतः निम्न उद्देशों को लेकर किया गया था ।

(अ) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना

(ब) भू–आबंटन करना

(स) विपणन– छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित–2004) के नियम–3 के तहत् परिशिष्ट–1 की सूची में सूचीबद्ध/वर्गीकृत सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण नियम–3 एवं 7 के अनुशरण में करना।

(द) कच्चा माल प्रदाय, परीक्षण प्रयोगशाला, फर्नीचर उत्पादन व विक्रय एवं निर्यात संवर्धन करना

1.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तंरो पर संगठनात्मक ढांचा

संचालक मण्डल
अध्यक्ष
प्रबंध संचालक
कार्यपालक संचालक
मुख्य महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
कम्पनी सचिव
कार्यपालक अभियंता
प्रबंधक
उप प्रबंधक
सहायक प्रबंधक
सहायक यंत्री
कनिष्ठ यंत्री
वरिष्ठ सहायक
लेखापाल
कनिष्ठ सहायक
मानचित्रकार
लेखा सहायक
पी.बी.एक्स. आपरेटर
सहायक मानचित्रकार
स्टेनोग्राफर
अनुरेखक
कॅशियर
उ.श्रे.लि.
नि.श्रे.लि
पम्प मेंकेनिक
समयपाल
पटवारी
पाईप फिटर/प्लम्बर श्रेणी–I
पंप चालक श्रेणी– I

वाहन चालक
रोड रोलर चालक
प्लम्बर श्रेणी– II
लाईन मेन
इलेक्ट्रीशियन श्रेणी– II
पंप चालक श्रेणी– II
पंप अटेन्डेन्ट
भृत्य/चौकीदार
हेल्पर
माली
श्रमिक

1.8 **लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं**

राज्य में औद्योगिक विकास हेतु उचित वातावरण तैयार करने एवं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु जनसामान्य में जागरूकता एवं उनका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है । स्थापित उद्योगों द्वारा निर्धारित समस्त शुल्कों यथा लीज रेट, वाटर चार्जेस आदि का समय से भुगतान अपेक्षित है, जिससे आधारभूत संरचनाओं का उपयुक्त विकास एवं संधारण हो सके । उद्योगों द्वारा पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन भी अपेक्षित है, जिससें औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में जनसामान्य के सहयोग से गतिशीलता बनाई रखी जा सके ।

1.9 **जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/ व्यवस्था**

जनसामान्य में औद्योगिक विकास के प्रति जागरूकता एवं उनके सक्रिय सहयोग हेतु, उद्योगों से उन्हें होनेवाले लाभों के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्रदान किया जाना ।

समय–समय पर औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाती है । प्राप्त/लंबित आवेदन पत्रों को सूचना पटल में प्रदर्शित किया जाता है

1.10 **जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था**

समस्या/आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, कार्यपालक संचालक, प्रबंध संचालक से सम्पर्क कर सकते है ।

1.11 **कार्यालय के खुलने का समय**

कार्यालय के बन्द होने का समय

निगम के मुख्यालय कार्यालय, शाखा कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खुलने एवं बन्द होने का निर्धारित समय निम्नानुसार है :–

कार्यालय खुलने का समय : प्रातः 10.00 बजे
कार्यालय बन्द होने का समय : सायं 05.00 बजे

1.12 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

निगम का पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्यालय रायपुर में स्थित है जिसका पता निम्नानुसार है :–

(A) i. **मुख्यालय**
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.–01, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.) 492006
दूरभाष क्रमांक 91– 0771–6002071,72,73
फैक्स नं. – 91–0771–2583794
Website:www.csidc.in, Email address:csidc.cg@gov.in, csidc_raipur@yahoo.com

ii. **शाखा कार्यालय बिलासपुर**
शाखा प्रभारी,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
औद्योगिक क्षेत्र तिफरा
बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 07752–252367

iii. **शाखा कार्यालय दुर्ग**
शाखा प्रभारी
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
75–जी.ई.रोड
दुर्ग (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0788–2323184

iv. **परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई**
प्रभारी,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
इण्ड. इस्टेट, भिलाई
जिला दुर्ग (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0788–2386973

v. **कच्चा माल भण्डार, भिलाई**
प्रभारी,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
औद्योगिक क्षेत्र नंदिनी रोड,
भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) 490026
दूरभाष क्रमांक 0788–2296248
Email ID-csidc_rmdbhilai@yahoo.com/csidc.rmd.bhilai@gmail.com

vi. **फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर**
प्रभारी,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
अभनपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0771–2774242
Email ID-csidcproduction@yahoo.com

vii **फर्नीचर शो रूम,**
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
सह–कार्यालयः 4,5,6, नवीन बाजार, फूल चौक,
जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0771–2234286
Email ID-csidcproduction@yahoo.com

viii. **कृषि उपकरण कारखाना**
प्रभारी,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
ए.सी.सी. सिमेंट के सामने, इण्ड. इस्टेट, भिलाई
जिला दुर्ग (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0788–2286809

ix. **कोल सेल बिलासपुर**
प्रभारी,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
औद्योगिक क्षेत्र तिफरा
बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष नंबर 07752–252749

x. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
हाईटेक बस स्टैण्ड, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष नंबर 07752–212384

xi **शाखा कार्यालय, नई दिल्ली**
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि
16–एनबीसीसी टावर
15–भीकाजी कामा पैलेस
नई दिल्ली 110066
दूरभाष एवं फैक्स नंबर 011–26169976
Website:www.csidc.in, Email address:csidcdelhi@gmail.com

1.13 (B) औद्योगिक स्थल का नाम" आफिस आदेश क्र. सीएसआईडीसी/312–A /14/490 रायपुर दिनांक 07.02.2014 द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत निगम के कार्यक्षेत्रों के आधार पर तकनीकी कक्ष में निम्नानुसार डिवीजन (Division) का निर्धारण किया जाता है :–

क्र.	औद्योगिक क्षेत्रों/कार्यालय एवं पता	प्रभारी अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	2.	3.	5.
1.	कार्य क्षेत्र–संभाग–01 बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेंड्रारोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।	श्री ए. के. दुबे कार्यपालन अभियंता	9893071249
2.	कार्य क्षेत्र–संभाग–02 औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमासिवनी, एवं मेटल पार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद ।	श्री एम.के. अग्रवाल कार्यपालन अभियंता	9826433998
3.	कार्य क्षेत्र–संभाग–03 औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।	श्री एस.के. सोनी कार्यपालन अभियंता	9826199509
4.	कार्य क्षेत्र–संभाग–04 इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र ।	श्री सुनील राजगिरे कार्यपालन अभियंता	9893274026

1-13 (C)

1	प्रभारी, शाखा कार्यालय, 75, जी.ई. रोड, दुर्ग द्वारा–जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–दुर्ग	श्री अनिल श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक	9893160232
2	प्रभारी, कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, पुराना साल उद्योग के सामने, रायपुर	श्री एन. पी. यादव, महाप्रबंधक	9406018875
3	प्रभारी कार्यालय, कच्चामाल भण्डार, भिलाई	श्री अभ्यंकर खरे प्रभारी	9584228866
4.	प्रभारी श्रेणी अंकन परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई	श्री संजीव अवस्थी, सहायक प्रबंधक	9926999936
5.	प्रभारी, कोल सेल, कार्यालय–महिला शापिंग काम्प्लेक्श, औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	श्री पी.एस. पट्टा, प्रबंधक	9425535336

1.14 शाखा कार्यालय नई दिल्ली

कार्यालय का कार्य समय– प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
नस्तियों की सूची संलग्न धारक का नाम–श्री ध्रुवधर
कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का विवरण 1.श्री ध्रुवधर सहायक प्रबंधक 09868901676 2.श्री एस. सी. शर्मा सहायक प्रबंधक 09871237507

1.15 (D) हाईटेक बस स्टैण्ड तिफरा, बिलासपुर

हाईटेक बस स्टैण्ड तिफरा, बिलासपुर,
प्रभारी,
हाईटेक बस स्टैण्ड तिफरा, बिलासपुर,
दूरभाष क्रमांक 07752–212384

संगठन द्वारा हाईटेक बस स्टैण्ड का संचालन एवं उससे संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन ।

कच्चा माल भण्डार, भिलाई
R.M.D. Bhilai

1.16

अपने संगठन की विशिष्ठताएं, कर्त्तव्य और कार्यों के बारे में जानकारी।

कच्चा माल भण्डार, भिलाई द्वारा सूचीबद्ध लघु उद्योग इकाईयों को भिलाई इस्पात संयंत्र से प्राप्त होने वाले लौह–इस्पात विशेष कर वॉयर रॉड प्रदाय किया जाता है ।

लौह–इस्पात का आबंटन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है उक्त आबंटन के आधार पर सेल बी.एस.ओ. द्वारा लौह–इस्पात का ऑफर कच्चा माल भण्डार, भिलाई को दिया जाता है । प्राप्त ऑफर के आधार पर लघु उद्योग इकाईयों की मांग अनुसार लौह–इस्पात का प्रदाय किया जाता है ।

भारत सरकार इस्पात, मंत्रालय द्वारा रूपये 550/– प्रति टन का जे.पी.सी. रिबेट वास्तविक उठाव के आधार पर प्रदान किया जाता है जो कि भण्डार को सेल बी.एस.ओ. भिलाई के माध्यम से प्राप्त होता है । उक्त राशि में से रू. 300/– प्रति मे.टन इकाईयों को हस्तांतरित किया जाता है तथा रू. 250/– भण्डार द्वारा स्थापना व्यय हेतु रखा जाता है ।

1.17

शाखा कार्यालय तिफरा, बिलासपुर
Branch Office Tiphra, Bilaspur

क्रमांक	प्रश्न	–	उत्तर
01.	अपने संगठन की विशिष्ठताएं कर्तव्य और कार्यो के बारे में जानकारी	–	मुख्यालय के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना एवं भूमि का रख–रखाव ।

मैन्युअल –2 (Manual - 2)

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

अधिकारी एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

2.1

पद का नाम	**अध्यक्ष (CHAIRMAN)**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य	निगम के संचालक मण्डल द्वारा सौपे गये अधिकार ।
कर्त्तव्य	निगम का मार्गदर्शन	

2.2

पद का नाम	**प्रबंध संचालक (M.D.)**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य	निगम के संचालक मण्डल द्वारा सौपे गये अधिकार एवं संचालक मण्डल/ शासन के दिशा निर्देशों का पालन
कर्त्तव्य	निगम का कुशलतापूर्वक संचालन एवं संचालक मण्डल/शासन के दिशा निर्देशों का पालन	

2.3

पद का नाम	**स्टेनो टाइपिस्ट**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. श्रृत लेख, टंकन कार्य 2. नस्तियों का संधारण करना 3. निजी कक्ष का कार्य करना 4. अधिकारियो के द्वारा निर्देशित अन्य कार्य	

2.4

पद का नाम	**कार्यपालक संचालक (E.D.)**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य	निगम के संचालक मण्डल द्वारा सौपे गये अधिकार ।
कर्त्तव्य	प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार निगम का कुशलतापूर्वक संचालन एवं समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन	

2.5

पद का नाम	**वरिष्ठ सचिवालयीन सहायक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. श्रृत लेख, टंकन कार्य 2. नस्तियों का संधारण करना 3. निजी कक्ष का कार्य करना 4. अधिकारिया के निर्देशित अन्य कार्य	

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Administrative Powers	Administrative Powers	
1. To grant allwance upto 6.25% maximum Rs. 250.00 of the minimum of the time scale of higher post to the persons holding the charge of another higher post upto six months. All the rules of State Government as amended from time to time will be adopted.	1. To grant allwance upto 6.25% minimum of the time scale of higher post to the persons holding the charge of another higher post upto six months. All the rules of State Government as amended from time to time will be adopted.	Based on the State Government rules.
2. To sanction special pay for sepcific addition to work or arduous nature of duty upto Rs.100/- per month.	2. To sanction special pay for sepcific addition to work or arduous nature of duty upto Rs.100/- per month.	No change is proposed.
3. To sanction reward/honorarium allowance to any employee of the Nigam upto maximum of Rs. 1000/- each case.	3. -	Powers kept with Managing Director.
4. To order transfer of employees of all classes inculding that of construction.	4. To order transfer of employees of all classes inculding that of construction.	No change is proposed.
5. To send employees for training.	5. To send any employees/officers for training.	No change is proposed.
6. To confirm the services of the employees of the Nigam.	6. -	Powers kept with Managing Director.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Administrative Powers	Administrative Powers	
7. To grant all kinds of leave, including surrender leave and permission to leave H.Q. As regards casual leave and permission to heave H.Q. for Managing Director himself he has the power for C.L., but for other leave including surrender leave, it will be sanctioned by the Board of Directors.	7. To grant all kinds of leave, including surrender leave and permission to leave H.Q. As regards casual leave and permission to leave H.Q. for Addl. Managing Director/E.D. himself he has the power for C.L., but for other leave including surrender leave, it will be sanctioned by the Managing Director.	No change is proposed.
8. To permit an employee to return on duty before expiry of the period of leave sanctioned.	8. To permit an employee to return on duty before expiry of the period of leave sanctioned.	No change is proposed.
9. To extend leave in case of over-stay on leave.	9. To extend leave in case of over-stay on leave.	No change is proposed.
10. To sanction annual grade increments and removal of efficiency bar.	10. To sanction annual grade increments and removal of efficiency bar.	No change is proposed.
11. To permit joining time on transfer in excess of the prescribed maximum upto thirty days.	11. To permit joining time on transfer in excess of the prescribed maximum upto thirty days.	No change is proposed.
12. To accept resignation of all classes of the employees.	12. To accept resignation of Class III and IV of the employees.	Powers for Class I and II with Managing Director.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Administrative Powers	Administrative Powers	
13. To authorise subordinate officers to exercise such administrative and financial powers as are delegated by the Board of Directors to the Managing Director.	13. -	Omitted.
14. To award C.R. warning	14. -	As AMD/E.D. is not appointing authority, hence omitted.
15. Power to infilict punishments for which he is the appointing authority. (a) Suspend, remove, dismiss (b) To censure (c) Reduction to a lower post or grade (d) To with-hold increments and impose fines. (e) Cancellation, withholding, reduction or delaying of increments. (f) Recovery from pay or such other amount as may be due to him, of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Nigam by negligence or breach or orders.	15 -	As AMD/E.D. is not appointing authority, hence omitted.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
1. To approve programme and tour diaries of all the employees and officers including himself.	1. To approve programme and tour diaries of all the employees and officers excluding himself & Class-I Officers.	Managing Director will approve tour programmes of E.D. and Class-I Officers (G.M., C.G.M., E.E.)
2. To refund security deposit of the employees.	2. To refund security deposit of the employees.	No change is proposed.
3. To decide shortest route for the journey.	3. To decide shortest route for the journey.	No change is proposed.
4. To approve mode/class of travelling and to allow mileage allowance by routes other than shortest and the cheapest.	4. To approve mode/class of travelling (other than air travel) and to allow mileage allowance by routes other than shortest and the cheapest.	Powers to approve air travel mode kept with Managing Director.
5. To permit full daily allowance for halt in excess of 30 days upto ninety days.	5. -	To be submitted to BoD alongwith rules of M.P.S.I.D.C.
6. To grant relaxation in normal rules for reimbursement of travelling allowance and medical expenses both for staff and officers.	6. -	To be submitted to BoD alongwith rules of M.P.S.I.D.C.
7. To sanction T.A. and consultation fees upto Rs.25000/- to persons other than employees of the Nigam.	7. -	Powers kept with Managing Director.
8. To pay T.A., D.A. to persons called for interview for employment.	8. To pay T.A., D.A. to persons called for interview for employment.	No change is proposed.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
9. To pay advance upto one months Basic salary to an employee of the Nigam for medical treatment of himself or his dependents on certificate of the A.M.A. regarding probable expenditure and and recover in instalments not exceeding three.	9. To pay advance upto one months Basic salary to an employee of the Nigam for medical treatment of himself or his dependents on certificate of the A.M.A. regarding probable expenditure and and recover in instalments not exceeding three.	No change is proposed.
10. To fix instalments for recovery of overpayments of pay and allowance or for recovery of other dues of the Nigam.	10. To fix instalments for recovery of overpayments of pay and allowance or for recovery of other dues of the Nigam.	No change is proposed.
11. To sanction accommodation charges to officials while on tour of Nigam's work within limits prescribed by MPAVN or by the Board of Directors.	11. To sanction accommodation charges to officials while on tour of Nigam's work within limits prescribed by the Board of Directors.	To define power clearly
12. Power of countersign T.A. bills of :- (a) All directors of the board including Managing Director (b) All the officers and employees of the Nigam.	12. Power of countersign T.A. bills of :- (a) All directors of the board excluding Addl.Managing Director/ED. (b) All the officers and employees of the Nigam.	E.D.'s bills to be countersigned by Managing Director.
13. Power of countersigning and pass for payment salary bills and honorarium bills.	13. Power of countersigning and pass for payment salary bills and honorarium bills.	No change is proposed.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
14. To sanction advance of pay and T.A. on transfer and tour advance including himself (M.D.).	14. To sanction advance of pay and T.A. on transfer and tour advance including himself (A.M.D./E.D.).	No change is proposed.
15. To reimburse medical expenses as per Govt. rules or amendments approved by the Board of Directors from time to time.	15. To reimburse medical expenses upto Class-II employees as per Govt. rules or amendments approved by the Board of Directors from time to time.	To define powers clearly.
16. To sanction advances for purchase of conveyance motorcycle/scooter/cycle etc. and house building advance to the staff including deputation as per rules in the government.	16. To sanction advances for purchase of motorcycle/scooter/cycle/computer etc. and house building advance to all employees as per rules in the government.	To define powers clearly.
17. To sanction advance like grain/festival etc.as per rules in government.	17. To sanction advance like grain/festival etc.as per rules in government.	No change is proposed.
18. To sanction conveyance allowance motor car allowance, scooter allowance etc. as approved by Board of Directors.	18. To sanction conveyance allowance motor car allowance, scooter allowance etc. as approved by Board of Directors.	No change is proposed.
19. To sanction temporary advance for purchase of stores and for incurring contingent expenses.	19. To sanction temporary advance for purchase of stores and for incurring contingent expenses.	No change is proposed.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
20. To approve terms and conditions of various contracts of construction, repairs etc. based on standard formats of contracts in Works Deptt.	20. To approve terms and conditions of various contracts of construction, repairs etc. based on standard formats of contracts in Works Deptt. upto the limit for which powers for administrative approval has been given to AMD/E.D.	To define powers clearly, bring in next Board of Directors Meeting.
21. To approve rent of building taken on hire for Nigam's work and authorise payment of their monthly rent.	21. To approve rent of building (other than Head Office) taken on hire for Nigam's work and authorise payment of monthly rent of these buildings. (All buildings within State except Head Quarter. Other by Managing Director).	All buildings within State except Head Quarter. Other by Managing Director.
22. To make purchase of office equipment including furniture upto a limit of Rs. 25000/- in each case limited to Rs.1,50,000/- in a year, subject to budget provisions.	22. To make purchase of office equipment including furniture upto a limit of Rs. 50000/- in each case limited to Rs.3,00,000/- in a year, subject to budget provisions.	Due to increase in price/cost.
23. To sanction expenditure of office contingencies not chargeable to works.	23. To sanction expenditure of office contingencies not chargeable to works.	No change is proposed.
24. To sanction purchase of stationery and printing.	24. To sanction purchase of stationery and printing.	No change is proposed.
25. To organise exhibitions, seminars, symposium etc. and incur expenditure thereon.	25. -	Powers kept with Managing Director.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
26. To sanction expenditure on account of wharefage/demurrage.	26. To sanction expenditure on account of wharefage/demurrage.	No change is proposed.
27. To recommend final withdrawal from contributory provident fund.	27. To recommend final withdrawal from contributory provident fund.	No change is proposed.
28. To sanction gratuity/retrenchment compensation allowance to the employees of the Nigam.	28. To sanction gratuity/retrenchment compensation allowance to the employees of the Nigam.	No change is proposed.
29. To sanction expenditure upto Rs.10,000/- on meeting and entertainment of guests at a time within budget limit.	29. To sanction expenditure upto Rs.10,000/- on meeting and entertainment of guests at a time within budget limit.	No change is proposed.
30. To reimburse expenditure on conveyance for Nigam's work.	30. To reimburse expenditure on conveyance for Nigam's work.	No change is proposed.
31. To sanction legal charges upto Rs. 15,000/- in each case.	31. To sanction legal charges upto Rs. 15,000/- in each case.	No change is proposed.
32. To give ex-gratia grant to the development of the deceased employees as per State Government's rules.	32. To give ex-gratia grant to the development of the deceased employees as per State Government's rules.	No change is proposed.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
33. To sanction refund or deposit or revenue made in favour of the Nigam other than deposited as earnest money for construction works.	33. To sanction refund or deposit or revenue made in favour of the Nigam other than deposited as earnest money for construction works.	No change is proposed.
34. To declare stores and stocks unserviceable -full powers.	34. To declare stores and stocks unserviceable or surplus and prescribe mode of their disposal up to the powers normally with Head of Department by E.D. , above that powers with Managing Director.	Powers normally with Head of Department to be done by E.D.; above that with Managing Director.
35. To sanction publicity/display/advertisement upto Rs. 10,000/- at a time.	35. -	May be omitted as these powers are aleady kept with BOD.
36. To sanction additional allowance over and above of the salary of the employees for the extra work of waterman, farrash, sweeper etc.	36. -	Omitted .
37. To sanction expenditure for the repairs and maintenance of Nigam's vehicles including cycles-full power.	37. To sanction expenditure for the repairs and maintenance of Nigam's vehicles upto Rs. 25000/- maximum per vehicle per year.	To define powers clearly.
38. To write off losses up to Rs. 10000/- of cash stores and property due to theft, fraud, undercharging or negligence except in case of cash shortage.	38. To write off losses up to Rs. 10000/- of cash stores and property due to theft, fraud, undercharging except in case of cash shortage.	To define powers clearly.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
39. To disburse pay and allowance before the last working day.	39. To disburse pay and allowance before the last working day.	No change is proposed.
40. To waive liquidated damages in respect of contract-full powers subject to approval of Board.	40. To waive liquidated damages in respect of contract-full powers subject to approval of Board.	No change is proposed.
41. To prescribe form for execution of contract agreement and instruments lease deeds etc. on behalf of the Nigam.	41. -	Powers kept with Managing Director.
42. To institute, conduct, defend or abondon legal proceedings by or against the Nigam and also to compromise and allow time for payment.	42. To institute, conduct, defend legal proceedings by or against the Nigam and also to compromise and allow time for payment.	Powers to abandon legal proceedings will be with Managing Director.
43. To sanction expenditure on staff cars for repairs, maintenance and fuel consumption-full powers.	43. To sanction expenditure on Nigam's vehicle for fuel consumption-full powers.	To define powers clearly.
44. To declare stores property as surplus or unserviceable upto Rs. 25,000/- and prescribe mode of their disposal.	44. -	Already covered in F.P. Point No. 34.
45. To sanction expenditure of special nature upto Rs. 5000/- in each case.	45. To sanction expenditure of special nature upto Rs. 5000/- in each case.	No change is proposed.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Financial Powers	Financial Powers	
46. To give presents valuing upto Rs. 2,500/- per item.	46. To give presents valuing upto Rs. 2,500/- per item by A.M.D./E.D. maximum upto Rs. 50,000/- per year. & Up to Rs. 5000/- by M.D. per item maximum upto Rs. 1,00,000/- per year.	To define powers clearly.
47. To enter into agreement with Banks/financial institutions for loans, long and short terms on pledge and hypothecations of goods and property and to draw necessary amount for use in the activities of the Nigam- Full powers.	47. -	Powers kept with Managing Director.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Powers regarding construction works	Powers regarding construction works	
1. To take on hire Buildings for office godown & residence of officials.	1. -	Already covered in F.P.Point No. 21
2. Purchase of plant/machinery & tools for construction works upto Rs. 1,00,000/-	2. Purchase of plant/machinery & tools for construction works upto Rs. 2,00,000/-	Due to increase in prices.
3. To enter into agreement and execute documents with company seal on behalf of AKVN (Raipur) Ltd.	3. To enter into agreement and execute documents with company seal on behalf of C.S.I.D.C. Ltd.	No change is proposed.
4. To sanction lowest tenders or the tenders upto 5% above than the lowest, on the advice of tender committee.	4. Within administrative approval limits, to sanction lowest tenders or the tenders upto 5% above than the lowest, on the advice of tender committee.	No change is proposed.
5. Payment of running & final bills of works - full powers.	5. Payment of running & final bills of works within Administrative approval limit as mentioned Point No. 19.	No change is proposed.
6. To settle claims of contractors/suppliers regarding schedule rates & others.	6. To settle claims of contractors/suppliers regarding schedule rates & others.	No change is proposed.
7. To purchase Stationery & printing required.	7. -	Already covered in F.P. Point No. 24
8. Sanction of wharfage & demurrage.	8. -	Already covered in F.P. Point No. 26

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Powers regarding construction works	Powers regarding construction works	
9. Sanction Miscellaneous Expenses upto Rs. 15,000/-	9. -	Omitted.
10. Advertisement of Tenders upto any limit	10. Advertisement of Tenders upto any limit.	No change is proposed.
11. Expenditure on running & maintenance of vehicles including 2 wheelers & cycles also-full power.	11. -	Already covered in F.P. Point No. 37.
12. Sanction of temporary advance for purchase of stock & contigent expenditure.	12. -	Already covered in F.P. Point No. 19.
13. To grant imprest to subordinates for petty/miscellaneous expenses .	13. To grant imprest to subordinates for petty/miscellaneous expenses .	No change is proposed.
14. Sanction of secured advance-75% of the market rate for "Non-perishable items" only with condition that the contractor has filled in the requisite bond agreement.	14. Sanction of secured advance-75% of the market rate for "Non-perishable items" only with condition that the contractor has filled in the requisite bond agreement.	No change is proposed.
15. To refund earnest money and security deposits of contractors and others.	15. To refund earnest money and security deposits of contractors and others.	No change is proposed.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Powers regarding construction works	Powers regarding construction works	
16. Entertainment expenditure on visitors and meeting upto Rs.10,000/- at a time.	16. -	Omitted.
17. Registration of contractors/suppliers for construction works & supplies.	17. Registration & Upgradation of contractors/suppliers for construction works & supplies.	To define powers clearly
18. To sanction tenders for works on the advice of tender committee- (i) Upto Rs. 20 lacs by the - Managing Director (ii) Upto Rs. 40 lacs by the - Board of Directors (iii) Above Rs. 40 lacs by the Board of Directors with the approval of MPAVN.	18. To sanction tenders for works on the recommendation of tender committee- (i) Upto Rs. 50 lacs by the - Executive Director (ii) Upto Rs. 100 lacs by the - Managing Director (iii) Above Rs. 100 lacs by the Board of Directors of CSIDC.	To define powers clearly
19. To grant administrative sanction to undertake new works or repairs-full powers.	19. To grant administrative sanction to undertake new works or repairs- (i) Upto Rs. 50 lacs by the - Addl. Managing Director/ E. D. (ii) Upto Rs. 100 lacs by the - Managing Director (iii) Above Rs. 100 lacs by the Board of Directors of CSIDC.	To define the power clearly.

DELEGATION OF POWERS TO ADDL. MANAGING DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR OF CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, RAIPUR		
Powers delegated to the MD,AKVN in the 58th meeting of Board of Directors held on 22.6.95	Delegation of powers to the AMD/ED,CSIDC in BoD dated 21.5.04	Remarks/Notes for amendments
Powers regarding construction works	Powers regarding construction works	
20. Technical sanction of estimate for works & repairs undertaken by corporation upto Rs. 10 lacs by Executive Engineer/Project Engineer of the Nigam & over that by Chief Engineer.	20. -	Technical sanction of estimate for works & repairs undertaken by Corporation by Officer of Corporation as per norms of P.W.D.; if competent level not present in C.S.I.D.C., by appropriate level in P.W.D.
21. Extention of time limit in agreement - full power as per condition of agreement.	21. Extention of time limit in agreement - full power as per condition of agreement.	No change is proposed.
22. Sanction of estimates for special repair of buildings & roads -full power.	22. -	Already covered in Point No. 19.
23. Sanction for purchase of material of the work undertaken by the Nigam.	23. Sanction for purchase of material of the work undertaken by the Nigam.	No change is proposed.
24. To grant works on work-order basis without calling tenders - upto Rs. 50,000/- on C.S.R. or on rates already approved.	24. To grant works on work-order basis without calling tenders - upto Rs. 50,000/- on S.O.R. or on rates already approved.	No change is proposed.

Manual - 2

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

भू–अर्जन प्रकोष्ठ (Land Acquisition)

2.6

पद का नाम	महाप्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं निजी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु सहयोग करना ।	

2.7

पद का नाम	सहायक प्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य	

2.8

पद का नाम	पटवारी	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Land Allotment

भू–आबटन प्रकोष्ठ

2.9

पद का नाम	**मुख्य महाप्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	कक्ष द्वारा प्रस्तुत नस्तियां अपनी टीप के साथ वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
कर्त्तव्य	उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु प्रेरित करना उद्योग स्थापना के संबंध में जानकारी प्रदान करनाएवं औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अनुशंसा/अभिमत सहित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना ।	

2.10

पद का नाम	**प्रबंधक/सहायक प्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	कक्ष द्वारा प्रस्तुत नस्तियां अपनी टीप के साथ वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
कर्त्तव्य	उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु प्रेरित करना उद्योग स्थापना के संबंध में जानकारी प्रदान करनाएवं औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अनुशंसा/अभिमत सहित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना ।	

2.11

पद का नाम	**वरिष्ठ सहायक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	प्राप्त आवेदन को अपनी टीप के साथ वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
कर्त्तव्य	आवेदक से औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज का परीक्षण कर महाप्रबंधक को प्रस्तुत करना । समस्त पंजी, नस्ती संधारित करना । सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को आवक से प्राप्त कर तत्काल अग्रेतर अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं समय–समय पर स्मरण कराते हुए प्रभार की समस्त नस्तियॉ, प्रपत्र, पत्रों को संभालकर रखना, आदेश होने पर प्रतियॉ समयसीमा में उपलब्ध कराना ।	

2.12

पद का नाम	स्टेनो टाइपिस्ट	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	प्राप्त श्रुतिलेख टंकित कर प्रस्तुत करना एवं अन्य टंकण कार्य	

2.13

पद का नाम	भृत्य	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	भू–आबंटन कक्ष की नस्तियॉ संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को पहुँचाना एवं निर्देशानुसार अन्य कार्य सम्पादित करना । पत्रों को, सूचना को आवेदक एवं संबंधितों के पास समय पर पहुँचाना ।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Marketing Cell विपणन प्रकोष्ठ

2.14

पद का नाम	मुख्य महाप्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	अधिकारी एवं कर्मचारियों को आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश स्वीकृति तथा अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश स्वीकृति हेतु अनुशंसा
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित–2004) के नियम–3 एवं 7 के प्रावधान के तहत शासन द्वारा क्रियान्वित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत सुक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग इकाईयों को विपणन प्रोत्साहन देने के उददेश्य से ई–निविदा आमंत्रित करना तथा सामग्रियों के दरों का निर्धारण कर इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंध निष्पादित करना। 2. सुक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग इकाईयों को विपणन प्रोत्साहन देने के उददेश्य से उक्त इकाईयों को सीएसआईडीसी पंजीयन में सूचीबद्ध करना। 3. विपणन कक्ष के समन्वय एवं सामान्य प्रशासन से संबन्धित कार्य।	

2.15

पद का नाम	वरिष्ठ लेखापाल (ले. एवं स्था.)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. अंतिम लेखों को तैयार करना एवं इनसे संबंधित विभिन्न आडिट का सम्पादन एवं समन्वय, बजट संबंधी कार्य। 2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ के ए.जी.आडिट एवं आंतरिक अंकेक्षण हेतु आंतरिक अंकेक्षण संबंधी आवश्यक समन्वय। 3. लेखा कक्ष से संबंधित अन्य कार्यो में सहायता। 4. टी.ए. एवं अन्य देयक तैयार करना एवं संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा मुख्य महाप्रबंधक विपणन कक्ष–1 को प्रस्तुत करना। 5. अमानत राशि (EMD) वापसी के आवेदनों का परीक्षण कर निविदाकर्ता इकाईयों को वापस किये जाने हेतु प्रकरण मुख्य महाप्रबंधक विपणन कक्ष–1 को प्रस्तुत करना।	

2.16

पद का नाम	लिपिक (ले. एवं स्था.)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. मुख्य महाप्रबंधक विपणन के अधीन समस्त कार्य। 2. सीएसआईडीसी पंजीयन प्रकरण से संबंधी नस्तीयों को प्रस्तुत करना एवं अनुमोदन उपरांत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना। 3. स्टेशनरी/सामान्य प्रशासन विपणन कक्ष से संबंधित समस्त कार्य।	

2.17

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–01	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–1 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. मॉनिटरींग कक्ष के तहत् कार्यवाही संचालित कर अभिलेखों का संधारण करना। सामग्री के दर निर्धारण के लिए निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु निविदा प्रस्ताव एवं निविदा प्रारूप अनुमोदन से संबंधित कार्य। 3. GEM government E marketing Schem	

2.18

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–02	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–2 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. समन्वय कक्ष (भाग–1) विधानसभा कार्य, शिकायत प्रकरण, सतर्कता एवं जांच प्रकरण कार्य आदि। 3. अंकेक्षण का कार्य।	

2.19

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–03	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–3 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. अन्य सौपे गये कार्य।	

2.20

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–04	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–4 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. तकनीकी कक्ष के अंतर्गत भंडार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 में सूचीबद्ध सामग्रियों के तकनीकी मापदण्ड का संधारण कार्य एवं निविदा पूर्व सामग्री के तकनीकी मापदण्ड अनुमोदन कार्य। 3. सामग्री के अनुमोदित तकनीकी मापदण्ड का प्रेषन संबंधित पी.एस. कक्ष को किया जाना। 4. गठित तकनीकी मापदण्ड निर्धारण समिति, तकनीकी बिड् मूल्यांकन समिति एवं निविदा क्रय समिति की बैठकों का आयोजन करना।	

2.21

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–05	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–5 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. सीएसआईडीसी पंजीयन में इकाईयों को सूचीबद्ध किये जाने संबंधी प्रकरण को प्रस्तुत करना। 3. अन्य सौपे गये कार्य।	

2.22

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–06	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–6 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. कम्प्यूटर कक्ष का समन्वय एवं स्टेशनरी की व्यवस्था करना। 3. अन्य सौपे गये कार्य।	

2.23

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–07	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–7 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. भण्डार क्रय नियम–3 के प्रावधान के तहत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। 3. अन्य सौपे गये कार्य।	

2.24

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–08	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–8 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. लेखा संबंधी कार्य करना। 3. अन्य सौपे गये कार्य।	

2.25

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–09	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–9 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. सामग्री के तकनीकी मापदण्ड निर्धारण संबंधी कार्य में सहयोग करना। 3. पी.एस. कक्ष–5 के साथ सीएसआईडीसी पंजीयन में इकाईयों को सूचीबद्ध किये जाने संबंधी कार्य करना। 4. समन्वय कक्ष (भाग–1 एवं 2) शासकीय विभागों के पत्राचार कार्य, विधानसभा कार्य, शिकायत प्रकरण, सतर्कता एवं जांच प्रकरण कार्य एवं अन्य कार्य आदि। 5. अंकेक्षण का कार्य। 6. अन्य सौपे गये कार्य।	

2.26

पद का नाम	प्रभारी, पी.एस. कक्ष क्रमांक–10	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्य 1. पी.एस.–10 कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. अन्य सौपे गये कार्य।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य
मुख्य अभियंता
कार्य क्षेत्र– समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण एवं सुधार संबंधी कार्यो का तकनिकि स्वीकृति एवं अन्य कार्य पूर्ण कराया जाना।

Division - 1

सभांग–1

कार्य क्षेत्र– बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेंड्रारोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।

2.27

पद का नाम	कार्यपालन अभिंयता– ए.के. दुबे	
श	प्रशासकीय	1. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्थापना संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण 2. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान मे मुख्यालय स्तर से आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 3. निर्माण कार्यो हेतु रूपए 100 लाख तक प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार
	वित्तीय	
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. औ.क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु योजना प्रारूप तैयार करना 2. अधोसंरचना विकास कार्यो एवं अन्य विकास कार्यो हेत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना 3. कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करना अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करना 4. कार्यो का समयसीमा में क्रियान्वयन करना 5. विकास कार्यो हेतु शाासन से बजट की मांग 6. देयकों का भुगतान हेतु अनुंशसा करना	

2.28

पद का नाम	**सहायक अभियंता**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	अधिनस्थ कर्मचारियों की स्थापना संबंधी अधिकार मुख्यालय स्तर पर – निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गए निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यो का निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन 2. औ.क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना 3. वार्षिक योजना के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करना 4. निविदा आमंत्रण हेतु प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करना 5. निर्माण कार्यो से संबंधित पंजियों जैसे स्टाक रजिस्टर,एमएएस,लागबुक आदि का नियमित संधारण करना 6. जलप्रदाय के अंतर्गत प्रतिमाह जल देयक तैयार कर इकाईयों को प्रेषित करना 7. इकाईयों को मांग के अनुसार जल आपूर्ति हेतु निर्धारित अनुबंध निष्पादन के पश्चात नल कनेक्शन उपलब्ध कराना	

2.29

पद का नाम	**कनिष्ठ अभियंता**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गए निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यो का निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन 2. औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना 3. कार्यो का माप लेकर भुगतान हेतु देयक तैयार करना 4. जलप्रदाय तथा अन्य संधारण कार्यो का संपादन करना 5. कार्यक्षेत्र के प्रशासकीय संपत्तियों की सुरक्षा तथा अतिक्रमण की देखरेख करना	

2.30

पद का नाम	**समयपाल**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. संधारण एवं निर्माण कार्यो के सुपर विजन में कनिष्ठ अभियंता का सहयोग करना 2. समस्त औ.क्षेत्र में अतिक्रमण तथा शासकीय संपत्तियों की देखरेख करना	

2.31

पद का नाम	**चौकीदार**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा करना 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्य करना	

2.32

पद का नाम	**स्टोर कीपर**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्टोर सामग्री की लेखा संधारण एवं यथा आवश्यकता सामग्री की जानकारी देना	

2.33

पद का नाम	**पंप चालक एवं पंप सहायक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	जल प्रदाय हेतु सिंचित पंपों के चालन एवं संधारण कार्य तथा फिल्टर प्लांट से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य	

2.34

पद का नाम	**विद्युत लाईनमेन तथा इलेक्ट्रीशियन**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	औ.क्षेत्र में विद्युत उपकरणों का संधारण तथा सड़क बत्ती की देखरेख एवं संधारण कार्य	

2.35

पद का नाम	**पाइप एवं फीटर हेल्पर**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	जलवाहिनी की मरम्मत तथा सौंपे गए समस्त कार्य	

2.36

पद का नाम	**मीटर रीडर**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	व्वाटर मीटर रीडिंग करना, देयक तैयार करना तथा जलशुल्क देयक वितरण करना	

2.37

पद का नाम	**वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. जलप्रदाय अनुबंध संबंधित अभिलेखों एवं समस्त अभिलेखों का संधारण करना 2. जलप्रदाय देयक तैयार कर लेजर में दर्ज करना 3. निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व एकत्रित करना एवं बैंक में जमा कराना	

2.38

पद का नाम	कार्यपालन अभियंता	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	1. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्थापना संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण 2. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान में मुख्यालय से आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाती है। 3. निर्माण कार्यों हेतु रूपये 100 लाख तक प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार 4. तकनीकी शाखाओं के प्रभारियों को आवश्यक सामाग्रियों की खरीदी एवं श्रमिक व्यय हेतु एकमुश्त राशि रू. 25,000/– एवं एक वर्ष में अधिकतम राशि रू. 1,00,000/– तक व्यय करने का अधिकार।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. औद्योगिक क्षत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप तैयार करना 2. अधोसंरचना विकास कार्यों एवं अन्य विकास कार्यों हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना 3. कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात् निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करना अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करना 4. कार्यों का समयसीमा में क्रियान्वयन करना 5. विकास कार्यों हेतु शासन से बजट की मांग 6. देयकों का भुगतान हेतु अनुशंसा करना 7. प्रथम समयावृद्धि कार्यपालन अभियंता द्वारा स्वीकृति	

2.39

पद का नाम	सहायक अभियंता	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गए निर्माण, संधारण, अन्य विकास कार्यों का निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन 2. औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना 3. वार्षिक योजना के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करना 4. निविदा आमंत्रण हेतु प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करना 5. निर्माण कार्यों से संबंधित पंजियों जैसे स्टाक रजिस्टर, एमएएस, लागबुक आदि का नियमित संधारण करना 6. जल प्रदाय के अन्तर्गत प्रतिमाह जल देयक तैयार कर इकाईयों को प्रेषितकरना 7. इकाईयों को मांग के अनुसार जल आपूर्ति हेतु निर्धारित अनुबंध निष्पादन के पश्चात् नल कनेक्शन उपलब्ध कराना	

2.40

पद का नाम	कनिष्ठ अभियंता	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गए निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यों का निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन 2. औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना 3. कार्यों का माप लेकर भुगतान हेतु देयक तैयार करना 4. जल प्रदाय तथा अन्य संधारण कार्यों का संपादन करना 5. कार्यक्षेत्र के प्रशासकीय संपत्तियों की सुरक्षा तथा अतिक्रमण की देखरेख करना	

2.41

पद का नाम	समयपाल	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. संधारण एवं निर्माण कार्यों के सुपर विजन में कनिष्ठ अभियंता का सहयोग करना 2. समस्त औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण तथा शासकीय संपत्तियों की देखरेख करना	

2.42

पद का नाम	चौकीदार	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा करना 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्य करना	

2.43

पद का नाम	स्टोर कीपर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्टोर सामग्री की लेखा संधारण एवं यथा आवश्यकता सामग्री की जानकारी देना	

2.44

पद का नाम	पम्प चालक एवं पम्प सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	जल प्रदाय हेतु स्थापित पंपों के चालन तथा संधारण करने का कार्य तथा फिल्टर प्लांट से संबंधित आवश्यक कार्य	

2.45

पद का नाम	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. जल प्रदाय अनुबंध संबंधित अभिलेखों एवं समस्त अभिलेखों का संधारण करना 2. जल प्रदाय देयक तैयार कर लेजर में दर्ज करना 3. निगम को प्राप्त होने वाले जल शुल्क की राशि एकत्रित करना एवं बैंक में जमा कराना	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Division- 2

संभाग–2

कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमासिवनी, एवं मेटल पार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद ।

2.46

मुख

पद का नाम	कार्यपालन अभियंता– एम.के. अग्रवाल	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	1. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्थापना संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण। 2. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश के आवेदन अनुशंसा कर स्वीकृति हेतु भेजना। 3. निर्माण कार्यों हेतु रू. 100.00 लाख तक प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार। 4. तकनीकी शाखाओं के प्रभारियों को आवश्यक सामाग्रियों की खरीदी एवं श्रमिक व्यय हेतु एकमुश्त राशि रू. 25,000/– एवं एक वर्ष में अधिकतम राशि रू. 1,00,000/– तक व्यय करने का अधिकार।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप तैयार करना। 2. अधोसंरचना विकास कार्यों एवं अन्य विकास कार्यों हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना एवं प्रस्तुत करना। 3. कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात् निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करना अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करना। 4. कार्यों का समय–सीमा में क्रियान्वयन करना। 5. विकास कार्यों हेतु शासन से बजट की मांग। 6. देयकों का भुगतान हेतु अनुशांसा करना।	

2.47

पद का नाम	**सहायक अभियंता**	
शाक्तियाँ	प्रशासकीय	अधीनस्थ कर्मचारियों की स्थापना संबंधी अधिकार।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गये निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यों का निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन। 2. औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। 3. वार्षिक योजना के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 4. निविदा आमंत्रण हेतु प्रस्ताव, कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करना। 5. निर्माण कार्यों से संबंधित पंजियों जैसे– स्टॉक रजिस्टर, एमएएस, लॉग बुक आदि का नियमित संधारण करना। 6. जल–प्रदाय के अंतर्गत प्रतिमाह जल देयक तैयार करे इकाईयों को प्रेषित करना। 7. इकाईयों को मांग के अनुसार जल आपूर्ति हेतु निर्धारित अनुबंध निष्पादन के पशचात् नल कनेक्शान उपलब्ध कराना।	

2.48

पद का नाम	**कनिष्ठ अभियंता**	
शाक्तियाँ	प्रशाासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गये निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यों का निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन। 2. औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। 3. कार्यों का माप लेकर भुगतान हेतु देयक तैयार करना। 4. जल–प्रदाय तथा अन्य संधारण कार्यों का संपादन करना। 5. संपत्तियों की देख–रेख करना।	

2.49

पद का नाम	**समयपाल**	
शाक्तियाँ	प्रशाासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. संधारण एवं निर्माण कार्यों के सुपर विजन में कनिष्ठ अभियंता का सहयोग करना। 2. समस्त औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण तथा शासकीय संपत्तियों की देख–रेख करना।	

2.50

पद का नाम	**चौकीदार**	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा करना। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य करना।	

2.51

पद का नाम	**स्टोर कीपर**	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्टोर सामाग्री की लेखा संधारण एवं यथा आवश्यकता सामाग्री की जानकारी देना।	

2.52

पद का नाम	**पंप चालक एवं पंप सहायक**	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	जल–प्रदाय हेतु स्थापित पंपो के चालन एवं लॉग बुक संधारण करने का कार्य, तथा फिल्टर प्लांट से संबंधित आवश्यक कार्य।	

2.53

पद का नाम	**विद्युत लाईनमेन तथा इलेक्ट्रिशियन**	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकरणों का संधारण तथा सड़क बत्ती की देख–रेख एवं संधारण कार्य।	

2.54

पद का नाम	**पाईप फीटर एवं हेल्पर**	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	जल–वाहिनी की मरम्मत तथा सौंपे गये समस्त कार्य।	

2.55

पद का नाम	**मीटर रीडर**	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मीटर रीडिंग करना, देयक तैयार करना तथा जल शुल्क देयक वितरण करना।	

2.56

पद का नाम	**वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक**	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. जल–प्रदाय अनुबंध संबंधित अभिलेखों एवं समस्त अभिलेखों का संधारण करना। 2. जल–प्रदाय देयक तैयार कर लेजर में दर्ज करना। 3. निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व एकत्रित करना एवं बैंक में जमा करना।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Division - 3

संभाग – 3

कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।

2.57

पद का नाम	कार्यपालन अभिंयता– एस.के. सोनी		
शक्तियॉ	प्रशासकीय	1. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्थापना संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण 2. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति 3. निर्माण कार्यो हेतु रूपए 100 लाख तक प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार 4. तकनीकी शाखाओं के प्रभारियों को आवश्यक सामाग्रियों की खरीदी एवं श्रमिक व्यय हेतु एकमुश्त राशि रू. 25,000/– एवं एक वर्ष में अधिकतम राशि रू. 1,00,000/– तक व्यय करने का अधिकार।	वर्तमान में मुख्यालय से दी जाती है।
	वित्तीय	निरंक*	*रिपेयर मेंटेनेन्स, सामग्री क्रय एवं लेबर चार्जेस (राशि रु. 25,000/– तक एवं रु. 1,00,000/– वार्षिक)
	अन्य	निरंक	
कर्त्तव्य	1. औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु योजना प्रारूप तैयार करना 2. अधोसंरचना विकास कार्यो एवं अन्य विकास कार्यो हेत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना 3. कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करना अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करना 4. कार्यो का समयसीमा में क्रियान्वयन करना 5. विकास कार्यो हेतु शाासन से बजट की मांग 6. देयकों का भुगतान हेतु अनुंशसा करना		

2.58

पद का नाम	**सहायक अभियंता**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है (जलप्रदाय के कार्य नहीं होने के कारण)	1. सौंपे गए निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यो का निध्ररित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन 2. औ.क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना 3. वार्षिक योजना के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करना 4. निविदा आमंत्रण हेतु प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करना 5. निर्माण कार्यो से संबंधित पंजियों जैसे स्टाक रजिस्टर,एमएएस,लागबुक आदि का नियमित संधारण करना	

2.59

पद का नाम	**कनिष्ठ अभियंता**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है (जलप्रदाय के कार्य नहीं होने के कारण))	1. सौंपे गए निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यो का निध्ररित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन 2. औ.क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना 3. कार्यो का माप लेकर भुगतान हेतु देयक तैयार करना	

2.60

पद का नाम	**समयपाल**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. संधारण एवं निर्माण कार्यो के सुपर विजन में कनिष्ठ अभियंता का सहयोग करना 2. समस्त औ.क्षेत्र में अतिक्रमण तथा शासकीय संपत्तियों की देखरेख करना	

2.61

पद का नाम	**चौकीदार**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा करना 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्य करना ।	

2.62

पद का नाम	**स्टोर कीपर**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्टोर सामग्री की लेखा संधारण एवं यथा आवश्यकता सामग्री की जानकारी देना	

2.63

पद का नाम	पंप चालक एवं पंप सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है (जलप्रदाय के कार्य नहीं होने के कारण))	जल प्रदाय हेतु सिंचित पंपों के चालन तथा संधारण करने का कार्य तथा फिल्टर प्लांट से संबंधित आवश्यक कार्य	

2.64

पद का नाम	विद्युत लाईनमेन तथा इलेक्ट्रीशियन	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है (औद्योगिक क्षेत्रों के विद्युत के कार्य नहीं	औ.क्षेत्र में विद्युत उपकरणों का संधारण तथा सड़क बत्ती की देखरेख एवं संधारण कार्य	

2.65

पद का नाम	पाइप एवं फीटर हेल्पर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है	जलवाहिनी की मरम्मत तथा सौंपे गए समस्त कार्य	

2.66

पद का नाम	मीटर रीडर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है (जलप्रदाय के कार्य नहीं होने के कारण))	मीटर रीडिंग करना, देयक तैयार करना तथा जलशुल्क देयक वितरण करना	

2.67

पद का नाम	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है (जलप्रदाय के कार्य नहीं होने के कारण))	1. जलप्रदाय अनुबंध संबंधित अभिलेखों एवं समस्त अभिलेखों का संधारण करना 2. जलप्रदाय देयक तैयार कर लेजर में दर्ज करना 3. निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व एकत्रित करना एवं बैंक में जमा कराना	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Division 4

सभाग – 4

कार्य क्षेत्र – इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र ।

2.68

पद का नाम	कार्यपालन अभियंता– सुनील कुमार राजगिरे	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	1. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्थापना संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण। 2. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति। 3. निर्माण कार्यों हेतु रुपए 100 लाख तक प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार। 4. तकनीकी शाखाओं के प्रभारियों को आवश्यक सामग्रियों की खरीदी एवं श्रमिक व्यय हेतु एकमुश्त राशि रु. 25,000/– एवं एक वर्ष में अधिकतम राशि रु. 1,00,000/– तक व्यय करने का अधिकार ।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. औ.क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप तैयार करना। 2. अधोसंरचना विकास कार्यों एवं अन्य विकास कार्यों हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना। 3. कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात् निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करना अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करना। 4. कार्यों का समयसीमा में क्रियान्वयन करना। 5. विकास कार्यों हेतु शासन से बजट की मांग। 6. देयकों का भुगतान हेतु अनुशंसा करना।	

2.69

पद का नाम	सहायक अभियंता	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	अधीनस्थ कर्मचारियों पर स्थापना संबंधी अधिकार।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गए निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यों का निर्धारित मापदण्ड़ों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन। 2. औ.क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। 3. वार्षिक योजना के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करना 4. निविदा आमंत्रण हेतु प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करना। 5. निर्माण कार्यों से संबंधित पंजियों जैसे–स्टॉक रजिस्टर, एमएएस, लॉगबुक आदि का नियमित संधारण करना। 6. जलप्रदाय के अंतर्गत प्रतिमाह जल देयक तैयार कर इकाईयों को प्रेषित करना। 7. इकाईयों को मांग के अनुसार जल आपूर्ति हेतु निर्धारित अनुबंध निष्पादन के पश्चात् नल कनेक्शन उपलब्ध कराना।	

2.70

पद का नाम	**कनिष्ठ अभियंता**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सौंपे गए निर्णय व संधारण, अन्य विकास कार्यों का निर्धारित मापदण्ड़ों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन। 2. औ.क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु योजना प्रारूप के अनुसार प्राक्कलन बनाना एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। 3. कार्यों का माप लेकर भुगतान हेतु देयक तैयार करना। 4. जलप्रदाय तथा अन्य संधारण कार्यों का संपादन करना। 5. कार्यक्षेत्र के प्रशासकीय संपत्तियों की सुरक्षा तथा अतिक्रमण की देखरेख करना।	

2.71

पद का नाम	**समयपाल**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. संधारण एवं निर्माण कार्यों के सुपर विजन में कनिष्ठ अभियंता का सहयोग करना। 2. समस्त औ.क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा शासकीय संपत्तियों की देखरेख करना।	

2.72

पद का नाम	**चौकीदार**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा करना। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्य करना।	

2.73

पद का नाम	**स्टोर कीपर**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्टोर सामग्री की लेखा संधारण एवं यथा आवश्यकता सामग्री की जानकारी देना।	

2.74

पद का नाम	**पंप चालक एवं पंप सहायक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	जल प्रदाय हेतु स्थापित पंपों के चालन एवं लॉग बुक, संधारण करने का कार्य तथा फिल्टर प्लांट से संबंधित आवश्यक कार्य।	

2.75

पद का नाम	विद्युत लाईनमेन तथा इलेक्ट्रिशियन	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	औ.क्षेत्र में विद्युत उपकरणों का संधारण तथा सड़क बत्ती की देखरेख एवं संधारण कार्य।	

2.76

पद का नाम	पाइप एवं फीटर हेल्पर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	जलवाहिनी की मरम्मत तथा सौंपे गए समस्त कार्य।	

2.77

पद का नाम	मीटर रीडर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	मीटर रीडिंग करना, देयक तैयार करना तथा जलशुल्क देयक वितरण करना।	

2.78

पद का नाम	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. जलप्रदाय अनुबंध संबंधित अभिलेखों एवं समस्त अभिलेखों का संधारण करना। 2. जलप्रदाय देयक तैयार कर लेजर में दर्ज करना। 3. निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व एकत्रित करना एवं बैक में जमा कराना।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

IPPD Cell

औद्योगिक सवंर्धन प्रकोष्ठ

2.79

पद का नाम	उप प्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1) औद्योगिक संवर्धन एवं परियोजना विकास । 2) नये औद्योगिक क्षेत्र हेतु कन्सलेंटट की नियुक्ति, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना आदि 3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सीएसआईडीसी, राज्य नोडल विभाग के रुप में कार्य करता है । 4) विभिन्न औद्योगिक संवर्धन सेमीनार, पदर्शनियों का आयोजन आदि कार्य । 5) आई.आई.डी.सी. की स्थापना ।	

2.80

पद का नाम	सहायक प्रबंधक (2)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य	

2.81

पद का नाम	कनिष्ठ कार्यपालक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य	

कम्प्यूटर कक्ष
Computer Section

2.82

पद का नाम	सहायक प्रबंधक (कम्प्यूटर)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य 2. निगम में स्थापित सभी कम्प्यूटरों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना 3. मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का सुचारू सम्पादन 4. संचालक मंडल की बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवाही विवरण का कम्प्यूटर पर संधारण 5. निगम के प्रकोष्ठों से प्राप्त विभिन्न बैठकों के विवरण, निर्णय आदि का कम्प्यूटर पर संधारण 6. निगम की समीक्षा बैठकों, विभिन्न सेमीनारों/आयोजनों हेतु निगम के प्रकोष्ठों से प्राप्त जानकारी से प्रेजंटेशन आदि 7. केन्द्र /राज्य शासन के विभिन्न विभागों /संस्थाओं की बेबसाईट्स से तथा इंटरनेट पर उपलब्ध निगम के लिए लाभदायक/आवश्यक जानकारियां (यथा नीतियॉ /योजनाएं आदि) प्राप्त कर संबंधितों को अवगत कराना 8. इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस प्रमोशन हेतु भारत तथा विश्व की औद्योगिक संस्थानों के ई–मेल का संग्रहण कर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ई–मेल प्रेषित करना 9. विभिन्न प्रकोष्ठों/शाखाओं से प्राप्त जानकारियों को निगम की वेब–साईट पर अद्यतन करना तथा निगम की वेबसाईट से संबंधित सभी कार्यो का सुचारु सम्पादन सुनिश्चित करना	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

वित्त प्रकोष्ठ
Finance Cell

2.83

पद का नाम	उप प्रबंधक (प्रभारी)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	अधिकारों का निर्वहन 1) पूर्ववर्ती वित्त निगम के ऋण की वसूली का दायित्व । 2) विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों से संबंधित कार्य । 3) ऋण की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता की कार्यवाही ।	

2.84

पद का नाम	सहायक प्रबंधक (2)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Export Promotion Cell

निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ

2.85

पद का नाम	उप प्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	राज्य से निर्यात संवर्धन हेतु सेमीनार, कार्यशाला का आयोजन/राज्य से निर्यात संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं तदनुरूप निर्यात में प्रगति का विश्लेषण/DGCIS, DGFT, IIFT, CII, EPO's आदि से निर्यात संवर्धन संबंधी समन्वय का कार्य ।	

2.86

पद का नाम	सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ की नस्तियों का संधारण कक्ष को प्राप्त पत्रों को प्रभारी को प्रस्तुत करना एवं तत्संबंध में प्राप्त निर्देशानुरूप कार्यवाही करना ।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

P.G.R. Cell

जन शिकायत निवारण कक्ष

2.87

पद का नाम	**उप प्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	माननीय मुख्यमंत्री को प्राप्त, निगम से संबंधित जन शिकायत/आवेदन पत्रों के निराकरण के संदर्भ में निगम के संबंधित कक्ष द्वारा उचित कार्यवाही तथा तत्संबंध में यथोचित जानकारी प्राप्त कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं तद्नुरूप शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराना ।	

2.88

पद का नाम	सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	आवक कक्ष से प्राप्त आवेदन पत्रों को आवेदन पंजी में इन्द्राज कर नस्तियां प्रभारी को प्रस्तुत करना । समस्त पंजिया, नस्तियां आदि को व्यवस्थित/संधारित करना ।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Accounts and Salary

2.89 **लेखा एवं वेतन प्रकोष्ठ**

पद का नाम	**उप प्रबंधक**	
प्रशासकीय	निरंक	
	वित्तीय	द्वितीय, तृतीय, चर्तुथ श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा एवं चिकित्सा देयक पारित करने का अधिकार
	अन्य	वैधानिक कटौतियों (कर आदि) को समय पर जमा
	निगम के वेतन, लेखा एवं वित्त संबंधी समस्त कार्यों का सुचारू संचालन एवं निगरानी ।	

2.90

पद का नाम	**सहायक प्रबधंक (लेखा)**	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. विभिन्न व्यय एवं विकास/निर्माण कार्यों के देयकों का परिक्षण कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना । 2. बैंकों से पत्राचार एवं बैंक समाधान विवरण पत्रक । 3. बजट तैयार करना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का सत्यापन करना । 4. बैंकों में रखे धन की निगरानी और प्रबंधन । 5. मूल्यह्रास की गणना के लिए अचल संपत्ति । 6. मंत्रालय एवं उद्योग संचालनालय से संपर्क करना (liaison work) 7. राज्य शासन खाते का संधारण । 8. ठेकेदारों का पंजीकरण । 9. निर्माण आदि संबंधी देयकों का आतंरिक परीक्षण । 10. अंकेक्षण का कंप्लायंस । 11. जनरल वाउचर तैयार करना । 12. सावधि जमा से संबंधी समस्त कार्य ।	

2.91

पद का नाम	**सहा. प्रबंधक (वेतन प्रकोष्ठ)**	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. लेखा कक्ष के अंतर्गत वेतन, विभिन्न भत्तों, यात्रा एवं चिकित्सा देयक, का भुगतान । 2. भविष्य निधि, वेतन से विभिन्न कटौतियों । 3. कर्मचारियों की आयकर की गणना और वेतन से टीडीएस वसूली और जमा सुनिश्चित करना । 4. ग्रेच्युटी दावों के निपटान, समय पर ग्रेच्युटी कोष जमा सुनिश्चित करने, ग्रेच्युटी से संबंधित समस्त कार्य । 5. टीडीएस, ईपीएफ, जीपीएफ, GSLI और कर्मचारियों के वेतन से अन्य वैधानिक कटौतियों के समय पर जमा । 6. ईपीएफ, TDS (salary) और अन्य रिटर्न की फाइलिंग ।	

##123##

2.92

पद का नाम	**लेखापाल–1**	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक

	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. टीडीएस–वार्षिक एवं त्रैमासिक (अन्य) कमर्शियल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स की कटौतियां, भुगतान एवं संबंधित विभिन्न विवरण तैयार कर दाखिल करना, संबंधित प्रमाण पत्र जैसे Form 16A. Form 44 (IT TDS) (VAT TDS) आदि जारी करना । 2. लेखा कक्ष से संबंधित अन्य विविध कार्यों में सहायता । 3. विभिन्न अग्रिमों की वसूली एवं समायोजन संबंधित समस्त कार्य । 4. सिविल और अन्य अनुबंध कार्यों के देयकों का परीक्षण कर प्रस्तुत करना । 5. ASIDE संबंधी कार्यों के देयकों का परिक्षण कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना । 6. विभिन्न लेनदार/देनदार अग्रिम संबंधी समस्त सूचियां/जानकारियां तैयार करना/अग्रिम वसूली हेतु पत्राचार, संबंधित नस्तियों का संधारण एवं संबंधित जनरल वाउचर तैयार करना । 7. PG, EMD, SD आदि सूचियाँ तैयार करना । ।	

2.93

पद का नाम	**लेखापाल–2**	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. निगम की सभी शाखाओं – परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई , कच्चा माल डिपो, भिलाई ,कोल डिपो, बिलासपुर, फर्नीचर कारखाना, अभनपुर, ए. आई.एफ. भिलाई भिलाई, हाई–टेक बस स्टैंड, बिलासपुर एवं शाखा कार्यालय, बिलासपुर के खातों का समय पर रखरखाव सुनिश्चित करना एवं लेखा संबंधी जानकारियां मासिक रूप से प्राप्त करना एवं खातों का निरंतर निगरानी और समय पर रखरखाव सुनिश्चित करना । 2. शाखाओं का टीडीएस, वैट, सेवा कर, आदि की निगरानी । 3. शाखाओं के खातों के अंतिम लेखों के सत्यापन और खातों की सही और निष्पक्ष स्थिति का सनिश्चित करना । 4. शाखाओं के बैंक समाधान पत्रकों का सत्यता सुनिश्चित करना । 5. शाखा और प्रधान कार्यालय के खातों का समाधान । 6. लेखा कक्ष से संबंधित अन्य विविध कार्यों में सहायता ।	

2.94

पद का नाम	**लेखा सहायक** (Cash)	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. स्वीकृत देयकों का भुगतान, कैश कक्ष (प्राप्ति एवं भुगतान) से संबंधित समस्त कार्य । 2. दैनिक रूप से कैश बुक का संधारण सुनिश्चित करना । 3. नकदी/चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्राप्ति की बैंकों में जमा करना । 4. नकदी/बैंक से संबंधित वाउचर और अन्य अभिलेखों का रखरखाव । 5. वाउचर, कैश बुक, खातों और अन्य रजिस्टरों सुरक्षित हिरासत में रखना ।	

2.95

पद का नाम	**वरिष्ठ सहायक (वेतन प्रकोष्ठ)**	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. वेतन, टी.ए. मेडिकल एवं वेतन कक्ष से संबंधित अन्य देयक तैयार करना एवं संबंधित नियमों का पालन सनिश्चित करना एवं इन्हें सहायक प्रबंधक को प्रस्तुत करना । 2. सभी कर्मचारियों के पैन डाटा का रखरखाव । 3. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान के लिए फ़ाइलों का प्रस्तुतिकरण । 4. आयकर कटौती (वेतन से संबंधित गणना, दस्तावेज, नस्ती का संधारण । 5. स्टाफ अग्रिम संबंधित मैन्युअल लेजर का संधारण । TDS, EPF, GPF, GSLI, loans एवं अन्य कटौतियों को समय पर जमा सनिश्चित करना । 6. वेतन आदि समस्त पंजियों का संधारण एवं सुरक्षित रखना । 7. वेतन आदि समस्त पंजियों का संधारण एवं सुरक्षित रखना ।	

2.96

पद का नाम	**सहायक (लेखा कक्ष)**	
	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. वेतन कक्ष/लेखा कक्ष संबंधी विभिन्न लेजर , सुब–लेजर प्रविष्टियां एवं संधारण । 2. केशियर की अनुपस्थिति में कैश का कार्य । 3. मैन्युअल जनरल का संधारण । 4. वाउचर, कैशबुक, खातों और अन्य रजिस्टरों सुरक्षित हिरासत में रखना ।	

2.97

पद का नाम	वरिष्ठ सचिवालयीन सहायक	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	1. लेखों को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से निगरानी और पुराने लेखों का अंतिमीकरण हेतु आवश्यक कार्य । 2. डाटा –बैक अप सुनिश्चित करना । 3. विभिन्न निगमों MPLUN, MPExport, MPSIC, MPST, MPSIC, MPSED आदि का बंटवारा बैलेंस शीट का विलय संबंधी कार्य । 4. मैनुअल लेखों को टैली साफ्टवेयर में समानांतर संधारण । 5. टैली साफ्टवेयर पर कम्प्यूटरीकरण का समस्त कार्य ।	

##127##

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

2.98

पद का नाम	**कम्पनी सचिव**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कंपनी संबंधी कार्य एवं विधिक प्रकोष्ठ के कार्य	

2.99

पद का नाम	**सहायक प्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये विधिक प्रकोष्ठ के कार्य	

General Section (सामान्य कक्ष)

2.100

पद का नाम	**महाप्रबंधक – प्रभारी सामान्य कक्ष**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	सामान्य कक्ष के अंतर्गत अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण,
	वित्तीय	1. कार्यालयीन स्टेशनरी व उपभोग्य (Consumable) सामग्री का क्रय रू. 5,000/– प्रतिमाह की सीमाधीन, 2. कार्यालयीन वाहनों हेतु ट्यूब–टायर तथा बैट्री (नियमानुसार निर्धारित सीमा पूर्ण करने पर) का क्रय, 3. कार्यालयीन व्यवस्था तथा उपकरणों की मरम्मत पर व्यय रू. 10,000/– प्रतिवर्ष की सीमाधीन, का भुगतान, 4. निर्धारित सीमाधीन प्रतिबद्ध (Committed) व्यय – विद्युत व्यय, दूरभाष/मोबाईल व्यय, भवन किराया, मासिक आधार पर टैक्सी का किराया आदि का भुगतान।
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य		1. कार्यालयीन स्टेशनरी प्रिंटिंग एवं क्रय, 2. कार्यालयीन वाहन तथा उपकरणों का क्रय एवं मरम्मत/रख–रखाव, 3. विभिन्न कार्यालयीन व्ययों– विद्युत व्यय, दूरभाष/मोबाईल व्यय एवं अन्य विविध व्ययों का भुगतान, 4. कार्यालयीन व्यवस्था एवं सामान्य कक्ष के अन्य समस्त विविध कार्य ।

2.101

पद का नाम	**वरिष्ठ सहायक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्टोर एवं फोटोकॉपी संबंधी समस्त कार्य	

2.102

पद का नाम	**कनिष्ठ कार्यपालक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य	

2.103

पद का नाम	**लिपिक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कक्ष प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य	

Manual - 2

संपदा प्रकोष्ठ

Estate Managment Cell

2.104 <u>अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य</u>

पद का नाम	**उप प्रबंधक – प्रभारी संपदा प्रकोष्ठ**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	कक्ष के अंतर्गत अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण,
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य		संपदा कक्ष में निगम की संपत्ति का ब्योरा रखना । निगम द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन व्यवसायिक परिसर में दुकान, रेस्टोरेंट, कार्यालय, अपैरल पार्क, वेयर हाऊस, भू–आबंटन नियमों के अंतर्गत आबंटन हेतु कार्य करना ।

2.105

पद का नाम	**वरिष्ठ सहायक – संपदा प्रकोष्ठ**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य		उपरोक्तानुसार प्रभारी द्वारा संपदा कक्ष से संबंधित सौपें गए कार्य का निर्वहन करना ।

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Personal & Administration

कार्मिक एवं प्रशासन (स्थापना प्रकोष्ठ)

2.106

पद का नाम	**मुख्य महाप्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	भू–आबंटन कक्ष में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण ।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सहायक प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत भू–आबंटन संबंधित प्रकरणों को परीक्षण उपरांत उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। 2. ऐसे प्रकरण जो महाप्रबंधक स्तर पर निराकरण होता है, उनका निराकरण करना। 3. उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों को संपादित करना।	

2.107

पद का नाम	**सहायक प्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. वरिष्ठ सहायक द्वारा प्रस्तुत भू–आबंटन प्रकरणों को परीक्षण उपरांत महाप्रबंधक, भू–आबंटन को प्रस्तुत करना । 2. वरिष्ठ सहायक के कार्यों की मॉनिटरिंग एवं उनको मार्गदर्शन कराना । 3. महाप्रबंधक, भू–आबंटन को सहयोग प्रदान करना एवं उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों का संपादन करना ।	

2.108

पद का नाम	वरिष्ठ सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. भू–आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निरीक्षण उपरांत सहायक प्रबंधक को प्रस्तुत करना। 2. भू–आबंटन कक्ष की नस्तियों को सुव्यवस्थित रखना एवं संबंधित इकाईयों से प्राप्त पत्रों को प्रस्तुत करना। 3. महाप्रबंधक, भू–आबंटन एवं सहायक प्रबंधक के निर्देशानुसार उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों को संपादित करना।	

2.109

पद का नाम	वरिष्ठ सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. प्राप्त पत्रों आवेदन आदि को विषय नस्ती पर पूर्व संदर्भो आदि के साथ प्रस्तुत करना। 2. अभिलेखों/दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करना, सूचीकृत कर संधारित करना। 3. अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य लिपिकीय कार्य करना। 4. विभिन्न जानकारियों का संकलन/संधारण करना तथा रिकार्ड सहित प्रस्तुत करना ।	

2.110

पद का नाम	लिपिक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. प्राप्त पत्रों आवेदन आदि को विषय नस्ती पर पूर्व सदर्भो आदि के साथ प्रस्तुत करना । 2. अभिलेखों/दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करना, सूचीकृत कर संधारित करना । 3. अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य लिपिकीय कार्य करना । 4. विभिन्न जानकारियों का संकलन/संधारण करना तथा रिकार्ड सहित प्रस्तुत करना ।	

2.111

पद का नाम	भृत्य	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. अधिकारियों/कार्यालय सहायक के निर्देशों का पालन करना । 2. कार्यालय में नस्तियॉ, डाक, संदेश/पत्र आदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को पहुंचाना तथा अन्य कार्यालयीन कार्य करना ।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

कोल सेल – मुख्यालय, रायपुर

Coal cell Headquaters Raipur

2.112

पद का नाम	प्रभारी विपणन कोल सेल (प्रबंधक)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	आबंटन प्रस्ताव स्वीकृत करना
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कोल सेल शाखा कार्यालय से कोल आबंटन के प्रस्ताव का परीक्षण करना एवं प्रबंधन से स्वीकृति कराना। कोल सेल शाखा कार्यालय बिलासपुर को कोयला क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराना। कोल सेल शाखा कार्यालय से प्राप्त विक्रय कर, आयकर, सर्विस टेक्स आदि से संबंधित कार्यालय से समन्वय कर कार्यवाही करना। उद्योग संचालनालय रायपुर से कोल आबंटन इकाईयों की सूची प्राप्त कराना एवं शाखा कार्यलय बिलासपुर को प्रेषित करना एस.ई.सी.एल. में एफ.एस. करना । वार्षिक मांग प्राप्त करना एवं कोल सेल से संबन्धित कार्य करना।	

`

2.113

पद का नाम	लेखापाल	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	कोल सेल शाखा कार्यालय से कोल आबंटन के प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रभारी विपणन कोल सेल को प्रस्तुत करना। कोल सेल शाखा कार्यालय बिलासपुर को कोयला क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी विपणन कोल सेल को नस्ती प्रस्तुत करना। कोल सेल शखा कार्यालय से प्राप्त विक्रय कर, आयकर, सर्विस टेक्स आदि से संबंधित नस्ती प्रभारी विपणन कोल सेल को प्रस्तुत करना। उद्योग संचालनालय रायपुर से कोल आबंटन इकाईयों की सूची प्राप्त कर शाखा कार्यालय बिलासपुर को प्रेषित करने नस्ती प्रभारी विपणन कोल सेल को प्रस्तुत करना। वार्षिक मांग प्राप्त करना एवं कोल सेल से संबन्धित नस्ती प्रभारी विपणन कोल सेल को प्रस्तुत करना। कोल सेल शाखा बिलासपुर को यात्रा अग्रिम/देयक हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु नस्ती प्रभारी विपणन कोल सेल को प्रस्तुत करना।	

Manual – 2

CSR & Rehabilitation Section

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

2.114

पद का नाम	महाप्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	प्रबंधन द्वारा सीएसआर संबंधित कार्य	

2.115

पद का नाम	उप प्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	महाप्रबंधक द्वारा सौंपे गये कार्य	

2.116

पद का नाम	लिपिक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	महाप्रबंधक द्वारा सौंपे गये कार्य	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

2.117

पद का नाम	प्रथम अपीलीय अधीकारी	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई कर नियमानुसार कार्यवाही करना। 2. अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की मानिटरिंग तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना।	

2.118

पद का नाम	लोक सूचना अधिकारी	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण करना। 2. कार्यालय सहायकों व सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यों मानिटरिंग तथा उनको मार्गदर्शन प्रदान करना। 3. प्रथम अपीलीय अधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का संपादन करना।	

2.119

पद का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों – प्रथम अपील – द्वितीय अपील को नियमानुसार प्रस्तुत करनें से निराकरण करने तक के कार्यों में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सहयोग करना।	
	2. प्राप्त अभिलेखों/दस्तावेजों को सुव्यवस्थित प्रस्तुत करना।	
	3. अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना।	
	4. विभिन्न जानकारियों, प्रतिवेदनों, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक को प्रस्तुत करना।	

2.120

पद का नाम	सहायक ग्रेड –01	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना।	
	2. कार्यालय में नस्तियां, डाक, संदेश/पत्र आदि संबंधित अधिकारी को पहुंचाना तथा अन्य कार्यालयीन कार्य करना।	
	3. आवेदनों एवं कक्षों से प्राप्त जानकारियों को नियमानुसार प्रस्तुत करना, आवेदनों को जानकारियों को समयसीमा में आवक–जावक कक्षों से प्रेषित करवाना।	
	4. विभिन्न रिकार्डों को व्यवस्थित कर संधारण संकलन करना, प्रस्तुत करना आदि।	

नोट :–1. सभी कक्ष प्रभारी/अधिकारी मुख्यालय एवं प्रभारी शाखा कार्यालय दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई, अभनपुर, कोलसेल, कच्चामाल भण्डार, परीक्षण प्रयोगशाला, सभी तकनीकी कक्ष **डीम्ड पी.आई.ओ.** होंगे। जो समय–समय पर चाही गई जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराने के जिम्मेदार रहेंगे।

2. शाखा कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों का सहायक लोक सूचना अधिकारी नियमानुसार निराकरण करेंगे।

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

Branch Office Durg

शाखा कार्यालय, दुर्ग

2.121

पद का नाम	**मुख्य महाप्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	शाखा कार्यालय की नस्तियां अपनी टीप के साथ मुख्य महाप्रबंधक अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
कर्त्तव्य	उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु प्रेरित करना उद्योग स्थापना के संबंध में जानकारी प्रदान करना एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अनुशंसा/अभिमत सहित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना ।	

2.122

पद का नाम	**सहायक प्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	कक्ष द्वारा प्रस्तुत नस्तियां अपनी टीप के साथ वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
कर्त्तव्य	उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु प्रेरित करना उद्योग स्थापना के संबंध में जानकारी प्रदान करनाएवं औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अनुशंसा/अभिमत सहित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना ।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

शाखा कार्यालय तिफरा, बिलासपुर

2.123

02.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य			
	(अ)	श्री ए. के. पवार– सहायक प्रबंधक, मो. नं. 9755759156		विभिन्न उद्योगपतियों से प्राप्त भूमि आबंटन आवेदन का प्रस्ताव मुख्यालय रायपुर प्रेषित करना तथा उद्योगपतियों को आबंटित भूखण्डों/उद्योग का समय–समय पर निरीक्षण तथा सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदनों का जवाब तैयार करना ।
	(ब)	श्री बी. एस. ठाकुर, प्रबंधक, मो. नं. 9981098335		भू–अर्जन का प्रस्तावबनाकर मुख्यालय प्रेषित करना तथा मुख्यालय से समय–समय पर सौंपे गये कार्य ।
	(स)	श्री एन. के. बर्डे– उप प्रबंधक, मो. नं. 09826134810		मुख्यालय द्वारा सौंपे गये विभाग के समस्त न्यायालयीन कार्य ।
	(द)	श्री जी.आर. राठौर सहा. मानचित्रकार मो. नं. 09589196109		शाखा प्रभारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
	(इ)	श्री राकेश मसीह – कैशियर मो. नं. 09302311161		शाखा कार्यालय में समस्त लेखा कार्य जैसे विभिन्न उद्योगतियों द्वारा लीजरेंट, जलशुल्क, भू–प्रीमियम आदि जमा करना, लेजर केश बुक मेंटनेंस करना ।
	(फ)	श्री संजय करौती – भृत्य मो. नं. 098271169971		भृत्य से संबंधित समस्त कार्य ।
	(ग)	श्री रमायण प्रसाद रजक– भृत्य मो. नं. 08966075005		भृत्य से संबंधित समस्त कार्य ।
	(ह)	श्री देवारी सिंह पोर्ते – भृत्य		भृत्य से संबंधित समस्त कार्य ।

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य
विपणन कोल सेल – बिलासपुर
Coal cell Bilaspur

2.124

पद का नाम	प्रबंधक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1) मुख्यालय निर्देशानुसार कोल प्राप्ति हेतु एस.ई.सी.एल. से कोल सप्लाई एग्रीमेंट निष्पादन की कार्यवाही करना । 2) प्रतिमाह एस.ई.सी.एल. में कोयला का मांग प्रस्तुत करना। 3) एस.ई.सी.एल. से प्रतिमाह प्राप्त आबंटित कोयला की राशि मुख्यालय से प्राप्त कर एस.ई.सी.एल. में निर्धारित समयावधि में जमा करना । 4) कोयला प्राप्ति हेतु निगम एवं इकाईयों के बीच अनुबंध निष्पादित करना । 5) मुख्यालय से प्राप्त अनुशंसित इकाईयों की सूची अनुसार प्रतिमाह कोल आबंटन का प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करना । 6) प्रतिमाह इकाईयों से आबंटित कोयला की राशि जमा करवाना । 7) प्रतिमाह सर्विस टैक्स रिटर्नस मुख्यालय प्रेषित । 8) वाणिज्य कर रिटर्नस मुख्यालय प्रेषित करना । 9) प्रतिमाह इकाईयों द्वारा जमा की गई राशि का फॉर्म 27 सी की जानकारी तैयार कर मुख्यालय प्रेषित करना । 10) कोयला लिफ्टिंग में संलग्न कर्मचारियों को समय–समय पर मार्गदर्शन देना एवं निर्धारित समयावधि में कोयला लिफ्टिंग के कार्यों का संपादन करवाना । 11) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से इकाईयों को प्रदायित कोयला का उपयोगिता जांच प्रमाण–पत्र प्राप्त कर मुख्यालय प्रेषित करना । 12) प्रतिमाह कोयला की लिफ्टिंग संबंधी प्रतिवेदन उद्योग संचालनालय, निगम मुख्यालय, इस.ई.सी.एल., बिलासपुर एवं सी.आई.एल. कोलकाता को प्रेषित करना । 13) कोयला आबंटन की जानकारी उद्योग संचालनालय को प्रेषित करना । 14) उच्च अधिकारियों द्वारा सौपें गये कार्यो को निर्देशानुरूप संपादित करना ।	

2.125

पद का नाम	सहायक लेखाधिकारी	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1) लेखा से संबंधित केश बुक, लेजर, सब–लेजर, स्टॉक रजिस्टर, क्रय रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर, इकाई पंजीयन रजिस्टर एवं सर्विस टैक्स रजिस्टर का संधारण करना । 2) इकाईयों से कोयले की राशि, सिक्युरिटी डिपॉजिट एवं पंजीयन शुल्क के मद में प्राप्त राशि का मनी रसीद जारी करना । 3) कोयले का बिल एवं डेबिट नोट तैयार करना । 4) सर्विस टैक्स रिटर्नस, वाणिज्य कर रिटर्नस एवं फॉर्म 27 सी तैयार करना । 5) मासिक ट्रायल बैलेंस एवं वर्ष के अंत में अंतिम लेखा तैयार करना । 6) प्रतिमाह कोयला की लिफ्टिंग संबंधी प्रतिवेदन तैयार करना । 7) कोयला आबंटन की जानकारी तैयार करना । 8) उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों को निर्देशानुरूप संपादित करना ।	

2.126

पद का नाम	कनिष्ठ कार्यपालक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1) एस.ई.सी.एल. से कोयला लिफ्टिंग संबंधी समस्त कार्य संपादित करना । 2) एस.ई.सी.एल. से बिल प्राप्त करना एवं बैलेंस राशि की वापसी की कार्यवाही करना । 3) मासिक कोयला लिफ्टिंग रिपोर्ट तैयार कर कोल कक्ष को प्रेषित करना ।	

2.127

पद का नाम	वरिष्ठ सचिवालयीन सहायक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1) एस.ई.सी.एल. से कोयला लिफ्टिंग संबंधी समस्त कार्य संपादित करना । 2) एस.ई.सी.एल. से बिल प्राप्त करना एवं बैलेंस राशि की वापसी की कार्यवाही करना । 3) मासिक कोयला लिफ्टिंग रिपोर्ट तैयार कर कोल कक्ष को प्रेषित करना ।	

2.128

पद का नाम	विक्रेता	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	1) एस.ई.सी.एल. से कोयला लिफ्टिंग संबंधी समस्त कार्य संपादित करना । 2) एस.ई.सी.एल. से बिल प्राप्त करना एवं बैलेंस राशि की वापसी की कार्यवाही करना । 3) मासिक कोयला लिफ्टिंग रिपोर्ट तैयार कर कोल कक्ष को प्रेषित करना ।	

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

R.M.D. Bhilai

2.129

क्रमांक	पदनाम	जानकारी
1.	प्रभारी / महाप्रबंधक	कच्चा माल भण्डार, भिलाई के सुचारू कार्य संचालन हेतु आवश्यक दैनंदिनी कार्यो का निर्वहन एवं कच्चा माल भण्डार के दिन प्रतिदिन कार्यो का नियंत्रण आदि।
2.	सहायक प्रबंधक	''सेल'', कोसिकी, इस्पात मंत्रालय, एवं मुख्यालय आदि से संबंधित पत्र व्यवहार का सम्पादन, सुचारू रूप से लौह–इस्पात उठाने हेतु सेल से समन्वय स्थापित करना आदि। समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।
3.	लेखापाल	लेखा संबंधी समस्त कार्यो का सम्पादन, जिसके अंतर्गत लघु–उद्योग इकाईयों से भुगतान प्राप्त करना, इकाईयों के खाता बही तैयार करना, रोकड़ पुस्तिका लिखना, सेल से प्राप्त डेबिट–क्रेडिट नोट का समायोजन, बैंक से संबंधित कार्यो का संधारण, संबंधित खातों का मिलान करना भुगतान के धनादेश तैयार कर प्रस्तृत करना,लेखों का अंतिमीकरण करना, अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण हेतु टीप प्रस्तुत करना एवं समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।
4.	स्टोरकीपर	स्टोर से संबंधित समस्त कार्य जिसके अतंर्गत ''सेल'' के स्टॉक यार्ड / प्लांट से माल प्राप्त करना, संबंधित लघु–उद्योग इकाइयों को भण्डार में स्थापित धरम कांटे से वजन कर गेटपास एवं देयक जारी करना, स्टॉक लेजर, क्रय–विक्रय पंजी एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों / पंजियों का संधारण, एक्साईज विभाग से संबंधित जानकारी एवं समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।
5.	निम्न श्रेणी लिपिका	आवक / जावक, स्टेशनरी पंजी एवं इकाईयों की मांग (मासिक / वार्षिक) का संधारण। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से संबंधित कार्यो में सहयोग प्रदान करना एवं समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।
6.	भृत्य	''सेल'', बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग, जल विभाग एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से संबंधित कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यालीयन कार्य एवं समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

Manual - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

उत्पादन इकाई
फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं ए.आईएफ.भिलाई
कार्यालयः– शोरूम नवीन बाजार रायपुर
Show Room Furniture Raipur

2.130

पद का नाम	म्हाप्रबंधक / प्रभारी	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	इकाई मे पदस्थ कर्मचारियों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार एवं दायित्व
	वित्तीय	प्रबंध संचालक द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से प्रदत्त अधिकार एवं दायित्व
	अन्य	प्रबंध संचालक द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से प्रदत्त अधिकार, दायित्व एवं पूर्ण अधिकार
कर्त्तव्य	उत्पादन इकाई फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं ए.आई. एफ.भिलाई द्वारा शासन के समस्त विभाग / संस्थाओं हेतु वुडन एवं स्टील फर्नीचरों का निर्माण कर प्रदाय किये जाने की मानिटरिंग। दोनो उत्पादन इकाई व नवीन बाजार शोरूम कार्यालय के सुचारू संचालन की व्यवस्था से संबधित कार्यो का सम्पादन।	

2.131

(क) शोरूम कार्यालय रायपुर

पद का नाम	उच्च श्रेणी लिपिक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्थापना कक्ष का कार्य, लेखा से संबधित, मुख्यालय से प्राप्त कैश राशि का हिसाब रखना, वेतन कक्ष का कार्य एवं सभी कार्यालयीन संबधी नस्तियों का संधारण कार्य आदि। साथ ही प्रभारी द्वारा समय–समय पर दिया गया कार्य।	

2.132

पद का नाम	सेल्समैन	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	आदेशो के विरूद्ध देयक जारी करना, शोरूम से इकाईयों के क्रय देयकों का चेक बनाने का कार्य तथा शोरूम कार्यालय से सम्बधित कार्य।	

2.133

पद का नाम	निम्न श्रेणी लिपिक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	आवक जावक आदेशों से संबधित सभी नस्तियां का संधारण एवं विभिन्न शासकीय/ कार्यालयों से वसूली संबधी कार्य।	

2.134

पद का नाम	भृत्य	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	शोरूम कार्यालय मे भृत्य कार्य का सम्पादन।	

(ख) फर्नीचर वर्क्स अभनपुर

2.135

पद का नाम	निम्न श्रेणी लिपिक (प्रभारी)	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	इकाई प्रभारी का कार्य, उत्पादन,विक्रय, कच्चामाल एवं अन्य कंज्युमेवल सामग्री के क्रय–विक्रय संबधी समस्त कार्य। प्रदाय के विरूद्ध देयक जारी करना। कच्चामाल व कन्ज्युमेवल क्रय के विरूद्ध देयकों का इन्द्राज एवं सत्यापन कार्य। इकाई मे निर्मित होने वाले फर्नीचर सामग्री एवं अन्य सामग्री की समस्त व्यवस्था, कारपेन्टरों (ठेका– श्रमिक) की व्यवस्था, मशीनों की मरम्मत इत्यादि कार्य सैल्स टैक्स एवं एक्साईज ड्यूटी का कार्य।	

2.136

पद का नाम	कारपेन्टर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	इकाई मे निर्माण होने वाले समस्त वुडन फर्नीचर को बनवाने का कार्य, लगने वाले कच्चामाल एवं कंज्युमेवल सामग्रियों की आवश्यकता का इंडेट, तैयार सुदा सामग्रियों को सभी शासकीय कार्यालयों/विभागों को भेजने का कार्य।	

2.137

पद का नाम	हेल्पर्स	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	वुडन फर्नीचर निर्माण संबधी कार्य का सम्पादन	

2.138

पद का नाम	चौकीदार	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	इकाई मे चौकीदार कार्य	

(ग) कृषि उपकरण कारखाना भिलाई

2.139

पद का नाम	प्रभारी	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	इकाई प्रभारी का कार्य, प्रभारी लेखापाल का कार्य, विक्रय, कच्चामाल एवं अन्य कंज्युमेवल सामग्री के क्रय–विक्रय संबधी समस्त कार्य। प्रदाय के विरूद्ध देयक जारी करना। कच्चामाल व कन्ज्युमेवल क्रय के विरूद्ध देयकों का इन्द्राज एवं सत्यापन कार्य। इकाई मे निर्मित होने वाले फर्नीचर सामग्री की समस्त व्यवस्था, कारपेन्टरों (ठेका– श्रमिक) की व्यवस्था, मशीनों की मरम्मत इत्यादि कार्य सैल्स टैक्स एवं एक्साईज ड्यूटी का कार्य।	

2.140

पद का नाम	टर्नर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	इकाई मे निर्मित होने वाले स्टील फर्नीचर मे टर्निंग कार्य ।	

2.141

पद का नाम	आपरेटर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	उत्पादन से संबधित मशीनो मे ऑपरेटर कार्य	

2.142

पद का नाम	हेल्पर्स	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	स्टील फर्नीचर निर्माण संबंधी कार्य का संपादन	

2.143

पद का नाम	चौकीदार	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	इकाई में चौकीदार कार्य	

मैन्युअल –2
Manual - 2

Testing lab, Bhilai

परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई

सीएसआईडीसी लिमि., श्रेणी अंकण एवं परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की शक्तियां एवं कर्तव्य

(Quality Marking & Testing Laboratory, Industrial Estate, Bhilai)

2.144

1	प्रभारी, परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई	परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के सुचारू कार्य संचालन हेतु आवश्यक दैनंदिनी कार्यों का निर्वहन एवं परीक्षण हेतु प्राप्त सेम्पल का परीक्षण के विरूद्ध प्रमाण पत्र जारी करना। सहायक तकनीशियनों, लेखापाल, निम्न श्रेणी लिपिक तथा भृत्य की मानिटरिंग करना तथा मार्गदर्शन करना । साथ ही, समय समय पर मुख्यालय द्वारा निर्देशित कार्य यथा–रेट कान्ट्रेक्ट के विरूद्ध प्रदाय की जाने वाली सामग्री का प्रदाय पूर्व निरीक्षण, मुख्यालय द्वारा दर निर्धारण समिति की बैठक एवं अन्य प्रक्रियाओं में सहभागिता इत्यादि का संपादन।
2	सहायक तकनीशियन (मेकेनिकल)	सेम्पलों का परीक्षण कार्य सम्पन्न करना। तकनीकि पत्र व्यवहार करना। प्रभारी द्वारा सौपें गये कार्य करना।
3	तकनीशियन (मेकेनिकल)	सेम्पलों का परीक्षण कार्य सम्पन्न करना। तकनीकि पत्र व्यवहार करना। प्रभारी द्वारा सौपें गये कार्य करना।
4	प्रयोगशाला सहायक, (केमिकल)	सेम्पलों का परीक्षण कार्य सम्पन्न करना। तकनीकि पत्र व्यवहार करना। प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य करना।
5	कनिष्ठ शीघ्र लेखक	शीघ्र लेखन के अलावा, लेखा संबंधी समस्त कार्यों का संपादन, जिसके अंतर्गत इकाईयों से परीक्षण शुल्क प्राप्त करना। खाता बही तैयार करना, रोकड़ पुस्तिका लिखना, बैंक से संबंधित कार्यों का संधारण एवं समय–समय पर प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्य।
6	निम्न श्रेणी लिपिक	आवक–जावक संबंधित कार्य । परीक्षण के सेम्पल प्राप्त करना तथा कोडिंग कर संबंधित कक्ष को पहुंचाना । प्रभारी द्वारा सौंपे गये कार्य करना ।
7	भृत्य	डाक विभाग, दूर संचार विभाग, विद्युत विभाग, जल विभाग से संबंधित कार्य, कार्यालय में नस्तियों डाक आदि संबंधितों को पहुंचाना, अन्य आवश्यक कार्यालयीन कार्य एवं समय–समय पर प्रभारी द्वारा निर्देशित अन्य कार्य ।

Manual - 2

हाईटेक बस स्टैण्ड तिफरा, बिलासपुर में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की शक्तियां एवं कर्तव्य

High Tech Bus Stand, Bilaspur

2.145

पद का नाम	**प्रभारी/सहा. प्रबंधक**	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	संगठन द्वारा हाईटेक बस स्टैण्ड का संचालन एवं उससे संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन । बस स्टैण्ड के रख–रखाव एवं दुकानों के किराये की वसूली करना एवं डिमांड नोट जारी करना उपरोक्त कार्य के लिए पत्र व्यवहार करना ।	

2.146

पद का नाम	निम्न श्रेणी लिपिक कार्य	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	डिमांड नोट बनाना एवं जारी करना दुकानदारों से किराया प्राप्त करना एवं जमा की रसीद जारी करना, पत्र व्यवहार की आवक –जावक पंजी का संधारण करना ।	

2.147

पद का नाम	कैशियर	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	समस्त लेखा से संबंधित खातों का संधारण करना, खाता बही व नकदी का हिसाब रखना । स्वीकृत इम्प्रेस की राशि से कार्यालय के कार्यों का संपादन कराना ।	

Manual - 2

सीएसआईडीसी लिमि.,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, शाखा कार्यालय, नई दिल्ली
CSIDC , NEW DELHI BRANCH,

पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की शक्तियां एवं कर्तव्य

2.148

(1)	श्री ध्रुवधर	सहायक प्रबंधक	09868901676
(2)	श्री एस.सी. शर्मा	सहायक प्रबंधक	09871237507

मैन्युअल –3
Manual - 3

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

भू–अर्जन प्रकोष्ठ

Land Acquisition Cell

3.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया–

औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भू–अर्जन कक्ष द्वारा भू–अर्जन/भू–हस्तांतरण का प्रस्ताव तैयार किया जाता है । इसमें निर्णय शासन स्तर से होता है ।

Manual - 3

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

भू–आबटन प्रकोष्ठ (Land Allotment)

3.2 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.भू–आबंटन प्रकोष्ठ में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

भूमि आबंटन प्रकोष्ठ से संबंधित किसी विषय पर प्रबंध संचालक/कार्यपालक संचालक द्वारा शासन/संचालक–मण्डल द्वारा जारी नीति निर्देश/नियम के तहत निर्णय लिया जाता है ।

3.3 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया क्या है? अथवा निर्णय लेने के लिए किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?

किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.के संचालक–मण्डल के निर्णय अथवा शासन स्तर पर दिए गए निर्देश अनुसार निर्णय लिया जाता है ।

3.4 लिए गए निर्णय को जनता तक पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था है ?

अ. संबंधित आवेदक को डाक द्वारा
ब. संबंधित आवेदक को फैक्स द्वारा
स. कार्यालय स्तर पर व्यक्तिगत संपर्क कर वार्तालाप द्वारा

3.5 विभिन्न स्तर पर किन–किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है ?

महाप्रबंधक, भू–आबंटन प्रकोष्ठ द्वारा अपने अभिमत/अनुशंसा सहित प्रकरण कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाता है ।

3.6 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी ।

संबंधित प्रकरण की महत्ता अनुसार कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक/अध्यक्ष

3.7 <u>मुख्य विषय, जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत है:</u>

क्रम संख्या	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	भू–आबंटन के सम्पूर्ण अधिकार– प्रबंध संचालक
दिशा निर्देश (यदि हो तो)	प्रचलित नियम/संचालक–मण्डल द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयानुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लॉट एवं भूमि आबंटन) **नियम** – 1974 एवं शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	1. प्रबंध संचालक 2. कार्यपालक संचालक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र–1, तेलीबांधा, रायपुर 492006 दूरभाष क्रमांक 0771–6002071,72,73, फैक्स क्रमांक 0771–2583794 ई–मेल csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	(A) कार्यपालक संचालक के विरूद्ध प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो.लि. (B) प्रबंध संचालक/अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो.लि.को लिखित आवेदन से अपील की जा सकेगी । (C) अध्यक्ष, सीएसआईडीसी के निर्णय के विरूद्ध, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में अपील की जा सकती है । **टीपः** प्रत्येक अपील अंग्रेजी भाषा या हिन्दी भाषा में प्रस्तुत की जा सकती है । अपील के साथ मूल आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो या उसकी प्रमाणित प्रति तथा अन्य तथ्यात्मक विवरण सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जावे ।

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

Marketing Cell

विपणन प्रकोष्ठ

3.8 दर निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है :–

1. वस्तु विशेष की निविदा प्राप्त उपरान्त संबंधित पी.एस. प्राप्त निविदाओं का परीक्षण कर उसे टेण्डर परचेज कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करता है ।

2. टेण्डर परचेज कमेटी के द्वारा दरों की सुसंगता निर्धारित की जाती है। पूर्व में हुए क्रय को आधार बनाकर लास्ट परचेज प्राइज के आंकलन उपरान्त निविदा में प्राप्त दरों की तुलना की जाती है ।

3. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर पात्र निविदाकारों को ऐसी दरों पर काउंटर आफर दिया जाता है जो कि विभाग को स्वीकार हो ।

निविदाकार द्वारा काउंटर आफर की स्वीकृति उपरान्त दरों की अंतिम स्वीकृति हेतु प्रबंध संचालक को प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है । प्रबंध संचालक द्वारा दरें अनुमोदित करने के उपरान्त पात्र इकाईयों को रेट कांट्रेक्ट जारी किया जाता है ।

3.9 छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) के नियम – 3 के तहत् परिशिष्टि –1 की आरक्षित सूची में सम्मिलित सामग्रीयों के दरों एवं शर्तों का निर्धारण करनें का दायित्व सीएसआईडीसी को प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002

भण्डार क्रय नियम 2002 (यथासंषोधित–2004)

भण्डार क्रय नियम 2002 का उद्देश्य

अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके।
ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित हो सके ।
स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले ।
द) यदि किन्हीं सामग्रीयों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रीयों क्रय करने में ऐसे उद्योगों का प्राथमिकता मिले ।

भण्डार क्रय नियम

नियम–1 (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 कहलायेगें ।
(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होगें ।

नियम–2 भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से है ।

2.1 समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेगें ।

नियम–3 ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट– 1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तो का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तो के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा । अन्य वस्तुएं, जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम–4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे ।

नियम–4 शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली समग्री क मापंदड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

4.2 निविदा की शर्तो का निर्धारण किया जाएगा ।

4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएं :–

4.3.1 एकल निविदा पद्धतिः– ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (**Proprietary Character**) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा पंरतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रू. 5,000 से अधिक की न हो ।

4.3.2 सीमित निविदा पद्धति– साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रू. 5,001 से 50,000 तक हो । इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है । इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओ अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा ।

4.3.3 खुली निविदा पद्धतिः– इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये । निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावेः–

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य

रू. 50,001 से रू. 2.00 लाख तक हो	स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में
रू. 2.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख तक हो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में ।
रू. 10.00 लाख से अधिक तथा रू. 20.00 लाख तक हो दो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में ।
रू. 20.00 लाख से अधिक	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में ।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी ।

4.4 निविदा विज्ञप्तिः– निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे । क्रय की अन्य शर्ते टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती है ।

4.4.1 निविदा सूचना के लिये विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारणः–
निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए । इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये । मुख्य शर्ते, यथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है । जहां तक शर्तो के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्ते निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है । किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे–लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये ।

4.4.2 निविदा सूचना का प्रारूप :– इस हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–2 में दिया गया है ।

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा ।

4.5 निविदा हेतु समय – सीमा निम्नानुसार होगीः–

सीमित निविदा पद्धति	15 दिन
खुली निविदा (रू. 50,000 से अधिक रू. 10 लाख तक)	21 दिन
खुली निविदा (रू. 10 लाख से अधिक)	30 दिन
ग्लोबल निविदा	45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी ।

4.6 निविदा प्राप्ति की पद्धति :–

4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी । अथवा निर्धारित टेण्डर बाक्स में डाली जाएगी ।

4.6.2 रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के कार्यालयीन समय में 3.00 बजे अपरान्ह तक ही प्राप्त कि जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जाएगा ।

4.6.3 निविदा खोलने का समय,निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय के एक घंटे पश्चात् अर्थात उसी दिन 04.00 बजे अपरान्ह रखा जाएगा ।

4.6.4 निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा । एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा । सूरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा । तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा ।

4.6.5 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी , वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी । निविदा वापस करते समय निविदा के बन्द लिफाफे पर निविदा लौटोने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा ।

4.7 सुरक्षा निधि – केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्मे ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें , इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये । यह सुरक्षानिधि सफल निविदाकार की रोककर , शेष की 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए ं प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जाये ं इकाईयों द्वारा इस आशाय का प्रमाण , टेण्डर के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी ।

4.8 सुरक्षा निधि के प्रकार – सुरक्षा निधि की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा । निविदाकार को यह सुरक्षा निधि चालान से निम्न लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में /उप–खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन देन का कारोबार किया जात है, जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें ।

"8443– सिविल जमा राशियां 103– प्रतिभूति जमा "

निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है ।

4.9 क्रय की शर्ते– क्रय की शर्ते स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग–अलग अर्थ लगाया न जाकर विवाद की स्थिति निर्मित होने से बचा जा सके । क्रय केवल वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्मो से ही किया जाए ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बनें । शर्तो में एक शर्ते यह भी जोड़ी जावे कि वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र, जहॉ पर वाणिज्यिक पंजीयन आवश्यक हो, की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे । इसके अलावा फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उसपर कोई कर बकाया नहीं है, इस आशाय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र, जहॉ आवश्यक हो लिया जावे । यह शर्त भी जोडी जावे कि प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहॉ स्थित है, जहॉ से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा। दरो मे ंकरों का स्पष्ट उल्लेख हो । माल प्रदाय का स्थान भी दर्शित हो । इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी,मितव्ययिता का दृष्टिगत रखकर शासन हित में जो भी शर्त लगाना उचित समझे लगा सकता है ।

4.9.1 पूर्व में जारी संशोधन आदेश क्रमांक एफ–20–15/2003/11/(6) दिनांक 18/09/2003 को निरस्त किया जाता है एवं दर निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

राज्य के बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा दी गई दरों की तुलना राज्य में वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जाए । दर निर्धारण की इस प्रक्रिया का उल्लेख क्रेता विभाग द्वारा जारी निविदा या निविदा फार्म में किया जाए ।

4.10 नमूना लिया जाना– उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवयश्क है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे । यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है । यदि यह भी संभव नही हो जो करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा ।

4.11 निविदाओं को खोलना – उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है तो, प्राप्त निविदाएं एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावे । निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है । जो प्रतिनिधि उपस्थित हो उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावे ।

4.12 क्रय समिति का गठन– प्रत्येक कार्यालय में जहां प्रतिवर्ष रू. 50,000/– या इससे अधिक का क्रय किया जाता है ,एक क्रय समिति बनायी जावे । क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिर्वायतः सम्मिलित हो । इस समिति में कितने सदस्य हो इसके लिये सक्षम अधिकारी स्वविवेक से निर्णय ले सकते है, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियें को अवश्य सम्मिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों । क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी । सामान्यतः क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारी, समिति की अनुशांसा को मान्य करें । यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेगें ।

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय,निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मो के वित्तीय स्थिति, तकनीकी कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाये । जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए । यदि निविदर सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नही हुई है, तो पुनः निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना संभावित समस्त निविदाकारों को पहुंच सके ।

4.13 प्रदाय आदेश जारी करना – क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिये कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करें । यदि वह क्रय समिति की अनुशंशाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है । यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है उसको यह समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है । जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है,के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है । वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशाय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है । वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जावेगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, जिससे वह एक नियत समयावधि के अंदर एवं नमूने तथा मापंदड़ के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो । करार में अन्य शर्तो के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापंदड़ के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा । करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेंगी । शर्ते सभी स्पष्ट होनी चाहिये जिससे ं उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें । यह करारनामा स्टाम्प पेपर पर हो और करार विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे ं।

4.14 पुनरावृत्ति आदेश (**त्मचमंज व्तकमत**) को मूल आदेश के विरूद्ध दिया जा सकता है, किन्तु :–

(1) किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के एक वर्ष के बाद नहीं दिया जायेगा ।

(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा ।

(3) पुनरावृत्ति आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा ।

नियम–5 महत्तवपूर्ण संयंत्र एवं मशीने केवल उन्हीं फर्मो से प्राप्त की जायेगीं, जिनका नाम डी.जी.एस.एंड.डी. द्वारा पंजीकृत हो अथवा जिनका नाम समय–समय पर उनके द्वारा जारी सूची में सम्मिलित किया गया हो ।

5.1 ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें ऐसी फर्मो से निविदा प्राप्त हुई हो जिनका नाम पंजीयन सूची में न हो । यदि निविदा प्रथम दृष्टया संतोषप्रद हैं तो, उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, अपितु इस संबंध में डी.जी.एस.एंड़.डी से फर्म की दक्षता एवं स्तर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी ।

5.2 क्रयकर्त्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुएं निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जाएंगे।

नियम–6 विदेशों से क्रयः– ऐसी वस्तुएं जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीकी की हैं , उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा । यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा । यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से "ग्लोबल टेण्डर" बुलाकर क्रय किया जा सकेगा ।

नियम –7 जैसा कि नियम–3 में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट–1 के अनुसार वस्तुओं की दरों एवं शर्तो का निर्धारण करेगा । विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तो के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा । दरों व शर्तो के निर्धारण के लिये कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी ।

7.1 सीएसआईडीसी के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्त्ता अथवा उनके अधिकृत प्रदायकर्त्ता इकाईयों का पंजीयन किया जायेगा । अंतरिम व्यवस्था के रूप में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने तक डी.जी.एस. एण्ड डी. एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जायेगा ।

7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम–4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा । इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तद्अनुसार सूची प्रकाशित की जायेगी ।

7.3 सामान्यतः सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी ।

7.4 सीएसआईडीसी द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण करेगा । जिसमें समय–समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेगा ।

7.5 सीएसआईडीसी परिशिष्ट–1 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा ।

नियम –8 हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय :–

8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत गठित महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा ।

8.2 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेल मेटल, लौह, काष्ठ, बांस, शीशम, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृह में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री गामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा ।

8.3 समस्त विभागों द्वारा हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय आदेश "छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर " एवं "छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर" को ही प्रदान किया जावे ।

8.4 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री का निर्माण करती है तो ऐसी निर्माणकर्त्ता इकाई से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा ।

नियम –9 इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जानाा वर्जित नहीं है । ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा ।

नियम –10 प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे समक्ष अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा ।

नियम –11 सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा । प्राप्त किये जानेवाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्त्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्त्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे । विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है । भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा ।

नियम –12 निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजनाः–

वित्त संहिता भाग–1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें । अतः रूपए एक लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी ।

नियम –13 सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे उद्योगों को यथासंभव प्राथमिकता मिले ।

13.1 मूल्य अधिमान्यता :– क्रेता विभाग दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाईयों को 10ः (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान करेगा । उदाहरणार्थ यदि राज्य के बाहर स्थित उद्योग इकाई अथवा राज्य में स्थित मध्यम/वृहद इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रूपए 100/– है एवं राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई की दरों में न्यूनतम दर रूपए 110/– है तो क्रेता विभाग स्थानीय लघु उद्योग इकाई से सामग्री का क्रय रूपए 110/– में कर सकेगा ।

13.2 क्रय अधिमान्यता :– स्थानीय लघु उद्योग इकाईयों को राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5ः (पांच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता प्रदान की जायेगी । उदाहरणार्थ यदि राज्य के बाहर स्थित इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रूपए 100/– है एवं राज्य की लघु उद्योग इकाई की दर रूपए 115/– है, तो क्रेता विभाग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानीय लघु उद्योग इकाई को यह मौका प्रदान करे कि स्थानीय लघु उद्योग इकाई अपनी दर रूपए 110/– कर सके (10ः मूल्य अधिमान्यता सहित) । यदि राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई ऐसा करती है तो उसे उसकी पूर्ण क्षमता तक प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा ।

नियम –14 अन्य बातें समान रहने पर, आई.एस.आई. तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश में प्राथमिकता दी जायेगी ।

14.1 राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को राज्य के बाहर स्थित इकाई की तुलना में 10ः (दस प्रतिशत) की अधिमान्यता दी जाएगी । तदअनुसार राज्य की बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को अपनी दर रूपए 120/– से 110/– तक (10ः मूल्य अधिमान्यता सहित) लाने का अवसर दिया जाएगा और राज्य की बी. आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को उसकी पूर्ण क्षमता तक क्रय आदेश प्रदान किया जाएगा ।

नियम –15 भण्डार क्रय नियम से संबंधित मामलों में उपर्युक्त नियम तथा अन्य किसी नियम के अभाव में डी.जी.एस. एण्ड डी. के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा ।

क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :–

15.1 समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाईट का पता भी दिया जाए ।

15.2 निविदा का सामचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाए । इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिए यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे । निविदाकार बेबसाईट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जायेगी ।

15.3 ऐसे निविदाकारों से, जिन्होनें वेबसाईट से डाऊन लोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जायेगी ।

15.4 कुछ विशेष प्रकृति की सामग्री जिनका ई–टेण्डरिंग किया जा सकता है, ई–टेण्डरिंग के द्वारा निविदा आमंत्रित की जायेगी ।

नियम –16 विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा ।

––0000––

परिशिष्ट – 1

(नियम 3 एवं 7) संषोधित मार्च 2010

1. पेन्ट वारनीश और डिस्टेम्पर
2 टाफेल्ट, बिटूमेन प्राइमर, सीलिंग, कंपाऊंड, एक्सपानसन ज्वाइंट, फिलर ग्रेड–1 तथा बिटूमेन
3 एनामेल एण्ड पिगमेंट
4 टिम्बर
   - ए) सभी प्रकार के लकड़ी फर्नीचर
   - ब) दरवाजे खिड़की वअन्य भवन सामग्री
   - स) अन्य लकड़ी की वस्तुएं
5 स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम के बर्तन
6 कृषि उपकरण :–
   - अ. बेलचा
   - ब. कुदाली, गैती
   - स. फावड़ा
   - ड. धमेला
   - इ. सब्बल
7 **स्टील के पाईप (जी.आई.पाईप (केसिंग पाईप/राईजर पाईप) सहित)**
8 स्पन पाईप्स
9 एम.एस. पाईप्स व फिटिंग्स
10 कास्टिंग, आउसिंग एण्ड स्लॉटेड पाईप्स
11 जी. आई. वायर्स
12 ट्यूबलर स्ट्रक्चरल एण्ड पोल्स
13 स्टील रि–रोलिंग मिल के उत्पाद
   - क) राऊंड बार
   - ख) एंगल
   - ग) चैनल
   - घ) फ्लैट
   - ड) टी
   - ड़) स्क्वेयर बार
   - ड.) जाइस्ट
14 कास्टिंग :– मेनहोल कवर, गेट, सभी प्रकार के फेरस के नान–फेरस कास्टिंग, सभी प्रकार की स्टील कास्टिंग
15 स्लॉटेड एंगल व एसेसरीज
16 वायर रोप
17 सेनेटरी फिटिंग
18 जिप्सी हट/पंप हाऊस/पंप हाऊस कम आपरेटर रूप
19 जनरल इंजीनियरिंग :–
   - अ) आयरन कास्टिंग :– सी.आई. पाईप एण्ड स्पेशल्स, शीवेज फिटिंग व अन्य ड्रेनेज आयटम्स, सरफेस बाक्सेस, सरफेस प्लेट, मेन होल कवर, वेन्टशॉफ्ट्स, डिस्टेंस मार्कर, सी.आई. स्लूइस गेट, सी. आई. ज्वाइंट्स
   - ब) बिल्डिंग मटेरियल :–
     स्टील स्ट्रक्चर्स, ट्रेसेस, स्टील डोर, विन्डो, ग्रिल, स्टोरेज टैंक, रोलिंग शटर, सेन्टरिंग प्लेट, स्टील बेस फ्रेम, प्रेस्ड डोर व विन्डो
   - स) बारबेड वायर, एम.एस. वायर, वायर नोटिंग, लिंक चेन्स,
   - द) शीट मेटल गुड्स :– स्टील ट्रंक, बाक्सेस, ड्रम, कंटेनर, बकेट,
     आफिस स्टेशनरी आर्टीकल्स :–
     कान्फीडेंयिल बाक्सेस, रैक्स आदि
   - इ) सभी प्रकार के स्टील फर्नीचरर्स (आफिस व हास्पिटल के लिये)
   - फ) रोड साईन बोर्ड
20 जीप ट्राली, ट्रेक्टर ट्राली, वाटर टैंकर, अनेक साईजों व क्षमतानुसार ट्रालियां
21 केरोसीन स्टोरेज टैंक
22 एम.एस. स्लूइस गेट हैड रेगुलेटर
23 एम.एस. स्लूइस गेट/लीफ गेट व एसेसरीज
24 एम.एस. सीमलेसस पाईप
25 केमिकल प्रोडक्ट्स :–
   - अ) एसिड–सल्फयूरिक, नाईट्रीक, हाइड्रोक्लोरिक
   - ब) लाईम
   - स) डिस्टील्ड वाटर
   - द) शेलॉक
   - इ) एलम
   - फ) ब्लीचिंग पावडर
   - ज) फिनाईल
   - झ) टिंचर आयोडीन

ट) सोडियम हाईपोक्लोराईट

26 लेबोरेटरी फाईन केमिकल्स व एनालिटिकल रीएजेन्ट्स

27 इलेक्ट्रिक केबल व वायर, एल्यूमिनियम कंडंक्टर

28 इलेक्ट्रिकल आयटम्स :–

क) सीलिंग, टेबल व केबिन फैन्स
ख) हीटर्स
ग) विद्युत उपकरण
घ) आयरन क्लैड स्वीचेस
च) कॉपर टेप
छ) एयर कंडीशनर
ज) इक्यूबेटर्स
झ) आटो क्लेव
ट) एमीटर्स

29 इलेक्ट्रिक वोल्टेज इक्वीपमेंट्स :–

क) वोल्टेज बूस्टर
ख) ट्रांसफारमर्स
ग) आटोमेटिक वोल्टेज स्टेवीलाईजर
घ) लो वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टिंग ट्रांसफारमर्स
च) मोटर स्टर्टर
छ) आटो ट्रांसफारमर
ज) हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टिंग ट्रांसफारमर्स
झ) फेस शिफ्टिंग व फेस कन्वर्टर ट्रांसफारमर्स
ट) ओवन
ठ) फरनेस
ड) वाटर डिस्टीलेशन प्लांट
ढ़) केपेसीटर
त) इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट व मीटर्स

30 रूम कूलर डेजर्ट टाईप

31 वाटर कूलर

32 फ्लोरोसेंट लाईटनिंग फिक्सचर्स

33 टी सी बटन बीट्स व हैमर्स

34 ड्रिल रॉड

35 बैटरी

36 मेकेनिकल इंजीनियरिंग :–

क) अर्थ मूविंग मशीनरी व स्पेयर्स
ख) गन मेटल वाल्व
ग) न्यूमेटिक हैमर्स व स्पेयर्स
घ) वाटर वेल ड्रिलिंग रिंग्स व एसेसरीज
च) इंटरनल कम्बशन इंजीन
छ) अन्य इंडस्ट्रियल इंजीन

37 रोड इक्वीपमेंट :– वाइब्रेटर सभी प्रकार के, कांक्रीट मिक्सर, एसफाल्ट मिक्सर सभी प्रकार के, रैमर सभी प्रकार के, एसफाल्ट ड्रम लिफ्टर कम हीटर एसफाल्ट मिक्सिंग ट्रे, कोडल टाईप फोर्क, टारकेन, व्हील बारो, शीवल, ग्रेडेड मेटल स्क्रीन वअन्य सभी आयटम जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में उपयोग किये जाते हैं ।

38 मैथमेटिकल व सर्वे इक्वीपमेंट

39 लेबोरेटरी इक्वीपमेंट

40 फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट :–

अ) होज
ब) पम्प
स) फायर फाइटिंग्यूशर व रिफिल्स

41 वेल्डिंग ट्रांसफारमर व जनरेटर्स

42 जिम्नास्टिक आयटम्स

43 प्लास्टिक की वस्तुएं :– मोल्डेड

अ) फर्नीचर
ब) केन
स) टम्बलर
द) जार
इ) बकेट्स

44 एच.डी.पी.ई. एलम डोजिंग यूनिट
45 एच.डी.पी.ई. पाईप व फिटिंग्स
46 एच.डी.पी.ई. स्टोरेज टेंक
47 पालीयुरेथीन फ्लेक्सीबल, फोम मैट्रेक्स, पिलो
48 पी.वी.सी. पाईप व फिटिंग्स
49 पालीप्रोपलीन बैग
50 पोलीथीन बैग
51 सीमेंट
52 सीमेंट कास्टिंग पाईप, फिटिंग्स व टाइल्स
53 एस. डब्ल्यू पाईप
54 एस्बेस्ट्स सीमेंट पाईप, फिटिंग्स
55 स्टोन टाइल्स
56 सभी प्रकार के आर. सी. सी. पाईप व चैनल सैक्शन
57 स्टील सिलंडर रि–इन्फोर्समेंट आर.सी.सी. पाईप
58 आर.सी.सी.पोल
59 बाउंड्री कि. मी. पोल
60 फोटो कापीयर
61 इंटरकाम
62 **कम्प्यूटर एवं एसेसरीज**
63 फैक्स मशीन
64 टाईप राईटर (मैनुअल व इलेक्ट्रानिक)
65 मास्किटो नेट
66 तारपोलिन/एच.डी.पी.ई. तारपोलिन/एल.डी.पी.ई. व एच.डी.पी.ई. शीट वफिल्म, कैप कवर
67 टाटपट्टी
68 एनीमल/हैंड ड्रीवन ट्राली व कार्ट्स
69 इलेक्ट्रिक मोटर्स
70 डीजल इंजिन पंप
71 मोनो ब्लाक पंप
72 इन्सेक्टीसाइड्स, पेस्टीसाइड्स व फंगीसाइड्स फारमुलेशन
73 रबर टायर व ट्यूब
74 टरमाइड प्रुफ पावडर (दीपक मार पावडर)
75 बूट पॉलिश
76 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाईट
77 बल्ब
78 गमबूट/जूते तथा मोजे
79 कट आऊट
80 आर.सी.सी.ह्यूम पाईप
81 निःशक्त जनों के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण
82 कन्डक्टर
83 ए.सी.एस.आर.एल.एल्यूमीनियम एलॉय कन्डक्टर
84 होज पाईप (रबर)
85 क्लोरिन टेबलेट
86 क्लोरीसैफ
87 स्लेट बत्ती (पेनसिल)
88 ऑयल चॉक तथा मारकिंग पेन
89 हैण्ड पंप इंडिया मार्क 2 तथा स्पेयर पार्ट्स
90 सबमर्सिबल पंप
91 टूल किट
92 ब्रिक्स (फ्लाई ऐश)
93 सेरीकल्चर आयटम
94 ट्री गार्ड
95 वुडन ठेला
96 चॉक
97 रोलअप बोर्ड
98 टीन स्लेट
99 डस्टर
100 पेनल डोर वुडन
101 कंट्रोल पैनल
102 सायकल
103 थर्मोप्लास्टिक होज पाईप
104 आयरन रिमूव्हल प्लांट

105 स्टैंड अलोन वाटर प्यूरीफिकेषन सिस्टम
106 एल.ई.डी. लाईट
107 सी.एफ.एल. लाईट
108 12 स्टेषन मल्टीजिम उपकरण
109 फुटबॉल गोलपोस्ट
110 व्हॉलीबॉल नेटपोस्ट
111 खो–खो पोस्ट
112 फुटबॉल
113 ब्हॉलीबॉल
114 व्हॉलीबॉल नेट
115 डिस्कस (एथलेटिक उपकरण)
116 शॉट (एथलेटिक उपकरण)
117 जावेलीन (एथलेटिक उपकरण)

विलोपित

118 सिलाई मशीन
119 टूल किट्स (श्रमिक औजार)
- अ) राजमिस्त्री
- ब) इलेक्ट्रशियन
- स) प्लंबर
- द) पेण्टर
- इ) कारपेण्टर
- ई) रेजा कुली

120 ओजोनेटर
121 इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर
122 समस्त खेल उपकरण/सामग्रीः–
1. 12 स्टेषन मल्टी जिम के उपकरण/सामग्री
2. फुटबाल के उपकरण/सामग्री
3. व्हॉलीबॉल के उपकरण उपकरण/सामग्री
4. डिस्कस (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री
5. षॉट (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री
6. जेवलिन (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री
7. एथलेटिक के उपकरण उपकरण/सामग्री
8. आरचेरी के उपकरण/सामग्री
9. वेट लिफ्टिंग के उपकरण/सामग्री
10. रेसलिंग के उपकरण/सामग्री
11. कबड्डी के उपकरण/सामग्री
12. खो–खो के उपकरण/सामग्री
13. हॉकी के उपकरण/सामग्री
14. हैंडबॉल के उपकरण/सामग्री
15. जिम्नेस्टीक्स के उपकरण/सामग्री
16. स्वीमिंग के उपकरण/सामग्री
17. बेडमिंटन के उपकरण/सामग्री
18. टेबल टेनिस के उपकरण/सामग्री
19. वोषु के उपकरण/सामग्री
20. ताईक्वांडो के उपकरण/सामग्री
21. साईक्लींग के उपकरण/सामग्री
22. बॉक्सींग के उपकरण/सामग्री
23. जूडो के उपकरण/सामग्री
24. बास्केट बॉल के उपकरण/सामग्री

123 एल.सी.डी.मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर (स्ब्क डनसजपउमकपं च्तवरमबजवत)
124 चैन सॉ
125 ब्रष कटर
126 पॉवर आपरेटेड मिस्टब्लोवर
127 पॉवर आपरेटेड कल्टीवेटर पोलपुर्नर
128 अर्थ आरगन मषीन
129 फॉगिंग मषीन
130 फाईबर से बने उत्पाद (डस्टबिन, सीट, ट्रेफिक–कोन)
131 एच.ई.एफ. (हाई इफिसियेन्सी फ्लोरिंग डनेज मटेरियल आईएसः 1322–1993)

परिषिष्ट – 2

नियम 4.4.2

(निविदा सूचना का प्रारूप)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक .....

..... की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से ..... (सामग्री का नाम) प्रदान करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र अधोहसताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रू.....नगद भुगतान कर दिनांक ..... के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है ।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि ..... समय .....

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि ..... समय .....

निविदा खोलने की तिथि ..... समय ..... स्थान .....

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

विपणन प्रभाग

ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत् संचालित दर निर्धारण प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम–3 के तहत् परिशिष्ट–1 सम्मिलित सामग्री के दर निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार की जाती है ।

अ 1 सामग्री के तकनीकी मापदण्ड का निर्धारण ।

2 सामग्री के दर निर्धारण के लिये ई–निविदा सूचना (NIT) का प्रकाशन ।

3 ई–निविदा सूचना (NIT) का प्रकाशन का ई–प्रोक्यूरमेंट की साईट CSIDC.cge-procurement.gov.in में अपलोड करना ।

4 प्रकाशित ई–निविदा सूचना (NIT) में सम्मिलित सामग्री के लिये अनुमोदित तकनीकी मापदण्ड के अनुसार ई–प्रोक्यूरमेंट की निर्धारित प्रक्रिया के तहत् ऑन लाईन टेंडर दस्तावेज (निर्धारित ई–निविदा प्रपत्र, तकनीकी मापदण्ड, रेट अनेक्सर एवं समय सारणी) की तैयारी कर साईट CSIDC.cg e-procurement.gov.in में अपलोड करना ।

ब 5 ई–निविदा के समय सारणी अनुसार ऑन लाईन तकनीकी बिड् को Open की कार्यवाही करना ।

6 खोले गये तकनीकी बिड दस्तावेज प्रकरण में संलग्न निविदा की सामान्य अनिवार्य शर्तों Contents of Envelop-A (List of Essential Documents to be submitted alogwith Technical Bid) के तहत् परीक्षण तथा तकनीकी पात्रता की कार्यवाही की जाती है ।

7 खोले गये वित्तीय बिड् दस्तावेज अनुसार दर निर्धारण के लिये में निविदा क्रय समिति की बैठक में दरों का परीक्षण/अवलोकन किया जाता है ।

अ ई–निविदा में प्राप्त एल–1 दर

ब ई–निविदा में प्राप्त एल–1 दर की सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिये उक्त सामग्री के सीएसआईडीसी की पूर्व दर (LPP) अथवा, एमपीएलयूएन की दर (LPP) अथवा, डीजीएसएण्डडी की दर (LPP) को आधार मान्य किया जाता है । दर निर्धारण हेतु पिछले वर्ष के दर एलपीपी के निर्धारित तिथि से अद्यतन एक वर्ष तक के अंतराल तक के उक्त सामग्री के कच्चा माल एवं उपरी व्यय में राष्ट्रीय प्राईज इण्डेक्स के अनुसार दर्ज कमी/वृद्धि की गणना के उपरांत एलपीपी में जोड़कर प्राप्त दर तथा एल–1 दर दोनों में से जो कम हो उक्त दर को दर निर्धारण हेतु निविदा क्रय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है ।

स 8 ई–निविदा के तहत् उपरोक्त प्रक्रियों के अंतर्गत् निर्धारित दर के अनुसार दर अनुबंध निष्पादन के लिये पात्र निविदाकार इकाईयों के पक्ष में काउंटर ऑफर पत्र जारी करना ।

9 निविदाकार इकाईयों से प्राप्त काउंटर ऑफर सहमति पत्र एवं प्राप्त होने के उपरांत इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही करना ।

10 ई–निविदा के तहत् निष्पादित दर अनुबंधित इकाईयों की जानकारी सीएसआईडीसी की वेब साईट पर सुलभ संदर्भ हेतु अपलोड कराना ।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : कार्या.– 0771–2583792–93, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N, ST Regn No. AABCM6288NSD004

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

परिपत्र

विषयः– सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा क्रय समिति (Tender Purchase Committee) की बैठक के संबंध में।

सीएसआईडीसी द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित अगस्त 2004) के तहत् आरक्षित सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु दिनांक 07.06.2013 को 03.00 बजे अपरान्ह निविदा क्रय समिति की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें निम्नलिखित सामग्री का दर निर्धारण किया जाना हैः–

1. Steel Furniture (Part-II)

सर्वसंबंधितों से नियत तिथि / समय पर सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) उद्योग विभाग, (रिंग रोड नं.–1 खनिज भवन के सामने) में अपने प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु अनुरोध है।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, अनुसुचित जाति जनजाति विकास विभाग,रायपुर ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. संचालक, महिला बाल विकास विभाग, रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,रायपुर।
5. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग रायपुर।
6. प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग, रायपुर ।
7. अपर संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर ।
8. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिक विकास विभाग, रायपुर ।
9. कार्यपालन अभियंता,लोक निर्माण विभाग वि / यॉ संभाग रायपुर ।
10. उप निदेशक, डीजीएसएण्डडी, सेक्टर 1,स्ट्रीट–10 ओल्ड टेलीग्रॉफ भिलाई को सूचनार्थ।
11. मुख्य अभियंता,(निरीक्षण) प्रोजेक्ट एण्ड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमि, चौथी मंजिल कोरया रोड़ 67 सेक्सपीयर सारणी कोलकता पश्चिम बंगाल।
12. मुख्य महाप्रबंधक इंस्पेस्शन राईटस लिमि, चर्च गेट स्टेशन रोड़ सेकेन्ड फ्लोर एम.के.रोड़ मुम्बई महाराष्ट्र।
13. मेनेजर (आपरेशन) एस.जी.एस. इंडिया लिमि,43 आरआर आरकेट जोन–2 एमपी नगर भोपाल (म.प्र.)
14. उपप्रबंधक, वित्त, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
15. इन्सपेक्शन इंजीनियर, इंडियन रजिस्ट्रर ऑफ शिपींग, फ्लेट नं. 304, ब्लॉक–ए अशोका हाइट, मोवा छ. ग. रायपुर।
16. प्रभारी अधिकारी, पीएस– 02 विपणन शाखा, सीएसआईडीसी, रायपुर।
17. तकनीकी कक्ष, विपणन शाखा, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
18. निज कक्ष, प्रभारी विपणन–1, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
19. आदेश नस्ती।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : कार्या.– 0771–2583792–93, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N, ST Regn No. AABCM6288NSD004

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

परिपत्र

विषयः– तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक के संबंध में।

सीएसआईडीसी द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित अगस्त 2004) के तहत् आरक्षित सामग्रियों के तकनीकी बीड मूल्यांकन हेतु दिनांक 07.06.2013 को 03.30 बजे अपरान्ह तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें निम्नलिखित सामग्रियों का तकनीकी बीड मूल्यांकन किया जाना हैः–

1. ISI Mark Barbad Wire
2. A.C. Pressure Pipe
3. Fly Ask Bricks
4. D.I. Pipe
5. Sport Items (Football & Volley ball)
6. Sport Items (Multi Gym – 12 Station)
7. Sport Items (Discus, Shot Put, Javelin)
8. Water Cooler

सर्वसंबंधितों से नियत तिथि / समय पर सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) उद्योग विभाग, (रिंग रोड नं.–1 खनिज भवन के सामने) में अपने प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु अनुरोध है।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, अनुसुचित जाति जनजाति विकास विभाग,रायपुर ।
2. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर। राजभवन के पीछे।
3. संचालक, महिला बाल विकास विभाग, रायपुर।
4. आयुक्त नगर पालिका निगम रायपुर को सूचनार्थ।
5. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर।
6. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, रायपुर।
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,रायपुर।
9. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग रायपुर।
10. प्रमुख अभियंता ,लोक निर्माण विभाग रायपुर ।
11. अपर संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर ।
12. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिक विकास विभाग, रायपुर ।
13. उप निदेशक, डीजीएसएण्डडी, सेक्टर 1,स्ट्रीट–10 ओल्ड टेलीग्रॉफ भिलाई को सूचनार्थ।
14. मुख्य अभियंता,(निरीक्षण) प्रोजेक्ट एण्ड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमि, चौथी मंजिल कोरया रोड़ 67 सेक्सपीयर सारणी कोलकता पश्चिम बंगाल।
15. मुख्य महाप्रबंधक इंस्पेस्शन राईटस लिमि, चर्च गेट स्टेशन रोड़ सेकेन्ड फ्लोर एम.के.रोड़ मुम्बई महाराष्ट्र।
16. मेनेजर (आपरेशन) एस.जी.एस. इंडिया लिमि,43 आरआर आरकेट जोन–2 एमपी नगर भोपाल (म.प्र.)
17. इन्सपेक्शन इंजीनियर, इंडियन रजिस्ट्रर ऑफ शिपींग, फ्लेट नं. 304, ब्लॉक–ए अशोका हाइट, मोवा रायपुर।
18. प्रभारी अधिकारी, पीएस– 01,02,05,08,09,10 विपणन शाखा, सीएसआईडीसी, रायपुर।
19. तकनीकी कक्ष, विपणन शाखा, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
20. निज कक्ष, प्रभारी विपणन–1, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
21. आदेश नस्ती।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

Bid Submission Fee: Rs. 740
-

NON TRANSFERABLE

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)

Marketing Division

1st Floor Udhyog Bhawan Ring Road No. 1, Telibandha Raipur (C.G.) 492006
(Ph : 0771-2583791 Fax : 0771-4091879 website : www.csidc.in, mail : csidcrpr@sify.com)

Tender Form

(NIT NO. ----- DATED ----------)
(Name of Store----------)

This booklet consists of:-

a) CSIDC Form No. 4 - Invitation to Tender
b) CSIDC Form No. 4 (A)- Acceptance of Terms & Conditions
c) CSIDC Form No. 5 - Schedule to Tender
d) CSIDC List No. 1 - Questionnaire
e) CSIDC Form 1 - General Conditions of Contract, Special Conditions Governing Rate Contracts, Special Conditions Governing Plant & Machinery
f) CSIDC Form 2 - Instructions to Tenderers and Direct Demanding Officers / Consignees
g) Appendix Form 4 - **INFORMATION & INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS FOR e PROCUREMENT SYSTEM**

Note :

1. Suppliers registered on Go CG e-Procurement Portal can download tender document free of cost from the sub portal http://csidc.cgeprocurement.etenders.in The tender documents containing detailed terms & conditions are available for free download on Go CG e-Procurement Portal **http://cgeprocurement.etenders.in** through sub portal of Chhattisgarh State **Industrial Development** Corporation Limited.

http://csic.cgeprocurement.etenders.in. Bidders have to quote their prices online along with Technical and Commercial bids in prescribed formats on the above mentioned portal only.

2. The Tender will be opened online in the presence of the tenderers or his / their representative who may choose to be present
3. Any kind of alteration / deletion in Tender Specifications, Terms and Conditions over the web based Tender Document, will not be accepted by the department what-so-ever may be the reason & such offer will be considered non-responsive & is liable to be ignored.

The Bidders intending to participate in this Tender are required to get enrolled on the above mentioned website and get empanelled on the Sub – Portal (if Required) of Chhattishgarh State Industrial Development Corporation Limited. Enrolment on the above mentioned Portal is mandatory.

As the online Bids are required to be digitally signed, Bidders are required to obtain Class – II Digital Signature Certificates (DSCs). The Bidders may contact **M/s NexTenders (India) Pvt. Ltd., "Saket" B-31, Shailendra nagar Raipur – 492001, Tel. No. +91 771 4079400, 4221020, 4221023 through Email ID – raipur@nextenders.com.**

The Bidders are also invited to get themselves trained on the operations of the e-Procurement System. Bidders may get in touch with the Service Provider of the e-Procurement System for confirming the time and date for their training session.

CSIDC Form No. 4
INVITATION TO TENDER

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT COPRORATION LIMITED
A GOVERNMENT OF CHHATTISGARH UNDERTAKING

TENDER ENQUIRY NO. …… Date ……
Tender document can be downloaded online free of Cost from Portal http://csidc.cgeprocurement.gov.in. No. …… Date ……

To,
M/s …….
……
……

Dear Sir,
On behalf of the Governor of Chhattisgarh. Online tenders are invited in Two Bid System (Technical Bid & Financial Bid) for the supply of stores detailed in said schedule.

2. The conditions of contract which will govern any contract made are contained in Pamphlet entitled General conditions of contract (GCC) applicable to contracts placed by the Central Purchase Organization of Government of Chhattisgarh CSIDC Form-1 and Instructions to DDO's contained in Form-2 as amended upto date and those contained in the Schedule containing the various instructions to tender quoting against the tender issued by the C.S.I.D.C. Any special conditions attached to this invitation to tender will also form part of the conditions.

   In case of any dispute, the above mentioned books in English language will be final.

3. The above Schedules and CSIDC Form 1 & 2 can be obtained Online

4. If you are in a position to quote for supply in accordance with the requirements stated in the attached tender, CSIDC form No. 4(A) & 5 attached herewith, should be duly filled online and digitally signed. You must also furnish with your tender all the information called for as indicated in the Schedule & CSIDC Forms. A list of questions to be answered is attached, which should also be returned with the tender, failing which your tender will be liable to be ignored and not considered.

5. Tender shall be submitted online.

Yours Faithfully

Chief General Manager (Mkt.)

CSIDC form No.- 4 (A)

To,

The Managing Director
Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.
Raipur

Dear Sir,

I/we hereby offer to supply the stores detailed in the schedule here or such portion thereof as you may specify in the acceptance of tender at the price given in the said schedule and agree to hold this offer open till.....I/we shall be bound by a communication of acceptance dispatched within the prescribed time.

2. I/we have understood the General Condition of Contract contained in CSIDC Form no. 1 & Instructions to DDO's / Consignees contained in CSIDC Form no. 2 and have thoroughly examined the specifications drawing and, or, pattern quoted in the schedule placed hereto and am/are fully aware of the nature of the stores required and my/our offer is to supply stores strictly in accordance with the requirements.

3. The following pages have been added to and form part of this tender.....

Signature of Tenderer

1. Full name & address of the person signing (in block letters)

2. Whether signing as Proprietor / Partner / Constituted Attorney duly authorized by the Company

CSIDC Form No. 5
SCHEDULE TO TENDER

CHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPN. LTD.
(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
1st Floor Udhyog Bhawan Ring Road No. 1, Telibandha Raipur (C.G.) 492006

1. Tender Enquiry No. (Please See Annexure - A)
2. Tender to be submitted online : (Please See Annexure - A)
3. Time & Date: (Please See Annexure - A)
4. Tender shall remain valid for acceptance for a period of 90 days from the actual date of tender opening (if declared a holiday, the offer shall remain valid till 90 days from the next working day)
5. Period of R/C : (Please See Annexure - A)
6. Estimated drawls : Not Yet Assessed
7. On behalf of the Governor of Chhattisgarh, sealed tender in Two Bid System (Technical Bid & Financial Bid in separate covers) on the prescribed forms are invited for conclusion of rate contract from the Units either Registered with DGS&D/NSIC any DTIC of Chhattisgarh for the following Items :

Item No.	Description of stores	Unit	Rate Per unit (Rs.)
1.	(Please See Annexure - B) (Specification)		Rates to be quoted in Rate Annexure enclosed with Annexure - B

Note : The tenderer shall indicate prices in figures & words clearly.

8. Terms of Delivery : Prices should be quoted on FOR destination basis.
9. EXCISE DUTY, SALES TAX / VAT / OCTROI & LOCAL TAXES : A) Excise Duty

The Tenderers must clearly indicate the rate / quantum of Excise Duty applicable and payable by them irrespective of the fact whether the quoted prices are inclusive or exclusive of Excise Duty. They should also indicate their Excise Duty Registration. In the case of Small Scale Industrial Units, they should indicate the rates of Excise Duty in various turnover slabs.

If a tenderer states that the Excise Duty is NIL, he must quote and enclose the basis for the same and also confirm that no Excise Duty will be charged by him under any circumstances.

If a tenderer states that the Excise Duty is not applicable at present but will be charged extra if it becomes applicable later on, their offer will be loaded by the normal rate of Excise Duty for the equitable comparison of prices. If however, the tenderer confirms that they shall not charge any Excise Duty even if it becomes payable at a later date for whatever reasons, no loading of Excise Duty in such a case will be done.

The tenderer should furnish the details of their turn over and the Excise Duty paid by them in the last three financial years in the following formats:-

Financial Year	Total Turnover	Total Excise Duty Paid	Excise Duty Paid On subject stores
Last			
One Year Before			
Two Years Before			

B) Sales Tax / VAT

Tenderer should indicate whether the prices quoted are exclusive or inclusive of sales tax / VAT. They should indicate the rate(s) of Local Sales Tax as well as Central Sales Tax with and without concessional Forms. In case, they are exempted from payment of sales tax / VAT, a copy of the Exemption Certificate issued by the appropriate authority may be furnished.

C) Octroi and Local Taxes

Normally the stores supplied to Government Departments against Government Contracts are exempted from levy of Town duty, Octroi Duty, Terminal Tax and other levies of local bodies against production of Exemption Certificate from authorized officers. Whenever required, the Contractors should approach the Purchaser / Indentor / Consignee for the same in time along with dispatch details to avoid payment of such local taxes or duties.

Provisions as per clause 13 & 14 of CSIDC Form 2 may also be referred.

10. DISCOUNT : Please indicate quantity/slab discount offered.

11. Earnest Money Deposit :

a) Tenderers are required to furnish Earnest Money Deposit as indicated in **NIT** . The earnest money will be submitted in the form of Demand Draft only in favor of Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. payable at Raipur & drawn on any scheduled commercial bank.

b) The Small Scale units & Cottage Industries situated in the State of Chhattisgarh & registered with District Trade & Industries Centre (DTIC) **will be exempted from furnishing of Earnest Money Deposit.** on production of competency certificate from DTIC **Valid as on Date on NIT**

c) No interest will be payable on the Earnest Money Deposit.

d) The Earnest Money of the unsuccessful tenderers shall be refunded within a limit of 90 days.

e) Earnest Money of successful tenderer shall be kept with CSIDC Ltd. till the Currency of Contract. In case of R/C, Earnest Money Deposit will be kept for another period of three months from the date of expiry of Rate Contract.

12. GENERAL TERMS & CONDITIONS

i). General Terms & Condition governing Contract concluded by CSIDC are contained in form No. 1. Tenderer is advised to go through all terms and conditions carefully as it will form the part of this tender and resultant contract. Terms and conditions given in this SCHEDULE TO TENDER will override the general terms and conditions where ever applicable.

ii) Delayed/Late Tender i.e. received after the specified time of its receipt will not be accepted.

iii) Offers submitted from any station other than for which the Manufacturerr has given authorization to the tenderers, will be rejected.

iv) Prices shall be firm & final during the currency of the contract.

v) Price should be quoted on FOR destination basis.

vi) Letter head /Telegraphic / Telex / Fax quotations without complete tender documents will be summarily ignored.

vii) Tender with shorter validity than asked for will be ignored.

viii) Tenders either not indicating the delivery period or indicating in vague terms such as "immediately" or "as early as possible" which is not same as per Delivery Period indicated in Tender Enquiry, shall be summarily rejected.

ix) There should be no ambiguity in the offer. If offer contains ambiguous stipulations or avoids specific reply to the queries in the tender documents, such offers are liable to be ignored.

13. A. Tenderers may please note that the contract shall be awarded only if firm is registered with valid DGS&D/NSIC **(As on date of NIT)** under single point Registration **or Registration/License issued by Govt. of India , Ministry of Industries,** (For Quoted Item) for units located outside the Chhattisgarh State.

B. For units located in Chhattisgarh State, the units should have permanent registration certificate or memorandum issued by concerned DTIC, or Registered/License in Ministry of Industries, G.O.I. (For Quoted Item)

14. DELIVERY PERIOD : Please indicate guaranteed monthly rate of supply

15. PRE DESPATCH INSPECTION

a) Inspection Authority : As mentioned in Rate Contract.

b) Inspecting Officer : As mentioned in Rate Contract.

16. MODE OF TRANSPORT : : By Rail / Road

17. a) PAYING AUTHORITY : Payment will be made directly by the DDO who will indicate the paying authority in the supply order.

b) PAYMENT TERMS : As per clause 19 of CSIDC Form 1(A)

c) INSPECTION CHARGES : As mentioned in Rate Contract. Inspection charges is to be deposited by the supplier to the Inspecting Officer at the time of giving Inspection Call. The amount will be reimbursed by the paying authority.

18. NAME OF PURCHASER : Governor of Chhattisgarh State

19. STORES REQUIRED AT : Various places in Chhattisgarh State.

20. SUBMISSION OF TENDER : Tenders are to be submitted online in Two Bid System (Technical Bid & Financial Bid in online forms meant to fill the technical and financial details in respective envelopes).

In this regard, there will be online envelops Tenderers have to submit their **TECHNICAL BID** And Scan copy of **EMD** / Competency Certificate in **TECHNICAL BID ENVELOP – A** and

FINANCIAL BID in **FINANCIAL BID ENVELOP.** All Bids should be submitted online before the Due Date and Time.

Tenderer should comply with following conditions with supporting documents, failing which tender is liable to be rejected :-

Contents of Envelop – A
(List of Essential Documents to be submitted alongwith Technical Bid)

	Within The State of C.G.	**Out side The State of C.G.**
1	2	3
(i)	Valid DTIC-EM.PART-II Registration Certificate for the quoted items OR Valid DGS&D Registration Certificate Valid as on date of NIT for the quoted item OR Valid NSIC Registration Certificate Valid as on date of NIT for the quoted item	Registration/License issued by Govt. of India, Ministry Of Industries for the quoted items OR Valid DGS&D Registration Certificate Valid as on date of NIT for the quoted item OR Valid NSIC Registration Certificate Valid as on date of NIT for the quoted item
(ii)	Income Tax Permanent Account Number (PAN No.)	Income Tax Permanent Account Number (PAN No.)
(iii)	(A) Valid Sales Tax/Commercial Tax / CST /TIN No. (B) Central Excise Registration Certificate If Applicable	(A) Valid Sales Tax/Commercial Tax / CST / TIN No. (B) Central Excise Registration Certificate If Applicable
(iv)	EMD in the form of demand draft favoring CSIDC Ltd. OR The Small Scale units & cottage industries situated in the State of Chhattisgarh & registered with District Trade & Industries Centre (DTIC) will be exempted from furnishing of Earnest Money Deposit, on production of competency certificate from DTIC, Valid as on date of NIT.	EMD in the form of demand draft favoring CSIDC Ltd.
(v)	BIS License valid as on date of NIT for the quoted items if store required is ISI Marked.	BIS License valid as on date of NIT for the quoted items if store required is ISI Marked.
(vi)	Copy of Agency Agreement Annexure IV and Undertaking as per Annexure-II &III if quoting as Authorized Agent/Distributor.	Copy of Agency Agreement Annexure IV and Undertaking as per Annexure-II & III if quoting as Authorized Agent/Distributor.
(vii)	Technical Compliance Statement as per Annexure-V	Technical Compliance Statement as per Annexure-V
(viii)	Notarized Copy of Certificate of Operational Condition of the Firm shall be furnished as per Annexure-I	
(ix)	(a) Current Sales Tax/CST/VAT Clearance Certificate. (b) Commercial Tax/CST Registration Certificate in which quoted store item must be enlisted.	(b) Current Sales Tax/CST/VAT Clearance Certificate. (b) Commercial Tax/CST Registration Certificate in which quoted store item must be enlisted.
(x)	Details of supplies made during last three years to Central/State Government Departments with performance certificate from end user If the manufacturer Unit registered since last five years	Details of supplies made during last three years to Central/State Government Departments with performance certificate from end user If the manufacturer Unit registered since last five years
(xi)	Complete Catalogue/Literature for the items quoted.	Complete Catalogue/Literature for the items quoted.

(xii)	Performance Statement as per Annexure-VI for CSIDC Rate Contract holders duly checked and countersigned by the agency duly authorized by CSIDC in Rate Contract issued to the firm.	Performance Statement as per Annexure-VI for CSIDC Rate Contract holders duly checked and countersigned by the agency duly authorized by CSIDC in Rate Contract issued to the firm.
(xiii)	**Valid ISO 9001 and/or ISO 14001 certificate as on tender date if called for under Special Condition**	**Valid ISO 9001 and/or ISO 14001 certificate as on tender date if called for under Special Condition**

NOTE : 1. The documents listed from sl.no. (i) to (viii) must be submitted alongwith the Technical Bid failing which the bid will not be considered for opening of Financial Bid.

2. The documents listed from sl.no. (ix) to (xiii) must be submitted prior to execution of rate contract if not submitted with the technical Bid.

3. Any deviation in above conditions will disqualify the bidder for opening of Financial Bid contained in Envelope – B.

Contents of Manual Envelope – A

i) Earnest Money Deposit of Rs. (Please See NIT) which can be deposited in the form of Demand Draft only in favor of Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. payable at Raipur & drawn on any scheduled commercial bank.

Contents of Online Envelope – B

i) Financial Bid is to submitted online in this envelope

21. EVALUATION OF TENDER : For evaluation of tenders, the price comparison of Manufacturing Units situated out of Chhattisgarh State will be compared inclusive of Sales Tax / VAT vis – a – vis manufacturing units Chhattisgarh excluding Local Sales Tax / VAT.

22. PRICE PREFERENCE : For fixation of rates, the SSI manufacturing units located in Chhattisgarh State will be given 10% price preference over Medium & Large scale Units and also against the Small Scale Units situated outside the State of Chhattisgarh.

23. PURCHASE PREFERENCE : Manufacturing SSI units situated in Chhattisgarh State will be given 5% Purchase Preference over the manufacturing units situated outside the State. In case, manufacturing unit of Chhattisgarh State holds a valid BIS License as on date of tender opening, it will be given 10% Purchase Preference over the manufacturing units located out of the State.

24. PERFORMANCE OF RATE CONTRACT HOLDING FIRMS : If participating tenderers was a Rate Contract holder, following performance criteria will be kept in view while finalizing the rate contract :-

1. The minimum performance level against current rate contracts as on cut off date (Please see Annexure – A) should not be less than 85%.
2. The Tenderers, who held rate contract immediately preceding the current rate contract should not have a backlog exceeding 5% of the total quantity ordered against such previous rate contract on the cut off date (Please see Annexure – A)
3. There should be no backlog in respect of earlier such rate contract to the one referred above.
4. Any contractor having performance level lower than 85%, 95%, 100% respectively as mentioned above, may not be awarded the next rate contract even if eligible on other grounds. However, the purchaser reserves the right to consider the firms who have executed / supplied stores to lower extant.

The Rate Contract holding firms are required to submit performance report for rate contract of subject item (s) held by them alongwith the tender, or (as per Note's point no-2) forming its integral part showing their performance upto the cut off date in the format as per Annexure - IV. Two copies of this report should be furnished by the firm to the inspecting officer of area concerned with request to verify the correctness and return them duly verified and stamped for submission with their tender.

25. AVAILABILITY OF TENDER ENQUIRY : The Tender Enquiry can be seen on the portal http://csidc.cgeprocurement.etenders.in .The Tender document can be downloaded free of cost from the above mentioned portal.

. Tender must be submitted online

26. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS : (Please See Annexure – A)

27. TENDER ENQUIRY CONSISTS OF THE FOLLOWING :

g) Invitation to Tender - CSIDC Form No. 4
h) Acceptance of Terms & Conditions CSIDC Form No. 4 (A)
i) Schedule to Tender – CSIDC Form No. 5
j) Questionnaire – CSIDC List No. 1
k) General Conditions of Contract, Special Conditions Governing Rate Contracts, Special Conditions Governing Plant & Machinery - CSIDC Form 1
l) Instructions to Tenderers and Direct Demanding Officers / Consignees - CSIDC Form 2

NOTE :

1) Scanned copy of Photocopies of all documents submitted should be duly attested by the tenderer with his dated signature indicating name & designation.

2) "TENDERS ARE TO BE SUBMITTED online IN TWO BID SYSTEM (TECHNICAL BID & FINANCIAL BID). IN THIS REGARD, there will be online ENVELOPS THE TENDERERS ARE TO SUBMIT THEIR BID ONLY IN THE online ENVELOPS PROVIDED TENDERERS HAVE TO SUBMIT THEIR **TECHNICAL BID and ,** EMD / COMPETENCY CERTIFICATE IN online **TECHNICAL BID ENVELOP A** AND **FINANCIAL BID** IN online **FINANCIAL BID ENVELOP**-B BEFORE THE DUE DATE AND TIME. THE DETAILS OF ALL ENVELOPS MUST BE FILLED OTHERWISE THE TENDER WILL BE REJECTED."

3) CSIDC reserves right to call for Capacity Report on Firms from any Government / Semi Government Technical Agency.

UNDERTAKING BY THE TENDERER

"IT IS CONFIRMED THAT ALL TERMS & CONDITIONS CONTAINED IN CSIDC FORM 1 & 2 AND THOSE MENTIONED IN THIS TENDER ENQIRY HAVE BEEN UNDERSTOOD AND ACCEPTED. ".

Full Name and address of the person signing
(in block letters).

Whether signing as Proprietor/Partner/ Constituted
Attorney duly authorized by the Company.

CSIDC List No. 1

TENDERERS SHOULD FURNISH SPECIFIC ANSWERS TO ALL QUESTIONS GIVEN BELOW, TENDERERS MAY PLEASE NOTE THAT IF THE ANSWER SO FURNISHED ARE NOT CLEAR AND/OR ARE EVASIVE, THE TENDER WILL BE LIABLE TO BE IGNORED

1. Tender No. ..... Due for opening on.....

2. Offer is open for acceptance **90 days..... (Yes or NO)**

3. Whether the stores offered fully confirm to the technical particulars and Specification/Drawing, specified in the schedule to tender. If not, mention the details of deviations. (Please scanned the copy of Annexure-**V**) **Yes/NO**

4. Brand of store offered, if any.

5. Name and address of Manufacturer.& Telephone /mobile/fax no. **Email address**.

6. Station of Manufacturer.

7. What is your Permanent Account No. (PAN)

8. A. What is your Commercial Tax /VAT Registration /**CST**/TIN Certificate ?

   B. What is your Central Excise Registration No .(Please Scan Copy) If Applicable

9. Status
   (A) Indicate whether you are Large/Medium/Small/Micro Industry
   (B) Indicate whether The unit is established by SC/ST/OBC entrepreneur.
   (C) Are you registered with DGS&D/NSIC/DTIC-EM Part-II for the Item Quoted ? if so, indicate whether there is any monetary Limit on Registration
   (D) In case you are registered with NSIC under single point Registration scheme/ DGS&D/ DTIC-EM Part-II or **Registration /License issued by Govt. of India, Ministry of Industries** (For Quoted Item) for units located within the state & outside the State for the quoted items valid as on date of **NIT**. For the item quoted, confirm whether you have attached a photo copy of the valid registration certificate indicating the item for which you are registered.

10. Please Indicate :
    Name & full address of your Banker / Principal Banker.

11. Please furnish your performance statement in the prescribed form. (Annexure - **VI**)
12. Please state whether you have submitted the tender sample (if called for in the tender Enquiry). If so on what date. Please also state if you have remitted testing fee and if so on what date (furnish proof).
13. Please state whether you agree to submit advance sample, if called upon to do so within the specified period of 21 days.
14. Please indicate guaranteed date by which delivery can be completed. Also indicate monthly rate of supplies and also time required for commencement of supplies from the date of receipt of formal order/approval of advance sample.
15. Business Name and Constitution of the firm. Is the firm registered under :—
    (1) The Indians Companies Act 1956.
    (2) The Indian Partnership Act 1932.
    (Please also give name of Partners)
    (3) Any Other Act,
    (4) if not who are owners.
    (Please give full name and address)
16. Whether the tendering firm is :–
    (1) Manufacturers
    (Please indicate full address)
    (2) Manufacturer's authorized agent.
    (Please indicate full address)
    N.B. : If Manufacturer's agent, please enclose Notarized Copy of Manufacturer's authorization / agency agreement. on Rs. 50 non judicial Stamp Paper as per Annexure-**IV**
17. Do you agree to sole arbitration by any officer to be appointed as arbitrator by the C.S.I.D.C. as mentioned in Clause-24 of CSIDC Form 1 the General conditions of contract (Your acceptance or non acceptance of this clause will not influence the decision of the tender. It should however, be noted that an omission to answer the above question will be deemed as an acceptance of the Clause).
18. If Partnership firm, state whether you are registered under Indian Partnership Act 1932, should the answer to this question be in affirmative please state further :–
    (a) Whether by the partnership agreement, authority to refer disputes concerning the business of the partnership to arbitration has been conferred on the partner who has signed the tender.
    (b) If the answer to (a) is in the negative, whether there is any general power of attorney executed by all the partner of the firm authorizing the partner who has signed the tender to refer dispute concerning business of the partnership to arbitration.

    If either (a) or (b) is in Affirmative, have you already furnished a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case maybe to C.S.I.D.C. please quote reference to the communication by which this was done.

Note: If a copy of neither partnership agreement nor the general power of attorney has previously been furnished to the C.S.I.D.C. please attach to the tender a copy of either document on which reliability is placed for authority of partner or the partners signing the tender to refer disputes to arbitration. The copy should be attested by a Notary public or its execution should be admitted by the affidavit on a properly stamped paper by all the partners.

2. If authority to refer disputes to arbitration has not been given to the partner signing the tender the tender must be signed by each and every partner of the firm.

19. State specifically: —

Whether the price tendered by you is to the best of your knowledge and belief not more than the price usually charged by you for stores of same nature/class or description to any private purchaser either foreign or domestic as well as Govt. purchaser, if not state the reason thereof, & also indicate the margin of difference.

20. State whether business dealing with you have been banned by any Ministry/Department of Govt. of India / Chhattisgarh/ Any State or Union Territory or C.S.I.D.C.?

21. Please confirm that you have read all the instructions carefully and have complied with accordingly.

Signature of Tenderer

Full Name and address of the person signing (in block letters).

Whether signing as Proprietor/Partner/

Constituted Attorney duly authorized by the Company.

Signature of Witness:

Full name and address of witness in block letters

Annexure – I

Certificate of Operational Condition of Firm

(Applicable for the units located within the State of Chhattisgarh)

To,

The Managing Director,
Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.,
1st Floor Udhyog Bhawan Ring Road No. 1, Telibandha Raipur (C.G.) 492006
Raipur (C.G.) 492004

Sub : Certificate regarding the Operational Condition of Unit.

This is to certify that M/s……...……. ……has filed IEM with this office (I.E.M. No. …… dated ……..……)

The unit is in operational condition for following products an under:-

A Products & Annual Production Capacity:

Sr. No.	Items	Annual Capacity	Date of Starting Production
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Note: This certificate will be valid for a period of one year from the date of issue.

Dated: …….

Authorized Signatures
With Seal
(Concerned DTIC)

Annexure – II

UNDERTAKING
(On Manufacturer Letter Head)

For participation of firm as Authorized Agent / Distributor, the firm shall furnish Agency Agreement and the Undertaking from the Manufacturer as per the following details:-

a) From the Manufacturer:

i) That he does not have sufficient marketing arrangements in respect of the specified territory or set of items to participate in Government Purchases.

ii) That he will accept the responsibility for the satisfactory execution of orders placed on the Authorized Agent / Distributors.

iii) That he will provide requisite Inspection and Testing Facilities at his works in respect of orders placed on Authorized Agents / Distributors.

iv) That the price quoted by the Authorized Agents / Distributors will not exceed that which the manufacturer would have quoted.

v) That the manufacturer will declare the quantum of commission or the margin of profit (Please mentioned the details of commission or the margin of profit in…. %) ……. ……. ……. ……. to which Authorized Agent / Distributor is entitled.

vi) That the Inspection request submitted by the Agents would be accompanied by a certificate from the manufacturer that the stores covered under the request have been manufactured by them and the stores offered and supplied would bear the Trade Mark of Manufacturer and that he would stand by Guarantee / Warranty of the product.

Name of Signatory Authority
With Seal & Date

Annexure – III

UNDERTAKING

(On Authorized Dealer /Tenderer Letter Head)

b) From the Applicant (Authorized Agent):

i) That he will be responsible for all the contractual obligations including quality aspects, replacement of parts / items and warranty / guarantee obligations / delayed delivery.

ii) That he will be responsible for providing After Sales Service where necessary.

iii) That he will indicate besides the quoted prices, the Manufacturerr's price to him.

Name of Signatory Tenderer

With Seal & Date

Annexure-IV

Notarized Manufacturer's Authorization letter.

(To be Furnished on Rs. 50/- non judicial stamp paper)

Ref.No..... Date.....

To,

Managing Director,

CSIDC Ltd.,

Raipur (CG)

Dear Sir,

We.....An established & reputable Manufacturerr of ..... Having factories at ..... and Regd. Office ..... do hereby agree to supply ..... Confirming to the required specification and required quantity to M/s ..... (Bidder) as offered by them to supply against the above stated tender (Valid Rate Contract Period) and also declared that we have not been authorized to any other bidders for the said tender called for. The proposal shall be rejected/not to considered if found more than one bidder.

We hereby extend our guarantee & warranty as per specification requirement for the goods offered for supply.

Attested

Name ----------

Authorized person or tenderer

Tel./Mo. No.----------

Your Faithfully

Name ----------

For & Behalf M/s ----------

Tel./Mo.No.----------

With Seal & Signature

Annexure - V

Format of Technical Compliance Statement:

SCHEDULE NO. …….

Item No.	Specification as per Tender Enquiry	Compliance to Tender Enquiry Specifications (YES / NO)	In case of non-compliance, deviation from tender enquiry specifications to be indicated in unambiguous terms
1	2	3	4

Name of Signatory Tenderer

With Seal & Date

Annexure - VI

(Applicable for Ex Rate Contract holding Firm of CSIDC)

Consolidated Performance Statement of the Period as on _____ _____

Rate Contract No. _____Dated _____

Validity from _____ To _____

Part – "A"

Proforma of Performance Statement of Supply Orders placed by Direct Demanding Officers :-

Total value of the Orders received upto cut off date of ……..	Value of the orders received which were due for supply by the cut off date mentioned in Col. 1	Value of the orders supplied as per Col. 2	Value of the orders for which supply is not due by the cut off date mentioned in Col. 1	Reasons for delay in the execution of the supply order (if any)
1	2	3	4	5

Part – "B"

Proforma for reporting cancelled / withdrawn orders as on cut off date against Rate Contract :-

Name of DDO's	Supply Order no. & date	Value of the order	Delivery Period	Date of Cancellation / Withdrawal	Reasons for Cancellation / Withdrawal
1	2	3	4	5	6

Checked & Countersigned

Signature of concerned Officer
with Office Seal

Signature & Designation of the
Authorized Signatory of the firm
With Office Seal

CSIDC

Form - 1/A

General Condition of Contract Applicable to Contracts Placed By CSIDC,
The Central Purchase Organization of The Government of Chhattisgarh

GENERAL CONDITIONS OF CON

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

(1) In the Contract the General and Special Conditions governing it, unless the context otherwise requires:

(a) "Acceptance of Tender" means the letter or memorandum communication to the contractor the acceptance of his tender and includes and advance acceptance of his tender;

(b) "Consignee" means where the stores are required by the acceptance of tender to be despatched by rail, road, air or steamer, the person specified in the acceptance of tender to whom they are to be delivered at the destination; where the stores are required by the acceptance of tender to the delivered to a person as an interim consignee for the purpose of dispatch to another person, such other person; and in any other case, the person to whom the stores are required by the acceptance to tender to be delivered in the manner therein specified

(c) "Contract" means the invitation to tender, instructions to tenderes, tender, acceptance of tender, particulars and the general and special conditions specified in the acceptance of tender and includes a repeat order which has been accepted or acted upon by the contractor;

(d) "Contractor" means the person with whom the contract is made and includes his heirs, executors, administrators or successors and permitted assignees, as the case may be;

(e) "Drawing" means the drawing or drawings specified in or annexed to the Schedule or specification;

(f) "Inspector" means the person specified in the contract for the purpose of inspection of the stores or work under the contract and includes his authorized representative;

(g) "material" means anything used in the Manufacturer or fabrication of the stores;

(h) "Particulars" include –

(i) specification;

(ii) drawing;

(iii) Pattern bearing the seal and signature of the Inspector (hereinafter called the sealed pattern) which shall include also a certified copy hereof sealed by the Purchaser for the guidance of the Inspector;

(iv) sample sealed by the purchaser for the guidance of thee Inspector (hereinafter called the certified sample) which shall include a certified copy thereof sealed by the Purchaser for the guidance of the inspector,

(v) trade pattern, that is to say, a pattern, stores conforming to which are obtainable in the open market and which denotes a standard of the Indian Standards Institute or other standardizing authority or a general standard of the industry;

(vi) proprietary mark or brand means the mark or brand of a product which is owned by an industrial firms

(vii) any other details governing the construction, Manufacturer or supply of stores as may be prescribed by thee contract.

(i) "Purchase Officer" means the officer signing the acceptance of tender and includes any officer who has authority to execute the relevant contract on behalf of the Purchaser;

(j) "Purchaser" means the purchaser named in the Schedule of acceptance to the tender and include his successors of assignees;

(k) " Managing Director " means the Managing Director of Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur for the time being in administrative incharge of Marketing Division of Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur and includes Chief General Manager (Marketing) of Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur who is authorised for the time being to execute relevant contract relating to purchase and supply of stores on behalf of the purchaser;

(l) "Schedule" means the Schedule annexed to the acceptance of tender;

(m) "Signed" includes stamped, except in the case of an acceptance of tender or any amendment thereof;

(n) "Site" means the place specified in the Schedule at which any work is required to be executed by the contractor under the contract or any other place approved by the Managing Director for the purpose;

(o) "Stores" means the goods specified in the schedule which the contractor has agreed to supply under the contract;

(p) "Supply Order" means an order for supply of stores and includes an order for performance of service;

(q) "Test" means such test as prescribed by the particulars or considered necessary by the inspector within the ambit of the specifications whether performed or made by the Inspector or any agency acting under the direction of the Inspector;

(r) "Unit" and "Quantity" means the unit and quantity specified in the Schedule;

(s) "Writing" includes matter either in whole or in part in manuscript, typewritten, lithographed, cyclostyled, photographed, or printed under or over signature or seal, as the case may be.

(2) The delivery of stores shall be deemed to take place on delivery of the stores in accordance with the terms of the contract after approval by the Inspector; to

(i) the consignee at his premises, or

(ii) where s provided the interim consignee at his premises, or

(iii) a carrier or other person named in the contract as an interim consignee for the purpose of transmission to the consignee.

(iv) the consignee at the destination station in case of contracts stipulating for delivery of stores at destination station.

(3) Words imparting the masculine gender shall be taken to include the feminine gender and word imparting persons, shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not.

(4) The heading of these conditions shall not affect the interpretation or construction thereof.

(5) Terms and expressions not being defined shall have the meaning assigned to them if any in the Indian Sale of Goods Act, 1930, or the Indian Contract Act, 1872 or the General Clauses Act, 1897, as amended from time to time.

2. (a) Parties

The parties to the contract are the contractor and the Purchaser, named in the Schedule.

(b) Authority of Person signing the Contract on Behalf of the Contractor

A person signing the tender or any other document in respect of the contract

on behalf of the contractor without disclosing his authority to do so shall be deemed to warrant that he has authority to bind the contractor. If it is discovered at any time that the person so signing had no authority to do so, the Managing Director may, without prejudice to any other right or remedy of the purchaser, cancel the contract and make or authorize the making of a purchase of the stores at the risk and cost of such person and hold such person liable to the purchaser for all costs and damages arising from the cancellation of the contract including any loss which the purchaser may sustain on account of such purchase. The provisions of clause 14 shall apply to every such purchase as far as applicable.

(c) Address of the contractor and notices and communications on behalf of the purchaser

(i) For all purposes of the contract including arbitration there under, the address of the contractor mentioned in tender shall be the address to which all communication addressed to or contractor shall be sent unless the contractor has notified a change by a separate letter sent by registered post acknowledgment due to the CSIDC Ltd. The contractor shall be solely responsible for the consequences of an omission to notify a change of address in the manner aforesaid.

(ii) Any communication or notice on behalf of the purchaser, in relation to the contract may be issued to the contractor by purchase officer and all such communications and notices may be served on the contractor either by registered post or any other mode of written communication as deemed necessary by such officer.

3. ***Authority of the Managing Director***

For all purposes of the contract including arbitration proceeding there under the Managing Director shall be entitled to exercise all the rights and powers of the Purchaser.

4. ***Responsibility of the Contractor for Executing the contract.***

(1) Risk in the stores – The contractor shall perform the contract in all respects in accordance with the terms and conditions thereof. The stores and every constituent part thereof. whether in the possession or control of the contractor, his agents or servants or a carrier, or in the joint possession of the contractor, his agents or servants and the purchaser, his agents or servants, shall remain in every respect at the risk of the contractor until their

actual delivery to the consignee at the stipulated place or destination or, where so provided in the acceptance of tender, until their delivery to a person specified in the Schedule as interim consignee for the purpose of despatch to the consignee. The contractor shall be responsible for all losses, destruction, damage or deterioration of OR to the stores from any cause what so ever while the stores after approval by the inspector or awaiting despatch or delivery or are in the course of transit from the contractor to the consignee or as the case may be interim consignee. The contractor shall alone be entitled and responsible to make claims against a railway administration or other carrier in respect of non-delivery, short delivery, misdelivery, loss, destruction, damage or deterioration of the goods entrusted to such carrier by the contractor for transmission to the consignee or the interim consignee as the case may be.

(2) Consignee's right of rejection – Notwithstanding any approval which the Inspector may have given in respect of the stores or any part or portion thereof or any materials or other particulars or the work or workmanship involved in the performance of the contract (whether with or without any test carried out by the contractor or the Inspector or under the direction of the Inspector) and notwithstanding delivery of the stores where so provided to the interim consignee, it shall be lawful for the consignee, on behalf of the Purchaser to reject the stores of part, portion or consignment thereof (i) within sixty days after actual delivery thereof to him at the place or destination specified in the schedule and (ii) in the case of stores the conditions of the contract in respect of which are dealt with in any of the form CSIDC Form-1/C within 90 days reckoned from the date of receipt of complete equipment with spares and accessories, as ordered if such stores or part, portion or consignment thereof is not in all respects in conformity with the terms and conditions of the contract whether on account of any loss, deterioration or damage after inspection before despatch or delivery or during transit or otherwise howsoever :

Provided that where, under the terms of the contract, the stores are required to be delivered to an interim consignee for the purpose of despatch to the consignee, the stores shall be at the purchaser's risk after their delivery to the interim consignee; but nevertheless it shall be lawful for the consignee on behalf of the purchaser to reject the stores or any part, portion or consignment thereof upon their actual delivery to him at the destination if they are not in all

respects in conformity with the terms and conditions of contract except where they have been damaged or have deteriorated in the course of transit or otherwise after their delivery to the interim consignee.

The provisions contained in clause 17 relating to the removal of stores rejected by the Inspector shall, mutatis mutandis, apply to stores rejected by the consignee as herein provided.

Clause 4 (2) (a) : The Contractor shall refund any advance part payment received by him in respect of the rejected stores within 14 days of the receipt of intimation from the consignee at the destination about the rejection of the stores in terms of clause 4 (2). In default, the purchaser may take steps against the contractor for recovery of such price. This is strictly without prejudice and in addition to the right provided in clause 17 (8).

(3) (a) ***Subletting and assignment***. – The contractor shall not, save with the previous consent in writing of the Managing Director sub-let transfer or assign the contract or any part thereof interest therein or benefit or advantage thereof in any manner whatsoever. Provided, nevertheless that any such consent shall not relieve the contractor from any obligation, duty or responsibility under the contract.

(b) ***Changes in a firm –***

(i) Where the contractor is partnership firm a new partner shall not be introduced in the firm except with the previous consent in writing of the Managing Director , which may be granted only upon expression of a written under taking by the new partner to perform the contract and accept all liabilities incurred by the firm under the contract prior to the date of such undertaking.

(ii) On the death or retirement of any partner of the contractor firm before complete performance of the contractor the Managing Director may, at his option cancel the contract and in such case the contractor shall have no claim whatsoever to compensation against the purchaser.

(iii) If the contract is not determined as provided in sub clause (ii) above notwithstanding the retirement of a partner from the firm he shall continue to be liable under the contract for acts of the firm until copy of the public notice given by him under section 32 of the Partnership Act has been sent by him to the Managing Director by registered post acknowledgments due.

(c) ***Consequence of breach*** – Should the contractor or a partner in the contractor firm commit breach of either of the conditions (a) or (b) (i) of this sub-clause, it shall be lawful for the Managing Director to cancel the contract and purchase or authorize the purchase of the stores at the risk and cost of the contractor forfeit the security deposit and in that event the provisions of clause 14 shall as far as applicable apply.

(d) The decision of the Managing Director as to any matter or thing concerning or arising out of this sub-clause or on any question whether the contractor or any partner of the contractor firm has committed as breach of any of the conditions in this sub-clause contained shall be final and binding on the contractor.

(4) ***Assistance to the Contractor –*** (a) The contractor shall be solely responsible to procure any material or obtain any import or other licence or permit required for the fulfillment of the contract and the grant by the Managing Director or any other authority of a quota certificate

or permit required under any law for distribution or acquisition of Iron or Steel or any other commodity or any other form of assistance in the procurement of the material aforesaid or any attempt to render assistance in the matter aforesaid, shall not be construed as a representation on the part of the purchaser that the material covered by such licence or permit or quota certificate is available or constitute any promise, undertaking or assurance on the part of the purchaser regarding the procurement of the same or effect any variation in the rights and liabilities of the parties under the contract. But, if by reason of any such as assistance as aforesaid, the contractor obtains any materials at less than their market price or the cost of production of the stores is lowered, the price of the stores payable under the contract shall be reduced proportionately. Extent of such reduction shall be determined by the Managing Director whose decision shall be final and binding on the contractor.

(b) Every agreement made by the Managing Director to supply, or give assistance in the procurement of materials, whether from the government stock or by purchase under a permit or release order issued by or on behalf of or under authority from Government / CSIDC or by any officer empowered in that behalf by law or under other arrangements made by the Managing Director shall be deemed to be subject to the condition that it will be performed with due regard to other demands and only if it is found practicable to do so within the stipulated time and the decision of the Managing Director whether it was practicable to supply or give assistance as aforesaid or not shall be final and binding on contractor.

5. **USE OF RAW MATERIALS SECURED WITH GOVERNMENT/ CSIDC ASSISTANCE**

1. (a) Where any raw material is procured for the execution of a contract with the assistance of the Government / CSIDC rendered in the form of permit, or licence or quota certificate/essentiality certificate or release order issued by or on behalf of or under the authority of the Government/ CSIDC or by an officer empowered in that behalf, or

(b) Where the raw material is issued to the contractor from Government / CSIDC stock, or

(c) Where advance payment are made to the contractor to enable him to purchase the raw material, or

(d) Where raw material is arranged by the Government / CSIDC, the contractor –

(i) shall hold such material as trustee for the Government / CSIDC;

(ii) shall use such material economically and solely for the purpose of the contract;

(iii) shall not dispose of the same without the previous permission in writing of the Managing Director ; and

(iv) shall render due account of such material and return to the Government/ CSIDC at such place as the Managing Director may direct all surplus or unserviceable material that may be left after the completion of contract or its termination for any reason whatsoever.

On returning such material the contractor shall be entitled to such price therefore as the Managing Director may fix having regard the condition of such material.

(2) Where the contract is terminated due to any default on the part of the contractor, the contractor shall pay all transport charges incurred for returning any material upto such destination as may be determined by the Managing Director and the decision of the Managing Director in that behalf shall be final and binding on the contractor.

(3) If the contractor commits breach of any of the conditions in this clause specified, he shall, without prejudice to any other liability, penal or otherwise be liable to account to the Government/ CSIDC for all moneys, advantages or profits accruing from or which in the usual course would have accrued to him by reason of such breach.

(4) Where the stores Manufactured or fabricated by the contractor out of the materials arranged or procured by or on behalf of the Government/ CSIDC are rejected the contractor shall, without prejudice to any other right or remedy of the Government / CSIDC, pay to the Government/CSIDC on demand the cost price or market value of all such materials whichever is greater.

6. **QUOTATION OF RATES BY CONTRACTORS**

(i) The price quoted/charged by contractor shall not be higher than the controlled price fixed by law for the stores or where there is no controlled price, it shall not exceed the prices or contravene the norms for fixation of prices laid down by Government or where no such prices or norms have been fixed by Government it shall not exceed the price appearing in any agreement relating to price regulation by any industry in consultation with the Government/ CSIDC.

(ii) In any case, save for special reasons stated in the tender, the price quoted/charged for indigenous stores shall not be higher than the lowest price charged by the contractor for stores of the same nature, class or description to an individual/firm/organizations or department of Government of Chhattisgarh or CSIDC and for imported stores the price quoted shall not be higher than the lowest price charged by the contractor for stores of the same nature, class or description to a purchaser, domestic or foreign or to any organization or departments of Government/CSIDC.

(iii) If the price quoted/charged is higher than the controlled price etc. referred to in sub-clause (i) above or where there is no controlled price, the price lowest charged by the contractor from a private purchaser, domestic or foreign or from any organizations or department of Government/CSIDC, for the stores of the same nature, class or description, etc. as referred to in sub-clause (ii) above, the contractor will specifically mention this fact in his tender giving reasons for quoting higher price(s). If he fails to do so or makes any misstatement it shall be lawful for the Managing Director (a) to revise the price at any stage so as to bring it in conformity with the sub-clause (i) or (ii) above or (b) to terminate the contract and purchase the stores at the risk and cost of the contractor and forfeit the security deposit and in that event the provisions of clause 14 shall apply as far as applicable as if the contractor has failed to deliver the stores within the period fixed.

7. **SECURITY DEPOSIT**

The Purchaser/DDOs may require the contractor/tenderer to furnish a security deposit which shall be made after issue of the acceptance of the tender / supply order as the case may be within the period specified by the Purchaser/DDOs. Such security deposit shall not ordinarily exceed 3%.The security shall be in form of Demand Drafts issued by any of the Scheduled Commercial Banks; No other form of Security shall be accepted.

(2) If the contractor having been called upon by the Purchaser/DDOs to furnish security fails to do so within the specified period, it shall be lawful for the Purchaser/DDOs –

(i) to recover from the contractor the amount of such security deposit by deducting the amount from the pending bills of the contractor under the contract or any other contract with the purchaser or the Government/CSIDC or any person contracting through the Managing Director or otherwise however, and or

(ii) to cancel the contract or any part thereof and to purchase or authorize the purchase of the stores at the risk and cost of the contractor and in that event the provisions of clause 14 shall apply as far as applicable.

(3) No claim shall lie against the purchaser either in respect of interest or any depreciation in value of any security.

(4) It the contractor fails or neglects to observe or perform any of his obligations under the contract it shall be lawful for the Purchaser/DDOs to forfeit either in whole or in part, the security deposit furnished by the contractor. Save as aforesaid, if the contractor duly performs and completes the contract in all respects and presents an absolute "No Demand Certificate", and returns in good condition, the specification, drawings, and samples or other property belonging to the purchaser, the Managing Director shall, refund the security deposit to the contractor after deducting all costs and other expenses that the purchaser may have incurred and all dues and other moneys including all losses and damages which the purchaser is entitled to recover from the contractor.

8. **SPECIFICATION ETC.**

(1) Unless otherwise specified, the stores shall be entirely brand new and of the best quality and workmanship to the satisfaction of the Inspector. The contractor shall supply the stores in accordance with the particulars unless any deviation has been expressly specified in the acceptance of the tender. The stores shall further be in all respects acceptable to the Inspector.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing condition, when tenders are called for in accordance with the particulars, the contractor's tender to supply the stores in accordance with such particulars shall be deemed to be an admission on his part that he has acquainted himself with the details thereof and no claim shall lie against the purchaser on the ground that the contractor did not examine or acquaint himself with such particulars.

(3) Where the contract has been placed in accordance with a specification or drawing, a sealed pattern or a certified sample or the stores will govern only workmanship and finish.

(4) Where no specification, drawing, sealed pattern or certified sample exists or is specified in the contract, the stores shall be of such quality, material and workmanship as is specified in the contract and in any such case the stores supplied shall in all respects correspond to the approved sample submitted by the contractor and specified in the contract.

(5) If any dimension figured upon a drawing differs form that obtained by scaling the drawing, the contractor shall bring the discrepancy to the notice of the Inspector and the purchase Officer. The Inspector's decision in the matter shall be final and binding.

(6) It shall be lawful for the Managing Director to alter by mutual consent at any time and from time to time the specifications, patterns and drawing and as from the dates specified by him stores to be supplied shall be in accordance with such altered specification, patterns and drawing; provided that if any such alteration involve increase or decrease in the costs of or in the period required for production, a revision of the contract price an/or of the period prescribed for delivery shall be made by mutual agreement in respect of the stores to which the alteration applies. In all other respects, the contract shall remain unaltered.

(7) Unless some special Warranty/Guarantee clause has been stipulated elsewhere in the invitation to tender or any of its annexures, the following warranty shall form part of the contract placed on successful tenderer :

(i) Except as otherwise provided in the invitation to the tender, the contractor/seller hereby declares that the goods, stores articles sold/supplied to the purchaser under this contract shall be of the best quality and workmanship and new in all respects and shall be strictly in accordance with the specification and particulars contained/mentioned in contract. The contractor /seller hereby guarantees that the said goods/stores/articles would continue to conform to the description and quality aforesaid for a period of twelve months, from the date of delivery of the said goods/stores/articles to the purchaser or 18 months from the date of shipment/despatch from the contractor's works, whichever is earlier and that notwithstanding the fact that the Purchaser (Inspector) may have inspected and/or approved the said goods/stores/articles, if during the aforesaid period of 12/18 months the said goods/stores/articles be discovered not to conform to the description and quality aforesaid or not giving satisfactory performance or have deteriorated and the decision of the purchaser in that behalf shall be final and binding on the contractor/seller and the purchaser shall be entitled to call upon the contractor/seller to rectify the goods/stores/articles or such portion thereof as is found to be defective by the purchaser within a reasonable period, or such specified period as may be

allowed by the purchaser in his discretion on an application made thereof by the contractor/seller, and in such an event, the above mentioned warranty period shall apply to the goods/stores/articles rectified from the date of rectification thereof, otherwise the contractor/seller shall pay to the purchaser such compensation as may arise by reason of the breach of the warranty herein contained.

(ii) Guarantee that they will supply spare parts, if and when required on agreed basis for an agreed price. The agreed basis could be and including but without any limitation an agreed discount on the published catalogue or an agreed percentage of profit on the laded cost.

(iii) Warranty to the effect that before going out of production for the spare parts they will give adequate advance notice to the purchaser of the equipment so that the latter may undertake the balance of the lifetime requirements.

(iv) Warranty to the effect that they will make available the blue prints of drawing of the spares if and when required in connection with the main equipment.

9. **SAMPLES**

(1) ***Advance Sample*** – Where an advance sample is required to be approved under the terms of the contract the contractor shall deliver the same free of cost to the Inspector within the time specified in the Acceptance of Tender. If the contractor is unable to do so, he must apply immediately to the Office issuing the Acceptance of Tender for extension of time, stating the reasons for the delay. If the Managing Director is satisfied that a reasonable ground for an extension of time exists, he may allow such additional time as he considers to be justified (and his decision shall be final) with or without alternation in the delivery period stipulated in the acceptance of tender and on such conditions as he deems fit. In the event of the failure of the contractor to deliver the advance sample by the date specified in the Acceptance of Tender or any other date to which the time may be extended as aforesaid by the Managing Director or of the rejection on of the sample, the Managing Director shall be entitled to cancel the contract and if so desired, purchase or authorize the purchase of the stores at the risk and cost of the contractor forfeit security deposit, in which case the provisions of clause 14 shall apply as far as applicable.

(2) Unless otherwise provided in the contract, all samples required for test shall be supplied by the contractor free of cost. Where a sample which is supplied free, is rejected after examination and test the same OR whatever remains of the samples after examination and test will be return to the contractor at his request and cost within three months of the date of such rejection. The reasons for rejection shall be communicated to the contractor.

(3) ***Marking*** – Samples submitted shall be clearly Labelled with the contractor's name and address and the acceptance of tender number.

(4) If the contractor submits a sample whether with, before or after the tender, the same shall not govern the standard of supply except when it has been so specifically stated in the Acceptance of Tender.

(5) Where under the contract, the contractor is required to submit an advance sample, any expenses incurred by the contractor on or in connection with the production of stores in bulk, before the sample has been approved unconditionally shall be borne by the contractor and he shall not claim any compensation in the event of such sample being found unacceptable by the Inspector.

(6) The rejection of the sample by the Inspecting Authority or the Inspector shall be final and binding on the contractor.

(7) Where the contract does not require any advance sample to be approved, the contractor may before proceeding with bulk Manufacturer of delivery of the stores, if he so desires submit for inspection a sample of the stores in which case a quantity not less than I per cent of the total quantity to be supplied shall be submitted. The contractor shall not,

however, be on titled to be shown any consideration or given any extension of time or claim to be exonerated from completing the delivery within the stipulated period only on the ground of delay in the approval of any such sample.

(8) If under the contract supplies are governed by a sealed pattern, the contractor shall be bound to examine such pattern before preparing a sample or manufacturing the stores in bulk as the case may be.

(9) ***Loan of Sample*** **–** If certified sample is lent to the contractor, it will bear a label containing inter alia variations known to the Inspector between the said sample and the stores desired. If the contractor finds any further variation between the certified sample and the particulars or specification mentioned in the schedule he shall at once refer the matter to the Inspector and shall also give intimation of such discrepancy to the Purchase Officer. The contractor shall follow the instructions of the Inspector to be given in writing as to what sample or particulars should guide the production of the stores and the decision of the Inspector in the matter shall be final and binding on the contractor.

The contractor shall not detach the said label from the certified sample and if for any reasons the said label gets detached, the contractor shall at once return the certified sample to the Inspector for attaching a fresh label.

10. **RETURN OF PARTICULARS**

The contractor shall return in good condition all the particulars or certified samples (with the labels intact). In the event of his failure to do so, he shall be liable to pay to the purchaser as agreed liquidated damages a sum not exceeding three times the price of such particulars or the certified samples or Rs. 250 whichever is greater as may be determined by the Managing Director . The decision of the Managing Director in that behalf shall be final and binding on the contractor.

11. **RISK OF LOSS OR DAMAGE TO GOVERNMENT / CSIDC OR PURCHASER'S PROPERTY**

(1) All the property of Government/CSIDC or purchaser loaned whether with or without deposit, to the contractor in connection with the contract shall remain the property of the Government/CSIDC or the purchaser, as the case may be. The contractor shall use such property for the purpose of the execution of the contract and for on other purpose whatsoever.

(2) All such property shall be deemed to be in good condition when received by the contractor unless he shall have within seven days of the receipt thereof notified the purchase officer to the contrary. If the contractor fails to notify any defect in the condition or quality of such property he shall be deemed to have lost the right to do so at any subsequent stage.

(3) The contractor shall return all such property and shall be responsible for the full value thereof to be assessed by the Managing Director whose decision shall be final and binding on the contractor. The contractor shall be liable for loss of damage to such property from whatever cause happening while such property is in the possession of or under the control of the contractor, his servants, workmen, or agents.

(4) Where such property is insured by the contractor against loss or fire at the request of the Government or purchaser such insurance shall be deemed to be effected by way of additional precaution and shall not prejudice the liability of the contractor as aforesaid.

12. **PACKING AND MARKING.**

(1) The contractor shall pack at his cost the stores sufficiently and properly for transit by rail/road, air and/or sea as provided in the schedule so as to ensure the same on arrival at their destination being free from loss or damage.

(2) Unless otherwise provided in the schedule all containers (including packing cases, boxes, tins, drums and wrappings) in which the stores are supplied by the contractor, shall be considered as non - returnable and their cost as having been included in the contract price.

(3) If the schedule provides that the containers shall be returnable, they must be marked "returnable" and they will be returned to the contractor as per terms of the contract.

(4) If the schedule provides that returnable containers shall be separately charged, they shall be invoiced by the contractor at the price specified in acceptance of tender. In such cases the contractor shall give full credit for the invoiced amount if the containers are returned to the contractor. Return of containers shall be made within a reasonable time and in the event of any dispute of difference arising as to whether the containers where so returned, the decision of the Managing Director thereon shall be final and binding and the Managing Director may in his discretion award such compensation as may in his opinion be proper for any undue delay in returning the containers.

(5) Each bale or package delivered under the contract shall be marked by the contractor at his own expense. Such marking shall be distinct (All previous irrelevant marking being carefully obliterated) and shall clearly indicate the description and quantity of the stores, the name and address of the consignee, the gross weight of the package and the name of the contractor with a distinctive number or mark sufficient for the purpose of identification. All marking shall be carried out with such material as may be found satisfactory by the Inspector as regards quickness of drying, fastness and indelibility.

(6) The Inspector may reject the stores if the stores are not packed and/or marked as aforesaid and in case where the packing materials are separately prescribed, in such materials are not in accordance with the terms of the contract. Such rejection of the stores by the Inspector shall be final and binding on the contractor.

(7) If the contractor fails to carry out or comply with an instructions issued to him by the Inspector before onward despatch of the stores to the consignee within a reasonable time, the Inspector may himself carry out and comply with them at the cost and expense of the contractor, or reject the stores in terms of sub-clause 6 above.

(8) Each bale or package shall contain a packing note specifying the name and address of the contractor, the number and date of the acceptance of tender or Supply Order and the designation of the Purchase Officer or Officer issuing the Supply Order, the description of the stores and the quantity contained in such bale or package.

13. **CHARGES FOR WORK NECESSARY FOR COMPLETION OF CONTRACT**

The contractor shall pay all charges such as for handling, stamping , Printing, Painting, Marking and for protecting and preserving patent rights and for all such measures which the Inspector may require the contractor to take fro the proper completion of the contract though no specific provision in respect thereof may have been made in the contract.

14. **DELIVERY**

(1) Time for and date of Delivery is the essence of the contract : The time for and the date of delivery of the stores stipulated in the schedule shall be deemed to be of the essence of the contract and delivery must be completed not later than the date(s) as specified in contract.

(2) ***Passing of Property. -*** Property in the stores shall not pass to the purchaser unless and until the stores have been delivered to the consignee or interim consignee, as the case may be in accordance with the conditions of the contract.

(a) In case where stipulation is for -

(i) local delivery; or

(ii) free delivery at the specified destination; or

(iii) delivery to an interim consignee; and

(b) In any other case where the contractor has obtained the railway receipt, consignment note the bill of lading or warehouse certificate as the case may be, in accordance with the terms of the contract.

(3) The purchaser shall not be liable to assist in securing or to arrange for or provide transport to the contractor unless it is so specifically stated in the schedule notwithstanding that transport of the stores is controlled by or under the orders of the Government.

(4) The contractor shall deliver the stores in accordance with the conditions of contract at the time/times and at the place/places and in the manner specified in the schedule.

(5) Facilities to Inspector - The contractor shall allow reasonable facilities and free access to his works and records to the inspector, progress Officer, or such other Officer as may be nominated by the Managing Director for the purpose of ascertaining the progress of the deliveries under the contract.

(6) The purchaser shall not to be bound to apply for delivery but the contractor shall when the stores are ready for inspection and test end a notice in writing to the Inspector specifying the place where inspection is offered and the Inspector shall on receipt of such notice notify to the contractor the date and time when the stores would be inspected.

(7) ***Failure and termination -*** If the contractor fails to deliver the stores or any installment thereof within the period fixed for such delivery or at any time repudiates the contract before the expiry of such period, the Managing Director may without prejudice to the right of the purchaser to recover damages for breach of the contract -

(i) Recover from the contractor as agreed liquidated damages including administrative expense from the security deposit / pending bills by way of penalty a sum equivalent of 2% of the price of any stores which the contractor has failed to deliver within the period fixed for delivery in the schedule for each month or part of a month during which the delivery of such stores may be in arrears where delivery thereof is accepted after expiry of the aforesaid period, provided that total damages so claimed shall not exceed 10% of the total contract price.

(ii) contract or authorize contracting elsewhere without a show-cause notice to the contractor, on the account and at the risk of the contractor of the stores not so delivered or others of a similar description (where stores exactly complying with particulars are not in the opinion of the Managing Director , which shall be final readily procurable) without cancelling the contract in respect of the installments not yet due for delivery. If the contractor had defaulted in the performance of the original contract, the purchaser shall have the right to ignore his tender for risk purchase even though the lowest.

(iii) cancel the contract or a portion thereof without a show-cause notice to the contractor and if so desired contract or authorize contracting for the stores not so delivered or others of a similar description (where stores exactly complying with particulars are not in the option of the Managing Director , which shall be final, readily procurable) at the risk and cost of the contractor. If the contractor had defaulted in the performance of the original contract, the purchaser shall have the right to ignore his tender for risk purchase even though the lowest.

(iv) Where action is taken under sub-cause (ii) or sub clause (iii) above under the provision of this it shall be in the discretion of the purchaser to collect or not to

collect the security deposit from the firm on whom the contract is placed at the risk and expense of the defaulted contractor.

(v) Where action is taken under sub-clause (ii) or sub clause (iii) above, the contractor shall be liable for any loss which the purchaser may sustain on that account provided the contract or, if there is an agreement to contract, such agreement is made, in case of failure to deliver the stores within the period fixed for such delivery within twelve months or within such period as may be agreed upon from the date of such failure and in case of repudiation of the contract, before the expiry of the aforesaid period of delivery, within six months. The contractor shall not be entitled to amy gain on such purchases and the manner and method of such purchases shall be in the entire discretion of the Managing Director . It shall be necessary for the purchaser to serve a notice of such purchase on the contractor.

(vi) Where action is taken under subclause (ii) and (iii) above, the risk purchase contract that will be entered as a result thereof will as far as possible be limited to firms who are past suppliers for the subject stores. It will be no defence that the purchase has ignored offers from untried firms, and sub-clause (v) above

shall still apply. The contractor shall be liable for any loss which the purchaser may sustain on such account.

(8) Where delivery is effected within 21 days of the contract delivery period and not any extended date of delivery the same will be accepted by the purchaser, provided the application of the said clause is expressly excluded in the Tender Enquiry. This period of 21 days would only be applicable for effecting the delivery and would not available for offering stores for inspection.

(9) ***Notification of delivery -*** Notification of delivery or despatch in regard to each and every instalment shall be made to the purchase officer on the prescribed from copies of which may be obtained from the Purchase Officer. The Contractor shall further supply to the consignee, or the interim consignee, as the case may be a packing account quoting number of the acceptance of tender and/or supply or repeat order and date of despatch of the stores. All packages, containers, bundles and loose material part of each and every installment shall be fully described in the packing account and full details of the contents of the packages and quantity of materials shall be given to enable the consignee to check the stores on arrival at destination. The railway receipt, consignment note or the bill of lading, if any should be drawn in the name of the consignee or the interim consignee as the case may be and should be sent to him by registered post, acknowledgment due immediately on despatch of he stores, quoting the No(s) and date(s) of the corresponding Inspection Note(s) in relating to the stores covered by the said Railways receipt, the consignment note or the bill of lading, as the case may be. The contractor shall bear and reimburse to the purchaser, demurrage charges, if any paid by reasons of delay on the part of the contractor in forwarding the Railway receipt, consignment note or bill of lading.

(10) ***Force majeure Clause -*** The force majeure clause in the following from only (which will not form part of the General Conditions of Contract) should be included in such contracts where the suppliers specifically insist on the provision of a force majeure clause and there is no alternative but to accept the same. This clause should, therefore, not be incorporated in the Invitation to Tender. But where a supplier insists for this clause, prior to acceptance of an offer, the supplier should be asked to accept this clause as governing conditions of force majeure.

"If at any time during continuance of this contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by reason of any war, hostility, acts of public enemy, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosions, epidemics, quarantine restriction, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to "events") provided, notice of the happening of any such event is given by either party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reason of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such nonperformance or delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Managing Director as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part or any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that if the contract is terminated under ins clause, the purchaser shall be at liberty to take over from the contractor at a price to be fixed by the Managing Director , which shall be final, all unused, undamaged and acceptable materials, bought out components and stores in course of Manufacturer in the possession of the contractor at the time of such termination or such portion thereof as the purchaser may deem fit excepting such material, bought out components and stores as the contractor may with the concurrence of the purchaser elect to retain."

15. PROGRESS REPORTS

(1) The contractor shall from time to time render such reports concerning the progress of the contract and / or supply of the stores in such form as may be required by the Managing Director.

(2) The submission. receipt and acceptance of such reports shall not prejudice the rights of the purchaser under the contract, nor shall operate as an estoppel against the purchaser merely by reason of the fact that he has not taken notice of or objected to any information contained in such report.

16. FREIGHT

(1) The stores shall be despatched at public tariff rates railway material concession rates or military concession rates, as may be specified in the schedule. In cases where railway material concession rates or military concession rates apply, the Managing Director will indicate the authority from whom the railway material consignment note or permit or military credit note should be obtained, if the document does not accompany the acceptance of tender. It shall be the responsibility of contractor to obtain such document according to his requirements from the authority empowered to issue it. The grant or military credit note or railway material consignment note or permit shall not prejudice the right of inspection and rejection at he destination.

(2) In the case of a f.o.r. station of despatch contract, the stores shall be booked at full wagon rates whenever available and by the most economical route or by the most economical tariff available at the time of despatch as the case may be. Failure to do so will render the contractor liable for any avoidable expenditure caused to the purchaser.

(3) Where alternative routes exist, the Managing Director shall if called upon so to do indicate the most e economical route available, or name the authority whose advice in the matter should be taken and acted upon. if any advice of any such authority, is sought, his decision or advice in the matter shall be final and binding on the contractor.

17. INSPECTION AND REJECTION

(1) ***Facilities for tests and examination -*** The contractor shall, at his own expenses, afford to the inspector all reasonable facilities and such accommodation as may be necessary for satisfying himself that the stores are being and/or have been Manufacturerd in accordance with the particulars. The inspector shall have full and free access at any time during the execution the contract to the contractor's works for the purpose aforesaid, and he may require the contractor to make arrangements for inspection of the stores or any party thereof or any material at his premises or at any other place specified by the inspector and if the contractor has been permitted to employ the services of a subcontractor, he shall in his contract with the subcontractor, serve to the inspector a similar right, provided however, such inspection shall not preclude the purchaser/inspection authority from re-inspection of the goods after they have been inspected by the inspector for the purpose aforesaid. The decision of the bending

on the contractor. All terms and conditions of the contract as they apply to the inspection shall save further in inspection also apply to re-inspection.

(2) ***Cost of test -*** The Contractor shall provide, without any extra charge, all materials, tools labor and assistance of every kind which the Inspector may demand of him for any test, and examination other than special or independent test, which he shall require to be made on the contractor's premises and the contractor shall bear and pay all costs attendant there on if the contractor fails to comply with conditions aforesaid, the Inspector shall, in his sole judgement, be entitled to remove for test and examination all or any of the stores Manufacturerd by the contractor to any premises other than his (contractor's) and in all such

cases the contractor shall bear the cost of transport and/or carrying out such tests elsewhere. A certificate in writing of the Inspector, that the contractor has failed to provide the facilities and the means for test and examination shall be final.

(3) ***Delivery of Stores for test -*** The contractor shall also provide and deliver for test, free of charge, at such place other than his premises as the Inspector may specify such material or stores as he may require for tests for which contractor does not have the facilities or for special/independent tests.

(4) ***Liability for cost of special or independent tests -*** In the event of rejection of stores or may part thereof by the Inspector in consequence of the sample thereof, which is removed to the laboratory or other place of test, being found on test to be not in conformity with the contract/or in the event of the failure of the contractor for any reason the deliver the stores passed on test within the stipulated period, the contractor shall, on demand, pay to the purchaser all costs incurred in the inspection and/or test. Cost of test shall be assessed at the rate charged by the Laboratory to private persons for similar work.

(5) ***Method of testing -*** The Inspector shall have the right to put all the stores or materials forming part of the same or any part thereof to such test as he may think fit and proper. The contractor shall not be entitled to object on any ground what so ever to the method of testing adopted by the Inspector.

(6) ***Stores expended in test -*** Unless otherwise provided for in the contract if the special or independent test proves satisfactory and the stores or any instalment thereof is accepted the quantity of the stores or materials expended in test will be deemed to have been taken delivery of by the purchaser and be paid for as such.

(7) ***Inspector - Final Authority and to certify performance -*** The Inspector shall have the power -

(i) Before any stores or part thereof are submitted for inspection to certify that they cannot be in accordance with the contract owing to the adoption of any unsatisfactory method of Manufacturer.

(ii) to reject any stores submitted as not being in accordance with the particulars.

(iii) to reject the whole of the installment tendered for inspection, if after inspection of such portion thereof as he may in his discretion think fit, he is satisfied that the same is unsatisfactory.

(iv) to mark the rejected stores with a rejection mark so that they may be easily identified if resubmitted.

(8) ***Consequence of rejection -*** If on the stores being rejected by the Inspector or consignee at the destination, the contractor fails the make satisfactory supplies within the stipulated period of delivery to Managing Director shall be at liberty to -

(i) Require the contractor to replace the rejected stores forthwith but in any event not later than a period of 30 days from the date of rejection and the contractor shall bear all cost of such replacement, including freight, if any, on such replacing and replaced stores but without being entitled to any extra payment on that or any other account.

(ii) purchase or authorize the purchase of quantity of the stores rejected or stores of a similar description (when stores exactly complying with particulars are not in opinion of the Managing Director, which shall be final, readily available) without notice to the contractor at his risk and cost forfeit security deposit and without affecting the contractor's liability as regards the supply of any further installment due under the contract, or

(iii) Cancel the contract and purchase or authorize the purchase of the stores or stores of a similar description (when stores exactly complying with particulars are not in the opinion of the Managing Director , which shall be final, readily available) at the risk and cost of the contractor forfeit security deposit. In the event of action being taken under sub-clause (ii) above or this sub-clause the provisions of clause 14 shall apply as far as applicable.

(9) ***Inspector's decision as to rejection final***. – The Inspector's decision as regards the rejection shall be final and binding on the contractor.

(10) Where under the contract the price payable is fixed f.o.r. despatching station, the contractor shall, if the stores are rejected at destination by the consignee, 'be liable in addition to his other liabilities, including refund of price recoverable in respect of the stores so rejected, to reimburse to the purchaser the freight and all other expenses incurred by the purchaser in this regard.

(11) ***Notification of result of Inspection.*** – Unless otherwise provided in the specification of schedule, the examination of the stores will be made as soon as practicable after the same have been submitted for inspection and the result of the examination will be notified to the contractor.

(12) ***Marking of stores.*** – The contractor shall if so required at his own expense mark or permit the Inspector to mark all the approved stores with a recognized Government or purchaser's mark. The stores which cannot be so marked shall, if so required by the Inspector, be packed in suitable packages or cases each of which shall be sealed and marked with such mark.

(13) (a) On rejection of all stores submitted for inspection at a place other than the premises of the contractor. Such stores shall be removed by the contractor at his own cost. within 14 days of the date of intimation of such rejection. If the concerned communication is addressed and posted to the contractor at the address mentioned in the schedule, it will be deemed to have been served on him at the time when such complication would in the course of ordinary post reach the contractor Provided that the Inspector may call upon the contractor to remove dangerous, infected or perishable stores within 48 hours of the receipt of such communication and the decision of the inspector in this behalf shall be final in all respects. Provided further that where the price or part thereof has been paid the consignee is entitled without prejudice to his other rights to retain the rejected stores till the price paid for such stores is refunded by the contractor save that such retention shall not in any circumstances be deemed to be acceptance of the stores or waiver of rejection thereof.

(b) All rejected stores shall in any event and circumstances remain and always be at the risk of the contractor immediately on such rejection. If such stores are not removed by the contractor within the periods aforementioned, the inspector may remove the rejected stores and either return the same to the contractor at his risk and cost by such mode of transport as the Managing Director or Inspector may decide, or dispose of such stores at the contractor's risk and on his account and retain such portion of the proceeds if any from such disposal as may be necessary to recover any expense incurred in connection with such disposable (or any price refundable as a consequence of such rejection). The purchaser shall, in addition, be entitled to recover from the contractor handling and storage charges for the period during which the rejected stores are not removed/disposed of in accordance with the provisions thereof.

(14) ***Inspection Notes :***– On the stores being found acceptable by the Inspector, he shall give to the contractor necessary copies of inspection notes duly completed. The Inspection Note shall be stamped as "This I/Note is valid till for purpose of despatch only". The stores covered by such Inspection Notes must be despatched within 30 days from the date of the inspection notes. If the contractor is not able to despatch the stores as above the officer not less than next to higher in rank who issued the Inspection Notes may on sufficient

cause, such as non-availability of Railway booking, steamer booking, Force Majeure conditions, etc. shown to him allow a further period of 30 days to the contractor within which the stores must be despatched. The Inspector shall make an endorsement of the fact of extension of the Inspection Notes. If the stores are not despatched within this total period of 60 days the contractor will have to get the goods reinspected and has to obtain fresh inspection notes in lieu of the earlier inspection notes. In case of sub-centres, the 2nd validation of I/Note can be done by the head of the sub-centres irrespective of the officer who have signed I/Note.

The Inspector shall state on the fresh inspection notes that these have been given in lieu of the earlier inspection notes indicating clearly the printed serial number and date of issue of the invalid I/Note.

All the terms and conditions will apply to this re inspection as they apply to the original inspection of the stores.

The validity of the inspection notes shall not, in any manner whatsoever, have the effect of keeping the contract alive if it is not otherwise alive.

18. WITHHOLDING AND LIEN IN RESPECT OF SUMS CLAIMED

Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arise out of or under the contract against the contractor the purchaser shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security if any, deposited by the contractor and for the purpose, afore said, the purchaser shall be entitled to withhold the said cash security deposit or the security, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security being in sufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the purchaser shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of the such claimed amount or amounts referred to supra, from any sum or sums found payable or which at any time thereafter may become payable to contractor under the same contract or any other contract with the purchaser or the Government or any person contracting through the Managing Director pending finalizations or adjudication of any such claim.

It is an agreed term of the contract that the sum of money or monies so withheld or retained under the lien referred to above, by the purchaser will be kept withheld or retained as such by the purchaser till the claim arising out of or under the contract is determined by the arbitrator (if the contract is governed by the arbitration clause) or by the competent court as prescribed under clause 20 hereinafter provided, as the case may be, and that contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to supra and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a

limited company, the purchaser shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner limited company, as the case may be whether in his individual capacity or otherwise.

18.-A. LIEN IN RESPECT OF CLAIMS IN OTHER CONTRACTS

Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the purchaser or Government or any other person or persons contracting through the Managing Director against any claim of the purchaser or Government of such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of under any other contract made by the contractor with the purchaser or Government or with such other person or persons.

It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the purchaser or Government will be kept withheld or retained as such by the purchaser or Government or till his claim arising out of in the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by arbitrator, if the contract is governed by arbitration clause or by the competent court under clause 20 hereinafter provided, as the case

may be, and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

19. PAYMENT UNDER THE CONTRACT

(i) The payment of full 100% of price of the stores of each consignment thereof will be made after receipt and acceptance of the stores by the consignee/ interim consignee in full & in good condition. Bills are to be submitted in the prescribed form of the paying authority of purchaser / indentor and are to be supported with inspection note issued by the Inspector and consignee's Receipt Certificate.

Payment will be made in accordance with the instructions given in the acceptance of tender by a cheque or demand draft on a Branch of Reserve Bank of India or State Bank of India transacting Government business.

(ii) Where the Inspector also acts as the interim consignee or where inspection is carried on by the consignee himself at destination and in all cases of local delivery full payment shall be made on submission of "Final 100% bill" supported by the Inspector Certificate and consignee's receipt as aforesaid to the Accounts Officer concerned.

20. LAWS GOVERNING THE CONTRACT

(1) This contract shall be governed by the laws of India for the time being in force.

(2) Irrespective of the place of delivery, the place of performance or place of payment under the contract, the contract shall be deemed to have been made at the place from which the acceptance of tender has been issued.

(3) ***Jurisdiction of Courts.*** – The courts of the place from where the acceptance of tender has been issued shall alone have jurisdiction to decide any dispute arising out of or in respect of the contract.

(4) ***Marking of stores.*** – The marketing of the stores must comply with the requirements of the laws relating to Merchandise Marks for the time being in force in India.

21. INDEMNITY

(1) The contractor shall at all time indemnify the purchaser against all claims which may be made in respect of the stores for infringement of any right protected by patent, registration of designs or trade mark. Provided always that in the event of any claim in respect of alleged breach of letters patent registered designs or trade mark being made against the purchaser, the purchaser shall notify the contractor of the same and the contractor shall at his own expense either settle any such dispute or conduct and litigation that may rise therefrom.

(2) The contractor shall not be liable for payment of any royalty, licence fee or other expenses in respect of or for making the terms of the contract, to be treated as an agent of the Government for the purpose of making use of the patent or trade mark for fulfillment of the contract.

22. CORRUPT PRACTICES

(1) The contractor shall not offer or give of agree to give to any person in the employment of the purchaser or working under the orders of the Managing Director any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or for bearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the purchaser or Government/CSIDC or for showing or forbearing to show favor or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the purchaser or Government. Any breach of the aforesaid condition by the Contractor, or any one employed, by him or acting on his behalf (whether with or with out the knowledge of the contractor) or the commission of any offence by the contractor or by any one employed by him or acting on his behalf under chapter IX of the Indian Penal Code, 1860 or the Prevention of Corruption Act 1947 or any other Act enacted for the prevention of corruption by Public Servants shall entitle the Managing Director to cancel the contract and all or any other contracts with the contractor and to recover from the contractor the amount of any loss arising from such cancellation in accordance with the provisions of clause 14.

(2) Any dispute or difference in respect of either the interpretation effect or application of the above conditions or of the amount recoverable there under by the Purchaser from the contractor, shall be decided by the Administratively Incharge of CSIDC Ltd.(A Government Undertaking) or his nominee whose decision thereon shall be final and binding on the contractor.

23. INSOLVENCY AND BREACH OF CONTRACT

The Managing Director may at any time, by notice in writing, summarily determine the contract without compensation to the contractor in any of the following events, that is to say :–

(i) if the contractor being an individual or if a firm, any partner thereof, shall at any time, be adjudged insolvent or shall have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceeding for composition under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his estate made against him or shall take any proceeding for composition under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or enter into any arrangement or composition with his Creditors or suspend payment or if the firm be dissolved under the Partnership Act, or

(ii) if the contractor being a company is would up voluntarily or by the order of a court or a Receiver, Liquidator or Manager on behalf of the Debenture-holders is appointed or

circumstances shall have arisen which entitle the Court or Debenture-holders to appoint a Receiver, Liquidator or Manager, or

(iii) if the contractor commits any breach of the contract not herein specifically provided for :

Provided always that such determination shall not prejudice any right of action or remedy which shall have accrued or shall accrue thereafter to the purchaser and provided also the contractor shall be liable to pay to the purchaser for any extra expenditure he is thereby put to and the contractor shall under no circumstances be entitled to any gain on repurchase.

24. Arbitration

(i) In the event of any question, dispute or difference arising under these conditions or any special conditions of contract, or in connection with this contract (except as to any matters the decision of which is specially provided for by these or the special conditions) the same shall be referred to the sole arbitration of Managing Director, CSIDC Ltd. or his nominee. There will be no objection that the arbitrator is a Government Servant/ Employee of Undertaking that he had to deal with the matters to which the contract related or that in the course of his duties as a Government servant / Employee of Undertaking he had express views on all or any of the matters in dispute or difference. The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties to this contract.

(ii) In the event of the Arbitrator dying, neglecting or refusing to act or resigning or being unable to act for any reason, or his award being set aside by the court for any reason, shall be lawful for the Managing Director, CSIDC Ltd. to appoint another arbitrator in place of the outgoing arbitrator in the manner aforesaid.

(iii) It is further a term of this contract that no person other than the person appointed by the Managing Director, CSIDC Ltd. as aforesaid should act as arbitrator and that, if for any reason that is not possible, the matter is not to be referred to Arbitration at all.

(iv) the arbitrator may from time to time with the consent of all the parties to the contract enlarge the time for making the award.

(v) Upon every and any such reference, the assessment of the costs incidental to the reference and award respectively shall be in the discretion of the arbitrator.

(vi) Subject as aforesaid, the Arbitration & Reconciliation Act, 1996 and the rules there under and any statutory modification thereof for the time being in force shall be deemed to apply to the Arbitration proceedings under this clause.

(vii) If the value of the claim in a reference exceeds Rs. 1 lakh, the arbitrator shall give reasoned award.

(viii) The venue of arbitration shall be the place from which formal Acceptance of Tender is issued or such other place as the CSIDC Ltd. at his discretion may determine.

(ix) In this clause, the expression "the Managing Director, CSIDC Ltd." means the Managing Director, CSIDC Ltd. for the time being and includes if there be no Managing Director, CSIDC Ltd. or if Managing Director, CSIDC Ltd. is on leave or is absent from duty or is not available for any reason whatsoever, the Chief General Manager (CSIDC Ltd.); in case both the Managing Director and the Chief General Manager (CSIDC Ltd.) are on leave or are absent from duty or are not available for any reason what so ever, the officer who is looking after the current duties of Managing Director, CSIDC Ltd.; in case both the Managing Director and the Chief General Manager are on leave or are absent from duty or are not available for any reason whatsoever, the officer who is looking after the current duties of Managing Director, CSIDC Ltd. whether in addition to other functions or otherwise.

---------xx---------

CSIDC Form - 1/B

SPECIAL CONDITIONS GOVERNING RATE CONTRACTS

The General Conditions of Contract in Form No.CSIDC-Form-1/A included in the pamphlet entitled "General Conditions of Contract" governing contracts placed by Central Purchase Organization of the Government of Chhattisgarh as modified upto-date; and in addition to those general conditions the following special conditions shall govern the contract:-

SPECIAL CONDITIONS

1. ***Purpose of Contract and parties to the Contract.*** – The parties to the contract, which shall be deemed to be a "Rate Contract" and which is intended for the supply of the stores of the descriptions set forth in the Schedule to Tender during the period therein specified shall be Contractor of the one part and the Purchaser(s) named in the Schedule to Tender.

2. ***Number of quantity contracted for.*** – Subject as hereinafter mentioned, no guarantee can be given as to the number or quantity of the stores which will be ordered during the period of the rate contract which is only in the nature of a standing officer from the Contractor but the purchaser(s) undertake(s) to order from the contractor all stores as detailed in the schedule of stores and prices which he/they require(s) to purchase except that he/they reserve(s) the right (1) of submitting to competition any supply of articles include in the contract the total value of which exceeds such amount as the Managing Director (whose decision shall be final), may determine upon consideration of the tenders, (2) of placing this contract simultaneously of at any time during its period with one or more contractors as he/they may think fit, and (3) of obtaining from any source any stores referred to in the contract to meet an emergency, if the Managing Director (whose decision shall be final) is satisfied that the contractor is not in a position to supply specific quantities or numbers within the period in which supplies are required.

3. ***Deliveries.*** – The Contractor shall, as may be required, either deliver free at, or despatch "f.o.r." from the places specified in the Schedule(s) such numbers or quantities of

stores as may be ordered direct from the Contractor from time to time by the Purchaser(s) or by any officer who may at any time during the period of contract be authorized by the said Managing Director to place such orders.

4. ***Monetary limits for indents.*** – The Contractor shall not, except with prior approval of the office placing the Acceptance of Tender, comply with the orders exceeding in value the amount determined under clause 2 received from officers authorized by that office of place order against the contract direct on the Contractor.

5. The expression 'Managing Director' has in these special conditions the same meaning as assigned thereto in the General Conditions.

Special Conditions where they differ from the General Conditions, override the latter.

6. ***System of Payment.*** – 100 percent payment will be made on proof of inspection and receipt of material in good condition at destination. In other respects the provisions of clause 19, payment under the contract in CSDIC Form-1/A will apply.

7. Fall Clause

(i) the price charged for the store supplied under the contract by the Contractor shall in no event exceed the lowest price at which the contractor sells the stores or offer to sell stores of identical description to any persons/organizations including the purchaser or any Department of the Central Government or any Department of a State Government or any statutory Undertaking of the Central or State Government, as the case may be during the period till performance of all Supply Orders placed during the currency of the rate contract is completed.

(ii) If at any time, during the said period the contractor reduces the sale price, sells or offer to sell such stores to any person/organization including the purchaser or any Department of Central Government or any Department of a State Government or any statutory undertaking of the Central or State Government as the case may be at a price lower than the price chargeable under the contract, he shall forthwith notify such reduction or sale or offer of sale to the Managing Director, CSIDC Ltd. and price payable under the contract for the stores supplied after the date of coming into force of such reduction or sale or offer of sale shall stand correspondingly reduced. The above stipulation will, however, not apply to :–

(a) Export/Deemed Exports by the Contractor,

(b) Sale of goods as original equipment prices lower than the prices charged for normal replacement,

(c) Sale of goods such as drugs which have expiry dates, and

(d) Tenders submitted in response to fixed quantity contract enquiries issued by CSIDC Ltd.

(iii) The contractor shall furnish the following certificate to concerned Paying Authority along with each bill for payment for supplies made against the Rate Contract:

"I/We certify that there has been no reduction in sale price of the stores of description identical to the stores supplied to the Government under the contract herein and such stores have not been offered/sold by me/us to any

person/organization including the purchaser or any Department of Central government or any Department of a State Government or any statutory Undertaking of the Central or State Government as the case may be upto the date of bill/the date of completion of supplies against all supply order placed during the currency of the R/C at a price lower than the price charged to the Government under the contract except for quantity of stores categorized under sub-clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-para (ii) above, details of which are as follows :–

Note : The Contractor will also inform the Paying Authority and the CSIDC Ltd. as soon as supplies against all supply orders placed against the Rate Contract are completed.

CSIDC Form No. 1 / C

SPECIAL CONDITIONS GOVERNING SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY

In addition to the General Conditions of Contract in form no. CSIDC Form - 1 / A,B the following special conditions shall apply to contracts for the supply of plant and machinery and Manufacturerd equipment. Special conditions, where they differ from the General conditions shall override the latter.

SPECIAL CONDITIONS

1. **DEFINITIONS –**

(a) The expression "Work" means all the work specified or set forth and required in and by the said specifications, drawings and schedule hereto annexed or to be implied there from or incidental thereto, or to be hereafter specified or required in such explanatory instructions and drawing (being in conformity with the said original specification, drawing and schedule) and also in such additional instructions and drawings not being in conformity as aforesaid as shall from time to time, during the progress of the work hereby contracted for, be supplied by the purchaser,

(b) The term "test" shall mean such test or tests as are prescribed by the specification to be made by the purchaser, or his nominee, after erection at site before the plant is taken over by the purchaser.

2. **PERFORMANCE OF WORK –**

The work shall be performed at the place or places named in the tender or at such other place or places as may be approved by the purchaser.

3. **SPECIFICATION –**

If the contractor shall have any doubt as the meaning of any portion of the conditions or of the specification, drawings or plants he shall before submitting the tender, set forth the particulars thereof and submit them to the Managing Director in writhing in order that any such doubt may be removed.

4. **MISTAKE IN DRAWINGS. –**

The contractor shall be responsible for and shall pay for any alterations of the works due to any discrepancies, errors or omissions in the drawing or other particulars supplied by him whether such drawings or particulars have been approved by the purchaser or not, provided that such discrepancies, errors or omissions be not due to inaccurate information or particulars furnished to the contractor on behalf of the purchaser. If any dimensions figured upon a drawing or plan differ from those obtained by scaling the drawing or plan, the dimensions as figured upon the drawings or plan shall be taken as correct.

5. **VARIATIONS –**

No alternations, amendments, omissions, additions, suspensions or variations of the work (hereinafter referred to as "Variations") under the contract as shown by the drawings or the specification shall be made by the contractor except as directed in writing by the Inspector, but the Inspector shall have full power, subject to the proviso hereinafter contained, from time to time, during the execution of the contract, by notice in writing to instruct the contractor to make such variation without prejudice to the contract, and the contractor shall carry out such variations, and be bound by the same conditions, so far as applicable, as though the said variations occurred in the specification. If any suggested variation would, in the opinion of the contractor, if carried out, prevent him from fulfilling any of his obligations or guarantees under the contract, he shall notify the inspector thereof in writing and the inspector shall decide, forthwith whether or not the same shall be carried out, and if the inspector confirms his instructions the contractor's obligations and guarantees shall be modified to such an extent as may in the opinion of the inspector be justified, The difference of cost, if any occasioned by any such variations, shall be added to or deducted from the contract price as the case may require, The amount of such differences, if any, shall be as curtained as determined in accordance with the rates specified in the schedule of prices, so far as the same may be applicable, and where the rates are not contained in the said schedules, or are not applicable, they shall be settled by the purchaser and contractor jointly. But the purchaser shall not become liable for the payment of any charge in respect of any such variations unless the instructions for the performance of the same shall have been given in writing by the inspector.

In the Event of the Inspector requiring any variations, such reasonable and proper notice shall be given to the contractor as will enable him to make his arrangements accordingly, and in cases where goods or materials are already prepared, or any designs, drawings or patterns made or work done require to be altered, a reasonable sum in respect hereof shall be allowed by the purchaser :

Provided that no such variation shall, except with the consent in writing of the contractor, be such as will involve an increase or decrease of the total price payable under the contract by more that 10% threof.

In any case in which the contractor has received instructions from the inspector as to carry out the work which either then or later, will, in opinion of the contractor, involve a claim for additional payment the contractor shall, as soon reasonably possible after receipt of the instruction aforesaid, advise the inspector to that effect.

6. **OBLIGATIONS TO CARRY OUT INSPECTOR'S INSPECTION –**

The contractor shall also satisfy the inspector that adequate provision has been made (i) to carry out his instructions fully and with promptitude; (ii) to ensure that parts required to be inspected before use are not used before inspection; and (iii) to prevent rejected parts being used in error. Where parts rejected by the inspector have been rectified or altered, such parts shall be segregated for separate inspection and approval before being used in the work.

7. **RESPONSIBILITY FOR COMPLETENESS –**

Any fittings or accessories which may not be specifically mentioned in the specification but which are usual or necessary, are to be provided by the contractor without extra charge, and the plant must be complete in all details.

* In all cases where the contract provides for tests on site the purchaser, except where otherwise specified, shall provide free of charge, such labour, materials, fuels, stores, apparatus and instruments as may be requisite from time to time and as may reasonably be demanded, efficiently to carry out such tests of the plants, material or workmanship in accordance with the contract.

In the case of contracts requiring electricity for the completion of the works and for tests on site, such electricity, when available, shall be supplied free to the contractor at the pressure of the ordinary supply. Unless otherwise specified, the purchaser will supply free of charge to the contractor (1) unskilled labour, (2) timber, stores and lifting tackle necessary for the erection of the plant and all consumable stores including fuel and lubricating oils required during erection setting to work and testing the plant. The contractor shall provide (1) skilled labour and (2) tools and any other equipment which may be necessary.

8. **SUPERVISION –**

The contractor shall provide adequate supervision at all stages of the work and examine all parts for accuracy before erection is commenced, He shall also provide facilities and space satisfactory to the inspector for laying out for his inspection any parts to be used in the work at such stages of Manufacturer as he may direct.

9. **INSPECTION –**

The contractor shall inform the inspector in writing when any portion of the work is ready for inspection giving him sufficient notice to enable him to inspect the same without retarding the further progress of the work, No portion of the work shall be considered completed in accordance with the terms of the annexed tender until the inspector shall have certified in writing that it has been inspected, and approved by him. The expense incurred in sending the inspector to carry out inspection and/or tests at the place agreed upon in the contract will be defrayed by the purchaser provided that the results are satisfactory and in accordance with the term of the contract. In the event of the inspector and/or tests proving unsatisfactory and resulting in the non-acceptance of the plant/structure or any portion thereof, the cost of such inspection and/or tests (including the traveling and halting expenses incurred, if any), or such portion thereof as may be determined by that officer, shall be borne by the contractor.

10. **INSPECTION IN THE COUNTRY OF SUPPLY –**

In the case of materials or parts intended to be imported from outside India and requiring inspection in the country of supply, the demand for inspection shall be submitted by the contractor to the inspector in the form prescribed by the inspector who will countersign and forward it to the inspector duly appointed by the purchaser in the country of supply. The demand for inspection shall be in respect of materials or parts intended for use in execution of work specifically included in the contract, and shall give particulars of the materials or parts to be inspected.

11. **FINAL TESTS –**

If required by the purchaser, all tests necessary to ensure that the plant, machinery or equipment complies with the particulars and guarantees, shall be carried out at the contractor's or sub-contractor's premises. Should, however, it be necessary for the final tests as to performance and guarantees to be held over until the plant is erected at site they shall be carried out within one month of completion of erection. Should the result of these tests not come within the margin specified, the tests, shall if required be repeated within one month from the date the plant is ready for re-test, and the contractor shall pay to the purchaser all reasonable expenses to which he may be put by such tests.

12. **REJECTION OF DEFECTIVE PLANT –**

If the completed plant, or any portion thereof, before it is taken over under clause 17 be defective or fail to fulfill the requirements of the contract, the inspector shall give the contractor notice setting forth details of such defects or failure and the contractor shall forthwith make the defective plant good or alter the same to make it comply with the requirements of the contract. Should he fail the do so within the time specified by the inspector/consignee in his notice of rejection the purchaser may reject and replace at the cost of the contractor, the whole or any portion of the plant as the case may be, which is defective or fails to fulfill the requirements of the contract. Such replacement shall be carried out by the purchaser within reasonable time and at reasonable price and where reasonably possible to the same particulars and under completive conditions. The contractors full and extreme liability under this clause shall be satisfied by the payment to the purchaser of the extra cost, if any, of such replacement, delivered and/or erected as provided for in the original contract, such extra cost being the ascertained difference between the price paid by the purchaser, under the provisions above mentioned, for such replacement and the contract price for the plant so replaced, and the repayment of any sum paid by the purchaser to the contractor in respect of such defective plant. Should be purchaser not so replace the rejected plant within a reasonable time, the contractor's full and extreme liability under this clause shall be satisfied by the repayment of all moneys paid by the purchaser to him in respect of such plant.

13. **REPLACEMENT OF DEFECTIVE WORK OR MATERIAL. –**

If during the progress of the work, the purchaser or his representative shall decide and notify in writing to the contractor that the contractor has executed any unsound or imperfect work or has supplied any plant or material inferior in quantity or quality to those specified, the contractor on receiving details of such defects or deficiency shall, at his own expense, within seven days of his receiving the notice, or otherwise within such time as may be reasonable necessary for making in good, proceed to alter, reconstruct, or remove such work, or supply fresh materials up to the standard of the particulars and in case the contractor shall fail to do so, the purchaser may, on giving the contractor seven days notice in writing of his intention to do so, proceed to remove the work or materials complained of, and at the cost of the contractor perform all such work or supply all such materials, provided that noting in this clause shall be deemed to deprive the purchaser of or affect, any rights under the contract which he may otherwise have in respect of such defects or deficiencies.

14. **APPEAL –**

If the contractor desires to appeal against the decision of the inspector against the rejection of any work as not being in accordance with the contract, he shall appeal to the Managing Director within fourteen days after the inspector's decision and if an appeal is so preferred, the decision of the Managing Director shall be final and conclusive.

15. **TIME AND DATE OF COMPLETION OF THE WORK; ESSENCE OF THE CONTRACT –**

The time and date stipulated in the tender for the completion of the work shall be deemed to be of the essence of the contract. In case of delay the contractor shall in addition to other liabilities mentioned in the general conditions of Contract be liable for all costs of inspection which may be incurred after the date on which the work ought to have been completed and in the event of the Contractor's failure to complete the work within the period prescribed for such completion, the purchaser shall be entitled to withhold any payments until the whole of the work has been completed and to recover form the contractor a sum 2 per cent of the total contract price of the work for each and every month or part of a month during which the completion of the work may be delayed. But if the delay shall have arisen from any cause such as strikes, lockouts, fire, accident, riot, etc. which the purchaser may admit as reasonable ground for further time, the purchaser will allow such additional time as he may consider to have been required by the circumstances of the case.

16. **TRANSPORT AND RESPONSIBILITY FOR BREAKAGES ON ROUTE –**

Unless otherwise specified, the consignee will take delivery of the plant from the railway authorities at the railway station named in the schedule; he will undertake the transportation of the plant from the railway station to the site and he will bear the cost of the handling and transportation necessitated, but the contractor will be responsible for any damage which may be caused to the plant during transit to the site and should insure the plant at his own cost up till the time it is taken over as in clause 17.

17. **TAKING OVER –**

When all performance tests called for by the particulars have been successfully carried out before shipment the plant shall be accepted and taken over when it has been satisfactorily put into operation on site, or within one month of its being ready to be put into operation whichever shall be the earlier and the Inspector shall forthwith issue a taking over certificate.

In the event of final or any outstanding tests being held over until the plant is erected, such taking-over certificates shall be issued subject to the results of such final or outstanding tests which shall be carried out in accordance with clause 11.

When the particulars call for tests on site, the plant shall be taken over and taking-over certificate issued immediately such tests have been satisfactorily carried out.

The inspector shall not delay the issue of any taking-over certificate contemplated by this clause on account of minor defects in the plant which do not materially affect, the commercial use thereof provided that Contractor shall undertake to make good the same in due course.

18. **GUARANTEE AGAINST DEFECTS –**

Notwithstanding any inspection carried out by the Inspector at any time and/or approval, the Contractor shall be responsible for a period of twelve calendar months after the plant has been taken over under clause 17 the Contractor shall be responsible to the extent in this clause expressed for any defects that may develop under the conditions faulty materials, design or workmanship in the plant, or from faulty erection of the plant by the Contractor, but not otherwise and shall remedy such defects at his own cost when called upon to do so by the purchaser who shall state in writing in what respect the portion is faulty. If it becomes necessary for the Contractor to replace or renew any defective portions of the plant under this clause, the provisions of this clause shall apply to the portions of the plants so replaced or renewed until the expiration of six months from the date of such replacement or renewal or until the end of the abovementioned period of twelve months whichever may be the later, if any defects be not remained within sixty days from the date of communication thereof or within such other specific period as may be allowed by the purchaser in his discretion on application made to that effect by the Contractor the purchaser may proceed to do the work at Contractor's risk and expense, but without prejudice to any other rights which the purchaser may have against the contractor in respect of such defects.

19. **INABILITY TO PERFORM CONTRACT –**

Should the Contractor's preparation for the commencement of the work, or any portion of it or his subsequent rate of progress, be, from any cause whatever, so slow that in the opinion of the Inspector which shall be conclusive, the Contractor will be unable to complete the work or any portion thereof as agreed upon, or should he not have the work ready for delivery in conformity with the Contractor or should he neglect to comply with any directions given to him by the Inspector or in any respect fail to perform the contract, the purchaser shall have power to declare the contract at an end, in which case the Contractor shall be liable for any expense, loss or damage which the purchaser or indenter may incur or sustain by reason of, or in connection with the Contractor's default.

20. **SUBLETTING CONTRACT –**

The Contractor may, with the written permission of the purchaser, sublet or assign a portion of the works of which the makers are named in the contract provided that may such consent shall not relieve the Contractor from any obligation, duty or responsibility under the contract.

21. ***PROVISION OF FENCING, LIGHTS, ETC. –**

The Contractor shall at all time provide sufficient fencing, notice-boards, light and watchmen to protect and warn the public and guard the works and default thereof the purchaser may provide such fencing notice-boards, lights and watchmen as he may deem necessary and charge the cost thereof to the Contractor.

22. ***ACCESS TO SITE AND WORK ON SITE. –**

Suitable access to and possession of site shall be afforded to the Contractor by the Purchaser in reasonable time, and the Purchaser shall have all such foundation as are to be provided by him ready when required by the Contractor. Where a crane is available, its safe lifting capacity shall be stated in the specification and it shall be available for free use of the Contractor until the plant is taken over.

The work so far as it is carried out in the Purchaser's premises, shall be carried out at such time as the Purchaser may approve, and so as not to interfere unnecessary with the conduct of the Purchaser's business, but the Purchaser shall give the Contractor all reasonable facilities for carrying out the work.

The Contractor shall be responsible for the correctness of the positions, levels and dimension of the work, according to the drawings, notwithstanding that he may have been assisted by the Purchaser or his representative in setting out the same.

23. **DEFERRING SHIPMENTS –**

If the Purchaser shall have notified the Contractor in writing that the former is not ready to take delivery, no plant or materials shall be forwarded until an intimation in writing shall have been given to the Contractor by the Purchaser that he is ready to take delivery.

24. **SYSTEM OF PAYMENT –**

Unless otherwise agreed between the parties, payment for the delivery of the stores will be made by the indentor concerned on submission of bills in the prescribed from in accordance with the instructions given in the acceptance of tender by cheque on a government treasury or on a branch of the Reserve Bank of India or the State Bank of India or the State Bank of India transacting Government business. Government retains the right to reduce the number of bank or treasuries at which payment will be made.

Payment for the stores or for each delivery will be made to the contractor on submission of bills in accordance with the procedure laid down by the Managing Director as detailed below -

1. 90 Percent of the contract price of each consignment on production of an initial inspection note and Consignees Receipt Certificate,

2. 10 percent of the contract price of the plant plus the cost of erection if any, on final inspection and test, or alternatively at the Contractor's option the full 100 percent after erection on final inspection and test.

In addition to his other remedies under the law and these conditions, the Purchaser shall have lien on each consignment in respect of which the 90 percent has been paid to secure repayment of this amount and recovery of any sum due from the Contractor, should the plat not be taken over under clause 17 :

PROVIDED THAT in cases where the erection or final inspection and test of the plant at site is delayed for any reasons for which the Purchaser is responsible, 5 percent of the Contract price of the plant shall become payable, after the expiry of 4 months from the date arrival of the last consignment at site, the remaining 5 percent, being payable after erection and test and acceptance of the plant by the Inspector.

In respect of non erection contracts the system of payment stated in the general conditions shall apply.

25. **LIABILITY UNDER THE WORKMEN'S COMPENSATION ACT –**

The Contractor shall at all times indemnify the purchaser against any claims which may be made under the workmen's compensation act, 1923 or any statutory modification thereof or otherwise for or in respect of any damages or compensation payable in consequence of any accident or injury sustained by any workmen or other person whether in the employment of the Contractor or not.

26. **REGULATIONS OF LOCAL AUTHORITIES –**

The Purchaser shall through out the continuance of the contract, and in respects of all matters arising in the performance thereof, serve all notices and obtained consents, way leaves, approvals and permissions required in connection with the regulations and Bye – laws of the local or other authority which shall be applicable to works.

Any work of an electrical nature to be executed under contract shall comply with the provisions of the Indian Electricity Act 1910 and the Rules there under for the time being in force.

Any steam boilers forming part of this contract shall comply with the Indian boilers Act, 1923, and the rules there under for the time being in force.

---------xx---------

CSIDC Form No. 2

NON TRANSFERRABLE

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)

Marketing Division

1st Floor Udhyog Bhawan Ring Road No. 1, Telibandha Raipur (C.G.) 492006
(Ph : 0771-2583791 Fax : 0771-4091879 website: www.csidc.in email : csidcrpr@sify.com)

Instructions to

Tenderers

and

Direct Demanding Officers / Consignees

CSIDC Form 2

INDEX

1. SCOPE
2. GENERAL CONDITION OF CONTRACT
3. REPARATION OF SUPPLY ORDERS
4. DESPATCH INSTRUCTION AND NOTIFICATION
5. ACKNOWLEDGMENT OF THIS SUPPLY ORDER AND DELIVERY
6. PRE INSPECTION OF STORES BY THE CONTRACTORS.
7. PRE DESPATCH INSPECTIONS BY INSPECTING AUTHORITY
8. EXTENSION OF DELIVERY PERIOD
9. LIQUIDATED DAMAGES
10. TERMINATION FOR DEFAULT
11. PACKING AND MARKING
12. SYSTEM OF PAYMENT-PREPARATION AND SUBMISSION OF BILLS
13. DUTIES & TAXES
14. EXCISE DUTY
15. SALS TAX
16. FALL CLAUSE
17. SALE OF MATERIAL BRANDED WITH GOVERNMENT MARK
18. TRANSIT INSURANCE
19. GUARANTEE / WARRANTY
20. FORCE MAJEURE CLAUSE
21. PURCHASER'S RIGHT TO SHORTCLOSE THE RATE CONTRACT
22. RECEIPT OF STORES & NOTIFICATION OF DAMAGE AND LOSS IF ANY
23. SUBMISSION OF QUARTERLY DRAWAL REPORTS
24. RESOLUTION OF DISPUTES
25. REVOCATION / CANCELLATION OF RATE CONTRACT
26. ANNEXURES
    A) FORMAT FOR SUPPLY ORDER FORMAT
    B) FORMAT FOR EXTENSION OF DELIVERY PERIOD.
    C) FORMAT FOR DRAWAL REPORT
    D) FORMAT FOR NOTICE CUM CANCELLATION LETTER
    E) FORMAT FOR REVOCATION CUM CANCELLATION

INSTRUCTIONS TO FIRMS & DIRECT DEMANDING OFFICERS / CONSIGNEES

1. SCOPE :

1.1 The drawals against this rate contract are permitted for the bonafide use of the Chhattisgarh Government, State government Departments. CSIDC Ltd. will not be responsible for any post contractual liabilities for the supply orders not issued in accordance with the provisions brought out above.

2. **GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT:**

2.1 This Rate Contract and Supply Orders placed against the Rate Contract shall be governed by the General Conditions of the Contract as contained in CSIDC Form- 1 as amended upto date : Special Conditions governing Rate Contract contained in CSIDC Schedule - 1. The rate contract and the supply orders shall be issued for and on behalf of Purchasers i.e. **Governor of Chhattisgarh State**

2.2 This rate contract will be operated by the officers authorized by Chhattisgarh Government, to be called as the Direct Demanding Officer (DDO), in addition to the officers of CSIDC Ltd. Chhattisgarh Government may add or remove any officer from the list at any time during the currency of the rate contract.

2.3 DDO should act on the copies of rate contracts obtained from CSIDC Ltd. only. If under special circumstances they have to act on copies of RC obtained from the firms they should act on only such copies which are certified by an officer not below the level of G.M. of the firm that the copies provided are complete, along with all amendments since issued without deleting or altering any provisions of the rate contract and also subject to the condition that the same officer signs each page of the copy of the R.C. However, in such cases, CSIDC will not be responsible for any acts of omission by the firms.

3. **PREPARATION OF SUPPLY ORDERS**:

3.1 Placement of any Indent or the Supply Order is with a clear understanding that the expenditure involved in procuring the Stores (including cost of Stores, Duties and Taxes, Freight, Departmental Charges and other incidentals) has received the sanction of the competent Financial Authority and that funds are available under the proper Head of Accounts in the year in which the total cost will be adjusted.

3.2 Supply Order(s) against this Rate Contract should be prepared in the Standard Form as given in "Annexure - I" All particulars mentioned in the Form should be carefully typed or filled in so as to avoid any ambiguous interpretation. Particular care should be taken to mention quantity and total cost both in figures and in words so that there is no possibility of interpolation. Complete name and Full Postal Address of the Indentor, Consignee and the Accounts Officer and the Complete Head of Accounts must be indicated in the appropriate column of the Supply Orders. Order should be expressed in the same unit as has been given in the Contract.

3.3 DDOs are requested to place supply orders for their requirements on phased delivery basis to enable the Contractor to supply stores in time. The DDOs are requested to avail this discount to the full extent.

3.4 The DDOs who are authorized to operate RCs may sign the Supply Orders placed by them and communications relating thereto with their own designation. If sub-ordinate officer (who must invariably be a Gazetted Officer) is allowed to sign the supply order in exceptional cases, his name and designation together with that of the competent authority (DDO) for whom he is signing should be clearly stated in such cases. The name of the Officer signing the supply order should be indicated in block letters.

3.5 When the supply order make a reference to schedule, enclosures for description of stores, item No. of the Contract, total quantity and rates etc. the supply orders as well as the enclosures stitched thereto must be signed by the Officer placing the supply Order.

3.6 Copies of Supply Orders should be endorsed to following:

i) Paying Authority	-	1 copy
ii) Inspection Authority	-	2 copies
iii) Consignee/Interim Consignee	-	3 copies
iv) CSIDC Ltd.	-	1 copy

The copies of supply order(s) being sent to the firm, Paying Authority and Inspecting Officer must be signed in ink and should be sent by Registered Post A.D. The following Certificate must be recorded on each Supply Order sent to the Contractor:

"Certified that a copy of the Supply Order has been dispatched under endorsement No. (s) …… dated …….. to the …… (here fill in the Name and designation of the Paying Authority) _____ and _____ to the …….(here fill in the Name and designation of the Inspecting Officer)"

3.7 The DDOs should provide a definite date of delivery by which supplies are required. The DDOs should not stipulate vague terms of delivery. Attention is also drawn to clause-14 of CSIDC Form -1/A - according to which 21 days grace period would also be applicable on original delivery dates against supply orders with agreed and binding delivery dates unless specifically made inoperative.

3.8 The DDO should indicate against column "Date of Delivery" of S.O. the remarks that "the delivery date shown has been agreed to by the Contractor under his letter No. ..... date..... and provided the date of delivery has been expressly agreed to by the Contractor in writing.

3.9 The rate contract shall remain in force for the period indicated in the CSIDC Form - 1. A supply order may be placed upto the last date of the currency of the rate contract. Delivery date in the supply order need not necessarily fall within the currency of the rate contract but it can go beyond it depending upon the terms of delivery stipulated in the rate contract or in specifically agreed condition of delivery in respect of particular supply order. No extension of validity period of the rate contract itself is required when deliveries against outstanding supply orders continue even after expiry of the validity period. The rate contract will remain alive for purpose of delivery for all the stores ordered during the currency of the rate contract until deliveries have been completed

4. **DESPATCH INSTRUCTIONS AND NOTIFICATION**:

4.1 Unless otherwise specified in the Schedule (s), supplies will be available from the date Contract commences.

4.2 It is essential that full and clear instructions regarding dispatch are given in the Supply Order. Any changes in dispatch or delivery instructions should be notified to the Contractor under intimation to the Paying Authority and the Inspecting Authority.

4.3 In case of Order placed on F.O.R. Station of Dispatch basis, the Stores shall be dispatched by Goods Train by the most economical route and at most economical Tariff on "FREIGHT TO PAY" basis.

4.4 In case the Supply Order(s) call for the dispatch of Stores on "FREIGHT PRE-PAID" basis, Stores shall be dispatched by Goods Train by the most economical route and at most economical Tariff on "FREIGHT PREPAID" basis. In that event the Freight will be reimbursed by the Paying Authority at actual against the documentary proof i.e. photocopy of the Railway Receipt. The reimbursement of Freight will be made along with the initial payment.

4.5 In respect of all dispatches in "SMALLS" (less than a wagon load), the Stores shall be dispatched by Parcel/Passenger Train by the Most economical route and at most economical Tariff on "FREIGHT PRE-PAID" basis. In that event the Freight will be reimbursed by the Paying Authority at actual against documentary proof i.e. Photocopy of the Railway Receipt. The reimbursement of Freight will be made alongwith the initial payment.

4.6 In case the Supply Order calls for the dispatch of Stores by Road, the dispatches may be made by Road.

4.7 In case of Rate Contract providing for prices on F.O.R. Destination basis, the Contractor should invariably dispatch stores freight "Pre-Paid" in all cases and should indicate the same in the bill. In cases where the Stores have been sent on 'Freight to pay' basis, the Contractor should deduct the amount of Railway Freight from its bills. In such cases, the consignee should also indicate in the Receipt Certificate portion of the Inspection Note the amount recoverable towards freight.

4.8 The Contractor should forward the Railway Receipt to the consignee by Registered Post Acknowledgment Due/Speed Post/Courier immediately after dispatch of stores. Should any demurrage be incurred owing to delay on their part in forwarding Railway Receipt, the amount of such charges will be deducted from their bills.

4.9 Challans, Packing Notes must be submitted to the consignees sufficiently in advance of the actual arrival of Stores at destination failing which the Contractor will be held responsible for any subsequent discrepancy between actual receipt and the materials detailed in the challan received later.

5. **ACKNOWLEDGMENT OF THE SUPPLY ORDER AND DELIVERY:**

5.1 The Contractor should accept S.O. from the DDOs against this Contract on the Standard Form, incorporating all the particulars prescribed in the Contract. The Contractor should examine the supply order(s) immediately on their receipt and bring to the notice of officer placing the supply order, within 7 days of the receipt of supply order, any discrepancy, with regard to the nomenclature, Manufacturerrs part no. of the stores etc. ordered for due rectification. The letter should be sent by Registered Post. A.D. Meanwhile, supply of items which are clear for acceptance should not be held up and supplies be arranged by the date mutually agreed upon.

5.2 The Contractor at the time of receipt of supply order should verify, that a certificate to the effect, that copies of the supply order has been sent through Registered Post AD to Inspecting Officer and the Paying Authority, is recorded by the officer issuing supply order. If it is not recorded, immediate action should be taken by the Contractor in this regard to avoid delay in payment of bills.

5.3 The Contractor shall verify the SO about the rate of Sales tax as per the terms of the rate contract. The contractor may return the supply order if there is no clear indication in them about the rate of sales tax or SO are not accompanied by form C or D which ever is applicable.

5.4 The Contractor shall maintain stocks at the station (s) indicated by him in his tender and shall make deliveries against Supply Orders from such stocks as and when required. Upon receipt of a Supply Order (S.O.), the Contractor, within Seven (7) days, intimate to the S.O. issuing authority, the quantity which can be supplied from stocks at the station(s) specified in the S.O. and within the Delivery period stipulated therein and the time required to supply the balance. Such an acknowledgment may be given in the Format given below:

This is to acknowledge receipt of your Supply Order No……dated ……

The Stores ordered in the Supply Order will be supplied by the Delivery Date(s) as stipulated by you viz ……..

[OR]

The Stores ordered by you cannot be supplied by the Delivery Date(s) as stipulated by you, but supplies can be made as under:

Quantity …… by ……..

[Strike out the Option Not Applicable]
If the Contractor is unable to supply the entire quantity within the time stipulated in the S.O. and intimate the time within which supplies will be made by the Contractor, the Officer placing the S.O. will notify his acceptance of the Delivery Time offered by the Contractor or negotiate until an agreement is reached between the S.O. issuing Authority and the Contractor.
If the Contractor fails to give such intimation within Seven (7) days, the Contractor shall be deemed to have agreed to supply the Stores within the Delivery Date Stipulated in the Supply order.
5.5 In all cases, the Delivery Time as deemed to be accepted by the Contractor or agreed upon as aforesaid between him and the officer placing the Supply Order shall be deemed to be essence of the Contract and delivery must be completed not later than such Date. If in any case, no agreement with respect to the Delivery Time is reached between the Contractor and the Officer who has issued the Supply Order, it shall be lawful for such officer to withdraw the Supply Order and the Contractor shall have no claim in respect of such withdrawal(s).
5.6 Against the ex-stocks deliveries, the material shall normally be put on rail (or delivered in case of local supplies) within a fortnight of the date of receipt of the S.O.. In case supplies are required urgently at station(s) other than specified in the Rate Contract, the Contractor shall intimate the S.O. issuing Authority whether extra freight charges, if any, will be to the account of the Purchaser or the Contractor. The Contractor shall await specific instructions from the S.O. issuing Authority before making any supplies.
6. **PRE-INSPECTION OF STORES BY THE CONTRACTORS:**
6.1 The Contractor should satisfy themselves that the stores are in accordance with the terms of the Contract and fully conform to the required specification by carrying out a thorough pre-inspection of each lot of the stores before actually tendering the same for inspection to the Quality Assurance Officer nominated under the terms of Contract. Such precaution on the part of the Contractor minimizes the chances of rejection and the consequences thereof.
7. **PRE-DESPATCH INSPECTION BY INSPECTING OFFICER**
7.1 The stores on no account be dispatched/delivered without getting the same inspected and issue of Inspection Notes by the Inspecting Officer nominated in the contract.
7.2 On receipt of the Supply Order, the Contractor shall notify to the Inspecting Officer, if inspected stocks are available with the request for issue of Inspection Notes to enable the Contractor to dispatch the stores.
7.3 The inspection of Stores offered against Supply Order(s) will be entertained only if it is ink signed and received directly from DDO through registered post.
7.4 Inspecting Officer can however undertake inspection on the basis of an attested copy of the supply order provided by the firm, after comparing it with the original ink signed supply order available with the firm. Inspecting officer would simultaneously write to DDO under registered post with a request to furnish an ink signed copy of the supply order.
7.5 The copy of the supply order so provided by the firm, should be attested by a person not below the rank of General Manager of the firm, on each page of supply order, including amendments if any. The Inspecting Officer may also take an undertaking from the firm to the effect that the copy of supply order and amendments, if any so provided, to the Inspecting Officer is correct and complete in all respect and that the firm holds themselves responsible for any discrepancies if found subsequently and consequences thereof.
7.6 He may release Inspection Notes after following above procedure if the original copy of the supply order is not received from DDO in spite of making reference to him by registered post. The Inspection Notes in such cases would be issued with a note that:

"The inspection has been undertaken and Inspection Note is being issued on the request of the supplier and on the basis of an attested copy of the supply order provided by the firm, since the original ink signed copy of the supply order has not been received from the DDO despite

having asked for it vide letter No. ……. Dated ……. The release of stores under this Inspection Note is therefore subject to verification of the genuineness of the supply order.
Contractor shall ensure that sufficient time is given to the Inspecting Officer in arranging inspection and testing of the goods keeping in view the delivery date.
The Contractor should ensure that goods accepted by the Inspecting Officer after inspection have been properly and legibly stamped by latter's Identification Stamp/Seal.
7.7 The Contractor shall allow all reasonable facilities and free access to his works and records to the Inspecting Officer. The Contractor shall, at his own expense, afford to the Inspecting Officer all reasonable facilities as may be necessary for satisfying himself that the goods are being and/or have been Manufactured in accordance with the contract requirements. For the aforesaid purpose he may require the supplier to make arrangements for inspection and/or testing of the supplies or any part thereof or any material at his premises or at any other place specified by the Inspecting Officer. The samples, all materials, tools, labour, testing equipment and assistance which the Inspecting Officer may demand of him to verify the conformity of the goods to the quality requirement etc. will be provided without any extra charge,.
7.8 The result of the Inspection will be notified to the supplier by the Inspecting Officer.
8. **EXTENSION OF DELIVERY PERIOD**
8.1 As soon as it becomes apparent to the contractor that the delivery date(s) stipulated in the Supply Order(s) can not be adhered to, Contractor should apply for extension to the officer(s) who placed the supply order(s)giving reasons for the delay and also the date upto which extension is required. The Officer placing the Supplying Order will consider such request and if he has no objection, extend the delivery date suitably in the Format given in Annexure III. subject to the following conditions:

a. That an amount equal to the liquidated damage for delay in the supply of the stores after the expiry of contract delivery period shall be recovered from the contractor.
b. That no increase in price on account of any statutory increase in or fresh imposition of Customs Duty, Excise Duty, Sales Tax or on account of any Tax or Duty leviable in respect of stores specified in the said Supply Order which takes place after the agreed delivery date of delivery Shall be admissible on such of the said stores as are delivered after the said date.
c. That notwithstanding any stipulation in the contract for increase in price or any other ground no such increase which takes place after delivery date of delivery shall be admissible on such of the said stores as are delivered after the said date.
d. But nevertheless, the Purchaser shall be entitled to the benefit of any decrease in price on account of reduction in or remission of Customs Duty, Excise Duty, Sales Tax or on account of any other Tax or Duty on any other ground including Market Rate stipulated in the Price variation Clause which takes place after the expiry of the agreed delivery dateof delivery.

9. **LIQUIDATED DAMAGES**
9.1 If the Contractor fails to deliver any or all of the goods within the time period(s) specified in the Supply Order and agreed by him in accordance with clause 5.4, the Purchaser will be entitled to the remedies detailed in the clause 14 of the condition of the contract CSIDC Form - 1/A .i.e. liquidated damage for delay in supply, cancellation and repurchase at the expenses of the supplier.
9.2 In cases where Direct Demanding Officers have placed a Supply Order on the firm stipulating an unilateral delivery date and supplies do not materialize within a reasonable time, the direct demanding officer has the right to give the contractor a notice fixing reasonable time for delivery of the goods. The notice should state that the delivery within the time fixed shall be the essence of the contract. The notice should be issued by the DDO in the
standard form (Annexure- II) and can operate only if there is an acceptance absolutely and unqualified to all the terms and conditions of the contract. Such an acceptance can be

evidenced either by correspondence or by conduct, that is by making supplies without raising any objections. Mere postal acknowledgment of the letter of extension will not serve this purpose. In case notice period is not agreed by the contractor either by correspondence or by conduct, the delivery will not be binding and the Supply Order in that case will have to be cancelled without any financial repercussions.

10. **TERMINATION FOR DEFAULT :**

10.1 The right to cancel the Supply Order rests only with the DDOs by himself.

10.2 Proposal for cancellation of Supply Order need be referred to CSIDC Ltd. only in case of Supply Orders above Rs. 10 lakh in value and where it is established that the delay in supply is due to willful negligence on the part of the supplier.

11. **PACKING AND MARKING:**

11.1 Unless specified otherwise, consignment should be securely and properly packed as per Clause 12 of the CSIDC Form - 1, and every precaution taken to avoid loss or damage during transit. Each package should be clearly marked to indicate Description and Quantity of stores, Name and Address of the Consignee, Gross weight of the Package, S.O. No. and Date and the Name of the Contractor as provided in the General Conditions of the Contract [Form No. 1]

12. **SYSTEM OF PAYMENT-PREPARATION AND SUBMISSION OF BILLS:**

12.1 Bills should be prepared on the standard forms of the paying authority.

12.2 All bills in respect of the Supply Orders placed for supply by DDOs will be paid by the Paying Authority mentioned in Supply Order within 20 days from the date of receipt of goods in good condition and submission of bills to paying authority. In case of undue delay in payment by DDOs / paying authority, interest at current bank rate shall be payable.

12.3 Payment will be made by the Accounts Officer concerned on the basis of original ink signed Supply Order received from DDO duly authenticated by him.

12.4 On no account payment will be made on the basis of attested copy of supply orders. When Contractor submit their bills to the Accounts Officer concerned, they should give the information on the bill itself that a copy of the supply order has been sent by the DDO to them quoting postal registration number and date under which the supply order was sent as indicated on the firm's copy of the supply order by the officer who has placed the supply order. The intention is that the bills regarding supply order placed by Direct Demanding Officers should accompany this information so that the Accounts Officer should be able to connect and locate the Supply orders in his office.

12.5 Payment will be made to the Contractor on submission of Bills in accordance with the Procedure laid down in CSIDC Form -1/A. The broad provisions are reproduced as under:

i. 100% of the price of the Stores of each consignment thereof alongwith 1% towards consultancy & inspection charges in terms of rule 7.4 & 11 of Store Purchase Rules 2002 declared by Chhattisgarh Government, shall be paid on the receipt and acceptance of the store wise by the Consignee or delivery to the Local Consignee or delivery to an interim consignee, if any, and on the production of valid Inspection Note.

13. **DUTIES & TAXES** :

If it is desired to ask for excise duty or any other charges extra, the same must be specially stated. In the absence of any such stipulation, it will be presumed that the prices include all such charges & no claim for the same will be entertained.

a) If reimbursement of Excise duty is intended as extra over the quoted prices, the supplier must specifically say so. In the absence of any such stipulation it will be presumed that the prices quoted are firm and final and no claim on account of excise duty will be entertained after the opening of tenders.

b) If a tenderer chooses to quote a price inclusive of excise duty and does not confirm that the excise duty so included is firm and final, he should clearly indicate the rate of excise duty and quantum of excise duty included in the price. Failure to do so may result in ignoring of such offers summarily.

c) If a tenderer is exempted from payment of excise duty upto any value of supplies from them, he should clearly state that no excise duty will be charged by him up to the limit of exemption which he may have. If any concession is available in regard to rate/quantum of Central Excise duty, it should brought out clearly. Stipulations like, excise duty was presently not applicable but the same will be charged if it becomes leviable later on, will not be accepted unless in such cases it is clearly stated by the tenderer that excise duty will not be charged by him even if the same becomes applicable later on. In respect of tenderers who fail to comply with this requirement, their quoted prices shall be loaded with the quantum of excise duty which is normally applicable on the item in question for the purpose of comparing their prices with other tenderers.

d) Any change in excise duty upward/ downward as a result of any statutory variation in excise taking place within contract terms shall be allowed to the extent of actual quantum of excise duty paid by the supplier. Similarly, in case of downwards revision in excise duty the actual quantum of reduction of excise duty shall be reimbursed to the purchaser by the supplier. All such adjustments are include all relief's, exemptions, rebates, concessions etc. if any obtained by the supplier.

14. **EXCISE DUTY:**

14.1 Excise duty, wherever to be paid extra will be paid to the Contractor at actual against a documentary evidence i.e. a photocopy of the Invoice duly attested & signed by the Contractor's Managing Director or his authorized signatory for the purpose.

14.2 The Contractor, while submitting the Bills, will also furnish the following Certificate on the Bill itself.

i. Certified that the Excise Duty charged on this Bill is not more than what is payable under the provision of the relevant Act or the rules made there under.

ii. Certified that the amount of Rs. _____ claimed as Excise Duty in this Bill is in accordance with the provisions of the Rules in all respects and that the same has been paid to the Excise Authorities in respect of the Stores covered by this Bill.

14.3 The Contractor shall submit to the Paying Authority, the following Certificates:

a. Certificate with each Bill to the effect that no refund has been obtained in respect of reimbursement of Excise Duty made to the Contractor during three (3) months immediately preceding the date of the covered by the relevant Bill.

b. Contractor's Statutory Auditor's Certificate as to whether any refunds have been obtained or applied for by the Firm or not in the preceding financial year, after the Annual Audit of their Accounts also indicating details of such refunds/applications, if any. This Certificate should contain reference to all Ad-hoc A/Ts, Rate Contracts held by the Contractor.

c. A Certificate, alongwith the Final payment Bills to the effect whether or not they have any pending appeals/protest for refund or partial refund of Excise Duties already reimbursed to the Contractor by the Government pending with the Excise Authorities and, if so, the nature, the amount involved and the position of such appeals. This Certificate should be signed by Contractor's Managing Director/Manager/Accountant.

d. An undertaking to the effect that in case it is detected by the government that any refund from Excise Duty Authorities obtained by the Contractor after obtaining reimbursement from the Paying Authority and if the same is not refunded by the contractor to the Paying Authority, giving details and particulars of transactions, the Paying Authority will have full authority to recover such amount from the Contractor's outstanding Bills against a particular contract or any other pending Government Contractor and no dispute on this account would be raised by the Contractor.

14.4 The provisions laid down in 14.3 (d) is not applicable for those units which are established in specific area where the Central Government has sanctioned specific Excise Duty Incentive to the unit.

15. **SALES TAX**

15.1 Whenever supplies are made to a Government Department or to any other Department which does not fall under the definition of Government i.e. the local bodies etc. but is a registered dealer under the respective Sales Tax act, the Contractor should intimate whether the purchase being a Government

Department or a registered dealer is entitled for any concessional rate and if so under which notification or category they are allowed such concessions for their prompt settlement of their sales tax claim.

15.2 Wherever, the sale is to a registered dealer or Government Department or to such consignees who are entitled to avail of the benefit of the concessional rate of tax or exemption from payment of sales tax under the Central Sales Tax Act or the State Sales Tax Act or the rules made there under, the Contractor must obtain the relevant certificate/declaration in proper time and in case declaration/certificate the matter should be immediately brought to the notice of the S.O. issuing Authority under advice to the CSIDC Ltd.

15.3 In Supply Orders of Amendments, there to allowing Sales Tax, State or Central the Contractor shall furnish the following certificate under the dated signature on their relevant Bill for the Sales Tax. Certificated that the good on which Sales Tax has been charged have not been exempted under the Central Sales Tax Act. or State Sales Tax Act. or the rules made there under and the charges on account of Sales Tax on these goods are correct under the provision on that Act. of the Rules made there under. Certified further that we (or our branch or (Agent)……. (Address) …… are registered as dealers in the State of …….. under Registration No. …… for the purpose of Sales Tax".

The Contractor should also give a Certified that the assessment for the period under which the Supply Order or the Supplies made to the Government Department or Consignee have been made or not ? In case the Assessment has been done, the Contractor should furnish a copy of the Assessment Order in which the supplies or the supply order have been covered to determine the exact rate of sales tax at which they have been assessed by the sales tax authorities.

The Contractor should also make all their efforts to approach the last legal forum whenever there is dispute regarding applicability of sales tax in the category of the schedule under which they fall or whether a contract of contract for sales or the category of schedule under which they fall the contractor should ensure that the assessment made by the first authority i.e. the ASTO or STO IS not final and their orders are challenged in the next higher judicial forum.

15.4 If it is desired by the tenderer to ask for sales tax to be paid as extra, the same must be specifically stated. In the absence of any such stipulation in the Tender, it will be presumed that the prices quoted by the tenderer are inclusive of sales tax and no liability of sales tax will be devolved upon the purchaser.

15.5 On the tenders, quoting sales tax extra, the rate and the nature of sales tax applicable at the time of supply, should be shown separately. Sales tax will be paid to the seller at the rate at which it is liable to be assessed or has actually been assessed provided the transaction of sale is legally liable to sales tax and the same is payable as per the terms of the contract.

16. **FALL CLAUSE :**

16.1 The prices charged for the stores supplied under the Contract by the Contractor shall in no event exceed the lowest price at which the Contractor sells the Stores or offer to sell stores of identical description to any person (s)/ organization (s) including the Purchase or any Department of the Central Government of the state Government or any statutory undertaking of the Central or a State Government, as the case may be during the period till performance of all Supply orders placed the currency of Rate Contract is completed.

16.2 If at any time during the said period, the contractor reduces the Sale price, sells or offer of sell such Stores to any person(s)/organisation (s) including the Purchase or any statutory Undertaking of the Central or a State Government, as the case may be, at a price lower than the price chargeable under his Contract, he shall forthwith notify such reduction or sale or offer of sale to the CSIDC Ltd. and the price payable under the Contract for the Stores supplied after the date of coming into force of such reduction or sale stand correspondingly reduced. The above stipulation will, however not apply to :

a) Export/deemed Export by the Contractor
b) Sale of Goods as original Equipment prices lower than the price charged for normal replacement.
c) Sale of goods, such as drugs, which have expiry date.
d) Tenders submitted in response to fixed quantity contract issued by CSIDC Ltd.

16.3 The Contractor shall furnish a following certificate to the Paying Authority alongwith each bill for payment for supplies made against the Rate Contract.

"I / We certify that there has been no reduction in sale price of the Stores of Description identical to the Stores supplied to the Government under the contract

Here in and such Stores have not been offered/sold by me/us to any person(s)/organisation including the purchaser or any Department of Central Government or any Department of a State Government as the case may be upto the date bill/ the date of completion of supplies against all supply orders placed during the currency of the R/C at a price lower than the price charged to the Government under the Contract except for quantity of Stores categorized under sub clause (a), (b) and (c) of sub-para (ii) above details of which are as follows :-

NOTE : The contractor will also inform the Paying Authority and the CSIDC Ltd. as soon as the supplies against all the Supply Orders placed against he Rate Contractor are completed.

17. **SALE OF MATERIAL BRANDED WITH GOVERNMENT MARK.**

17.1 Material which are branched with Government mark, it would be the condition that such material will not be sold to the public, such a condition at destination. The transit risk in this respect may be covered by the Contractor by getting the stores duly insured, if he so desires. The insurance cover shall be obtained by the Contractor in his own name and not in the name of the Consignee. The consignee will as soon as possible but not later than 45 days from the date of arrival of stores at destination notify the Contractor of any Loss of Damage of the store that may have occurred during transit.

18. **TRANSIT INSURANCE :**

18.1 The purchaser will not pay separately for Transit Insurance and the Supplier will be responsible till the entire stores contracted for arrive in good condition at destination. The transit risk in this respect may be covered by the Contractor by getting the stores duly insured, if he so desires. The insure cover shall be obtained by the Contractor in his own name and not in the name of the consignee. The consignee will as soon as possible but not later than 45 days from the date of arrival of stores at destination notify the contractor of any loss or damage to the stores that may have occurred during transit.

19. **GUARANTEE / WARRANTY :**

19.1 The Contractor shall certify that the Stores supplied to the Purchaser under any Supply Order placed against this Contractor are of best quality and workmanship and new in all respects and strictly in accordance with the specifications and Particulars mentioned in CSIDC Form - 1/A to the Rate Contract.

19.2 The Contractor shall guarantee that the Stores supplies would continue to be of the same quality and particulars for period of 12 months from the date of receipt of Stores by the consignee or 18 months from the despatch , whichever is earlier. In respect of Indigenous Plant and Machinery, the period would be 12 months from the date of taking over as mentioned in CSIDC Form 1/C. The Contractor further guarantees that, notwithstanding the fact that the Inspecting Officer may have inspected and/or approved the said Stores, be discovered not to conform to the description and quality aforesaid not giving satisfactory performance or have deteriorated, and the decision of the Purchase in that behalf shall be final and binding on the Contractor and the purchaser shall be entitled to call upon the Contractor to rectify the Contractor and/or replace the Stores or such portion thereof as is found to be defective by the Purchaser within a reasonable period, or such specified period as may be allowed by the Purchaser in his discretion on application made therefore by the contractor, and in such an event the above period shall apply to the Stores rectified and/or replaced from the date of rectification and/or replacement mentioned in warranty therefore

otherwise the Contractor shall pay to the Purchaser such compensation may arise by reasons of the warranty there in contained.

19.3 In case of Plant and Machinery or in case of Stores which may require Spares, the Contractor shall Guarantee and they will supply Spare Parts, if and when required on agreed basis for an agreed price. The agreed basis could be an agreed percentage of profit on the landed cost.

19.4 The Contractor shall furnish the Warranty to the effect that before going out of production for the Spare Parts, they will give adequate notice to the Purchaser of the Equipment so that the later may undertake the balance of lifetime requirements.

19.5 The Contractor shall furnish the Warranty to the effect that they will furnish the blue prints of drawing of the Spares if and when required in connection the main equipment.

20. **FORCE MAJEURE CLAUSE :**

20.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this Contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or of (Good hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event by one party to the other within 21 days from the date of occurrence therefore, neither party shall be reasons of such event to entitled to terminate this contract nor shall have any claim for damage against the other in respect if such nonperformance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed its soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist and the decision, as the Managing Director as to whether the deliveries have been so assumed or not shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that if purchaser shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by the Managing Director , which shall be final all unused, undamaged and accepted material bought out components and stores in course of Manufacturer in the possession of the contractor at the time of such termination or such portion therefore as the Purchaser. May deem fit exceeding such materials, bought out components and stores as the contractor may with the concurrence of the purchase to retain.

21. **PURCHASER'S RIGHT TO SHORTCLOSE THE RATE CONTRACT.**

21.1 Since the rate contractor is standing offer and is merely a document embodying various terms of the standing offer made by the contractor, the purchaser i.e. CSIDC Ltd. can legally cancel the Rate Contract, at any time during the currency of the Contract. Giving a responsible opportunity to the contractor to represent against such cancellation. The revocation/cancellation of the Rate Contract shall take effect immediately thereafter. Any order placed by Direct Demanding Officer after the date of cancellation of the Rate Contract should not be taken up by the contractor for execution. The purchaser i.e. CSIDC Ltd. may, at its option negotiate with the Contract so as to bring the R/C prices in line with the Market prices, whenever market fluctuation affect prices abnormally. If the negotiation with the contract will be foreclosed and fresh and fresh Rate Contract will be concluded separately.

22. **RECEIPT OF STORES & NOTIFICATION OF DAMAGE AND LOSS IF ANY :**

22.1 The consignee is responsible for verifying at the time of taking delivery from the Railway Authorities that the stores have been received intact without loss or damages. When the stores are despatched in full wagon are intact.

22.2 If there are any discrepancies such store having been damaged, found deficient or below standard the consignee, after taking into account special terms and conditions, if any, that might have been stipulated in the Rate Contract regarding responsibility for breakage etc, in

transit should make the endorsement in the consignee' together with amounts to be recovered from the Contractor. Brief reasons as to why the amount is to be recovered from the Contractor such as 'bad packing' etc should be stated as guide to the Paying Authority regarding the action to be taken.

22.3 If there is evidence of loss or damage, the consignee should arrange to secure necessary certificate from appropriate railway officials before taking delivery. The loss or damage should in every case, be promptly reported to the Contractor, Purchase Officer who placed order, as otherwise the consignee will be deemed to have accepted the stores. In any event, the consignee should not, give Receipt Certificate to the Contractor before checking and verifying the stores.

22.4 In case the consignee observes some shortage/damage they should ensure to take Open Delivery invariably and lodge the claim with the Carriers immediately under intimation to contractor CSIDC Ltd. and the Paying Authority. Failure to act. properly may result in losing their claim of shortage/damage, if any observed at a later date.

22.5 The consignee should invariably incorporate a certificate on the Receipt Certificate on the following lines :

"Consignee was despatch under …….. + ……"

+ indicate any one of the following through which/consignment was despatched/ received.

a. Clear Railway Receipt.
b. Said to Contain Railway Receipt.
c. At Railway/Owner's risk".

22.6 Any amount paid by the consignee, due to demurrage charges, under charges etc. on behalf of the contractor should be immediately reported to them, under intimation to the Paying Authority to enable him to retrench the amount from any of the bills due to the contractor.

22.7 The consignee should ensure that any loss and or damage to Stores that, may have occurred during Transit should be notified to the Contractor within 45 days of the date of arrival of the stores at destination. Failure to do so would render Purchaser claim for such loss/ damage being rejected by the contractor in case entire consignment is not received within 30 days of its dispatch, the Consignee should immediately take up with Railways and lodge claim with them. Simultaneously the consignee should advise the Contractor asking them to take up the matter with the Railway for follow up action. In all such cases, Paying Authority may be advised suitable so as to recover the cost of such affected consignment could be recovered from the Contractor bills in terms of General Conditions of Contract.

22.8 Where stores are rejected on arrival on destination these will be re-booked to the contractor, if he so desires, Freight to Pay at public Tariff rates.

22.9 Where the rejected stores are returned as above, and goods are not required to be replaced the freight paid by the consignee, if any, on the original consignment will be recovered from the contractor either in cash or from their bills. In case original consignment was booked at concessional rate, the charges actually incurred by the consignee only will be recovered. If the contractor does not want the consignment to be rebooked, and the original consignment was booked at concessional tariff, the contractor shall be liable to pay the difference between the public tariff and the concessional tariff.

22.10 The consignee should also indicate Replacement required" "Replacement not required or Can rectify locally total cost Rs ……. Paying Authority shall take necessary action, in consultation with the Purchase Officer, to retrench the amount from any sum due or which may become due to the contractor and for this purpose the Paying Authority will use

Retrenchment Slip copies of which will be sent to the Contractor, Purchase Officer, Consignee and Inspecting officer.

22.11 The consignee then will ascertain from the Contractor whether he is going to :

i) make good the deficiency in stores
ii) carry out rectification, or
iii) agree to the rectification being carried out by the consignee at the Contractor's expense.

22.12 Regarding (i) above in the event of replacement after rejections of stores, the consignee should address a letter to the Rate Contract holder for replacement giving details of stores rejected and endorse copies to the pay & Accounts Officer, Concerned. and the Inspection Officer will carry out inspection of Stores tendered by the Rate Contract holding firm and issue inspection notes. The Inspecting Officer must, however mention in the Inspection Note No …… dated …… as per letter No …… dated from consignee. The consignee will, also as usual, return to the Rate Contract holding firm' the Inspection Note after making necessary endorsement and completing the Receipt Certificate therein and the normal procedure for final 100 % payment will be followed in such cases.

22.13 Regarding (ii) the same procedure as in the case of (i) above will apply except where rectification are carried out at the consignee's premises In the latter event, if it is not possible for the Rate Contractor holder to have the Stores re-inspected by the Inspector named in the contract, the consignees may inspect the stores and issue the inspection Note endorsing it with the Retrenchment Slip no. and date for cross reference He will complete Inspection Certificate and Receipt Certificate and distribute copies of the Inspection Note in the normal manner Regarding (iii) the Rate Contract holder will be debited with the actual cost of such rectification Issue of further Inspection Note would not be necessary.

22.14 In case consignee proposes and communicates to the Paying Authority any recovery due to shortage/damage/rejection etc. copies may be endorsed to CSIDC Ltd. also so that he is also aware of such recovering and the performance of the Contractor.

22.15 If the goods are required to be replaced, such consignment in the replacement will be booked Freight Paid at Public Tariff Rate inspective of Tariff for the original consignment NO. recoveries in respect of freight on the original consignment will be made from the contractor. In case the replacement supplies are booked will be made from the Contractor at Public Tariff Rate either in cash or by deduction from his bills and the fact should be reported to CSIDC Ltd. so that suitable action can be taken against the contractor.

22.16 Recoveries of freight charges be reported to the Paying Authority as early as possible together with the details of the Supply Order to enable him to identify the transaction.

22.17 Immediately after the completion of Supply Order the consignee should furnish the following information to the purchase Officer.

a) Supply Order No. & Date read with R/C No. date
b) Quantity and Value of Supply Order.
c) Date of despatch by the Contractor along with R.R. No. and date.
d) Any remarks.

23. **SUBMISSION OF DRAWAL REPORTS :**

23.1 The offer of the firms for the next RC, will be considered only if their performance against the current and preceding RCs, if hold by them, is satisfactory and they are other wise eligible.

For this purpose the CSIDC Ltd. expect that a firm should have supplied minimum 85%/ 95% 100% of the stores due for supply against the current RC and preceding two years R.C respective on or before the cut off date as indicated in the tender enquiry.

23.2 The Contractor shall submit a statement of Orders received and executed against the Rate Contract, by the 10th of each month in the proforma attached ("Annexure – III") to the concerned DDO's with copy to Managing Director CSIDC Ltd..

24. **RESOLUTION OF DISPUTE :**

24.1 In the event of any question, dispute or difference arising under these conditions or any Special Conditions of Contract, or in connection with this contract (except as to any matters the decision of which is specially provided for by these or the special conditions) the same shall be referred to the CSIDC Form -1/A.

24.2 Where the Sole Arbitrator Clause has not been agreed to, all dispute or differences arising under or out of or in connection with the contract, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court within the local limits of whose jurisdiction, the place from where contract was issued is situated.

25. **REVOCATION / CANCELLATION OF RATE CONTRACT :**

Since the rate contract is a standing offer and is merely a document embodying various terms of the standing offer made by the contractor for acceptance by the purchaser, either party namely the RC holder / The Purchaser can legally revoke/ cancel the Rate Contract at any time during the currency of the Rate Contract giving a notice of 21 days. The revocation of the Rate Contract on the part of the RC holder shall take effect 21 days from the date of the communication of revocation is received from the purchaser. The cancellation of the Rate Contract by the Purchaser shall take effect 21 days from the date of issue of letter notifying the short-closure.

The notice-cum-cancellation of Rate Contract letter to be issued by the purchaser is given in Annexure - IV and the RC holder can revoke the Rate Contract by making an application in the form given in Annexure - V.

-----xxxxx-----

ANNEXURE - I

Supply Order Against Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. Rate Contract

Office Of The _____ Supply Order No. _____
_____ Date _____
_____

To,
M/s _____ Supplier Code No. _____
_____
_____

This supply order is being placed for under mentioned material in terms of CSIDC Ltd. Rate Contract No. _____ dated _____ valid from _____ to _____ to create a specific contract between the contractor named above on the one part and the *_____ on the other part.

Item Code No.	Description	Unit	Quantity	Rate / Unit	Total Value Rs.
			Grand Total Rs.		

2. Excise Duty (if any) : _____

3. Sales Tax (if any) : _____

4. Other Charges (if any) : _____

5. Term of Delivery : F.O.R. Destination

6. Delivery Period : _____

7. Mode of Transport : _____

8. Inspection Authority : ADI (QA) DGS&D New Delhi
   Inspecting Officer : Director (QA) of the area concerned or his authorized representative.

9. Name and Address of the consignee (s) : _____
   _____
   _____
   _____
   _____

10. Paying Authority : _____

* mention the name of indentor placing the supply order.

11. Payment Terms : _____
   _____
   _____

12. Head of Accounts to which debit is to be raised : _____
_____

All other terms & conditions mentioned in the aforesaid Rate Contract shall be applicable.
Please acknowledge receipt of supply order immediately.
In case there is any discrepancy in the Supply Order, same should be communicated within 7 days of receipt of supply order, failing which it will be presumed that there is no discrepancy in the supply order.

( )
For & on behalf of _____

Copy to :
1. Paying authority _____
2. Inspection authority _____
3. Consignee (s) _____

( )
For & on behalf of _____

Annexure -II

AMENDMENT S. NO.

To

_____

_____

Sub : Supply Order No. …… Dated ……. For Supply
Of …….. Against CSIDC Ltd. Rate Contract No. ……
Dated ……. (Value Rs. ……..)
Ref : Your letter No. …… Dated ……

Sir,

You have failed to deliver the Stores ……. (indicate the quantity of Stores remaining unsupplied) within the Contract Delivery period …… (Delivery period as last extended upto). In your letter under reply, you have asked for extension/further extension of time for delivery. In view of the circumstances sated in your said letter, the time for delivery is extended from ..... to .....

2. Please note than an amount equal to the liquidated damage for delay in the supply of the stores after the expiry of the Contract delivery period shall be recovered from you.

3. The above extension of delivery date will also subject to the following further conditions :-

a) That no increase in price on account of any statutory increase or fresh imposition of Customs Duty, Excise Duty, Sales Tax or on account of any Tax or Duty leviable in respect of stores specified in the said Supply Order which takes place after the agreed deliver date of **_____ shall be admissible on such of the said stores as are delivered after the said date.

b) That notwithstanding any stipulated in the contract for increase in price of any other ground no such increase which takes place after the agreed date of ____**_____ shall be admissible on such of the said stores as are delivered after the said date.

c) But, nevertheless, the Purchase shall be entitled to the benefit of any increase in price on account of reduction in or remission of Customs Duty, Excise Duty, Sales Tax or on account of any other Tax or Duty or on any other ground including Market Rate stipulated in the Price stipulated in the Price Variation Clause which takes place after the expiry of the agreed delivery date of _____
**_____.

4. You are requested to note that notwithstanding the extension in Delivery Period (if accepted by you), the time hereby extended for supply of stores shall be deemed to be of essence of Contract and failure on your part to supply the stores by the extended time shall entitle the Purchaser to cancel the contract at your risk and cost without further notice or opportunity.

5. Please intimate your unconditional acceptance to reach this office within 21 days of the issue of this letter failing which contract will be cancelled at your risk and expenses without any further reference to you.

(** insert here the original delivery date or the last unconditionally extended delivery date)

Yours Faithfully

ANNEXURE- III

FORMAT FOR DRAWAL REPORT

Name of the firm _____ Jan – Mar Report No. _____
Apr – June
Rate Contract No. _____ July – Sept. Date of Submission _____
Oct. – Dec.

Total position of Order against Rate Contract till the submission of Report

Name of Department	Value of Order Received	Value of Order Executed	Balance to be supplied	Reasons for non supply

Foot 1. Value indicate should be a) Value of orders received during the quarter – Rs. _____
Total value inclusive of all
Taxes duties and incidental b) Value of orders supplied during the quarter – Rs _____
Charges.

2. Nill report should also be Submitted

ANNEXURE- IV

(Notice - Cum - Cancellation Letter)

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited
A Government of Chhattisgarh Undertaking
1st Floor Udhyog Bhawan Ring Road No. 1, Telibandha Raipur (C.G.) 492006

(Application where the Purchaser decided to short-close the R/C)

No. _____

To,
M/s _____
_____
_____

Subject : Rate Contract for supply of _____
Valid upto _____.

Dear Sir,

a) It has been observed that there has been a notable downfall in the prices after conclusion of the R/C and that the stores are now obtainable on much lower rates (if it is possible to indicate a definite price at which the stores are now obtainable, the same can be counter offered to R/C holder for their acceptance).
b) The quantity of the goods supplied against the R/C so far have not been to the requisite standard in as much as there have been complaints from the departments in this regard, and
c) Your conduct in performance in R/C has not been satisfactory in respect of :
d) Any other reasons which can be indicated.

Note : Purchase officer has to assign any one or the other reasons as relevant.

2) In view of above, it has ; been decided to short-close the subject Rate Contract after _____ allow 21 days from the date of the issue of the letter. The Rate Contract may be treated as cancelled / withdrawn after _____ (date given for the withdrawal of the RC). Any order placed by Direct Demanding Officers after the expiry of the notice period shall not be executed by you.

Yours Faithfully
For & On Behalf of the Purchaser
Named in the Schedule.

ANNEXURE- V

REVOCATION - CUM - CANCELLATION
(Application where RC is revoked the RC Holder)

To,

Managing Director,
CSIDC Ltd.
1st Floor Udhyog Bhawan Ring Road No. 1, Telibandha Raipur
Chhattisgarh 492006

Subject : Rate Contract for supply of _____
Valid upto _____.

Sir,

It is not possible for us to continue for supply against the subject Rate Contract for the following reasons :

a)

b)

In terms of clause 25 of CSIDC Form - 2, I/We hereby revoke the Rate Contract which will take effect 21 days from the date of receipt of this communication by your office. Formal cancellation letter may be issued at the earliest.

Yours Faithfully
(M/s _____)

Note for the Purchase Officer ;

The Purchase Officer is expected to issue the cancellation letter counting 21 days from the date revocation letter is received in the CSIDC Ltd. stating that :

" In view of your letter dated _____ the Rate Contract is hereby treated as short-closed/withdrawn w.e.f. _____

All orders placed prior to this cancellation are, However, to be executed at the earliest."

Appendix Form 4

INFORMATION & INSTRUCTIONS
TO THE BIDDERS FOR e PROCUREMENT SYSTEM

Special Conditions & instructions for eProcurement System as given in the subsequent pages will over-rule the conditions stated in the tender documents, wherever relevant and applicable.

1. Enrollment/ Registration & Empanelment of the Contractors/Bidders on Government of Chhattisgarh's e-Procurement Portal:

In order to participate in the tenders floated using the eProcurement System, all contractors/ bidders are required to get enrolled on the eProcurement portal (**http://cgeprocurement.etenders.in)** and suppliers registered with CSIDC should get themselves empanelled on the sub-portal of CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT COPRORATION LIMITED in http://csidc.cgeprocurement.etenders.in in the relevant bidder class.

The enrollment of contractor on **http://cgeprocurement.etenders.in** is valid for one year, thus it needs to be renewed every year. The empanelment of the contractor is also required to be renewed in the system as and when registration is renewed with the department.

2. Set-up of Machine:

In order to operate on the eProcurement system, setting of User's machine is required. For which User has to install some utilities in his machine as per the instructions given in Help Manual for 'Machine Setup' (Available for download on the eProcurement portal). The copy of the same may be obtained from Service Provider of the eProcurement System "**Wipro Limited in consortium with M/s NexTenders (India) Pvt. Ltd.**"

3. Obtaining a Digital Certificate:

The bids submitted online should be signed electronically with a Digital Certificate to establish the identity of the bidder bidding online. These Digital Certificates are issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities, Government of India.

A Digital Certificate is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a digital certificate can be issued.

The registered contractors may obtain information required for issuance of a Class II Digital Signature Certificate from the Controller of Certifying Authorities (www.cca.gov.in) or from below address:

NexTenders (India) Pvt. Ltd.

Shop No. 149, 150

Mahalaxmi Cloth Market

Pandri, Raipur (CG)

Tel.No.0771–320 7996, 320 4997 Email: raipur@nextenders.com

Important Note: Submission of Bids for a particular tender shall be done only using the digital certificate. In case, during the process of a particular tender, the user looses his Digital Certificate (i.e. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.); he may not be able to submit the bid online. Hence, the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online tendering, the digital certificate issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to a no-objection certificate/power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the digital certificate as per Indian IT Act 2000. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to bid on behalf of the firm for Public Health Engineering_ Department's tenders as per Information Technology Act 2000. The digital signature of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management/partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh 'authorization certificate' for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a private/public limited company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

4. Opening of an Electronic Payment account: For Submitting the bids online Contractors/ Bidders are required to make online payment using the electronic payments gateway service as mentioned in the NIT.

Arrangements have been made for Contractors/ Bidders to make payments online via Credit Card / Cash Cards / Internet Banking. The different modes of electronic payments accepted on the eProcurement System is available and can be viewed online on the eProcurement website (**http://cgeprocurement.etenders.in**).

5. Payment for submission of bids online: The tender documents may be downloaded free of cost from online eGPS by eligible Contractors/Bidders. The Contractors/Bidders are required to make the payment for bid submission through online payment modes mentioned in *Point No. 4* above. **In online tendering, the "application form" for the issue of tender documents shall not be required.**

The suppliers shall submit the bids by making online payment of Tender document fees using the service of the secure electronic payments gateway, and print out the system generated receipt for their reference which can be produced whenever required.
The secure electronic payments gateway is an online interface between Contractors/Bidders and credit card / online payment authorization networks.

Submission of bids, EMD and other documents will be governed by the time schedule given under “Key Dates” on the online e-Procurement System portal for the particular tender.

[Please refer to the Help Manual for viewing of New Tenders Online on the eProcurement Portal.]

5. Tender Download: Eligible/ Interested Bidders can download the Tender Document online.

6. Submission of Bid Seal (Hash) of online bids: The online submission of bids will be preceded by submission of the "digitally signed bid seal (hash)" as stated in the tender time schedule (Key Dates) published in the NIT. The contractor cannot change any bid data after the generation of bid seal (Hash).

7. Generation of Super Hash: After the time of submission of Bid Seal (Hash) by the Contractors/Bidders has lapsed, the bid round will be closed and a "digitally signed tender Super-Hash" which will be prepared by concerned Department official. This is equivalent to sealing the tender box.

8. Submission of actual online bids: Suppliers have to submit and sign their encrypted bids (by their user Public-Key) online using their digital certificate after the generation of Super Hash within the date and time as stated in the tender schedule (Key Dates). The electronic bids of only those suppliers who have submitted their bid seals (hashes) within the stipulated time, as per the tender time schedule (Key Dates), shall be accepted by the system. A supplier who does not submit his bid seal (hash) within the stipulated time shall not be allowed to submit his bid.

9. Submission of Earnest Money Deposit: The supplier will also submit their Earnest Money Deposit as usual in a sealed physical "Cover - A" and the same should reach the stipulated department office as stated in the Tender Document, by post. The Supplier shall also upload scanned copy of EMD instrument along with other details during online bidding.

10. Opening of Tender documents: **The authority receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the "Envelope A" of all the contractors/bidders and check for the validity of EMD and documents submitted in the "Envelope A", as required by _____ Department. In case, the requirements are incomplete, the Technical Bid of the concerned supplier received shall not be opened.**

The authority shall then open the bids submitted by the suppliers online through the eProcurement website. The official shall match the hash of each bid with the hash submitted by the contractors prior to bid submission. In the event of any mismatch, such bid(s) shall be rejected after a due process of verification by _____ Department.

11. Fill Negotiated Rates: **The successful bidder may have to fill in Negotiated Rates if so required during this Process. In case of no negotiation or no change in rates successful bidders need to complete the Fill Negotiated Rates stage.**

12. Key Dates: **The suppliers are strictly advised to follow the tender schedule (Key dates) for their side of tasks and responsibilities to submit their bids, as the system is time and date locked.**

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : कार्या.– 0771–2583792–93, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N, ST Regn No. AABCM6288NSD004

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

परिपत्र

विषयः– तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक के संबंध में।

सीएसआईडीसी द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित अगस्त 2004) के तहत् आरक्षित सामग्रियों के तकनीकी बीड मूल्यांकन हेतु दिनांक 07.06.2013 को 03.30 बजे अपरान्ह तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें निम्नलिखित सामग्रियों का तकनीकी बीड मूल्यांकन किया जाना हैः–

1. ISI Mark Barbad Wire
2. A.C. Pressure Pipe
3. Fly Ask Bricks
4. D.I. Pipe
5. Sport Items (Football & Volley ball)
6. Sport Items (Multi Gym – 12 Station)
7. Sport Items (Discus, Shot Put, Javelin)
8. Water Cooler

सर्वसंबंधितों से नियत तिथि / समय पर सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) उद्योग विभाग, (रिंग रोड नं.–1 खनिज भवन के सामने) में अपने प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु अनुरोध है।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, अनुसुचित जाति जनजाति विकास विभाग,रायपुर ।
2. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर। राजभवन के पीछे।
3. संचालक, महिला बाल विकास विभाग, रायपुर।
4. आयुक्त नगर पालिका निगम रायपुर को सूचनार्थ।
5. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर।
6. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, रायपुर।
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,रायपुर।
9. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग रायपुर।
10. प्रमुख अभियंता ,लोक निर्माण विभाग रायपुर ।
11. अपर संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर ।
12. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिक विकास विभाग, रायपुर ।
13. उप निदेशक, डीजीएसएण्डडी, सेक्टर 1,स्ट्रीट–10 ओल्ड टेलीग्रॉफ भिलाई को सूचनार्थ।
14. मुख्य अभियंता,(निरीक्षण) प्रोजेक्ट एण्ड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमि, चौथी मंजिल कोरया रोड़ 67 सेक्सपीयर सारणी कोलकता पश्चिम बंगाल।
15. मुख्य महाप्रबंधक इंस्पेस्शन राईटस लिमि, चर्च गेट स्टेशन रोड़ सेकेन्ड फ्लोर एम.के.रोड़ मुम्बई महाराष्ट्र।
16. मेनेजर (आपरेशन) एस.जी.एस. इंडिया लिमि,43 आरआर आरकेट जोन–2 एमपी नगर भोपाल (म.प्र.)
17. इन्सपेक्शन इंजीनियर, इंडियन रजिस्ट्रर ऑफ शिपींग, फ्लेट नं. 304, ब्लॉक–ए अशोका हाइट, मोवा छ.ग. रायपुर।
18. प्रभारी अधिकारी, पीएस– 01,02,05,08,09,10 विपणन शाखा, सीएसआईडीसी, रायपुर।
19. तकनीकी कक्ष, विपणन शाखा, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
20. निज कक्ष, प्रभारी विपणन–1, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
21. आदेश नस्ती।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : कार्या.– 0771–2583792–93, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N, ST Regn No. AABCM6288NSD004

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

परिपत्र

विषयः– सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा क्रय समिति (Tender Purchase Committee) की बैठक के संबंध में।

सीएसआईडीसी द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित अगस्त 2004) के तहत् आरक्षित सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु दिनांक 07.06.2013 को 03.00 बजे अपरान्ह निविदा क्रय समिति की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें निम्नलिखित सामग्री का दर निर्धारण किया जाना हैः–

1. Steel Furniture (Part-II)

सर्वसंबंधितों से नियत तिथि / समय पर सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) उद्योग विभाग, (रिंग रोड नं.–1 खनिज भवन के सामने) में अपने प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु अनुरोध है।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

क्र.सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–4 / 13–14 / **रायपुर, दिनांक ..... / 06 / 2013**

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, अनुसुचित जाति जनजाति विकास विभाग,रायपुर ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. संचालक, महिला बाल विकास विभाग, रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,रायपुर।
5. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग रायपुर।
6. प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग, रायपुर ।
7. अपर संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर ।
8. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिक विकास विभाग, रायपुर ।
9. कार्यपालन अभियंता,लोक निर्माण विभाग वि / यॉ संभाग रायपुर ।
10. उप निदेशक, डीजीएसएण्डडी, सेक्टर 1,स्ट्रीट–10 ओल्ड टेलीग्रॉफ भिलाई को सूचनार्थ।
11. मुख्य अभियंता,(निरीक्षण) प्रोजेक्ट एण्ड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमि, चौथी मंजिल कोरया रोड़ 67 सेक्सपीयर सारणी कोलकता पश्चिम बंगाल।
12. मुख्य महाप्रबंधक इंस्पेस्शन राईटस लिमि, चर्च गेट स्टेशन रोड़ सेकेन्ड फ्लोर एम.के.रोड़ मुम्बई महाराष्ट्र।
13. मेनेजर (आपरेशन) एस.जी.एस. इंडिया लिमि,43 आरआर आरकेट जोन–2 एमपी नगर भोपाल (म.प्र.)
14. उपप्रबंधक, वित्त, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
15. इन्सपेक्शन इंजीनियर, इंडियन रजिस्ट्रर ऑफ शिपींग, फ्लेट नं. 304, ब्लॉक–ए अशोका हाइट, मोवा छ. ग. रायपुर।
16. प्रभारी अधिकारी, पीएस– 02 विपणन शाखा, सीएसआईडीसी, रायपुर।
17. तकनीकी कक्ष, विपणन शाखा, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
18. निज कक्ष, प्रभारी विपणन–1, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर।
19. आदेश नस्ती।

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन–I

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited
(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
LIC Campus, Pandri, Raipur (C.G.) 492 004
Phone: 0771&2583792&93, Fax:0771-2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N, ST Regn No. AABCM6288NSD004

No./CSIDC/MKD/ PS-IX/12-13 Raipur, Dated:

REGISTERED/AD

To,

M/s Mini Infotech,
Shop No. 03 Akbar Complex]
Pachpedi Naka Chowk,
Raipur C.G.
Phone No. 0771- 4053378
Mobile No. 9669900013

Sub:- **Counter Offer for execution of Rate Contract for the Item Multimedia Projector -Reg.**

Ref:- I. Tender Enquiry No. CSIDC/MKD/2012-13/78/336 Dated 27.12.2012
II. Bid No 6607 dated 23.01.2013

Dear Sir,

With reference to above, it is informed that the price quoted by you have been considered to be on higher side. CSIDC Ltd. has approved reasonable prices in the neighborhood of quoted rates as indicated herewith in **Annexure "A"** enclosed, for specifications as per tender floated by this office.

Your acceptance /non acceptance as in shape of revised offer in sealed covers super scribedwith the said Enquiry No. CSIDC/MKD/2012-13/78/336 Dated 27.12.2012 including Notarized an

undertaking on a non-judicial stamp paper of Rs.50/- must reach this office on of before dated* **15.03.2013** upto 05.30 PM. You are also hereby directed to submit following **Notarized Copies** of documents necessarily along with acceptance of counter offer:-

1. Valid Copy of **DGS&D**, Registration Certificate for the Sub Items Mentioned in **Annexure "A"**
2. Copy of Sale Tax/Commercial Tax/CST Registration Certificate for the Quoted Item enlisted in the Department of Sale/Commercial Tax
3. Valid Sale Tax /Commercial Tax / VAT Clearance Certificate
4. Copy of Warranty As per **Annexure "B"**

Please note that in case your revised offer acceptance along with necessary documents are not received by the prescribed date as mentioned above, it will be deemed that you are not interested in counter offer. Accordingly, the CSIDC will have all the rights to take the further necessary action in accordance with the Terms & Condition laid down in the Rate Contract Tender Form.

Encl:-As above.

(Subas Chandra Bhagat)
I/C Marketing -1
For and on behalf of the purchaser
Named in CSIDC Form No. 2

Annexure-A

ITEM – MULTIMEDIA PROJECTOR

M/s Mini Infotech, 1408, A-Block Shanti Residency Pachpedi Naka, Raipur C.G.

Sub Item Code no-	Item Description		Offer Rate FOR Dest. ED-NA & VAT Extra As Applicable (Rate /Unit)	Brand Name	Model No.	Accepted	Not Accepted
Schedule 1- Optional Accessories for Multimedia Projector							
SPR123 MP1	Spare Projection Lamp 2500 Lumens		8340.00				
SPR123 MP2	Spare Projection Lamp 3000 Lumens		10260.00				
SPR123 MP3	Spare Projection Lamp 5000 Lumens		12000.00				
SPR123 MP4	Spare Projection Lamp 4000 Lumens		18500.00				
SPR123 MP5	Ceiling Mounting Brackets above 2000 to 4000 Lumens		1495.00				
SPR123 MP6	Ceiling Mounting Brackets above 4000 Lumens		1495.00				
SPR123 MP7	Spare Projection Lamp 3500 Lumens		11300.00				
SPR123 MP8	Trolly bag		1750.00				
SPR123 MP9	Web Camera		2200.00				
SPR123 MP10	Universal Remote		1000.00				
SPR123 MP11	Interactive Display Module		21800.00				
Schedule 2- Multi-media Projector							
Code	Resolution	Ansi Lumen					
SPR123 MP12	1024 x 768	XGA 3000	28990.00				
SPR123 MP13	1024 x 768	XGA 4000	48000.00				
SPR123 MP17	1280 x 800	WXGA 3000	44700.00				
SPR123 MP18	1280 x 800	WXGA 4000	75000.00				
Schedule 3- Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector							
Code	Resolution	Ansi Lumen					
SPR123 MP26	1024 x 768	XGA 3000	33950.00				
SPR123 MP27	1024 x 768	XGA 4000	54000.00				
SPR123 MP31	1280 x 800	WXGA 3000	53900.00				

Schedule 4- Multimedia Projector with Storage media Port integrated in Projector							
Code	**Resolution**	**Ansi Lumen**					
SPR123 MP26	**1024 x 768**	**XGA 3000**	**33950.00**				
SPR123 MP27	**1024 x 768**	**XGA 4000**	**54000.00**				
SPR123 MP31	**1280 x 800**	**WXGA 3000**	**53900.00**				
Schedule 4- Multimedia Projector with Storage media Port integrated in Projector							
Code	**Resolution**	**Ansi Lumen**					
SPR123 MP42	**1024 x 768**	**XGA 4000**	**54000.00**				
Schedule 5- Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector							
Code	**Resolution**	**Ansi Lumen**					
SPR123 MP56	**1024 x 768**	**XGA 3000**	**39000.00**				

Seal & Signature of the Tenderer with date

(Subas Chandra Bhagat)
I/C Marketing -1
For and on behalf of the purchaser
Named in CSIDC Form No. 2

प्रति,
To,

प्रबंध संचालक
The Managing Director
छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur

सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर द्वारा टेंडर क्रमांक **No.** CSIDC/MKD/ PS-II/79/345/2012-13/ हेतु निर्धारित दरों पर रेट कांट्रेक्ट **(सामग्री –आईएसआई सोडियम हायपोक्लोराईट)** करने हेतु हम निम्नलिखित सहमति प्रदान करते हैं।

We hereby submit the undertaking as under for the rate contract of **(Item -** ISI Sodium Hypochlorite**)** against Tender Enquiry **No.** CSIDC/MKD/ PS-II/79/345/2012-13/ concluded by CSIDC Ltd., Raipur

1. मुझे / हमें यह स्पष्ट है कि रेट कांट्रेक्ट के विरूद्ध सी.एस.आई.डी.सी./सीधे मांग कर्ता अधिकारी (डी डी ओ) द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने का कोई आश्वासन नहीं है तथा यह केवल एक स्टेंडिग ऑफर है। फिर भी मुझे/हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत यह एक अनुबंध हो जायेगा और रेट कान्ट्रेक्ट में तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गयी शर्तो व नियमों को मानने के लिए मैं/हम बाध्य होंगें ।

1. I/We are clear that Rate Contract is a Standing offer without any commitment of supply order either by CSIDC Ltd. or by any Direct Demanding Officer (DDO). However on placement of supply order it becomes a contractual liability to honour all obligation of terms and condition contained in the Rate Contract and supply orders.
2. मैं / हम रेट कान्ट्रेक्ट की अनुसूची में उल्लेखित सामग्री या उसके ऐसे किसी भाग का जिसे आप रेट कान्ट्रेक्ट में विनिर्दिष्ट करें उक्त अनुसूची में दी गयी कीमत पर प्रदाय करने की एतद् द्वारा प्रस्थापना को रेट कांट्रेक्ट के दिनांक से एक वर्ष तक खुला रखने हेतु सहमत हूं / हैं । छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर द्वारा मुझे / हमें जारी किये गए प्रदाय आदेष में विहित समय के अंदर भेजी गयी स्वीकृति की सूचना द्वारा आबद्ध होउंगा/ होंगे ।
2. I/We hereby offer to supply the stores detailed in the Rate Contract here or such portion there of as may be specifed in supply order at the prices given in said Rate Contract and accept the Rate Contract valid for one Year from the date of conclusion. I/We shall be bound by a communication of supply order despatched within prescribed time by Direct Demanding officer of various Govt. Departments of C.G. state.
3. मैं / हमने सीएसआईडीसी फार्म नं. 1 अनुबंध की सामान्य शर्ते एवं फार्म न. – 2 निर्देश पुस्तिका में दिये गये निविदाकारों को अनुदेश और ठेके की शर्तो को समझ लिया है जो कि इस रेट कान्ट्रेक्ट में भी लागू होगा और इसकी अनुसूची में उद्धृत विनिर्देश, रेखा चित्र और या प्रतिमान की पूरी तरह परीक्षा कर ली है और मैं / हम चाही गयी सामग्री के स्वरूप के बारे में पूर्णतया परिचित हूँ / हैं और मेरी / हमारी प्रतिस्थापना पूर्णतया अपेक्षाओं के अनुरूप सामग्री का प्रदाय करना है ।
3. I/We have under stood the General Terms and Condition of Contract contained in CSIDC Form No. 1 and Instructions to DDOs/Consignee contained in CSIDC Form No. 2 applicable to Rate Contract and have throughly examined the specification, drawing and patron of Rate Contract placed here to and am/are fully aware of the nature of the stores required and my / our offer to supply stores strictly in accordance with the requirement.
4. प्रत्येक प्रदाय आदेश के प्रकरण में मैं / हम अपने देयकों का भुगतान सामग्री क्रेता विभाग के भुगतान अधिकारी से जिसका उल्लेख प्रदाय आदेश में होगा, से सीधे प्राप्त करूंगा / किसी भी स्थिति में विलंबित भुगतान अथवा भुगतान न होने के लिये सीएसआईडीसी उत्तरदायी नहीं होगा ।
4. Against each supply order, I/We will obtain the payment direct from the paying authority of the indenting department indicated in supply order. In no case CSIDC Ltd. will be held responsible for late payment / non payment.
5. मैं / हम यह प्रमाणित करते हैं कि निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों यथा डी.जी.एस.एंड डी. /एन.एस.आई.सी. /डी. टी. आई. सी. /बी. आई एस./आई. एस. ओ. प्रमाण पत्र,कर समाशोधन प्रमाण पत्र,टाइप टेस्ट सर्टीफिकेट तथा अन्य दस्तावेज सही एवं सत्य है ।
5. This is to confirm that all supporting documents as applicable, like DGS&D/NSIC/DTIC Registration certificate, BIS licenses , ISO certificate Tax clearance certificate, type test certificate and other all documents submitted along with the Tender are true and correct.
6. उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष नियम व शर्ते जिसका उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट तथा प्रदाय आदेश में किया गया है का पालन हमारी इकाई द्वारा किया जायेगा । उल्लंघन की स्थिति में सीएसआईडीसी द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट के तहत् डी डी ओ द्वारा जारी प्रदाय आदेश में दी गयी शर्तो व नियमों के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी जो की मुझे / हमें मान्य होगी ।

6. Apart from all above, the special terms and conditions contained in Rate Contract/ Supply Order will be fulfilled by us. In case of any deviation, the CSIDC reserves the right to take suitable action against the supplier unit in terms of contract concluded by way of placing supply order against Rate Contract by respective DDO.

7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा प्रत्येक दृष्टि से निर्णायक होगा तथा मुझे / हमें मान्य होगा ।

7. In case of any dispute the decision taken by the Managing Director CSIDC Ltd. will be final and binding on me / us.

8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय के क्षेत्राधिकार रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा ।

8. In case of any dispute place of jurisdiction of court will be Raipur (C.G.) only.

9. हमारी इकाई द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि सिक्युरिटी डिपाजिट के रूप में सीएसआईडीसी के पास रेट कान्ट्रेक्ट समाप्ति तिथि के पश्चात् तीन माह तक जमा रहेगी ।

9. The earnest money deposited by us will be kept as security deposit with CSIDC Ltd. for futher three months from the date of expiry of the Rate Contract.

10. दर अनुबंध की अवधि के दौरान सीएसआईडीसी द्वारा 21 दिवसों तथा इकाई द्वारा 6 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत नोटिस के माध्यम से दर अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति की जा सकती है ।

10. Within the period of Rate Contract , the rate contract can be short closed through a notice of 21 days from CSIDC and 6 months from the Rate Contract Holder.

11. दर अनुबंध की अवधि के दौरान सामग्री की प्रचलित बाजार दर अथवा कच्चे माल की दरों में 10% से अधिक गिरावट आने की स्थिति में दर अनुबंध की दरों में कमी की जा सकेगी ।

11. Within the period of rate contract, if there will be decline of more than 10% in market rates or rates of raw material, the rates of Rate Contract shall be decreased.

रायपुर / Raipur
दिनांक / Date

इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व इकाई का मुद्रांक
Signature Authorised Rep. with seal

(अधिकृत नोटरी द्वारा सत्यापित)
सत्यापन

मै/हम श्री ..... पिता श्री ..... उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 1 से 11 तक में वर्णित लेख को सत्यापित करता हू/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा उल्लेखित तथ्य/बिन्दु मेरे/हमारे ज्ञान से पूर्णतः सत्य एवं सही है और किसी भी तथ्य को छुपाया नही गया है।

सत्यापित किया गया .....(स्थान).....दिनांक..... दिवस.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि व इकाई के मुहर सहित

गवाह के हस्ताक्षर/नाम/पता
Signature /Name/Address of witness

1.

2.

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited
(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
1st Floor Udyog Bhawan, Rind Road No-01, Telibandha Raipur 492006 (C.G.)
Phone 91-771-2583789-90, Fax : 91-771-2583794, 4091879
Website: www.csidc.in, Email : csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

No./CSIDC/MKD/ PS- IX / 12-13/ Raipur, Dated :

Registered A/D

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

To,

M/s Mitshri Infotech,
Shop no. 102&103
Crystal Arcade Pandri,
Shankar Nagar Road Rajiv Nagar
Raipur C.G.
Phone No. 0771- 4062697

Sub :- Rate Contract for the supply of Item **Multimedia Projector (Valid From dated 06-06-2013 to 21-03-2014)**
Ref :- (I) This Office Tender Enquiry No. CSIDC/MKD/ PS- IX /70/298/12-13
(II) Bid No. 6584 dated 07.01.2013
(III) Your Offer acceptance along with undertaking submitted on dated 14-03-2013

Dear Sir,

You are hereby informed that your above referred tender read with subsequent letters mentioned above for the Stores specified in the Schedules annexed has been accepted. This Rate Contract will be governed by the terms and conditions brought in CSIDC Form No.1 & 2. The Rate Contract and the Schedules annexed hereto shall be the sole repository of this Rate Contract / Transaction.

You are required to show the original **INK-SIGNED** subject Rate Contract to the satisfaction of Direct Demanding Officer who will place the supply order as per instructions contained in CSIDC form No. 2 and also to the Quality Assurance Officer for inspection purpose and to the Paying Authority at the time of getting the payment .

SCHEDULES ANNEXED :

1. Schedule "A" Description of Stores, Prices, Duties/Taxes.
2. Annexure -"A" Technical Particulars of Item **Multimedia Projector**
3. Schedule "B" Special conditions of contract (if any).
4. Schedule "C" Information to DDOs about parallel rate contracts.
5. Schedule "D" Format for Drawal Report.

Encl. 18 pages

Yours faithfully,

(Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I
For and on behalf of the purchaser
named in CSIDC Form No.2

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

Copy to,

1. The Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha ,Raipur .
2. The Registrar, Honourable High court Chhattisgarh, Bilaspur .
3. The Accountant General Chhattisgarh State, Raipur.
4. All HODs of Chhattisgarh Govt. with a request to circulate the copy of R/C to all Direct Demanding Officers of your institution against issue of purchase order (Indent) in Favour of Rate Contract Holders of CSIDC, pre dispatched inspection of stores, also acceptance of store and ensure to endorse the copy of purchase order (Indent) to the CSIDC Ltd., for further approval of authorized pre dispatch Inspection Agency enlisted in the CSIDC panel.
5. All The Collectors, Chhattisgarh State against issue of purchase order (Indent) in Favour of Rate Contract Holders of CSIDC, pre dispatched inspection of stores, acceptance of store and ensure to endorse the copy of purchase order (Indent) to the CSIDC Ltd., for further approval of authorized pre dispatch Inspection Agency enlisted in the CSIDC panel
6. The Director Treasury, Chhattisgarh Govt., Raipur with a request to circulate copy of R/C to all branches under your control.
7. (i) Secretary Building & Others Construction Workers, Welfare Board Mata Garage Raipur
   (ii) The Commissioner Tribal Welfare Department Pt. R.S.U. Campus Raipur
   (iii) The Director Education Department Pension Bada Raipur
   (iv) The Commissioner Women & Children Development, Old Nurses Building Raipur (C.G.)

   Sr. No. 1 to 7 above are requested to call for original INK-SIGNED Rate Contract for verification to their full satisfaction including validity of various documents like E.D. Registration, Tax Registration etc. before taking action i.e. release of supply order, inspection of stores, payment of bill whichever is applicable, as the responsibility rests with the concerned authority .
8. (i) **ADG (Q & A)** , DGS&D, Jeewan Tara Building 5 Parliament Street New Delhi 110001
   (ii) Manager (Operation) Indian Register of Shipping, Senior MIG-2, Secter A, 1st Floor, Infront of Bank of India Indrapuri Bhopal.
   (iii) Chief Engineer, PDIL, 4th floor, 4/2 Karaya Road, 67 Shekespeare Sarani, Kolkata (W.B.)
   (iv) General Manager (Inspection) RITES Ltd., Churchgate Station Road, Second Floor, M.K. Road, Mumbai-400020
   (v) Operations Manager SGS India Pvt, Ltd. 43, RR Arcade, Zone-2, MP Nagar, Bhopal (MP)-462011.

   For information and necessary action against Authorized Inspection Agency accorded by CSIDC for inspection of stores.
9. Manager (Tender), Marketing Div., CSIDC Ltd., Raipur. He is requested to maintain a master file of Rate Contract.
10. Computer cell, CSIDC Ltd., Raipur to release Rate Contract on CSIDC website.
11. Main file of Item- **Multimedia Projector**

(Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I
For and on behalf of the purchaser
Named in CSIDC Form No.2

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

SCHEDULE "A"

Description of Stores, Prices, Duties/Taxes

For the supply of Item- **Multimedia Projector** as per Annexure'A' enclosed.

1. (a) NAME AND FULL ADDRESS OF THE FIRM :- M/s Mitshri Infotech,
Shop no. 102&103
Crystal Arcade Pandri,
Shankar Nagar Road Rajiv Nagar
Raipur C.G.
Phone No. 0771- 4062697

(b) NAME AND FULL ADDRESS OF MANUFACTURER :- M/s HCL Infosystems Ltd.,
806 Siddarth, 96 Nehru Place,
New Delhi

(c) Category :- General

2. VALIDITY OF RATE CONTRACT :- **From 06-06-2013 to 29-05-2013**

3. DESCRIPTION OF ITEM- **Multimedia Projector** SPECIFICATION, UNIT RATE AS BELOW

Sub Item Code no-	Item Description		**Rate FOR Dest. ED-NA & VAT Extra As Applicable (Rate /Unit)**
Schedule 1- Optional Accessories for Multimedia Projector			
SPR123MP5	Ceiling Mounting Brackets above 2000 to 4000 Lumens		1495.00
SPR123MP6	Ceiling Mounting Brackets above 4000 Lumens		1495.00
SPR123MP8	Trolly bag		1750.00
Schedule 2- Multi-media Projector			
Code	**Resolution**	**Ansi Lumen**	
SPR123MP12	1024 x 768 XGA	3000	28990.00
SPR123MP13	1024 x 768 XGA	4000	48000.00
SPR123MP17	1280 x 800 WXGA	3000	44700.00

(Subas Chandra Bhagat)

I/c Marketing-I

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

Schedule 3- Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector			
Code	**Resolution**	**Ansi Lumen**	
SPR123MP26	1024 x 768 XGA	3000	33950.00
SPR123MP27	1024 x 768 XGA	4000	54000.00
SPR123MP31	1280 x 800 WXGA	3000	53900.00
Schedule 4- Multimedia Projector with Storage media Port integrated in Projector			
Code	**Resolution**	**Ansi Lumen**	
SPR123MP42	1024 x 768 XGA	4000	54000.00
Schedule 5- Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector			
Code	**Resolution**	**Ansi Lumen**	
SPR123MP56	1024 x 768 XGA	3000	39000.00

ote :- Technical particulars as per Annexure A enclosed

4. TERMS OF DELIVERY : F. O. R Destination (Any where in C.G.State)
5. EXCISE DUTY : **Not Applicable**
6. SALES TAX /VAT : **Extra if Applicable**
TIN No. 22081702967
Address:-
M/s HCL Infosystems Ltd.,
806 Siddarth, 96 Nehru Place,
New Delhi
7. DELIVERY PERIOD : 45 Days
8. a. ANNUAL TURN OVER : 2009-10 ₹. 50000000
2010-11 ₹. 45000000
2011-12 ₹. 65000000
   b. MONETARY LIMIT : NM
   c. INSTALLED CAPACITY : (As per DGS&D Registration Certificate)

Sr. no.	**Description**	Model	**Capacity/Annum**
1	Multimedia Projector	Hitachi 4015 WNRF LCD Multimedia Projector	Item No. 13/27/42/57-4000 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83
2	Multimedia Projector	Hitachi 8350 WNRF LCD Multimedia Projector	Item No. 15/20/29/35/44/49//58/64-5000 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83
3	Multimedia Projector	Hitachi 3015 WNRF LCD Multimedia Projector	Item No. 17/31/46/60/-3000 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83

(Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

4	Multimedia Projector	Hitachi wx4021N LCD Multimedia Projector	Item No. 18/32/47/61/- 4000 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83
5	Multimedia Projector	Hitachi WUX 8450GF LCD Multimedia Projector	Item No. 21/33/40/50/55/62/69- 5000 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83
6	Multimedia Projector	Hitachi CPA 302 LCD Multimedia Projector	Item No. 79 CHINA - 3000 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83
7	Multimedia Projector	Hitachi CPAN 2529 LCD Multimedia Projector	Item No. 87 CHINA - 2500 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83
7	Multimedia Projector	Hitachi CPX 3021 WN LCD Multimedia Projector	Item No. 12/26/56/41- 3000 Lumens as per DGS&D T/E No. MMP/IT-3/RC D1020000/1213/83

9. SLAB DISCOUNT (IF ANY) : Nil

10. PRICES : Prices are Firm and Final

11. MINIMUM QUANTITY IN SINGLE SUPPLY ORDER : Not Mentioned.

12. STATUS OF RC HOLDING FIRM : Authorized Dealer

13. REGISTRATION STATUS : Manufacturer is registered with DGS&D New Dehli Registration No. DGS&D/Regn/DEL/E-0845/12/F0530 Dated 14.11.2012

14 BIS LICENSE : Not Applicable.

15. PAYING AUTHORITY : As Mentioned in supply order to be issued by Direct Demanding Officers (DDOs).

16. PAYMENT TERMS : The payment of full 100% of prices of the stores of each consignment there-of will be made after receipt and acceptance of the stores by the consignee/interim consignee in full and good condition within 20 days as per SPR rule No.11, if the bills are in order. In case of delay in payment without any reason the department will be liable to pay interest as per prevailing bank rate. Bills are to be submitted in the prescribed form of the paying authority of purchaser / indenter and are to be supported with inspection note issued by the inspector and consignee's Receipt Certificate.

17 INSPECTION AUTHORITY : Accorded by CSIDC Ltd. While receipt of copy of purchase Order(Indent) in Favour of authorized pre Dispatch Inspection Agency enlisted in the CSIDC panel prior to submission of application from the Rate Contract Holders.

Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

18	QUALITY ASSURANCE: Inspection submission of Holders.	**a)** Accorded by CSIDC Ltd. While receipt of copy of purchase Order (Indent) in Favour of authorized pre Dispatch Agency enlisted in the CSIDC panel prior to application from the Rate Contract **b)** Post-dispatch inspection by the committee constituted by the Direct Demanding Officers /Purchase epartment. OR Post Dispatch Inspection of Stores carried by the Inspection Agency enlisted in the CSIDC prior to receiving of proposal from the end user/Purchase Department.
19.	PLACE WHERE THE STORES ARE TO BE OFFERED FOR INSPECTION	At Manufacturer's Factory at M/s HCL Infosystems Ltd., 806 Siddarth, 96 Nehru Place, New Delhi
20	INSPECTION CHARGES :	Inspection charges 0.60%+ Service Tax As applicable to be paid extra at the time of inspection to Quality Assurance Officer which will be billed by the unit along with bill of the material and will be reimbursed by the paying authority of DDO.
21.	SECURITY DEPOSIT :	As per General conditions of contract , CSIDC Form No. 1, Clause 7, the Purchaser / DDOs may require the contractor to furnish a security deposit which shall be made after issue of the acceptance of the supply order within the period specified by the purchaser / DDOs. **Such security deposit shall not ordinarily exceed 3% . The security shall be in form of Demand Drafts issued by any of the Scheduled Commercial Banks. No other form of security is to be accepted. The security deposit amount is to be refunded after successful completion of the supply.**
22.	Special Note	**1**. Purchasing Departments will ensure pre dispatch inspection of Materials. **2**. Purchasing Departments will be responsible for ensuring the Quality of accepted materials. **3.** Purchasing Departments will ensure sending copy of every order to this office.

(Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

Annexure – B

Technical Particulars For Multimedia Projector

Schedule 1 Optional Accessories for Multimedia Projector

NOS. Unit :

Type	
SPR123MP1.	Spare Projection Lamp 2500 Lumens
SPR123MP2.	Spare Projection Lamp 3000 Lumens
SPR123MP3.	Spare Projection Lamp 4000 Lumens
SPR123MP4.	Spare Projection Lamp 5000 Lumens
SPR123MP5.	Ceiling mounting brackets above 2000 to 4000 Lumens
SPR123MP6.	Ceiling mounting brackets above 4000 Lumens
SPR123MP7.	Spare Projection Lamp 3500 Lumens
SPR123MP8.	Trolly bag
SPR123MP9.	Web Camera
SPR123MP10.	Universal Remote
SPR123MP11.	Interactive Display Module

Schedule 2 Multi-media Projector

NOS. Unit :

Code	Resolution	ANSI Lumen
SPR123MP12.	1024 x 768 XGA	3000
SPR123MP13.	1024 x 768 XGA	4000
SPR123MP14.	1280 x 1024 SXGA	3000
SPR123MP15.	1280 x 1024 SXGA	4000
SPR123MP16.	1280 x 800 W XGA	2500
SPR123MP17.	1280 x 800 W XGA	3000
SPR123MP18.	1280 x 800 W XGA	4000
SPR123MP19.	1400 X 1050 SXGA+	3000
SPR123MP20.	1400 X 1050 SXGA+	4000
SPR123MP21.	1920 X 1200 WUXGA	4000
SPR123MP22.	1920X1200 WUXGA	3000
SPR123MP23.	1920X1080 FULL HD	3000
SPR123MP24.	1920X1080 FULL HD	5000
SPR123MP25.	1920X1080 FULL HD	4000

Schedule 3 Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector

NOS. Unit :

Code	Resolution	ANSI Lumen
SPR123MP26	1024 X 768 XGA	3000
SPR123MP27	1024 X 768 XGA	4000
SPR123MP28	1280X1024 SXGA	3000
SPR123MP29	1280X1024 SXGA	4000
SPR123MP30	1280X800 W XGA	2500
SPR123MP31	1280X800 W XGA	3000
SPR123MP32	1280X800 W XGA	4000
SPR123MP33	1920X1080 WUXGA	4000
SPR123MP34	1400X1050 S XGA+	3000
SPR123MP35	1400X1050 S XGA+	4000

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

SPR123MP36	1920X1080 FULL HD	3000
SPR123MP37	1920X1080 FULL HD	4000
SPR123MP38	1920X1080 FULL HD	5000
SPR123MP39	1920X1200 WUXGA	3000
SPR123MP40	1920X1200 WUXGA	4000

Schedule 4 Multimedia Projector with storage media port integrated in Projector

Code	Resolution	ANSI Lumen
SPR123MP41	1024 X 768 XGA	3000
SPR123MP42	1024 X 768 XGA	4000
SPR123MP43	1280X1024 SXGA	3000
SPR123MP44	1280X1024 SXGA	4000
SPR123MP45	1280X800 W XGA	2500
SPR123MP46	1280X800W XGA	3000
SPR123MP47	1280X800 W XGA	4000
SPR123MP48	1400X1050SXGA+	3000
SPR123MP49	1400X1050SXGA+	4000
SPR123MP50	1920X1080WUXGA	4000
SPR123MP51	1920X1080 FULL HD	3000
SPR123MP52	1920X1080 FULL HD	4000
SPR123MP53	1920X1080 FULL HD	5000
SPR123MP54	1920X1200 WUXGA	3000
SPR123MP55	1920X1200 WUXGA	4000

Schedule 5 Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector,

Code	Parameter Name	Measurement Range
SPR123MP56	1024 X 768 XGA	3000
SPR123MP57	1024 X 768 XGA	4000
SPR123MP58	1280X1024 SXGA	4000
SPR123MP59	1280X800 W XGA	2500
SPR123MP60	1280X800W XGA	3000
SPR123MP61	1280X800W XGA	4000
SPR123MP62	1920X1080 WXGA	4000
SPR123MP63	1280X1024 SXGA+	3000
SPR123MP64	1400X1050 SXGA+	4000
SPR123MP65	1920X1080 FULL HD	3000
SPR123MP66	1920X1080 FULL HD	4000
SPR123MP67	1920X1080 FULL HD	5000
SPR123MP68	1920X1200 WUXGA	3000
SPR123MP69	1920X1200 WUXGA	4000

Schedule 6 LED Based Multimedia Projectors

Code	Resolution	ANSI Lumen
SPR123MP70	1024 x 768 XGA	500
SPR123MP71	1024 x 768 XGA	2000
SPR123MP72	1024 x 768 XGA	3000
SPR123MP73	1024 x 768 XGA	4000
SPR123MP74	1920 x 1080 FULL HD	3000
SPR123MP75	1920 x 1080 FULL HD	4000
SPR123MP76	1280 x 800 WXGA	2000
SPR123MP77	1280 x 800 WXGA	3000
SPR123MP78	1280 x 800 WXGA	4000

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

Schedule 7 Ultra short throw Multimedia Projector

Code	Resolution	ANSI Lumen
SPR123MP79	1024 X 768 XGA	3000
SPR123MP80	1024 X 768 XGA	4000
SPR123MP81	1280 X 800 WXGA	3000
SPR123MP82	1280 X 800 WXGA	4000
SPR123MP83	1920X1080 FULL HD	3000
SPR123MP84	1920X1080 FULL HD	4000

Schedule 8 Multimedia Projector-Interactive

Code	Resolution	ANSI Lumen
SPR123MP85	1280X800 WXGA	3000
SPR123MP86	280X800 WXGA	4000
SPR123MP87	280X800 WXGA	2500
SPR123MP88	280X1024 SXGA	3000
SPR123MP89	280X1024 SXGA	4000
SPR123MP90	400X1050 SXGA+	3000
SPR123MP91	1400X1050 SXGA+	4000
SPR123MP92	1920X1080 FULL HD	3000
SPR123MP93	1920X1080 FULL HD	4000
SPR123MP94	1920X1080 FULL HD	5000
SPR123MP95	1920X1200 WUXGA	3000
SPR123MP96	1920X1200 WUXGA	4000
SPR123MP97	1024 X 768 XGA	3000
SPR123MP98	1024 X 768 XGA	4000

Note to Purchaser:
No price preference shall be given for better-claimed Throw-Ratio.
This may be made amply clear to all tenderers.

Detailed Specification

Schedule 1 Optional Accessories for Multimedia Projector

Specification :

(a) Interactive Display Module

1. Technology : Infrared
2. Screen Size : Upto 3048mm diagonal
3. Power consumption : Less than 1 watt (Power from USB interface)
4. Capability : Use the interactive pen for mouse emulation, capable of annotations, highlighting,presentation control, etc.
5. Hardware Interface : USB Port.

(b) Web Camera

1. Optics : Carl Zeiss Optics with autofocus.
2. Sensor : Native 2-MP HD sensor or better.
3. Microphone : Integrated.
4. Video frame rate : 30 fps or better.
5. Connectivity : USB
6. Mounting : Universal clip that can be a stand on the desk or can be mounted on a monitor/LCD/laptop.

(c) Universal Remote

1. Feature : Learning capability for learning existing remote, Customizable buttons that replaces upto 6 or more remotes.

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

Schedule 2 Multi-media Projector

Specification :

A) Projector:

1. Throw ratio :Tenderers to indicate the throw ratio. (Ratio of distance/Image diagonal)
2. Zoom Ratio :Manual or Power,min. 10% (Actual Value to be indicated).
3. Computer compatibility :Compatible for the resolution as per schedule .(details of resolution supported shall be indicated by the bidder).
4. Video compatibility :PAL, SECAM, NTSC, HDTV,DTV.
5. Projection lamp :Tenderer should furnish part number voltage and expected life of lamp.
6. Lamp Life
   (a) In normal mode :2000 hrs.
   (b) in eco mode :to be indicated (it corresponds to the lower illumination ,hence it shall not be consdered as actual life of lamp.
7. Lamp hour counter :Built-in the projector.
8. Brightness :As applicable for each item.
9. Audio System :1.0 Watt RMS min with built in speaker for upto 2500 ANSI lumens, for projector of higher higher 2500 ANSI Lumens provision of inbuilt speaker will not be necessary.
10. Remote Control :Full Funtion remote control unit for projector standard features for all the items.
11. Terminal Ports with :HDMI/DVI and/or Analog RGB In , Audio IN,Video IN (RCA).
12. Power consumption :To be indicated by the tenderer for each item.
13. Contrast ratio :To be indicated by the tenderer for each item.
14. Power supply :210-240V, 50 Hz.
15. Operating conditions :10 Degree to 35 Degree C,80% RH.
16. Cables & connectors :The Projector shall include power cable and VGA cable (1.5 m for connecting to PC). For cables including power cable and VGA cable,if the length required is more than 1.5 m shall be paid extra directly by the user.
17. Technology :LCD or DLP (To be declared by the tenderers).

Schedule 3 Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector

Specification :

A) Projector:

1. Throw ratio :Tenderers to indicate the throw ratio. (Ratio of distance/Image diagonal)
2. oom Ratio :Manual or Power,min. 10% (Actual Value to be indicated).
3. Computer compatibility :Compatible for the resolution as per schedule .(details of resolution supported shall be indicated by the bidder).
4. Video compatibility :PAL, SECAM, NTSC, HDTV,DTV.
5. Projection lamp :Tenderer should furnish part number voltage and expected life of lamp.
6. Lamp Life
   (a) In normal mode :2000 hrs.
   (b) in eco mode :to be indicated (it corresponds to the lower illumination ,hence it shall not be consdered as actual life of lamp.
7. Lamp hour counter :Built-in the projector.
8. Brightness :As applicable for each item.
9. Audio System :1.0 Watt RMS min with built in speaker for upto 2500 ANSI lumens, for projector of higher higher 2500 ANSI Lumens provision of inbuilt speaker will not be necessary.
10. Remote Control :Full Funtion remote control unit for projector standard features for all the items.
11. Terminal Ports with :HDMI/DVI and/or Analog RGB In, Audio IN, Video IN (RCA).
12. Power consumption :To be indicated by the tenderer for each item.
13. Contrast ratio :To be indicated by the tenderer for each item.

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

14. Power supply :210-240V, 50 Hz.
15. Operating conditions :10 Degree to 35 Degree C,80% RH.
16. Cables & connectors :The Projector shall include power cable and VGA cable (1.5 m for connecting to PC). For cables including power cable and VGA cable,if the length required is more than 1.5 m shall be paid extra directly by the user.
17. Technology :LCD or DLP (To be declared by the tenderers).
18. Wireless connectivity :Through integrated port in the projector.

Schedule 4 Multimedia Projector with storage media port integrated in Projector

Specification :

A) Projector:

1. Throw ratio :Tenderers to indicate the throw ratio.
   (Ratio of distance/Image diagonal)
2. Zoom Ratio :Manual or Power,min. 10% (Actual Value to be indicated).
3. Computer compatibility :Compatible for the resolution as per schedule .(details of resolution supported shall be indicated by the bidder).
4. Video compatibility :PAL, SECAM, NTSC, HDTV,DTV.
5. Projection lamp :Tenderer should furnish part number voltage and expected life of lamp.
6. Lamp Life
   (a) In normal mode :2000 hrs.
   (b) in eco mode :to be indicated (it corresponds to the lower illumination ,hence it shall not be consdered as actual life of lamp.
7. Lamp hour counter :Built-in the projector.
8. Brightness :As applicable for each item.
9. Audio System :1.0 Watt RMS min with built in speaker for upto 2500 ANSI lumens, for projector of higher higher 2500 ANSI Lumens provision of inbuilt speaker will not be necessary.
10. Remote Control :Full Funtion remote control unit for projector standard features for all the items.
11. Terminal Ports with :HDMI/DVI and/or Analog RGB In,Audio IN ,Video IN(RCA).
12. Power consumption :To be indicated by the tenderer for each item.
13. Contrast ratio :To be indicated by the tenderer for each item.
14. Power supply :210-240V, 50 Hz.
15. Operating conditions :10 Degree to 35 Degree C,80% RH.
16. Cables & connectors :The Projector shall include power cable and VGA cable (1.5 m for connecting to PC). For cables including power cable and VGA cable,if the length required is more than 1.5 m shall be paid extra directly
17. Technology :LCD or DLP (To be declared by the tenderers).
18. Projector shall have built-in storage media port.

Schedule 5 Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector, Storage media port and wireless LAN connectivity

Specification :

A) Projector:

1. Throw ratio :Tenderers to indicate the throw ratio.
   (Ratio of distance/Image diagonal)
2. Zoom Ratio :Manual or Power,min. 10% (Actual Value to be indicated).
3. Computer compatibility :Compatible for the resolution as per schedule .(details of resolution supported shall be indicated by the bidder).
4. Video compatibility :PAL, SECAM, NTSC, HDTV,DTV.
5. Projection lamp :Tenderer should furnish part number voltage and expected life of lamp.
6. Lamp Life
   (a) In normal mode :2000 hrs.
   (b) in eco mode :to be indicated (it corresponds to the lower illumination ,hence it shall not be consdered as actual life of lamp.
7. Lamp hour counter :Built-in the projector.
8. Brightness :As applicable for each item.

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

9. Audio System :1.0 Watt RMS min with built in speaker for upto 2500 ANSI lumens, for projector of higher higher 2500 ANSI Lumens provision of inbuilt speaker will not be necessary.
10. Remote Control :Full Funtion remote control unit for projector standard features for all the items.
11. Terminal Ports with :HDMI/DVI and/or Analog RGB In, Audio IN,Video IN(RCA).
12. Power consumption :To be indicated by the tenderer for each item.
13. Contrast ratio :To be indicated by the tenderer for each item.
14. Power supply :210-240V, 50 Hz.
15. perating conditions :10 Degree to 35 Degree C,80% RH.
16. ables & connectors :The Projector shall include power cable and VGA cable (1.5 m for connecting to PC). For cables including power cable and VGA cable,if the length required is more than 1.5 m shall be paid extra directly by the user.
17. echnology :LCD or DLP (To be declared by the tenderers).
18. rojector shall have provision for wireless connectivity between PC and projector ,wireless LAN connectivity and integrated storage media port.

Schedule 6 LED Based Multimedia Projectors

Specification :

A)Projector:

1. Throw ratio :Tenderers to indicate the throw ratio.
   (Ratio of distance/Image diagonal)
2. Zoom Ratio :Value to be indicated, if facility is availabe.
3. Computer compatibility :Compatible for the resolution as per schedule .(details of resolution supported shall be indicated by the bidder).
4. Video compatibility :PAL, SECAM, NTSC, HDTV,DTV.
5. Projection lamp :LED/LED and Laser Hybrid
6. LED /LED and Laser Hybrid life
   (a) In normal mode :20000 hrs.
   (b) In eco mode :to be indicated (it corresponds to the lower illumination hence it shall not be consdered as actual life of LED/LED and Laser Hybrid.
7. Hour counter :Built-in the projector.
8. Brightness :As applicable for each item.
9. Audio System :1.0 Watt RMS min with built in speaker for upto 2500 ANSI lumens, for projector of higher higher 2500 ANSI Lumens provision of inbuilt speaker will not be necessary.
10. Remote Control :Full Funtion remote control unit for projector standard features for all the items.
11. Terminal Ports with :HDMI/DVI and/or Analog RGB In, Audio IN,Video IN(RCA).
12. Power consumption :To be indicated by the tenderer for each item.
13. Contrast ratio :To be indicated by the tenderer for each item.
14. Power supply :210-240V, 50 Hz.
15. Operating conditions :10 Degree to 35 Degree C,80% RH.
16. Cables & connectors :The Projector shall include power cable and VGA cable (1.5 m for connecting to PC). For cables including power cable and VGA cable,if the length required is more than 1.5 m shall be paid extra directly by the user.
17. Technology :DLP
18. Projector shall be wireless connection compatible and with USB storage media
19. Warranty:Main projector unit 3 years from the date of purchase and for light source 5 years or 10000 hours whichever is earlier.
20. Photobiological safety of LEDs/light source used shall be as per clause 6.1.1 (exempt group)of IS:16108/2012.Test certificate from NABL approved laboratory or OEM certificate, shall be furnished in respect of a)an actinic ultraviolet hazard,b) a near -UV hazard (Euva) ,c)a retinal blue-light hazard ,d)aretinal thermal hazard and e)an infrared radiation hazard for the eye as per the above IS specification.

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

The above test reports can be furnished as a part of environmental test report or separately on the same Sl.No. of the projector tested for environmental parameters.

Schedule 7 Ultra short throw Multimedia Projector

Specification :

1. Diagonal Screen Size verses Distance :MMP should be capable of project a image of Min 60 inches diagonal from a distance of 600 mm max.
2. Throw Ratio :To be indicated by the bidder
3. Computer compatibility :Compatible for the resolution as per schedule .(details of resolution supported shall be indicated by the bidder).
4. Video compatibility :PAL, SECAM, NTSC, HDTV,DTV.
5. Projection lamp :Tenderer should furnish part number voltage and expected life of lamp.
6. Lamp Life
   (a) In normal mode :2000 hrs.
   (b) in eco mode :to be indicated (it corresponds to the lower illumination ,hence it shall not be consdered as actual life of lamp.
7. Lamp hour counter :Built-in the projector.
8. Brightness :As applicable for each item.
9. Audio System :1.0 Watt RMS min with built in speaker for upto 2500 ANSI lumens, for projector of higher higher 2500 ANSI Lumens provision of inbuilt speaker will not be necessary.
10. Remote Control :Full Funtion remote control unit for projector standard features for all the items.
11. Terminal Ports with :HDMI/DVI and/or Analog RGB In, Audio IN ,Video IN RCA).
12. Power consumption :To be indicated by the tenderer for each item.
13. Contrast ratio :To be indicated by the tenderer for each item.
14. Power supply :210-240V, 50 Hz.
15. Operating conditions :10 Degree to 35 Degree C,80% RH.
16. Cables & connectors :The Projector shall include power cable and VGA cable (1.5 m for connecting to PC). For cables including power cable and VGA cable,if the length required is more than 1.5 m shall be paid extra directly by the user.
17. Technology :LCD or DLP (To be declared by the tenderers).

Schedule 8 Multimedia Projector-Interactive

Specification :

1. Throw ratio :Tenderers to indicate the throw ratio.
   (Ratio of distance/Image diagonal)
2. Zoom Ratio :Manual or Power,min. 10% (Actual Value to be indicated).
3. Computer compatibility :Compatible for the resolution as per schedule .(details of resolution supported shall be indicated by the bidder).
4. Video compatibility :PAL, SECAM, NTSC, HDTV,DTV.
5. Projection lamp :Tenderer should furnish part number voltage and expected life of lamp.
6. Lamp Life
   (a) In normal mode :2000 hrs.
   (b) in eco mode :to be indicated (it corresponds to the lower illumination ,hence it shall not be consdered as actual life of lamp.
7. Lamp hour counter :Built-in the projector.
8. Brightness :As applicable for each item.
9. Audio System :1.0 Watt RMS min with built in speaker for upto 2500 ANSI lumens, for projector of higher higher 2500 NSI Lumens provision of inbuilt speaker will not be necessary.
10. emote Control :Full Funtion remote control unit for projector tandard features for all the items.
11. erminal Ports with :HDMI/DVI and/or Analog RGB In, Audio IN,Video IN(RCA).

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

12. ower consumption :To be indicated by the tenderer for each item.
13. ontrast ratio :To be indicated by the tenderer for each item.
14. ower supply :210-240V, 50 Hz.
15. perating conditions :10 Degree to 35 Degree C,80% RH.
16. ables & connectors :The Projector shall include power cable and VGA cable (1.5 m for connecting to PC). For cables including power cable and VGA cable,if the length required is more than 1.5 m shall be paid extra directly by the user.
17. echnology :LCD or DLP (To be declared by the tenderers).
18. rojector shall be selfcontained with interactive white board functionality including interactive pen and interactive software.

Questionnaire Schedule	**Multi-media Projector**
1.1	Range of Throw ratio.
1.2	Optical Zoom
1.3	Brightness,
1.4	Audio Output
1.5	Digital Zoom
Questionnaire	
Schedule	**Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector**
1.1	Range of Throw Ratio
1.2	Optical Zoom
1.3	Brightness
1.4	Audio Output
1.5	Digital Zoom
Questionnaire	
Schedule	**Multimedia Projector with storage media port integrated in Projector**
1.1	Range of Throw Ratio
1.2	Optical Zoom
1.3	Brightness
1.4	Audio Output
1.5	Digital Zoom
Questionnaire	
Schedule	**Multimedia Projector with wireless connectivity between PC and Projector, Storage media port and wireless LAN connectivity**
1.1	Range of Throw Ratio
1.2	Optical Zoom
1.3	Brightness
1.4	Audio Output
1.5	Digital Zoom
Questionnaire	
Schedule	**LED Based Multimedia Projectors**
1.1	Range of Throw Ratio
1.2	Optical Zoom
1.3	Brightness
1.4	Audio Output
1.5	Digital Zoom
Questionnaire	
Schedule	**Ultra short throw Multimedia Projector**
1.1	Range of Throw Ratio
1.2	Optical Zoom
1.3	Brightness
1.4	Audio Output
1.5	Digital Zoom

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

General Technical requirement For RC Holder:

(A) FUNCTIONAL TESTING

10% of multimedia projector offered for inspection shall be tested for functional tests as detailed hereunder during inspection:-

1. rightness ANSI Lumens (+/-20%) tolerance on declared value as per ISO/IEC-21118.
   (a) Ambient Light during measurement shall be 5 LUX or less and shall be ubtracted from measured value.
   (b) Shall be measured at maximum optical zoom position after stabilising the projector on 1.78 M diagonal screen.
2. niformity of light output (+/- 20% as per ISO/IEC-21118).To be determined by 9point method comparing light output at Point 1+ Point 3 + Point 7 + Point 9 with 4 x Point 5 on 1.78 M diagonal screen.
3. ontrast ratio (+/- 20% tolerance on declared value as per ISO/IEC-1118).Shall be measured on 1.78 M diagonal screen comparing the average light output over points from 100% white to 0% black computer generated analog signal 0.7 V +/- 1% at the end of 75 ohm (+/- 1%) terminating resistance.(For further details please refer to JIS:X6911).
4. Throw distance for 2M diagonal image at min. and max. Zoom.
5. HV at 1 KV for 1 minute,I R dry (2 Meg Ohm min),Leakage current(0.21 mA max) and earthing resistance(0.1 ohm max) tests as per IS:302 shall be done and result shall be satisfactory..
6. All testing to be carried out on 240 V, 50 Hz AC supply.
7. The testing will be done as per product specifications to be declared by supplier and these will be carried out on each model of projector.

(B) ENVIRONMENTAL TESTING

One sample each of all the models of projector shall be subjected to environmental tests sequence as detailed hereunder at a governmentaboratory.

(a) Dry Heat Test : For 16 hrs. at a temp. of 45 degree C in accordance with IS:9000/part-3/section-5/1977.

(b) Cold Test : For 4 hrs. at a temp. of 0 degree C in accordance with IS:9000/part-2/section-4/1977.

(c) Damp Heat Cyclic Test : For 2 Cycles of 24 hrs at a temp. of 40 degree C & 95% RH in accordance with IS:9000/part-5/section-1/1981.

The multimedia projector shall be checked for all the parameters as per T/E before conditioning .After the above environmental conditioning sequence and after a recovery period of 1 to 2 hours functional testing as specified above shall be carried out.

All the test results shall be satisfactory.Environmental test report is required at the time of registration and inspection.

NOTES TO RC Holder:

1. RC Holder may offer their standard models duly supported with technical Catalogues/ literature and shall furnish actual technical details of the models quoted against each parameter of quality requirements, separately for each item quoted by them. Deviations, if any, shall be clearly brought out.
2. The Suppliers shall indicate the leading dimensions for each item quoted.
3. If, the offered models are with lamp life less than the specified, tenderer Shall include extra lamps in their offers to achieve specified lamp life.
4. Regarding the claimed LED Lamp/LED and Laser Hybrid Life Period as 20000 hours firm shall submit the necessary OEM certificate which shall be acceptable for registration and also for supply.The OEM certificate should be from the manufacturer on their letterhead duly stamped by them and counter-signed by the Indian supplier.
5. Value of the parameters like range of throw ratio,opticalzoom,Brightness,digital zoom and audio output shall be indicated as per questionnaire attached.
6. Tenderers can offer models with higher lumens than specified in T/E against any item.

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

SPECIAL NOTES TO RC Holder:

1. Only one Agent or Subsidiary or distributor who enters into direct agreement with foreign principle and not through any intermediatory channel can be only considered as a valid Agent, who can be registered

2. The foreign manufacturer has to declare with documentary evidence that they have adapted/tropicalized the equipment to suit Indian climatic conditions, as per clause 5.3.2 (c) of manual, and can prove the performance of the same at the premises in India (Testing facilities required at firm's premises are for functional and performance parameter only or as specified in the T/E). The firms meeting these conditions, in addition to other conditions of registration in vogue, shall only be considered for registration as `supplier of imported stores. Mere submission of test report will NOT be treated as sufficient unless above declaration is also furnished by the importer, along with their application for registration and along with tender.

3. Supplier of Imported stores must submit a notarized affidavit along with a letter from their foreign principal (OEM) that the product/model number being quoted against the tender is currently undergoing production and have NOT been discontinued by them. The OEM shall further furnish an undertaking during registration and first inspection that they shall continue to provide support to the product/model no.being quoted/supplied,during their warranty period. Similar undertaking from supplier shall be submitted at the time of registration, bidding and during EACH inspection.

4. As per CVC Circular No.03/01/12 dated 13.1.2012,

a) In a tender, either the Indian agent on behalf of the Principal/OEM or Principal/OEM itself can bid but both cannot bid simultaneously for the same item/product in the same tender.

b) If an agent submits bid on behalf of the Principal/OEM, the same agent shall not submit a bid on behalf of another Principal/OEM in the same tender for the same item/product.

5. Multiple agents of same manufacturer (Indian or foreign) cannot participate in bid for the same item/product.

6a. Firms registered with DGS&D or seeking registration/capacity assessment in the category of:(a) Indian agent of Indian Manufacturer , the registration and inspection shall be carried out at Indian Manufacturer's works.

(b) Supplier or Imported Stores (i.e. Indian Agent of Foreign Manufacturer) the registration and inspection shall be carried out at Indian AGENT's (Supplier of Imported Stores) premises/works.

7a. Firms must submit their application to concerned QA Office for fresh or renewal of registration/capacity assessment/special capacity assessment PRIOR to at least 30 days before the scheduled date of tender opening, failing which application may NOT be able to be fully processed . Tenderers will only be responsible for same.

b. Tenderers shall be registered with DGS&D or NSIC(based on capacity report of DGS&D) to become eligible to quote against the T/E.Alternatively special capacity report from DQA of the area concerned shall reach DGS&D before the date of tender opening.

8. Registration for all scheduled items (registration of add-on items are not required)are required on the date of tender opening ,if not specified otherwise elsewhere. It means all the items/models quoted against all schedules by tenderer have to be registered on the date of tender opening if not specified otherwise elsewhere.

9.Firms quoting for spares /accessories, add-on items and in-lieu items alone ,only and not quoting for main equipment/item are required to be registered as per the relevant T/E specification. Agreement ,documents, test reports etc . applicable for the spares/accessories ,add-on items and in-lieu items are required to be furnished for registration of these items.

Warranty Multimedia Projector Onsite Warranty Against Manufacturing Defects for a Period of 1 Year from the date of Successful installation Or From the Date of Actual Receipt Consignment at Destination Specified. And Ensure Against Availability of Spare Parts and After Sale Service.

(P.S.Dhakate)
Incharge PS-IX

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

SCHEDULE 'B'
(SPECIAL CONDITION OF CONTRACT)

NA

(Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

SCHEDULE "C"

LIST OF PARALLEL RATE CONTRACT FOR ITEM- MULTIMEDIA PROJECTOR

S.No.	Name of Tenderers	Valid Up to	Rate Contract No.
1.	M/s Sai Techno Sales 4/53 Housing Board Colony Avanti Vihar, Raipur (C.G) Mobile No.- 9329054287, 9009895168	22-03-2013 to 21-03-2014	Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /STS /4678
2.	M/s Communication System S/42 Sector-2 Avanti Vihar Raipur C.G. Mobile No. 9826198504	22-03-2013 to 21-03-2014	Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /CS /4679
3	M/s Bhavya Innovation, A-7 Madern Copmplex, Moti Bag Chowk Raipur C.G. Phone No. 0771-2235377 Mobile No. 9826143234	22-03-2013 to 21-03-2014	Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /BI /4680
4.	M/s Sharp Busines System (India) Ltd. 214-221 Ansal Tower 38 Nehru Place, New Delhi Phone No. 011- 26431313, 466655555	22-03-2013 to 21-03-2014	Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /SBS /4681
5.	M/s Mini Infotech, Shop No. 03 Akbar Complex] Pachpedi Naka Chowk, Raipur C.G Phone No. 0771- 4053378 Mobile No. 9669900013	22-03-2013 to 21-03-2014	Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MI /4682
6	M/s Mitshri Infotech, Shop no. 102&103 Crystal Arcade Pandri, Shankar Nagar Road Rajiv Nagar Raipur C.G. Phone No. 0771-4062697	06-06-2013 to 21-03-2014	Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683

(Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I

Rate Contract No. CSIDC/MKD/PS- IX /70/298/12-13/MP /MTI /4683 Dated: 06-06-2013

SCHEDULE – "D"

FORMAT FOR QUATERLY DRAWAL REPORT

Name of the Firm _____ I- Jan-Mar
Report No. _____
II- Apr-June
Rate Contract No. _____ III- July-Sept.

Date of Submission _____ IV- **Oct - Dec**

Total Position of Order against Rate Contract till the submission of Report.

S.No.	Name of Department	Quantity and Value of Orders Received (Rs.)	Quantity and Value of Orders Executed (Rs.)	Balance Quantity and Value to be Supplied (Rs.)	Reasons

Foot 1. Value indicate should be a) Value of orders received during the quarter-Rs.

Total value inclusive of all Taxes duties and incidental Charges b) Value of orders supplied during the quarter-Rs.

2. Nil report should also be Submitted.

Note;- Gem Goverment E Praporment Marketing

(Subas Chandra Bhagat)
I/c Marketing-I

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.
A Government of Chhattisgarh Undertaking)
1st Floor, Udyog Bhawan Ring Road No-01, Telibandha Raipur 492006 (C.G)
Phone No-0771-2583792, Fax:0771-2583794
Website:www.csidc.in Email: csidc.cg@nic.in, csidc_raipur @ yahoo.com

Tender Enquiry No. CSIDC/MKD/13-14/84 **Raipur, Dated: 01.05.2013**

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited, Raipur invites online tenders under Chhattisgarh Govt. Store Purchase Rule 2002 (Ammended upto Aug 2004) for the following item from the Online Registered Manufacturers Only for the Conclusion of Rate Contracts.

The tenderers are required to refer para 20 of form-5 tender documents under CSIDC form-5 where in the list of essential document are to be submitted alongwith Technical Bid Envelope-A & also read changes made in general terms & condition as per amendment recently made.

Sl. No	Item Description	Last date of online submission	EMD (Rs.)	Remarks
A	B	C	D	E
1	Chain Link Fence Fabric	03-06-2013	50,000/-	The EMD in the form of Demand Draft favoring CSIDC Ltd., Raipur must reach this office physically up to 5.00 PM on last date (as quoted in column"C") of online submission of tender.
2	Sanitary Appliances	04-06-2013	50,000/-	
3	Invertor	05-06-2013	50,000/-	
4	Deep Well Hand Pump	06-06-2013	50,000/-	
5	RCC Hume Pipe	07-06-2013	50,000/-	
6	Ozonator	10-06-2013	50,000/-	
7	Stand Alone Drinking Water Purification System	11-06-2013	50,000/-	
8	Mosquito Net	12-06-2013	50,000/-	
9	Pressure Cooker	13-06-2013	50,000/-	
10	Bleaching Powder	14-06-2013	50,000/-	
11	HEF (High Efficiency Flooring Dunnage Material IS : 1322-1993)	17-06-2013	50,000/-	

The tender documents can be downloaded from the portal(website) http://csidc.cgeprocurement.gov.in directly and shall be submitted online only.

NOTE:- 1. The interested tenderers who have not registered so far for on line submission of tender may contact Next Tenders (India) Pvt.. Ltd., 'Saket', B-31, Shailendra Nagar, Raipur (CG) 492 001 Tel. No. +91 771 4079400, 4221020 Fax No.: +91 771 4221023, Email raipur@nextenders.com for registration prior to the last date of submission of tender.

2. Tenderer may contact to CSIDC Ltd. in working hours to clear their doubts if any before online submitting the tender.

Managing Director

मैन्यूअल–3

मुख्य अभियंता –निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

Technical Cell- Division- 1, 2, 3, 4

3.10 संभाग– 1, 2, 3, 4

1 कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने अधीनस्थ संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं से टीप लेकर प्राप्त टीप में अपनी अनुशंसा देते हुए कार्यपालक संचालक को निर्णय हेतु अग्रेषित करते हैं । अधिकारियों द्वारा संचालक मण्डल से प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निर्णय लिया जाता है ।

2 किसी विशेष विषय पर निर्णय हेतु प्रबंध संचालक द्वारा प्रकरण को संचालक मण्डल में रखा जाता है । ऐसे प्रकरण पर निर्णय संचालक मण्डल द्वारा लिया जाता है ।

3 लिए गए निर्णय से जनता/उपभोक्ता/उद्यमी को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है।

4 कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता स्तर के अधिकारियों की संतुष्टि पर प्रकरण निर्णय हेतु उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है ।

5 अंतिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकारित अधिकारी प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि. है ।

6 मुख्य विषय जिस पब्लिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत है ।

1.	विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	.कार्य के निविदा आमंत्रण की कार्यवाही
2.	दिशा निर्देश यदि कोई हो तो	कार्य विभाग मैनुअल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।
3.	निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्धारित तिथि में निविदा प्राप्त होने के पश्चात गठित समिति द्वारा निविदा खोली जाती है तत्पश्चात समिति द्वारा कार्यवृत्त तैयार कर निविदा समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाती है ।
4.	निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	**निविदा समिति में कार्यपालन अभियंता, उप–प्रबंधक लेखा तथा कार्यपालक संचालक शामिल रहते हैं।**
5.	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सूचना	1) कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर 2) महाप्रबंधक छ.ग.स्टेट.इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि. रायपुर 0771–6002071–72–73 (3) कार्यपालक संचालक छ.ग.स्टेट इण्ड.डे. कार्पो. लि. 0771–6002071–72–73
6.	निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रबंध संचालक को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

3.11 औद्योगिक संवर्धन प्रकोष्ठ

Industrial Promotion Cell (IPPD)

निगम के सामान्य अनुदेश के तहत निर्णय लिया जाता है ।

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली

3.12 वित्त प्रकोष्ठ

Finance Cell

1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण ने क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है	आवेदन पत्र को उचित माध्यम से आदेशार्थ हेतु प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाता
2	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने प्रबंध संचालक, विभिन्न स्वीकृत कमेटियों एवं बोर्ड के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जाता है
3	लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है	लिखित सूचना/सूचना फलक माध्यम से

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

3.13 निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ

Export Promotion Cell

निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ।

–राज्य से निर्यात संबंधी आंकड़ों का संकलन, निर्यात संवर्धन के विषय में बैठक, सेमीनार, कार्यशाला आदि के आयोजन हेतु कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक से प्राप्त दिशा–निर्देशानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना । निर्यात संवर्धन संबंधी प्राप्त विभिन्न पत्रों को तथ्यों सहित कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक को निर्णय हेतु प्रस्तुत करना तथा लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही करना । अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी–प्रबंध संचालक ।

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

लेखा प्रकोष्ठ

Account's Section

3.14 निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –

लेखा शाखा में मुख्यतः 278

विभिन्न प्रकार के भुगतानों संबंधित प्रकरण/देयकों का निगम में प्रचलित विभिन्न नियमों /निर्देशों के तहत् परीक्षण कर उन्हें निर्णय /स्वीकृति हेतु कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाता है । स्वीकृति प्रश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जाती है ।

अन्य कक्ष द्वारा विविध भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी को सीधे प्रस्तुत की गई देयकों के अनुमोदन/स्वीकृति पश्चात् लेखा कक्ष को भेजे गये देयकों का भुगतान की कार्यवाही की जाती है ।

2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने हेतु निर्धारित नियम/प्रक्रिया एवं निर्णय लेने के लिए किन–किन स्तरों पर विचार किया जाता है ।

विशेष प्रकरणों पर निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपालक संचालक/प्रबंधक संचालक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है । प्रकरण की प्रकृति एवं दिए गए अधिकारों की सीमा के अनुसार कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक/संचालक मंडल निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

3. निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था – सूचना कक्ष द्वारा बनाया जाना है ।

4. विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुती, निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है
लेखा कक्ष संबंधी कार्यों के लिए निर्णय हेतु सहा.प्रबंधक (लेखा), उप प्रबंधक (लेखा), कार्यपालक संचालक व प्रबंध संचालक स्तर तक संस्तुती प्राप्त की जाती है । तकनीकी कक्ष द्वारा सम्पादित किए जाने वाले निर्माण व विकास कार्यों के संबंध में भुगतान, समयावृद्धि आदि निणयों हेतु सहा. अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता की संस्तुती भी ली जाती है ।

5. अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी –

प्रकरण की प्रकृति एवं दिए गए अधिकारों की सीमा के अनुसार कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक/संचालक मंडल निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

Manual - 3

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

1. निगम के संचालक मण्डल की बैठक आयोजित कराना एवं इससे संबंधित समस्त कार्यवाही ।
2. निगम के अंशधारियों की बैठक आयोजित कराना एवं इससे संबंधित समस्त कार्यवाही ।
3. निगम से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत प्रकरणों पर मुख्यालय स्तर से समन्वय ।
4. महालेखाकार कार्यालय द्वारा समय–समय पर संपादित की जाने वाली आडिट हेतु समस्त शाखाओं/कक्षों /प्रकोष्ठों से समन्वय एवं इससे संबंधित समस्त कार्यवाही ।
5. लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों की संबंधित शाखाओं/कक्षों /प्रकोष्ठों से जानकारी प्राप्त कर संकलित जानकारी विभाग को प्रेषित कराना ।
6. प्रबंधन से समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित करना ।

Manual -3
General Section

सामान्य कक्ष

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

3.15 सामान्य कक्ष– कर्तव्यो का विवरण

(अ) सामान्य प्रकोष्ठ

क्रमांक	कार्यो का विवरण
1.	माननीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, निवास कार्यालय से संबंधित नस्ती संधारण प्राप्त निर्देशों का पालन एवं अन्य विविध कार्य।
2.	माननीय अध्यक्ष, सीएसआईडीसी, निवास कार्यालय से संबंधित नस्ती संधारण प्राप्त निर्देशों का पालन एवं अन्य विविध कार्य।
3.	सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का पालन एवं नस्ती संधारण ।
4.	निगम के वाहनों का क्रय बाबत् नस्ती संधारण पेट्रोल/डीजल देयकों का भुगतान एवं मरम्मत/रिपेयरिंग कार्यो के प्राप्त देयकों का भुगतान/प्रतिपूर्ति/ स्वीकृति एवं वाहन बीमा संबंधी कार्य ।
5.	कार्यालयीन रख–रखाव एवं अन्य विविध निर्देशों का पालन, मनोरंजन/सत्कार तथा विविध व्यय संबंधी कार्य ।
6.	विद्युत रख–रखाव तथा विद्युत देयकों का भुगतान ।
7.	कम्प्यूटर, ए.सी., फोटो कापी मशीन, इ.पी.बी.एक्स आदि अन्य आफिस इक्यूपमेंट का रख–रखाव ।
8.	सुरक्षा एजेंसी के देयकों का भुगतान एवं नस्ती संधारण ।
9.	कार्यालयीन भवन, फर्नीचर सेम्पल हेतु गोदाम, सिविल कक्ष कार्यालय भवन किराया का नस्ती संधारण एवं भुगतान संबंधी कार्य।
10.	टैक्सी किराया का नस्ती संधारण एवं भुगतान संबंधी कार्य ।
11.	निविदा आमंत्रण विज्ञापन प्रकाशन व्यय तथा देयकों का भुगतान कार्य ।
12.	कर्मचारियों की वर्दी, जूता बरसाती प्रदाय संबंधी कार्यवाही एवं नस्ती संधारण
13.	फर्नीचर क्रय संबंधी कार्य नस्ती संधारण एवं भुगतान कार्य ।
14.	कम्प्यूटर/फोटोकापी मशीन आदि क्रय संबंधी नस्ती एवं भुगतान कार्य।
15.	प्रचार–प्रसार विज्ञापन मद में प्राप्त पत्रों का समय अनुसार प्रस्तुतीकरण एवं देयकों का भुगतान ।
16.	विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के रख–रखाव मद में संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इम्प्रेस्ट राशि का स्वीकृति/भुगतान/प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य ।
17.	दूरभाष, इन्टरनेट, मोबाइल देयकों का भुगतान संबंधी कार्य।
18.	उच्च अधिकारियों से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों का पालन ।

(ब) स्टेशनरी प्रकोष्ठ

क्रमांक	कार्यो का विवरण
1.	स्टेशनरी क्रय नस्ती संधारण एवं कार्य ।
2.	स्टेशनरी छपाई नस्ती संधारण एवं कार्य ।
3.	विभिन्न कक्षों से प्राप्त निविदा आमंत्रण से संबंधित नस्ती संधारण एवं निविदा प्रकाशन बाबत् कार्यवाही ।
4.	फोटो कापी का कार्य ।

(स) आवक–जावक प्रकोष्ठ

क्रमांक	कार्यो का विवरण
1.	निगम में प्राप्त डाक (पत्रो) का आवक रजिस्टर में इन्द्राज तथा संबंधित कक्षों को वितरण ।
2.	निगम के विभिन्न कक्षों द्वारा जारी किये गये, पत्रों, परिपत्रो तथा आदेश का जावक रजिस्टर में इन्द्राज तथा डाक द्वारा प्रेषण एवं संबंधित अधिकारी, विभाग आदि को वितरण ।

संपदा प्रकोष्ठ
Estate Managment Cell

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

3.16

आबंटन हेतु बनाये गये नियम एवं शर्तों के अधीन प्रक्रिया एवं निर्धारित समायावधि में निराकरण ।

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

कार्मिक एवं प्रशासन (स्थापना प्रकोष्ठ)

Personal & Administration

3.17 स्थापना प्रभाग के द्वारा अधिकारियों /कर्मचारियों सेवा संबंधी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते है जिस पर/कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक/संचालक मण्डल द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निर्णय लिये जाते है ।

मैन्युअल–3
Manual – 3
CSR & Rehabilitation Section

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

पद सोपान अनुसार ।

Manual - 3

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

3.18 निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् निर्धारित प्रक्रिया समयसीमा के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

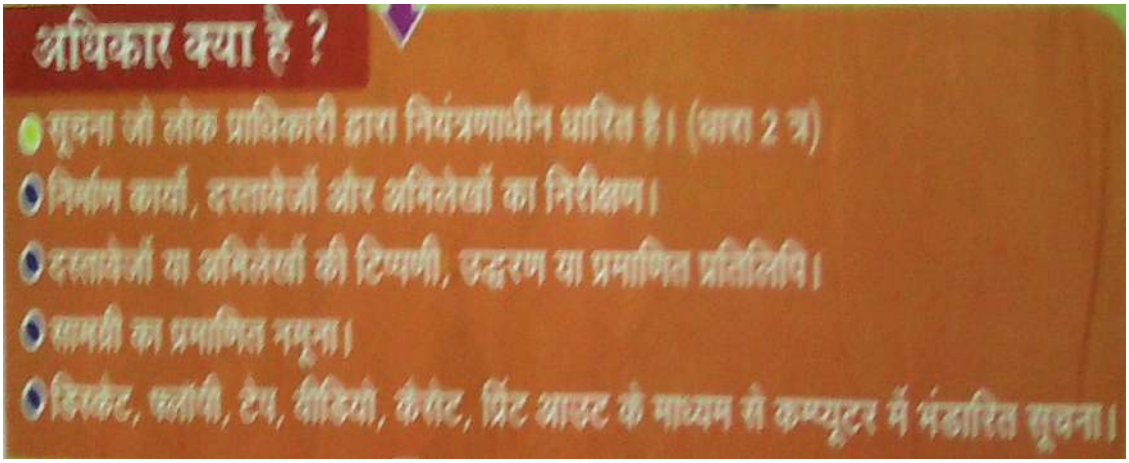

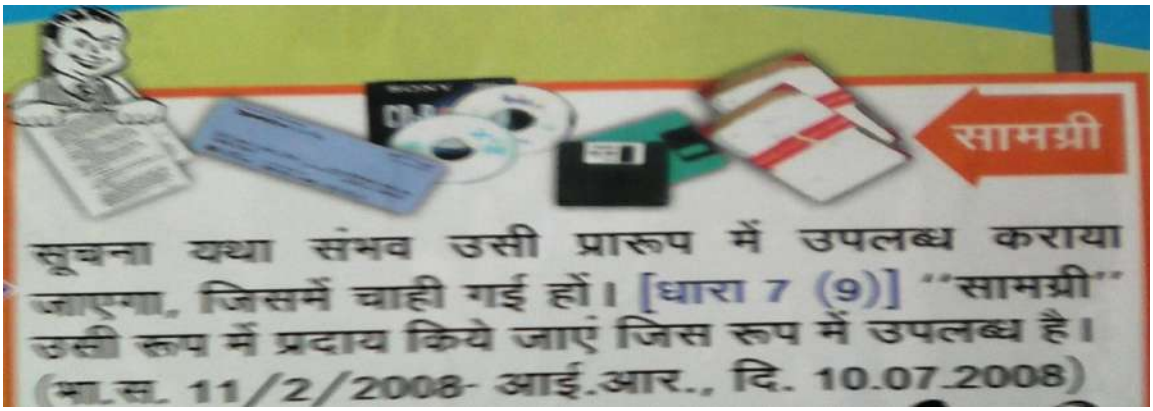

3.19

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत् लोक सूचना कक्ष द्वारा मुख्यतः निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है।

धारा 6(1) के अंतर्गत् आवेदन प्राप्त किये जाते है।

धारा 6(2) आवेदन की सूचना का कारण जानने की मांग नहीं की जाती है।

धारा 6(3) आवेदन 5 दिवसों में अंतरित/संबंधितों को प्रेषित किया जाता है।

धारा 7(1) आवेदन/अनुरोध का निपटारा 30 दिवसों के भीतर किया जाता है।

(i) सूचना उपलब्ध कराएगा, जीवन एवं स्वतंत्रता–48 घंटे

(ii) धारा 8 एवं 9 के विनिर्दिष्ट कारणों से अस्वीकार

धारा 7(2) विनिर्दिष्ट अवधि में विनिश्चय में असफलता अनुरोध नामंजूर मान्य

धारा 7(3) फीस की मांग संगणना सहित/ससूचना प्रेषण फीस प्रदाय की अवधि/शुल्क प्राप्त होने पर जानकारी/दस्तावेज 30 दिवसों/समयसीमा में प्रदाय किये जाते है।

धारा 7(3)(क) फीस की मांग– संगणना सहित। संसूचना प्रेषण– फीस संदाय की अवधि 30 दिवस के अतिरिक्त।

–निर्धारित शुल्क–

- प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु वास्तविक लागत (A3/A4)– रू. 2/– प्रति पृष्ठ
- नमूने की वास्तविक लागत–
- अवलोकन हेतु– प्रथम घंटा– रू. 50/– एवं 15 मिनट या इसके भाग के लिए रू. 5.00/–
- सी.डी. या फ्लापी– रू. 50/– प्रति पृष्ठ
  (बी.पी.एल. के लिये शुल्क नही)
  (नगद, चालान, नानज्यूडिशियल स्टाम्प, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर द्वारा)

धारा 7(3)(ख) सूचना की संसूचना – शुल्क एवं सूचना पर पुनर्विलोकन एवं अपील अधिकारी की सूचना सहित।

धारा 7(5) फीस/शुल्क– गरीबी रेखा के नीचे प्रभारित नहीं होगी। (स्वयं से संबंधित सूचना पर रू. 100 की सीमा तक फीस माफ)

धारा 7(6) धारा 7(1) अनुसार 30 दिवस में उपलब्ध न कराने पर निःशुल्क प्रदाय।

धारा 7(7) पर व्यक्ति के मामले में धारा 7(1) अंतर्गत् विनिश्चय में धारा 11 का ध्यान

धारा–11– पर व्यक्ति (Third Party) की सूचना–

–11 (1) पर व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा प्रदायित –

कोई सूचना या अभिलेख – 5 दिवस में लिखित सूचना – पर व्यक्ति को।

धारा–11

–11 (2) ऐसी सूचना प्राप्ति से 10 दिवस का अवसर – पर व्यक्ति को।

–11 (3) 40 दिवस में निर्णय– पर व्यक्ति के निवेदन का ध्यान–
निर्णय की सूचना पर व्यक्ति को।

–11 (4) 11(3) की सूचना में पर व्यक्ति के अपील कर सकने की संसूचना शामिल होगी।

धारा–7(8)– उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृति की स्थिति में :

- अस्वीकृति का कारण
- अपील की अवधि
- अपील प्राधिकारी का विवरण

धारा–7(9)– सूचना यथा संभव उसी प्रारूप में जिसमें चाही गई हो। जब तक कि स्त्रोतों को अनुनपाति रूप से विचलित न करता हो या सुरक्षा या संरक्षण के लिए प्रतिकूल न हो।

निर्धारित शुल्क–: नकद, चालान, नॉनजूडिशियल स्टाम्प, पोस्टल आर्डर मनीआर्डर द्वारा प्राप्त करना।

1. दस्तावेज की छायाप्रति A3, A4 रू. 2/– (दो) प्रति पृष्ठ
2. नमूने/नक्शा आदि वास्तविक लागत।
3. नस्ती/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रथम घंटा रू. 50/– (रू. पचास) शुल्क एवं प्रत्येक 15 मिनट व भाग के लिए रू. 5/– (रू. पांच) मात्र निर्धारित, आवेदक को दर्शाते हुए समय/दिवस की जानकारी सूचित की जाती है।
4. सीडी– रू. 50/–
   (BPL– आवेदक के लिए शुल्क नहीं)

संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 01–16/2013/सार्व.उ./44 नया रायपुर दिनांक 06.12.2014 के परिपालन में।

धारा 7(3)(ख)–: उपरोक्तानुसार आवेदक को सूचित किया जाता है एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व प्रथम अपील सूचना सहित आवेदन लोक सूचना अधिकारी द्वारा निराकृत किया जाता है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19 के अंतर्गत् प्रथम अपील का निराकरण 30 दिवसों में एवं सकारण अधिकतम 45 दिवसों में किया जाता है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित किया जाता है एवं आदेशानुसार उस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयसीमा में कार्यवाही की जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत कर पारित आदेशानुसार लोक प्राधिकारी/जनसूचना अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है।

Manual -3

मैन्युअल–3

शाखा कार्यालय तिफरा, बिलासपुर

Branch Office, Bilaspur

3.19 निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् दिये गये अधिकारों का क्रियान्वयन एवं निर्णय पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करना ।

Manual -3

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD Bhilai

3.19

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

भण्डार में उपलब्ध लौह–इस्पात के वितरण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा अधीनस्थ कर्मचारियों से प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाने हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश तथा मार्गदर्शन दिया जाना ।

मैन्युअल–3

Manual - 3

उत्पादन इकाई

फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं ए.आईएफ.भिलाई
कार्यालयः– शोरूम नवीन बाजार रायपुर
Show Room Furniture Raipur

3.20

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

निगम मे उत्पादन इकाई कक्ष द्वारा वुडन एवं स्टील फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। प्रशासकीय निर्णय मुख्यालय स्तर से होता है।

मैन्युअल–3

Manual - 3

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर

3.21
निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

पद सोपान अनुसार ।

मैन्युअल–4

Manual - 4

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

4.1 भू–आबटन प्रकोष्ठ

Land Allotment Cell

कृत्यों का निर्वहन छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि–आबंटन) नियम 1974 तथा शासन द्वारा जारी नियम एवं निर्देश के तहत किया जाता है ।

विस्तृत विवरण

भू–आबंटन कक्ष द्वारा निम्नांकित अनुसार कार्यवाही की जाती है :–

1. 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से पूर्ण आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक सहपत्रों के साथ प्राप्त होने पर प्रकरण आवक पंजी में दर्ज कर एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत दर्ज कर व संबंधित नस्ती में प्रस्तुत कर अपने प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं । आवेदन पत्र में त्रुटियॉ/कमियॉ होने पर आवेदक को अवगत कराया जाता है ।
2. आवेदन पत्र पूर्ण होने पर भूमि आबंटन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर 10 प्रतिशत प्रीमियम अग्रिम राशि प्राप्त कर आशय पत्र जारी किया जाता है। आशय पत्र की शर्तो के पूर्ण होने पर आबंटन आदेश एवं पट्टाभिलेख का निष्पादन किया जाता है । निष्पादित पट्टाभिलेख के पंजीयन के उपरांत भूमि का आधिपत्य आवेदक को सौंपा जाता है ।
3. इकाई/निवेशक द्वारा पट्टाभिलेख की कंडिकाओं का उल्लंघन होने पर 60/21 दिवसीय सूचना पत्र उल्लंघन दूर करने आबंटी को दिया जाता है । उल्लंघन दूर न होने पर भूमि आबंटन आदेश एवं पट्टाभिलेख निरस्त किया जाता है । निरस्तीकरण आदेश से सहमत नहीं होने पर सक्षम स्तर पर आबंटी द्वारा अपील की जाती है । अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाता है । निर्णय अनुसार प्रकरण पर कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

4.2 विपणन प्रकोष्ठ
Marketing Cell

विवणन शाखा द्वारा दर के निर्धारण संबंधी कार्य भण्डार क्रय नियम एवं DGS & D द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को मापदण्ड के आधार पर किया जाता है ।

सारांश

निगम के अन्य के कार्यों के सम्पादन के लिए संचालक मंडल के निर्णयों, शासन के आदेश / दिशानिर्देशों का पालन मानक/नियम के रूप में किया जाता है ।

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

4.3 संभाग – 1
Division - 1

<u>अधोसंरचना विकास कार्य</u>

किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु शासन से प्राप्त भूमि सीएसआईडीसी द्वारा अपने आधिपत्य में लेने के उपरांत उपरोक्त भूमि का स्थल किसी भी चयनित कंसल्टेंट द्वारा विस्तृत सर्वे एवं अभिन्यास आगंतुक संभावित उद्योगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है । अभिन्यास का अनुमोदन नगर एवं ग्राम निवेश से प्राप्त होने के उपरांत विकास कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो निम्नानुसार है :–

1. स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक समस्त अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु प्रथम चरण प्राक्कलन (Stage 1 Estimate) तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती है ।
2. प्रथम सोपान प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अधोसंरचना विकास कार्यो के संपादन हेतु कार्यवार विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रदान की जाती है तथा प्रशासकीय अनुमोदन प्रबंध संचालक द्वारा प्रदान की जाती है ।
3. प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कार्य के क्रियान्वयन हेतु वर्कस डिपार्टमेंट मेन्युअल में निहित नियमों के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है ।
4. नियत तिथि पर निविदा प्राप्त होने के उपरांत निविदा खोलने हेतु गठित समिति द्वारा निविदाएं खोली जाती हैं ।
5. प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण एवं कार्यवृत्त तैयार कर निविदा निर्णय समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाती है ।
6. निविदा निर्णय समिति द्वारा निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों का आकलन करते हुए न्यूनतम दर को स्वीकृति हेतु अनुशंसा करती है ।
7. निविदा समिति द्वारा अनुशंसित दर को प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
8. स्वीकृति प्राप्त निविदाकार को अनुबंध निष्पादन हेतु पत्र जारी किया जाता है ।
9. अनुबंधकर्त्ता एवं कार्यपालन अभियंता के मध्य करार होने के उपरांत कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु एक निर्धारित अवधि प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी किया जाता है ।

10. कार्यादेश जारी होने के उपरांत अनुबंधकर्त्ता द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है । संपादन का मापदण्ड कार्य विभाग मैनुअल के आधार पर होता है ।
11. स्थल पर कार्य का संपादन संबंधित कनिष्ठ यंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा कराया जाता है । किए गए कार्य के भुगतान हेतु कनिष्ठ यंत्री द्वारा माप पुस्तिका में माप दर्ज किया जाता है, जिसे सहायक यंत्री द्वारा जांचकर कार्यपालन अभियंता को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।
12. कार्यपालन अभियंता द्वारा भुगतान की अनुशंसा उपरांत लेखा कक्ष देयक की जांच कर कार्यपालक संचालक द्वारा देयक भुगतान पारित किया जाता है तदानुसार देयक का भुगतान किया जाता है ।

ब. <u>जल संयोजक की प्रकिया</u>

1. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले इकाईयों को जल संयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है । निर्धारित प्रपत्र का मूल्य 100/– रूपए भुगतान कर मुख्यालय शाखा कार्यालय/स्थल कार्यालय उरला रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है ।
2. जल संयोजन हेतु आवेदन पत्र के साथ उसमें निर्देशित आवश्यक संलग्नों एवं तीन प्रतियों में अनुबंध हेतु अनुबंध का प्रारूप 50/– रूपए के स्टाम्प पेपर पर सम्पूर्ण कराकर प्रस्तुत किया जाता है ।
3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के उपरांत जल खपत की मांग के अनुसार नियमावली में निहित राशि सुरक्षा निधि एवं जल संयोजन की राशि मुख्यालय/शाखा कार्यालय/स्थल कार्यालय में भुगतान कर भुगतान की रसीद सहित संबंधित सहायक यंत्री को सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं भुगतान किए गए राशि की रसीद सहित जमा कराया जाना होंगा ।
4. सम्पूर्ण दस्तावेजों के आधार पर संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर पाईप लाईन एवं जल की उपलब्धता के आधार पर अनुशंसा कर प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा ।
5. प्रकरण के स्वीकृति एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर उपरांत जल संयोजन की कार्यवाही सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा पूर्ण करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया जावेगा ।

4.4

संभाग 1 कार्य एवं क्षेत्रवार जानकारी		–	कार्य क्षेत्र– बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेंड्रारोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र । श्री ए.के. दुबे, कार्यपालन अभियंता, मो. नं. –
	औद्योगिक क्षेत्र रायपुर	–	प्रभारी अधिकारी, श्री देवेन्द्र सिंग, सहायक अभियंता, मो. नं. 9300650260 I. अपेरल पार्क II. मेटल पार्क III. व्यवसायिक परिसर, सिलतरा, रायपुर ।
	औद्योगिक क्षेत्र बोरई	–	प्रभारी अधिकारी, श्री जी. पी. पटेल, सहायक अभियंता, मो. नं. 7566313130 I. औद्योगिक क्षेत्र बोरई के समस्त कार्य । II. औद्योगिक संस्थान राजनांदगांव III. व्यावसायिक परिसर, डंगनिया, रायपुर IV. औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के छठ तालाब में सड़क एवंस नाली का निर्माण कार्य । V. औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के अंतर्गत इंजीनियरिंग पार्क ।
	बिलासपुर संभाग के समस्त कार्य ।	–	प्रभारी अधिकारी, श्री जी.पी. पटेल, सहायक अभियंता, मो. नं. 9303141900 I. औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, सिरगिट्टी, तिफरा, सेक्टर–ए,बी,सी एवं डी के समस्त कार्य II. औ0 क्षेत्र कापन, जिला जांजगीर–चांपा III. औद्योगिक संस्थान रायगढ़ IV. औद्योगिक संस्थान अंबिकापुर V. औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा ।
	आद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत संबंधी कराये जाने वाले समस्त कार्य ।	–	प्रभारी अधिकारी, श्री राकेश जैन, प्र. सहायक अभियंता मो. नं. 9893210151

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड
संभाग – 2
Division - 2

4.5

(अ) अधोसंरचना विकास कार्य :–

किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु शासन से प्राप्त भूमि सीएसआईडीसी द्वारा अपने आधिपत्य में लेने के उपरांत उपरोक्त भूमि का स्थल किसी भी चयनित कंसल्टेंट द्वारा विस्तृत सर्वे एवं अभिन्यास आगंतुक संभावित उद्योगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। अभिन्यास का अनुमोदन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से प्राप्त होने के उपरांत विकास कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो निम्नानुसार है :–

1. स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक समस्त अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु प्रथम चरण प्राक्कलन (Stage 1 Estimate) तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती है।
2. किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में निगम द्वारा निर्माण कार्य निगम के पास उपलब्ध राशि से एवं राज्य शासन से प्राप्त बजट आबंटन के अनुसार कराये जाते है।
3. निगम के पास उपलब्ध राशि से कराये जाने वाले अधोसंरचना विकास कार्यों के संपादन हेतु तकनीकी कक्ष द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालन अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है, तदोपरांत प्रबंध संचालक से अनुमोदन उपरांत मुख्य अभियंता से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
4. राज्य सन मद से कराये जाने वाले अधोसंरचना विकास कार्यों के संपादन हेतु तकनीकी कक्ष द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंता/कार्यपालन अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है, तदोपरांत इसे राज्य शासन की ओर बजट आबंटन हेतु एवं प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने भेजा जाता है।
5. प्रशासकीय अनुमोदन/बजट आबंटन प्राप्त होने के पश्चात् कार्य के क्रियान्वयन हेतु वर्कस् डिपार्टमेंट मेन्युअल में निहित नियमों के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
6. नियत तिथि पर निविदा प्राप्त होने के उपरांत कार्यपालन अभियंता द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष, निविदाएं खोली जाती है।
7. प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण एवं कार्यवृत्त तैयार कर निविदा निर्णय समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाती है

8. निविदा निर्णय समिति द्वारा निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों का आकलन करते हुए न्यूनतम दर को स्वीकृति हेतु अनुशंसा करती है।

9. निविदा समिति द्वारा अनुशंसित दर को प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. स्वीकृति प्राप्त निविदाकार (L-1) को अनुबंध निष्पादन हेतु पत्र जारी किया जाता है।

11. अनुबंधकर्ता एवं कार्यपालन अभियंता के मध्य करार होने के उपरांत कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु एक निर्धारित अवधि प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी किया जाता है।

12. कार्यादेश जारी होने के उपरांत अनुबंधकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है। संपादन का मापदण्ड कार्य विभाग मैनुअल के आधार पर होता है।

13. स्थल पर कार्य का संपादन, संबंधित कनिष्ठ यंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा कराया जाता है। किये गये कार्य के भुगतान हेतु कनिष्ठ यंत्री द्वारा माप पुस्तिका में माप दर्ज किया जाता है, जिसे सहायक यंत्री द्वारा जांचकर कार्यपालन अभियंता को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

14. कार्यपालन अभियंता द्वारा भुगतान की अनुशंसा उपरांत लेखा कक्ष देयक की जांच कर कार्यपालक संचालक द्वारा देयक भुगतान पारित किया जाता है, तद्‌नुसार देयक का भुगतान किया जाता है।

15. निगम के कार्यपालन अभियंताओं को व्यय सीमा में आवश्यक सामाग्रियों की खरीदी एवं श्रमिक व्यय हेतु एक मुश्त रू. 25,000/– एवं एक वर्ष में अधिकतम रू. 01.00 लाख तक व्यय करने के प्रशासकीय अधिकार प्रदत्त किये गये है।

ब) जल संयोजक की प्रक्रिया :–

1. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले इकाईयों को जल संयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। निर्धारित प्रपत्र का मूल्य रू. 100/– भुगतान कर मुख्यालय/शाखा कार्यालय/स्थल कार्यालय, उरला, रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है।

2. जल संयोजन हेतु आवेदन पत्र के साथ उसमें निर्देशित आवश्यक संलग्नों एवं तीन प्रतियों में अनुबंध हेतु अनुबंध का प्रारूप रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर सम्पूर्ण कराकर प्रस्तुत किया जाता है।

3. सभी आवश्यक दस्तावेजों संलग्न करने के उपरांत जल खपत की मांग के अनुसार नियमावली में निहित राशि सुरक्षा निधि एवं जल संयोजन की राशि मुख्यालय/शाखा मुख्यालय/स्थल कार्यालय में भुगतान कर भुगतान की रसीद सहित संबंधित सहायक यंत्री को सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं भुगतान किये गये राशि की रसीद सहित जमा कराया जाना होगा।

4. सम्पूर्ण दस्तावेजों के आधार पर संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर पाईप लाईन एवं जल की उपलब्धता के आधार पर अनुशंसा कर प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत किया जाता है, तदुपरांत इकाई एवं कार्यपालन अभियंता के मध्य अनुबंध का निष्पादन किया जाता है।

5. प्रकरण के स्वीकृति एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर उपरांत जल संयोजन की कार्यवाही सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता द्वारा पूर्ण करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है।

4.6

तकनीकी डिवीजन–02 के इंचार्ज	–	कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमासिवनी, एवं मेटल पार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद । **श्री एम.के. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता,** मोबाईल क्रमांक– 98264–33998 दूरभाष मुख्यालय 0771–6002071,72,73
कार्यालय का पता :–	–	द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–01, तेलीबांधा, रायपुर 492006 (छ0ग0)

ब) तकनीकी डिवीजन–02 के अंतर्गत कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारी :–

(1) श्री एच.आर. वर्मा, सहायक अभियंता (मोबाईल क्रमांक–98930–99303)

(2) श्री जी.आर. पटनायक, कनिष्ठ अभियंता (मोबाईल क्रमांक–98271–05664)

(3) श्री एच.पी. मिश्रा, वरिष्ठ सहायक (मोबाईल क्रमांक–97550–61670)

(4) श्री आर.एस. तिवारी, कनिष्ठ सहायक (मोबाईल क्रमांक–94255–10853)

स) तकनीकी डिवीजन–02 के अंतर्गत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) औद्योगिक क्षेत्र उरला–सरोरा, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, आमासिवनी, सोनडोंगरी, तेंदुआ, गोंदवारा, गोगांव, बरतोरी (तिल्दा) जिला–रायपुर।

(2) औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर

(3) औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला– महासमुंद।

औद्योगिक क्षेत्र उरला–सरोरा में सड़क निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ में नाली निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा में नाली निर्माण कार्य चल रहे है।

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

Division-03

संभाग – 03

Executive Engineer -03

कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।

4.7

तकनीकी डिवीजन–03 के इंचार्ज	–	श्री एस.के. सोनी, कार्यपालन अभियंता, ▪ मोबाईल क्रमांक 9826199509 ▪ दूरभाष मुख्यालय 0771–6002071,72,73
कार्यालय का पता :–	–	उद्योग भवन, (द्वितीय तल) सोनाखान भवन के सामने, रिंग रोड़ क्रमांक–1, पुरैना, रायपुर (छ.ग.) – 492006

ब) तकनीकी डिवीजन–03 के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारी :–

(1) श्री जी. के. स्वर्णकार, सहायक अभियंता, (मोबाईल क्रमांक 9893125663)

(2) श्री विजय तिवारी, कनिष्ठ अभियंता [संविदा] (मोबाईल क्रमांक 9827165306)

(3) श्री आर.एस. तिवारी, कनिष्ठ सहायक

(4) श्री बी. सत्यानारायण, सचिवालयीन सहायक

स) तकनीकी डिवीजन–03 के अंतर्गत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नया राजधानी, रायपुर में चल रहे विकास कार्य।

(2) केन्द्र शासन की एसाईड परियोजना के अंतर्गत कार्य।

(3) औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग में संधारण/विकास कार्यों के अंतर्गत सड़क, नाली इत्यादि के कार्य।

4.8

निविदा हेतु समिति :–

अ. निविदा खोलने की समितिः–

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर
2.	परिचय–निर्माण/संधारण कार्यो हेतु प्राप्त मुहरबंद निविदा सम्बंधित कार्यपालन अभियंता, कनिष्ठ/सहायक अभियंता, वरिष्ठ सहायक द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोले जाते हैं।	
3.	समिति की भूमिका	मुहरबंद निविदाओं को खोलकर पंजी में दर्ज करना तथा निविदा समिति को प्रस्तुत करना
4.	मुख्य अधिकारी का नाम	कार्यपालन अभियंता, तकनीकी कक्ष–5
5.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य तेलीबांधा, शाखाओं के पते	सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, प्रथम तल, रायपुर
6.	बैठक की आवृत्ति	यथा आवश्यकता कार्यानुसार जब–जब निविदा की जानी होती है ।
7.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	आम जनता भाग नहीं ले सकती है परन्तु निविदाकार या उनके प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले सकते हैं ।
8.	क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ।	हां
9.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ।	हां
10.	यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण दें	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

ब. <u>निविदा समिति</u>

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता — छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो, प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर

2. परिचय–निर्माण/संधारण कार्यो हेतु प्राप्त मुहरबंद निविदा के दरों का आंकलन करने हेतु निविदा समिति गठित है जिसके सदस्य हैं :–

   1. अधीक्षण अभियंता/महाप्रबंधक, पी.आई.यू., ए.डी.बी., लो.नि.वि., रायपुर।
   2. मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन कक्ष)
   3. उप प्रबंधक (लेखा एवं वेतन)
   4. संबंधित कार्यपालन अभियंता

3. समिति की भूमिका — निविदाकारों द्वारा निविदा में दिए गए दरों का विश्लेषण करना एवं निर्णय लेना ।

4. मुख्य अधिकारी का नाम — कार्यपालन अभियंता

5. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते — कार्यालय
कार्यपालन अभियंता, तकनीकी कक्ष–5,
प्रथम तल, उद्योग भवन,
तेलीबांधा, रायपुर।

6. बैठक की आवृत्ति — यथा आवश्यकता

7. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है । — आम जनता भाग नहीं ले सकती है ।

8. क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किया जाता है । — हां

9. क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है । — हां

10. यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण दें — निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

4.3 संभाग – 4
Division - 4

<u>अधोसंरचना विकास कार्य</u>

किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु शासन से प्राप्त भूमि सीएसआईडीसी द्वारा अपने आधिपत्य में लेने के उपरांत उपरोक्त भूमि का स्थल किसी भी चयनित कंसल्टेंट द्वारा विस्तृत सर्वे एवं अभिन्यास आगंतुक संभावित उद्योगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है । अभिन्यास का अनुमोदन नगर एवं ग्राम निवेश से प्राप्त होने के उपरांत विकास कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो निम्नानुसार है :–

1. स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक समस्त अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु प्रथम चरण प्राक्कलन (Stage 1 Estimate) तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती है ।
2. प्रथम सोपान प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अधोसंरचना विकास कार्यो के संपादन हेतु कार्यवार विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रदान की जाती है तथा प्रशासकीय अनुमोदन प्रबंध संचालक द्वारा प्रदान की जाती है ।
3. प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कार्य के क्रियान्वयन हेतु वर्कस डिपार्टमेंट मेन्युअल में निहित नियमों के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है ।
4. नियत तिथि पर निविदा प्राप्त होने के उपरांत निविदा खोलने हेतु गठित समिति द्वारा निविदाएं खोली जाती हैं ।
5. प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण एवं कार्यवृत्त तैयार कर निविदा निर्णय समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाती है ।
6. निविदा निर्णय समिति द्वारा निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों का आकलन करते हुए न्यूनतम दर को स्वीकृति हेतु अनुशंसा करती है ।
7. निविदा समिति द्वारा अनुशंसित दर को प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
8. स्वीकृति प्राप्त निविदाकार को अनुबंध निष्पादन हेतु पत्र जारी किया जाता है ।
9. अनुबंधकर्त्ता एवं कार्यपालन अभियंता के मध्य करार होने के उपरांत कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु एक निर्धारित अवधि प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी किया जाता है ।

10. कार्यादेश जारी होने के उपरांत अनुबंधकर्त्ता द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है । संपादन का मापदण्ड कार्य विभाग मैनुअल के आधार पर होता है ।
11. स्थल पर कार्य का संपादन संबंधित कनिष्ठ यंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा कराया जाता है । किए गए कार्य के भुगतान हेतु कनिष्ठ यंत्री द्वारा माप पुस्तिका में माप दर्ज किया जाता है, जिसे सहायक यंत्री द्वारा जांचकर कार्यपालन अभियंता को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।
12. कार्यपालन अभियंता द्वारा भुगतान की अनुशंसा उपरांत लेखा कक्ष देयक की जांच कर कार्यपालक संचालक द्वारा देयक भुगतान पारित किया जाता है तदानुसार देयक का भुगतान किया जाता है ।

ब. <u>जल संयोजक की प्रकिया</u>

1. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले इकाईयों को जल संयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है । निर्धारित प्रपत्र का मूल्य 100/– रूपए भुगतान कर मुख्यालय शाखा कार्यालय/स्थल कार्यालय उरला रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है ।
2. जल संयोजन हेतु आवेदन पत्र के साथ उसमें निर्देशित आवश्यक संलग्नों एवं तीन प्रतियों में अनुबंध हेतु अनुबंध का प्रारूप 50/– रूपए के स्टाम्प पेपर पर सम्पूर्ण कराकर प्रस्तुत किया जाता है ।
3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के उपरांत जल खपत की मांग के अनुसार नियमावली में निहित राशि सुरक्षा निधि एवं जल संयोजन की राशि मुख्यालय/शाखा कार्यालय/स्थल कार्यालय में भुगतान कर भुगतान की रसीद सहित संबंधित सहायक यंत्री को सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं भुगतान किए गए राशि की रसीद सहित जमा कराया जाना होंगा ।
4. सम्पूर्ण दस्तावेजों के आधार पर संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर पाईप लाईन एवं जल की उपलब्धता के आधार पर अनुशंसा कर प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा ।
5. प्रकरण के स्वीकृति एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर उपरांत जल संयोजन की कार्यवाही सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा पूर्ण करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया जावेगा ।

संभाग 4 कार्य एवं क्षेत्रवार जानकारी		–	कार्य क्षेत्र – इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र । श्री सुनील कुमार राजगिरे, कार्यपालन अभियंता, मो. नं. –
	औद्योगिक क्षेत्र रायपुर	–	प्रभारी अधिकारी, श्री देवेन्द्र सिंग, सहायक अभियंता, मो. नं. 9300650260 I. अपेरल पार्क II. मेटल पार्क III. व्यवसायिक परिसर, सिलतरा, रायपुर ।
	औद्योगिक क्षेत्र बोरई	–	प्रभारी अधिकारी, श्री जी. पी. पटेल, सहायक अभियंता, मो. नं. 7566313130 I. औद्योगिक क्षेत्र बोरई के समस्त कार्य । II. औद्योगिक संस्थान राजनांदगांव III. व्यावसायिक परिसर, डंगनिया, रायपुर IV. औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के छठ तालाब में सड़क एवंस नाली का निर्माण कार्य । V. औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के अंतर्गत इंजीनियरिंग पार्क ।
	बिलासपुर संभाग के समस्त कार्य ।	–	प्रभारी अधिकारी, श्री जी.पी. पटेल, सहायक अभियंता, मो. नं. 9303141900 I. औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, सिरगिट्टी, तिफरा, सेक्टर–ए,बी,सी एवं डी के समस्त कार्य II. औ0 क्षेत्र कापन, जिला जांजगीर–चांपा III. औद्योगिक संस्थान रायगढ़ IV. औद्योगिक संस्थान अंबिकापुर V. औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा ।
	आद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत संबंधी कराये जाने वाले समस्त कार्य ।	–	प्रभारी अधिकारी, श्री राकेश जैन, प्र. सहायक अभियंता मो. नं. 9893210151

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

जन शिकायत निवारण कक्ष
P.G.R. Cell

4.9

निर्धारित कर्तव्यों के परिपालन में जन शिकायत निवारण कक्ष में प्राप्त शिकायत अथवा आवेदन पत्रों का निगम स्तर पर त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना तथा तद्नुरूप शासन को निर्धारित समयावधि में प्रकरणों के निराकरण/वस्तुस्थिति से अवगत कराना ।

Manual - 4

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

अपने कर्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

कार्यो की प्रकृति के अनुसार मापदण्ड संबंधित अधिनियमों के द्वारा निर्धारित होते है । इसके अतिरिक्त प्रबंधन स्तर पर द्वारा सौपे जाने वाले कार्य निर्देशानुसार समयावधि से संपादित किये जाते है ।

4.10 सामान्य कक्ष– कर्तव्यो का विवरण

General Section

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

(अ) सामान्य प्रकोष्ठ

क्रमांक	कार्यो का विवरण
19.	माननीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, निवास कार्यालय से संबंधित नस्ती संधारण प्राप्त निर्देशों का पालन एवं अन्य विविध कार्य।
20.	माननीय अध्यक्ष, सीएसआईडीसी, निवास कार्यालय से संबंधित नस्ती संधारण प्राप्त निर्देशों का पालन एवं अन्य विविध कार्य।
21.	सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का पालन एवं नस्ती संधारण ।
22.	निगम के वाहनों का क्रय बाबत् नस्ती संधारण पेट्रोल/डीजल देयकों का भुगतान एवं मरम्मत/रिपेयरिंग कार्यो के प्राप्त देयकों का भुगतान/प्रतिपूर्ति/ स्वीकृति एवं वाहन बीमा संबंधी कार्य ।
23.	कार्यालयीन रख–रखाव एवं अन्य विविध निर्देशों का पालन, मनोरंजन/सत्कार तथा विविध व्यय संबंधी कार्य ।
24.	विद्युत रख–रखाव तथा विद्युत देयकों का भुगतान ।
25.	कम्प्यूटर, ए.सी., फोटो कापी मशीन, इ.पी.बी.एक्स आदि अन्य आफिस इक्यूपमेंट का रख–रखाव।
26.	सुरक्षा एजेंसी के देयकों का भुगतान एवं नस्ती संधारण ।
27.	कार्यालयीन भवन, फर्नीचर सेम्पल हेतु गोदाम, सिविल कक्ष कार्यालय भवन किराया का नस्ती संधारण एवं भुगतान संबंधी कार्य।
28.	टैक्सी किराया का नस्ती संधारण एवं भुगतान संबंधी कार्य।
29.	निविदा आमंत्रण विज्ञापन प्रकाशन व्यय तथा देयकों का भुगतान कार्य ।
30.	कर्मचारियों की वर्दी, जूता बरसाती प्रदाय संबंधी कार्यवाही एवं नस्ती संधारण ।
31.	फर्नीचर क्रय संबंधी कार्य नस्ती संधारण एवं भुगतान कार्य ।
32.	कम्प्यूटर/फोटोकापी मशीन आदि क्रय संबंधी नस्ती एवं भुगतान कार्य।
33.	प्रचार–प्रसार विज्ञापन मद में प्राप्त पत्रों का समय अनुसार प्रस्तुतीकरण एवं देयकों का भुगतान ।
34.	विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के रख–रखाव मद में संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इम्प्रेस्ट राशि का स्वीकृति/भुगतान/प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य ।
35.	दूरभाष, इन्टरनेट, मोबाइल देयकों का भुगतान संबंधी कार्य।
36.	उच्च अधिकारियों से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों का पालन ।

(ब) <u>स्टेशनरी प्रकोष्ठ</u>

क्रमांक	कार्यो का विवरण
5.	स्टेशनरी क्रय नस्ती संधारण एवं कार्य ।
6.	स्टेशनरी छपाई नस्ती संधारण एवं कार्य ।
7.	विभिन्न कक्षों से प्राप्त निविदा आमंत्रण से संबंधित नस्ती संधारण एवं निविदा प्रकाशन बाबत् कार्यवाही ।
8.	फोटो कापी का कार्य ।

(स) <u>आवक–जावक प्रकोष्ठ</u>

क्रमांक	कार्यो का विवरण
1.	निगम में प्राप्त डाक (पत्रो) का आवक रजिस्टर में इन्द्राज तथा संबंधित कक्षों को वितरण ।
2.	निगम के विभिन्न कक्षों द्वारा जारी किये गये, पत्रों, परिपत्रो तथा आदेश का जावक रजिस्टर में इन्द्राज तथा डाक द्वारा प्रेषण एवं संबंधित अधिकारी, विभाग आदि को वितरण ।

संपदा प्रकोष्ठ

Estate Managment Cell

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

4.11

आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को समिति में प्रस्तुत करना। अनुशंसा एवं अनुमोदन पश्चात पंजीयन एवं निर्धारित भवनों के मूल्य तथा भू–प्रब्याजि जमा कराना तथा आशय पत्र/विक्रय पत्र की सहमति प्राप्त करना। भू–आबंटन आदेश जारी करना। पट्टा अभिलेख निष्पादन कर रजिस्ट्री हेतु आबंटितों को सौंपना तथा भवन/भूमि का आधिपत्य सौंपना।

संचालक मंडल की बैठक दिनांक 16.04.2014 प्रबंध संचालक द्वारा जारी पत्र क्र. सीएसआईडीसी/भू.आ./14/14366 रायपुर दिनांक 24.01.2014 के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर व्यवसायिक भूमि का आबंटन नीलामी द्वारा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें भूमि व भवन की सम्मिलित हैं।

1. विज्ञापन के माध्यम से निविदा आवेदन आमंत्रित किया जाना तथा समयसीमा में भूमि/भवन आबंटन का प्रावधान है ।
2. निविदा मूल्य स्वीकृति सूचना की तिथि से 15 दिवस के अंदर 50 प्रतिशत राशि तथा 45 दिवस के भीतर शेष राशि जमा कराने का प्रावधान है ।

मैन्युअल–4
Manual – 4
CSR & Rehabilitation Section

4.12

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

नियमानुसार

Manual - 4

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

4.12 अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

आवेदन कैसे ?

- धारा 6 (1) के अंतर्गत कोई व्यक्ति "..... मांगी गई सूचना की विशिष्टयां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा....."
- बी.पी.एल. परिवारजनों के लिए निःशुल्क। अन्य के लिए आवेदन शुल्क मात्र रूपये 10/-

आवेदन कहां ?

- संबंधित विभाग/कार्यालय के जनसूचना/सहायक जनसूचना अधिकारी के पास।

निराकरण कैसे ?

धारा 7 (1) के अंतर्गत आवेदन/अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ऐसी शुल्क के संदाय पर जो विहित की जाए, जनसूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा।

शुल्क नानज्यूडीशियल स्टाम्प/चालान/मनीऑर्डर/पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/नगद के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

सूचना क्या है ?

सूचना से अभिप्रेत है :- किसी रूप में सामग्री जैसे: आदेश, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, लॉग बुक आदि जो लोक प्राधिकारी की पहुंच में हो सकती है। [धारा 2 (एच)]

लोक प्राधिकारी के कार्यालय में एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालयों में निम्नानुसार जानकारी सूचना पटल द्वारा प्रदर्शित की गई है।

1.	मुख्यालय	लोक सूचना अधिकारी	नाम/पदनाम
		सहायक लोक सूचना अधिकारी	नाम/पदनाम
2.	शाखा कार्यालयों में	सहायक लोक सूचना अधिकारी	नाम/पदनाम

आवेदन शुल्क, आदेश प्रस्तुत करने आदि के बारे में दिशा–निर्देश संबंधी सूचना नोटिस बोर्ड पर दी गई है।

- समय–समय पर कक्ष प्रभारी/शाखा प्रभारी को परिपत्र–निर्देश केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/राज्य सूचना आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश, परिपत्र, ज्ञापन आदि सर्कुलेट किये जाते है।
- छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर द्वारा समय–समय पर वर्ष 2012 में 40 अधिकारी/कर्मचारियों, वर्ष– जून–2014 में 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत् कार्यालय द्वारा उपरोक्त कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत् प्रतिवर्ष अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने हेतु दिशा–निर्देश जारी करना एवं प्रतिवर्ष जानकारी अद्यतन कर निगम की वेबसाईट www.csidc.in पर अपलोड करना।
- निगम के वार्षिक प्रतिवेदन में पृथक अध्ययन के रूप में दर्शाया जाना है कि वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन, निराकृत आवेदन, अस्वीकृत आवेदन आदि की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु।
- माह दिसम्बर–2011 से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त आवेदनों, निराकृत, प्रक्रियाधीन, अस्वीकृत आदि की मासिक जानकारी कार्यालय के वेबसाईट www.csidc.in पर अपलोड की जाती है।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांकः 2279/जी.–1312/2009/1–सू.अ.प्र. दिनांक 19.08.2011 एवं भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांकः 4/10/2011/आई.आर. दिनांक 18.05.2011

निगम के मुख्यालय– लोक सूचना अधिकारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन सभी आवेदनों, प्रथम अपीलों, द्वितीय अपील के विवरण के साथ संलग्न प्रोफार्मा में नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 की जानकारी इस मेन्यूअल के बिन्दु क्रमांक 17 में अन्य कोई सूचना में संलग्न है।

मैन्युअल–4
Manual – 4

शाखा कार्यालय तिफरा, बिलासपुर
(Branch Office Tiphara, Bilaspur)

4.13 अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

भूमि आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को तथा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों को समय–सीमा में स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित करना ।

मैन्यूअल–4

Manual- 4

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD- Bhilai

4.13

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

कर्तव्यों का पालन मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देश तथा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है । इसके लिए स्वयं के मापदंड निर्धारित करने का अधिकार प्रभारी को प्रदत्त नही है ।

मैन्युअल–4
Manual - 4

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर
High Tech Bus Stand, Bilaspur

4.14

अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

1. अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड निर्धारित अवधि में कार्यों का संपादन तथा क्रियान्वयन करना ।

2. मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन एवं निर्णय परीवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करना एवं पालन करना ।

मैन्युअल–5 (Manual - 5)

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख

5.1 भू–आबंटन कक्ष

Land Allotment Section

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.के भू–आबंटन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यो को पूर्ण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने नियंत्रण के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचीः

*	भूमि/शेड आबंटन नियम का नाम	म.प्र.उद्योग (शेड,प्लाट एवं भूमि) आबंटन नियम 1974
1	प्रब्याजी की 10% राशि जमा करने हेतु मांग पत्र ।	–
2	जारी किए जाने वाले भू–आशय पत्र	अभिलेख
3	भू–आशय पत्र के शर्तो की पूर्ति का सहमति पत्र	अभिलेख
4	जारी किए जाने वाले भू–आबंटन आदेश	अभिलेख
5	भूमि आबंटन के संदर्भ में निष्पादित किए जाने वाले पट्टाभिलेख	अभिलेख
6	छ.ग.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्ह. कार्पो.लि. को औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भूमि आबंटन हेतु दिए गए अधिकार	छ.ग.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–11–5/2003/(छैः)/ 11 रायपुर दिनांक 8 मार्च 2003 अनुदेश
7	छ.ग.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी परिपत्र, जिसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह कार्पो.लि.को 10 प्रतिशत सेवाशुल्क लिया जाना है	छ.ग.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभागद्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–20–95/04/11/6 दिनांक 4/5/05 अनुदेश

8	रूपए 100 करोड़ या उससेअधिक की वृहद परियोजनाओं को 50 प्रतिशत भू–प्रब्याजि रियायत की अधिसूचना	छ.ग.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभागद्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ–11–9/2003/11/6 रायपुर दिनांक 19 सितम्बर2003 एवं अधिसूचना संशोधन क्रमांक एफ–11–9/2003/(6)/11 दिनांक 7 फरवरी 2003 अधिसूचना
9	औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु भू–आबंटन	म.प्र.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्र. 16/52/11/बी/94 भोपाल जून 94 अनुदेश
10.	अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के संबंध में	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.में प्रचलित ऐसे नियम/निर्देश जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम/निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्र. 1177/1787/2002/1/6 रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002 अनुदेश

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibanda, Raipur 492 006
Phone:0771-2583789&90, Fax:0771-2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

---

LETTER OF INTENT

No.CSIDC/ALT/14/ Raipur, Dated / /2014

To,

Sub: Proposed Allotment of land in Industrial Area **…….** District **…….. (C.G.)**
Ref: Your application dated **……...**

Dear Madam,

We have received your application for allotment of land in Industrial Area **……** District **…….** **(C.G.)** and it has been entered at the **Sr……** in the Register of Application for land. We propose to allot you **Plot No…….. admeasuring …… Sq.ft. (…… Acres)** of land being in the Industrial Area **……** District **…… (C.G)** for Setting up of **…… etc..** The allotment will **be** subject to following terms and conditions :-

(1) The land will be given on lease for 99 years.

(2) The additional 10% premium will be charged for plots on 80'/100' wide road or the corner plots.

2 (a) You will deposit the following amount within 45 days :-

a)	Premium		Rs. .
b)	Annual lease rent	Rs. .	
	+ Service Tax 12.36% lease rent	Rs. .	
	Education cess @ 2% on service tax	Rs. .	Rs. .
	Higher Educational cess @ 1% service tax	Rs. .	
		Rs. .	
c)	Three years annual lease rent as security deposit for timely payment of annual lease rent.		Rs. .
d)	Annual maintenance charges of Industrial area		Rs. .
e)	Annual street light charges		Rs. .
f)	Additional 10% Premium for the plot being on 80'/100' Road/Corner Plot.(If any)		Rs. .
	Total:		**Rs.**

Condt...2

(3) You shall pay the enhanced rate of premium and other charges on account of enhancement in the rates by Commerce & Industries Department, Government of Chhattisgarh or Board of Directors of this Corporation as and when necessary.

(4) In case, the amount of premium, annual lease rent, security deposit development fund for maintenance of Industrial Area, Street light charges and consent letter are not deposited with us within 45 days in case of Small Scale Industry & 90 days in case of Large/Medium Industry, the Letter of Intent will stand automatically cancelled and your name will be struck off from the application register.

(5) In case you fail to comply with condition No.4 within prescribed time limit and you apply for extra time for compliance of condition No.4 and your application is accepted by Nigam you have to pay 18% annual interest for delay period.

(6) The allotment shall be subject to all the terms & conditions contained in the form of lease deed hereto annexed with such modifications and with such additional terms & conditions as the allotting authority may deem fit or necessary to add from time to time.

(7) After receipt of the amount of premium, lease rent and security and completion of the necessary formalities as mentioned above a letter of allotment shall be issued in your favour. Thereafter you will be required to execute a lease deed, as per the enclosed copy. All the conditions of the lease deed shall be strictly followed. All costs and expenses incurred or which may be incurred in preparation, execution and registration of the lease deed should be borne and paid by you. You shall be required to deposit the original lease deed with us duly registered On receipt of the original lease deed, the possession of the land will be handed over to you.

(8) You shall complete the formalities of executing and registering the lease deed and taking over the possession within 60 days from the date of issue of Allotment order.

(9) a) You shall not construct any factory building unless the construction plans & maps of the building are approved by the competent authority under the Town and Country Planning Act and or any other statutory authority required by law.

b) You shall carry out the construction of the factory buildings as per the approved plan, install the machinery and start the production within a period of one year/three years for Small Scale Industry/Medium/Large Scale industry respectively.

c) You will have to construct ---------- sq. ft. of shed and building etc. on the land allotted as per details given in your application within a maximum period of three years in case of Small Scale Industry & Five years in case of Medium & Large Scale Industry.

3.....

(10) a) In case of Air & Water Pollution, effluent disposal, you shall obtain permission from Chhattisgarh Environment Conservation Board and submit it within 90 days from the date of issue of Letter of Intent.

b) In case of specified Medium/Large Scale Industry (List attached) you shall obtain permission from Environment Clearance Authority of Madhya Pradesh/Chhattisgarh and submit it within 90 days from the date of issue of Letter of Intent.

(11) You shall obtain permission/license/registration as may be applicable under Factories Act. Explosive Act and all other acts of Central/State Government or Local Authority, which are in force from time to time and submit a copy of the same.

(12) You shall pay maintenance charges of Industrial Area, Water charges and Street light charges as may be fixed by allotting authority from time to time.

(12)-a You shall be liable to pay taxes and other statutory charges as applicable from time to time.

(13) You will not change the constitution of unit, partnership deed, directors without prior approval of the allotting authority in case any such changes in made without prior permission/approval of the allotting authority a penalty of 10% of the premium shall be charged.

(14) You will not change use of land for which it is allotted without prior approval of the allotting authority.

(15) In case you withdraw your application or else the allotment is cancelled due to breach of conditions of lease deed or in case of surrender of land 10% of the premium deposited by you shall be forfeited to the Nigam.

(16) It is obligatory on the part of the allottee to provide employment in his factory at least to one of the family members of the cultivators whose land has been acquired for Industrial Growth Center.

(17) If the Letter of Intent/Allotment Order is cancelled due to non-compliance of terms & conditions mentioned in said Letter of Intent/Allotment Order, following amount will be deducted by the Nigam :-

(i) 10% Premium
(ii) Annual Lease Rent
(iii) Annual Maintenance Charges
(iv) Annual Street Light Charges

4.....

(18) If you propose to sink your own well/tube well in allotted land, you have to take written permission from us, permission will be granted on following terms:-

i) You have to pay Rs.500/- (Rs. Five hundred only) per month in case of SSI & Rs.5000/- (Rupees Five thousand only) per month in case of LMI, if sinked water is not used under process of production.

Or

You have to pay Rs.5000/- (Rs. Five thousand only) per month in case of SSI & Rs.10,000/- (Rs. Ten thousand only) per month in case of LMI, if sinked water is used in production process.

ii) Land allotment will be cancelled if you sink well/tube well without written permission from us or you do not pay prescribed payment mentioned as above point No. (i)

In acceptance of the above terms and conditions, please submit the Letter of Consent (attached with this letter) alongwith the amount of premium, security deposit, lease rent, development fund for maintenance of Industrial Area and street light charges within 45 days to enable us to issue Letter of Land Allotment otherwise this Letter of Intent will stand automatically cancelled.

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial Development
Corporation Limited, Raipur (C.G.)

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)

Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibanda, Raipur 492 006

Phone:0771-2583789-90, Fax:0771-2583794

Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

LAND ALLOTMENT ORDER

NO.CSIDC/ALT/14/ Date / /2014

To,

Sub: Allotment of land at Industrial area **Siltara ----------** District **Raipur (C.G.)**

Ref: Letter of Intent No.**----------** dated **----------** & your consent letter dated **----------.**

Sir,

(1) We are in receipt of your letter of Acceptance of the terms and conditions of Letter of Intent and Lease Deed communicated vide your consent letter dated **----------** alongwith a Cheque/Bank Draft or cash vide our receipt No.**----------**dated **----------** for **Rs.----------.00** (Rs. ---------- Only).

(2) The Nigam is pleased to allot you **Plot of Shop No.---------- admeasuring ----Sq. Ft. (Size ----------) (---------- Acres)** at Industrial area **Siltara Phase-I** District **Raipur** which is surrounded by:-

On the North :
On the South **:**
On the East **:**
On the West :

(3) The plot is marked by red boundary in the enclosed map for the establishment of **----------**

(4) You will be required to execute the lease deed. All costs and expenses incurred or which may be incurred for preparation execution and registration of the lease deed shall be borne and paid by you. You shall be required to deposit original lease deed with this office duly registered.

(4)-**a** You shall be liable to pay taxes and other statutory charges as applicable from time to time.

(5) You should complete the formalities of executing and registering the lease deed and take over possession of land within a period of 60 days from the date of issue of this Allotment Order.

2.....

(6) In case any of the conditions/formalities are not fulfilled within 60 days, the Nigam shall be free to cancel this Land Allotment Order.

(7) If the Allotment Order is cancelled due to non-compliance of terms and condition mentioned in said letter of Intent/Allotment order, following amount will be deducted by the Nigam:-

(i) 10% Premium
(ii) Annual Lease Rent
(iii) Annual Maintenance Charges
(iv) Annual Street light charges

Thanking you,

Yours faithfully,

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial
Development Corporation Ltd. Raipur

SCHEDULE - VI
(LEASE DEED

FOR LAND/SHED IN INDUSTRIAL AREA)

(Common for land/building)

This Deed is made on this.....day of.....2011 between the Governor of Chhattisgarh, acting through the **Executive Director,** Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited, Raipur (hereinafter called The Lessor) which expression shall where the context so admits including his successor in office of the one part and **M/s** **----------** Industrial Area ---------- Raipur (Chhattisgarh) in Tehsil Raipur of District Raipur acting through Proprietor **Shri----------** **S/o Shri----------**resident of **----------** **----------** registered as Small Scale Industry with District Trade & Industries Centre, Raipur, having its regd. office at ---------- (C.G.) (hereinafter called the 'Lessee') which expression shall, where the context so admits include its successors and permitted assigns of the other part.

2...

(For land)

Whereas upon the request of the lessee, the lessor has agreed to grant to the lessee, subject to the terms and conditions hereinafter specified, a lease of the piece of a land in the industrial area/estate at ---------- comprising of an area measuring approximately ---------- **sq. ft. (----------acre)** or there about, situated in the village ---------- of **Tehsil**----------of the ---------- **District.** More particularly described in Schedule hereto annexed and thereon coloured red (hereinafter referred to 'the said land') for a term of **99** years commencing from.....and ending on.....for the purpose of construction and establishing thereon a factory for the establishing of ---------- **etc.** and purpose ancillary thereto (hereinafter referred to as the said business).

(Common for land/building)

And whereas the lessee has agreed to take the lease on the said terms and conditions.

Now therefore, this deed witnesses and it is hereby agreed and declared as follows:-

(Common for land /building)

1. In consideration of the premium and rent (for land) or rent (for premised) herein reserved and the convenants on the part of the lessee herein contained, the lessor shall demise to the lessee and the lessee shall accept a lease of the said land/building to hold the same for the purpose of ---------- **etc.** for a period of **99** years commencing on the date on which the possession of said land/premises is handed over to the lessee.

1.(A) The lessee hereby agrees to take possession of the land leased out to him within thirty days from the date of execution of the lease deed and he further agrees to take possession of the land in the condition it exist on that date.

(For land)

2. The lessee having paid to the lessor for said land the advance rent and premium of **Rs.----------(Rs. ----------only)** and 10% additional Premium **Rs. ----------(Rs. ---------- only)** as prescribed under Rule 10 of the Chhattisgarh Industries (Allotment of shed, plots and land) Rules, 1974 (hereinafter referred to as the said rules) and deposit for the said land three years rent **Rs. ----------(Rs. ----------only)** as security amount within thirty days of the execution of this deed.

Contd..... 3

Thereafter, during the terms of the lease the lessee shall pay the lessor Annual Ground Rent of **Rs.---(Rs. ----only)** and Annual Development Fund for maintenance of Industrial Area **Rs.----------(Rs. --only)** and annual Street Light Charges of **Rs.----------(Rs. -------only)** and such other sums as may be determined in accordance with Clause 3 hereunder on or before 10th day of January of each year in the office of the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. or such place or places as the Managing Director from time to time may direct.

(For building)

The lessee having paid to the lessor for the said premises the advance rent as prescribed under Rule 10 of the said rules he shall pay to the lessor for the said premises one year's rent as security deposit within thirty days of the execution of this deed. Thereafter, during the terms of the lease, the lessee shall pay the lessor a monthly rent of Rs. ...../- (Rs.....only) on or before the 10th day of each calendar month at the office of the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. or at such places as the Managing Director from time to time may direct.

2. (A) The charges of development for maintenance of Industrial Area and Street Light Charges are subject to revision from time to time and the lessee hereby agrees to pay the revised charges so fixed by the lessor from time to time.

3. If the yearly/monthly rent of the land/premises and annual development fund for maintenance of Industrial Area or any part thereof is not paid within one month after the date prescribed by the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., the same will have to be deposited with interest @ 18% per annum for the first one year/12 months of such default and @ 24% per annum for the remaining period thereafter.

(For land)

4. The ground rent of **Rs.-----(Rs. -------Only)** per annum shall be liable to be increased on the expiry of --------- years from the date of execution of this deed and also at subsequent, intervals of ---- years, provided that the increase on each occasion may not exceed one quarter of the rent fixed for the proceeding 30 years.

(For building)

The monthly rent as mentioned in clause 2 above shall be reviewable from time to time subject to the conditions, that the enhancement of rent at any one time may not exceed 30% or rent payable at the time of review.

Contd..... 4

(Common for land/building)

5. The lessee shall from time to time and at all times during the term of the lease pay and discharge except as aforesaid, all taxes, rates assessments and other charges and outgoing which are or may at any time hereafter during the said terms be assessed, charged or imposed upon the said land/premises whether on the land lord or on the tenant.

5 (A) The lessee hereby agrees to pay lease rent along with service tax and other statutory charges as applicable from time to time.

(For land)

6. The lessee hereby agrees that he shall within a period of one year, in the case of small scale industry, and within a period of three years, in the case of large and medium scale industry, from the date of his taking over possession of the land implement the project and go into production.

(For land)

7. The lessee hereby agrees that he shall utilize the complete land leased out to him hereunder for implementation of the project or for its expansion within a period of three years in case of SSI and five years in case of Medium & Large Scale Industries for the above said purpose.

(For land)

8. The lessee further agrees that if he is unable to utilize the complete land lease out to him within the period prescribed in clause 6 or 7 the lessors shall have the right of re-entry in the surplus unutilized land without payment of any sort or compensation after giving due opportunity for representing his case.

(For land)

9. The lessee shall submit to the lessor or any officer authorized by him in writing from time to time, the plans and specification for the said construction which shall be in accordance with the plans and specifications as may be approved by the lessor.

(Common for land/building)

10. The lessee shall use said premises, land and building structures and works, erected or constructed thereon only for the purpose of establishing **---------- etc.** and other allied products as mentioned in project report/provisional registration for construction of offices, administrative building, go down and shall not use the same or any other, part thereof or permit it or any other part thereof to be used for any other purpose without the previous permission in writing of the lessor.

Contd..... 5

10. (A) The lessee shall not sink well/tube-well without the written permission of the lessor or any other officer authorized by him. The permission will be subject to such terms and conditions as the lessor may deem fit and it will be binding on lessee.

"Provided that no permission will be given in an industrial area in which the lessor or any other person or agency authorized by the lessor is operating or, proposes to operate a water supply scheme, without imposing a fixed amount of water charges (for drawing water from under the ground) which shall not be less than.

i) Rs.500/-(Rs. Five hundred only) per month in case of SSI & Rs. 5000/- (Rs. Five thousand only) per month in case of LMI, or commercial activity, if water is not used for any process of production.

ii) Rs.2000/-(Rs.Two thousand only) per month in case of SSI & Rs.10,000/- (Rs.Ten thousand only) per month in case of LMI, or commercial activity, if water is also used for any process of production."

11. The lessee shall, at his own expenses forthwith erect and at all times maintain, repair and keep in good condition all boundary marks and pillars along with the boundaries of the said land according to the demarcation shown in the plan hereto annexed.

(Common for land/building)

12. The lessee shall keep the said premised, land and building re-erected thereon in a condition fit for habitation and at his own expenses the effluent treatment systems as prescribed by the Chhattisgarh Environment Conservation Board or the local authority concerned.

(For building)

13. The lessee shall not make any permanent and temporary additions or alterations whatsoever in the said premises without obtaining the prior consent in writing of the Industrial Commissioner. The decision of the Industries Commissioner with regard to what constitutes additions or alterations shall be final and binding on the lessee.

(For building)

14. If there is any necessity of any additions or alterations to the said premises to suit any particular requirement of the lessee the same may be made by the lessee at his own cost with the previous permission in writing of the Industries Commissioner. This permission may be refused if the same is considered undesirable or unsafe for the premises. Any addition and alterations carried out by the lessee shall be subject to removal of the expiry of the said term at the lessee's cost, if so required by the Industries Commissioner. If the Industries Commissioner does not insist on such removal, no compensation or expenses incurred in making the addition and alterations shall be payable by the lessor to the lessee.

Contd...6

(Common for land/building)

15. The lessee shall not sublet, assign or otherwise transfer the said premises/land or any part thereof or any building constructed thereon for any purpose, whatsoever, except as provided in rule 19 of the said rule.

(Common for land/building)

16. The lessee shall not change the constitution of ownership of the unit without the prior permission of the Allotting Authority in writing. If due to the change in the constitution the share of the original allottee has reduced to less than 50% share that it will be deemed to be taken that unit has been transferred to some other hand and accordingly the case of transfer shall be dealt with by the lessor.

(For land)

17. The lessee shall plant at least fifty trees per hectare of land allotted to him at his own cost and shall be liable to maintain them. The lessee shall not be entitled to recover any expenses on this account. Failure to comply with this condition shall be deemed as a breach of the condition of allotment of the said premises.

(Common for land/building)

18. The lessee shall not carry on any offensive trade or business on the said land/premises. The decision of the Allotting Authority with regard to what is offensive trade or business shall be final and binding on lessee.

(Common for land/building)

19. While using the said land/premises, if the lessee cause any harm or injury to any person, he shall be liable to pay compensation or damages in the same manner as a tenant of land/building is general liable to pay.

(For building)

20. The lessee shall insure and keep insured the.....in the name of the Industrial Commissioner and shall at all times during the said term keep the same insured independently and separately against any loss or damage caused by fire and against all other risks, as the Industries Commissioner may require, in the sum or Rs.....(Rs.....only) with an Insurance Company approved by the Industries Commissioner and shall deposit with the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur all such insurance policies and receipts of payment of the premiums in respect of the same. The lessee shall insure the said premises independently of and not alongwith any of the property of the lessee.

Contd..... 7

(For building)

21. The lessee shall complete all formalities required under clause 20 above and deposit the insurance policy and receipt of payments towards the same with the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. within the period of one month from the date of taking over possession of the said premised by the lessee.

(Common for land/building)

22. The lessee shall comply with all acts, rules and regulations in force from time to time in respect of the working of **M/s ----------**

(Common for land/building)

23. The lessee shall continuously run, during the period of lease the factory for which the land/premises is allotted. Closure of the factory for a continuous period exceeding six months without proper reasons to the satisfaction of the Allotting Authority be considered as a breach of this condition.

(Common for land/building)

24. The lessee shall during the said term keep the said land/premises in a reasonably good condition.

(For building)

25. The lessor shall carry out all such normal repairs to the said premises as he may deem necessary. If any repair are occasioned by any negligence for default on the part of the lessee, he same shall be carried out by the lessee at his own cost or by the Industries Commissioner as to what shall constitute normal repairs and whether any repairs are occasioned by any negligence or default on the part of the lessee shall be final and binding on the lessee.

Contd....8

(Common for land/building)

26. If the rent hereby reserved or any part thereof shall at any time be in arrears and unpaid for six calendar months in the case of land and two months in the case of premised next after the date whereon the same shall have become due, whether the same shall have been lawfully demanded or not or if the lessee becomes insolvent and/or goes into liquidation voluntarily or otherwise or if there be any attachment on the said premises or there is a breach or non-observance by the lessee of any of the conditions and convenants therein contained and the lessee fails to remedy the breach within twenty one days of the notice in writing given by the lessor or becomes insolvent or enters into an agreement with his creditors for composition of the industry, this lease will be deemed to have been terminated and the lessor may notwithstanding the waiver of any previous cause right of re-entry and without prejudice to any right or remedy of the lessor for recovery of rent remaining due under the lease upon the said land/premises and repossess the same as, if this demise had not been made.

(For land)

27. On the expiry of the lease period or termination of the lease due to breach of the conditions of the lease deed or surrender of land after the execution of lease deed, the lessor, shall have the right or re-entry over the land/premises. On such re-entry, the lessor may refund to the lessee the premium/cost of acquisition paid by the lessee at the time the land was allotted/leased out to the lessee in the following manner:-

(i) Full premium, if surrender of allotted/leased land occurs within one year and three years, in respect of small scale industry, and large and medium industry, respectively.

(ii) 10% less, if surrender of allotted/leased out land occurs after one year but within two years, and after three years, but within four years in respect of small scale industry and large and medium industry respectively.

(iii) 20% less if surrender of allotted/leased out land occurs after two years but within three years, and after four years but within five years in respect of small scale industry and large/medium industry respectively.

(iv) No refund of premium shall be permissible to unit not falling under category (i),(ii) and (iii) above.

Contd....9

(For land)

28. On termination/surrender of lease, the lessee shall be given an opportunity to transfer or otherwise dispose off the building, plant and machinery and any other construction on the said premises within the period of 3 months in a manner acceptable to the lessor. After the said 3 months period the lessor shall have the full right on all the property left over in the free to dispose it off accordingly.

(For building)

29. The lessee shall hand over the said building to the lessor, the expiry of the said term or on the earlier determination of the lease in the same condition as was handed over when occupied or received by the lessee after reasonable wear and tear expected.

(For land)

30. The lessor may at his discretion if the lessee shall have duly paid to rent hereby reserved and observed and performed the conditions herein contained at the request and cost of lessee, renew the lease for a further period of FIVE years.

Provided that the rent may be enhanced for the grant of every renewed lease and that every renewed lease shall contain such of the conditions herein contained as shall be applicable and such other conditions as may be thought necessary by the lessor.

(For land)

31. Lessee may surrender the leased area in part or whole by giving to the lessor, THREE calendar months notice in writing of his intention to do so.

(Common for land/building)

32. All costs and expenses incurred or which may be incurred for preparation, execution and registration of this lease shall be borne and paid by the lessee, subject to such relaxations as may be approved by the lessor in this behalf.

Contd.... 10

(Common for land/building)

33. It is **FURTHER DECLARED THAT THE** lessee shall deposit a sum of **Rs.--- (Rs. --------only)** as security in pursuance of clause 2 of this lease deed for the due payment of the rent and observance and performance by him of the several conditions herein contained.

(Common for land/building)

34. Upon breach or non - observance by lessee of any of the terms and conditions herein contained it shall be lawful for the lessor to forefeet the security deposit referred to in clause 33 above, without prejudice to any other right or remedy of the lessor in that behalf/and to resume the possession of the said land/premises.

(Common for land/building)

35. The security deposit unless forfeited as aforesaid and after deducting all such sums as may be due to and recoverable by the lessor under these presents, shall be returned to the lessee after determination of the lease by afflux of time or otherwise.

(Common for land/building)

36. The lessee may file a representation if he is aggrieved by an order of the Allotting Authority as under :-

A representation may be filed before the Chairman of Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur against Original Order of the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur, Commerce and Industry Department against in original order of the Board of Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur.

HOWEVER such a representation shall be made within Thirty (30) days of the receipt of an original order.

37. The lessee shall provide regular employment to one person belonging to those families who been disposed from their land due to its acquisition for the Area/Estate/Growth Center within one year of its going into production. The list of persons entitled for consideration under this clause will be as provided by the District Collector.

Contd... 11

OR

(Where the major portion of acquired land is to be used for a particular industry)

The lessee shall rehabilitate one person belonging to each of those families which have been disposed due to acquisition of their land for Industrial purpose according to the rehabilitation programme as approved by the Industries Commissioner. This rehabilitation programme will have to be implemented fully within one year of its going into production.

(Strike out whichever is not applicable)

(Common for land/building)

38. The Managing Director or any other officer to whom the powers of allotment have been delegated will also be competent to terminate the lease deed on behalf of the lessor.

(Common for land/building)

39. All sums recoverable under this deed may be recovered as arrears of land revenue.

40. The development works in the Industrial Area will be done by the lessor according to its programme of work and completed as early as possible depending on availability of funds but non-execution or non completion of any work shall not entitle the lessee to withhold or raise objection to the payment of street light or maintenance charges or any other amount due and payable to the lessor.

41. In the event of any dispute arising between the parties in respect of the deed or any other matter whatsoever connected therewith the RAIPUR courts shall have the jurisdiction .

42. The lessee shall take prior permission if cutting the trees is necessary from Competent Authority.

43. You will have to pay difference amount, with interest if the amount of compensation and/or interest for the acquired/transferred land is increased by any court or any Statutory Authority in future.

44. You have to compliance of all terms & conditions mentioned in Land Acquisition Award passed by Collector, ---------- in reference to Revenue case No.---------- dated ----------.

Contd.....12

SCHEDULE

Name of Village :

Name of Tehsil :

Name of District :

Name of Industrial Area :

Size of plot :

Plot No. :

SURROUNDED BY:

On North :

On South :

On East :

On West :

Above details shown in the annexed map.

IN witnesses whereof the parties hereto have signed this deed on the date and year respectively mentioned against their signature.

Signed by Lessor **Executive Director**

(signature) Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. Life Insurance Corporation of India Commercial Complex, Pandri, Raipur (C.G.)

Date: On behalf of the Governor of Chhattisgarh

Witnesses:

1. Signature .....

   Name and address .....

2. Signature .....

   Name and address .....

Signed by Lessee .....

(Signature) On behalf of **M/s**

Date

Witnesses:

1. Signature .....

   Name and address .....

2. Signature .....

   Name and address .....

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

विपणन प्रकोष्ठ
Markting Cell

5.2

विपणन से संबंधित निर्देष पुस्तिका एवं उनका विवरण

अभिलेख का संक्षिप्त विवरणः–

1. सी.एस.आई.डी.सी. फार्म–1 – रेट कॉन्ट्रेक्ट जारी करने हेतु नियम व निर्देश । कीमत रू. 100/– प्रति ।

2. सी.एस.आई.डी.सी. फार्म–2 – निविदाकारों, मांगकर्ता अधिकारियों एवं सामग्री प्राप्तकर्ता हेतु निर्देश । कीमत रू. 50/– प्रति ।

3. टेण्डर डाक्यूमेंट – सामग्री विशेष हेतु जारी निविदा के लिए उपलब्ध फार्म'–1 एवं 2 के साथ, कीमत रू. 650/–

4. पंजीयन हेतु निर्देश एवं फार्म – कीमत रू. 100/–

   पंजीयन हेतु दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करते समय पंजीयन शुल्क रू. 2500/– देय है ।

   नियम, विनियम, अनुदेष निर्देशिका और अभिलेख कहां से प्राप्त कर सकते हैं :– उपरोक्त दस्तावेज निम्न पते पर प्राप्त किये जा सकते हैं–

सी. एस. आई. डी. सी. लिमिटेड
विपणन प्रभाग
उद्योग भवन, रिंग रोड–1, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क. 0771–2583789–90
फैक्स क. 0771.2583794
ईमेल – csidc_raipur@yahoo.com
वेबसाईट– www.csidc.in

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

Division -1/2/3/4

संभाग–1/2/3/4,

संभाग–1–कार्य क्षेत्र– बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेंड्रारोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।

संभाग–2–कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमासिवनी, एवं मेटल पार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद ।

संभाग–3–कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।

संभाग–4–कार्य क्षेत्र– इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र ।

5.3

1. कार्यपालन अभियंता कार्यालय के अभिलेख

अ. तकनीकी स्वीकृति पंजी/प्रशासकीय अनुमोदन पंजी

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो हेतु सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की जांच कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान कर इस पंजी में दर्ज की जाती है — अभिलेख

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं । — कार्यालय,कार्यपालन अभियंता तकनीकी कक्ष–5, द्वितीय तल, उद्योग भवन, मुख्यालय, रायपुर।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोईहो तो) — रू.————————— सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगा गया है तो निर्धारित शुल्क।

ब. निविदा प्रपत्र विक्रय पंजी

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के संपादन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । इस हेतु निविदा प्रपत्र विक्रय की पंजी संधारित की जाती है । — अभिलेख

स. **निविदा पंजी**

परिचय–निविदा आमंत्रण से प्राप्त निविदाओं की सम्पूर्ण जानकारी हेतु पंजी संधारित की जाती है । — अभिलेख

द. **अमानत राशि पंजी**

परिचय–निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किए डी.डी./एफ.डी.को दर्ज किया जाता है । — अभिलेख पता तदैव–

इ. **श्रमिक स्वीकृति पंजी**

परिचय–विभिन्न औ.क्षेत्रों के आकस्मिक कार्यो के संपादन हेतु श्रमिक कार्य में लगाए जाते हैं इसकी स्वीकृति पंजी में दर्ज की जाती है । — अभिलेख पता तदैव–

फ. **अनुबंध पंजी**

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के लिए निविदाकारों से अनुबंध किया जाता है — पता –तदैव–

इसे पंजी में दर्ज किया जाता है ।

क. **उपस्थिति पंजी**

परिचय–कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी — पता –तदैव–
मुख्यालय स्तर पर किया जाता है

ख. **आवक/जावक पंजी**

परिचय–कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/ कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को — अभिलेख पता –तदैव–
मुख्यालय स्तर पर किया जाता है

क्रमांक दर्ज किया जाता है ।

ग. **डाकबुक**

परिचय–इस पंजी के माध्यम से बाहर जाने वाले पत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है । — पता –तदैव–
मुख्यालय स्तर पर किया जाता है

घ. **फर्नीचर पंजी**

परिचय–कार्यालय में उपलब्ध साजो सामान की जानकारी दर्ज किया जाता है — पता–तदैव–
मुख्यालय स्तर पर किया जाता है

2. **सहायक अभियंता कार्यालय से संबंधित पंजीः–**

अ. **माप पुस्तिका**

परिचय–औ.क्षेत्रों में किए जाने वाले समस्त विकास/संधारण कार्यो का माप दर्ज कर भुगतान दर्ज किया जाता है

अभिलेख
पता– सहायक अभियंता द्वारा– कार्यपालन अभियंता तक–05, उद्योग भवन द्वितीय तल, रिंग रोड क्र. 01, रायपुर।
औ.क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, कां रायपुर एवं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, व्यापार एवं उद्योग परिसर, नया रायपुर ।

ब. **स्टाक रजिस्टर–**

परिचय–औ.क्षेत्रों में विकास/संधारण कार्यो हेतु सामग्री क्रय किया जाता है उसे स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ।

अभिलेख
पता –तदैव–

स. **एमएएस पंजी**

परिचय–आकस्मिक कार्यो हेतु क्रय किए गए सामान पंजी में दर्ज किया जाता है ।

–तदैव–

द. **टी एण्ड प्लांट पंजी**

परिचय–औ.क्षेत्र में उपलब्ध मशीनों, यंत्रों आदि का विवरण दर्ज किया जाता है ।

–तदैव–

इ. **फर्नीचर पंजी**

परिचय–कार्यालय में उपलब्ध साजो सामान की जानकारी दर्ज की जाती है
वर्तमान में मुख्यालय से की जाती है

–तदैव–

फ. **सम्पत्ति रजिस्टर**

परिचय–निगम की समस्त संपत्तियों जैसे पाईप लाईन, पंप, सड़क, स्ट्रीट लाईट, पुल–पुलिया आदि की जानकारी दर्ज की जाती है ।

–तदैव–

क. **आधिपत्य प्रमाण पत्र पुस्तिका**

परिचय–औ.क्षेत्रों में भू आबंटन पश्चात स्थल पर आधिपत्य देने संबंधी जानकारी दर्ज की जाती है

–तदैव–
मुख्यालय से की जाती है

ख. **जलदेय पंजी**
परिचय–विभिन्न इकाईयों को प्रतिमाह जारी किए जाने वाले देयक की जानकारी दर्ज किया जाता है –तदैव–

ग. **वाटर मीटर रजिस्टर**
परिचय–विभिन्न इकाईयों को प्रतिमाह प्रदाय किए जाने गए जल की मात्रा दर्ज किया जाता है –तदैव–

घ. **जल देयक पुस्तिका**
परिचय–विभिन्न इकाईयों को प्रतिमाह जल शुल्क के मद में जल देयक जारी किया जाता है –तदैव–

ड. **लागबुक**
परिचय–शेड रोलर/पंप/वाहन/टैंकर आदि का नियमित परिचालन विवरण –तदैव–

च. **लेजर पुस्तिका**
परिचय–इकाई से जल देयकों से प्राप्ति राशि का विवरण –तदैव–

तकनीकी कक्ष–5 से संबंधित नहीं है (जलप्रदाय के कार्य नहीं होने के कारण)

छ. **आवक/जावक पंजी**
परिचय–कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/कार्यालय से बाहर भेजे वाले पत्रों को क्रमांक दर्ज किया जाता है –तदैव–

आवक जावक कक्ष मुख्यालय स्तर पर हैं।

ज. **उपस्थिति पंजी**
परिचय–कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी –तदैव– मुख्यालय स्तर पर

झ. **डाकबुक**
परिचय–इस पंजी के माध्यम से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है –तदैव– मुख्यालय स्तर पर

मैन्यूअल–5 (Manual - 5)

वित्त प्रकोष्ठ

Finance Cell

5.4

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियो राज्य वित्त अधिनियमं 1951 एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के अंतर्गत संचालित लिए धारित तथा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची ।

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

5.5 Account Cell

5.5 लेखा प्रकोष्ठ

1. चिकित्सा व यात्रा देयकों संबंधी राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश /नियम

2. तकनीकी कक्ष द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विभिन्न निर्माण एवं संधारण कार्यों के देयक भुगतान हेतु राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट्स व मैन्यूअल ।

3. कम्पनी अधिनियम एवं करारोपण /ई.पी.एफ./ग्रेच्युटी संबंधी राज्य/केन्द्र शासन द्वारा जारी विभिन्न नियम/अधिनियम ।

4. लेखा शाखा द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख–रोकड़ बही, लेजर, सब–लेजर, वाउचर्स, रसीद बुक, भुगतान संबंधी विभिन्न नस्तियॉ ।

Manual - 5

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

5.6

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

1. पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंर्तनियम । प्रति संलग्न
2. संचालक मण्डल द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय ।
3. कंपनी अधिनियम 1956 एवं 2013 करारोपण संबंधी राज्य/केन्द्र शासन द्वारा जारी विभिन्न नियम/अधिनियम ।
4. उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश ।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक–1, तेलीबांधा, रायपुर, 492006 (छत्तीसगढ़)
CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, ST Regn No. : AABCM6288NSD004
दूरभाष : 6002071–73, फैक्स : 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:csidc.cg@nic .in,csidc_raipur@yahoo.com

स्वप्निल अवस्थी
कंपनी सचिव

क्रमांक : 1430
दिनांक : 19.5.2014

अंतरकार्यालयीन परिपत्र

विषय : निगम के लेटरहेड में आवश्यक जानकारियों का उल्लेख किये जाने बाबत्.

विषयांतर्गत वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो चुका है । इसके अनुसार प्रत्येक कंपनी द्वारा जारी किये जाने वाले लेटरहेड, पत्रों, देयक, रसीद, नोटिस एवं अन्य सभी प्रकाशनों में निम्नानुसार आवश्यक जानकारी दर्शाया जाना अनिवार्य है–

1 Corporate Identity Number (CIN)
2 Telephone Number
3 Fax Number
4 Email Address
5 Website Address

उपरोक्त के अनुक्रम में मुख्यालय स्तर की जानकारी निम्नानुसार है –

1 Corporate Identity Number (CIN)	U45203CT1981SG001853
2 Telephone Number	+917716002071-73
3 Fax Number	+917712583794
4 Email Address	csidc_raipur@yahoo.com,csidc.cg@nic.in
5 Website Address	www.csidc.in

बिंदु क्रमांक 1 व 5 की जानकारी उपरोक्त उल्लेख अनुसार रहेगी एवं बिंदु क्रमांक 2 से 4 हेतु संबंधित कक्ष/शाखा कार्यालय/कार्यालय/इकाई की वर्तमान जानकारी उल्लेख की जाएगी । इसके साथ–साथ उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों में निम्नानुसार जानकारी की भी समावेश किया जाना आवश्यक है –

A PAN	AABCM6288N
B Service Tax Regn. No.	AABCM6288NSD004

कृपया आपके कक्ष/शाखा/कार्यालय/इकाई द्वारा जारी किये जाने वाले पत्रों, लेटरहेड, देयक, रसीद, नोटिस एवं अन्य सभी प्रकाशनों में उपरोक्तानुसार जानकारी दर्शाया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदि
(स्वप्निल अवस्थी)

संपदा प्रकोष्ठ
Estate Managment Cell

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

5.7

1.	सीएसआईडीसी कर्मचारी सेवा नियम 2011
2.	भू–आबंटन नियम 1974
3.	उद्योग नीति 2014–19

1. कर्मचारी सेवा नियम–2011 स्थापना कक्ष में उपलब्ध ।
2. भू–आबंटन नियमः–

   परिशिष्ट (अ) – मांगपत्र/आशय पत्र
   परिशिष्ट (ब) – विक्रय पत्र
   परिशिष्ट (स) – भूमि आबंटन आदेश
   परिशिष्ट (द) – पट्टाभिलेख निष्पादन

   1. लीजडीड
   2. स्वामित्व डीड

   परिशिष्ट (इ) – निविदा की नियम एवं शर्तें

3. उद्योग नीति सीएसआईडीसी के वेबसाईट में उपलब्ध ।
4. आबंटित भवन/दुकान/कार्यालय की जानकारी सीएसआईडीसी की वेबसाईट पर उपलब्ध ।

उपरोक्त (2) परिशिष्ट (अ), (ब), (स), (द) और (इ) संलग्न है ।

परिशिष्ट – अ

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibanda, Raipur 492 006
Phone:0771-6002071-73, Fax:0771-2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

LETTER OF INTENT

No.CSIDC/R/Sampda /.../2014/ Raipur, Dated / /2014

To,

M/S ……. ,
CSIDC Commercial Complex,
Mahadev Ghat Chowk, Raipura Road,
Dagania, Raipur (C.G.)

Sub: Proposed Allotment**Plot of Office No. ……..** at CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur District **Raipur (C.G.)**

Ref: Your application dated **.....**

Dear Sir,

We have received your application for allotment of Office at CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur District **Raipur (C.G.)**and it has been entered at the Sr. No**.-----/2014-15** in the Register of Application for land. We propose to allot you**Plot of Office No…….. admeasuring …… Sq.mt. (…… Sq.ft.)** of land being **(.....Acres)**at CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur District **Raipur (C.G.)**for Setting up of **……** **.**The allotment will be subject to following terms and conditions :-

(1) The land will be given on lease for 30 years.

(2) The additional 10% premium will be charged for plots on 80'/100' wide road or the corner plots.

2 (a)You will deposit the following amount within 45 days :-

2 (a) You will deposit the following amount within 45 days :-

Premium			**Rs.**	……...00
Annual lease rent	Rs.	.00		
+ Service Tax 12.36% lease rent	Rs.	.00		
Education cess @ 2% on service tax	Rs.	.00	**Rs.**	.00
Higher Educational cess @ 1% service tax	Rs.	.00		
	Rs.	**.00**		
Three years annual lease rent as security deposit for timely payment of annual lease rent.			**Rs.**	……...00
Annual maintenance charges of Industrial area			**Rs.**	.00
Annual street light charges			**Rs.**	.00
Additional 10% Premium for the plot being on 80'/100' Road/Corner Plot. (If any)			**Rs.**	……00
Service Charge			**Rs.**	……..00
Total	**Rs.**	**.00**		

* In addition to above you have to pay monthly maintenance charges @ Rs. 6/- per sqft. to Corporation payable monthly before 10 th of each month.

(2)

(3) You shall pay the enhanced rate of premium and other charges on account of enhancement in the rates by Commerce & Industries Department, Government of Chhattisgarh or Board of Directors of this Corporation as and when necessary.

(4) In case, the amount of premium, annual lease rent, security deposit development fund for maintenance of Industrial Area, Street light charges and consent letter are not deposited with us within 45 days in case of Small Scale Industry & 90 days in case of Large/Medium Industry, the Letter of Intent will stand automatically cancelled and your name will be struck off from the application register.

(5) In case you fail to comply with condition No.4 within prescribed time limit and you apply for extra time for compliance of condition No.4 and your application is accepted by Nigam you have to pay 18% annual interest for delay period.

(6) The allotment shall be subject to all the terms & conditions contained in the form of lease deed hereto annexed with such modifications and with such additional terms & conditions as the allotting authority may deem fit or necessary to add from time to time.

(7) After receipt of the amount of premium, lease rent and security and completion of the necessary formalities as mentioned above a letter of allotment shall be issued in your favour. Thereafter you will be required to execute a lease deed, as per the enclosed copy. All the conditions of the lease deed shall be strictly followed. All costs and expenses incurred or which may be incurred in preparation, execution and registration of the lease deed should be borne and paid by you. You shall be required to deposit the original lease deed with us duly registered On receipt of the original lease deed, the possession of the floor will be handed over to you.

(8) You shall complete the formalities of executing and registering the lease deed and taking over the possession within 60 days from the date of issue of Allotment order.

(9) a) You shall not construct any factory building unless the construction plans & maps of the building are approved by the competent authority under the Town and Country Planning Act and or any other statutory authority required by law.
(For Industrial Unit)

b) You shall carry out the construction of the factory buildings as per the approved plan, install the machinery and start the production within a period of one year/three years for Small Scale Industry/Medium/Large Scale industry respectively.
(For Industrial Unit)

c) You will have to construct ----------sq. ft. of shed and building etc. on the land allotted as per details given in your application within a maximum period of three years in case of Small Scale Industry & Five years in case of Medium & Large Scale Industry.

(For Industrial Unit)

3...

(10) a) In case of Air & Water Pollution, effluent disposal, you shall obtain permission from Chhattisgarh Environment Conservation Board and submit it within 90 days from the date of issue of Letter of Intent.
(For Industrial Unit)

b) In case of specified Medium/Large Scale Industry (List attached) you shall obtain permission from Environment Clearance Authority of Madhya Pradesh/Chhattisgarh and submit it within 90 days from the date of issue of Letter of Intent.
(For Industrial Unit)

(11) You shall obtain permission/license/registration as may be applicable under Factories Act. Explosive Act and all other acts of Central/State Government or Local Authority, which are in force from time to time and submit a copy of the same.

(12) You shall pay maintenance charges of Industrial Area, Water charges and Street light charges as may be fixed by allotting authority from time to time.

(12)-a You shall be liable to pay taxes and other statutory charges as applicable from time to time.

(13) You will not change the constitution of unit, partnership deed, directors without prior approval of the allotting authority in case any such changes are made without prior permission/approval of the allotting authority a penalty of 10% of the premium shall be charged.

(14) You will not change use of floor for which it is allotted without prior approval of the allotting authority.

(15) In case you withdraw your application or else the allotment is cancelled due to breach of conditions of lease deed or in case of surrender of land 10% of the premium deposited by you shall be forfeited to the Nigam.

(16) It is obligatory on the part of the allottee to provide employment in his factory at least to one of the family members of the cultivators whose land has been acquired for Industrial Growth Center.
(For Industrial Unit)

(17) If the Letter of Intent/Allotment Order is cancelled due to non-compliance of terms & conditions mentioned in said Letter of Intent/Allotment Order, following amount will be deducted by the Nigam :-

(i) 10% Premium
(ii) Annual Lease Rent
(iii) Annual Maintenance Charges
(iv) Annual Street Light Charges

4.....

(18) If you propose to sink your own well/tube well in allotted land, you have to take written permission from us, permission will be granted on following terms:-

i) You have to pay Rs.500/- (Rs. Five hundred only) per month in case of SSI & Rs.5000/- (Rupees Five thousand only) per month in case of LMI, if sinked water is not used under process of production.

Or

You have to pay Rs.5000/- (Rs. Five thousand only) per month in case of SSI & Rs.10,000/- (Rs. Ten thousand only) per month in case of LMI, if sinked water is used in production process.

ii) Floor allotment will be cancelled if you sink well/tube well without written permission from us or you do not pay prescribed payment mentioned as above point No. (i) ***(For Industrial Unit)***

In acceptance of the above terms and conditions, please submit the Letter of Consent (attached with this letter) alongwith the amount of premium, security deposit, lease rent, development fund for maintenance of Industrial Area and street light charges within 45 days to enable us to issue Letter of Floor Allotment otherwise this Letter of Intent will stand automatically cancelled.

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial Development
Corporation Limited, Raipur (C.G.)

परिशिष्ट– ब

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड़ – 1, तेलीबांधा, रायपुर, 492006 (छत्तीसगढ़),
टेलीफोन नं. 0771–6002071–73, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:csidc.cg@nic .in,csidc_raipur@yahoo.com

क्रमांक सीएअआईडीसी/आर/संपदा/ / / रायपुर, दिनांक /05/2014

व्यावसायिक परिसर डंगनिया, रायपुर
दुकान विक्रय पत्र

व्यावसायिक परिसर डंगनियां, रायपुर के अंतर्गत निर्मित दुकान क्रमाक ..... जिसका विवरण निम्नानुसार हैं, श्री ..... को निविदा आमंत्रण द्वारा एकमुश्त भुगतान योजना अंतर्गत ..... हेतु बिंदु क्र. 2 में वर्णित शर्तों के अधीन दुकान का मूल्य निगम को प्राप्त होने पर विक्रय की जाती हैं एवं एतद् द्वारा निम्नानुसार विक्रय पत्र जारी किया जाता है :–

1.1. दुकान का क्षेत्रफल : ..... वर्गमीटर
1.2. दुकान का मूल्य : रू. ...../–
(रूपये .....)
1.3. पट्टे की भूमि जिस पर दुकान निर्मित हैं : ..... वर्गमीटर
1.4. दुकान की चौहद्दी : उत्तर – .....
दक्षिण – .....
पूर्व – .....
पश्चिम – .....

2)2.1 दुकान की भूमि 30 वर्षों की लीज पर आबंटित की जाएंगी। इसके पश्चात लीज अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती हैं।

2.2. भूमि, जिस पर दुकान निर्मित है, का भू–आबंटन पत्र पृथक से प्राप्त कर भू–पट्टाभिलेखों का निष्पादन करना होगा, जिसके लिये विभिन्न शुल्क अलग से देय होंगे।

2.3 निगम की पूर्व लिखित अनुमति के बिना दुकान किसी को विक्रय या सबलीज या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं की जा सकती । निगम ऐसी अनुमति देते समय शर्तें निर्धारित कर सकता हैं।

2.4 दुकान पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य निगम की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावेगा। पट्टे पर दी गई भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर कब्जा नहीं किया जायेगा।

2.5 क्रेता को पूर्ण स्वामित्व डीड (Conveyance Deed) का पृथक से निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।

क्रमशः.....2

2.6 दुकान में किसी भी प्रकार कोई अवैध व्यापार/व्यवसाय नहीं किया जावेगा। कोयला/तम्बाकू/शराब/चूना/मटन–मांस/पोल्ट्री के व्यवसाय नहीं किया जावेगा।

2.7 दुकान का उपयोग व्यावसायिक/वाणिज्यिक रूप से ही किया जा सकेगा।

2.8 दुकान के स्वामित्व से संबंधित स्वामित्व डीड एवं भू–पट्टाभिलेखों के निष्पादन के पश्चात दुकान का आधिपत्य दिया जावेगा।

2.9 निगम के अधिकारियों को समय–समय पर दुकान के निरीक्षण का अधिकार होगा।

2.10 दस्तावेज (अनुबंध, पट्टाभिलेखों) का लेखन स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं तत्संबंधी अन्य व्यय क्रेता को वहन करना होगा।

2.11 प्रत्येक आबंटी को विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर लेना होगा।

2.12 आबंटितों को उन्हें आबंटित जगह में ही स्थायी या अस्थायी अवरोध खड़ा करना एवं पार्किंग वर्जित होगा।

2.13 भवन का हस्तांतरण/नामांकन निगम की पूर्वानुमति के पश्चात नियमानुसार होगा।

2.14 नगर पालिका/निगम/केंद्रीय शासन/राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर नियमानुसार क्रेता द्वारा देय होगा।

2.15 मासिक संधारण शुल्क रू. 6/– प्रति वर्गफीट अग्रिम रूप से हर माह 10 तारीख तक जमा करना होगा।

3) किसी भी विवाद पर अध्यक्ष, सीएसआईडीसी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

कार्यपालक संचालक

क्रमांक सीएअआईडीसी/आर/संपदा/ / / रायपुर, दिनांक /05/2014

प्रतिलिपिः–

1. श्री ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया इस विक्रय पत्र की छायाप्रति पर हस्ताक्षर कर, शर्तों की सहमति स्वरूप वापिस करें।
2. मास्टर कापी।

कार्यपालक संचालक

##366##

परिशिष्ट–स

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)

Udyog Bhawan, Ring Road No.1, 0771-6002071-73, Fax:0771-2583794

Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

LAND ALLOTMENT ORDER

NO.CSIDC/R/Sampda/ / / Date /05/2014

To,

Shri ……,
…….
…….
…….

Sub: Allotment of Plot of Shop No. …… at Commercial Complex, Daganiya Raipur, District Raipur (CG).

Ref: Letter of Intent No. **…....** dated **… ……**& your consent letter dated **……**

Dear Sir,

(1) We are in receipt of your letter of Acceptance of the terms and conditions of Letter of Intent and Lease Deed communicated vide your consent letter dated **……** alongwith a Cheque/Bank Draft or cash vide our receipt No…**……** dated …….. dated for **Rs. ……,** (Rs. …….. Only).

(2) The Nigam is pleased to allot you **Plot/Floor of Shop No. …….. admeasuring …….. Sqmt. (……. Acres)** at Commercial Complex Daganiya Raipur, District Raipur, which is surrounded by:-

On the North **:** **……..**
On the South**:** **……..**
On the East **:** **……..**
On the West **:** **……..**

(3) The plot is marked by red boundary in the enclosed map for the establishment of **……...**

(4) You will be required to execute the lease deed. All costs and expenses incurred or which may be incurred for preparation execution and registration of the lease deed shall be borne and paid by you. You shall be required to deposit original lease deed with this office duly registered.

(4)**-a** You shall be liable to pay taxes and other statutory charges as applicable from time to time.

(5) You should complete the formalities of executing and registering the lease deed and take over possession of land within a period of 60 days from the date of issue of this Allotment Order.

(6) In case any of the conditions/formalities are not fulfilled within 60 days, the Nigam shall be free to cancel this Land Allotment Order.

(7) If the Allotment Order is cancelled due to non-compliance of terms and conditions mentioned in said letter of Intent/Allotment order, following amount will be deducted by the Nigam:-

(i) 10% Premium
(ii) Annual Lease Rent
(iii) Annual Maintenance Charges
(iv) Annual Street light charges

Thanking you,

Yours faithfully,

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial
Development Corporation Ltd. Raipur

परिशिष्ट–द

SCHEDULE - VI

(LEASE DEED FOR LAND/SHED IN INDUSTRIAL AREA)

(Common for land/building)

This Deed is made on this.....day of**.....2014** between the Governor of Chhattisgarh, acting through the **Executive Director,** Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited, Raipur (hereinafter called The Lessor) which expression shall where the context so admits including his successor in office of the one part and **M/S CHHATTISGARH EAST WEST RAILWAY LIMITED, Raipur** District **RAIPUR** (Chhattisgarh) in Tehsil **RAIPUR** of District **RAIPUR** acting through Authorized Signatory/Director **SHRI ..... S/O SHRI .....,** Resident at **.....()**registered as under Indian Companies Act 1956 and having its regd. office at**.....Raipur (C.G.)**(hereinafter called the 'Lessee') which expression shall, where the context so admits include its successors and permitted assigns of the other part.

(For land)

Where as upon the request of the lessee, the lessor has agreed to grant to the lessee, subject to the terms and conditions hereinafter specified, a lease of the piece of a land at **CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur c**omprising of an area measuring approximately **224.79 Sqmt. (..... acres)** or there about, situated in the village **Raipura** of **Tehsil Raipur** of the **Raipur District.** More particularly described in Schedule hereto annexed and thereon coloured red (hereinafter referred to 'the said land') for a term of **30** years commencing from **……** and ending on. **…….** for the purpose of construction and establishing of**OFFICE COMPLEX**and purpose ancillary thereto (hereinafter referred to as the said business).

(Common for land/building)

And whereas the lessee has agreed to take the lease on the said terms and conditions.

Now therefore this deed witnesses and it is hereby agreed and declared as follows:-

(Common for land /building)

1. In consideration of the premium and rent (for land) or rent (for premised) herein reserved and the convenants on the part of the lessee herein contained, the lessor shall demise to the lessee and the lessee shall accept a lease of the said land/building to hold the same for the purpose of **OFFICE COMPLEX**for a period of **30** years commencing on the date on which the possession of said land/premises is handed over to the lessee.

1.(A) The lessee hereby agrees to take possession of the land leased out to him within thirty days from the date of execution of the lease deed and he further agrees to take possession of the land in the condition it exist on that date.

(For land)

2. The lessee having paid to the lessor for said land the advance rent and premium of **Rs. .....00 (Rupees One Crore One ..... Only)** and 10% additional Premium **Rs. Nil (Rupees Nil only)** as prescribed under Rule 10 of the Chhattisgarh Industries (Allotment of shed, plots and land) Rules, 1974 (hereinafter referred to as the said rules) and deposit for the said land three years rent **Rs.3,80,985.00 (Rupees Three Lacs Eighty Thousand Nine Hundred Eighty Five only)** as security amount within thirty days of the execution of this deed.

Contd..... 3

Thereafter, during the terms of the lease the lessee shall pay the lessor Annual Ground Rent of **Rs.1,26,995.00 (Rupees One Lac Twenty Six Thousand Nine Hundred Ninety Five Only)** and Annual Development Fund for maintenance of Industrial Area **Rs.....00 (Rupees ..... Only)** and annual Street Light Charges of **Rs.....00 (Rupees ..... Only)** and such other sums as may be determined in accordance with Clause 3 hereunder on or before 10th day of January of each year in the office of the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. or such place or places as the Managing Director from time to time may direct.

(For building)

The lessee having paid to the lessor for the said premises the advance rent as prescribed under Rule 10 of the said rules he shall pay to the lessor for the said premises one year's rent as security deposit within thirty days of the execution of this deed. Thereafter, during the terms of the lease, the lessee shall pay the lessor a monthly maintenance charges @ Rs.6 per Sq . feet. on or before the 10th day of each calendar month at the office of the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. or at such places as the Managing Director from time to time may direct.

2. (A) The charges of development for maintenance of Industrial Area and Street Light Charges are subject to revision from time to time and the lessee hereby agrees to pay the revised charges so fixed by the lessor from time to time.

3. If the yearly/monthly rent of the land/premises and annual development fund for maintenance of Industrial Area or any part thereof is not paid within one month after the date prescribed by the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., the same will have to be deposited with interest @ 18% per annum for the first one year/12 months of such default and @ 24% per annum for the remaining period thereafter.

(For land)

4. The ground rent of **Rs.1,26,995.00 (Rupees One Lac Twenty Six Thousand Nine Hundred Ninety Five Only)**per annum shall be liable to be increased on the expiry of 10 years from the date of execution of this deed and also at subsequent, intervals of 10 years, provided that the increase on each occasion may not exceed one quarter of the rent fixed for proceeding 10 years

(For building)

The monthly rent as mentioned in clause 2 above shall be reviewable from time to time subject to the conditions, that the enhancement of rent at any one time may not exceed 30% or rent payable at the time of review.

Contd..... 4

(Common for land/building)

5. The lessee shall from time to time and at all times during the term of the lease pay and discharge except as aforesaid, all taxes, rates assessments and other charges and outgoing which are or may at any time hereafter during the said terms be assessed, charged or imposed upon the said land/premises whether on the land lord or on the tenant.

5 (A) The lessee hereby agrees to pay lease rent along with service tax and other statutory charges as applicable from time to time.

(For land)
6. The lessee hereby agrees that he shall within a period of one year, in the case of small scale industry, and within a period of three years, in the case of large and medium scale industry, from the date of his taking over possession of the land implement the project and go into production.
(For land)

7. The lessee hereby agrees that he shall utilize the complete land leased out to him here under for implementation of the project or for its expansion within a period of three years in case of SSI and five years in case of Medium & Large Scale Industries for the above said purpose.

(For land)

8. The lessee further agrees that if he is unable to utilize the complete land lease out to him within the period prescribed in clause 6 or 7 the lessors shall have the right of re-entry in the surplus unutilized land without payment of any sort or compensation after giving due opportunity for representing his case.

(For land)

10. The lessee shall submit to the lessor or any officer authorized by him in writing from time to time, the plans and specification for the said construction which shall be in accordance with the plans and specifications as may be approved by the lessor.

(Common for land/building)

10. The lessee shall use said premises, land and building structures and works, erected or constructed thereon only for the purpose of the said business of **Commercial use** and other allied products as mentioned in project report/provisional registration for construction of offices, administrative building, go down and shall not use the same or any other, part thereof or permit it or any other part thereof to be used for any other purpose without the previous permission in writing of the lessor.

Contd..... 5

10. (A) The lessee shall not sink well/tube-well without the written permission of the lessor or any other officer authorized by him. The permission will be subject to such terms and conditions as the lessor may deem fit and it will be binding on lessee.

"Provided that no permission will be given in an industrial area in which the lessor or any other person or agency authorized by the lessor is operating or, proposes to operate a water supply scheme, without imposing a fixed amount of water charges (for drawing water from under the ground) which shall not be less than.

i) Rs.500/-(Rs. Five hundred only) per month in case of SSI & Rs. 5000/- (Rs. Five thousand only) per month in case of LMI, or commercial activity, if water is not used for any process of production.

ii) Rs.2000/-(Rs.Two thousand only) per month in case of SSI & Rs.10,000/- (Rs.Ten thousand only) per month in case of LMI, or commercial activity, if water is also used for any process of production."

11. The lessee shall, at his own expenses forthwith erect and at all times maintain,repair and keep in good condition all boundary marks and pillars along with the boundaries of the said land according to the demarcation shown in the plan hereto annexed.

(Common for land/building)

12. The lessee shall keep the said premised, land and building re-erected thereon in a condition fit for habitation and at his own expenses the effluent treatment systems as prescribed by the Chhattisgarh Environment Conservation Board or the local authority concerned.

(For building)

13. The lessee shall not make any permanent and temporary additions or alterations whatsoever in the said premises without obtaining the prior consent in writing of the Industrial Commissioner. The decision of the Industries Commissioner with regard to what constitutes additions or alterations shall be final and binding on the lessee.

(For building)

14. If there is any necessity of any additions or alterations to the said premises to suit any particular requirement of the lessee the same may be made by the lessee at his own cost with the previous permission in writing of the Industries Commissioner. This permission may be refused if the same is considered undesirable or unsafe for the premises. Any addition and alterations carried out by the lessee shall be subject to removal of the expiry of the said term at the lessee's cost, if so required by the Industries Commissioner. If the Industries Commissioner does not insist on such removal, no compensation or expenses incurred in making the addition and alterations shall be payable by the lessor to the lessee.

Contd...6

(Common for land/building)

15. The lessee shall not sublet, assign or otherwise transfer the said premises/land or any part thereof or any building constructed thereon for any purpose, whatsoever, except as provided in rule 19 of the said rule.

(Common for land/building)

16. The lessee shall not change the constitution of ownership of the unit without the prior permission of the Allotting Authority in writing. If due to the change in the constitution the share of the original allottee has reduced to less than 50% share that it will be deemed to be taken that unit has been transferred to some other hand and accordingly the case of transfer shall be dealt with by the lessor.

(For land)

17. The lessee shall plant at least fifty trees per hectare of land allotted to him at his own cost and shall be liable to maintain them. The lessee shall not be entitled to recover any expenses on this account. Failure to comply with this condition shall be deemed as a breach of the condition of allotment of the said premises.

(Common for land/building)

18. The lessee shall not carry on any offensive trade or business on the said land/premises. The decision of the Allotting Authority with regard to what is offensive trade or business shall be final and binding on lessee.

(Common for land/building)

19. While using the said land/premises, if the lessee cause any harm or injury to any person, he shall be liable to pay compensation or damages in the same manner as a tenant of land/building is general liable to pay.

(For building)

20. The lessee shall insure and keep insured the.....in the name of the Industrial Commissioner and shall at all times during the said term keep the same insured independently and separately against any loss or damage caused by fire and against all other risks, as the Industries Commissioner may require, in the sum or Rs.....(Rs.....only) with an Insurance Company approved by the Industries Commissioner and shall deposit with the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur all such insurance policies and receipts of payment of the premiums in respect of the same. The lessee shall insure the said premises independently of and not alongwith any of the property of the lessee.

Contd..... 7

(For building)

21. The lessee shall complete all formalities required under clause 20 above and deposit the insurance policy and receipt of payments towards the same with the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. within the period of one month from the date of taking over possession of the said premised by the lessee.

(Common for land/building)

22. The lessee shall comply with all acts, rules and regulations in force from time to time in respect of the working of **M/S CHHATTISGARH EAST WEST RAILWAY LIMITED.**

(Common for land/building)

23. The lessee shall continuously run, during the period of lease the factory for which the land/premises is allotted. Closure of the factory for a continuous period exceeding six months without proper reasons to the satisfaction of the Allotting Authority be considered as a breach of this condition.

(Common for land/building)

24. The lessee shall during the said term keep the said land/premises in a reasonably good condition.

(For building)

25. The lessor shall carry out all such normal repairs to the said premises as he may deem necessary. If any repair are occasioned by any negligence for default on the part of the lessee, he same shall be carried out by the lessee at his own cost or by the Industries Commissioner as to what shall constitute normal repairs and whether any repairs are occasioned by any negligence or default on the part of the lessee shall be final and binding on the lessee.

Contd....8

(Common for land/building)

26. If the rent hereby reserved or any part thereof shall at any time be in arrears and unpaid for six calendar months in the case of land and two months in the case of premised next after the date whereon the same shall have become due, whether the same shall have been lawfully demanded or not or if the lessee becomes insolvent and/or goes into liquidation voluntarily or otherwise or if there be any attachment on the said premises or there is a breach or non-observance by the lessee of any of the conditions and convenants therein contained and the lessee fails to remedy the breach within twenty one days of the notice in writing given by the lessor or becomes insolvent or enters into an agreement with his creditors for composition of the industry, this lease will be deemed to have been terminated and the lessor may notwithstanding the waiver of any previous cause right of re-entry and without prejudice to any right or remedy of the lessor for recovery of rent remaining due under the lease upon the said land/premises and repossess the same as, if this demise had not been made.

(For land)

27. On the expiry of the lease period or termination of the lease due to breach of the conditions of the lease deed or surrender of land after the execution of lease deed, the lessor, shall have the right or re-entry over the land/premises. On such re-entry, the lessor may refund to the lessee the premium/cost of acquisition paid by the lessee at the time the land was allotted/leased out to the lessee in the following manner:-

(i) Full premium, if surrender of allotted/leased land occurs within one year and three years, in respect of small scale industry, and large and medium industry, respectively.

(ii) 10% less, if surrender of allotted/leased out land occurs after one year but within two years, and after three years, but within four years in respect of small scale industry and large and medium industry respectively.

(iii) 20% less if surrender of allotted/leased out land occurs after two years but within three years, and after four years but within five years in respect of small scale industry and large/medium industry respectively.

(iv) No refund of premium shall be permissible to unit not falling under category (i),(ii) and (iii) above.

Contd....9

(For land)

28. On termination/surrender of lease, the lessee shall be given an opportunity to transfer or otherwise dispose off the building, plant and machinery and any other construction on the said premises within the period of 3 months in a manner acceptable to the lessor. After the said 3 months period the lessor shall have the full right on all the property left over in the free to dispose it off accordingly.

(For building)

29. The lessee shall hand over the said building to the lessor, the expiry of the said term or on the earlier determination of the lease in the same condition as was handed over when occupied or received by the lessee after reasonable wear and tear expected.

(For land)

30. The lessor may at his discretion if the lessee shall have duly paid to rent hereby reserved and observed and performed the conditions herein contained at the request and cost of lessee, renew the lease for a further period of FIVE years.

Provided that the rent may be enhanced for the grant of every renewed lease and that every renewed lease shall contain such of the conditions herein contained as shall be applicable and such other conditions as may be thought necessary by the lessor.

(For land)

31. Lessee may surrender the leased area in part or whole by giving to the lessor, THREE calendar months notice in writing of his intention to do so.

(Common for land/building)

32. All costs and expenses incurred or which may be incurred for preparation, execution and registration of this lease shall be borne and paid by the lessee, subject to such relaxations as may be approved by the lessor in this behalf.

Contd.... 10

(Common for land/building)

33. It is **FURTHER DECLARED THAT THE** lessee shall deposit a sum of **Rs.3,80,985.00 (Rupees Three Lacs Eighty Thousand Nine Hundred Eighty Five only)** as security in pursuance of clause 2 of this lease deed for the due payment of the rent and observance and performance by him of the several conditions herein contained.

(Common for land/building)

34. Upon breach or non - observance by lessee of any of the terms and conditions herein contained it shall be lawful for the lessor to forefeet the security deposit referred to in clause 33 above, without prejudice to any other right or remedy of the lessor in that behalf/and to resume the possession of the said land/premises.

(Common for land/building)

35. The security deposit unless forfeited as aforesaid and after deducting all such sums as may be due to and recoverable by the lessor under these presents, shall be returned to the lessee after determination of the lease by afflux of time or otherwise.

(Common for land/building)

36. The lessee may file a representation if he is aggrieved by an order of the Allotting Authority as under :-

A representation may be filed before the Chairman of Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur against Original Order of the Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur, Commerce and Industry Department against in original order of the Board of Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur.

HOWEVER such a representation shall be made within Thirty (30) days of the receipt of an original order.

37. The lessee shall provide regular employment to one person belonging to those families who been disposed from their land due to its acquisition for the Area/Estate/Growth Center within one year of its going into production. The list of persons entitled for consideration under this clause will be as provided by the District Collector.

Contd... 11

OR

(Where the major portion of acquired land is to be used for a particular industry)

The lessee shall rehabilitate one person belonging to each of those families which have been disposed due to acquisition of their land for Industrial purpose according to the rehabilitation programme as approved by the Industries Commissioner. This rehabilitation programme will have to be implemented fully within one year of its going into production.

(Strike out whichever is not applicable)

(Common for land/building)

38. The Managing Director or any other officer to whom the powers of allotment have been delegated will also be competent to terminate the lease deed on behalf of the lessor.

(Common for land/building)

39. All sums recoverable under this deed may be recovered as arrears of land revenue.

40. The development works in the Industrial Area will be done by the lessor according to its programme of work and completed as early as possible depending on availability of funds but non-execution or non completion of any work shall not entitle the lessee to withhold or raise objection to the payment of street light or maintenance charges or any other amount due and payable to the lessor.

41. In the event of any dispute arising between the parties in respect of the deed or any other matter whatsoever connected therewith the RAIPUR courts shall have the jurisdiction .

Contd.....12

SCHEDULE

Name of Village	:	**RAIPURA**
Name of Tehsil	:	**RAIPUR**
Name of District	:	**RAIPUR**
Name of Area	:	**CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur**
Size of plot	:	**224.79 Sqmt. (..... Acres)**
Plot of Shop No.	:	**F-2/ 3 & 4**

SURROUNDED BY:

On North	:
On South	:
On East	:
On West	:

Above details shown in the annexed map.

Contd.....13

IN witnesses whereof the parties hereto have signed this deed on the date and year respectively mentioned against their signature.

Signed by Lessor
(signature)

Date:

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial Development
Corporation Ltd., Udyog Bhawan,Ring No.1,
Telibandha, Raipur (C.G.)
On behalf of the Governor of Chhattisgarh

Witnesses:

1. Signature .....

   Name and address .....

2. Signature .....

   Name and address .....

Signed by Lessee .....
(Signature)

On behalf of**M/S CHHATTISGARH EAST WEST RAILWAY LIMITED**

Date

Witnesses:

1. Signature .....

   Name and address .....

2. Signature .....

   Name and address .....

परिशिष्ट–इ

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

बहुमंजिला व्यवसायिक परिसर डंगनिया, रायपरु में निर्मित भूतल की दुकान एवं कार्यालय प्राप्त करने हेतु निविदा की शर्तें

1. निगम की स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत डंगनिया में निर्मित बहुमंजिला व्यवसायिक परिसर में भूतल की दुकान एवं कार्यालय विक्रय हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक के आधार पर मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

रिक्त दुकानों/कार्यालयों का विवरण

तल	दुकान/कार्यालय की संख्या	क्षेत्रफल प्रत्येक दुकान/कार्यालय (प्रत्येक वर्गमीटर)	ऑफसेट मूल्य प्रत्येक दुकान/कार्यालय	धरोहर राशि प्रत्येक दुकान/कार्यालय (ऑफसेट मूल्य का 10 प्रतिशत)	वार्षिक भाटक प्रत्येक दुकान/कार्यालय (ऑफसेट मूल्य का 1.25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
भू–तल	2 दुकान (GS –6) & (GS-7)	5.00 X 5.90 = 29.500	17,45,810/–	1,74,581/–	21,823/–
भू–तल	1 कार्यालय (GF -1)	10.55 X 8.25= 87.0375	51,50,879/–	5,15,088/–	64,386/–

2. संपूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/बैंकर्स चेक के साथ लिफाफे में बंद निगम कार्यालय में दिनांक 18.06.2014 तक दोपहर 02:00 बजे तक स्वयं के द्वारा जमा किया जा सकेगा। निविदाएं उसी दिन दोपहर 03:00 बजे खोली जावेंगी।
3. प्रत्येक दुकान/ऑफिस के लिए पृथक–पृथक निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा आवेदन पत्र क्रय किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/बैंकर्स चेक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
5. मुहरबंद निविदाएं प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर छ.ग. के नाम से देनी होगी।
6. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार्य नहीं होगा।

7. यदि किसी एक या उससे अधिक दुकान के लिए प्राप्त निविदा प्रस्तावों की उच्चतम दरें एक समान या बराबर होगी तो ऐसी निविदा के लिए उच्चतम निविदाकारों के समक्ष खुली बोली के आधार पर अधिकतम बोली वाले आवेदक को आबंटित की जावेगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक को रहेगा।
9. निविदादाता को उसकी स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित दुकान/ऑफिस के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।
10. निविदादाता को निगम कार्यालय में दुकान/ऑफिस के पट्टा पंजीयन के पश्चात फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही दुकान का आधिपत्य दिया जायेगा।
11. आबंटित दुकान/ऑफिस की छत पर पट्टेधारी का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. आबंटित दुकान/ऑफिस में किसी प्रकार के विभाजन कर अन्य को विक्रय अथवा किराए से दिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
13. दुकान/ऑफिस के आबंटन की स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नहीं होती हैं अथवा पत्र वापस आ जाता है तो निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
14. सफल निविदादाता को निर्धारित समय पर निगम के कोष में निम्नानुसार राशि जमा करनी होगी।
    (अ) स्वीकृत निविदा राशि की 50 प्रतिशत राशि निविदा आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि के 15 दिनों में जमा करना होगा। जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन किया जायेगा।
    (ब) स्वीकृत निविदा की शेष राशि आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि के 45 दिनों में जमा करना होगा।
    (स) 3 वर्ष के बराबर वार्षिक भू–भाटक, सुरक्षा निधि जमा करना होगा।
15. उपरोक्त कंडिका (14) अ, (14) ब एवं (14) स में उल्लेखित मांगपत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी। इसके लिए पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा।
16. आबंटन प्रस्ताव जारी होने के बाद यदि निविदादाता दुकान/ऑफिस नहीं लेना चाहेगा तो धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।

17. निविदादाता/आबंटी को दुकान में मादक पदार्थों, ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्रियों को रखने अथवा उसका व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह शासन द्वारा प्रतिबंधित अन्य व्यवसाय/कार्य भी नहीं किया जा सकेगा।
18. आबंटी को दुकान/ऑफिस में स्वयं के व्यव से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से बिजली का कनेक्शन/मीटर लेना होगा तथा विद्युत देयकों का भुगतान स्वयं को करना होगा।
19. आबंटी को भारत सरकार, छत्तीगसढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
20. आबंटिती को स्वयं के व्यय पर ऑफिस/दुकान का रखरखाव एवं मरम्मत करना होगा।
21. आबंटी को वार्षिकी भाटक, प्रब्याजि का 1.25 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंटके रूप में प्रतिवर्ष 10 अप्रेल तक जमा कराना होगा। निर्धारित समय पर राशि जमा न करने पर लीज रेंट का 15 (पंद्रह) प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में वसुल की जावेगी।
22. व्यवसायिक परिसर के संधारण कार्य व्यवासयियों को स्वयं एस समिति बनाकर करना होगा।
23. आबंटिती को दुकान/ऑफिस अन्य किसी को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी प्रकार का हस्तांतरण निगम से पूर्वानुमति प्राप्त कर निर्धारित शुल्क जमा कर ही प्राप्त किया जा सकेगा।
24. आबंटी को दुकान/ऑफिस कंपन्न करने वाली मशीन लगाने, संचालन करने तथा ज्वलनशील एवं विस्फोटक एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।
25. आबंटी द्वारा निष्पादित पट्टे एवं निविदा की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निगम को यह अधिकार होगा कि वह दुकान/ऑफिस का आबंटन निरस्त किया जायेगा तथा जमा समस्त राशि निगम में राजसात कर ली जावेगी।
26. आबंटी को छत्तीसगढ़ शासन के व्यवसाय/कार्य से संबंधित कार्यों के लिए अनापत्ति/अनुमति स्वयं को प्राप्त करना होगा। समय–समय पर बनायें गये नियम, उपनियम, आदेश–निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तों के उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष के समक्ष निर्णय हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष, सीएसआईडीसी, रायपुर द्वारा किया जा सकेगा। जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।
28. लिफ्ट, फायर फाईटिंग सिस्टम, जल प्रदाय व्यवस्था एवं डी.जी. सेट आदि का संधारण प्रथमतः 2 वर्षों तक निगम द्वारा किया जाएगा। उसके पश्चात आबंटितों द्वारा समानुपातिक रूप से वहन किया जाएगा।

29. परिसर के विक्रय प्रांरभ दिनांक से एक वर्ष तक परिसर का संधारण सीएसआईडीसी द्वारा किया जाए एवं इसके पश्चात लीज होल्डर्स द्वारा समिति गठित कर समस्त परिसर का संधारण किया जाएगा अथवा सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित संधारण शुल्क की राशि लीज होल्डर्स से ली जाकर परिसर का संधारण सीएसआईडीसी द्वारा किया जा सकेगा।

30. आबंटी को संधारण शुल्क रू. 6/– प्रतिवर्ग फीट प्रति माह की दर से हर माह की आरंभ में 10 तारीख से पूर्व निगम कार्यालय में जमा करना होगा। संधारण शुल्क की दर समय–समय पर आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित की जायेगी, तथा पुनरीक्षित संधारण शुल्क आबंटी को जमा करना होगा।

प्रबंध संचालक

नियम एवं शर्तें मान्य हैं।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

Personnel and Administration (Installation Cell)

कार्मिक एवं प्रशासन (स्थापना प्रकोष्ठ)

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

5.8

स्थापना प्रभाग अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत है :–

अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार
एमपी ए.के.व्ही.एन.डेलिगेशन ऑफ पावर्स	अनुदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय– इसमें प्रबंध संचालक को प्रदत्त सभी अधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख है।

अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं। – स्थापना कक्ष से.

प्राप्त करने का शुल्क– छायाप्रति कराने के शुल्क के बराबर.

5.9 म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि0 कर्मचारी सेवा नियम–1994–95 — नियम

संक्षिप्त परिचय– इसमें निगम के अधिकारियो/कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा से संबंधित नियमों का उल्लेख है ।

कहां से प्राप्त कर सकते हैं– स्थापना कक्ष.

प्राप्त करने का शुल्क– छायाप्रति कराने के शुल्क के बराबर.

5.10 छ.ग.लोक सेवा(अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम– 1994 एवं नियम–1998 — अधिनियम/नियम

संक्षिप्त परिचय–	इसमें अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों तथा अंन्य पिछडें वर्गो के लिए सेवाओं में पदों के आरक्षण के संबंध में उल्लेख है ।
कहां से प्राप्त कर सकते हैं–	राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है । प्रकाशक संस्थाओं द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है ।
प्राप्त करने का शुल्क	बाजार दर पर पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है ।

मैन्युअल–5

Manual – 5

CSR & Rehabilitation Section

5.11

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख ।

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा घोषित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति 2013 की प्रति संलग्न है :–

पृष्ठ क्रमांक ..... से ..... तक

Manual - 5

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

5.11 अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख ।

i) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् दिये गये नियम,नियमावली

ii) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर प्रेषित छत्तीसगढ़ शासन के सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की मार्गदर्शिता (छत्ततीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों एवं जारी किये गये परिपत्रों) ।

iii) छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर द्वारा उपरोक्त के अंतर्गत् दिये गये मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण निर्देशानुसार ।

उपयोग किये जाने वाले नियम/निर्देशिका :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित नियम, मार्गदर्शिका, ज्ञापन, परिपत्र शासन से पत्र व्यवहार द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों, भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशों, मेमोरेंडम, आदेशों का पालन किया जाता है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों आदेशों एवं निर्देशों की पुस्तिका (मार्गदर्शिका) इस मार्गदर्शिका में मूल।
   - अधिनियम के साथ ही नियम तथा केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्देशों को शामिल किया गया है। मार्गदर्शिका कार्यालय के लोक सूचना कक्ष में आम नागरिकों के अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
   - छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान प्रदाय की गई पुस्तिका।
   - जानिये अपना सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 समीक्षात्मक टिप्पणी सहित
     डॉ. नीरज कुमार द्वारा प्रस्तुत एवं भारत लॉ हाऊस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक मूल पृष्ठ संख्या 1195 पर उपलब्ध है।
   - अन्य हैंडबुक उपरोक्त नियमों पर समय–समय पर प्रकाशित उपलब्ध है।

मैन्युअल–5

Manual - 5

5.11 शाखा कार्यालय तिफरा, बिलासपुर

Branch Office Tiphra, Bilaspur

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख ।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में दिये गये उपबंधो/नियमों का पालन तथा निर्देशिका तथा अभिलेखों का संधारण करवाना।

मैन्यूअल–5

Manual-5

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

5.12

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख।

कर्तव्यों का निर्वहन मुख्यालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन ही संपादित किया जाता है ।

मैन्युअल–5

Manual - 5

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर

High Tech Bus Stand, Bilaspur

5.13

अपने अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका अन्य अभिलेख ।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार दुकानदारों से प्रतिमाह मासिक किराया राशि की वसूली करना तथा अभिलेखों का संधारण करना ।

मैन्युअल–6

Manual-6

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.1 भू–अर्जन

6.1 Land Acquisition

लोक प्राधिकरण के पास शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें साथ ही यह भी बताएं कि यह दस्तावेज कहॉ उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर–निदेशालय स्तर पर–अन्य (कृपया अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें ।

क्रमांक	प्रवर्ग	दस्तावेज का का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	अधिनियम	भू–अर्जन अधिनियम 1894	कानूनी पुस्तक दुकानों में उपलब्ध	प्रबंधक भू–अर्जन
2.	राजस्व परिपत्र	राजस्व पुस्तक परिपत्र	कानूनी पुस्तक	प्रबंधक भू–अर्जन

अवलोकन कार्यालय में किया जा सकता ।

मैन्युअल–6

Manual-6

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

भू–आबंटन प्रकोष्ठ

Land Allotment Cell

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.के भू–आबंटन प्रकोष्ठ के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो (Categories) के अनुसार विवरण

6.2 भू–आबंटन प्रकोष्ठ के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार प्रारूप में प्रस्तुत है ।

क्रम संख्या	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	–	आवेदन पंजी (प्राप्त आवेदन पत्रों को वरिष्ठता क्रम में प्रविष्टि की जाती है ।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन	संबंधित महाप्रबंधक / प्रबंधक / सहायक प्रबंधक
2.	–	भू–आबंटन पंजी (जारी भू–आबंटन आदेश का विवरण दर्ज किया जाता है)	–तदैव–	–तदैव–
3.	–	डाक्यूमेंट पंजी (निष्पादित / पंजीकृत पट्टाभिलेख का विवरण दर्ज किया जाता है)	–तदैव–	–तदैव–

मैन्युअल–6

Manual-6

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.3 विपणन प्रकोष्ठ

Marketing Cell

लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण–

1. रसीद बुक
2. भुगतान संबंधी नस्तियां
3. आवक–जावक पंजी
4. मृत स्कंध पंजी
5. पंजीयन पंजी
6. दर निर्धारण दस्तावेज

नोट– 2017 गवर्नमेंट ई–मार्केटिंग

मैन्युअल–6

Manual-6

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.4 संभाग– 1

6.4 Division-1

कार्य क्षेत्र– बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेंड्रारोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।

कार्यपालन अभियंता कार्यालय के अभिलेख

अ. तकनीकी स्वीकृति पंजी/प्रशासकीय अनुमोदन पंजी

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो हेतु अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की जांच कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान कर इस पंजी में दर्ज की जाती है	अभिलेख सहायक
नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं ।	कार्यालय,कार्यपालन अभियंता, क्वॉ नं एच.आई.जी–5 डी.डी.नगर रायपुर (छ.ग.)
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोईहो तो)	रू. निर्धारित शुल्क

ब. निविदा प्रपत्र विक्रय पंजी

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के संपादन आमंत्रित की जाती हैं । इस हेतु निविदा प्रपत्र विक्रय की पंजी संधारित की जाती है ।	अभिलेख हेतु निविदाएं

स. निविदा पंजी

परिचय–निविदा आमंत्रण से प्राप्त निविदाओं की हेतु पंजी संधारित की जाती है ।	अभिलेख सम्पूर्ण जानकारी

द. अमानत राशि पंजी

परिचय–निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किए डी.डी./एफ.डी.को दर्ज किया जाता है । पता	अभिलेख –तदैव–

इ.	**श्रमिक स्वीकृति पंजी** परिचय–विभिन्न औ.क्षेत्रों के आकस्मिक कार्यो के संपादन हेतु श्रमिक कार्य में लगाए जाते हैं इसकी स्वीकृति पंजी में दर्ज की जाती है । पता	अभिलेख –तदैव–
फ.	**अनुबंध पंजी** परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के लिए निविदाकारों से अनुबंध किया जाता है इसे पंजी में दर्ज किया जाता है ।	कार्यालय,कार्यपालन अभियंता, क्वॉ नं एच.आई.जी–5 डी.डी.नगर रायपुर (छ.ग.)
क.	**उपस्थिति पंजी** परिचय–कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी	–तदैव–
ख.	**आवक/जावक पंजी** परिचय–कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/ अभिलेख कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को क्रमांक दर्ज किया जाता है ।	मुख्यालय स्तर से आवक जावक किया किया जाना है। पता भारतीय जीवन बीमा परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)
ग.	**डाकबुक** परिचय–इस पंजी के माध्यम से बाहर जाने वाले पत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है ।	–तदैव–
घ.	**फर्नीचर पंजी** परिचय–कार्यालय में उपलब्ध साजो सामान की पता–तदैव–जानकारी दर्ज किया जाता है	मुख्यालय स्तर पर संधारित की जाती है ।

मैन्युअल–6
Manual-6

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.5 संभाग–2
6.5 Division - 2

कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमासिवनी, एवं मेटल पार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद ।

(1) कार्यपालन अभियंता कार्यालय के अभिलेख :–

(अ)	***तकनीकी स्वीकृति पंजी/प्रशासकीय अनुमोदन पंजी***	
	परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यों हेतु सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की जांच कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान कर इस पंजी में दर्ज की जाती है।	अभिलेख
	नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते है।	कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर
	नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो तो)	रू. .....
(ब)	***निविदा प्रपत्र विक्रय पंजी***	
	परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यों के संपादन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा प्रपत्र विक्रय की पंजी संधारित की जाती है।	अभिलेख
(स)	***निविदा पंजी***	
	परिचय–निविदा आमंत्रण से प्राप्त निविदाओं की सम्पूर्ण जानकारी हेतु पंजी संधारित की जाती है।	अभिलेख
(द)	***अमानत राशि पंजी***	
	परिचय–निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किये डी.डी./एफ.डी. को दर्ज किया जाता है।	अभिलेख पता –तदैव–
(ई)	***श्रमिक स्वीकृति पंजी***	
	परिचय–विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के आकस्मिक कार्यों के संपादन हेतु श्रमिक कार्य में लगाये जाते है, इसकी स्वीकृति पंजी में दर्ज की जाती है।	अभिलेख पता –तदैव–
(फ)	***अनुबंध पंजी***	
	परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यों के लिए निविदाकरों से अनुबंध किया जाता है। इसे पंजी में दर्ज किया जाता है।	पता –तदैव–

(क) *उपस्थिति पंजी*
परिचय–कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी — पता –तदैव–

(ख) *आवक/जावक पंजी*
परिचय–कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को क्रमांक दर्ज किया जाता है। — अभिलेख पता –तदैव–

(ग) *डाक–बुक*
परिचय– इस पंजी के माध्यम से बाहर जाने वाले पत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है। — पता –तदैव–

(घ) *फर्नीचर पंजी*
परिचय–कार्यालय में उपलब्ध साजो सामान की जानकारी दर्ज किया जाता है। — पता –तदैव–

(2) *सहायक अभियंता कार्यालय से संबंधित पंजी :–*

(अ) *माप पुस्तिका*
परिचय–औद्योगिक क्षेत्रों में किये जाने वाले समस्त विकास/संधारण कार्यों का माप दर्ज कर भुगतान दर्ज किया जाता है। — अभिलेख पता– सहायक अभियंता साइट आफिस– औ.क्षेत्र उरला/सिलतरा/सिरगिट्टी/दुर्ग/बोरई

(ब) *स्टॉक रजिस्टर*
परिचय–औद्योगिक क्षेत्रों में विकास/संधारण कार्यों हेतु सामाग्री क्रय किया जाता है, उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। — अभिलेख पता –तदैव–

(स) *एमएएस पंजी*
परिचय–आकस्मिक कार्यों हेतु क्रय किये गये सामान पंजी में दर्ज किया जाता है। — –तदैव–

(द) *टूल्स एण्ड प्लांट पंजी*
परिचय–औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध मशीनों, यंत्रों आदि का विवरण दर्ज किया जाता है। — –तदैव–

(ई) *फर्नीचर पंजी*
परिचय–कार्यालय में उपलब्ध साजो सामान की जानकारी दर्ज की जाती है। — –तदैव–

(फ) *संपत्ति रजिस्टर*
परिचय–निगम की समस्त संपत्तियों जैसे–पाईप लाईन, पंप, सड़क, स्ट्रीट लाईट, पुल–पुलिया आदि की जानकारी दर्ज की जाती है। — –तदैव–

(क) *आधिपत्य प्रमाण पत्र पुस्तिका*
परिचय–औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पश्चात् स्थल पर आधिपत्य देने संबंधी जानकारी दर्ज की जाती है। — –तदैव–

(ख) *जल देयक पंजी*
परिचय–विभिन्न इकाईयों को प्रतिमाह जारी किये जाने वाले देयक की जानकारी दर्ज किया जाता है। –तदैव–

(ग) *वाटर मीटर रजिस्टर*
परिचय– विभिन्न इकाईयों को प्रतिमाह प्रदाय किये गये जल की मात्रा दर्ज किया जाता है। –तदैव–

(घ) *जल देयक पुस्तिका*
परिचय–विभिन्न इकाईयों को प्रतिमाह जल शुल्क के मद में जल देयक जारी किया जाता है। –तदैव–

(ड.) *लॉग–बुक*
परिचय–शेड रोलर/पंप/वाहन/टैंकर आदि का नियमित परिचालन विवरण। –तदैव–

(च) *लेजर पुस्तिका*
परिचय–इकाईयों से जल देयकों से प्राप्ति राशि का विवरण –तदैव–

(छ) *आवक/जावक पंजी*
परिचय–कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की क्रमांक दर्ज किया जाता है। –तदैव–

(ज) *उपस्थिति पंजी*
परिचय–कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी –तदैव–

(झ) *डाक–बुक*
परिचय–इस पंजी के माध्यम से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है। –तदैव–

मैन्युअल–6

Manual-6

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.4 संभाग– 3

6.4 Division-3

कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।

कार्यपालन अभियंता कार्यालय के अभिलेख

अ.	तकनीकी स्वीकृति पंजी/प्रशासकीय अनुमोदन पंजी परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो हेतु अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की जांच कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान कर इस पंजी में दर्ज की जाती है	अभिलेख सहायक
	नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं ।	कार्यालय,कार्यपालन कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर
	नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोईहो तो)	रू. निर्धारित शुल्क
ब.	निविदा प्रपत्र विक्रय पंजी परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के संपादन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । इस हेतु निविदा प्रपत्र विक्रय की पंजी संधारित की जाती है ।	अभिलेख
स.	निविदा पंजी परिचय–निविदा आमंत्रण से प्राप्त निविदाओं की हेतु पंजी संधारित की जाती है ।	अभिलेख सम्पूर्ण जानकारी
द.	अमानत राशि पंजी परिचय–निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किए डी.डी./एफ.डी.को दर्ज किया जाता है । पता	अभिलेख –तदैव–

इ. **श्रमिक स्वीकृति पंजी**

परिचय–विभिन्न औ.क्षेत्रों के आकस्मिक कार्यो के संपादन हेतु श्रमिक कार्य में लगाए जाते हैं इसकी स्वीकृति पंजी में दर्ज की जाती है । पता	अभिलेख –तदैव–

फ. **अनुबंध पंजी**

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के लिए निविदाकारों से अनुबंध किया जाता है इसे पंजी में दर्ज किया जाता है ।	कार्यालय,कार्यपालन अभियंता, क्वॉ नं एच.आई.जी–5 डी.डी.नगर रायपुर (छ.ग.)

क. **उपस्थिति पंजी**

परिचय–कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी	–तदैव–

ख. **आवक/जावक पंजी**

परिचय–कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/ अभिलेख कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को	मुख्यालय स्तर से आवक जावक किया किया जाना है। पता भारतीय जीवन बीमा परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक दर्ज किया जाता है ।

ग. **डाकबुक**

परिचय–इस पंजी के माध्यम से बाहर जाने वाले पत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है ।	पता –तदैव–

घ. **फर्नीचर पंजी**

परिचय–कार्यालय में उपलब्ध साजो सामान की पता–तदैव–जानकारी दर्ज किया जाता है	मुख्यालय स्तर पर संधारित की जाती है ।

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.6 संभाग–4

Division - 4

कार्य क्षेत्र – इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र ।

6.6 कार्यालय कार्यपालन अभियंता

कार्यपालन अभियंता कार्यालय के अभिलेख

अ. तकनीकी स्वीकृति पंजी/प्रशासकीय अनुमोदन पंजी

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो हेतु अभिलेख सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की जांच कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान कर इस पंजी में दर्ज की जाती है

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं । कार्यालय,कार्यपालन अभियंता, क्वॉ नं एच.आई.जी–5 डी.डी.नगर रायपुर (छ.ग.)

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोईहो तो) रू. निर्धारित शुल्क

ब. **निविदा प्रपत्र विक्रय पंजी**

परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के संपादन अभिलेख हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । इस हेतु निविदा प्रपत्र विक्रय की पंजी संधारित की जाती है ।

स. **निविदा पंजी**

परिचय–निविदा आमंत्रण से प्राप्त निविदाओं की अभिलेख सम्पूर्ण जानकारी हेतु पंजी संधारित की जाती है ।

द. **अमानत राशि पंजी**

परिचय–निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत अभिलेख किए डी.डी./एफ.डी.को दर्ज किया जाता है । पता –तदैव–

इ. **श्रमिक स्वीकृति पंजी**

परिचय–विभिन्न औ.क्षेत्रों के आकस्मिक कार्यो के अभिलेख संपादन हेतु श्रमिक कार्य में लगाए जाते हैं इसकी स्वीकृति पंजी में दर्ज की जाती है । पता –तदैव–

फ.	**अनुबंध पंजी** परिचय–विभिन्न विकास/संधारण कार्यो के लिए निविदाकारों से अनुबंध किया जाता है इसे पंजी में दर्ज किया जाता है ।	कार्यालय,कार्यपालन अभियंता, क्वॉ नं एच.आई.जी–5 डी.डी.नगर रायपुर (छ.ग.)
क.	**उपस्थिति पंजी** परिचय–कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी	–तदैव–
ख.	**आवक/जावक पंजी** परिचय–कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/अभिलेख कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को क्रमांक दर्ज किया जाता है ।	मुख्यालय स्तर से आवक जावक किया किया जाना है। पता भारतीय जीवन बीमा परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)
ग.	**डाकबुक** परिचय–इस पंजी के माध्यम से बाहर जाने वाले पत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है ।	–तदैव–
घ.	**फर्नीचर पंजी** परिचय–कार्यालय में उपलब्ध साजो सामान की पता–तदैव–जानकारी दर्ज किया जाता है	मुख्यालय स्तर पर संधारित की जाती है ।

6.7

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेजों के नाम एवं एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त के लिए प्रक्रिया	धारक /
1.	अनुबंध निर्माण एवं संधारण कार्य	निविदा स्वीकृति के उपरांत कार्यपालन अभियंता एवं चयनित एजेंसी के मध्य अनुबंध करार का निष्पादन किया जाता है ।	निर्धारित प्रकिया	कार्यपालन अभियंता
2.	अनुबंध जल संयोजन	औ,क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को जल प्रदाय हेतु किये जाने हेतु अनुबंध का निष्पादन	तदैव	तदैव
3.	जन शिकायत संबंधी	जन शिकायत /उद्योगपतियों से प्राप्त शिकायत संबंधी नस्ती	तदैव	तदैव
4.	वृक्षारोपण	विभिन्न औ.क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	तदैव	तदैव

टीपः– कार्यपालन अभियंता कार्यालय से संबंधित विभिन्न नस्तियों की सूची संबंधित सहायक से प्राप्त किया जाना है ।

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.8 वित्त प्रकोष्ठ

6.8 Finance Cell

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें । साथ ही यह भी बताएं कि यह दस्तावेज कहॉ से उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं	दस्तावेज प्राप्त करने	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	विधि	बंधक पत्र की प्रति	आवेदन प्राप्त होने पर	उप प्रबंधक (प्रभारी)
2.	लेखा	लेखा की प्रति	आवेदन प्राप्त होने तथा शुल्क जमा करने पर	उप प्रबंधक (प्रभारी)

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.9 औद्योगिक संवर्धन प्रकोष्ठ

IPPD Cell

उपलब्ध दस्तावेज – कर्तव्य में उल्लेखित कार्यों से संबंधित नस्तियों का संधारण कक्ष में किया जाता है ।

धारण/नियंत्रणाधीन – उप प्रबंधक (प्रभारी)

<u>विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण</u>

6.10 लेखा प्रकोष्ठ
6.10 Accounts Cell

लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण

1. रोकड बही
2. लेजर
3. सब–लेजर
4. वेतन पत्रक व संबंधित अभिलेख
5. रसीद बुक
6. टी.ए. बिल/मेडिकल बिल आदि
7. वाउचर्स
8. सामान्य भविष्य निधि व अन्य कटौतियों के रजिस्टर
9. लेखा तथा अग्रिम संबंधी सहायक लेखा पुस्तिकाएं
10. भण्डार तथा भण्डार पुस्तिकाओं का संधारण
11. विभिन्न भुगतान संबंधी नस्तियां जो लेखा/वेतन शाखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

Manual - 6

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

1.	कंपनी अधिनियम–1956	कानूनी पुस्तक दुकानों में उपलब्ध	कंपनी सचिव
2.	कंपनी अधिनियम–2013	कानूनी पुस्तक दुकानों में उपलब्ध	कंपनी सचिव
3.	संचालक मण्डल की बैठकों का कार्यवाही विवरण	अभिलेख	कंपनी सचिव
4.	संचालक मंडल की बैठकों का एजेण्डा	अभिलेख	कंपनी सचिव

उपरोक्त का अवलोकन कार्यालय में नियमानुसार किया जा सकता है ।

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

संपदा प्रकोष्ठ

Estate Managment Cell

6.11

संपदा कक्ष में–	एप्लिकेशन रजिस्टर, आबंटितों का सबलेजर, मिटिंग प्रोसिडींग रजिस्टर, कबाड़ निविदा रजिस्टर, आबंटन निविदा रजिस्टर संधारित की जाती है ।

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

6.12 कार्मिक एवं प्रशासन (स्थापना प्रकोष्ठ)
6.12 Personal & Administration Section

लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Catagories) के अनुसार विवरण

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	अनुदेश	एम.पी ए.के.व्हि. एन.डेलिगेशन ऑफ पावर्स	आवेदन	कार्यपालक संचालक
2.	नियमावली	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि. कर्मचारी सेवा नियम – 1994–95, सेवा एवं भर्ती नियम 2011	आवेदन	कार्यपालक संचालक
3.	अधिनियम /नियम	छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिय आरक्षण) अधिनियम – 1994 एवं नियम – 1998	प्रकाशित पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध / कार्यालय में अवलोकन हेतु एक प्रति उपलब्ध	कार्यपालक संचालक

4	सेवा संबंधि दस्तावेज	अधिकारियों /कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानातंरण एवं सेवा से संबंधित समस्त कार्यवाहियों के संबंध में नस्तियां व्यक्तिगत नस्तियॉ एवं सेवा पुस्तिकायें	कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध	कार्यपालक संचालक

,

मैन्युअल–6

Manual – 6

CSR & Rehabilitation Section

6.13

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण।

बिन्दु क्रमांक 05 अनुसार ।

Manual - 6

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

6.14 विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण।

i) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् दिये गये नियम, नियमावली अधिनियम की पुस्तक ।

ii) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर प्रेषित छत्तीसगढ़ शासन के सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की मार्गदर्शिता (छत्ततीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों एवं जारी किये गये परिपत्रों) के लिये जारी किये गये निर्देशिका की पुस्तक ।

iii) छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर द्वारा उपरोक्त के अंतर्गत् दिये गये मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की पुस्तक ।

iv) लोक सूचना अधिकारी, सीएसआईडीसी मुख्यालय को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् समस्त आवेदनों, प्रथम अपील, द्वितीय अपील की नस्तियां ।

v) लोक प्राधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा लोक प्राधिकरण के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत 17 बिंदुओं हेतु विभिन्न कक्षों से प्राप्त मैन्युअल की संकलित प्रति (स्वसक्रिय प्रकटीकरण) ।

लोक सूचना कक्ष में निम्नलिखित अभिलेख, दस्तावेज, नस्तियां, रजिस्टर आदि उपलब्ध है।

1. आवेदन पत्रों का रजिस्टर पंजी निम्न जानकारी के साथ 17 कॉलम की जानकारीः–

स.क्र.	दिनांक	आवेदक का नाम तथा पिता का नाम	पूरा पता	आवेदक यदि गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) श्रेणी का है तो सूची क्रमांक सहित विवरण	मांगी गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण	ए.पी.एल. श्रेणी के आवेदन द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई शुल्क का विवरण नगदी अथवा चै.क्र. / राशि / दिनांक	प्राप्त आवेदन पत्र जिस जन सूचना / सहायक / जन सूचना अधिकारी को दिया गया उसका विवरण (नाम / पद सहित)	यदि जानकारी अन्य विभाग से संबंधित है तो उस विभाग को भेजने की तारीख	आवेदक को कालम 9 के संबंध में भेजी गई जानकारी की तारीख	आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने की तारीख (यदि कालम 9 लागू नहीं हो तो)	प्राप्त नकल शुल्क की राशि का विवरा (राशि / रसीद / क्रमांक / दिनांक)	उपलब्ध कराई गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण	जानकारी प्राप्त करने वाले आवेदक का हस्ताक्षर व दिनांक	यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो कारण व दिनांक सहित विवरण	आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में आवेदक का दी गई सूचना की तारीख	रिमार्क

2. समस्त आवेदनों की नस्तियां वर्षवार संधारित की जाती है।
3. छत्तीसगढ़ शासन / केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्र, ज्ञापन, सर्कुलर, दिशा–निर्देश आदि की नस्तियां।
4. प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदक की वर्षवार नस्तियां।
5. राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपीलों की वर्षवार नस्तियां।
6. नियम मार्गदर्शिका, अधिनियम की पुस्तकें।
7. शाखा कार्यालयों की नस्तियां।
8. मासिक प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन की नस्तियां।

मैन्युअल–6

Manual – 6

शाखा कार्यालय, तिफरा बिलासपुर
Branch Office Tiphra, Bilaspur

6.13 विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण ।

सूचना का अधिकार – 2005 पंजी का संधारण ।

कोल सेल कार्यालय, बिलासपुर

Coal Cell Office, Bilaspur

6.14

नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

1. मनी रसीद बुक ।
2. कैश बुक ।
3. लेजर ।
4. सब–लेजर ।
5. स्टॉक पंजी ।
6. सिक्युरिटी डिपॉजिट पंजी ।
7. सर्विस टैक्स पंजी ।
8. क्रय एवं विक्रय पंजी ।
9. कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी ।

Manual - 6

मैन्यूअल–6

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

6.15

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

1. कच्चा माल भण्डार, भिलाई में लेखा कक्ष से संबंधित अभिलेखों रोकड़ बही, पार्टी लेजर, जनरल लेजर, डेबिट तथा क्रेडिट नोट, बैंक से संबंधित दस्तावेजों, फर्नीचर–फिक्चर पंजियों, चेक बुक वितरण पंजी, मासिक इम्प्रेस्ट पंजी, मनीरसीद लेखा से संबंधित नस्तियों का संधारण ।
2. भण्डार से संबंधित धरम कांटा पंजी, गेटपास देयक स्टॉक लेजर, क्रय–विक्रय पंजी, एक्साईज पंजी एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों, पंजियों एवं भण्डार से संबंधित अन्य आवश्यक नस्तियों का संधारण ।
3. आवक–जावक, स्टेशनरी पंजियों, उपस्थित पंजी, नस्तियों का संधारण ।

मैन्युअल–6

Manual-6

उत्पादन इकाई
फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं ए.आईएफ.भिलाई
कार्यालयः– शोरूम नवीन बाजार रायपुर

Show Room Furniture Raipur

प्रभारी उत्पादन के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण–

6.16

प्रभारी उत्पादन के पास शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें साथ ही यह भी बताएं कि यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते है जैसे कि सचिव स्तर पर–निदेषालय स्तर पर–अन्य (कृपया अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख है।

निरंक

मैन्युअल–6
Manual - 6

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर
High Tech Bus Stand, Bilaspur

6.17

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

लेखा कक्ष से संबंधित अभिलेखों रोकड़ बही, पार्टी लेजर, बैंक से संबंधित दस्तावेजों, फर्नीचर–फिक्चर पंजियों, चेक बुक, मासिक इम्प्रेस्ट पंजी, मनीरसीद लेखा एवं कार्यालय से संबंधित नस्तियों का संधारण ।

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण

नई दिल्ली शाखा

CSIDC , NEW DELHI BRANCH,

6.18

विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गो का विवरण।

कार्यालय से संबंधित नस्तियां

मैन्युअल–7
Manual -7

नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

7.1

टेण्डर एडवाइजरी कमेटी संभाग–1/2/3/4
Division-1/ 2/3/ 4

संभाग–1–कार्य क्षेत्र– बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेंड्रारोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।
संभाग–2–कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमासिवनी, एवं मेटल पार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद ।
संभाग–3–कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।
संभाग–4–कार्य क्षेत्र– इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र ।

इस कमेटी के अध्यक्ष प्रबंध संचालक महोदय हैं तथा मुख्य महाप्रबंधक सदस्य सचिव हैं। इस कमेटी में शासकीय विभागों के 14 विभाग प्रमुखों के सदस्य हाते हैं । साथ ही प्रेसिडेंट, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स, चेयरमेन, पी.एच.डी., चेम्बर आफ कामर्स एवं चेयरमेन, उद्योग महासंघ के प्रतिनिधि भी सदस्य नामित होते हैं । इस कमेटी में जनता की भागीदारी अनिवार्य नहीं है ।

निगम के लिए नीतियों का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है, तथा इनके क्रियान्वयन में औद्योगिक संगठनों की समय–समय पर सलाह लेने की परीपाटी का पालन किया जाता है । यद्यपि इसकी कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है ।

टीप– मुख्यालय स्तर पर, वर्तमान व्यवस्था की जानकारी दिया जाना प्रस्तावित है।

Manual - 7

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संबंध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

मुख्यालय स्तर पर जानकारी प्रदान की जानी है ।

मैन्युअल–7
Manual -7

संपदा प्रकोष्ठ
Estate Managment Cell

7.2

नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

सिटीजन चार्टर का पालन किया जा रहा है ।

मैन्युअल–7
Manual – 7
CSR & Rehabilitation Section

7.3

नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

बिन्दु क्रमांक 05 अनुसार ।

Manual -7

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

7.4 नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत् प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति उन आवेदकों के लिए की गई है जो लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करते हैं। उन पर सुनवाई हेतु मुख्यालय के सूचना पटल पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम/पदनाम आदि जानकारी प्रस्तुत की है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अलग कक्ष में प्रथम अपील अपीलार्थी के स्वयं उपस्थित होने की सूचना देकर निश्चित तिथि/समय पर सुनवाई की जाती है।

संबंधित कक्ष/शाखा प्रभारी, लोक सूचना अधिकारी की उपस्थिति में बोलता हुआ आदेश पारित किया जाता है।

मैन्युअल–7
Manual -7

शाखा कार्यालय, तिफरा बिलासपुर
Branch Office Tiphra, Bilaspur

7.3

नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश का पालन ।

मैन्युअल–7

Manual -7

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

7.4

नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

नीतियों के परिवर्तन के संबंध में वॉयर ड्राईंग एसोसिएशन, भिलाई तथा रायपुर से परामर्श किया जाता है । क्रियान्वयन के संबंध में कठिनाईयां होने पर बैठकों का आयोजन आवश्यकता अनुरूप किया जाता है ।

मैन्युअल–7

Manual - 7

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर

High Tech Bus Stand, Bilaspur

7.5

नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संम्बन्ध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

मुख्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करना ।

मैन्युअल –8
Manual - 8

मुख्य अभियंता

अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग–1/3/4

Division-1/3 /4

कार्य क्षेत्र– बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवरगंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेंड्रारोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।

कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।

कार्य क्षेत्र – इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र ।

8.1 निविदा हेतु समिति :–

अ. निविदा खोलने की समितिः–

1) संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.
जीवन बीमा परिसर,रायपुर

2.परिचय–निर्माण/संधारण कार्यो हेतु प्राप्त मुहरबंद निविदा को खोलने हेतु समिति गठित है जिसके सदस्य हैं ।

1. ..... सीएसआईडीसी, रायपुर
2. श्री जी.व्ही.एस.पी. रॉव, उप प्रबंधक वित्त)
3. संबंधित कार्यपालन अभियंता
4. श्री ए.के.दुबे, प्र.कार्यपालन अभियंता (तक–3)

3.	समिति की भूमिका	मुहरबंद निविदाओं को खोलकर पंजी में दर्ज करना तथा निविदा समिति को प्रस्तुत करना
4.	मुख्य अधिकारी का नाम	कार्यपालन अभियंता
5.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य	कार्यालय, प्रबंध संचालक, शाखाओं के पते छ.ग.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर–1, तेलीबांधा रायपुर
6)	बैठक की आवृत्ति	यथा आवश्यकतानुसार जब–जब निविदा आमंत्रित होती है।

7) क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

आम जनता भाग नहीं ले सकती है परन्तु पंजीकृत निविदाकार या उनके प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले सकते है।

8) क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किया जाता है? हॉ

9) क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? हॉ

यदि हॉ तो प्रक्रिया का विवरण दें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

या अनुसार

ब. <u>निविदा समिति</u>

1.संबद्ध संस्था का नाम एवं पता छ.ग.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर–1, तेलीबांधा रायपुर

2. परिचय–निर्माण/संधारण कार्यो हेतु प्राप्त मुहरबंद निविदा के दरों का आंकलन करने हेतु निविदा समिति गठित है जिसके सदस्य हैं :–

1. श्री मुख्य अभियंता, सीएसआईडीसी, रायपुर
2. श्री जी.व्ही.एस.पी. रॉव, उप प्रबंधक वित्त)
3. संबंधित कार्यपालन अभियंता
4. श्री ए.के.दुबे, प्र.कार्यपालन अभियंता (तक–3)

3) समिति की भूमिका निविदाकारों द्वारा निविदा में दिए गए दरों का विश्लेषण कर, प्रबंध संचालक को अनुशंसा करना

4) मुख्य अधिकारी का नाम कार्यपालन अभियंता

5) मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते कार्यालय, कार्यपालन अभियंता रायपुर, भिलाई, दुर्ग

6) बैठक की आवृत्ति यथा आवश्यकतानुसार

7) क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है आम जनता भाग नहीं ले सकती है

8) क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किया जाता है? हॉ

9) क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? हॉ

यदि हॉ तो प्रक्रिया का विवरण दें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

8.2 अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता संभाग– 2
Executive Engineer Division -2

कार्य क्षेत्र– औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमासिवनी, एवं मेटल पार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद ।

8.2 निविदा हेतु समिति :–

(अ) *निविदा खोलने की समिति :–*

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, कार्पोरेशन, लिमि., प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर
2.	परिचय –निर्माण/संधारण कार्यों हेतु प्राप्त मुहरबंद निविदा को खोलने हेतु समिति गठित है, जिसके सदस्य है :– 1. श्री आलोक त्रिवेदी, मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन), सीएसआईडीसी रायपुर 2. श्री एम.के. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, , सीएसआईडीसी रायपुर 3. श्री जी.व्ही.एस.पी. राव, उप प्रबंधक (लेखा एवं वेतन), , सीएसआईडीसी रायपुर 4. श्री एस. चन्द्राकर, PWD अभियंता, , सीएसआईडीसी रायपुर 5. श्री	
3.	समिति की भूमिका	मुहरबंद निविदाओं को खोलकर पंजी में दर्ज करना तथा निविदा समिति को प्रस्तुत करना।
4.	मुख्य अधिकारी का नाम	कार्यपालन अभियंता
5.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर
6.	बैठक की आवृत्ति	यथा आवश्यकता जब–जब निविदा आमंत्रित की जाती है ।
7.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	आम जनता भाग नहीं ले सकती है, परन्तु निविदाकार या उनके प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले सकते है।
8.	क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किया जाता है।	हाँ
9.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है।	हाँ
	यदि हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दें	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

(ब) *निविदा समिति*

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, कार्पोरेशन, लिमि., प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर

2. परिचय –निर्माण/संधारण कार्यों हेतु प्राप्त मुहरबंद निविदा के दरों का आंकलन करने हेतु निविदा समिति गठित है, जिसके सदस्य है :–

   1. श्री आलोक त्रिवेदी, मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन)
   2. श्री जी.व्ही.एस.पी. राव, उप प्रबंधक (वित्त प्रकोष्ठ)
   3. श्री एम. के. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता (तक.–04)
   4. श्री एस. चन्द्राकर, PWD अभियंता
   5. श्री .....

3.	समिति की भूमिका	निविदाकारों द्वारा निविदा में दिये गये दरों का विश्लेषण करना एवं निर्णय लेना।
4.	मुख्य अधिकारी का नाम	कार्यपालन अभियंता
5.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर
6.	बैठक की आवृत्ति	यथा आवश्यकता
7.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	आम जनता भाग नहीं ले सकती है।
8.	क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किया जाता है।	हाँ
9.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है।	हाँ
	यदि हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दें	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

Manual - 8

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

8.3 संचालक मण्डल

निगम के कार्यो के संपादन एवं नीति निर्धारण हेतु पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद सीमा अर्न्तनियम के प्रावधानों के अनुसार शासन द्वारा निगम के संचालक मंडल का गठन किया गया है। दिनांक 05.01.2022 की स्थिति में निगम के संचालक मण्डल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

सी.एस.आई.डी.सी. के संचालकों की सूची

1.	**मननीय श्री कवासी लखमा,** मननीय मंत्री, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सह माननीय अध्यक्ष, सीएसआईडीसी रायपुर (छ.ग.)
2.	**श्री जय प्रकाश मौर्य,** संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश सह संचालक, सीएसआईडीसी, अटल नगर, जिला– रायपुर (छ0ग0)
3.	**डॉ. मनोज कुमार पिंगुआ,** प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सह संचालक, सीएसआईडीसी, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर (छ0ग0)

4.	**श्री अनिल टुटेजा,** संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ0ग0)
5.	**श्री सतीश पाण्डेय,** अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, सह संचालक, सीएसआईडीसी, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर (छ0ग0)
6.	**श्री एस0व्ही0 राधाकृष्णा राव,** उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ0ग0)
7.	**श्री अरूण प्रसाद पी.,** प्रबंध संचालक

संचालक मण्डल की बैठक सामन्यतः प्रत्येक 3 माह के अंतराल में आयोजित की जाती है । इस बैठक के कार्यवृत्त तैयार किया जाते है, जिनके अनुसार निगम की नीतियों का निर्धारण/कार्यो का संपादन किया जाता है ।

सत्यमेव जयते

FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION CONSEQUENT ON CHANGE OF NAME

Company Regn. No. 10-1853

In the Office of the Registrar of Companies, Madhya Pradesh & Chhattisgarh, in the matter of **M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Raipur) Limited.**

I here by approve and signify in writing under Section 21 of the Companies, Act 1956 (Act, I of 1956) read with the Government of India, Department of Company affairs, Notification No. G.S.R. 507 E. dated the 24th June, 1985 the change of name of the company from **M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Raipur) Limited to Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited** and,

I hereby certify that **M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Raipur) Limited** which was originally incorporated on 16.11.1981 under the Companies Act, 1956 and under the name **M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Raipur) Limited,** having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21/22 (1)(b) of the Companies Act, 1956 the name of the said company in this day changed to **CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** and this certificate is issued pursant to Section 23(1) of the said Act.

Given under my hand at GWALIOR this **Seventeenth** day of **April, Two Thousand One.**

(Seal)
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

Sd/-
(B.K. BANSAL)
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

4. To obtain any Act of Parliament or to apply to the executive authority for any order for enabling the Company to carry any of its objects into effect or for effecting any modification of the Company's constitution or for any other purpose which may seem expedient and to oppose any proceedings or application which may seem calculated directly or indirectly to prejudice the company's interests.

5. Subject to the provisions of section 58 A of the Companies Act, 1956 and the rules made there under to borrow money, to make the issue promissory notes, bills of exchange, bonds, debentures and evidences of indebtedness of all kinds, whether secured by mortgage, pledge or otherwise, without limit as to amount, and to secured the same by mortgage, pledge or otherwise.

6. To borrow or raise or secure the payment money in such manner as the directors of the Company may think fit (including but so as not to restrict the generality of the foregoing) by mortgage, charge, hypothecation or pledge of or upon all or any of the Company's property, both present and future and also by the issue of bonds, debentures or other securities or obligations and to secure the same by mortgage or charge by way of a trust deed or otherwise, upon all or any of the Company's property, both present and future, including its uncalled capital and to purchase, redeem or pay off any such bonds, debentures or securities or obligations and generally to mortgage, charge, hypothecate or pledge all or any of the Company's property, both present and future.

7. To carry on any other business which may be capable of being conveniently carried on in connection with the Company's business or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the Company's property or rights.

8. To construct, maintain and alter any buildings or works necessary or convenient for the purposes of the Company.

9. To distribute any of the property or assets of the Company in specie among the members.

10. To distribute among the share-holders of the Company in money kind specie or otherwise as may be resolved, by way of dividend, bonus or in any other manner deemed advisable any property of the Company, but no such distribution shall decrease the capital of the Company unless made in accordance with this Act.

11. Upon any issue of shares, bonds, debentures or other securities or obligations of the Company, to employ brokers, commission agents and underwriters and to provide for the remuneration of such persons for their services by payment in cash or with the approval of the share-holders, by the issue of shares, bonds debentures or other securities or obligations of the Company or by the granting of options in respect thereof.

12. To insure any officers, servants or agents of the company in respect of accident and of fidelity and for any other purpose incident to their employment and to pay any premiums on such insurance.

13. To invest and deal with the moneys of the Company not immediately required for the objects of the Company in such manner as may from time to time be determined.

14. To lend money to such persons, firms or corporations and on such terms as may seem expedient and in particular to customers and others having dealings with the Company and to guarantee the performance of contracts by any such persons, firms or corporations.

15. To draw, make, accept, endorse, execute and issue promissory notes, bills of exchange, bills of lading, warrants and other negotiable or transferable instruments.

16. To pay out of the funds of the Company all expenses of or incidental to the incorporation and organisation of the Company and to remunerate any person, firm or corporation for services rendered or to be rendered in placing or assisting to place or guaranteeing the placing of any shares in the Company's capital or any bonds, debentures or other securities or obligations of the Company or otherwise of or incidental to the formation or promotion of the Company or the conduct of its business.

17. To purchase or otherwise acquire, hold (sell or otherwise dispose of) shares, bonds, debentures or other securities or obligations of any other corporation or Company.

18. To purchase and acquire the whole or any part of the shares of any Company carrying on a business similar to that which the Company is authorised to carry on and to pay thereof, in fully paid-up or partly paid-up shares of the company or in the bonds, debentures or other securities or obligations of the Company or otherwise, and to assume and undertake the liabilities of any such Company and to exercise the rights, powers and franchises of any Company whose capital stock is owned by the Company either in the name of such Company or in the name of the Company.

19. To remunerate any person, firm or corporation for services rendered or to be rendered in placing or selling or assisting to place or sell or guaranteeing the place or selling of any of the shares in the Company's capital or any bonds debentures or other securities or obligations of the Company, or in or about the formation or promotion of the Company or the conduct of its business.

20. To communicate with the Government, Chambers of Commerce, and other mercantile and public bodies in India and elsewhere and concert and promote measures for the protection and advancement of trade, industry and commerce and other facilities by making and submitting petitions, memorandam, applications, representations, correspondence and otherwise.

21. To lease, sell or otherwise dispose of the whole or any part of the property, real or personal, or of the business or undertaking of the Company to any person, firm or corporation and to accept by way of consideration for any such sale, transfer or disposal any shares, debentures, bonds or other securities or obligations of any other company carrying on a business in whole or in part similar to that of the Company.

22. To sell, improve, mange, develop, exchange, lease mortage, dispose of, turn to account or otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company.

23. To adopt such means of making known the business of the company or of any company in which this company is interested as may seem expedient and in particular by advertising in the press by circulars, by purchase and exhibition of works or art or interest, by publication of books and periodicals and by granting prizes, rewards and donations.

24. To do all or any of the above things and all such other things as are incidental or as may be thought conducive to the attainment of the above objects or any of them in any other part of the world either as principals, agents, trustees, contractors or otherwise and either alone or in conjunction with others and either by or through agents, contractors, trustees or otherwise and to do all such things as are incidental or conducive to the attainment of the above objects.

And it is hereby declared that :-

i. the word 'company' save when used in reference to this clause shall be deemed to include any partnership or other body of persons whether incorporated or not incorporated whether domiciled in India or elsewhere ; and

ii. the several sub-clause of this clause and all the powers thereof are to be cumulative and in no case is the generally of any one sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of any other sub-clause nor is any general expression in any sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of expression in the same sub-clause or by the application of any of construction ejusdem generis or otherwise;

iii. the incidental of ancillary objects aforesaid shall be incidental or ancillary to the attainment of the main objects as well as of the other objects of the Company aforesaid.

IV. The liability of the members is limited.

V. The share capital of the company is Rs. 10,00,00,000/- (Rupees Ten crore only) divided into 10,00,000/- (Ten lakh) equity shares of Rs. 100/- (Rupees one hundred) each.

VI. We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a Company, in pursuance of this Memorandum of Association and we agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names :

WE, the several persons who's names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of this **Memorandum of Association** and we, agree to take the number of equity shares in the capital of the Company set opposite our respective names :-

Sr. No.	Name, Address, description & occupation of the subscriber	No. of Equity shares taken (in words and figures)	Signature of subscriber	Signature of witness and his name, address, description & occupation.
1	2	3	4	5
1.	Shri P.G. Mankad, IAS Managing Director, Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited., "Panchanan" Malviya Nagar, Bhopal **(Government Service)**	One	Sd/-	Sd/- (A.K. Shrivastava) Junior Assistant MPAKVN LTD. Bhopal
2.	Shri A.V. Singh, IAS Director of Industries Government of Industries Government of Madhya Pradesh, Old Secretariat Bhopal **(Government Service)**	Five	Sd/-	-do-
3.	Shri Arun Bhatnagar, IAS Special Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Villabh Bhawan, Bhopal **(Government Service)**	Five	Sd/-	-do-
	Date : 10.11.1981		Total Eleven Equity Shares.	

THE COMPANIES ACT, 1956
(A Company Limited by Shares)

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Preliminary

1. Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these articles shall bear the same meaning as in the Act, or any statutory modification thereof in force at the date on which these Articles become binding on the Company.

   The marginal notes hereto are inserted for convenience and shall not effect the construction hereof in these Articles, unless there be something in the subject or context in consistent herewith.

a. "The Act" means the Companies Act, 1956 and includes where the context so admits any reenactment of a statutory modification thereof at the time being in force.

b. "These Articles" mean the articles of Association as originally framed and as altered from time to time.

c. "The Company" means **CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED.**

d. "Seal" means the Common seal of the Company.

e. "Governor" means Governor of Chhattisgarh.

f. "CSIDC" means Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited (A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

2. Save as reproduced herein, the regulations contained in Table "A" in the Schedule I to the Act, shall apply to this Company.

Private Company

3. This company is a private Company as defined under sections 2(35) and (3)(I)(iii) of the companies Act, 1956 and accordingly.

a. No invitation shall be issued to the public to subscribe for any shares in or debentures of the Company.

9. a. The number of Directors shall not be less thn two and not more than twelve but the number can be increased or decreased by the Government of Chhattisgarh subject to the provisions of the Act. The Directors shall be appointed by the Government of Chhattisgarh. The Chairman, Voce-Chairman may be appointed by the Government of Chhattisgarh provided that till such time the directors may choose any of them to be the Chairman.

   b. The Directors shall not be requied to retire by rotation. The Government of Chhattisgarh shall have the power to remove any Director at any time in its absolute discretion. With regard to the Directors nominated by the Government of Chhattisgarh the latter may at any time remove or dismiss any such Director from office and appoint another in his place.

Alternate Directors

10. The Board of Directors shall have power to appoint an alternate Director to Act, for the originl Director nominated by the Government of Chhattisgarh during the absence of the latter from India for a period not less than 3 months.

11. The Directors appointed shall be paid such salary and allowances as may be determined by the Government of Chhattisgarh.

12. The Directors shall not be required to hold any qualification shares.

Appointment of Nominee Directors

13. Notwithstanding anything to the contrary contained in these articles, so long as such Institution holds share in the Company as a result of underwriting or direct subscription or so long as any liability of the Company arising out of any guarantee furnished by the Financial Institution on behalf of the Company remains outstanding, the Financial Institution shall have a right to appoint, from time to time, any person or persons, as a Director or Directors, whole time or non-whole-time, on the Board of the Company, and to remove from such office any person or persons so appointed and to appoint any persons in his or their places. Such Nominee Director shall not be required to hold any qualification share and the Company shall have no power to remove such Nominee Director from office. Such Nominee Director shall not be liable to retire by rotation. Subject as aforesaid, the Nominee Directors of the Company shall be entitled to the same rights and privileges and be subject to the same obligations as any other Director of the Company.

Appointment of Managing Director / Board of Management

14. a. The Government of Chhattisgarh shall appoint one of the Directors to be the Managing Director of the Company or shall appoint a Board of Management consisting of two or more Directors for conduct or management of the Company subject to the control, direction and supervision of the Board of Directors. The

managing Director / Board of Management so appointed may be authorised by the Board of Directors to exercise such powers and discretion in relation to the affairs of the Company as are specially delegated to him/them by the Board of Directors of the Company or at the general meeting under the Act.

b. The Managing Director shall be a whole time employee of the Company and shall be paid such salary and allowances as may be approved by the Government of Chhattisgarh.

Appointment of Additional Managing Director

15. The Board of Directors may appoint any government official functioning in the company as additional Managing Director for day to day conduct of the affairs of the company. The Additional managing Director so appointed may be authorised by the Board of Directors to exercise such powers and discretion in relation to the affairs of the Company as are specially delegated to him by the Board of Directors of the Company or at the general meeting under the Act.

Circular Resolution

16. Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing circulated to all the members of a Committee of Directors and signed by a majority of such of them as are entitled to vote on the resolution, shall be as valid as if it has been passed at a meeting of the Directors or the Committee of Directors duly called and constituted, provided that such resolution shall be signed by at least one officer of Government of Chhattisgarh who may for the time being the Director of the Company.

Appointment of Chairman and Remuneration

17. The Government of Chhattisgarh may appoint the Chairman and Vice Chairman of the Company. Such Chairman and Vice-Chairman shall be paid such remuneration / honoraria as may be approved by the Government of Chhattisgarh. If at any meeting the Chairman and Vice-Chairman both are not present within fifteen minutes after the time for holding the same the Directors present may choose one of them to be the Chairman of the meeting.

Committee of Directors

18. The Directors may delegate any of their powers to a Committee consisting of such member or members of their body as they think fit, and may from time to time revoke such delegation. Any Committee so formed shall in the exercise of the powers to delegated, conform to any regulations that may be imposed upon them by the Directors (The proceedings of such a Committee shall be placed before the Board of Directors at its next meeting).

Restriction on powers of the Board of Directors

19. Subject to the provisions of the Act, the Chairman of the Board of Directors shall reserve for the approval at the Government of Chhattisgarh any proposal or decision of the Board of Directors in respect of any of the following matter namely :

    a. Any programme of capital expenditure exceeding Rs. 3 Crores.

    b. Creation of, and appointment to all posts carrying basic pay beyond Rs. 20,000/- per month.

    c. Rules of the Company governing the general conditions of services of the employees drawing basic pay exceeding Rs. 15000/- per month.

    d. Sale, lease or otherwise dispose off the whole or substantially the whole of the undertaking of the company.

    e. Formation of a subsidiary company / companies.

    f. Winding up of the company.

    g. Any other matter which in the opinion of the Chairman be of such importance as to be reserved for the approval of the Government of Chhattisgarh. No action shall be taken by the company in respect of any proposal or decision of the Director reserved for the approval of Government of Chhattisgarh as aforesaid until his approval to the same has been obtained.

20. The Directors / Managing Director or any officers authorised by Managing Director may invest in any nationalised / schedule Bank or in such securities and deal with any of the money of the Company. Upon such investment being authorised by the Memorandum of Association of the company (not being shares in this company) and in such manner as they may deem fit and from time to time very or realse such investment.

Common Seal

21. The seal of the company shall not be affixed at any instrument except by authority of a resolution of the Board of Directors and in the presence of one Director.

General

Powers of the Government of Chhattisgarh to issue directives to the Board.

22. Notwithstanding anything contained in any of these articles, the Government of Chhattisgarh may from time to time, issue such directions or instructions as it may consider necessary in regard to the affairs or the conduct of the business of the company or Directors thereof and in like manner may very and annal any such direction or instruction. The Directors shall duly comply with and give immediate effect to directions or instructions so issued.

WE, the several persons who's names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of this **Articles of Association** and we, agree to take the number of equity shares in the capital of the Company set opposite our respective names :-

Sr. No.	Name, Address, description & occupation of the subscriber	No. of Equity shares taken (in words and figures)	Signature of subscriber	Signature of witness and his name, address, description & occupation.
1	2	3	4	5
1.	Shri P.G. Mankad, IAS Managing Director, Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited., "Panchanan" Malviya Nagar, Bhopal **(Government Service)**	One	Sd/-	Sd/- (A.K. Shrivastava) Junior Assistant MPAKVN LTD. Bhopal
2.	Shri A.V. Singh, IAS Director of Industries Government of Industries Government of Madhya Pradesh, Old Secretariat Bhopal **(Government Service)**	Five	Sd/-	-do-
3.	Shri Arun Bhatnagar, IAS Special Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Villabh Bhawan, Bhopal **(Government Service)**	Five	Sd/-	-do-

Date : 10.11.1981 Total Eleven Equity Shares.

संपदा प्रकोष्ठ

Estate Managment Cell

अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

8.4

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनता द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी दी जाती है ।

मैन्युअल–8

Manual – 8

CSR & Rehabilitation Section

8.5

अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

बिन्दु क्रमांक 05 अनुसार ।

Manual -8

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

8.4 अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

निरंक

मैन्युअल–8

Manual -8

शाखा कार्यालय, तिफरा बिलासपुर

Branch Office Tiphra, Bilaspur

8.5 अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्देशित ।

मैन्युअल –8

Manual - 8

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

8.6

अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार इस संबंध में क्रियान्वयन संभव है ।

मैन्युअल–8
Manual - 8

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर
High Tech Bus Stand, Bilaspur

8.7

अपने कागजात से संम्बन्धित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार, बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभी के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी।

मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार इस संबंध में क्रियान्वयन संभव है ।

मैन्युअल –9
Manual - 9

अधिकारियों और कर्मचारियों तथा विभाग के अन्य व्यक्तियों की निर्देशिका (डायरेक्टरी)

9.1 सीएसआईडीसी में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का दूरभाष क्रमांक

Chairman Section

Shri N. Baijendra kumar
ACS, Hon'ble Chief Minister
Govt. of Chhattisgarh, M-05/15-16, Mahanadi Bhawan, Mantralaya,
Naya Raipur (C.G.)
Ph. no.- 0771-2510308

प्रबंध संचालक कक्ष
Managing Director Section

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				माबाईल	कार्यालय
1.	श्री सुनील मिश्रा (IFS)	प्रबंध संचालक	04.05.2013	9425251004	0771–6002071,72,73
2.	श्री मोहम्मद हसन खान	स्टेनो टायपिस्ट	03.09.2005	9301326877	0771–6002071,72,73
3.	श्री महादेव बाग	भृत्य	18.05.2004		
4.	श्री लक्ष्मीकांत वर्मा	वाहन चालक	14.08.2008		

कार्यपालक संचालक कक्ष
Executive Director Section

9.2

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री सालोमन मैथ्यू सिलाह	कार्यपालक संचालक	12.02.2014	9826700728	0771–6002071,72,73
2.	श्री सैय्यद शाकिर अली	स्टोनो टायपिस्ट	16.03.2009	9179865375	0771–6002071,72,73

9.3 भू–अर्जन कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची
(Land Acquisition)

कक्ष प्रभारी–श्री आर. के. पाल, महाप्रबंधक (उद्योग विभाग से संलग्न), दिनांक अप्रैल 2017 से

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री आर. के. पाल	महाप्रबंधक	अप्रैल 2017	9893222434	0771–6002071,72,73
2.	श्री अरविंद शर्मा	तहसीलदार	22.09.2017	9425259595	0771–6002071,72,73
3.	श्री एफ. के. गुप्ता	सहायक प्रबंधक	18.02.2014	9893200497	0771–6002071,72,73
4.	श्री सुरेष कुमार यादव	अनुरेखक	11.09.2006	9926121527	0771–6002071,72,73
5.	श्री द्वारिका प्रसाद साहू	रोल रोलर चालक (वाहन चालक)	23.10.2009	–	

9.4 भू–आबंटन कक्ष, मुख्यालय, रायपुर के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Land Allotment

कक्ष प्रभारी – श्री आलोक त्रिवेदी, मुख्य महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति उद्योग विभाग) दिनांक 03.10.2013

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री आलोक त्रिवेदी	मुख्य महाप्रबंधक	03.10.2013	9425235401	0771–6002071,72,73
2.	श्री शिव शंकर गुप्ता,	वरिष्ठ कार्यपालक	02.05.2016	9109164278	0771–6002071,72,73
3.	श्री एस. डब्ल्यू. ओंकार	मानचित्रकार	27.05.1991	9753118924	0771–6002071,72,73
4.	श्री एच.पी. मिश्रा,	वरिष्ठ सहायक	14.07.2016	9755061670	0771–6002071,72,73
5.	श्री जे. पी. मिश्रा	वरिश्ठ सहायक	09.02.2009	9893278668	0771–6002071,72,73
6.	श्री पी.सी. कुलश्रेष्ठ	वरिष्ठ सहायक	02.05.2016	9755103887	0771–6002071,72,73
7.	श्री सुनील पात्रे,	वरिष्ठ सचिवालयीन सहायक		9179865375	0771–6002071,72,73
8.	श्री तेजराम देवांगन	कनिश्ठ सहायक	15.01.2014	–	0771–6002071,72,73
9.	श्री रणजीत सिंह राजपूत	सहा. मीटर रीडर (भृत्य के कार्य हेतु)	13.01.2010	–	
10.	श्री कौषल सिंह ठाकुर	भृत्य	14.06.2014		
11.	श्री तोरण लाल साहू	हेल्पर	.....12.2014		

9.5 विपणन–1 कक्ष के अंतर्गत मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Marketing Cell

कक्ष प्रभारी – श्री सुबास चन्द्र भगत, विपणन कक्ष
दिनांक 11.06.2015 से

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1	श्री सुबास चन्द्र भगत	प्रबंधक	11.06.2015	9425215416	0771–6002071,72,73
2	श्री एस. एन. चोपड़ा	उप प्रबंधक	.....	9109164214	0771–6002071,72,73
3	श्री पी.एस. धकाते (पी.एस.–IX)	फील्ड आफिसर	01.12.2004	9329486043	0771–6002071,72,73
4	श्री अमित सिंह ध्रुव	लेखापाल	25.07.2005		0771–6002071,72,73
5	श्री दर्शन उराव	वरिष्ठ कार्या. सहा.		9109164268	0771–6002071,72,73
6	श्री विजयराम पनिका	चौकीदार	31.01.2009	–	0771–6002071,72,73

9.6 विपणन–2 कक्ष के अंतर्गत कच्चा माल भण्डार, भिलाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Marketing Cell (R.M.D.) Bhilai

कक्ष प्रभारी – श्री अभ्यंकर खरे, महाप्रबंधक, कच्चा माल भण्डार भिलाई अतिरिक्त प्रभार

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1	श्री अभ्यंकर खरे	महाप्रबंधक	.....	9584228866	0788–2296248
2	श्री एस.टी. मंथनवार	सहायक प्रबंधक	06.08.2008	9425246442	0788–2296248
3	श्रीमती वीणा सिन्हा	निम्न श्रेणी लिपिक	15.10.2003	–	0788–2296248
4	श्री चिकनूराम सोनवानी	भृत्य	01.02.2002		
5	श्री तापस कुमार दत्ता	भृत्य	13.08.2008		
6	श्री सुखसागर दास मानिकपुरी	भृत्य	02.07.2008		

9.6 डिवीजन –1, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Division – 1

कक्ष प्रभारी – श्री ए. के. दुबे, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, दिनांक 07.12.2013 से

बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवर गंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेड्रा रोड, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री ए. के. दुबे	कार्यपालन अभियंता	07.12.2013	9893061249	
2.	श्री जी.के. स्वर्णकार	सहायक अभियंता	21.12.2013	9893125663	
3.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	कनिश्ठ अभियंता	16.12.2013	9827957045	
4.	श्री आर.एस. मिश्रा	कनिश्ठ सहायक	19.02.2008	9300667238	
5.	श्री लीला राम वर्मा	लिपिक	.....12.2014		
6.	श्री प्रेमलाल यादव	समयपाल	20.06.2007	9300209668	
7.	श्री कौषल साहू	भृत्य	11.02.2011		

बिलासपुर में पदस्थ

8.	श्री एन.के. कौषिक	वरिश्ठ सहायक	22.01.2007		
9.	श्री प्रषांत भोसेकर	उच्च श्रेणी लिपिक	03.01.2011	9977146842	
10.	श्री विश्णु प्रसाद षर्मा	समयपाल	01.10.1988		
11.	श्री अषोक कुमार बारी	समयपाल	10.08.1990		
12.	श्री सुनील सिरसवार	समयपाल	12.07.1996		
13.	श्री मनहरण लाल यादव	फील्ड अटेंडेंट–II	13.10.2008		
14.	श्री मेलाराम सोनवानी	पंप अटेंडेंट–II	04.07.1997		
15.	श्री कीर्तन सिंह	पंप अटेंडेंट–II	28.03.2007		
16.	श्री रमेष षुक्ला	मीटर रीडर	14.08.2008		
17.	श्री सुरेन्द्र कुमार बानी	हेल्पर (जल प्रदाय, सिरगिट्टी)	03.07.2009		
18.	श्री दल्लू राम केंवट	हेल्पर	08.01.1990		
19.	श्री हेमन्त कुमार गांगुली	हेल्पर	13.08.1994		
20.	श्री षिव कुमार त्रिपाठी	हेल्पर	28.06.2007		
21.	श्री जगदीष प्रसाद यादव	हेल्पर	23.05.2003		
22.	श्री रामसिंह साहू	भृत्य	20.07.2009		
23.	श्री गंगा प्रसाद धुरी	चौकीदार	08.01.1990		
24.	श्री सुन्दर लाल धुरी	चौकीदार	09.07.1994		
25.	श्री राधेष्याम गड़रिया	चौकीदार	14.08.2008		
26.	श्री बिरजू कुमार गौंड	भृत्य	29.11.2006		
27.	श्री सीताराम सूर्यवंषी	चौकीदार	10.08.1990		

9.8 विद्युत कक्ष में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी

प्रभारी अधिकारी – श्री राकेष जैन, प्रभारी सहायक अभियंता, दिनांक 03.08.2010 से

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री राकेष जैन, विद्युत कक्ष	प्रभारी कनिश्ठ अभियंता (विद्युत)	03.08.2010	9893210151	
2.	श्री प्रदीप कुमार कौषिक (संविदा) विद्युत कक्ष	कनिश्ठ अभियंता (विद्युत)	30.08.2010	–	
3.	श्री सत्यप्रदीप चटर्जी, विद्युत	लाईनमेन	30.08.2010	–	
4.	श्री मोहन लाल धिवरिया, विद्युत	लाईनमेन	30.08.2010	–	
5.	श्री नारायण खरात, विद्युत	वाहन चालक	30.08.2010	–	
6.	श्री बंषीराम साहू, विद्युत	प्लंबर ग्रेड–2	08.07.1996	–	
7.	श्री नेतूराम निशाद, विद्युत	हेल्पर	30.08.2010	–	
8.	श्री बालाराम वर्मा, विद्युत	हेल्पर	30.08.2010	–	

9.10 डिवीजन–2 के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकार – श्री एम. के. अग्रवाल, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, दिनांक 07.12.2013 से औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाटा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोंगरी, आमाषिवनी एवं मेटलपार्क, रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1	श्री एम. के. अग्रवाल	कार्यपालन अभियंता	07.12.2013	9826433998	
2	श्री एच.आर. वर्मा	सहायक अभियंता	29.08.2009	9893099303	
3	श्री देवेन्द्र सिंह	सहा. अभियंता		9300650260	
4	श्री दिक्षांषु मेश्राम,	कनिष्ठ अभियंता	06.10.2016	7000282948	
5	श्री आषीष कुजूर	कनिष्ठ अभियंता	14.10.2016	9098873797	
6	श्री विजय तिवारी	कनिष्ठ अभियंता (संविदा)	17.04.2017	9827165306	
7	श्री व्ही. हरिहर राव,	वरिष्ठ सहा0		9109164260	
8	श्री आर.एस. तिवारी	कनिष्ठ सहा0	17.01.2014	94255140853	
9	श्री गोवर्धन प्रसाद वर्मा,	समयपाल		9109164323	
10	श्री मनोहर यादव,	समयपाल	08.07.2008	9109164318	
11	श्री कोमल सिंह निषाद	समयपाल	08.07.2008	9109164319	
12	श्री प्रेमलाल यादव,	समयपाल		9109164322	
13	श्री सीताराम बांधे	समयपाल		9109164320	
14	श्री छगनलाल वर्मा	समयपाल	13.08.2008	9109164405	
15	श्री अरूण टंडन	सहा. मीटर रीडर	19.08.2010	9109164397	
16	श्री रामकुमार साहू	हेल्पर	08.07.2008	9109164358	
17	श्री रामायण निषाद	हेल्पर	08.07.2008	9109164364	
18	श्री जेठूराम साहू	हेल्पर	08.07.2008	9109164365	
19	श्री देवेषकुमार मिश्रा	हेल्पर	08.07.2008	9109164357	
20.	श्री माखन लाल निषाद	हेल्पर	08.07.2008	9109164366	
21.	श्री टीकाराम निषाद	हेल्पर	08.07.2008	9109164359	
22.	श्री डोमार सिंह	हेल्पर	13.08.2008	9109164361	
23.	श्री परमानंद वर्मा	हेल्पर	08.07.2008	9109164360	
24.	श्री षिवकुमार साहू	हेल्पर	13.08.2008	9109164354	
25.	श्री बद्री प्रसाद यादव	प्लंबर	13.03.2013	9109164398	
26.	श्री गिरधारी लाल साहू,	श्रमिक	08.07.2008	9109164413	
27.	श्री भगवती साहू	श्रमिक	25.08.1991	9109164414	
28	श्री जयलाल साहू	माली	13.051986	9109164412	

9.11 कार्यालय (औद्योगिक क्षेत्र) उरला/भनपुरी, सिलतरा के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Industrial Area

प्रभारी अधिकारी – श्री विवेदक काइंदे, सहा0 प्रबंधक, दिनांक जुलाई 2017

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1	श्री विवके कांइदे	सहा0प्रबंधक	05.05.2012	9406018875	0771–2563534
2.	श्री बसंतराव चौधरी	कनिश्ठ सहा0	23.01.2014	–	0771–2563534
3.	श्री गोवर्धन प्रसाद वर्मा	समयपाल	14.12.2007	9826574534	0771–2563534
4.	श्री गणेष राम निशाद	चौकीदार	01.02.2007		
5.	श्री बिरेन्द्र कुमार साहू	चौकीदार	02.07.2008		
6.	श्री हेमंत मरकाम	हेल्पर	08.07.2008		
7.	श्री जगदेव राम साहू	चौकीदार	48.02.2013		

Division-3

9.12 डिवीजन–3 कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी–श्री एस. के. सोनी, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, दिनांक 07.12.2013 से औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी, छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क, नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री एस. के. सोनी	कार्यपालन अभियंता	07.12.2013	9826199509	
2.	श्री हिम्मत पाल गुप्ता	कनिश्ठ अभियंता	16.12.2013	9926131851	
3.	श्री रामदास भोयर	सचिवालयीन सहायक	14.06.2014		
4.	श्री षिवकुमार साहू	रोड रोलर चालक	08.07.2008		
5.	श्री ज्ञानचंद यादव	समयपाल	07.12.2013		

Division-4

9.13 डिवीजन–4 के अंतर्गत साईट कार्यालय बोरई के अंतर्गत् कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी–श्री एस.के. राजगिरे, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, दिनांक 07.12.2013 से
इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, जिला–दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला–कबीरधार एवं जिला राजनांदगांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री एस.के. राजगिरे	कार्यपालन अभियंता	05.08.2013	9893274026	0771–6002071,72,73
2.	श्री जी.पी. पटेल	सहा. अभियंता	21.12.2013	7566313130	0771–6002071,72,73
3.	श्री राकेष देवांगन	कनिष्ठ अभियंता	16.12.2013	9826163924	0771–6002071,72,73
4.	श्री मोहित कुमार चंद्राकर	कनिष्ठ अभियंता	20.12.2016	9109164252	
5.	श्री व्ही. वेंकटरमन	निरीक्षक	08.09.2007	9303219998	–
6.	श्री आर.पी. गोस्वामी	वरिष्ठ सहायक	08.07.1996	9425213795	
7.	श्री शत्रुघन लाल पटेल	नि.श्रे.लि.	16.09.2009	9109164304	
8.	श्री विजय सिंह ठाकुर	पम्प अटेंडेंट–II	03.10.1998	91091164406	
9.	श्री भुवन लाल साहू	प्लंबर–II	25.06.1997	9109164399	
10.	श्री टेकराम देषमुख	पंप अटेंडेंट	13.08.2008	9109164407	
11.	श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा	पंप अटेंडेंट	13.08.2008	9109164408	
12.	श्री नरेन्द्र कुमार दुबे	हेल्पर	07.09.1998	9109164368	
13.	श्री जगमोहन सिंह राजपूत	हेल्पर	13.08.2008	9109164372	
14.	श्री शंकरदास मानिकपुरी	भृत्य	08.07.2008	9109164347	

9.14 आई.पी.पी.डी. एवं वित्त प्रकोश्ठ के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

IPPD & Finance Cell

कक्ष प्रभारी – श्री ओ. पी. बंजारे, उप प्रबंधक, वर्श –2006 से आई.पी.पी.डी. एवं दिनांक 01.06.2010

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री ओ. पी. बंजारे	उप प्रबंधक	01.06.2010	9827176954	0771–6002071,72,73
2.	श्री दिलीप इंगोले	कनिष्ठ कार्यपालक	18.02.2014	9826172340	0771–6002071,72,73
3.	श्री षफी खान	सहायक प्रबंधक कम्प्यूटर (संविदा)	01.10.1997	9827181558	0771–6002071,72,73
4.	श्री दषरथ यादव	भृत्य (आईपीपीडी कक्ष)	13.08.2008		
5.	श्रीमती दमयंती बाबरिया	भृत्य (वित्त प्रकोश्ठ)	26.02.2007		
6.	श्री घनष्याम गायकवाड	चौकीदार (आईपीपीडी)	.....12.2014		

वित्त प्रकोष्ठ कक्ष

1	श्री एन.एस. चंदेल	डपप्रबंधक		9826580558	0771–6002071,72,73
2.	श्री राजेष बिहारी लाल	सहायक प्रबंधक	07.09.2009	9826155673	0771–6002071,72,73

<u>वित्त प्रकोष्ठ कक्ष</u>

राज्य विभाजन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेष वित्त निगम के बटवारे के पश्चात निगम से लिये गये ऋण तथा उसकी वसूली का कार्य का संपादन वित्त प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के न्यायालयी प्रकरण इत्यादि का कार्य वित्त प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। बटवारे के पश्चात आज पर्यन्त वित्त प्रकोष्ठ द्वारा राषि रूपये 79,49,62,533,50 वसूली की गई है।

9.15 निर्यात प्रकोश्ठ ए. 463 .ज न षिकायत निवारण कक्ष, के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Export Promotion Cell

कक्ष प्रभारी – श्री एस. चन्द्राकर, उप प्रबंधक, दिनांक 21.04.2011 से

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री एस. चन्द्राकर	उप प्रबंधक	21.04.2011	9827196950	0771–6002071,72,73
2.	श्री के. विजय कुमार	सेल्समेन	12.01.2007	9300050029	0771–6002071,72,73

9.16 लेखा कक्ष एवं वेतन कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Accounts Cell

कक्ष प्रभारी – श्री जी.व्ही.एस.पी. राव, उप प्रबंधक, दिनांक 31.05.2010 से

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री जी.व्ही.एस.पी. राव	उप प्रबंधक	1.05.2010	9893130397	0771–6002071,72,73
2.	श्री पी.टी. थामस	सहायक प्रबंधक (लेखा कक्ष)	08.07.1996	9424216208	0771–6002071,72,73
3.	श्री रामानुज गुप्ता	लेखापाल	06.07.1996		0771–6002071,72,73
4.	श्री के. राकेष षर्मा	लेखापाल	16.02.2010	9977247980	0771–6002071,72,73
5.	श्री नीरज तिवारी	लेखा सहायक (कैशियर)	01.01.2003	9424203410	0771–6002071,72,73
6.	श्री के.प्रवीण कुट्टी	वरि.सचि.सहायक	सितम्बर 2017		
7.	श्री नौषाद अली	निम्न श्रेणी लिपि. ग्रेड–02	सितम्बर 2017		
8.	श्री षिव कुमार वर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	08.07.1996		0771–6002071,72,73
9	श्री भरत लाल साहू	चौकीदार (लेखा कक्ष)	28.11.2007		
10.	श्री पप्पू चौहान	भृत्य (लेखा कक्ष)	23.05.2011		
11.	श्री मुकेष साहू	भृत्य	01.07.2010		

Manual – 9

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

9.17 कम्पनी सचिव कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी, श्री स्वप्निल अवस्थी, कम्पनी सचिव (संविदा), दिनांक 01.05.2008 से

कंपनी सचिव कक्ष के अंतर्गत कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की सूची एवं मोबाईल नं0

1.	स्वप्निल अवस्थी	कंपनी सचिव	09090703100
2.	श्री डोमेष सिंग ठाकुर	भृत्य	09977375400

समन्वय कक्ष, सीएसआईडीसी मुख्यालय, रायपुर

प्रभारी अधिकारी–श्रीमति मंजू जैन, महाप्रबंधक दिनांक दिसम्बर 2016

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				माबोईल	कार्यालय
1.	श्रीमति मंजू जैन	महाप्रबंधक	दिसम्बर	9617769325	0771–6002071,72,73
2.	श्री तेजकुमार वरकड़े	निम्न श्रेणी लिपिक	24.01.2014	–	–

टीपः–श्री मति मंजू जैन महाप्रबंधक दिनांक 19.01.2012 से मेटल पार्क का अतिरिक्त प्रभार
श्री किशोर पिल्ले सहा0 प्रबंधक नवम्बर 2009 से मेटल पार्क अतिरिक्त प्रभार

9.18 सामान्य कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

General Section

कक्ष प्रभारी – श्री अभ्यंकर खरे, दिनांक 29.04.2017 से

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री अभ्यंकर खरे	महाप्रबंधक	29.04.2017	.....	0771–6002071,72,73
2	श्री षत्रुघ्न लाल पटेल	कनिश्ठ सहायक (फोटो कापी)	08.07.1996	–	0771–6002071,72,73
3	श्रीमती कल्याणी पिल्ले	सहायक ग्रेड–3 (आवक)	.....12.2014		0771–6002071,72,73
4	श्री वेदराम निर्मलकर	निम्न श्रेणी लिपिक (जावक)	01.04.2007	9926685188	0771–6002071,72,73
5	श्री राम नारायण साहू	सहायक ग्रेड–3 सामान्य	15.01.2014	9826702779	0771–6002071,72,73
6	श्री मनीश कुमार साहू	भृत्य (जावक कक्ष)	18.02.2014		
7	श्री टी. राजाराव	माली	01.04.2006		
8	श्री प्रभुलाल चौहान	हेल्पर	08.03.2007		
9	श्री षैलेन्द्र सिंह	लिपिक (दै.वे.भो.)	07.07.1998		0771–6002071,72,73

9.19 संपदा प्रकोश्ठ के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Estate I Cell

कक्ष प्रभारी – श्री थॉमस मैथ्यू, उप प्रबंधक, दिनांक 10.12.2010 से

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1	श्री थॉमस मैथ्यू	उप प्रबंधक	10.12.2010	9827971124	0771–6002071,72,73
2	श्री भीमाशंकर	वरिश्ठ सहायक	दिसम्बर 2015	.....	0771–6002071,72,73

9.20 कार्मिक एवं प्रषासन कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

_Personal & Administration Section

कक्ष प्रभारी–श्री संतोष भगत मुख्य महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति उद्योग विभाग), दिनांक दिसम्बर 2016 से

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री संतोष भगत	मुख्य महाप्रबंधक	दिसम्बर 2016	9109164202	0771–6002071,72,73
2.	श्री किषोर पिल्ले	सहा. प्रबंधक	29.12.2010	9425510899	0771–6002071,72,73
3.	श्री अनिल शर्मा	स्हा0 प्रबंधक	अगस्त 2017		
4.	श्री एम.के. पाण्डे	वरिष्ठ सहायक	15.01.2014	93290–83111	0771–6002071,72,73
5.	श्री यू.रवि पटनायक	निम्न श्रेणी लिपिक	20.12.2013	–	0771–6002071,72,73
6.	श्री डी0डी0 शर्मा	सहा0 –02			
7.	श्रीमती लक्ष्मी चंद्रवंषी	सहायक ग्रेड–3	11.05.2010	–	
8.	श्री भानू बंजारे	भृत्य			
9.	श्री चेतन कुमार वर्मा	भृत्य	25.10.2011		

9.21 सीएसआईडीसी से अन्यत्र विभाग/संस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न

क्र	नाम	पदनाम /पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री मुन्ने सिंह	*सचि. वरिश्ठ सहायक*/ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर (संलग्न)	22.09.2006		
2.	श्री पवन कुमार साहू	*निम्न श्रेणी लिपिक*/ मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय (संलग्न)	29.06.2005		
3.	श्री राकेष चौहान	*सहायक ग्रेड–III*/ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर (संलग्न)	01.07.2009		
4.	श्री प्रहलाद प्रसाद यादव	*सहायक ग्रेड–III*/ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर (संलग्न)	21.02.2007		
5.	श्री महेष सारथी	*वाहन चालक*/ स्टेट गैरेज, रायपुर (संलग्नीकरण)	09.05.2008		

9.22 सीएसआईडीसी से अन्यत्र विभाग/संस्था में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र	नाम	पदनाम /पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री एच.व्ही. सिंह	प्रबंधक/मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर (विषेश कर्तव्यस्थ अधिकारी)	05.02.2014		
2.	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव	***षीघ्रलेखक /*** राश्ट्रीय रोजगार गारंटी परिशद, भोपाल म.प्र. (प्रतिनियुक्ति)	08.12.2006		
3.	श्री के.के. राठौर	***षीघ्र लेखक/*** मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर (प्रतिनियुक्ति)	30.06.2010	9165238000	
4.	श्री आलोक चंद्रवंषी	***उपप्रबंधक***	अगस्त 2017		नगरीय प्रषासन विभाग मे प्रतिनियुक्ति पर सेवा दे रहे थें। अगस्त 2017 मुख्यालय सीएसआईडीसी में वापस आ गयें है।

क्षेत्रीय कार्यालय (शाखा) सीएसआईडीसी रायगढ़ उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति प्रभारी शिमोन एक्का –मुख्य महाप्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री शिमोन एक्का	मुख्य महाप्रबंधक	अगस्त 2017		

Manual -9

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

9.24 लोक सूचना कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

(Public Information Section)

प्रभारी अधिकारी – श्री आलोक त्रिवेदी, मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन)
(प्रतिनियुक्ति उद्योग विभाग) प्रथम अपीलीय अधिकारी, भू–आबंटन कक्ष रायपुर

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	दूरभाश क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	**श्री आलोक त्रिवेदी**	मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन), प्रथम अपीलीय अधिकारी	अगस्त	9425235401	0771–6002071,72,73
2.	**श्री राम खण्डेलवाल**	लोक सूचना अधिकारी,	01.05.2019	7974566203	0771–6002071,72,73
3.	**श्री एम. ए. अंसारी**	सहायक प्रबंधक सहा. लोक सूचना अधिकारी	30.04.2015	9826859662	0771–6002071,72,73
4.	**श्री ए. आर. बारस्कर**	सहायक ग्रेड–1	02.02.2009	9993701748	0771–6002071,72,73
5.	**श्री भुवन लाल साहू**	निम्न श्रेणी लिपिक	20.02.2016	9009808285	0771–6002071,72,73

मैन्युअल – 9

कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी

शाखा कार्यालय, दुर्ग **(Branch Office Durg)**

9.25

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री अनिल श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबंधक	09.12.2016	–	2323184
2.	श्री तुलसीदास	सहायक प्रबंधक	20.05.2010	–	2323184
3.	श्री के.व्ही कुमार	पी बी एक्स अ.रे.	30.10.2013		
4.	श्री षोभाराम टेम्भरे	निम्न श्रेणी लिपिक	17.09.1998	–	2323184
5.	श्री ईष्वर प्रसाद षर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	03.07.2013	–	2323184
6.	श्री व्यास सिंह ठाकुर	हेल्पर	13.08.2008	–	2323184
7.	श्री ज्ञान कुमार जॉन	वाहन चालक	30.10.2013	–	

मैन्युअल–9
Manual -9

शाखा कार्यालय, तिफरा बिलासपुर

Branch Office Tiphra, Bilaspur

9.26 क्षेत्रीय कार्यालय, तिफरा, बिलासपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी, श्री पी.एस. पट्टा, प्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, दिनांक 29.09.2017

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री पी.एस. पट्टा	प्रबंधक–मुख्य महाप्रबंधक	29.09.2017	9098863868	07752–252367
2.	श्री राकेष मसीह	कैषियर	04.01.2011	9993318194	07752–252367
3.	श्री रामायण रजक	हेल्पर	02.08.2002		
4.	श्री महेश यादव	हेल्पर	06.07.2009		
5.	श्री देवारी सिंह पोर्ते	भृत्य	08.10.2008		
6.	श्री जवाहर लाल यादव	चौकीदार	10.08.1990		
7.	श्री चंद्रप्रभात यादव	भृत्य	30.06.2014		
8.	कु. सुनिता गोंड	चौकीदार	22.11.2014		निलंबित

9.23 कोल सेल, मुख्यालय, रायपुर एवं बिलासपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Coal Cell, Raipur& Bilaspur

कक्ष प्रभारी– श्री आर.के. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक, कोल सेल, दिनांक 03.10.2017 से

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री आर.के. शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	03.10.2017		258378990
2.	श्री गोपीचंद देवांगन	सहायक लेखाधिकारी	10.01.2011		07752252746/ 07752252367
3.	श्री एन.के. कौषिक	वरिश्ठ सहा0	अगस्त 2017		
4.	श्री पी.एल. यादव,	वरिष्ठ सहा0	04.07.2013		
4.	श्री भूपत सिंह श्याम	सेल्समेन	10.08.2005		07752252746/ 07752252367

9.28 सीएसआईडीसी से फर्नीचर वर्क्स/कृषि उपकरण कारखाना भिलाई के कार्यों का प्रभार

शो–रूम कार्यालय, नवीन बाजार, रायपुर (Show-Room Office, Navin Bazar, Raipur)

प्रभारी अधिकारी, श्री एन.के. तिवारी महाप्रबंधक,

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1	श्री एन.के. तिवारी	महाप्रबंधक	दिसम्बर 2016		2234286

टीप :– कुल 35 कर्मचारी फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई में कार्यरत् हैं। (एक अधिकारी–श्री एच.व्ही. सिंह, प्रबंधक–मुख्य मंत्री कार्यालय में कक्ष में संलग्न हैं) उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर

9.29 टेस्टिंग लैब भिलाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

(तकनीकी–4 के अंतर्गत)

Testing lab, Bhilai

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्या.	निवास			
1.	श्री संजीव अवस्थी	प्रभारी	0788	2283228	9926999936	–	qmtl.bhilai@gmail.com	एच.आई.जी. 1–121 बोरसी एक्सटेंशन बोरसी, दुर्ग
2.	श्री वसंत कुमार बराव	कनिष्ठ शीघ्र लेखक	0788	2283228	9893523676	–	–	प्लाट नं. 164–बी, सुंदर विहार कालोनी, कुरूद, भिलाई
3.	श्रीमती तृष्णा चक्रवर्ती	निम्न श्रेणी लिपिक	0788	2283228	9685711380	–	–	ब्लाक नं. 513, मुकुट नगर के पास सिंधिया नगर, दुर्ग
4.	श्रीमती सुमित्रा पाल	प्रयोगशाला सहा. (केमिकल) (संविदा)	0788	2283228	9755247366	–	–	H.No. 387 स्ट्रीट नं. 5–A, शांति नगर भिलाई
5.	श्री के.पी. यादव	भृत्य	0788	2283228	9179361246	–	–	325, घ मनीष किराना के पीछे, बजरंग चौक रामनगर, भिलाई
6.	श्री नरेन्द्र वल्लभ पटेल	भृत्य	0788	2283228	9827154175	–	–	सुभाष नगर, नंदनी रोड, भिलाई
7.	श्री हेमलाल साहू	भृत्य	0788	2283228	9752682211	–	–	बम्बलेश्वरी मंदिर कान्ट्रेक्टर कालोनी, वार्ड नं. 6, सुपेला, भिलाई

मैन्युअल–9

Manual - 9

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर

High Tech Bus Stand, Bilaspur

9.30 हाईटेक बस स्टैंड, बिलासपुर के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

(Hightech Bus Stand, Bilaspur)

प्रभारी अधिकारी – श्री आर0के0 शर्मा मुख्य महाप्रबंधक, उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर सितम्बर 2017

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री आर.के. शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक/प्रभारी न्यू–बस स्टेंड तिफरा, बिलासपुर	सितम्बर 2017		07752–212384
2.	श्री एन के. बर्डे	डप प्रबंधक	मई 2017	9826134810	07752–212384
3.	श्री एम पी मिश्रा	निम्न श्रेणी लिपि	अगस्त 2017		

9.31 शाखा कार्यालय नई दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

CSIDC , NEW DELHI BRANCH,

क्र	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री ध्रुवधर	सहायक प्रबंधक	04.05.2005	9868901676	011–26169976
2.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	सहायक प्रबंधक	19.12.2006	9871237507	011–26169976

मैन्यूअल–10

Manual - 10

10.1

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी उनके मासिक वेतन और अपने विनियमों के मुताबिक दिये जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण।

S.NO.	Salary as on 30.04.2015					
	Particulars	**Designation**	***Basic***	**Grade Pay**	**Total Earnings**	**Pay scale**
1	SUNIL KUMAR MISHRA	MANAGING DIRECTOR	51540.00	10000.00	**140521.00**	37400-8900-67000
2	SOLOMAN MATHEW SILAH	EXECUTIVE DIRECTOR	37400.00	8700.00	**97242.00**	15600-39100
3	S.B.Parate	DY. MANAGER	49750.00	8700.00	**126912.00**	37400-8700-67000
4	G.V.S.P. RAO	DY. MANAGER	43210.00	8700.00	**112720.00**	5200-1800-20200
5	THOMAS MATHEW	DY. MANAGER	44770.00	8700.00	**116105.00**	5200-1800-20200
6	ANIL SHRIVASTAVA	GENERAL MANAGER	30540.00	7600.00	**85879.00**	15600-7600-39100
7	CHEDILAL BANJARE	C.G.M.	49750.00	8700.00	**128174.00**	15600-7600-39100
8	SANTOSH BHAGAT	C.G.M.	29690.00	7600.00	**78785.00**	15600-7600-39100
9	ASHOK KUMAR DUBEY	EXECUTIVE ENGINEER	30260.00	7600.00	**82231.00**	15600-7600-39100
10	KISHOR PILLAY	ASSISTANT MANAGER	29980.00	7600.00	**81624.00**	15600-7600-39100
11	TULASI DAS	ASSISTANT MANAGER	29980.00	7600.00	**81624.00**	37400-8700-67000
12	P. M. MATHEW	ASSISTANT MANGER	29980.00	7600.00	**80472.00**	15600-7600-39100
13	SUSHIL KUMAR SONI	EXECUTIVE ENGINEER	29130.00	7600.00	**79779.00**	15600-7600-39100
14	MAHESHWER KUMAR AGRAWAL	EXECUTIVE ENGINEER	29170.00	7600.00	**79866.00**	15600-7600-39100
15	GHANSHYAM KUMAR SWARNKAR	ASSISTANT ENGINEER	29090.00	7600.00	**79692.00**	15600-7600-39100
16	GJADHAR PRASAD PATEL	ASSISTANT ENGINEER	29090.00	7600.00	**79692.00**	37400-8700-67000
17	SUNIL RAJGIRE	EXECUTIVE ENGINEER	29130.00	7600.00	**79779.00**	15600-7600-39100
18	S. K. SONWANI	MANAGER				15600-7600-39100
19	MILAN DAS BANJARE	MANAGER	34630.00	7600.00	**91714.00**	15600-7600-39100
20	SUBHAS CHANDRA BHAGAT	MANAGER	30120.00	7600.00	**82617.00**	15600-7600-39100
21	PARVAT SINGH PATTA	MANAGER	35450.00	7600.00	**92178.00**	15600-7600-39100
22	RAVI MATHUR	MANAGER	41510.00	7600.00	**106644.00**	15600-7600-39100
23	DHRUV DHAR	ASSTT. MANAGER	30540.00	7600.00	**83064.00**	15600-7600-39100
24	PRAMOD KUMAR SHIROD	ASSTT. MANAGER	29840.00	7600.00	**81608.00**	15600-7600-39100
25	KAILASH CHANDRA SAXENA	ASST. MANAGER	29840.00	7600.00	**82010.00**	15600-7600-39100
26	K.N. K. MISHRA	DY.MANAGER	35450.00	7600.00	**94184.00**	15600-7600-39100
27	SOMNATH CHOPRA	DY. MANAGER	34630.00	7600.00	**92128.00**	15600-7600-39100
28	VIVEK MANOHAR KAYANDEY	ASSTT. MANAGER	29150.00	7600.00	**79823.00**	15600-7600-39100

29	UDAY CHANDRA DEWANGAN	ASSTT. MANAGER	31220.00	7600.00	**85004.00**	15600-7600-39100
30	SUBHASH CHANDRA SHARMA	ASSTT. MANAGER	32610.00	7600.00	**89556.00**	15600-7600-39100
31	ANIL KUMAR SHARMA	ASSTT. MANAGER	29840.00	7600.00	**81320.00**	15600-7600-39100
32	S.T.MANTHANWAR	ASSTT. MANAGER	31220.00	7600.00	**84314.00**	
33	M.A.ANSARI	ASSTT. MANAGER	29840.00	7600.00	**81320.00**	5200-1900-20200
34	FANIKANT GUPTA	ASSTT. MANAGER	34630.00	7600.00	**92364.00**	15600-7600-39100
35	RAJESH BIHARI LAL	ASSTT.MANAGER	33030.00	7600.00	**88242.00**	15600-7600-39100
36	NARENDRA SINGH CHANDEL	DEP. MANAGER	35880.00	7600.00	**90079.00**	15600-7600-39100
37	SATYENDRA CHANDRAKAR	DY. MANAGER	35450.00	7600.00	**93494.00**	15600-7600-39100
38	NARAYAN PRASAD YADAV	GANERAL MANAGER	28910.00	6600.00	**78452.00**	15600-6600-39100
39	SMT.MANJU JAIN	GENERAL MANAGER	30290.00	6600.00	**81446.00**	15600-6600-39100
40	P.T. Thomas	ASSTT. MANAGER	28210.00	6600.00	**75613.00**	15600-6600-39100
41	B. VENKATRAMAN	INSPECTOR	28170.00	6600.00	**76216.00**	15600-6600-39100
42	SANJEEV AWASTHI	INSPECTOR	26740.00	6600.00	**73113.00**	15600-6600-39100
43	SMT. MAYA RAMRAKHYANI	ASSTT. MANAGER	30290.00	6600.00	**80126.00**	15600-6600-39100
44	SHIV SHANKAR GUPTA	JR. EXECUTIVE	26690.00	6600.00	**73804.00**	15600-6600-39100
45	RAMDAS JHARBADE	DY. MANAGER	27900.00	6600.00	**71490.00**	15600-6600-39100
46	OM PRAKASH BANJARE	DY. MANAGER	27900.00	6600.00	**74940.00**	15600-6600-39100
47	NAND KISHOR BARDE	DY. MANAGER	27900.00	6600.00	**73880.00**	15600-6600-39100
48	YADUVANSH KUMAR KASHYAP	ASSISTANT MANAGER	24810.00	6600.00	**68235.00**	15600-6600-39100
49	B.S. THAKUR	MANAGER	20340.00	5400.00	**57294.00**	15600-5400-39100
50	PREMLAL YADAV-II	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**57956.00**	15600-5400-39100
51	PRAKASH CHANDRA KULSHRESTHA	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
52	OM PRAKASH GAJJALWAR	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
53	AWANISH KUMAR SHUKLA	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**57565.00**	15600-5400-39100
54	JAGDAMBA PRASAD MISHRA	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
55	RAMESHWER PURI GOSWAMI	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
56	HRIDAY NARAYAN SHRIVASTAVA	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
57	SURYAKANAT WAMAN RAO ONKAR	DRAFTSMAN	21220.00	5400.00	**58530.00**	15600-5400-39100
58	GORE LAL THAKUR	SENIOR ASSITANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
59	HEM RAM VERMA	ASSISTANT ENGINEER	29150.00	5400.00	**75049.00**	15600-5400-39100
60	HRIDAY PRAKASH MISHRA	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
61	V.HARIHAR PRASAD RAO	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
62	MAHENDRA KUMAR PANDEY	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
63	ANOKHI LAL SARVA	SENIOR ASSISTANT	21220.00	5400.00	**58930.00**	15600-5400-39100
64	RAMANUJ GUPTA	ACCOUNTANT	21220.00	5400.00	**58780.00**	15600-5400-39100
65	RAKESH DEWANGAN	JUNIOR ENGINEER	21220.00	5400.00	**58208.00**	15600-5400-39100
66	RAKESH JAIN	JUNIOR ENGINEER	21220.00	5400.00	**58530.00**	15600-5400-39100

67	NEERAJ TIWARI	ACCTT. ASSISTANT	18950.00	5400.00	**53855.00**	15600-5400-39100
69	G. S. BHOSLE	ASSTT. TECHNICIAN	21220.00	5400.00	**58530.00**	15600-5400-39100
70	GOPI CHAND DEWANGAN	ASSTT. ACCOUNTS OFFICER	21540.00	5400.00	**58392.00**	15600-5400-39100
71	PUNDLIK SOMAJI DHAKATE	FIELD OFFICER	21220.00	5400.00	**58530.00**	15600-5400-39100
72	LAXMAN KALE	JR. EXECUTIVE	26450.00	5400.00	**69270.00**	15600-5400-39100
73	DILIP INGOLE	JR. EXECUTIVE	21220.00	5400.00	**58955.00**	
74	PRAVEEN KUMAR KUTTY	SR. SEC. ASSTT.	18350.00	5400.00	**51991.00**	15600-5400-39100
75	MANOJ KUMAR BUNDELA	ASSISTANT MANAGER	22900.00	5400.00	**58656.00**	15600-5400-39100
76	U.S.R. BHIMA SANKARAM	SR. ASSTT.	20070.00	5400.00	**53738.00**	15600-5400-39100
77	NARESH KUMAR KAUSHIK	SR. ASSTT.	21220.00	5400.00	**57956.00**	15600-5400-39100
78	ASHOK KUMAR PAWAR	ASSISTANT MANAGER	18630.00	4400.00	**49334.00**	9300-4400-34800
79	BHAGWAT DEEP	DRIVER	14030.00	4300.00	**40916.00**	9300-4300-34800
80	TEJRAM DEWANGAN	JUNIOR ASSISTANT	15370.00	4300.00	**43699.00**	9300-4300-34800
81	GOVIND RAM PENDHARKAR	DERIVER	14030.00	4300.00	**40916.00**	9300-4300-34800
82	PREMLAL YADAV-T	TIMEKEEPER	14150.00	4300.00	**40802.00**	9300-4300-34800
83	NILKANTHESWER RAO	TIMEKEEPER	14150.00	4300.00	**40400.00**	9300-4300-34800
84	SHATRUHAN LAL PATEL	JUNIOR ASSISTANT	13690.00	4300.00	**40053.00**	9300-4300-34800
85	MANGAL DEEP	DRIVER	13540.00	4300.00	**39853.00**	9300-4300-34800
86	FIRENDRA LAL BHOI	DRIVER	13290.00	4300.00	**38327.00**	9300-4300-34800
87	G.R. RATHOR	Astt. Draftman	16300.00	4300.00	**44824.00**	9300-4300-34800
88	V.R.CHAUDHARY	JUNIOR ASSISTANT	15990.00	4300.00	**45044.00**	9300-4300-34800
89	MANOHAR LAL YADAV	TIMEKEEPER	14150.00	4300.00	**40802.00**	9300-4300-34800
90	MAHESH SARTHI	DRIVER	13540.00	4300.00	**39553.00**	9300-4300-34800
91	MH. HASAN KHAN	STENO TYPIST	15370.00	4300.00	**43699.00**	9300-4300-34800
92	VISHNU PRASAD SHARMA	TIMEKEEPER	14150.00	4300.00	**40224.00**	9300-4300-34800
93	SHIV KUMAR SAHU -R	ROAD ROLLER DRIVER	13430.00	4300.00	**39314.00**	9300-4300-34800
94	MANTHIR RAM SAHU	DRIVER	12830.00	4300.00	**38312.00**	9300-4300-34800
95	VIJAY SHRIVASTAVA	PIPE FITTER	14150.00	4300.00	**42776.00**	9300-4300-34800
96	RAKESH MASIH	CASHIOR	14740.00	4300.00	**41486.00**	9300-4300-34800
97	DWARIKA PRASAD SAHU	HELPER	12070.00	4300.00	**36257.00**	5200-1900-20200
98	K.V.M.KUMAR	P.B.X. OPERATOR	15700.00	4300.00	**44165.00**	9300-4300-34800
99	N.P.MISHRA	CLERK	12180.00	4300.00	**36258.00**	9300-4300-34800
100	ASHOK BARI	TIMEKEEPER	12160.00	4300.00	**39371.00**	9300-4300-34800
101	PRASHANT BHOSEKAR	UPPER DIVISION CLERK	14550.00	4300.00	**41330.00**	9300-4300-34800
103	S. L. PATEL	LDC	13800.00	4300.00	**39763.00**	9300-4300-34800
104	VED RAM NIRMALKAR	LDC	14060.00	4300.00	**41356.00**	9300-4300-34800
105	AMIT SINGH DHRUV	ACCOU NTANT	16240.00	4300.00	**45587.00**	9300-4300-34800

106	BASANT KUMAR BARAV	JR. STENO	15370.00	4300.00	**43699.00**	9300-4300-34800
107	SMT. VEENA SINHA	LDC	11960.00	4300.00	**36299.00**	9300-4300-34800
108	H. K. SHENDE	ACCOUNTANT	16240.00	4300.00	**45587.00**	
109	DEVENDRA SINGH A.E.	A.E.	16230.00	5400.00	**47702.00**	9300-4300-34800
110	MAHENDRA THAKUR	JUNIOR ENGINEER	15560.00	4300.00	**43861.00**	9300-4300-34800
111	HIMMAT PAL GUPTA	JUNIOR ENGINEER	15560.00	4300.00	**43861.00**	9300-4300-34800
112	GOPAL RAO PATNAYAK	JUNIOR ENGINEER	15560.00	4300.00	**43861.00**	9300-4300-34800
113	RAM NARAYAN SAHU	ASSTT. GR. III	12070.00	4300.00	**36538.00**	9300-4300-34800
114	MUNNE SINGH	SR. SEC. ASSTT.	15150.00	4300.00	**44012.00**	9300-4300-34800
115	DARSHAN ORAON	SR. SEC. ASSTT.	14960.00	4300.00	**42809.00**	9300-4300-34800
116	SUNIL RAMDAS PATRE	SR. SEC. ASSTT.	16120.00	4300.00	**45751.00**	9300-4300-34800
117	VIKRAM SINGH THAKUR	DRIVER	13290.00	4300.00	**39310.00**	9300-4300-34800
118	K. RAKESH SHARMA	ACCOUNTANT	15110.00	4300.00	**43135.00**	9300-4300-34800
121	GOVERDHAN PRASAD VERMA	TIMEKEEPER	11140.00	2800.00	**31015.00**	5200-2800-20200
122	JAGAT RAM SAHU	CLERK	10720.00	2800.00	**30250.00**	5200-2800-20200
123	GYAN CHANDRA YADAV	TIMEKEEPER	10180.00	2800.00	**28932.00**	5200-2800-20200
124	MANHARAN LAL YADAV		9520.00	2800.00	**26087.00**	
125	SUNIL SIRASWAR		10180.00	2800.00	**28116.00**	
126	SITA RAM BANDHE	TIMEKEEPER	10180.00	2800.00	**28242.00**	5200-2800-20200
127	S.P.CHATERJEE	LINEMAN	9860.00	2800.00	**30857.00**	5200-2800-20200
128	SHIV KUMAR VERMA	CLERK	10340.00	2800.00	**28215.00**	5200-2800-20200
129	PAWAN KUMAR SAHU	CLERK	10340.00	2800.00	**29324.00**	5200-2800-20200
130	SHOBHA RAM TEMBHARE	HELPER	10180.00	2800.00	**29182.00**	5200-1800-20200
131	BHUWAN SAHU	CLERK	10180.00	2800.00	**29182.00**	5200-2800-20200
132	LILA RAM VERMA	CLERK	10180.00	2800.00	**29182.00**	5200-2800-20200
133	KOMAL SINGH NISHAD	TIMEKEEPER	10180.00	2800.00	**28932.00**	5200-2800-20200
134	PREM SINGH UIKE	LDC	12150.00	2800.00	**33457.00**	5200-2800-20200
135	TEJ KUMAR WARKERE	ASSTT. GRADE-2	12140.00	2800.00	**31642.00**	5200-2800-20200
136	GYAN KUMAR JOHN	DRIVER	10340.00	2800.00	**29152.00**	5200-2800-20200
137	NARAYAN KHARAT	CLERK	10340.00	2800.00	**32274.00**	5200-2800-20200
138	RAKESH CHOUHAN	LDC	9800.00	2800.00	**29172.00**	5200-2800-20200
139	BHUPAT SINGH SHYAM	SALES MAN	10340.00	2800.00	**28458.00**	5200-2800-20200
140	A.R. BARASKAR	ASSTT. GR. III	13910.00	2800.00	**37069.00**	5200-2800-20200
141	B. SATYANARAYAN	SEC. ASSTT.	10630.00	2800.00	**30458.00**	5200-2800-20200
142	RAMDAS BHOYAR	SEC. ASSTT.	10180.00	2800.00	**29194.00**	5200-2800-20200
143	RAVI SHANKAR TIWARI	JR. ASSTT.	12360.00	2800.00	**32396.00**	5200-2800-20200
144	KAMTA SINGH	DRIVER	10340.00	2800.00	**29235.00**	5200-2800-20200
145	K. VIJAY KUMAR	SALES MAN	9250.00	2800.00	**25709.00**	5200-2800-20200
146	PRAHLAD PRASAD YADAV	LDC	10920.00	2800.00	**31272.00**	5200-2800-20200
147	SHAKIR ALI	STENO TYPIST	10560.00	2800.00	**30006.00**	5200-2800-20200
148	SURESH KUMAR YADAV	TRECER	10970.00	2400.00	**29778.00**	5200-2400-20200
149	Smt. Kallayani Pilly	Clerk	5430.00	2400.00	**17604.00**	5200-2400-20200

150	ALOK CHANDRAVANSHI	DEP. MANAGER	32200.00	7600.00	**87761.00**	37400-8700-67000
151	DEVARI SINGH PORTE	PEON	9480.00	1900.00	**24767.00**	5200-1900-20200
152	RANJEET SINGH RAJPUT	ASSTT. METER READER	9600.00	1900.00	**25945.00**	5200-1900-20200
153	VIJAY SINGH THAKUR	PLUMBER	9790.00	1900.00	**28396.00**	5200-1900-20200
154	ARUN KUMAR TANDAN	ASSTT. METER READER	9420.00	1900.00	**25174.00**	5200-1900-20200
155	BANSHIRAM SAHU	PLUMBER	9600.00	1900.00	**28175.00**	5200-1900-20200
156	JAGDEV RAM SAHU	CHOWKIDAR	9310.00	1900.00	**25166.00**	5200-1900-20200
157	BHARAT LAL SAHU	CHOWKIDAR	9480.00	1900.00	**25074.00**	5200-1900-20200
158	MANSA RAM BAGHEL	PLUMBER	9420.00	1900.00	**27517.00**	5200-1900-20200
159	MELA RAM SONWANI	PLUMBER	9080.00	1900.00	**25414.00**	5200-1900-20200
160	JAILAL SAHU	MALI	8980.00	1900.00	**24450.00**	5200-1900-20200
161	GANGA PRASAD DHURI	CHOWKIDAR	8580.00	1900.00	**25182.00**	5200-1900-20200
163	SUNDAR LAL DHURI	CHOWKIDAR	8580.00	1900.00	**25182.00**	5200-1900-20200
164	DALLU RAM KEWAT	HELPER	8580.00	1900.00	**24448.00**	5200-1900-20200
165	T. RAJA RAO	MALI	8580.00	1900.00	**23180.00**	5200-1900-20200
167	J.L.YADAV	CHOWKIDAR	8580.00	1900.00	**25412.00**	5200-1900-20200
168	GENDU RAM YADAV	CHOWKIDAR	8580.00	1900.00	**24703.00**	5200-1900-20200
169	VIJAY RAM PANIKA	CHOWKIDAR	8580.00	1900.00	**23582.00**	5200-1900-20200
170	JAGDISH BAGHEL	CHOWKIDAR	8580.00	1900.00	**23762.00**	5200-1900-20200
171	MAKHAN LAL NISHAD	HELPER	8580.00	1900.00	**25751.00**	5200-1900-20200
172	BHUWAN LAL SAHU	PLUMBER	9080.00	1900.00	**26989.00**	5200-1900-20200
173	RAMAYAN NISHAD	HELPER	8580.00	1900.00	**25521.00**	5200-1900-20200
174	BADRI PRASAD YADAV	PLUMBER	9080.00	1900.00	**26557.00**	5200-1900-20200
175	NETU RAM NISHAD	HELPER	8580.00	1900.00	**25751.00**	5200-1900-20200
176	Chandra Prabhat Yadav	CHOWKIDAR	8270.00	1900.00	**22349.00**	5200-1900-20200
177	GANESH RAM NISHAD	HELPER	8580.00	1900.00	**23582.00**	5200-1900-20200
178	SITARAM SURYAWANSHI	CHOWKIDAR	8580.00	1900.00	**24879.00**	5200-1900-20200
179	KIRTAN SINGH	PLUMBER	9080.00	1900.00	**26355.00**	5200-1900-20200
180	MOHAN LAL GHIVARIYA	TIMEKEEPER	9250.00	1900.00	**27344.00**	5200-2800-20200
182	KRISHNAPAL SINGH	PEON	9480.00	1900.00	**25585.00**	5200-1900-20200
184	SMT. TRISHNA CHAKRAVORTY	LDC	7180.00	1900.00	**20719.00**	5200-1900-20200
185	K. P. YADAV	MESSANGER	8600.00	1900.00	**23625.00**	5200-1900-20200
186	NARENDRA VALLABH PATEL	PEON	8600.00	1900.00	**23625.00**	5200-1900-20200
187	ISHWAR PRASAD SHARMA	CLERK	8400.00	1900.00	**23366.00**	5200-1900-20200
188	NAWAB KHAN	PEON	8600.00	1900.00	**23625.00**	5200-1900-20200
189	SHANKAR DAS MANAKPURI	PEON	9310.00	1900.00	**24905.00**	5200-1900-20200
190	KAUSHAL SINGH THAKUR	PEON	8810.00	1900.00	**24181.00**	5200-1900-20200
192	RAM SINGH SAHU	PEON	9150.00	1900.00	**24563.00**	5200-1900-20200
193	SMT. LAXMI CHANDRAVANSHI	ASSISTANT	6650.00	1900.00	**19167.00**	5200-1900-20200
194	LAXMI KANT VERMA	DRIVER	7470.00	1900.00	**21486.00**	5200-1900-20200
195	BALARAM VERMA	HELPER	8900.00	1800.00	**26273.00**	5200-1800-20200
196	PRABHU LAL CHOUHAN	PEON	8590.00	1800.00	**22803.00**	5200-1900-20200
197	TORAN LAL SAHU		8430.00	1800.00	**22016.00**	
198	MAHESH YADAV	HELPER	8430.00	1800.00	**22477.00**	5200-1800-20200
199	RAMAYAN RAJAK	HELPER	8430.00	1800.00	**22757.00**	5200-1800-20200

200	HEMANT KUMAR GANGULI	HELPER	8430.00	1800.00	**24059.00**	5200-1800-20200
201	CHANDRIKA DAHIRE	HELPER	8430.00	1800.00	**23039.00**	5200-1800-20200
203	ASHISH ALOK SHRIVASTAVA	HELPER	30540.00	7600.00	**82839.00**	
204	SHIV KUMAR TRIPATHI	HELPER	8590.00	1800.00	**25199.00**	5200-1800-20200
205	NARENDRA KUMAR DUBEY	HELPER	8430.00	1800.00	**24133.00**	5200-1800-20200
206	DEVESH KUMAR MISHRA	HELPER	8900.00	1800.00	**25203.00**	5200-1800-20200
207	JETHU RAM SAHU	HELPER	8590.00	1800.00	**24267.00**	5200-1800-20200
208	RAM KUMAR SAHU	HELPER	8590.00	1800.00	**25536.00**	5200-1800-20200
209	GIRDHARI LAL SAHU	ASSISTANT ENGINEER	8460.00	1800.00	**23104.00**	15600-7600-39100
210	BHAGWATI PRASAD SAHU		8460.00	1800.00	**23104.00**	
211	SURENDRA KUMAR BANI		8430.00	1800.00	**24422.00**	
212	PURSHOTTAM TARONE	JR. ASSTT.	7940.00	1800.00	**21976.00**	9300-4300-34800
213	CHIKNU RAM SONWANI	MESSENGER	8120.00	1800.00	**22366.00**	5200-1800-20200
214	JAGDISH PRASAD YADAO	HELPER	6900.00	1300.00	**20060.00**	4750-1300-7440
215	HEMANT KUMAR MARKAM	HELPER	6410.00	1300.00	**17481.00**	4750-1300-7440
216	SMT. DAMYANTI BAWARIYA	PEON	6180.00	1300.00	**16670.00**	4750-1300-7440
217	LAXMINARAYAN MISHRA	PUMP OPERATOR	5960.00	1300.00	**18096.00**	4750-1300-7440
218	TAPAS KUMAR DATTA	PEON	5960.00	1300.00	**16594.00**	4750-1300-7440
219	SUKH SAGRA DAS MANIKPURI	PEON	5960.00	1300.00	**16594.00**	4750-1300-7440
220	CHHAGAN LAL VERMA	PUMP OPERATOR	5960.00	1300.00	**17714.00**	4750-1300-7440
221	DASHRATH LAL YADAV	PEON	5960.00	1300.00	**16364.00**	4750-1300-7440
222	KAUSHAL KUMAR SAHU	CHOWKIDAR	5960.00	1300.00	**16594.00**	4750-1300-7440
223	HEMLAL SAHU	PEON	5960.00	1300.00	**16594.00**	4750-1300-7440
224	VYAS SINGH THAKUR	HELPER	5960.00	1300.00	**15868.00**	4750-1300-7440
225	TEK RAM DESHMUKH	PUMP OPERATOR	5960.00	1300.00	**17370.00**	4750-1300-7440
226	JAGMOHAN SINGH RAJPUT	HELPER	5960.00	1300.00	**18096.00**	4750-1300-7440
227	PARMANAND VERMA	HELPER	5960.00	1300.00	**17866.00**	4750-1300-7440
228	DOMAR RAM JANGHEL	HELPER	5960.00	1300.00	**17694.00**	4750-1300-7440
229	RAMESH KUMAR SHUKLA	METER READER	5960.00	1300.00	**17451.00**	4750-1300-7440
230	BIRJU KUMAR GOUND	CHOWKIDAR	5960.00	1300.00	**16351.00**	5200-1900-20200
231	RADHESHYAM GADARIYA	CHOWKIDAR	5960.00	1300.00	**17451.00**	4750-1300-7440
232	TIKA RAM NISHAD	HELPER	5960.00	1300.00	**18096.00**	4750-1300-7440
233	VIRENDRA KUMAR SAHU	CHOWKIDAR	5960.00	1300.00	**16192.00**	4750-1300-7440
234	SHIV KUMAR SAHU	HELPER	5960.00	1300.00	**17694.00**	4750-1300-7440
235	SANJAY KUMAR KAURATI	PEON	5530.00	1300.00	**15431.00**	4750-1300-7440
236	PAPPU CHOUHAN	PEON	5530.00	1300.00	**15661.00**	4750-1300-7440
237	MUKESH KUMAR SAHU	PEON	5530.00	1300.00	**15259.00**	4750-1300-7440
238	DOMESH SINGH THAKUR	PEON	5330.00	1300.00	**15227.00**	4750-1300-7440
239	CHETAN KUMAR VERMA	PEON	5130.00	1300.00	**14391.00**	4750-1300-7440
240	Shailendra Singh Thakur	LDC	6559.00		**6559.00**	
241	ABHYANKAR KHARE	GENERAL MANAGER	16270.00	6600.00	**49703.00**	3000-100-3500-125-4500
242	P.K.KAUSHIK	ASSTT. ENGINEER	18080.00		**18080.00**	
243	VIJAY KUMAR TIWARI	JR. ENGINEER	18080.00		**18080.00**	5200-1900-20200

244	P.BANERJEE	COMP. OPERATOR	8870.00		**8870.00**	
245	SHAFI KHAN	ASSTT. MANAGER (COM.)	18840.00		**30840.00**	
246	SWAPNIL AWASTHI	COMPANY SECRETARY	40000.00		**40000.00**	5200-1900-20200
247	GHANSHYAM KASHYAP	JR. ENGINEER	4750.00	1300.00	**13567.00**	
249	SMT.SUMITRA PAL	LAB ASSTT.(CHEM)	12030.00		**12030.00**	
250	ASHISH ALOK SHRIVASTAVA	HELPER	8430.00	1800.00	**23139.00**	5200-20200
251	BHANU BANJARE	CHOWKIDAR	4750.00	1300.00	**13492.00**	4750-7440
252	DOLLY MISHRA	ASSITANT GRED-III	1560.00	570.00	**4731.00**	5200-20200
253	HARVEER SINGH		27100.00	5400.00	**71575.00**	15600-39100
254	MANISH KUMAR SAHU	PEON	4750.00	1300.00	**13492.00**	4750-7400
255	SUNITA GOND	CHOWKIDAR	4750.00	1300.00	**13286.00**	4750-7440
256	SURESH KESHI	GENERAL MANAGER	22060.00	6600.00	**63587.00**	15600-39100

मैन्युअल –11
Manual – 11

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए गए वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट।

विपणन प्रकोष्ठ
Marketing Cell

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट सभी योजनाओं द्वारा
प्रस्तावों तथा धन के वितरण की सूची

11.1 अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए–

क.सं.	मद	प्रस्तावित बजट (लाख में)	स्वीकृत बजट (लाख में)	शासन द्वारा प्राप्त किश्तों में (लाख में)	कुल व्यय (रू. लाख में)
1	विपणन प्रकोष्ठ की प्रतिपूर्ति 2012–13	331.76	150.00	150.00	
कुल महायोग		**331.76**	**150.00**	**150.00**	
टीप्पणी–					

मैन्युअल – 11
Manual - 11

लेखा कक्ष (Accounts Section)

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए जाने वाले कार्यो का वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट ।

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

राज्य शासन के वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट में सीएसआईडीसी हेतु प्रावधानित राशि का विवरण

11.2 निर्माण कार्यो संबंधी –

क्र	मद	प्रस्तावित कार्य	राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4
1.	मांग संख्या–(11) 5385– नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	1. नवीन औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा जिला रायपुर में प्रथम चरण के अधोसंरचना विकास कार्य ।	304.67
		2. भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में प्रस्तावित इंजीनियरिंग पार्क के अधोसंरचना विकास कार्य	500.00
		3. बरतोरी (तिल्दा) आई.आई.डी.सी की स्थापना	200.00
		4. औद्योगिक क्षेत्र सिरगिटी, सेक्टर–डी (तिफरा), बिलासपुर में अधोसंरचना विकास कार्य	100.00
		5 .औद्योगिक क्षेत्र टेकनार, जिला दंतेवाड़ा में जल प्रदाय के अंतर्गत जलागार का निर्माण कार्य ।	1.00
		6. औद्योगिक क्षेत्र टेकनार, में सड़क बत्ती के लिये ट्यूबलर पोल एवं एल.ई.डी.40 वाट लाईट प्रदाय कर लगाने का कार्य ।	48.41
		7. औद्योगिक क्षेत्र फ्रेजरपुर जगदलपुर में सड़क डामरीकृत नवीनीकरण कार्य।	48.21

		प्रस्तावित कार्य	राशि (रू.)
		8. औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर गिरवरगंज जिला सरगुजा में जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 500 कि.ली. क्षमता का उच्च स्तरीय जलाशय एवं 1.00 लाख लीटर क्षमता के सम्पवेल का निर्माण, निर्मित सड़कों का बी.टी. रिन्यूवल, जल प्रदाय परिसर में बाउण्ड्रीवाल, गोडाउन एवं शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण तथा सड़क बत्ती का कार्य।	226.10
		9 .सरगुजा जिले में स्थापित अर्ध्दशहरीय औद्योगिक संस्थान बनारस रोड़ अंबिकापुर एवं अजिरमा में विकास कार्य।	72.61
		योग –	**1501.00**
2.	**9233**–औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में जल प्रदाय ।	1. औद्योगिक क्षेत्र उरला में पूर्व में बिछाये गये विभिन्न व्यास के ए.सी पाईप लाईन को डी. आई. पाईप लाईन बदलने हेतु प्रस्ताव।	200.00
		2. औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी में जल प्रदाय योजना	500.00
		योग –	**700.00**
3.	**9232**– औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में सड़क नालियों का निर्माण कार्य	1. औ.क्षेत्र भनुपरी, रायपुर में 40′,60′,80′ सड़क के उन्नयनीकरण, चौडीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	97.62
		2. औ. क्षे. उरला, रायपुर में सरोरा–बाना सड़क तथा सड़क क्रमांक–17 में सीमेंट कांक्रीट रोड़ का निर्माण कार्य।	264.94
		3. औ. क्षेत्र उरला एवं सरोरा की सड़कों का सुदृढ़ीकरण, उन्नयनीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	256.78
		4. औद्योगिक क्षेत्र उरला में आर.आर मेसेनरी सतही नाली का निर्माण कार्य	102.38
		5. भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई (हथखोज) जिला दुर्ग में स्थित सड़कों के सुदृढीकरण एवं डामरीकारण सहित उन्नयन हेतु प्रस्तावित सड़कों एवं इनके दोनो ओर आर.आर मेंसोनरी पक्की सतही नाली निर्माण कार्य।	200.00
		6. औद्योगिक क्षेत्र बोरई, दुर्ग में अधोसंरचना विकास कार्य।	305.42
		7. औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, सेक्टर–बी एवं सी बिलासपुर में सड़क मरम्मत डामरीकरण एवं पक्की सतही नाली का निर्माण कार्य।	272.86
		योग –	**1500.00**

4.	**9234**—औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में विद्युत प्रदाय	1. औद्योगिक क्षेत्रों की स्ट्रीट लाईटिंग में ऊर्जा दक्ष की ल्युमिनरीज की स्थापना	**25.00**
5.	**6932**—अपैरल ट्रेनिंग डिजाईन सेन्टर की स्थापना	सरगुजा में ए.टी.डी.सी की स्थापना	**50.00**
6.	**6742**—औद्योगिक पार्को के लिए अनुदान	1. मेटल पार्क रावांभाठा, रायपुर में अधोसंरचना विकास कार्य के अंतर्गत सेक्टर—3 एवं सेक्टर—4 में प्रस्तावित निर्माण कार्य डब्ल्यू.बी.एम. डामरीकृत सड़के, आर.सी.सी. पक्की सतही नाली रोड डिवाईडर, आर.सी.सी. स्लैब कल्वर्ट के निर्माण कार्य ।	**1000.00**
7.	**9220**—सर्वे डिमार्केशन	1. राज्य में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु सर्वे डिमार्केशन का कार्य।	**5.00**
8.	**5614**—उद्योग भवन का निर्माण	उद्योग भवन निर्माण हेतु	10.00
9.	**6888**— छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना	नई राजधानी क्षेत्र (ग्राम तूता) में छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र परिसर के अंतर्गत विकास कार्य।	25.00
		योग (अ) —	**4816.00**
ब. अन्य कार्यो संबंधी			
1	**5586**— निर्यात अधोसंरचना विकास सहायता	निर्यात अधोसंरचना विकास सहायता (एसाईड)— प्रशासकीय व्यय	15.00
2	**8237**— अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला के लिए अनुदान	भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2013 का आयोजन	120.00
3	**9283**— समूह आधारित उद्योगों का विकास	समूह आधारित उद्योगों का विकास	0.10
4	**7394**— नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी केन्द्र की स्थापना	राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी केन्द्र की स्थापना।	1.00
5	**5520**— विपणन शाखा हेतु स्थापना अनुदान	सीएसआईडीसी में विपणन प्रकोष्ठ की स्थापना अनुदान	150.00
6	**9219**— भू—अर्जन अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान	1. वृहद औद्योगिक क्षेत्र लारा, जिला रायगढ़ की स्थापना हेतु अधिग्रहित भूमि का मुवाअजा भुगतान।	1000.00
		2. भू—अर्जन क्षतिपूर्ति का भुगतान (डिक्रीधन)	15.00
		योग (ब) —	**1301.10**
		योग (अ+ब) —	**6117.10**

Manual - 11

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए गए वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट

कक्ष से संबंधित नही

संपदा प्रकोष्ठ

Estate Managment Cell

11.3

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए जाने वाले कार्यो का वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट ।

कक्ष से संबंधित नही ।

मैन्युअल–11

Manual – 11

CSR & Rehabilitation Section

11.4

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए जाने वाले कार्यो का वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट ।

कक्ष से संबंधित नही है ।

Manual -11

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

11.4

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए जाने वाले कार्यो का वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट ।

1. वर्ष–2012 में छत्तीसगढ़, प्रशासन अकादमी, छत्तीसगढ़ शासन, निमोरा रायपुर के द्वारा 40 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। इस पर प्रशिक्षण शुल्क राशि रू. 42,000/– भुगतान किया गया है।
2. वर्ष–2014 माह–जून में छत्तीसगढ़, प्रशासन अकादमी, छत्तीसगढ़ शासन, निमोरा रायपुर के द्वारा 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। इस पर प्रशिक्षण शुल्क राशि रू. 67,700/– भुगतान किया गया है।
3. आवेदकों को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जवाब/दस्तावेज/जानकारी आदि स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये जाते है।

संदर्भ :– अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 3883/101/2008/11/6 नया रायपुर, दिनांक 18.09.2013 छायाप्रति संलग्न में दिये गये निर्देशानुसार।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड

अशासकीय टीप

एस.के. सोनवानी, जावक क्र. लो.सू. /10302–04/13

लोक सूचना अधिकारी रायपुर, दिनांक 05/10/2013

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के क्रियान्वयन करने संबंधी महत्वपूर्ण सूचना बाबत् ।**

संदर्भ :– अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 3883/101/2008/11/6 नया रायपुर, दिनांक 18.09.2013 छायाप्रति संलग्न ।

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । संलग्न पत्र क्रमांक एफ 10–56/2011/1/5 नया रायपुर दिनांक 29.08.2013 में उल्लेख अनुसार प्रशासनिक सुधार से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराना है । कृपया तत्काल लोक सूचना कक्ष को अवगत कराने का कष्ट करें ।

बिन्दु क्रमांक 04 –

1st Report (Right to Information Master Key Good Governance)	1. Capacity Building and Awareness Generation (Para 5.5.5.)- Recommendation No.28 (पृष्ठ क्र. 11 देखें)	The National Training Policy (see website- http://persmin.gov.in/otraining/NationalPolicy.pdf) provides 2.5% of salary budget of each Department for training. a) Has the State Governm adopted this policy? (i) If yes, the status.

बिन्दु क्रमांक 09 –

1st Report (Right to Information Master Key Good Governance)	10. Organizing Information and keeping (Para 5.4.11)- Recommendation No.27 (पृष्ठ क्र. 10 देखें)	a) Has the State Govt. laid down road map for digitization of records and the status thereof ?

(एस.के. सोनवानी)
लोक सूचना अधिकारी

प्रति,

1. **श्रीमती मंजू जैन,**
   महाप्रबंधक, (का. एवं प्रशा.),
   सीएसआईडीसी, रायपुर

2. **श्री जी.व्ही.एस.पी. राव** 3. **श्री स्वप्निल अवस्थी**

मैन्युअल –11

Manual - 11

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD- Bhilai

11.4

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए गए वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट।	–

मैन्युअल–11

Manual -11

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर

High Tech Bus Stand, Bilaspur

11.5

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किए जाने वाले कार्यो का वितरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट ।

कक्ष से संबंधित नही ।

मैन्युअल –12

Manual - 12

सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है।

औद्योगिक संवर्धन प्रकोष्ठ

Industrial Promotion Cell (IPPD)

आवेदक द्वारा लोक सूचना के तहत् NMFP Scheme के अंतर्गत् वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत इकाईयों की जानकारी चाही गई थी । संदर्भ :– लोक सूचना / 1043 / 2733 / 14 दिनांक 19.06.2014 जवाब में प्रभारी, आईपीपीडी की अशासकीय टीप क्रमांक 3374 दिनांक 01.07.2014 द्वारा प्राप्त जानकारी इस प्रकार है :–

परिशिष्ट (1)

List of Sanctioned Cold Chain, Techonology Upgradation During The Year 2012-14
Under the Scheme of National Mission on Food Processing

Sr.No.	Name and Address of Unit	Nature of Unit Assisted	Date of Sanction	Amount Sanctioned
1.	**M/s Amritmaya Foods Pvt. Ltd.**, Village Orethi, Teh.-Simga, Tilda Road, Raipur (C.G.)	Milk Processing Plant	**19-09-2013**	**Rs.** 1,16,63,000.00
2.	**M/s Sunrise Industries,** Baloda Bazar Road, Raipur (C.G.)	Processing of Pulses (Dal Mill)	**19-09-2013**	**Rs.** 50,00,000.00
3.	**M/s Bhilai Engineering Corporation Ltd. (Food Division),** Bhilai	Furit pulp & Concentrate	**19-09-2013**	**Rs.** 50,00,000.00

परिशिष्ट (2)

Sanction of Grant-in-Aid Under the scheme of National Mission on Food Processing held on 04-06-2014 (Year 2014-15)

Sr.No.	Name of the Applicant/Company	Nature of Unit Assisted	Name of the Scheme	Recommended Grant (Rs in Lacs)
1.	M/s Mahavir Industries, Industrial Area, Bhanpuri, Raipur (C.G.)	Dal Mill	Tecnology Upgradation, Establishment Modernization of Food Processing Industries	50.00
2.	M/s Motil Devi Organic Food Industries (P) Ltd., Baloda Bazar Road, Raipur (C.G.)	Ice Cream Industry	Tecnology Upgradation, Establishment Modernization of Food Processing Industries	**50.00**
3.	M/s Glorious Bakers, Villagte- Tarra, Baloda Bazar Road, Raipur (C.G.)	Bakery Unit	Tecnology Upgradation, Establishment Modernization of Food Processing Industries	**27.78**
4.	M/s Motil Devi Organic Food Industries (P) Ltd., Baloda Bazar Road, Raipur (C.G.)	Soya Milk Manufacturing	Reefer Vehicles	**50.00**
5.	M/s Motil Devi Organic Food Industries (P) Ltd., Baloda Bazar Road, Raipur (C.G.)	Ice Cream Industry	Reefer Vehicles	**37.50**

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति–

12.1 भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना

भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सीएसआईडीसी राज्य नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है ।

प्लान योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई के तकनीकी अपग्रेडेशन, नवीन स्थापना एवं आधुनिकीकरण आदि हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है ।

औद्योगिक निवेश एवं संचालन की प्रक्रिया सरलीकृत करने हेतु निर्णय

1. मेगा एवं अल्ट्रा प्रोजेक्ट परियोजनाओं के स्थापना में आ रही अंतर्विभागीय कठिनाईयों के निवारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया गया है।
2. निवेश परियोजनाओं के चिन्हांकन एवं विस्तृत अधोसंरचना विकास योजना तथा एम.ओ.यू. के अनुसारण, सिंगल विण्डों सिस्टम का क्रियान्वयन, ग्लोबल निवेशक सम्मेलन, नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के स्थल चयन आदि हेतु मेसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग की राज्य शासन के कंसल्टेंट के रूप में नियुक्ति की गई है। कन्सल्टेंट द्वारा जून 2014 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग

1. भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग का राज्य में क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इस हेतु सीएसआईडीसी नोडल एजेंसी है। विभिन्न योजनाओं में अब तक 20 इकाईयों को लगभग रू. 19 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसमें से 8 करोड़ अनुदान वितरित किया जा चुका है।
2. इसके अंतर्गत् स्थापित मुख्य इकाईयां मिल्क चिलिंग प्लांट, आईसक्रीम, दाल मिल, बेकरी परियोजनाएं है, इनमें अमृतमय मिल्क प्रा.लि., मेंटल आइसक्रीम, सनराइज दालमिल, दिनशॉ डेयरीफूड, कुकरेजा बेकरी, पी.एन.जी. इंडिया प्रा.लि., एस.के. साल्वेंट इंडिया प्रा.लि. वामा डेयरी एवं उत्सव आर्गेनिक प्रमुख है।

विशेष उपलब्धियां

1. वर्ष 2014 में औद्योगिक निवेश रूझानों में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम रहा है।
2. राज्य शासन की आकर्षक औद्योगिक नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, ऑटोमोटिव उद्योग नीति के आकर्षण से राज्य में वर्ष 2013–14 में 1193 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए जिनमें रू. 568 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 9472 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ।
3. कोर सेक्टर के अंतर्गत् औद्योगिक परियोजनाओं हेतु राज्य शासन के साथ निष्पादित 121 एम.ओ.यू. के तहत् औद्योगिक परियोजनाएं प्रारंभ/विस्तारित एवं 61 एम.ओ.यू. के अंतर्गत् औद्योगिक परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।
4. प्रतिवर्ष की भांति वर्ष 2014 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला में सफलतापूर्वक भागीदारी किया गया एवं प्रदेश के उद्यमियों के उत्पाद का व्यापार प्रचार–प्रसार एवं विपणन का अवसर प्रदान किया गया है।

आगामी योजनाएं

1. 01 नवम्बर 2014 से नवीन औद्योगिक नीति 2014–19 का क्रियान्वयन हुआ है।
2. नया रायपुर में 135 करोड़ रू. की लागत से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर की स्थापना प्रारंभ किया जा रहा है।
3. रायगढ़ क्षेत्र में वृहद औद्योगिक क्षेत्र लारा की स्थापना की जा रही है।
4. ग्राम बरतोरी तिल्दा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है।
5. वर्ष 2015 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाना है।
6. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी, बॉयो टेक्नॉलाजी, टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रकल उपभोक्ता उत्पाद एवं व्हाईट्स गुड्स उद्योगों की स्थापना किया जाना है।
7. प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया जाना है।
8. एन.आर.डी.ए. के साथ नया रायपुर में संयुक्त रूप से आई.टी. पार्क की स्थापना किया जाना हैं।
9. गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु प्रयास किया जा रहे है।
10. राज्य में इकॉनामिक कारिडोर की स्थापना हेतु पहल की गई हैं।
11. नया रायपुर में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग कल्स्टर तैयार किया जाना है।
12. भारत सरकार की संशोधित आई.आई.यू.एस. योजना के तहत राज्य में स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र उरला एवं औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी की क्रमशः 55 करोड़ एवं 45 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।

विस्तृत विवरण वेबसाईट www.nmfpchhattisgarh.in पर देखा जा सकता है। एन.एम.एफ.पी. से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मंत्रालय द्वारा घोषित गाईड लाईन्स संदर्भ हेतु पृष्ठ क्रमांक ..... से ..... तक संलग्न है ।

Manual - 12

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है।

कक्ष से संबंधित नही

मैन्युअल –12
Manual - 12

संपदा प्रकोष्ठ
Estate Managment Cell

12.2

सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है।

कक्ष से संबंधित नही है ।

मैन्युअल–12
Manual – 12
CSR & Rehabilitation Section

12.3

सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है।

कक्ष से संबंधित नही है ।

Manual -12

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

12.4

सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राषि के बारे में विवरण शामिल है।

निरंक

मैन्युअल –12

Manual - 12

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

12.3

सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है।

मुख्यालय को इस संबंध में मासिक/त्रैमासिक तथा चाहने पर जानकारियां प्रेषित कर अवगत कराया जाता है ।

मैन्युअल–12
Manual -12

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर
High Tech Bus Stand, Bilaspur

12.4

सबसीडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबंटित राशि के बारे में विवरण शामिल है।

कक्ष से संबंधित नही है ।

मैन्युअल –13
Manual - 13

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम

Marketing Cell

13.1 रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

1. विपणन शाखा द्वारा भण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत आरक्षित वस्तुओं की दर का निर्धारण कर Rate Contract निष्पादित किये जाते है । इनके आधार पर संबंधित इकाई द्वारा शासकीय विभागों में सामग्री का प्रदाय किया जाता है ।

2. इकाई का पंजीयन विपणन शाखा द्वारा दिया जाता है ।

Manual - 13

Company Secretary

कम्पनी सचिव कक्ष

13.2

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम

कक्ष से संबंधित नही

मैन्युअल –13
Manual - 13

संपदा प्रकोष्ठ

Estate Managment Cell

13.3

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम

कक्ष से संबंधित नही है ।

मैन्युअल–13
Manual – 13
CSR & Rehabilitation Section

13.4

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम

कक्ष से संबंधित नही है ।

Manual -13

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

13.5

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम

निरंक

मैन्युअल –13

Manual - 13

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

13.6

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम

कच्चा माल भण्डार की कार्यप्रणाली से भिन्न है ।

मैन्युअल–13
Manual -13

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर
High Tech Bus Stand, Bilaspur

13.7

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम

कक्ष से संबंधित नही है ।

मैन्युअल –14
Manual - 14

अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का ब्यौरा।

14.1 निगम के **Web site www.csidc.in** में उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक निम्नानुसार जानकारियों उपलब्ध है :–

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाईट

''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'', रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/ उद्योगपतियों की राज्य में रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करने की दृष्टि से अपना वेबसाईट तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य, प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, पर्यटन तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेब–साईट का नाम "www.csidc.in" है। निगम द्वारा इसमें उपलब्ध सभी जानकारियॉ लगातार अपडेट की जाती हैं। वेबसाईट का सरलीकरण निम्नानुसार किया गया है–

क्र.विवरण मैन्युअल में पृष्ठ क्रमांक

1. राज्य का परिचय
3. वर्तमान औद्योगिक परिदृष्य
4. राज्य की भौगोलिक स्थिति, संचार एवं सडक, रेल, वायु यातायात, सामाजिक अधोसंरचना, अधोसंरचना संबंधी, पर्यटन, वन व लघु वनोपज, खनिज सम्पदा, औद्योगिक व कृषि उत्पाद, सिंचाई परियोजनाओं व औद्योगिक विकास (राज्य में स्थापित सार्वजनिक उपक्रमों, राईस मिलों, स्टील, फेरो एलाय, रोलिंग मिल, स्पांज आयरन, सीमेंट संयंत्र तथा क्षेत्र से प्रमुख निर्यात आदि पर संक्षिप्त टीप) संबंधी जानकारी
5. सी.एस.आई.डी.सी. का परिचय

6. निगम के औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की जानकारी–

   6.1 अधोसंरचना संबंधी जानकारियॉ
   6.2 भूमि आबंटन हेतु लागू दरें व विभिन्न शुल्कों का विवरण
   6.3 भू–आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप, आशय पत्र पारूप, भू–आबंटन आदेश प्रारूप, लीज डीड प्रारूप
   6.4 भू–आबंटन कक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्त भू–खण्डों की जानकारी

7. शासकीय संस्थाओं औद्योगिक संगठनों की सूची महत्वपूर्ण वेबसाईट के पते

8. राज्य की नई औद्योगिक नीति 2009–14 एवं अन्य नई नीतियां

9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 **की धारा 4(1)(b) के तहत् 17 बिन्दुओं के अंतर्गत स्वप्रकटीकरण *Suo motu* हेतु विभिन्न कक्षों की जानकारी हेतु** कक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया मैन्यूअल ।

10. समय–समय पर जारी उपलब्ध कराई गई निविदाएं

11. निगम का सेवा भर्ती नियम

12. विपणन कक्ष, कच्चा माल भण्डार, परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

13. विपणन शाखा द्वारा उपलब्ध कराए गए भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत जारी रेट कांट्रेक्ट

14. विभिन्न सम्पर्क पते व दूरभाष क्रमांक आदि

विपणन प्रकोष्ठ
Marketing Cell

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

14.2 निम्नलिखित जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध है –

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाईट

Web site www.csidc.in

1. विपणन प्रभाग द्वारा जारी निविदाएं
2. विपणन प्रभाग द्वारा जारी रेट कांट्रेक्ट

मैन्युअल–14
Manual – 14
CSR & Rehabilitation Section

14.2

अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का ब्यौरा।

कक्ष से संबंधित नही है ।

Manual -14

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

14.3 निम्नलिखित जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध है –

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाईट

Web site www.csidc.in

प्रति माह में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् प्राप्त आवेदन एवं प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदनों का विवरण वेबसाईट पर प्रतिमाह निम्नानुसार अपलोड किया जाता है ।

माह :– मार्च – 2015

माह में प्राप्त आवेदन (मार्च 2015)		गत माह के अन्त में प्रक्रियाधीन आवेदन (फरवरी –2015)	कुल आवेदन	माह के अन्त में निराकृत आवेदन (मार्च 2015)	माह के अन्त में प्रक्रियाधीन आवेदन (मार्च 2015)
आवेदन पत्रों का विवरण	10	13	23	18	05
प्रथम अपील आवेदनों का विवरण	01	06	07	06	01

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करें एवं अपडेट करनें के पश्चात् उसकी पुष्टि हेतु प्रति RTI कक्ष को उपलब्ध कराये।

मैन्युअल –14

Manual - 14

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

14.3

अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का ब्यौरा।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाईट

Web site www.csidc.in

कच्चा माल भण्डार की गतिविधियां तथा लौह–इस्पात के उठाव संबंधी जानकारी मुख्यालय रायपुर द्वारा निगम के वेबसाइट से अद्यतन की जाती है ।

मैन्युअल–14
Manual -14

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर
High Tech Bus Stand, Bilaspur

14.3

अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का ब्यौरा।

कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है ।

मैन्युअल –15
Manual - 15

आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष कों व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि।

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

15.1 सूचनाओं/जानकारी को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण जैसे–

0	प्रदर्शनी /सेमीनार	–	जी हॉ
0	सूचना पटल	–	जी हॉ
0	अभिलेखों का निरीक्षण	–	जी हॉ
0	दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था	–	जी हॉ
0	सीएसआईडीसी की वेबसाइट	–	जी हॉ
0	समाचार पत्र के माध्यम से	–	जी हॉ
0	पुस्तकालय	–	जी हॉ

मैन्युअल –15
Manual - 15

संपदा प्रकोष्ठ
Estate Managment Cell

आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष को व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि।

15.2

कक्ष से संबंधित नही है ।

मैन्युअल–15
Manual – 15
CSR & Rehabilitation Section

15.3
आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष को व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि।

कक्ष से संबंधित नही है ।

Manual -15

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

15.4

आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष को व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि।

आम जन के लिये लोक सूचना कक्ष मुख्यालय रायपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में निम्नानुसार अध्ययन करने व सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था हैः–

i. केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कम्पेडियम ऑफ बेस्ट प्रेक्टिसेस की संकलित प्रति।

ii. केन्द्र सरकार द्वारा जारी एन.एम.एफ.पी. गाईड लाईन्स की प्रति।

iii. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत् छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की मार्गदर्शिका। इस मार्गदर्शिका में मूल अधिनियम के साथ ही नियम तथा केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्देशों को शामिल किया गया है।

iv. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी नई औद्योगिक नीति 2014–19 की प्रति।

v. सीएसआईडीसी के सेवा भर्ती नियम की प्रति।

vi. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(b) के अंतर्गत सीएसआईडीसी की वेबसाईट पर अपलोड किये गये मैन्युअल 2013–14 एवं 2014–15 की प्रति।

- अधिनियम के साथ ही निगम तथा केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्देशों को शामिल किया गया है। मार्गदर्शिका कार्यालय के लोक सूचना कक्ष में आम नागरिकों के अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
- छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान प्रदाय की गई पुस्तिका।
- जानिये अपना सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 समीक्षात्मक टिप्पणी सहित
  डॉ. नीरज कुमार द्वारा प्रस्तुत एवं भारत लॉ हाऊस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक मूल पृष्ठों की संख्या 1195 उपलब्ध है।
- अन्य हैंडबुक उपरोक्त नियमों पर समय–समय पर प्रकाशित उपलब्ध है।

मैन्युअल –15

Manual - 15

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD-Bhilai

15.3

आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष को व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि।

ग्रंथालय/अध्ययन कक्ष की व्यवस्था नही है क्योंकि इसकी विशेष आवश्यकता वर्तमान में नही है ।

मैन्युअल–15
Manual -15

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर
High Tech Bus Stand, Bilaspur

15.4

आम जन को सूचना प्रदाय करने हेतु ग्रथालय/अध्ययन कक्ष कों व्यवस्था हो तो उसके खुलने/बंद की अवधि।

कक्ष से संबंधित नही है ।

Manual -16

Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

16.1

संस्था के समस्त सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

लोक प्राधिकरण का नाम – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र–1,
तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़– 492006

फोन नं. – 0771–6002071,72,73

फैक्स नं. – 0771–2583794

ई–मेल – csidc.cg@nic.in
csidc_raipur@yahoo.com

लोक सूचना अधिकारी – श्री राम खण्डेलवाल प्रबंधक
सीएसआईडीसी मुख्यालय, रायपुर

सहायक लोक सूचना अधिकारी – श्री एम.ए. अंसारी, सहायक प्रबंधक,
सीएसआईडीसी मुख्यालय, रायपुर

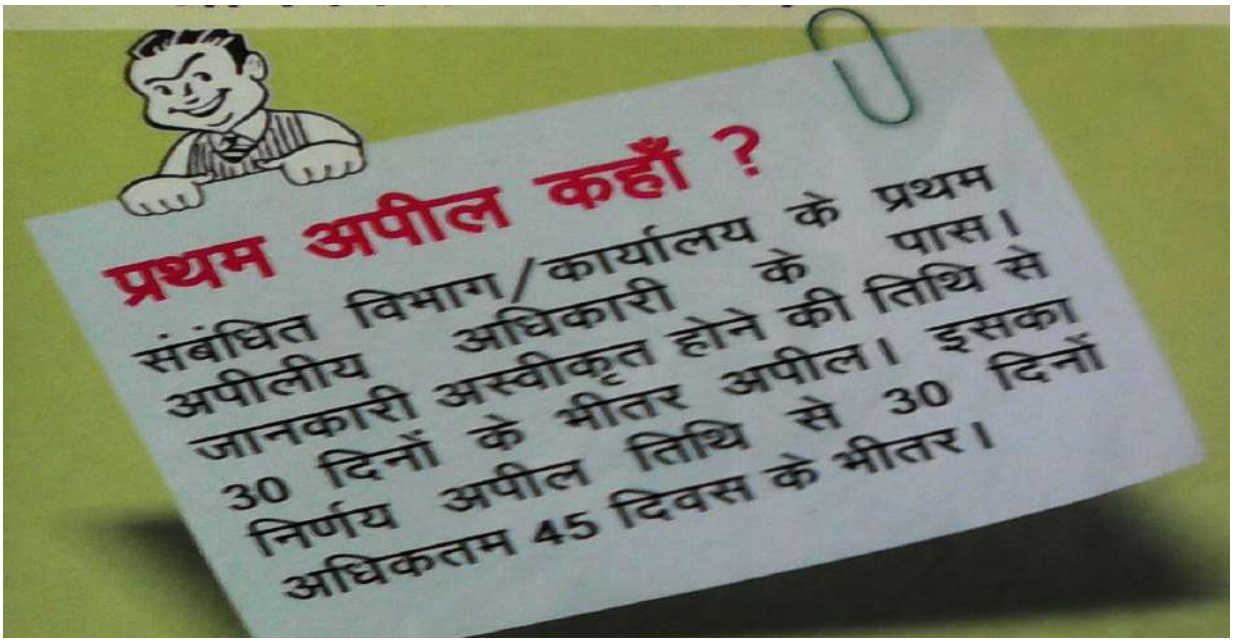

प्रथम अपीलीय अधिकारी–	श्री आलोक त्रिवेदी,
पदनाम–	मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन)
कार्यालय–	सीएसआईडीसी मुख्यालय, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) 492006,
फोन–	0771–6002071,72,73

संस्था के समस्त सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

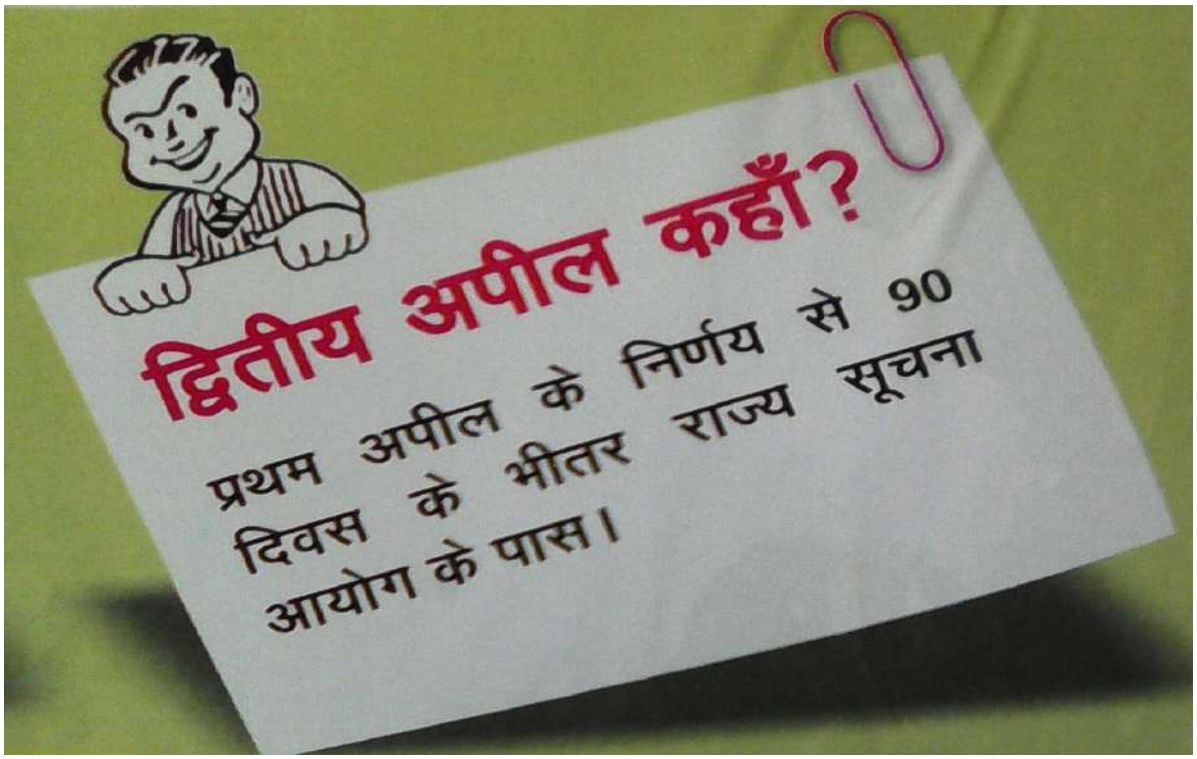

द्वितीय अपील कहां करें :–

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

इन्द्रावती खण्ड प्रथम तल, शास्त्री चौक,
रायपुर, पिन–492001
दूरभाष कार्या.– 0771–4024406, फैक्स –2442132
वेबसाईटः **www.siccg.gov.in**

संस्था के समस्त सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : कार्या.– 0771–2583792–93, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N, ST Regn No. AABCM6288NSD004

16.7 लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम
1.	सीएसआईडीसी, मुख्यालय, रायपुर	श्री एम.ए. अंसारी, सहायक प्रबंधक	श्री राम खण्डेलवाल प्रबंधक	श्री आलोक त्रिवेदी, मुख्य महाप्रबंधक (भू–आबंटन)
2.	सीएसआईडीसी, शाखा कार्या. तिफरा–बिलासपुर		–	–
3.	सीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र बोरई (रसमड़ा) दुर्ग	मुख्य महाप्रबंधक	–	–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु शुल्क/नियम

धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध दस रूपये की आवेदन फीस के साथ होगा, (बी.पी.एल परिवार के सदस्य को आवेदन शुलक में छुट प्राप्त है) जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को संदेय होगा।

धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी–

क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए–4/ए–3 आकार) कागज के लिए दो रूपये;
ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत।
ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और
[1]**[(घ)** अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए निः शुल्क निर्धारित है, उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट (या उसके भाग) के लिए रू. 5/– शुल्क।]

धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी –

क) डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रूपय; और
ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपये।

आवेदन श्री राम खण्डेलवाल, लोक सूचना अधिकारी, प्रबंधक सीएसआईडीसी, रायपुर को सादे कागज में सुस्पष्ट अक्षरो में अथवा टंकित कर प्रस्तुत कर सकते है।आदेशानुसार

प्रबंध संचालक
सीएसआईडीसी, मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मैन्युअल – 16

Manual -16

कच्चा माल भण्डार, भिलाई

RMD- Bhilai

16.8

संस्था के समस्त सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

मुख्यालय रायपुर में पदस्थ है ।

मैन्युअल–16

Manual-16

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर

High Tech Bus Stand, Bilaspur

16.9

संस्था के समस्त सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

सहायक जनसूचना अधिकारी – श्री आर.के. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक

मैन्युअल –17
Manual - 17

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।

17.1 **भू–अर्जन प्रकोष्ठ**

Land Acquisition

संभावित प्रश्न अन्य उपयोगी जानकारियॉ–

1. औद्योगिक क्षेत्र कहॉ कहॉ बनाये जा रहे है ।

संभावित उत्तर

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र राजनांदगाव, दगोरी (बिलासपुर) रायगढ़, रायपुर (तिल्दा) एवं आईआईडीसी, (IIDC) खैरा, जिला बेमेतरा

2. निजी भूमि के अर्जन पर सम्बंधित प्रभावित व्यक्ति द्वारा चाही गयी जानकारी सीएसआईडीसी वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवेदन को उपलब्ध कराई जावेगी ।

3. भूमि के क्रय हेतु इकाई के आवेदन पर इकाई द्वारा जानकारी मांगे जाने पर संबंधित नस्ती से वस्तुस्थिति की जानकारी आवेदन को दी जावेगी ।

छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति – 2007 (यथासंशोधित)

प्रस्तावना:–

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य क्रमशः विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में नयी विकास परियोजनाएं यथा विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खनिज उत्पादन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास आदि, क्रियान्वित हो रही हैं और अनेकों नई परियोजनाओं के लिये निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता होती है। बड़ी परियोजनाओं के लिये आबादी क्षेत्रों का पुनर्स्थापन भी आवश्यक होता है।

2. पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय विभागीय पुनर्वास नीतियां तो प्रचलित थी किन्तु एक समग्र पुनर्वास नीति नहीं थी। वर्तमान में अलग अलग सेक्टरों की परियोजनाओं के अन्तर्गत की जाने वाली पुनर्वास व्यवस्था में एकरूपता का अभाव है । अतएव एक समग्र आदर्श पुनर्वास नीति बनाने की आवश्यकता है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य की यह आदर्श पुनर्वास नीति उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति करेगी। इसके फलस्वरूप विकास परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के सुविधाजनक पुनर्वास में तो मदद मिलेगी ही समुचित पुनर्स्थापना होने से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को भी गति मिलेगी।

उद्देश्य एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त:–

1.1 **उद्देश्य:**

पुनर्वास नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न शासकीय तथा निजी संस्थानों की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिलने के साथ साथ उनके रहने और रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो सके जो भूमि अधिग्रहण के पूर्व की स्थिति से समकक्ष अथवा बेहतर हो। इस हेतु निम्नलिखित के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं:–

1.1.1 परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को उनकी अधिग्रहित भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति के लिए वैकल्पिक भूमि का आबंटन तथा/अथवा नगदी मुआवजे का वितरण विस्थापन के पूर्व सुनिश्चित करना।

1.1.2 परियोजना से प्रभावित ऐसे परिवारों को जिनके आवासीय भवन अधिग्रहीत हों, नए स्थान पर सुनियोजित बसाहट स्थापित कर उनके रहने की ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करना जो मूल सुविधा के समक्ष अथवा बेहतर हो।

1.1.3 परियोजना से प्रभावित परिवारों को परियोजना में स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

1.1.4 परियोजना से प्रभावित ऐसे भूमिहीन परिवारों, जो कृषि के भिन्न धन्धे /रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करते हों के लिए यथासंभव उनके मूल धन्धे /रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करना ।

1.1.5 यह सुनिश्चित करना कि किसी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का ही अधिग्रहण किया जाए और यदि अधिग्रहीत भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन हेतु न हो तो वहां ऐसा करना विधि सम्मत हो, अधिग्रहित भूमि का मूल प्रयोजन या अन्य आवश्यक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके।

1.1.6 परियोजना से प्रभावित परिवारों /व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था इस नीति के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास कार्यों के पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग की व्यवस्था करना।

1.2 **मार्गदर्शी सिद्धान्त:–**

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करते हुए की जाएगी:–

1.2.1 यह नीति इसके प्रकाशन के दिनांक से समस्त ऐसी परियोजनाओं पर लागू होगी जिनमें प्रकाशन के दिनांक तक भू–अर्जन की कार्यवाही अर्थात् अवार्ड पारित होने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई हो।

1.2.2 पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए राजस्व ग्राम तथा वनग्राम में कोई अन्तर नहीं किया जाएगा।

1.2.3 विभाग/निजी संस्थान द्वारा अधिग्रहित भूमि का उपयोग अधिग्रहण के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोजन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य प्रयोजन के लिए एक निश्चित कालावधि के भीतर करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर अधिग्रहित भूमि का उपयोग, जिन मामलों में ऐसा करना विधि सम्मत हो उसके मूल प्रयोजन अथवा राज्य शासन द्वारा निर्देशित किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

1.2.4 जिन मामलों में किसी परियोजना के लिए आबादी /आवासीय भूमि भी अधिग्रहित हो, उनके परियोजना के क्षेत्र के समीप वैकल्पिक सुनियोजित बसाहट का प्रावधान पुनर्वास योजना में ही किया जाएगा। वैकल्पिक बसाहट में भूखण्ड आवासीय, व्यवसायिक तथा सामाजिक सुविधाएं निर्मित की जाएंगी, जो मूल बसाहट के समकक्ष या उससे बेहतर होगी।

1.2.5 पुनर्वास योजना में कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस हेतु ऐसे व्यक्तियों, जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रकाशित अधिसूचना की तारीख के न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व से शासकीय भूमि पर रह रहे हों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में वर्ष 1990 के पूर्व से शासकीय भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हों, को भी पुनर्वासित किया जाएगा।

1.2.6 परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थापित नई बसाहटों में अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य कराने हेतु राज्य की सभी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि नई बसाहटों में मूलभूत तथा नागरिक सुविधाएं पहले से बेहतर बनाई जा सके।

1.2.7 खनिजीय परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित ऐसे विस्थापित परिवारों, जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित हो, के एक सदस्य को उसकी अर्हतानुसार नियोजन उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक तथा खनन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को उसकी अर्हतानुसार रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

1.2.8 परियोजना से प्रभावित परिवारों को उनकी मूल स्थिति से बेहतर स्थिति में लाने के लिए उपर्युक्त के अतिरिक्त शासन के हितग्राही मूलक योजनाओं, जिनमें स्वरोजगार की योजना भी शामिल होगी, का लाभ दिया जाएगा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

1.2.9 परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण तथा पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही साथ-साथ की जाएगी।

1.2.10 पुनर्वास परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करने और प्रभावित व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध कराने के सतत पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग की व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियाँ गठित की जाएंगी।

2 परिभाषाएं:-

2.1 (क) ग्राम का साधारणतया निवासी व्यक्ति:- ग्राम के साधारणतया निवासी व्यक्ति से तात्पर्य ग्राम में रहते हुए कृषि कार्य (स्वयं की भूमि या अन्य की भूमि पर कृषि या मजदूरी) करने वाले या कारीगरी, शिल्पकारी या सेवा कार्य करने वाले से है।

(ख) प्रभावित व्यक्ति:-प्रभावित व्यक्ति से अभिप्रेत ऐसे किसी व्यक्ति से है जो उस क्षेत्र में, जिसकी परियोजना के लिये आवश्यकता है, भू-अर्जन की धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से साधारणतया रहता है तथा कोई व्यापार धंधा, या आजीविका के लिये कार्य करता रहा है या कम से कम तीन वर्ष पूर्व से निजी भूमि पर काश्त करता रहा है या कम से कम तीन वर्ष पूर्व से निजी भूमि पर काश्त करता रहा है।

(ग) प्रभावित परिवार:- प्रभावित परिवार में शामिल है कोई प्रभावित व्यक्ति, उसकी पत्नि या पति तथा नाबालिग बच्चे और प्रभावित व्यक्ति पर आश्रित वृद्ध माता- पिता, विधवा माँ या बहन तथा अविवाहित पुत्री।

(घ) विस्थापित व्यक्ति:- विस्थापित व्यक्ति से तात्पर्य है कोई भूमि स्वामी, शासकीय पट्टेदार अथवा किसी सम्पत्ति का मालिक जो परियोजना के लिये उसकी भूमि के अर्जन के कारण जिसमें आबादी भू-खण्ड का अर्जन भी सम्मिलित है, ऐसी भूमि अथवा सम्पत्ति से विस्थापित हो गया हो।

(ङ) विस्थापित परिवार से तात्पर्य है कोई विस्थापित व्यक्ति, उसकी पत्नि या पति तथा नाबालिग बच्चे और विस्थापित व्यक्ति पर आश्रित वृद्ध माता –पिता, विधवा मां या बहन तथा अविवाहित पुत्री।

स्पष्टीकरण:– विस्थापित व्यक्ति के बालिग पुत्र को जो भू–अर्जन की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से बालिग हो गया है, एक अलग परिवार के रूप में माना जाएगा।

(च) भूमिहीन कृषक:– भूमिहीन कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई कृषि भूमि न हो और वह किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि पर कृषि करता हो।

(छ) छोटा कृषक:– छोटे कृषक से तात्पर्य ऐसे किसान से है जो स्वयं की भूमि स्वामी स्वत्व की कुल एक हेक्टेयर तक असिंचित या 0.50 हेक्टेयर सिंचित भूमि धारण करता हो।

(ज) कृषि मजदूर:– कृषि मजदूर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी अपनी कोई कृषि भूमि न हो और जो अन्य व्यक्ति की कृषि भूमि पर मजदूरी करता हो।

(झ) सेवाभूमि कोटवार:– सेवाभूमि कोटवार से वही तात्पर्य है जैसा कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 में परिभाषित है।

(ञ) भूमिहीन परिवार:–भूमिहीन परिवार से तात्पर्य गैर कृषक विस्थापित परिवार से है।

3. भूमि मकान आदि का अधिग्रहण:–

3.1 भू–अर्जन अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक प्रयोजन के दायरे में उन परियोजनाओं को माना जाएगा जिन्हें राज्य सरकार इस हेतु मान्यता दे। इनमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ पुनर्वास, रक्षा, रेल, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, खनिज उत्पादन, जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी।

3.2 परियोजनाओं का सामान्यतः निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा:–

(1) ऐसी परियोजनाएं जिनमें प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्वासाहट आवश्यक न हो

(2) ऐसी परियोजनाएं जिनमें प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्वासाहट आवश्यक हो।

3.3 परियोजनाओं के लिए आवश्यक निजी भूमि तथा वन भूमि प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की जाएगी। शासकीय राजस्व भूमि का हस्तांतरण /आवंटन राज्य शासन के तत्समय प्रभावशील स्थाई आदेशों /निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित करने के लिए राजस्व भूमि तथा वन भूमि में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, किन्तु मकाध्यादित /वृक्षारोपण वाली भूमि को यथासंभव अधिग्रहण से मुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा।

3.5 किसी परियोजना के लिए भूमि तथा सम्पत्ति का अधिग्रहण करते समय इस नीति के अनुरूप विस्थापितों के पुनर्वास की योजना भी सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

3.6 परियोजना के लिए भू–अर्जन का प्रस्ताव करने वाले विभाग/ संस्थान द्वारा परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों का इस नीति के अनुरूप पुनर्वास करने के लिए एक पुनर्वास योजना बनाई जाएगी और अनुमोदित पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन हेतु परिशिष्ट–तीन के प्रारूप में विभाग/ संस्थान तथा जिला कलेक्टर के मध्य एक मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3.7 अनुमोदित पुनर्वास योजना के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वास कार्य की मॉनिटरिंग /निगरानी इस प्रयोजन हेतु गठित जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा की जाएगी।

3.8 किसी परियोजना के लिए भू–अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विस्थापित व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र विधि सम्मत मुआवजा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए परियोजना क्षेत्र से सभी संबंधित भू–अभिलेखों को एक कार्यक्रम बनाकर अद्यतन किया जाएगा।

3.9 शासकीय राजस्व भूमि तथा वन भूमि के अतिक्रामक को भी पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए पात्र माना जाएगा, बशर्ते कि उसका राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति देने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष पूर्व से शासकीय भूमि पर सतत् अधिपत्य रहा हो।

3.10 ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की 75 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत की गई हो, या किसी ग्राम का अन्य क्षेत्र पानी से घिर जाए वहां यदि प्रभावित व्यक्ति ऐसा चाहें तो संबंधित विभाग /परियोजना द्वारा ऐसे क्षेत्रों की सम्पूर्ण अधिग्रहीत करने का प्रयास किया जाएगा।

3.11 विस्थापित होने वाले परिवारों को उनके निवास हेतु प्लाट या मकान दिया जाएगा जिसके लिये आवश्यक भूमि का चयन भू-अर्जन की योजना तैयार करते समय ही पुनर्वास योजनानुसार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक भूमि भी साथ साथ अर्जित की जाएगी।

3.12 भूमिहीन व्यक्तियों को भी यथा संभव परियोजना क्षेत्र के आसपास ही बसाया जाएगा। ताकि वे परियोजना के क्षेत्र में विकास का लाभ अपने जीवन यापन हेतु कर सके।

3.13 परियोजना से विस्थापित परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कण्डिका-7 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4 अधिग्रहित सम्पत्ति का मुआवजा:-

4.1 भूमि का मुआवजा:-

4.1.1 जिन विस्थापित काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जाती है उन्हें :-

(क) राज्य शासन की परियोजनाओं के मामलों में शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर निजी भूमि के बदले शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा संभव न होने पर भूमि के बदले मुआवजा दिया जाएगा।

(ख) निजी संस्थानों की परियोजनाओं के मामले में अधिग्रहित निजी भूमि के लिये मुआवजा दिया जाएगा।

4.1.2 शासकीय अतिक्रमित भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। किन्तु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में 1980 के पूर्व के अतिक्रामकों को भूमि आवंटित की जाएगी।

4.1.3 डूब से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की कीमतें प्रायः दबी हुई रहती है। अतएव ऐसी परियोजनाओं के डूब क्षेत्र के लिए अर्जित की जाने वाली कृषि भूमि आबादी प्लाटों आदि का मुआवजा समीपवर्ती सिंचाई क्षेत्र (कमाण्ड) की भूमि के क्रय-विक्रय के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

4.1.4 नगरीय आबादी प्लाटों तथा अन्य नगरीय भूमि का मुआवजा डूब क्षेत्र के बाहर निकटवर्ती क्षेत्र में उसी क्षेत्र में नगरीय भूमि की औसत बिक्री दरों को आधार मानकर दिया जाएगा।

4.1.5 दूरस्थ स्थित क्षेत्रों में और विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अधिग्रहीत किए जाने वाली भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के आंकलन के लिए भूमि के क्रय विक्रय के पर्याप्त व वर्तमान कालावधि के आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। अतएव:-

(क) वाणिज्यिक तथा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन के मामलों में भू-अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त इतनी राशि और भुगतान की जाएगी कि भूमि स्वामी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम कुल राशि बंजर भूमि हेतु रूपये 50,000/- प्रति एकड़, असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु रूपये 75,000/- प्रति एकड़ एवं सिंचित (दो फसली) भूमि हेतु रूपये 1,00,000/- हो जाए।

(ख) शासकीय परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन के मामलों में भू-अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त इतनी राशि और भुगतान की जाएगी कि भूमि स्वामी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम कुल राशि बंजर भूमि हेतु रूपये 30,000/- प्रति एकड़, असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु रूपये 45,000/- प्रति एकड़ तथा सिंचित दो (फसली भूमि) हेतु रूपयें 60,000/- प्रति एकड़ हो जाए। यदि शासकीय भूमि उपलब्ध हो तो शासकीय परियोजनाओं के विस्थापित भू-स्वामियों को भूमि के बदले भूमि का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

(ग) यदि भू–अधिनियम की धारा –4 की उपधारा (1) के अनुसार अधिसूचना जारी होने के दिनांक को कलेक्टर द्वारा मुद्रांक शुल्क भुगतान के प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई गाईड लाईन दर भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत परिगणित बाजार मूल्य से अधिक हो तो भू–धारक को देय न्यूनतम राशि की गणना धारा 4(1) की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन दर अथवा उपरोक्त (क) अथवा (ख) में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर की जाएगी।

4.1.6 कोटवार को सेवा भूमि का मुआवजा देय नहीं होगा, किन्तु भूखंड आवंटन एवं अन्य सुविधाएं अन्य विस्थापितों की भांति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4.2 वृक्षों का मुआवजा:–

अधिग्रहित निजी भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों का मूल्य उनसे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय एवं लकडी के मूल्य आदि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य वृक्षों का मूल्य अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों की लकडी के आधार पर आंका जाएगा।

4.3 मकान एवं सम्पत्ति का मुआवजा:–

4.3.1 अन्य सम्पत्तियों जैसे मकान, कुंआ, निजी बाडी, अन्य निर्माण जैसी सम्पत्ति का मूल्य उसे वैसी ही हालत में फिर से उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक व्यय के बराबर आंका जाएगा।

4.3.2 अतिक्रमक विस्थापितों के मामले में केवल अतिक्रमित भूमि पर बने मकानों के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा। किन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1980 के पूर्व के अतिक्रमकों से प्राप्त की गई भूमि पर के अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा।

5. विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन:–

5.1 राज्य शासन की परियोजनाओं के लिए भू–अर्जन से प्रभावित ऐसे विस्थापित परिवारों जिनकी ओत की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित की जाती है को शासकीय भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में परियोजना के क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा।

5.2 शासकीय परियोजनाओं के जिन मामलों में मुआवजे के बदले भूमि आवंटन किया जाएगा उनमें भूमि विकास के लिए रूपये 10,000/– (रुपये दस हजार) प्रति एकड़ की दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

5.3 आवंटित भूमि में कुंआ, नलकूप या अन्य साधनों से सिंचाई के लिये विस्थापित परिवारों को शासन द्वारा विद्यमान योजनाओं के तहत सहायता दी जाएगी। यदि नई भूमि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सिंचाई सुविधा न होने के तथ्य को कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए वहां शासन की विद्यमान योजनाओं के तहत सहायता दी जाए।

5.4 कोटवार को सेवा भूमि का कोई मुआवजा देय नहीं होगा किन्तु भू–खण्ड आवंटन एवं अन्य सुविधाएं अन्य विस्थापितों की भांति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

6 विस्थापितों को भू–खण्ड आवंटन:–

6.1 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विस्थापित परिवार को निम्नानुसार निशुल्क वैकल्पिक भू–खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा:–

(1)	भूमिहीन परिवार	300 वर्गमीटर
(2)	लघु /सीमान्तक कृषक परिवार	450 वर्गमीटर
(3)	अन्य कृषक परिवार	600 वर्गमीटर

6.2 नगरीय विस्थापित परिवारों का पुनर्वास नए नियोजित नगरीय क्षेत्रों में किया जाएगा। इस कार्य के पूर्व स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत) से परामर्श लिया जाएगा। जहां आवश्यकता हो म.प्र. गृह निर्माण मण्डल या अन्य एजेन्सी से भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण के लिए विशेष योजनाएं हाथ में ली जाएंगी।

6.3 नगरीय क्षेत्रों के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित आकारों के भूखण्ड बनाए जाएंगे:—

(1)	कम आय वर्ग	98 वर्गमीटर
(2)	अल्प आय वर्ग	140 वर्गमीटर
(3)	मध्यम आय वर्ग	280 वर्गमीटर
(4)	उच्च आय वर्ग	420 वर्गमीटर

6.4 किसी विस्थापित परिवार को आय के आधार पर उपर्युक्त विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार के भूखण्ड अथवा उसके अर्जित किए गए भूखण्ड के आधार पर भूखण्ड की पात्रता होगी । इस अवधारणा के अन्तर्गत विस्थापित परिवार को उसके विद्यमान भूखण्ड के आकार से बड़े आकार का वह भूखण्ड पाने की पात्रता होगी जो कि उपरोक्त 4 प्रकार के मानक भूखण्डों में आता हो । उदाहरणार्थ यदि किसी मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित वर्तमान भूखण्ड का आकार 200 वर्गमीटर है तो उसे नये स्थल पर 280 वर्गमीटर भूखण्ड पाने की पात्रता होगी।

6.5 यदि कोई विस्थापित परिवार उपरोक्त पात्रता के अनुसार मिलने वाले आकार के भूखण्ड से बड़े आकार का भूखण्ड चाहे तो उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त मूल्य भुगतान कर प्राप्त कर सकेगा।

6.6 सभी वर्ग के भूखण्डों की मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया एक समान होगी । मूल्य का निर्धारण वास्तविकता के आधार पर होगा। यदि नए भूखण्ड की दर विस्थापितों से अधिग्रहित भूखण्ड के मुआवजे की दर से अधिक हो तब अन्तर की राशि परियोजना द्वारा दी जाएगी। के

6.7 नए स्थान में भूखण्ड आवंटन हेतु एक परिवार एक भूखण्ड का सिद्धान्त अपनाया जाएगा।

6.8 नए भवन निर्माण हेतु हुडको एवं अन्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाएगा।

6.9 जिन विस्थापित परिवारों के वाणिज्यिक /व्यवसायिक भवन अधिग्रहित हो उन्हें परियोजना द्वारा विस्थापितों के लिये नई बसाहटों में आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक /व्यवसायिक भूखण्ड विकसित कर कोई लाभ नहीं, हानि नहीं के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.10 यथा संभव नव स्थापित आदर्श ग्राम एवं नगरों का नाम पुराने ग्राम एवं नगरों के नाम पर ही किया जाएगा ताकि भावनाओं को बनाया रखा जा सके । नाम के आगे केवल नया (न्यू) शब्द जुड़ जाएगा, जैसे रामनगर में न्यू रामनगर ।

7 रोजगार तथा अन्य सुविधाएं—

7.1 रोजगार की पात्रता ऐसे प्रत्येक विस्थापित परिवार को होगी जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन वर्ष पूर्व से स्वतंत्र रूप से या संयुक्त परिवार के रूप में अधिगृहित भूमि के भूमि स्वामी या पट्टेदार रहे हों। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित ऐसे विस्थापित परिवारों जिनकी 70 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित हो, के एक सदस्य को तथा औद्योगिक/खनन परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को उनकी अर्हता तथा उपयुक्तता के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सी /संस्थान द्वारा रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

(अ) परियोजना के कार्यों में रोजगार देते समय परियोजना विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ब) परियोजना में पात्र शिक्षित नवयुवकों को बेहतर रोजगार देने के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

(स) शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम की परियोजना के लिए भूअर्जन से विस्थापित ऐसे व्यक्तियों जिन्हें रोजगार की पात्रता हो, की श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(द) परियोजना से विस्थापित परिवारों को लाभप्रदायक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

(इ) डूब से प्रभावित क्षेत्रों के मछुआरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यदि परियोजना में मछली पालन के अवसर हों तो डूब से प्रभावित व्यक्तियों की समिति को मछली पालन के ठेके में प्राथमिकता दी जाएगी।

(क) औद्योगिक/खनन परियोजना के विस्थापित परिवारों को रोजगार की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में दी जाएगी:—

(i) जिनकी शत प्रतिशत कृषि भूमि तथा घर अधिग्रहीत हुए हो,
(ii) जिनकी शत प्रतिशत कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,
(iii) जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,
(iv) जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,
(v) जिनकी 25 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,
(vi) अन्य विस्थापित परिवार ।

(ख) यदि वाणिज्यिक /औद्योगिक /खनन परियोजना तथा उससे संबद्ध कार्य कलापों में नियमित रोजगार के अवसर रोजगार के लिये पात्र विस्थापित परिवारों की संख्या से कम हों तो उन्हें निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:—

(1) विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को मुआवजे के अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र अथवा परियोजना क्षेत्र से लगी हुई अथवा निकटस्थ विकासखण्ड मुख्यालय अथवा नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र में (उसकी इच्छानुसार) पक्की दुकान निर्मित करके दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। जनपद पंचायत मुख्यालय/नगरपंचायत मुख्यालय /नगरपालिका क्षेत्र में कम्पनी को कलेक्टर द्वारा बिक्री की दरों के आधार पर भूमि आवंटित की जाएगी जिस पर कम्पनी द्वारा पक्की दुकानों का निर्माण किया जाकर विस्थापितों को आवंटित किया जाएगा।

(2) जो विस्थापित परिवार वैकल्पिक रोजगार के लिए परियोजना में उपयोग होने वाले कच्चे माल या परियोजना के उत्पाद की ढुलाई से संबंधित परिवहन व्यवसाय या यात्री परिवहन में स्वरोजगार हेतु विकल्प दें, उन्हें परियोजना से संबंधित परिवहन ठेकों में संस्थान द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी तथा इस हेतु परिवहन ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी जाएगी।

7.2 विस्थापित परिवारों के ऐसे सदस्यों को, जिन्हें परियोजना में रोजगार प्राप्त करने की पात्रता हो किन्तु वे आवश्यक तकनीकी अर्हता नहीं रखते हों, उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पृथक परियोजनाओं के मामलों में संबंधित संस्थान द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित शासकीय विभाग /संस्थान द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शासन की उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हुए अथवा स्वतंत्र रूप से, जहां जैसा संभव हो, की जाएगी।

7.3 परियोजना से प्रभावित अन्य व्यक्तियों, विशेषकर भूमिहीन व्यक्तियों, को शासन के संबंधित विभागों द्वारा नए कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा छोटे कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएंगे। परियोजना से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों में ऐसे व्यक्तियों को कार्य दिया जाएगा।

7.4 विस्थापित परिवारों को राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्वरोजगार मूलक योजनाओं (डेयरी विकास, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, लघु कुटीर उद्योग आदि) के लिये चिन्हित कर उन्हें वित्तीय संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था करते हुए लाभान्वित करने के प्रयास किये जाएंगे।

7.5 शासकीय परियोजनाएं जैसे सिंचाई परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं, स्कूल परियोजनाएं अथवा अस्पताल की परियोजनाएं जनकल्याणकारी होती हैं। उनमें रोजगार के अवसर प्रायः नहीं होते हैं, इसलिये शासकीय परियोजनाओं के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन्हें शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्थानों में रोजगार देने में प्राथमिकता देने के विधि सम्मत प्रावधान किये जाएंगे।

7.6 परियोजना के क्षेत्र में कार्यरत स्वसहायता समूहों को उद्योग स्थापना से निर्मित होने वाले कार्यकलापों /गतिविधियों में जोड़ने के लिए पहल की जाएगी। इस हेतु संबंधित विभाग /संस्थान द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन /प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये कदम उठाए जाएंगे।

8. विस्थापितों को विविध सहायता :–

8.1 पुनर्स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक विस्थापित परिवार को रूपये 11,000/– (रूपये ग्यारह हजार) की एकमुश्त सहायता राशि पुनर्स्थापन अनुदान के रूप में दी जाएगी जिसे समय–समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

8.2 पुर्नस्थापना योजना अनुसार विस्थापित परिवारों तथा उनके मवेशियों को अधिग्रहित क्षेत्र से नई जगह ले जाने का कार्य जिला प्रशासन की देख–रेख में सम्पादित किया जाएगा । जिस पर होने वाले व्यय का वहन परियोजना द्वारा किया जाएगा। यदि विस्थापित परिवार परियोजना द्वारा की गई परिवहन व्यवस्था का लाभ प्राप्त नहीं करता है तो उसे रूपये 1,000 (रूपये एक हजार) की राशि का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा, जिसे समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

8.3 ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापितों के लिए नई बसाहट के क्षेत्र में सार्वजनिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये राज्य शासन की सुसंगत योजनाओं के तहत प्राथमिकता पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

8.4 नगरीय क्षेत्रों के ऐसे विस्थापित जो मूल स्थान पर अपना व्यवसाय/व्यापार किराए के भवन में कर रहे हों को नई नगरीय बसाहटों में बनी दुकानों को किराए पर देने में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विस्थापित व्यक्ति जो व्यवसायिक भूखण्ड पाने के इच्छुक हों उन्हें निर्धारित शर्तों पर उचित भू–खण्ड /दुकान उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी।

8.5 जो व्यक्ति मा– काश्तकार है उसे पुनर्वसाहट की स्थिति में नई बसाहट में आबादी जमीन दी जाएगी और साथ में पुनर्वास अनुदान भी दिया जाएगा। बशर्ते वह धारा–4 की अधिसूचना के प्रकाशन से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से या वैध किराएदार के रूप में न्यूनतम एक वर्ष पूर्व से रह रहा हो।

8.6 विस्थापित परिवारों में से यदि कोई स्वयोजगार हेतु उद्योग स्थापित करना चाहे तो उन्हें निकटस्थ औद्योगिक क्षेत्र में भू–आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

8.7 प्रभावित क्षेत्रों के समीप क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में वाणिज्यिक भू–खण्ड दुकानें इत्यादि के आवंटन में प्रभावित परिवारों को समुचित प्राथमिकता दी जाएगी।

8.8 विभिन्न गतिविधियों के लिये पुनर्वसाहट हेतु स्थापित नए नगरीय क्षेत्रों का नियोजन करते समय अनिवार्यतः मांग, प्रकार, सुविधा, उपयोगिता, दूरी एवं आवागमन के साधनों आदि पर प्रथमिक ध्यान दिया जाएगा।

8.9 सब /विस्थापित क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च पुरातत्व महत्व के स्थल आदि के एवज में नये क्षेत्र में उनके नवनिर्माण तथा कब्रगाह व घाट संस्कार हेतु स्थल के लिये आवश्यक प्रावधान रखा जाएगा।

8.10 परियोजना के विस्थापित परिवारों को परियोजना के अस्पताल में चिकित्सा सुविधा तथा उनके बच्चों को परियोजना के स्कूल में प्रवेश की सुविधा नामिनल/रियायती शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.11 अनुसूचित क्षेत्रों में जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था बनी हुई है । विकास के दीर्घकालीन आयोजन में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता बनी रहे।

8.12 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विस्थापित परिवारों को जो सुविधाएं फिलहाल अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिल रही है, उन्हें नई जगह पर यथावत रखा जाएगा।

9. सलाहकार समितियाँ:–

9.1 परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापना की पुनर्वास योजना का अनुमोदन संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा भू–अर्जन के लिए अनुमति देते समय किया जाएगा।

9.2 विकास परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापना की पुनर्वास योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग निम्नलिखित समितियों द्वारा की जाएगी।

9.2.1 ऐसी परियोजनाएं, जिनकी लागत 100 करोड़ से अधिक है का राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा

9.2.2 ऐसी परियोजनाएं जिनकी लागत 100 करोड़ से कम हो, का जिला स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा

9.3 राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय पुनर्वास समितियों का गठन परिशिष्ट–एक अनुसार किया जाएगा।

10. पुनर्वास योजना की समीक्षा, अनुमोदन की प्रक्रिया आदि:-

10.1 शासकीय परियोजनाओं के मामलों में संबंधित विभागाध्यक्ष सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं के मामले में संबंधित उपक्रम तथा निजी संस्थानों की परियोजनाओं के मामले में संबंधित संस्थान द्वारा परियोजना के लिये भू-अर्जन से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु एक "पुनर्वास योजना" तैयार की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ परिशिष्ट-दो में उल्लेखित विवरण होंगे। पुनर्वास योजना तैयार करने के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि उसके भूमिस्वामियों/बटाईदारों भूअर्जन से प्रभावित परिवारों तथा अन्य आवश्यक विवरण एकत्रित करने के लिये संबंधित विभाग /संस्थान द्वारा अनुरोध किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा सहयोग/सहायता दी जायगी।

10.2 यथास्थिति विभागाध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम या निजी संस्थान पुनर्वास योजना सहित अपना भू-अर्जन प्रस्ताव औद्योगिक परियोजनाओं के मामलों में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड/जिला निवेश प्रोत्साहन समिति के कार्यालय में तथा अन्य परियोजनाओं के मामलों में राज्य शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग /जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

10.3 राज्य शासन का संबंधित प्रशासकीय विभाग पुनर्वास योजना का परीक्षण करेगा और यह देखेगा कि पुनर्वास योजना आदर्श पुनर्वास नीति के अनुरूप तैयार की गई है और उसमें आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं का समावेश किया गया है। पुनर्वास योजना के परीक्षण उपरान्त संबंधित प्रशासकीय विभाग उसे आदर्श पुनर्वास नीति के अनुरूप बनाने के लिये उसमें विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान से आवश्यक संशोधन कराएगा और उसे संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजेगा।

10.4 ऐसे मामलों जिनमें भूमि अभिग्रहण के कारण आबादी की पुनर्वासहट आवश्यक हो, उनमें प्रशासकीय विभाग से प्राप्त पुनर्वास योजना जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित स्थानीय संस्था (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगरपालिक निगम) को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी जो उसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेंगे:-

(i) अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में पंचायत विशेष उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं के परामर्श के समय,

(ii) गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के समय.

10.5 उपर्युक्त पैरा 10.4 की अपेक्षानुसार पुनर्वास योजना का प्रकाशन होने पर प्रभावित व्यक्ति संबंधित जिले के कलेक्टर को सुझाव दे सकेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त सुझावों का आदर्श पुनर्वास नीति के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति के समक्ष एकत्रकर समिति के सुझाव प्राप्त किये जाएंगे।

10.6 उपर्युक्त पैरा-10.5 के तहत प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों के संबंध में जिला पुनर्वास समिति के अभिमत सहित, जिला कलेक्टर पुनर्वास योजना की संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजेगा। सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान की परियोजनाओं के मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा राज्य शासन को भेजे गए अभिमत की एक प्रति सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

10.7 प्रभावित व्यक्तियों के सुझावों तथा उस पर जिला स्तरीय समिति के अभिमत पर, विचारोपरान्त संबंधित प्रशासकीय विभाग शासकीय परियोजना के मामले में स्वयं तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी संस्थान की परियोजना के मामले में यथास्थिति सार्वजनिक उपक्रम या निजी संस्थान से पुनर्वास योजना में समुचित संशोधन करने/कराने के उपरान्त उसका अनुमोदन करेगा तथा अनुमोदित पुनर्वास योजना की प्रतियाँ संबंधित जिला कलेक्टर तथा विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान को भेजेगा।

10.8 अनुमोदित पुनर्वास योजना प्राप्त होने पर कलेक्टर भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाहियाँ करने के लिए अग्रसर होगा और भू-अर्जन अधिनियम /नियमों का पालन करते हुए भूअर्जन सम्पन्न करेगा।

10.9 भू-अर्जन की कार्यवाही के प्रचलन के दौरान प्रभावित ग्राम /ग्रामों के निवासियों अथवा उनके संगठनों द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर उन्हें चाही गई जानकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी कारण से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हो तो आवेदक को उसका कारण सूचित किया जाएगा।

10.10 राज्य अथवा संघ के किसी कानून के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि के आवश्यक होने संबंधी घोषणा तथा भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जारी की जाने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं/सूचनाओं का प्रकाशन विधि में विहित स्थानों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों /ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर भी किया जाएगा।

10.11 जिन मामलों में आवासीय भूमि प्रभावित होती हो और पुनर्वसाहट आवश्यक हो, पुनर्वसाहट की योजना उन परिवारों जिनकी पुनर्वसाहट की जानी हो, से परामर्श करके तैयार की जाएगी। पुनर्वसाहट योजना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि प्रभावित परिवार आवासीय के अधिग्रहण से पूर्व नई बसाहट में पुनर्वासित हो जाए।

10.12 पुनर्वास योजना से संबंधित विवादों तथा हितकारी व्यक्ति की पहचान, उन्हें मिलने वाले फायदे आदि का निराकरण यथासंभव जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी।

10.13 बार-बार विस्थापन नहीं किया जाएगा और यदि अपवाद स्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो तो ऐसा करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

11. **कतिपय परियोजनाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान :--**

विभिन्न परियोजनाओं की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऊपर बताए गए सिद्धान्तों और कार्यवाहियों के दायरे को प्रभावित किये बिना, कुछ विशिष्ट श्रेणियों की परियोजनाओं और उनकी प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएगा:--

11.1 **सिंचाई/जलविद्युत परियोजनाएं--**

11.1.1 जहां बांध होगा वहां जलाशय और उससे लगे हुए क्षेत्र के सघन विकास की योजना बनाई जाएगी, जिसमें उद्गहन सिंचाई के अंतर्गत भर कृषि और वृक्ष कृषि, मत्स्य आखेट कार्यक्रमों का समावेश कर उस अंचल की धारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

11.1.2 जलाशयों में पानी भरने पर उनसे निकलने वाली जमीन का अस्थायी आवंटन अपनी जमीन खोने वाले प्रभावित व्यक्ति को व्यक्तिगत खेती के लिये प्राथमिकता पर किया जाएगा। प्रभावित व्यक्तियों की सहकारी समिति को मत्स्याखेट के मामले में प्राथमिकता व उचित रियायत दी जाएगी।

11.1.3 परियोजना निर्मित होने पर डूब क्षेत्र की ऐसी भूमि, जो वर्ष के साथ स्वतः खाली हो जाती है विस्थापित व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आवंटित की जाएगी।

11.1.4 यदि डूब क्षेत्र के लोगों को दी जा रही भूमि में उस सिंचाई परियोजना की नहरों से सिंचाई नहीं की जा सकती है तो उनकी भूमि की सिंचाई के लिये पृथक से योजना तैयार कर सिंचाई व्यवस्था की जाएगी।

11.2 **औद्योगिक /खनिज परियोजनाएं--**

11.2.1 वृहत औद्योगिक, विद्युत उत्पादन और उत्खनन परियोजनाओं के मामले में संबंधित परियोजना के प्रभाव क्षेत्र को रेखांकित किया जाएगा। परियोजना के प्रस्तावक संस्थान के लिये यह जरूरी होगा कि वे स्थानीय आवश्यकतानुसार परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के विकास के लिये योजनाएं बनाकर क्रियान्वयन करें। इस हेतु संबंधित संस्थान तथा राज्य शासन के प्रशासकीय विभाग के मध्य परियोजना तथा परियोजना क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहमति अनुसार प्रतिवर्ष संस्थान के शुद्ध लाभ का निर्धारित प्रतिशत, जो आवश्यकतानुसार एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत होगा, आवंटित/व्यय किया जाएगा।

12. विविध:—

12.1 भू–अर्जन के मामले निर्णित करने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किये जाएंगे।

12.2 किसी शासकीय परियोजना के लिये भू–अर्जन /हस्तांतरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी भूमि जो अधिग्रहण के बाद 10 वर्ष तक उपयोग में नहीं लाई जाती है, वह भूमि राजस्व विभाग को स्वमेव वापस हो जाएगी और राजस्व विभाग राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उसका अन्य प्रयोजन के लिए आबंटन या हस्तांतरण कर सकेगा।

12.3 पुनर्वास योजना से संबंधित समस्त खर्चों का वहन परियोजना का कियान्वयन करने वाले शासकीय विभाग या निजी संस्थान, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा परियोजना में शामिल करते हुए वहन किया जाएगा।

12.4 राजधानी परियोजना क्षेत्र की पुनर्वास योजना पृथक से बनाई जाएगी।

17.2 भू–आबंटन प्रकोष्ठ

Land Allotment Cell

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

17.3 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.के भू–आबंटन कक्ष से जन मानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

प्रश्न–1 वर्तमान में भूमि प्रब्याजि की दरें क्या हैं ?

उत्तर– भू–आबंटन प्रकोष्ठ के अंतर्गत जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर,..... में स्थित संबंधित औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों में निम्नानुसार दरें प्रचलित हैं:

क्र.	औ. क्षेत्र का नाम	लघु श्रेणी उद्योग दर (प्रति हे.)	वृहद/मध्यम उद्योग दर (प्रति हे.)	वाणिज्यिक दर (प्रति वर्गमी)
1	तिल्दा, जिला रायपुर	25	30	–
2	उरला, जिला रायपुर	40	60	1000/–
3	सिलतरा, जिला रायपुर	40	60	1000/–
4	बोरई, जिला दुर्ग	40	60	1000/–
5	सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर	40	60	1000/–
6	बिरकोनी, जिला महासमुंद	20	–	1000/–
7	नयनपुर, गिरवरगंज, जिला सरगुजा	20	–	1000/–
8	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	20	–	1000/–
9	मेटल पार्क, जिला रायपुर	80	–	–

प्रश्न–2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भूमि आबंटन के लिए क्या कोई छूट प्राप्त है ?

उत्तर– जी हां–राज्य शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों में निःशुल्क भू–आबंटन की सुविधा प्राप्त है । राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को निःशुल्क प्रब्याजी पर भूमि आबंटन के संबंध में जारी पत्र परिशिष्ट 13 पर संलग्न है ।

प्रश्न–3 क्या औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

उत्तर– जी हां–सीएसआईडीसी के अधीन के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, पानी, विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

प्रश्न–4 **लघु उद्योग श्रेणी एवं मध्यम/वृहद उद्योग की क्या सीमाएं हैं ?**

उत्तर– लघु उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी पर रूपए 500 लाख तक निवेश होने पर इकाई लघु उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आती है एवं इससे उपर की इकाईयां मध्यम/वृहद श्रेणी में आती हैं ।

17.4 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

0	आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)	कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है।
0	शुल्क	शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार
0	सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह	दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति के रूप में
0	सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व प्रक्रिया	सूचना न देने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को इसके कारण से करने की अवगत कराते हुए अपीलेट अथारिटी का विवरण देना होगा । अपील दाखिल करने की समयावधि बतानी होगी ।

17.5 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में

भू–आबंटन प्रकोष्ठ से संबंधित नहीं ।

17.6 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में ना सम्मिलित हो

0	प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र विवरण	1.औद्योगिक इकाईयों को का आदि का नाम व से विद्युत कनेक्शन प्राप्ति के लिए उनके द्वारा चाहे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । 2.औद्योगिक इकाईयों को आबंटित भूमि के पट्टेदारी अधिकारों को बैंक के पक्ष में अभिहस्तांकन की सहमति पत्र जारी किए जाने के पूर्व इकाईयों एवं बैंक के चाहे अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

0 प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक इकाई सीएसआईडीसी के आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता अधीन औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों में स्थापित होना आवश्यक है ।

0	अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	वांछित दस्तावेजों के साथ भू–प्रब्याजी में छूट हेतु सारे कागज पर आवेदक दे ।
0	आवेदन करने के लिए कहॉ/ किससे सम्पर्क करें	आवेदन प्रबंध संचालक/ कार्यपालकसंचालक सीएसआईडीसी को संबोधित कर निम्न सम्पर्क स्थल पर प्रस्तुत की जा सकेगी । 1. प्रबंध संचालक/ कार्यपालक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि. उद्योग भवन, रिंग रोड–1, रायपुर (छ.ग.) 2. प्रबंधसंचालक/कार्यपालक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि. औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) 3. प्रबंध संचालक/कार्यपालक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि. 75–जी.ई.रोड, दुर्ग (छ.ग.)
0	आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो)	कोई शुल्क नहीं ।
0	अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो)	कोई अन्य शुल्क नहीं ।
0	आवेदन पत्र का प्रारूप कागज पर होता हो तो कृपया करते हुए बताएं कि आवेदनकर्त्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	आवेदन सादे कागज अथवा (यदि आवेदन सादे लेटर हेड पर प्रस्तुत करें प्रमाण पत्र किस हेतु चाहिए, उसका उल्लेख स्पष्ट उल्लेख करें ।

0	संलग्नकों की सूची	आवश्यक नहीं ।
0	संलग्नकों का प्रारूप	लागू नहीं ।
0	आवेदन की प्रक्रिया	सादे कागज पर अथवा इकाई के लेटरहेड पर किस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
0	आवेदन करने के बाद प्रक्रिया (यहॉ पर उस प्रक्रिया सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के सीएसआईडीसी द्वारा दी जाती है)	इस बिन्दु का परीक्षण किया सीएसआईडीसी में होने वाली जाता है कि संबंधित के कोई बकाया राशि है अथवा का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा नहीं तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पक्ष में पश्चात अनापत्ति जारी है अथवा नहीं ।
0	आवेदन की सारी प्राथमिताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयसीमा	अधिकतम 7 दिवस
0	प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समयसीमा	लागू नहीं
0	नवीनीकरण की प्रक्रिया यदि हो तो	लागू नहीं

17.7 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि.भू–आबंटन प्रकोष्ठ में होने वाले पंजीयन के संबंध में

आवेदन पत्रों का आवक क्रमांक कर पंजीबद्ध करने कार्यवाही हेतु अपने से अग्रेतर अधिकारी को प्रस्तुत करना ।

17.8 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि (Municipal corporation, Trade Tax, Entertainment Tax) आदि द्वारा टेक्स लेने के संबंध में

भू–आबंटन प्रकोष्ठ में लागू नहीं ।

17.9 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि.द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में

भू–आबंटन प्रकोष्ठ में लागू नहीं ।

17.10 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि.द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

निरंक

17.11 औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, ग्राम रसमड़ा, जिला दुर्ग **में प्रचलित भू–आबंटन दर** की जानकारी

क्रं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लघु श्रेणी उद्योग दर (प्रति हेक्टेयर)	वृहद/मध्यम उद्योग दर (प्रति हेक्टेयर)	वाणिज्यिक दर (प्रति वर्गमीटर)	पूर्व फुडपार्क की भूमि आबंटन दर (प्रति हेक्टेयर)
01	औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, ग्राम रसमड़ा, जिला दुर्ग	रू. 40,00,000/–	रू. 60,00,000/–	रू. 1000/–	रू. 82,00,000/–

परिशिष्ट

भू–आबंटन

1

RULES FOR ALLOTMENT OF LAND BUILDING
(VIDE GOVT LETTER NO. 4361/1/A Dated 19.4.75)

1) SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(i) These rules many be called, The Madhya Pradesh Industries (Allotment of sheds, plots and land rules 1974."

(ii) These rules shall be extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(iii) These rules shall come into force with immediate effect.

2) DEFINTTIONS : Unless otherwise the context so desires.

(i) Building means any Govt. owned building constructed in the industrial area estate, S.C.I.E. and R.W.S. and shall include sheds and godowns.

(ii) Land means developed or undeveloped land in the possession of the Industries Department for allotment for industrial purposes.

(iii) Allotting authority means –

a) The Asstt. Director of Industries in respect of all construcred buildings in rural work sheds within his jurisdiction.

b) The Dy. Director of Industries in respect of all constructed building in Industrial Estate, semi urban Industrial Estate. Rural work sheds and up to 5 acres in each case in Industrial area, Industrial Estate. Semi-Urban Industrial Estate and Rural work sheds within this jurisdiction.

c) Addl. Director / Jl. Director of Industries Bhilai in respect of 5 to 10 acres of land in each case in Industrial Estates. Industrial Area. Semi-Urban. Industrial Estates. and Rural work sheds within his jurisdiction.

d) The Director of Industries in all other cases above 10 acres.

(iv) Government shall mean the Government of Madhya Pradesh in the Commerce and Industry Deptt.

(v) "Directorate" means the Directorate of Industries Madhya Pradesh and its subordinate offices.

(vi) "Educated unemployed" will be one who is covered by the definition approved by the State Government from time to time.

3. ELIGIBILITY FOR ALLOTMENT:

Any unit registered with the Directorate as Small Scale Industry or a unit registered with Director General of Technical Development. Govt of India or having a letter of Intent / licence from the Government of India under the Industries (Development and Regulation) Act. 1951 for establishing or expanding an industry shall be eligible to be considered for allotment of land or building for the said industry provided that with prior approval of the State Govt. land may be allotted to a unit whose application for registration with the DGTD has been received in the department.

The State Government reserves the right to exclude any class or classes of the industry from this eligibility for allotment in any of the Industrial areas or Industrial Estate/Semi-Urban Industrial Estates/Rural worksheds in the State.

4. RESERVATIONS OF LAND FOR AUCTION:

The State Government may earmark any land or building at any place for disposal by auctioning the lease hold rights of land or building so reserved.

5. PRIORITY IN ALLOCATION

a) The state Government may reserve any land or building for alloting on priority to an industry declared by Govt. as priority industry.
b) The State Government may reserve land or building for allotment for certain specified purposes.
c) Existing working industrial unit requiring land for expansion may be given priority in allotment of available adjoining land.
d) Nothing in these rules shall limit the inherent powers of the State Government to reserve any land for any industry or for expansion of existing industry or for expansion of existing industry or to accord priority to any industry in the allotment of land. Such reservation/allotment shall be subject to such conditions as may be imposed by the Government having regard to the merits of the case.

6. QUANTAM OF LAND.

Land would normally allotted not exceeding 4 times the area of the built up area proposed for the scheme/project. Where land more than four times of built up area is required approval of the next higher authority to the allotting authority would be necessary.

(Vide D.I. Circular No. 5/BF(10)73/115 25 –88 dated 16-08-77, it has been decided that Dy. Director of Industries may allot land as under :-

(1) If built up area of the party Rs 10,000 sq. ft. or les allotment up to four times of built up area may be made.
(2) If built up area of the party is more than 10,000 sq.ft. allotment up to 3 times of the built up area may be made.)

7. APPLICATION FOR ALLOTMENT:

All the applications for allotment of land or building shall be made to the Asstt. Director of Industries/ Dy. Director of Industries incharge of the District where the said land or building is located in the form prescribed for the purpose vide schedules I-A and I-B.

8. PROCEDURE FOR DISPOSAL OF APPLICATION:

All applications received by the Asstt. Director of Industries or the Dy. Director of Industries received in the prescribed form shall be entered in a register in the prescribe form vide schedule I.C. immediately and shall be examined by him and decided/forwarded to the allotting authority within fifteen days with his specific recommendations.

The application shall be considered in order of the date of receipt of the application in the office of the Asstt. Director of Industries/Dy. Director of Industries. Shortcomings if any in the applications shall be brought to the notice of the applicant in writing with in 10 days of its receipt. In such cases priority should count from the date of receipt of the corrected application.

9. COMMUNICATION OF DECISION:

The alloting authority shall issue a letter of intent in the prescribed form in schedule II in favour of the applicaticant to whom land/shed is decided to be allotted.

10. COMMUNICATION OF CONSENT BY APPLICANT:

On receipt of the letter of intent the applicant shall intimate his consent within a period of one month from the date of receipt of letter of intent to the proposed allotment in the prescribed form appended in schedule III along with one years rent in advance as earnest money in case of land and one moth's rent in case of shed to the Asstt. Director of Industries /Dy. Director Industries incharge of the district provided that in the case of educated unemployed payment of such rent as advanced deposit will not be necessary in case of building.

11. ISSUE OF FORMAL ORDERS OF ALLOTMENT:

In respect of small scale industries the applicant if he is an educated unemployed, he shall be required to place firm orders for a minimum of 25% and if otherwise a minimum of 50% of the value of the plant and machinery as per their proposed scheme within a period of ninety days from the date of receipt of the letter of intent or submit a bank guarantee for Rs. 5000.00 in case of SSI rs. 10000.00 in other case for due compliance of Rule 14(a) In case of non compliance this amount will stand forfeited to the Govt. not with standing action provided for in the Rules for such non compliance. This should be informed to the Asstt. Director of Industries /Dy. Director of Industries incharge of the district with a proof there of on being satisfied with the placement of firm orders to the extent indicated above for purchase of machinery and fulfillment of other prescribed conditions the allotting authority shall issue to the formal allotment order in favour of the applicant in the form appended at schedule IV.

In the case of DGTD/Licensed units the allotting authority after being satisfied about the keeness of the applicant to set up the industry shall issue the formal allotment order in favour of the applicant also in the form attached at schedule IV.

12. PROCEDURE OF TAKING POSSESSION.

The allottee shall then be required to execute a lease deed in or prescribed form appended at schedule (V) or any other prescrived agreement pay the prescrived premium and 3 years rem as Security deposit in case of land and 1 year rent in case of building or any other presonved dues and take possession of the land building within a period of 30 days after the issue of the allottment order provided that in the case of educated unemployed security deposit, shall be equal to 1 year's rent in the case of land and 6 moth's normal rent in the case of building.

13. CANCELLATION OF ALLOTMENT OF LETTER OF ISTENT

On failure of the applicant to comply with the provision of rules 10, 11 or 12 the allotting authority may cancel the letter of intent or allotment order as the case may be.

14. IMPLEMENTATION OF THE SCHEME.

a) Every allottee from the date of his taking over the possession of the land or building shall implement the project/scheme and go into production within a period of one year in the case if small scale industry and within a period of 3 years in the case of medium or large industry provided this period may be extended in suitable deserving cases by allotting authority by one year and by the next higher authority for any further suitable period.
b) In the case of building the allottee from the date of his taking the possession of the building shall implement the project /scheme and go into production within a period of 6 months in the case of a small scale industry and within a period of 1 year in the case of medium or large industry.

15. PERIOD OF LEASE.

The normal period of lease for building shall be 30 years and for lands 99 years.

16. ALLOTMENT FOR PUROSE OTHER THAN INDUSTRIES:

Ordinarily allotment of buildings or land shall be made only for the purposes of establishment or expansion of the industries. The State Govt. however, may allot land or building for purposes ancillary to the industries.

For the purposes of this rule ancillary purposes means and includes power, sub-station, petrol pump post office, office of the Industries Association, canteen, dispensary, housing and Banks and such other purposes as State Govt. may declare from time to time provided that such establishments cater to the needs of the industrial units situated in their

proximity. Provided that these lands/buildings will be charged rent & premium at commercial rates. Provided further that nothing in these rules shall restrict the powers of the State Government to allot the land building temporarily for any other purposed if it is not immediately required for industrial purposes, on such terms and conditions as it may decide.

17. RENT

The rent for the buildings, premium for land and ground rent shall be such as may be fixed by Govt. from time to time.

18. PAYMENT OF RENT:

The rent due on account of building shall be paid by the lessee in advance within 10 days of the beginning of the month to which the rent relates. In case of rent for land the annual rent would be payable within one month of the beginning of the year to which it release.

In case of default of the payment the allottee shall be liable to pay penal interest on the arrears at the rate to be fixed by the State Government from time to time.

19. TRANSFER

No allottee shall transfer or sub-let or assign the allotted building or land and constructed building thereon without the prior approval of the State Govt or any officer authorised by the State Govt. in this behalf subject to such condition as may be imposed by State Govt from time to time.

The State Govt or the authorised officer may permit any benifide transfer from the lessee to another person subject to such conditions as may be imposed in this behalf.

20. Nothing in rule 19 shall prohibit the lessee from assigning the lease hold rights of land in favour of a financial institution listed in schedule VI.

21. TERMINATION OF LEASE :

In case the lessee/lessees or his/their transferees or assignees commit any of the conditions specified in the lease deed then the allotting authority shall give notice in writing to the lessee/lessees or his/their transferees or assignees as the case may be asking him/them to remedy the breach within 60 days from the date of the notice and if breach is not remedied within such period, the allotting authority may determine the lease provided that nothing herein contained shal debar the State Govt. from enforcing any other right or remedy that the State Govt may have against the lessee/lessees or his/their transferees or assignees under any other provisions herein contained.

22. Representation.

A party aggrieved by the order passed by any officer under these rules may make representation to any authority higher to the authority passing such order.

23. REPEAL :

These rules supersede the orders, instructions, directives etc. issued in this behalf as listed in schedule VII.

FORM OF CONSENT ACCEPT THE PROPOSED ALLOTMENT OF PLOT CONVEYED BY THE ALLOTTING AUTHORITY

THROUGH LETTER OF INTENT

Whereas upon the request of the applicant Shri _____ hereinafter called the applicant which shall include his heirs, successor, partners and directors, the Nigam has agreed to grant lease subject to the terms and conditions herein appended in the form of a lease to allot land in sector _____ measuring about _____ situated at Industrial Area _____ Raipur/Bilaspur, more particularly described in the schedule hereunder and for greater clearness delineated in the plan hereto appexed and hereon shown with the boundaries coloured red hereinafter referred to as the said premises for a term of 99 years from the date of taking over possession of land for the purpose of _____ _____

And whereas I /We _____ on behalf of M/s _____ as its proprietor /partner/director agree to take the lese and witness as follows:-

1) I /We _____ accept a lease of said premises to hold the same for a period of 99 years commencing from the date of taking over possession of land.
2) The allotment shall be subject to all terms and conditions in the form of lese deed hereto annexed with such modification and with such additional terms and conditions as the allotting authority may deed necessary to add to it from time to time.
3) I/We _____ shall after execution of such documents and payment of such dues as may be prescribed will take possession of the said premises by the time and in the manger directed by the allotting authority.
4) a. I /We _____ opt for the deferment of payment of premium (40% initailly and balance in _____ installments) or LUmp-Sum payment of premium (100% premium amount).

4) b. I/We _____ shall deposit the following amount within in _____ days from the date of issue of Letter of Intent.

1) Premium	Rs.
2) 10% Additional premium being 80/100 wide road or the corner plots	Rs.
3) Annual Lease Rent	Rs.
4) Security Deposits for Lease Rent.	Rs.
5) One year's charges of Development fund for maintenance of I/A	Rs.
6) One year's street light Charges.	Rs.
Total Rs.	

5) I hereby accept to take land on lease on the terms and conditions or L.O.I.No. _____ dated _____
6) If I/we commit breach of the terms and conditions as aforesaid or fail or neglect to obey the instructions and directions given to me/us or fail to take possession of the premises as may be directed by the allotting authority. If shall be lawful for allotting authority to withdraw the letter of intent /allotment order for the with.
7) In witness whereof I/We _____ have signed this acceptance on the date & year mentioned against the signatures.

Applicant , holder of the Letter o Intent for Allotment of plot/shed

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक :एफ–11–5/2003/(छ:)/11 रायपुर, दिनांक 08 मार्च 2003

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
छत्तीसगढ़
सोनाखान भवन
रायपुर

विषय : औद्योगिक इकाईयों हेतु भूमि हस्तातरण /अधिग्रहण कर आबंटन किया जाना।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों द्वारा उद्योग स्थापनार्थ एवं सहायक प्रयोजनार्थ शासकीय तथा निजी भूमि अर्जन/अधिग्रहण कर उन्हें आबंटित करने आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे है। औद्योगिक क्षेत्र से बाहर की भूमि उद्योग विभाग द्वारा राजस्व विभाग से हस्तांतरण पर प्राप्त कर इकाईयों को आबंटित की जाती है तथा निजी भूमि भू–अर्जन से प्राप्त होती है ऐसी भूमि हेतु औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे :–

1.) रूपये 5 करोड़ तक परियोजना लागत वाली इकाई सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को तथा रू 5 करोड से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाई संयोजक राज्य निवेष प्रोत्साहन बोर्ड को भूमि की आवष्यकता के सम्बंध में खसरा/रकबा तथा नक्षे के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी।

2) औद्योगिक इकाई से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से प्रषासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाय। शासकीय भूमि के हस्तांतरण के लिए उद्योग आयुक्त की तथा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रषासकीय स्वीकृति दी जावेगी।

3) कलेक्टर शासकीय/अर्जित निजी भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित करेंगे। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग की ओर से कलेक्टर से भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।

4) उद्योग विभाग द्वारा हस्तांतरण/अधिग्रहण से प्राप्त भूमि सी.एस.आई.डी.सी. को हस्तांतरित की जावेगी।

5) औद्योगिक इकाई भूमि आबंटन हेतु सी.एस.आई.डी.सी. को आवेदन प्रस्तुत करेगी तथा सी.एस.आई.डी.सी. निर्धारित प्रक्रिया अनुसार औद्योगिक इकाई को भूमि आबंटित करेगी। इस कार्य हेतु सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा रायगढ़,कोरबा,या अन्य जिले में जहां आवष्यकता हो, त्वरित कार्यवाही के उद्देष्य से एक अधिकारी की पदस्थापना जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में की जावेगी।

6) शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु तथा भू–अर्जन की प्रक्रिया से सम्बंधित जो भी राशि भू–स्वामियों को देनी होगी वह राषि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा सम्बंधित औद्योगिक इकाईयों से अग्रिम ली जावेगी तथा कलेक्टर से मांग प्राप्त होने पर उन्हें उपलब्ध कराई जावेगी। निजी भूमि के अर्जन से तथा राजस्व भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त राषि का उपयोग उद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसी जिले में या अन्य जिले में किया जावेगा।

(डॉ.पी.राघवन)
प्रमुख सचिव

पृ.क्रमांक–एफ11–5/2003/ / रायपुर दिनांक 08 मार्च 2003
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. संयोजक, एस.आई.पी.बी., रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर
4. सर्व कलेक्टर, छत्तीसगढ़
5. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(डॉ.पी.राघवन)
प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 20–95/04/11/6 रायपुर दिनांक 04.05.05

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त
   छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

2. प्रबंध संचालक,
   छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो.लि.
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :– औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आबंटन सेवा शुल्क।
संदर्भ :– औद्योगिक नीति 2004–09 के परिषिष्ट 4 का बिन्दु क्रमांक 10

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर निजी भूमि के अर्जन और शासकीय भूमि के हस्तान्तरण से प्राप्त भूमि पर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन द्वारा भू आबंटी औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त की जाने वाली भूमि मूल्य के 25 प्रतिषत अधिक राषि के स्थान पर भूमि मूल्य तथा भूमि मूल्य की 10 प्रतिषत राषि सेवा शुल्क के रूप में ली जाएगी।

2. यह आदेष दिनांक 1 नवंबर 2004 से प्रभावषाली होगा तथा दिनांक 01.11.2004 या उसके पष्चात निष्पादित पट्टाभिलेखों पर लागू होगा।

3. वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 715/बजट–5/वित्त/चार दिनांक 25.04.2005 द्वारा इसकी सहमति प्रदान की गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेषानुसार

(अनुप श्रीवास्तव)
विषेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क्रमांक एफ 20–95/04/11/6 रायपुर दिनांक
प्रतिलिपि :–

1. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके यू.ओ. क्रमांक 715/बजट–5/वित्त/चार दिनांक 25.04.2005 के संदर्भ में।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।

विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट – 10

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
दाउ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय, रायपुर

रायपुर दिनांक 19 सितंबर 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11–9/2003/11/(6) राजय शासन एतद् द्वारा, वृहद् औद्योगिक परियोजनाओं अर्थात जिनकी परियोजना लागत रूपये 100 करोड़ या उससे अधिक है, को भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिषत की रियायत, निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान करता है :–

1. वृहद परियोजनाओं हेतु भूमि आबंटन में प्रब्याजि की रियायत देने हेतु पूर्ववर्ती मध्यप्रदेष शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ–8–10/85/11/अ.दिनांक 09.01.1989 द्वारा घोषित रूपये 100 करोड के उपर पूंजी लागत के उद्योगों को दी गई प्रब्याजि दरों में 50 प्रतिषत की रियायत सम्बंधी प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के ज्ञाप क्रमांक 986/1377/वा.उ./2001 दिनांक 20.07.2001 को तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित किया जाता है।
2. इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक इकाई को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लि. के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करना होगा।
3. भूमि आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में कम से कम रूपये 100 करोड़ पूंजी निवेष स्थाई परिसम्पत्तियों में करना होगा।
4. इकाई द्वारा दिये जाने वाले कुल नियमित रोजगार में प्रबधकीय वर्ग का 1/3, कुषल एवं तकनीकी वर्ग के 50 प्रतिषत तथा अकुषल वर्ग का 80 प्रतिषत रोजगार छत्तीसगढ़ के निवासियों को उपलब्ध कराना होगा। तत्सम्बंधी प्रमाण–पत्र, जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त कर, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्हलमेंट कार्पोरेषन को प्रस्तुत करना, इकाई की जिम्मेदारी होगी।
5. इकाई को भू–आवंटन के समय, प्रचलित भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिषत की रियायत के आधार पर राशि छत्तीगसढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन में जमा राषि करानी होगी। भूमि का आधिपत्य दिये जाने के पष्चात् इकाई को अधोलिखित प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य होगा –
   - 5.1 आधिपत्य दिनांक से एक वर्ष के अंदर कारखाना भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार भवन पर होने वाले अनुमानित व्यय का कम से कम 25 प्रतिषत व्यय करना होगा।
   - 5.2 आधिपत्य दिनांक से दो वर्ष के अंदर कारखाना भवन निर्माण पर प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार कम से कम 50 प्रतिषत व्यय करना होगा।
   - 5.3 आधिपत्य दिनांक से दो वर्ष के अंदर प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार कम से कम 50 प्रतिषत मूल्य की मषीन एवं उपकरणों का फर्म आदेष देना होगा।
   - 5.4 प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले नियमित रोजगार में उपरोक्त वर्णित शर्त क्रमांक 4 का पालन करना होगा।

इसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी जिसमें निवेषक को अनिवार्यतः उपस्थित होना होगा तथा शर्तो की पूर्ति का मान्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

यदि इकाई द्वारा इनमें से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो भू–प्रब्याजि में दी गई रियायत वापिस ले ली जावेगी तथा इकाई को भू–प्रब्याजि की शेष राषि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन द्वारा इस आषय की नोटिस दिये जाने के 30 दिन के अंदर जमा करानी होगी। समय पर मांग के अनुसार राषि जमा नही कराने पर 18 प्रतिषत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा तथा मांग की राषि, ब्याज सहित, भू–राजस्व की वसूली के सदृष्य वसूली योग्य होगी।

6. यह प्रब्याजि रियायत, उस भूमि, आबंटन पर लागू नहीं होगी जो किसी इकाई विषेष के लिए अर्जित की जाकर छत्तीसगढ स्टेट इण्ड.डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लि. के माध्यम से आबंटित की जाये। इकाई को कुल भू–अर्जन राषि (न्यायालयों द्वारा बढ़ाये गये मूल्य एवं ब्याज की राषि सहित, यदि भविष्य में ऐसा हो) तथा नियमानुसार भूमि अर्जन पर सर्विस चार्ज देना होगा।
7. उक्तानुसार भूमि आबंटन पर वार्षिक भू–भाटक की दर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लि. द्वारा निर्धारित की जायेगी परंतु वार्षिक भू–भाटक की दर कुल देय प्रीमियम (बिना रियायत) के 2 प्रतिषत से कम नहीं होगी।
8. यदि भू–प्रब्याजि की रियायती दिये जाने के पष्चात यह पाया जाता है कि इकाई उक्त रियायत गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत कर ली है तो रियायत की राषि 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाया की वसूली सदृष्य, वसूली योग्य होगी। वसूली योग्य यह राषि इकाई को प्राप्त अन्य वित्तीय/कराधान सुविधाओं/छूट में भी समायोजित की जा सकेगी। इस सम्बंध में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
9. इस रियायत/वसूली के संबंध में कोई भी बाद छत्तीसगढ़ राज्य के ही किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
10. राज्य गठन के पष्चात् पूर्व प्रावधानों के अन्तर्गत यदि ऐसी समान रियायत किसी उद्योग को दी गई हो अथवा प्रावधानित की गई हो, तो उन पर भी पैरा क्रमांक 5 की शर्ते लागू होंगी, परंतु उनके प्रकरण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की गणना, भूमि का अधिपत्य दिये जाने के दिनांक के स्थान पर इस आदेष के जारी होने के दिनांक से की जावेगी। इस आवेष की शर्त क्रमांक 2 को छोडकर अन्य सभी शर्ते भी इन उद्योगों पर लागू होंगी।

उक्त प्रावधान इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय

पृ.क्रमांक एफ 11–9/2003/11/(6) रायपुर दिनांक 19 सितंबर 2003

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग।
2. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर।
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ लेखा एवं हकदारी।
6. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
7. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, रायपुर।

8. समस्त विभागध्यक्ष, छत्तीसगढ।
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. सचिव, लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
13. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण शाखा, मंत्रालय, रायपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
15. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़स, राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवा कर 260 प्रतियॉ इस विभाग को कृपया उपलब्ध करावें।

(जी.आर. मालवीय)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय

छत्तीसगढ़ शासन,

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना – संषोधन

रायपुर दिनांक :– 7 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 11–9/2003/(6)/11: राज्य शासन एतद् द्वारा वृहद् औद्योगिक परियोजनाओं अर्थात जिसकी परियोजना लागत रूपये 100/– (एक सौ) करोड़ या उससे अधिक है को भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिषत रियायत संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 सितंबर 2003 की शर्तो की कण्डिका 2 एवं 5 में निम्नानुसार संषोधन करता है :–

कण्डिका – 2 : इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक इकाई को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लि.मि. के साथ एम.ओ.यू.के बजाय करार (एग्रीमेंट) निष्पादित करना होगा।

कण्डिका – 5 : योजना का लाभ लेने वाली इकाई को भू–आबंटन के समय भू–प्रब्याजि की सम्पूर्ण राषि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन (निगम में) जमा करनी होगी अथवा 50 प्रतिषत राषि (निगम में) जमा कराते हुए 50 प्रतिषत प्रब्याजि के बराबर राषि की बैंक गारंटी निगम के पक्ष में देनी होगी। इकाई द्वारा कारा के अनुसार निर्धारित शर्तो की नियत समय–सीमा के पूर्ति कर लेने पर जमा की भू–प्रब्याजि की 50 प्रतिषत राषि 50 प्रतिषत राषि के बराबर बैंक गारण्टी निगम द्वारा इकाई को लौटाई जावेगी परन्तु छूट की शर्तो की पूर्ति न करने की स्थिति में निगम को यह अधिकार होगा कि प्रब्याजि की 50 प्रतिषत राषि/बैंक गारण्टी की राषि अपने पक्ष में अभिसात कर ले।

2. शर्तो की शेष कण्डिकायें यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेषानुसार,

(अभय कुमार मिश्रा)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक एफ 11–9/2003/11/(6) रायपुर दिनांकः 07.02.04

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग
2. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ रायपुर
3. सविच, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर
4. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ लेखा एवं हकदारी
6. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर
7. सचिव महामहिम राज्यपाल, राजभवन रायपुर

8. समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
10. सचिव लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
11. सचिव लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
12. समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़
13. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण शाखा मंत्रालय रायपुर
14. मुख्य लेखाअधिकारी, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को ओर सूचनार्थ
15. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवा कर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करावें।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय

परिषिष्ट –11

मध्यप्रदेष शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक : 16/01/11/बी/94 भोपाल, दिनांक जून , 94

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. औद्योगिक विकास निगम
भोपाल।

विषय : औद्योगिक निति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 2.0:– औद्योगिक संगठनों को विकास केन्द्रों में सामाजिक एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अंतर्गत स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र इत्यादि हेतु प्रत्येक विकास केन्द्र में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

औद्योगिक नीति एवं कार्य–योजना 1994 के उपरोक्त वर्णित कंडिका क्रमांक 2.0 के परिपेक्ष्य मे राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1) औद्योगिक विकास केन्द्रों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु औद्योगिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। विभिन्न प्रयोजनों के उद्देष्य एवं लाभदाषिकों की दृष्टि से उन्हें निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :–

प्रथम श्रेणी	:	शासकीय/अस्पताल/स्कुल, पोस्ट ऑफिस, टेलेफोन, एक्रार्पेज, पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, एम.बी.ई.बी पावर स्टेषन।
द्वितीय श्रेणी	:	स्पोर्टस काम्पलेक्स, श्रमिक कल्याण केन्द्र, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, औद्योगिक संगठन का कार्यालय, बैंक, मनोरंजन केन्द्र।
तृतीय	:	होटल, रेस्तरां, पेट्रोल पम्प, वे–ब्रिज।

2) भूमि की रियाती दर :–

अ) विकास केन्द्रों में प्रथम श्रेणी में निहित गतिविधियों के लिए टोकन दर रूपये 100 प्रति हेक्टेयर पर आबंटित की जावेगी। भू–भाटक की दर आवंटित भूमि के वास्तविक मूल्य के एक प्रति प्रतिवर्ष के हिसाब से देय होगी

ब) द्वितीय श्रेणी में वर्णित प्रयोजनों के लिए भूमि संबंधित विकास केन्द्रों में लघु उद्योगों को आवंटित की जाने वाली दर पर दी जायेगी। परंतु तथा अस्पताल हेतु भूमि :– आवंटित करने के संबंध में उन्ही ट्रस्टों को जिन्हे की आयकर विभाग द्वारा चेरीटेबल ट्रस्ट घोषित किया गया हो, के आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा। औद्योगिक धरानों को इस बाबत् भूमि दिये जाने के संबंध में केवल उन्हीं धरनों को इस प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटित करने पर

विचार किया जावेगा जिनके मध्यप्रदेष में एक या अधिक उद्योगों में स्थायी पूंजी निवेष रूपये 25 करोड़ या अधिक है।

लाभ हानि से परे रहकर समाज सेवा के दृष्टिकोण से कार्य करने वाली संस्थाओं/औद्योगिक संस्था को भूमि लघु उद्योग की दर के 50 प्रतिषत की दर से आवंटित की जावेगी।

लाभ हानि के उद्देष्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करने वाली संस्थाओं /औद्योगिक संस्थानों को संबंधित विकास केन्द्र में लघु औद्योगिक इकाईयों हेतु निर्धारित दर पर भूमि आबंटित की जावेगी।

स) तृतीय श्रेणी में निहित प्रयोजनों के लिए औद्योगिक विकास केन्द्रों में होटल तथा रेस्तरा के लिए नीलामी के द्वारा भूमि आबंटित की जावेगी जिसका ऑक्सेट प्राईज ओ.के.वि. निगम के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित हो।

पेट्रोल पम्प के लिए पेट्रोल कम्पनी/भारत शासन से लायसेंस प्राप्त व्यक्ति/संस्था तथा वे–ब्रीज को विकास केन्द्रों में भूमि का आबंटन मध्यम एवं वृहद उद्योगों के लिए निर्धारित प्रब्याजी की दर पर आबंटित किया जायेगा।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेषानुसार

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क्र. 16/32/11/बी/94 भोपाल दिनांक जून, 94

प्रतिलिपि :

उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

अपर सचिव

परिषिष्ट – 12

छत्तीसगढ़ प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

क्रं. 1177 / 1787 / 2002 / 1 / 6 रायपुर दिनांक :31 अक्टूबर,2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ।

विषय : अविभाजित मध्यप्रदेष राज्य द्वारा जारी निर्देषों को लागू के संबंध में।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अविभाजित मध्यप्रदेष में दिनांक 31.10.2000 तक प्रचलित समस्त परिपत्र/अनुदेष/निर्देष तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में यथास्थिति एवं यथाषक्य प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निरसित या संशोधित न कर दिये जाएं।

(पी.सी. सूर्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रं. 1179 /1787 / 2002 / 1 / 6 रायपुर दिनांक :31 अक्टूबर,2002

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)
2. सविच, लोक सेवा आयोग, रायपुर
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर
4. सविच, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
5. सविच, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
6. विषेष सहायक/निज सहायक– समस्त माननीय मंत्री/ राज्यमंत्री गण, छत्तीसगढ़।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
8. महालेखाकर, छत्तीसगढ, रायपुर
9. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय रायपुर
11. मुख्य लेखाअधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालय कोष एवं लेखा
13. समस्त कोषालय अधिकारी /वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़
14. सचिव–महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/ मानव अधिकार आयोग/ अनुसूचित जन जाति आयोग/ लोक आयोग/ विद्युत नियामक आयोग/ अल्पसंख्यक कल्याण आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर

15. सचिव, माध्यमिक षिक्षा मंडल, रायपुर
16. संचालन, जनसंपर्क, रायपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट –13

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी.के.एस.भवन मंत्रालय, रायपुर

क्रमांकःएफ–11–3/2003/प्रेस/वाउवि(6)/ रायपुर दिनांक 24.03.03

प्रति,

उद्योग आयुक्त
उद्योग संचालनालय
खनिज भवन, रायपुर

विषय : अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक क्षेत्र एवं विकास केन्द्र में मुफ्त भूमि/शेड आबंटन ।

राज्य शासन की औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए घोषित विशेष सुविधाओं में भूमि एवं शेड आबंटन करने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों में ऐसे उद्यमियों को मुफ्त भूमि/शेड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन था।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भू–खण्ड की मांग औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों में करने पर 1.00 रूपयों प्रब्याजि तथा 1.00 रूपया भू–भाटक प्रति वर्ष की सांकेतिक दर से निम्नानुसार भूमि आबंटन की जा सकेगी :–

1) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के 3 गुना तक भूमि आबंटन किया जा सकेगा।
2) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र के 2 गुना तक भूमि आबंटन किया जा सकेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(आर.के. श्रीवास्तव)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क. क्रमांक/एफ–11–3/2003/ /वाउवि(6)/ रायपुर दिनांक 24.03.03
प्रतिलिपि :

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, रायपुर।

2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेड इण्डस्ट्रीय डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. बी–4, एम.आर. कालोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर।
5. अपर संचालक–उद्योग संचालनालय, रायपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ं
7. समस्त महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़।

(आर.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

आवेदक द्वारा किया गया प्रश्न नस्ती क्रमांक 1032/14 (आ. क्र. 1652 दि. 02.06.2014)

आपके द्वारा विभाग द्वारा राज्य में स्थापित प्रत्येक जिलों के द्वारा अनुसूचित जाति वर्गों को रियायती दरों पर उद्योग हेतु भू–आबंटन किये गये है सन् 2009 से अब तक राज्य में कितने लोगों को रियायती दरों पर भू–आबंटन किया गया है इसकी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् मयदस्तावेज सहित जानकारी प्रदान करने की कृपा करें ।

:: जवाब ::

भू–आबंटन कक्ष द्वारा प्रेषित जवाब (जावक क्रमांक 3164 दिनांक 27.06.2014)

वर्ष 2009 से अब तक औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित वर्ग के उद्यतियों क्षेत्रों में आबंटित भू–खण्डों प्रब्याजि में दी गई छूट का प्रतिशत

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	आबंटित इकाईयों की संख्या	आबंटित रकबा (एकड़ में)	प्रब्याजि में दी गई छूट का प्रतिशत
1	सिरगिट्टी, बिलासपुर	02	1.12	100 प्रतिशत
2	तिफरा, बिलासपुर	01	0.38	100 प्रतिशत
3	बोरई, दुर्ग	01	0.96	100 प्रतिशत
4	भनपुरी, रायपुर	02	0.97	100 प्रतिशत
5	सिलतरा, रायपुर	03	1.49	100 प्रतिशत
6	उरला, रायपुर	01	0.11	100 प्रतिशत
7	बिरकोनी, महासमुंद	07	3.17	100 प्रतिशत
8	हरिनछपरा, कबीरधाम	03	1.93	100 प्रतिशत
	योग :–	**20**	**10.93**	100 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

विषय :– भू–भाटक आदि की देय राशियों का ऑनलाईन भुगतान पत्र।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में सीएसआईडीसी द्वारा इकाईयों का आबंटित भूमि का भू–भाटक आदि की देय राशियों का ऑनलाईन भुगतान निगम में वर्ष–2015 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें आबंटित इकाईयों को राशियों का ऑनलाईन भुगतान स्वयं करने के लिए आई–डी एवं पासवर्ड जारी कर दिये गये है। भू–भाटक आदि की देय राशियों का देयक भी ऑन–लाईन उपलब्ध हो जाता है। उक्त प्रक्रिया चिप्स एवं आईसीआईसी बैंक के माध्यम से प्रारंभ की गई है निगम द्वारा आबंटित भूखण्डों का भुगतान ऑनलाईन करने की सुविधा सभी इकाईयों को उपलब्ध कराई जा रही है। इससे इकाईयों को भुगतान हेतु कार्यालय में आने में लगने वाले श्रम, समय एवं व्यय से मुक्ति प्राप्त हुई है।

25/02/15

अध्याय–दो

औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ एवं लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) की भूमि का आबंटन एवं प्रबंधन

2.1 आबंटन हेतु पात्रता :–

2.1.1 इन नियमों के अंतर्गत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में, अधोलिखित मार्गदर्शी प्रावधानों में वर्णित स्थितियों को छोड़कर, निम्नलिखित उद्यमों की नवीन स्थापना, स्थापित उद्यम के विस्तार एवं शक्तीकरण के लिये औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, भवन–शेड, प्रकोष्ठ एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) की भूमि का आबंटन पट्टे पर किया जा सकेगा :–

(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

(ii) उपरोक्त (i) से भिन्न उद्यम (वृहद, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट आदि)।

(iii) सहायक (अनुषांगिक) औद्योगिक प्रयोजनों की मान्य गतिविधियां।

मार्गदर्शी प्रावधान :–

(अ) इन नियमों के परिशिष्ट–2 में वर्णित अतिप्रदूषणकारी एवं खतरनाक (Highly polluting and hazardous) उद्योगों को पृथक से चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन की पात्रता होगी।

(ब) इन नियमों के परिशिष्ट–3 में वर्णित गतिविधियों हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटित नहीं की जायेगी।

(स) तथापि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ एवं लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) की भूमि किसी उद्योग अथवा उद्योगों के वर्गों को आबंटन करने अथवा आबंटन पात्रता से वंचित करने का अधिकार राज्य शासन सुरक्षित रखता है।

2.2 अन्य प्रयोजन हेतु आबंटन

2.2.1 सहायक (अनुषांगिक) औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटन :–

इन नियमों के अंतर्गत अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा चिन्हांकित/आरक्षण के अनुरूप चिन्हित क्षेत्र/स्थल में ही आबंटन किया जायेगा।

परन्तु, किसी इकाई को आबंटित भूमि का प्रयोजन परिवर्तन कर उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन (Ancillary purpose) हेतु यथा संभव अनुमति उसी दशा में दी जा सकेगी जब वह भूमि अनुषांगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी गयी हो। इस तरह का प्रयोजन में परिवर्तन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी द्वारा कराया जायेगा।

2.2.2 वेयरहाउसिंग/लॉजिस्टिक हब हेतु भूमि का आबंटन :–

इन नियमों के अंतर्गत इस गतिविधि के लिये अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा चिन्हांकित/आरक्षण के अनुरूप चिन्हित क्षेत्र/स्थल में ही आबंटन किया जायेगा।

2.2.3 श्रमिकों/तकनीकी स्टॉफ हेतु भू–आबंटन :–

आबंटी के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि के तीन प्रतिशत (अधिकतम 300 वर्गमीटर तक) भूमि पर श्रमिक/तकनीकी स्टाफ के परिवार रहित निवास हेतु भवन (भू–तल एवं अधिकतम प्रथम तल तक) निर्मित किया जा सकेगा। इस प्रयोजन हेतु आबंटी के आवेदन उपरांत भूमि आबंटन प्राधिकारी द्वारा गुणदोष के अनुसार पृथक से अनुमति प्रदान की जायेगी किन्तु इस भवन के अभिन्यास (Lay out) का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से लिया जाना आवश्यक होगा।

2.2.4 लैंड बैंक के मामले में भी उपरोक्त प्रयोजनों हेतु पृथक से सक्षम आबंटन प्राधिकारी से अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

2.2.5 व्यावसायिक प्रयोजन के भूखंडों/क्षेत्र के आबंटन :–

उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी द्वारा विकसित एवं नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त व्यावसायिक प्रयोजन के भूखंडों/क्षेत्र के आबंटन हेतु दरों का निर्धारण ई–निविदा (E-Tendering) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना होगा। ई–निविदा की प्रक्रिया पृथक से निर्धारित की जायेगी। शेष समस्त प्रक्रिया अन्य प्रयोजन हेतु निर्धारित अनुसार ही रहेगी।

डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र सहित जमा की जायेगी। इस अवधि में देय राशि एवं सहमति पत्र प्राप्त न होने पर भू-आशय पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, साथ ही अग्रिम राशि राजसात की जायेगी।

परंतु, निर्धारित अवधि में भू-आशय पत्र में अंकित राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर तथा भू-आशय पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के पूर्व इकाई के आवेदन पर अधिकतम एक माह की अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी, किन्तु इसके लिये आवेदक को देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।

2.9.2 आबंटन आदेश जारी करना :

आशय-पत्र की शर्तों की पूर्ति हो जाने के उपरांत आबंटनकर्ता प्राधिकारी द्वारा आबंटन आदेश जिसमें विशिष्ट भू-खण्ड/शेड का क्रमांक, भू-खण्ड होने पर उसका लंबाई चौड़ाई में माप, चतुर्सीमा अंकित कर एवं इस नियम की कंडिकाओं में दिये निर्देशानुसार 30 दिवस में जारी कर पंजीकृत पावती सहित डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदक को प्रदान किया जायेगा।

2.9.3 पट्टाभिलेख का निष्पादन :

आबंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति करने के साथ 30 दिवसों के भीतर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित कर पंजीकृत करानी होगी। समयसीमा में लीजडीड निष्पादित न करने पर आबंटी को 30 दिवसीय कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जायेगा। समाधान न होने पर निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् आबंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा। आबंटी इकाई निष्पादित पट्टाभिलेख पंजीयन उपरांत उसकी पंजीयनकर्ता अधिकारी द्वारा जारी अभिप्रमाणित प्रति आबंटन प्राधिकारी के पास जमा करेगा तथा मूल प्रति अपने पास रख सकेगा।

2.9.4 पट्टाभिलेख का अभिहस्तांकन :

पट्टाधिकारों के अभिहस्तांकन हेतु अनुमति बैंक/वित्तीय संस्था एवं आबंटी के आवेदन पर आबंटन प्राधिकारी द्वारा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र में जारी की जायेगी। पट्टाग्रहिता को उसे प्रदत्त पट्टाधिकार को वित्तीय संस्थाओं/बैंक के पक्ष में अभिहस्तांकित करने की स्थिति में भूमि/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि रहेगा । अभिहस्तांकन के विस्तृत प्रावधान इन नियमों की कंडिका क्रमांक 3.2 के अनुसार होंगे।

2.9.6 आधिपत्य प्रदान करना :

लीजडीड पंजीयन के पश्चात 30 दिवस में भूमि, भवन/शेड का आधिपत्य पट्टाग्रहिता को पट्टादाता से प्राप्त करना होगा। आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आबंटी के पास एवं दूसरी प्रति आबंटन प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी। एक माह की अवधि में आधिपत्य प्राप्त नहीं करने पर पट्टाभिलेख निष्पादन तिथि से एक माह उपरांत स्वमेव आधिपत्य, प्राप्त करना मान्य किया जायेगा।

परंतु, आधिपत्य देने वाले अधिकारी के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्रश्नाधीन क्षेत्र में आधिपत्य देने के उपरांत पहुँच मार्ग से वंचित अन्य कोई भूमि शेष नहीं बच रही है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में पहुँच मार्ग से वंचित अन्य कोई भूमि, आधिपत्य देते समय ज्ञात होने पर आधिपत्य देने वाला अधिकारी आधिपत्य की कार्यवाही को स्थगित कर इसकी लिखित सूचना आबंटन प्राधिकारी के कार्यालय में देगा तथा आबंटन प्राधिकारी द्वारा स्थिति का परीक्षण कर पहुँच मार्ग से वंचित भूमि के उचित उपयोग के लिये कार्यवाही करने के बाद आधिपत्य देने की कार्यवाही की जायेगी। आबंटन प्राधिकारी आवश्यक होने पर पूर्व में जारी आबंटन आदेश आदि में उक्त स्थिति के निराकरण के लिये संशोधन भी कर सकेगा।

2.9.8 निर्धारित समयावधि में पट्टाभिलेख का निष्पादन/पंजीयन न कराने/आधिपत्य न लेने की दशा में निष्पादित पट्टाभिलेख एवं भू-आबंटन आदेश निरस्त कर (यथास्थिति जो लागू हो) इकाई को उसके आवेदन पत्र में वर्णित पते पर पंजीकृत पावती डाक से सूचित कर दिया जायेगा तथा उसके द्वारा जमा भू-प्रत्याजि की 90 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

2.9.7 ऐसे मामलों, जहाँ उद्योग स्थापनार्थ विशिष्ट अनुमतियाँ, जैसे प्रदूषण नियंत्रण कानून/नियमों, विस्फोटक पदार्थ उत्पाद संबंधी नियमों, वन विभाग, आबकारी विभाग, नियंत्रक, औषधि एवं प्रसाधन आदि के नियमों के अंतर्गत आवश्यक हों, में भू-आशय पत्र/भू-आबंटन आदेश/पट्टाभिलेख के निष्पादन एवं आधिपत्य प्रदान करने हेतु, ऐसी अनुमतियों को बाध्यकारी नहीं माना जायेगा परंतु पट्टेदार उद्योग स्थापनार्थ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ऐसी अनुमतियों को प्राप्त करेगा तथा उसकी प्रतियाँ पट्टादाता को प्रदान करेगा।

परंतु, ऐसे प्रकरणों में आधिपत्य प्राप्ति के उपरांत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मामले में एक वर्ष, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न उद्यमों के मामले में दो वर्ष के भीतर भी अनुमतियां प्राप्त नहीं होने तथा पट्टेदार की जिम्मेदारी/गलती न होने की दशा में वह आवंटित भूमि समर्पित कर इस नियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया के अनुसार भू-प्रत्याजि की राशि प्राप्त कर सकेगा।

3.1.2.6 उपरोक्त कंडिका (3.1.1) एवं (3.1.2) उन प्रकरणों में लागू नहीं होंगी जहां भूमि/शेड आबंटन के समय अन्य कोई समय-सीमा राज्य शासन द्वारा पूर्व से सुनिश्चित/अनुबंधित हो। ऐसे प्रकरणों में समय-सीमा बढ़ाने अथवा अन्य कार्यवाही के अधिकार राज्य शासन को होंगे। अतिरिक्त समय की समाप्ति उपरांत प्रकरण की समीक्षा करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

3.2 <u>बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन (Mortgage)</u>:-

3.2.1 पट्टाधिकार के अभिहस्तांकन की अनुमति वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् ही दी जायेगी।

3.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत घोषित लोक हित वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत गठित वित्त निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में, जैसी भी स्थिति हो, पट्टाग्रहिता को उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को संबंधित वित्तीय संस्था के पक्ष में अभिहस्तांकन करने की अनुमति संबंधित आबंटन प्राधिकारी द्वारा आवेदन करने पर दी जा सकेगी।

3.2.3 पट्टाग्रहिता के लिये यह अनिवार्य होगा कि, वह लिखित में आबंटन अधिकारी से उक्त अभिहस्तांकन की अनुमति प्राप्त करें।

3.2.4 पट्टेदारी अधिकारों के अभिहस्तांकन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

3.2.4.1 राज्य शासन/उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंबंटित भूमि, भवन-शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि होगा।

3.2.4.2 अभिहस्तांकन अनुमति बैंक/वित्तीय संस्था एवं आबंटी के आवेदन पर महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंध संचालक द्वारा पृथक से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र में जारी की जायेगी।

3.2.4.3 यह अनुमति मूल पंजीकृत पट्टाविलेख सीधे संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को भेजते हुए दी जायेगी। पट्टाग्रहिता को उसे प्रदत्त पट्टाधिकार को वित्तीय संस्थाओं/बैंक के पक्ष में अभिहस्तांकित करने की स्थिति में राज्य शासन/उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंबंटित भूमि/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि होगा तथा दिये गये ऋण की वसूली ऋण से निर्मित संपत्तियों तथा ऋणगृहिता से ही किये जाने का उल्लेख अभिहस्तांकन पत्र में किया जाना होगा। इन नियमों के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परिसंपत्तियों के क्रेता के पक्ष पट्टाधिकारों का हस्तांतरण नियमानुसार किया जा सकेगा ।

3.2.4.4 बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की वसूली हेतु ऋणी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के तीन माह पूर्व आबंटन अधिकारी को सूचना देनी होगी।

3.2.4.5 बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज इन्ट्रेस्ट एक्ट (सरफेसी एक्ट) के तहत कार्यवाही करने पर अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई विधिक कार्यवाही करने/विधिक कार्यवाही पर ऋणी के विरुद्ध जारी की जाने वाली नोटिस/समाचार पत्रों में सूचना/विक्रय हेतु नोटिस एवं अन्य पक्षकार के साथ किये जाने वाले अनुबंध में निम्नांशय की शर्तें अंकित होंगी :-

(अ) भूमि/शेड-भवन का उपयोग उद्योग की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

(ब) राज्य शासन/उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंबंटित भूमि/शेड को देय तत्समय में प्रचलित भू-हस्तांतरण शुल्क एवं पुरानी देयताओं का ब्याज सहित भुगतान करना होगा ।

(स) अनुमति उसी प्रयोजन हेतु है जिस प्रयोजन हेतु भूमि/शेड-भवन आबंटित है।

3.2.4.6 उक्त कार्यवाही उपरांत क्रेता को इस नियम में मान्य किसी गतिविधि के लिये वित्तीय संस्था से परिसंपत्तियों का आधिपत्य प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में भूमि आबंटन/हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तदुपरांत उपरोक्त अध्याय-दो में वर्णित कंडिकाओं का पालन करते हुये संबंधित भूमि/शेड-भवन की लीजडीड मूल लीजडीड में से शेष रही अवधि के लिये निष्पादित करानी होगी। समयावधि में लीजडीड निष्पादित न कराने पर पट्टे में वर्णित संपत्ति-भूमि/शेड/भवन पर क्रेता को कोई विधिक अधिकार नहीं होगा तथा इन नियमों के अनुसार सक्षम आबंटन प्राधिकारी पट्टे में वर्णित संपत्ति- भूमि/शेड/भवन का आबंटन अन्य उद्यमी को नियमानुसार कर सकेगा।

(स) मूल आवंटी की मृत्यु उपरांत आवंटित भूमि/शेड-भवन के हस्तांतरण के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार अनुमति जारी करने के पूर्व मूल आवंटी/मूल आवंटियों के नामांकित उत्तराधिकारियों को आपत्ति/सहमति देने बाबत् सूचना दी जायेगी तथा सहमति अनुसार अनुमति जारी की जायेगी । आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवेदक के व्यय से क्षेत्र के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में तदनुसार सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा निर्धारित न्यूनतम 30 दिवस में आपत्ति न आने पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी एवं न्यूनतम कुल 45 दिवस उपरांत आदेश पारित किया जा सकेगा ।

(द) आपत्ति अथवा विवाद अथवा न्यायालयीन वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय के निर्णयानुसार भू-हस्तांतरण की अनुमति दी जायेगी।

(ई) हस्तांतरण की अनुमति उपरांत मूल निष्पादित पट्टाभिलेखों के संबंध में हस्तांतरण लीजडीड निष्पादित की जायेगी तथा तत्कालीन प्रचलित दर पर संधारण शुल्क तथा प्रचलित भू-प्रत्याजि की दर पर भू-भाटक निर्धारित किया जाकर उसकी प्रविष्टि एवं नवीन निर्धारित संधारण शुल्क तथा भू-भाटक के प्रभावी होने की तिथि हस्तांतरण से संबंधित पट्टाभिलेख में अंकित की जायेगी । यह संशोधित पट्टाभिलेख मूल पट्टाभिलेखों के अनुक्रम में जारी होगा । अर्थात मूल पट्टाभिलेख में वर्णित अवधि में से शेष अवधि के लिये ही यह संशोधन मान्य होगा। हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों में हस्तांतरण शुल्क संबंधी होने की कंडिका अंकित की जाएगी । हस्तांतरण संबंधी संशोधन नवीन निर्धारित दरों के अनुसार भू-भाटक एवं संधारण शुल्क का भुगतान करने पर ही लागू माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में भू-भाटक की गणना प्रकरण में सांकेतिक रूप से निर्धारित प्रत्याजि के आधार पर की जायेगी।

3.4.1.3 <u>कंपनियों के मामले में हस्तांतरण :-</u>

(अ) कंपनियों के मामले में हस्तांतरण से वही तात्पर्य मान्य किया जायेगा, जोकि लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में निहित है। मूल प्रमोटर्स की मूल अंशधारिता इक्यावन (51) प्रतिशत से कम होने पर हस्तांतरण माना जाएगा ।

(ब) इन नियमों के तहत सभी मर्जर, डी-मर्जर, अमलगमेशन, डी-अमलगमेशन हस्तांतरण की श्रेणी में होंगे।

3.4.2 हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/शर्तों के अधीन होगी :-

3.4.2.1 जिन प्रकरणों में आवंटित भू-खण्ड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन अनुसार वाउंड्रीवॉल छोड़कर कोई उत्पादन के लिये आवश्यक भवन का निर्माण न हुआ हो अर्थात वाउंड्रीवॉल/उत्पादन कार्य हेतु अनुपयोगी भवन निर्मित हो तो भी, उनमें हस्तांतरण का आवेदन ग्राह्य नहीं होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत यदि अन्यथा संसूचित न हो तो आवंटन स्वयं निरस्त हुआ माना जावेगा। इसी तरह से रिक्त भूखण्डों/शेड, भवन का हस्तांतरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।ऐसे सभी प्रकरणों में उक्त रिक्त भूखण्ड/शेड, भवन, जैसी भी स्थिति हो, का आधिपत्य इन नियमों में अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया के अनुसार महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सी. एस.आई.डी.सी. द्वारा तुरंत लिया जायेगा तथा तत्पश्चात उसका आवंटन इन नियमों में अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

3.4.2.2 जिन प्रकरणों में आवंटित भू-खण्ड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन में दर्शित भवन मद में प्रस्तावित परियोजना लागत का न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत तथा संयंत्र एवं मशीनरी मद में प्रस्तावित निवेश का न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत का निवेश होने पर प्रकरण में उनमें तत्समय प्रचलित भू-प्रत्याजि के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के बराबर राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगी।

3.4.2.3 जिन प्रकरणों में आवंटित भू-खण्ड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन में दर्शित भवन मद में प्रस्तावित परियोजना लागत का न्यूनतम 50 (पचास) प्रतिशत तथा संयंत्र एवं मशीनरी मद में प्रस्तावित निवेश का न्यूनतम 50(पचास) प्रतिशत का निवेश किया जा चुका हो, उन प्रकरणों में तत्समय प्रचलित प्रत्याजि के 20(बीस) प्रतिशत के बराबर राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगी।

3.4.2.4 जिन प्रकरणों में आवंटित भू-खण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात कार्यरत अथवा उत्पादन में आने के पश्चात बंद हुए उद्यम, जिनमें आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार कार्यवाही भूमि उपयोग की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा – ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग के प्रकरण में निरस्तीकरण आदेश जारी न हुआ हो, उनमें हस्तांतरण शुल्क के रूप में तत्समय प्रचलित भू-प्रत्याजि की 15 (पन्द्रह) प्रतिशत राशि देय होगी।

3.4.2.5 उपरोक्त 3.4.2.1 से 3.4.2.4 तक के प्रकरणों में ऐसे किसी भी हस्तांतरण उपरांत भू-भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क आदि की दरें तत्समय प्रचलित प्रत्याजि के अनुसार लागू होंगी। संशोधन आदेश/पट्टाभिलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणों में भू-भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क आदि की गणना प्रकरण में सांकेतिक रूप से तत्समय प्रचलित प्रत्याजि निर्धारित करके की जायेगी।

3.4.2.6 उपरोक्त 3.4.2.1 से 3.4.2.4 तक के प्रकरणों में ऐसे किसी भी हस्तांतरण उपरांत प्राप्त भू-आधिपत्य में हस्तांतरण के अनुमोदन की दिनांक से आगामी 5 वर्ष तक भूमि का हस्तांतरण अथवा स्थापित उद्योग इकाई के संगठन का स्वरूप इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोड़कर, परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। समय पूर्व परिवर्तन अथवा उल्लंघन की स्थिति में प्रकरण के नियमन हेतु प्रचलित

3.9.6 निरस्त पट्टा के पट्टाग्रहिता के नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने पर आधिपत्य प्राप्तकर्ता द्वारा निरस्त भूमि/भवन/प्रकोष्ठ का आधिपत्य पंचनामा तैयार कर वापस लिया जा सकेगा तथा पंचनामा में अन्य पंच/गवाहों के पूर्ण नाम, पद एवं पता अंकित कर हस्ताक्षर प्राप्त किए जावेंगे।

3.9.7 अपील/न्यायालयीन प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरणों में आधिपत्य प्राप्त करने की पूर्ण कार्यवाही निरस्तीकरण दिनांक के 3 माह के अंदर पूर्ण की जायेगी। आधिपत्य प्राप्त करने के उपरांत इसकी सूचना प्रभावित पक्ष को पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।

3.9.8 अपील में पट्टा निरस्तीकरण का निर्णय यथावत् निरस्त रखा जाने की स्थिति में महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंध संचालक द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार अनिवार्यतः उपरोक्तानुसार 3 माह में निरस्त भूमि/भवन/प्रकोष्ठ का आधिपत्य प्राप्त किया जायेगा।

3.9.9 उपरोक्त कंडिकाओं के निराकरण योग्य प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) अनुसार बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिये सक्षम अधिकारी के पास निरस्तीकरण/अपील निराकरण/आधिपत्य प्राप्त न होने, जैसी भी स्थिति हो, उसके 45 दिवस में प्रकरण पंजीकृत कराया जायेगा। प्रकरण पंजीकृत कराने की जिम्मेदारी संबंधित आवंटनकर्ता प्राधिकारी की होगी।

3.10 निरस्त पट्टाभिलेख अंतर्गत भूमि, भवन/शेड का पुनर्स्थापन :-

3.10.1 कार्यरत् इकाई के देय राशियों का भुगतान न करने के कारण निरस्त भूमि, भवन/शेड के पट्टा प्रकरण में अंतिम निराकरण के पूर्व नियमों में उल्लेखित/पट्टे की शर्तों में वर्णित प्रावधान अनुसार पट्टाग्रहिता द्वारा देयताओं का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही प्रचलित प्रब्याजि की दस प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन/शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। यह पुनर्स्थापन अवधि आवंटन अधिकारी द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश में वर्णित अपील अवधि समाप्त होने के पूर्व की होगी। इस अवधि के भीतर भुगतान सहित आवेदन प्राप्त होने पर निरस्त पट्टे का पुनर्स्थापन पट्टा निरस्तीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

परंतु, कार्यरत् इकाई के देय राशियों का भुगतान न करने के कारण निरस्त भूमि, भवन/शेड के पट्टा निरस्तीकरण प्रकरण के अपील प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी प्रचलित प्रब्याजि की 10 (दस) प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन/शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित कर सकेगा।

3.10.2 उपरोक्त कंडिका 3.10.1 से भिन्न प्रकरणों में पट्टा निरस्तीकरण के मामलों में भूमि, भवन/शेड की पुनर्स्थापना के प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर इकाई की अद्यतन स्थिति, रोजगार, पूंजी निवेश, उल्लंघित प्रावधानों की पूर्ति एवं उद्योग स्थापनार्थ नये प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुये की जा सकेगी। ऐसा करते समय कंडिका क्रमांक 3.8.3 में वर्णित अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रचलित प्रब्याजि के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर पुनर्स्थापना राशि एवं अन्य देय राशि पट्टेदार पर आरोपित कर पुनर्स्थापन की अनुमति दी जा सकेगी ।

3.10.3 यदि पट्टेदार द्वारा न्यायिक वाद प्रचलित किया गया हो तो वह स्वेच्छा से वाद वापस लेकर उपरोक्त कंडिका 3.10.1 अथवा 3.10.2 जैसी भी स्थिति हो, अनुसार निराकरण हेतु आवेदन कर सकेगा।

3.10.4 उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर राज्य शासन ऐसा निर्णय ले सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

3.11 शेडों/फ्लैटेड फैक्ट्रियों (बहुमंजिला भवन के शेड) का भाड़ाक्रय पद्धति के अंतर्गत आवंटन :-

3.11.1 केवल भवन/फ्लैटेड फैक्ट्री प्रकोष्ठ ही भाड़ा क्रय पर दिये जा सकेंगे, भूमि नहीं। जिस भूमि पर भवन निर्मित है तथा पास की न्यूनतम खुली भूमि नियमों में वर्णित अवधि की लीज पर दी जायेगी, जिसके लिए एक लीजडीड अलग से निष्पादित करनी होगी। इन प्रकरणों में खुली तथा शेड/फ्लैटेड अंतर्गत निर्मित क्षेत्र की भूमि सम्मिलित कर आवंटन योग्य कुल भूमि की मात्रा का निर्धारण इस नियम में वर्णित भूमि की मात्रा संबंधी नियम से शासित होगा ।

3.11.2 भवन/फ्लैटेड (बहुमंजिला भवन के शेड) के भाड़ा क्रय हेतु मूल्य निर्धारण के सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

(अ) आवेदन के निराकरण के समय प्रचलित वास्तविक मूल्य/पीडब्ल्यूडी दर अनुसूची (एसओ.आर.-शेड्यूल आफ रेट्स) के आधार पर भवन/प्रकोष्ठ का मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

(ब) निर्धारित मूल्य का अधिकतम 10 (दस) वर्षों में 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में भुगतान करना होगा, जिस पर प्रचलित वार्षिक बैंक ब्याज की दर की से सामान्य ब्याज देय होगा। पूर्व जमा सिक्यूरिटी राशि अंतिम किश्त के साथ समायोजित की जायेगी। 10 (दस) वर्ष पूर्ण होने/ पूर्ण मूल्य प्राप्त हो जाने पर शेड, प्रकोष्ठ/भवन का शेष अवधि के लिए विक्रय विलेख निष्पादित होगा।

परिशिष्ट–2

अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योग
[(See Clause No. 2.1.1. (अ)]

1. अकार्बनिक रसायन उद्योग –
   - 1.1 खनिज अम्ल, क्षार निर्माण उद्योग।
   - 1.2 अम्ल प्रतिक्रिया से निर्मित खनिज लवण।
   - 1.3 कार्बनडाई सल्फाईड, अल्ट्रा मेरिन ब्लू, क्लोरिन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस एवं ब्लीचिंग पावडर निर्माण।
2. कार्बनिक रसायन उद्योग –
   - 2.1 डाई व डाई स्टफ इंटरमिडिएट निर्माण।
   - 2.2 सिंथेटिक, प्लास्टिक (जैसे पॉलिथिन), पी. वी.सी. रेजिन, नॉयलान, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डाई।
   - 2.3 कोलतार डिस्टीलेशन प्रक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पाद।
   - 2.4 आर्गेनिक साल्वेंटस, क्लोरिनेटेड मिक्सरस, मिथनॉल एल्डीहाईड, पायरिडिन, आयडोफार्म, क्लोरोफार्म, बीटा नेप्थाल एंव मिथेलेटेड स्प्रिट।
3. पेट्रोलियम उत्पाद –
   - 3.1 कच्चे तेल की रिफायनिंग, प्रोसेसिंग एवं क्रेकिंग, पेट्रोलियम जैली, पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था क्रेकिंग।
   - 3.2 कार्बन ब्लेक व उसके समान अन्य निर्माण।
   - 3.3 पेट्रोलियम कोक।
   - 3.4 लुब्रिकेटिंग एवं उसके समान अन्य निर्माण।
   - 3.5 एल्युमीनियम फॉयल्स।
4. धातु कर्म उद्योग –

   उद्योग जिनमें स्पंज आयरन, पैलेट प्लांट, सिंटरिंग, स्मेलटिंग, ब्लास्ट फर्नेस, रिकॉस्टिंग ऑफ ओर, सल्फाइट, सल्फाइड, ऑक्साइड या मिश्रण जैसे कार्य किये जाये।
5. रेडियोएक्टिव तत्व निर्माण।
6. पेपर, पेपर पल्प, बोर्ड ड्रिल्लिंग, न्यूज प्रिंट निर्माण।
7. अल्कोहल डिस्टीलरीज।
8. शक्कर कारखाना।
9. जहरीले पदार्थ जैसे :– साइनाइड्स, आर्सेनिक यौगिक, बेरियम यौगिक, पायरोगेलिक एसिड।
10. इलेक्ट्रो थर्मल इण्डस्ट्रीज जैसे – कैल्शियम कार्बाइड, फास्फोरस, एल्यूमिनियम डस्ट, पेस्ट, कॉपर जिंक एलाय आदि।
11. एस्बेस्टॉस, व्हाईट एस्बेस्टॉस।
12. शिप स्क्रेप प्रोसेसिंग।
13. शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य प्रकार के उद्योग।

17.12 विपणन प्रकोष्ठ (Marketing Cell)

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

संभावित प्रश्न

1. किन उद्योगों का पंजियन किया जाता है ।

संभावित उत्तर

आरक्षित वस्तुओं का पंजियन किया जाता है, जिसकी सूचि कार्यालय में देखी जा सकती है ।

2. पंजीयन के अलावा क्या विपणन का कार्य भी किया जाता है ।

नही ।

परिशिष्ठ–1

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : एफ–5–5/2002/(6)/11 रायपुर दि. 31/3/03

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमि.
बी–4 एम.आर.कालोनी, षैलेन्द्र नगर,
रायपुर

विषय : मध्यप्रदेष लघु उद्योग निगम के अधिकारियों /कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. में संविलियन के संबंध में ।
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक : सीएसआईडीसी/आर/स्था./03/6702, दि. 25.01.2003 ।

– – – – –

राज्य षासन द्वारा, मध्यप्रदेष लघु उद्योग निगम मर्या., भोपाल की छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित इकाईयों को यथा मृगनयनी एम्पोरियम, रायपुर एवं भिलाई, कच्चा माल भण्डार, रायपुर एवं भिलाई, सम्पदा एवं निर्माण संभाग, रायपुर, श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगषाला, भिलाई तथा क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, भिलाई में पदस्थ संलग्न सूची में उनके नाम के समक्ष दर्षाये अनुसार 48 अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. में उनके कार्य ग्रहण करने के दिनांक से प्रावधिक (Provisional) रूप से मध्यप्रदेष लघु उद्योग निगम मर्या., भोपाल का अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेष में बंटवारा होने तक मान्य की जाती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

––हस्ता––
(आर. के. श्रीवास्तव)
उप–सचिव
छत्तीसगढ शासन
वणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्र. एफः एफ–5–5/2002/(6)/11 रायपुर दि. 31/3/03

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
3. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
4. संचालक, संस्थागंत, वित्त, मंत्रालय, रायपुर
5. प्रबंध संचालक, म. प्र. लघु उद्योग निगम मर्या.,, भोपाल
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव मंत्रालय, रायपुर

की और सूचनार्थ अग्रेषित।

परिशिष्ठ–2

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : 1233 / सं.स / वा.उ.सा.3 / 2002 रायपुर दि. 01 / 08 / 02

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेष लघु उद्योग निगम मर्या.
पंचानन भवन, चौथी मंजिल
मालवीय नगर, **भोपाल**

विषय : अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भेजने बाबत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म. प्र. लघु उद्योग निगम के 48 अधिकारियों / कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर में संविलियन किया गया है जो निम्नानुसार है –

क्रमांक	अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण	संख्या	संविलियन की तिथि
1.	अधिकारी / कर्मचारी	08	01.01.2002
2.	उपरोक्तानुसार	39	01.02.2002
3.	उपरोक्तानुसार	01	09.03.2002

उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भेजने का कष्ट करें ।

––हस्ता––
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ठ–3

छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
बी–4, एम.आर.कालोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) 492001
दूरभाष : 429024, 420094 फैक्सः 0771–429025, साईट आफिसः उरला 323636 सिलतरा 64220

क्रमांक : सीएसआईडीसी / आर / विप / 02 / 1425 रायपुर दि. 01 / 08 / 02

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेष लघु उद्योग निगम मर्या.
पंचानन भवन, चौथी मंजिल
मालवीय नगर, भोपाल

विषय : अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भेजने बाबत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म. प्र. लघु उद्योग निगम के 48 अधिकारियों / कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर में संविलियन किया गया है जो निम्नानुसार है –

क्रमांक	अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण	संख्या	संविलियन की तिथि
1.	अधिकारी / कर्मचारी	08	01.01.2002
2.	उपरोक्तानुसार	39	01.02.2002
3.	उपरोक्तानुसार	01	09.03.2002

उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भेजने का कष्ट करें ।

––हस्ता––
अपर प्रबंध संचालक

परिशिष्ठ–4

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : 1125/वा.उ.सा.क/2001 रायपुर दि. 24/12/01

प्रति,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शासन**
3. **समस्त आयुक्त, छत्तीसगढ़**
4. **समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़**
5. **समस्त सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़**
6. **सचिव, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़**
7. **सचिव, विधानसभा, छत्तीसगढ़**

विषय : दि. 31.3.2002 तक के लिए राज्य शासन के समस्त विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था ।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.3.2002 तक के लिए समस्त शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों के लिा भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था केन्द्रीय क्रय संस्था के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर द्वारा की जायेगी । उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य में सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. सभी शासकीय विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत आवष्यक वस्तुओं की मांग छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड को तत्काल प्रेषित करेंगे । जिला स्तर पर ये मांग पत्र महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । जिला स्तर पर महाप्रबंधक सामग्री के आपूर्ति सुनिष्चित करेगे ।
2. समस्त शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों को सामग्री की आपूर्ति दि. 31.3.2001 को लागू मापदण्ड, दरें एवं प्रक्रिया के आधार पर की जायेगी । लघु उद्वोग निगम की दि. 31.3.2001 की स्थिति में रेट कांट्रेक्ट में उल्लेखित दर, वर्तमान मूल्य सूची में उल्लेखित दर एवं डी.जी.एस.एण्ड डी. के रेट कांट्रेक्ट में उल्लेखित दर– इनमें से जो सबसे कम है, उस दर पर सामग्री का क्रय किया जायेगी । क्रय मूल्य की गणना में परिवहन शुल्क एवं सेवा शुल्क को भी ध्यान में रखा जावेगा ।
3. भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत वितरण हेतु राज्य के पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों को उनकी क्षमता एवं गुणवत्ता के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
4. जिन सामग्री की आपूर्ति मांग के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति को देखते हुए ... नहीं है, ऐसी स्थिति में विभागों को निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । किसी भी स्थिति में जिला स्तर अथवा संभागीय स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जावेंगे ।
5. शासन के निर्णय अनुसार संबंधी मांग छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड को ही दिया जावेगा, किसी भी स्थिति में अन्य किसी संस्था / निगम को मांग पत्र प्रेषित नहीं किया जावे ।
6. सामग्री आपूर्ति में लिये जाने वाले सेवा शुल्क की राषि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर को देय होगी ।
7. सामग्री की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए डी.जी.एस. एण्ड डी. राईट्स, प्रदेष के अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पालिटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई., आदि संस्थाओं की सेवायें ली जा सकती हैं ।

8. सामग्री आपूर्ति का समय सामान्यतः 45 दिवस का रहेगा । अतः समस्त शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों से यह अपेक्षा रहेगी कि उपरोक्त समय अवधि को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र प्रेषित करें । यदि विभाग इससे कम समय में आपूर्ति चाहता है जो मांग पत्र में इसका उल्लेख करें ।
9. समस्त शासकी विभाग / सार्वजनिक उपक्रम सामग्री आपूर्ति के पश्चात 20 दिवस में भुगतान सुनिष्चित करेंगे । विलंब की स्थिति में प्रवर्तित प्रक्रिया अनुसार 18 प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसका उत्तरदायित्व

संबंधित विभाग / सार्वजनिक उपक्रमों का होगा । इस संबंध में समस्त कार्यवाही एवं पूछताछ निम्नांकित पते पर की जावे :–

1. प्रबंध संचालक,
   छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड,
   बी–4, एम. आर. कालोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर
   दूरभाष : 0771–429024, 420094, फैक्स 0771–429025
2. जिला स्तर पर
   महाप्रबंधक, जिला व्यापार एपं उद्योग केन्द्र से सम्पर्क करें ।

––हस्ता––
(एस. के. बेहार)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्र. एफः 1126 / सं.स. / वा.उ. / 2001 रायपुर दि. 24 / 12 / 01

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रापुर
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़
5. समस्त नगर निगम / नगर पालिका, छत्तीसगढ़
6. मुख्य महाप्रबंधक, उद्योग, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर
7. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला– .....

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

(परि.–4)

छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी–168, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : रायपुर दि. / /

विज्ञापन

दिनांक 31.03.2002 तक छत्तसगढ़ राज्य के समस्त विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों में भण्डार क्रय नियम कं तहत सामग्री आपूर्ति के लिये छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर तथा समस्त जिलों के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सूचीबद्ध किया जाा है । इस शासकीय भण्डार क्रय में भाग लेने वाली इच्छुक व कार्यरत इकाईयां दिनांक 10.01.2002 तक आवष्यक रूप से सूचीबद्ध करा लेवें । सूचीबद्ध कराने के लिए निम्न शर्तें आवष्यक हैं :–

1. शासकीय क्रय कार्यक्रम में भाग लेने वाली इच्छुक इकाईयां दिनांक 30.11.2001 तक उद्योग विभाग में स्थायी रूप से पंजीकृत हों अथवा डी.जी.एस.एण्ड डी. में पंजीकृत हों ।
2. इस हेतु शुल्क रू. 1,000/– रहेगा जोकि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर को देय होगा । यह राषि वापसी योग्य नहीं होगी ।
3. रू. 25.00 लाख तक के क्रय आदेष पाने वाली इकाईयों को रू. 10,000/– तथा इससे अधिक के क्रय आदेष पाने वाली इकाईयों को रू. 25,000/– सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराने होंगे । यह राषि सामग्री आपूर्ति के 90 दिवस पष्चात लौटायी जायेगी ।
4. कुल प्रदाय आदेष मूल्य का 5 फिसदी परफारमेंस ग्यारंटी के रूप में जमा कराना होगी । यह राषि सामग्री की आपूर्ति के 90 दिवस के पष्चात लौटायी जावेगी ।

राज्य शासन के भण्डार क्रय कार्यक्रम में भाग लेनेवाली प्रदेष में स्थित इकाईयां संबंधित जिला एवं व्यापार केन्द्रों में तथा प्रदेष के बाहर की इकाईयां तथा डी. जी.एस. एण्ड डी. से पंजीकृत इकाईं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर में सूचीबद्ध करने आवेदन निम्न प्रपत्र में निर्धारित समयावधि में देवें :–

1. इकाई का नाम एवं पता
2. इकाई के कार्यस्थल का पूर्ण पता, टेलीफोन नं. सहित
3. मालिक/भागीदार/निर्देषक का पूर्ण नाम एवं पता
4. इकाई का लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक/ डी.जी.ए. एण्ड डी. का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (प्रति संलग्न करें)

5. पंजीकृत वस्तुओं का नाम एवं स्थापित क्षमता
6. उत्पादन दिनांक
7. गत 3 वर्षो में की गई शासकीय आपूर्ति की पूर्ण जानकारी
8. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक

9. इकाई को यदि कोई मानक/गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ हो तो उसकी जानकारी (प्रति संलग्न करें)

घोषणा–पत्र

मैं/हम यह शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दी गयी जानकारी पूर्णतया सत्य हैं ।

मालिक/भागीदार/निर्देषक के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ–5

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : /वा.उ./2001/1183 रायपुर दि. 31/12/2001

प्रति,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त आयुक्त
4. समस्त जिलाध्यक्ष
5. समस्त सार्वजनिक उपक्रम
6. सचिव, महामहिम राज्यपाल
7. सचिव, विधान सभा

विषय : वित्तीय वर्ष 2001–2002 में दि. 31.3.2002 तक के लिए राज्य के समस्त विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भण्डार क्रय निमों के अंतर्गत आपूर्ति की व्यवस्था ।
संदर्भ : वाण्ज्यि एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. 1125 दि. 24.12.2001

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार दिषा निर्देष जारी किये जाते हैं –

1. ऐसे विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग जिनके जिलों में कार्यालय स्थित हैं, वे जिला स्तर पर ही सामग्री की मांग का संकलन करेंगे तथा संबंधित जिलों के कार्यालय अपने मांगपत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को प्रेषित करेंगे । संबंधित ामांग के आधार पर आबंटन की राषि भी विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम अपने जिला कार्यालयों को उपलब्ध करायेंगे ।
2. सामग्री की गुणवत्ता को सुनिष्चित करने के लिए शासन ने स्वतंत्र संस्थान जैसे डी.जी.एस. एण्ड डी., राईट्स, राज्य के समस्त शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आई. टी. आई. की सहायता लेने का निर्णय लिया है । यदि कोई विभाग किसी अन्य स्वतंत्र संस्थान से जो उसके लिए अधिकृत हों, सामग्री की गुणवत्ता की जांच करवाना चाहता है तो अपने मांगपत्र में इसका उल्लेख करें ।

––हस्ता––
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ठ–6

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : /वा.उ./2001/1185 रायपुर दि. 31/12/2001

आदेश

राज्य शासन वर्ष 2001–2002 के लिए दिंक 31.3.2002 तक शासन के समस्त विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था के लिए निम्न अधिकारियों की समिति गठित करता है –

1. अतिरिक्त प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी.लिमि. रायपुर
2. अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी.लिमि. रायपुर

यह समिति विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों से रू. 10.00 लाख से अधिक मूल्य के मांगपत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के आधार पर निर्णय लेकर सामग्री की आपूर्ति सुनिष्चित करेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

––हस्ता––
संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

पृ. क्र. एफः /वा.उ./2001 रायपुर, दि. 31/12/2001
प्रतिलिपिः

1. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी.लिमि., रायपुर
2. अतिरिक्त प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी.लिमि., रायपुर
3. अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर
4. मुख्य महाप्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी.लिमि., रायपुर,

संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ठ–7

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : /वा.उ./2001/1182 रायपुर दि. 31/12/2001

प्रति,

1. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी.लिमि. रायपुर
2. अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर
4. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ...

विषय : वित्तीय वर्ष 2001–2002 में दिनांक 31.3.2002 तक के लिए राज्य के समस्त विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत आपूर्ति की व्यवस्था ।

संदर्भ : वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. 1125 दि. 24.12.2001

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्र. 1125 दिनांक 24.12.2001 के तारतम्य में निम्नानुसार दिषा निर्देष जारी किये जाते हैं :–

1. किसी भी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों से क्रय आदेष लेकर आनेवाली इकाईयों को किसी भी प्रकार की अधिमान्यता नहीं दी जाएगी । इस तरह के क्रय आदेष लानेवाली इकाईयों को अपात्र घोषित किया जावे । समस्त विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों से मांगपत्र केवल डाक द्वारा अथवा विशेषवाहक द्वारा ही स्वीकार किये जावे ।
2. भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत वस्तुओं का विपणन कार्य निम्नानुसार किया जाना है –

अ. महाप्रबंधकों को प्रत्येक प्रदाय आदेष के रू. 5.00 लाख तक के विपणन अधिकार दिये जाते हैं। महाप्रबंधक अपने जिले में स्थित इकाईं को जो कि वर्ष 2001–2002 के लिए पंजीबद्ध की गई हैं, रोस्टर के आधार पर उनकी क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मापदण्ड के तहत क्रयादेष जारी करेंगे । राज्य शासन दिनांक 31.03.2002 तक के लिए सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को पदेन महाप्रबंधक विपणन, सी.एस.आई.डी.सी.लिमिटेड घोषित करता है ।

ब. मुख्य महाप्रबधकों को रू. 10.00 लाख तक के प्रदाय आदेष का अधिकार होगा । यदि संबंधित जिले में मांगपत्र पर आधारित वस्तु की इकाई नहीं है तो महाप्रबंधक उक्त मांगपत्र को तत्काल मुख्य महाप्रबंधक को प्रेषित करेंगें । मुख्य महाप्रबंधक अपने क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली इकाईयों को रोस्टर के आधार पर उनकी क्षमता को दृष्टिगत राते हुए आदेष देंगे। यदि अपेक्षित सामग्री का निर्माण नहीं हो पा रहा हो तो मांगपत्र तत्काल सी.एस.आई.डी.सी. को प्रेषित किया जाएगा। निगम स्तर पर इस मांगपत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

स. सी.एस.आई.डी.सी. में रू. 5.00 लाख तक के क्रयादेष महाप्रबंधक द्वारा जारी किये जावेंगे। रू. 10.00 लाख तक के क्रयादेष मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जारी किये जायेंगे एवं इससे उपर के क्रयादेषों पर निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक, उद्योग संचालनालय, रायपुर के अपर संचालक उद्योग एवं निगम के मुख्य महाप्रबंधक को लेकर गठित समिति निर्णय लेगी ।

3. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों तथा सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर में विपणन कार्य में भाग लेने वाली इच्छुक इकाईयों को सूचीबद्ध किया जाएगा । इसमें वे इकाईयां पात्र होंगी जो उद्योग विभाग अथवा डी.जी.एस.एण्ड डी. में दिनांक 30.11.2001 तक पंजीकृत हों तथा अपना नाम संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों अथवा सी.एस.आई.डी.सी. में सूचीबद्ध करा लिया हो । सूचीबद्ध शुल्क के रूप में इकाई से रू. 1000/–की राषि ली जाएगी जो वापसी योग्य नहीं होगी । यह राषि सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर को देय होगी ।

4. शासकीय विभागों को सामग्री प्रदाय करने वाली इच्छुक इकाईयों की क्षमता एवं गुणपत्ता पर निरंतर निगरानी रखी जावे । इसके लिए पूर्व में प्रलित सक्षमता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा तत्काल प्रारंभ की जाए । संबंधित मुख महाप्रबंधक / महाप्रबंधक यह भी सुनिष्चित करें कि क्रयादेष की सामग्री का उत्पादन संबंधित इकाई स्वयं कर रही है अथवा नहीं ।
5. राज्य षासन के विपणन कार्यक्रम में भाग लेने वाली इच्छुक इकाईयों से उनको प्रदाय आदेष दिये जाने के पूर्व निम्नानुसार सुरक्षा निधि की राषि जी जाए –

(अ.) यदि प्रदाय आदेष रू. 25.00 लाख से कम हो तो सुरक्षा निधि के रूप में रू. 10,000/– लिया जाए ।
(ब.) रू. 25.00 लाख से अधिक के क्रय आदेष पर सुरक्षा निधि के रूप में रू. 25,000/– लिया जाए । उपरोक्त राषि सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर को देय होगी तथा यह राषि सामग्री आपूर्ति के 90 दिवस के पष्चात लौटायी जा सकेगी ।
(स.) भण्डार क्रय नियमों में आरक्षित पस्तु के विपणन में 2 फिसदी सेवा शुल्क के रूप में तथा अनारक्षित वस्तुओं के विपणन में 5 फिसदी सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा ।

6. राज्य शासन के इस विपणन कार्य में भाग लेने वाी इच्छुक इकाईयों से कुल आदेष का 5 फिसदी परफारमेंस ग्यारंटी के रूप में लिया गावे । यह राषि भी सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर को देय होगी तथा सामग्री आपूर्ति के 90 दिवस के ष्पत वापस की जा सकेगी । इस बीच में यदि सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई षिकायत प्राप्त होती है तो यह राषि राजसात कर ली जाएगी ।
7. प्रदाय की जानेवाली सामग्री की गुणवत्ता के लिर्धारण के लिए स्वतंत्र संस्थान जैसे कि डी.जी.एस. एण्ड डी., राईट्स, राज्य के समस्त शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आई. टी. आई. की सहायता ली जाए । साथ ही समस्त विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों को यह भी सुविधा होगी कि वे अपनी सुविधानुसार निरीक्षणकर्ता संस्थान का चयन कर सकते हैं । निरीक्षण शुल्क की निर्धारित राषि 0.5 फिसदी संबंधित विभाग द्वारा देय होगी ।
8. सामान्यतः सामग्री आपूर्ति का समय 45 दिवस निर्धारित है । यदि विभाग कम समय में आपूर्ति चाहता है तो क्रयादेष में इसका उल्लेख करेगा । निर्धारित समयावधि में आपूर्ति नहीं होने पर काई को समयावधि बढ़ाने हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी । यदि इकाई द्वारा विलब का उचित कारण बताया जाए जो संबंधित विभाग की सहमति से मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी. आचित्यपूर्ण अतिरिक्त समय प्रदाय कर सकते हैं । यदि इस अतिरिक्त समयावधि में भी इकाई सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहता है तो उसका प्रदाय आदेष स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा इकाई के द्वारा दी गई सुरक्षा निधि तथा परफारमेंस ग्यारंटी राजसात कर ली जाएगी ।
9. ऐसी कंपनियां जोकि वितरकों से कार्य करती हैं, उनको इस विपणन कार्य के लिए एक वितरक को नियुक्त करना होगा । इस वितरक के पास स्वयं का अथवा कंपनी का सर्विस केन्द्र भी होना आवष्यक है ।
10. जिला स्तर पर निगरानी समिति / उड़नदस्ता का गठन किया जाए जोकि आकस्मिक निरीक्षण कर इकाई के द्वारा उत्पादन किए जानेवाले उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करे

––हस्ता––
संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ठ–8

छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
बी–4, एम.आर.कालोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) 492001
दूरभाष : 429024, 420094 फैक्सः 0771–429025, साईट आफिसः उरला 323636 सिलतरा 64220

क्रमांक : सीएसआईडीसी / आर / विप / 2002 / 117 रायपुर दि. 23 / 01 / 02

प्रति,

1. **मुख्य महाप्रबंधक**
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
   रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / जगदलपुर (छ.ग.)

2. **महाप्रबंधक**
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
   जिला–रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / महासमुन्द / कवर्धा / धमतरी / कोरबा / जषपुर / सरगुजा / कोरिया / बिलासपुर / चांपा–जांजगीर / रायगढ़ / जगदलपुर / कांकेर / दंतेवाड़ा (छ.ग.)

विषयः वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अंतर्गत दिनांक 31.3.2002 तक विपणन कार्य हेतु अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला एवं परिक्षेत्र स्तर पर विपणन कार्य के संचालन हेतु निम्न दिषानिर्देष जारी किये जाते हैं, जिनका कड़ाई से पालन सुनिष्चित किया जाए –

1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उन्हीं क्रयादेषों पर प्रदाय आदेष जारी किए जाएंगे जिनके क्रयकर्ता विभाग प्राप्तकर्ता तथा प्रदायकर्ता इकाई तीनों की उनके जिले के क्षेत्रांतर्गत हों ।
2. परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उन्हीं क्रयादेषों पर प्रदाय आदेष जारी किए जाएंगे जिनके क्रयकर्ता विभाग, प्राप्तकर्ता विभाग, प्रदायकर्ता तीनों की परिक्षेत्र कार्यालय के कार्यक्षेत्र में स्थित हों ।
3. परिक्षेत्रीय कार्यालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किसी भी शासकीय विभाग / सार्वजनिक उपक्रम को अपने स्तर पर सामग्री अनुपलब्धता प्रमाण पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त समस्त प्रकरणों को अपने अभिमत सहित सी.एस.आई.डी.सी. मुख्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।
4. विभागमों / सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त क्रयादेषों को इंडेंट पंजी में अंकित कर निर्धारित आर्डर बुक में ही आदेष जारी करेंगे । आर्डर बुक में छपे हुए निर्देषों के अनुसार कार्यालयीन प्रति, प्रदाय कर्ता इकाई प्रति, वित्तीय प्रति, मुख्यालय सामग्री प्राप्तकर्ता प्रति, सामग्री क्रयकर्ता विभाग प्रति, निरीक्षण एजेंसी की प्रति एवं परिक्षेत्रीय कार्यालय की प्रति भेजना सुनिष्चित करें ।

5. प्रदाय आदेष जारी करने के पूर्व बुकिंग पोजीषन, पूर्व में प्रदाय आदेषों के विरूद्ध प्रदाय की गई सामग्री की स्थिति, गुणवत्ता, समयावधि एवं इकाई के परफारमेंस का ध्यान रखा जाए ।
6. प्रदाय आदेष जारी करते समय यह सुनिष्चित कर लिया जाए कि इकाई द्वारा पूर्व में जारी प्रदाय आदेषों का निर्धारित समयावधि में निष्पादन कर लिया गया है तथा डिलवरी चालान की प्रति कार्यालय में जमा कर दी गई है ।
7. प्रदाय आदेष जारी करने के पूर्व सेवा शुल्क, जिसमें निरीक्षण शुल्क भी सम्मिलित होगा, सुरक्षा निधि की राषि तथा परफारमेंस ग्यारंटी की राषि डी.डी. के रूप में अग्रिम प्राप्त कर लिया जाए जो सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर के पक्ष में देय हो । किसी भी स्थिति में राषि चेक, नगद या अन्य रूप में स्वीकार नहीं किया जाए।
8. नगर निगम / नगर परलिका क्षेत्र से 08.00 कि.मी. की दूरी तक लोकल रेट तथा 08.00 कि.मी. से अधिक दूरी पर एफ.ओ.आर. रेट लागू होगा ।
9. क्रय कर्ता विभाग के द्वारा समाधानकारक कारण दर्षाने, मांग न होने या बजट न होने पर ही प्रदाय आदेषों का निरस्तीकरण / संषोधन, प्रदाय आदेष जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।
10. इकाई द्वारा निर्धारित अवधि में सामग्री न प्रदाय करने या निम्नस्तरीय सामग्री प्रदाय करने या निरीक्षण एजेंसी द्वारा सामग्री निरस्त करने पर क्रयकर्ता विभाग द्वारा क्रय आदेष निरस्त किए जाने पर इकाई का अग्रिम सेवाषुल्क, सुरक्षा निधि तथा परफपरमेंस ग्यारंटी की राषि सी.एस.आई.डी.सी. के प्क्ष में राजसात कर ली जाएगी ।
11. प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में भेजना सुनिष्चित करें, प्रारूप संलग्न है ।
12. सेवाषुल्क, सुरक्षा निधि तथा परफारमेंस ग्यारंटी की राषि प्रत्येक सप्ताह विषेषवाहक अथवा पंजीकृत डाक से विवरण सहित सी.एस.आई.डी.सी., मुख्यालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
13. परिक्षेत्रीय कार्यालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित किए जाएं–

    1– सर्विस कमीषन रजिस्टर
    2– प्लेसमेंट ऑफ सप्लाई आर्डर रजिस्टर
    3– इंडेन्ट रिसीव्ड रजिस्टर
    4– डिमाण्ड रजिस्टर –1 (सेवाषुल्क)
    5– डिमाण्ड रजिस्टर –2 (सुरक्षा निधि एवं परफारमेंस ग्यारंटी)
    6– सप्लाई आर्डर बुक रजिस्टर

––हस्ता––
अपर प्रबंध संचालक

पृ. क्र. एफःसीएसआईडीसी / विप / 2002 / 118 रायपुर, दि. 23 / 01 / 2002

प्रतिलिपिः

1. अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, खनिज भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

अपर प्रबंध संचालक

परिशिष्ठ–9

छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.
के द्वारा वर्ष 2001–2002 एवं वर्ष 2002–2003 (30 जून 2002 तक) किये गये विपणन का विभागवार विवरण

क.	विभाग का नाम	2001–2002	2002–2003
1	उद्योग विभाग	83201.00	217931.00
2	राजीव गांधी मिषन	0.00	162841.00
3	पषुपालन विभाग	124944.00	0.00
4	षिक्षा विभाग	7621618.00	339271.00
5	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1187990.00	247790.00
6	जल संसाधन विभाग	780662.00	1060485.00
7	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	264345386.00	142412447.00
8	आदिवासी विकास विभाग	403123.00	92921.00
9	नगर पालिक निगम	2111014.00	989104.00
10	वन विभाग	1264057.00	3411386.00
11	पंचायत एवं समाज सेवा	456986.00	530888.00
12	स्वास्थ्य विभाग	4281172.00	43860.00
13	सहकारिता विभाग	2215125.00	149785.00
14	आबकारी विभाग	0.00	48480.00
15	लोक निर्माण विभाग	1139064.00	1120733.00
16	पुलिस विभाग	1494158.00	0.00
17	छ.ग. लोक सेवा विभाग	129093.00	79790.00
18	खनिज विभाग	193257.00	227633.00
19	रेषम संचालनालय	0.00	7200.00
20	केडा	0.00	59392.00
21	राज भवन	334890.00	14000.00
22	विमानन संचालनालय	0.00	195119.00
23	जिला योजना एवं साख्यिकी	0.00	252306.00
24	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.00	43595.00
25	पर्यटन विभाग	75344.00	0.00
26	विद्युत मण्डल	21354.00	0.00
27	वाणिज्य कर विभाग	57656.00	0.00
28	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	239361.00	51156.00
29	कृषि विभाग	988304.00	0.00
30	जनसंपर्क विभाग	1157871.00	0.00
31	राजधानी परियोजना	261110.00	0.00
32	अल्पसंख्यक आयोग	167601.00	0.00
33	महिला एवं बाल विकास विभाग	1614199.00	0.00
34	चुनाव आयोग	118262.00	0.00
35	राज्य महिला आयोग	97700.00	0.00
36	राजस्व विभाग	118660.00	0.00
37	विकास आयुक्त	117046.00	0.00
38	वित्त विभाग	777729.00	0.00
	कुल योग	**294077937.00**	**154008115.00**
	डी टी आई सी	**58636336.00**	**34172673.00**
	महा योग	**352714273.00**	**188180788.00**

परिशिष्ठ–10

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : 720 / सं.स / वा.उ.वा.उ / 2001 / रायपुर दि. 02 / 05 / 2002

प्रति,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, छ. ग. शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, छ. ग. शासन
3. समस्त आयुक्त, छत्तीसगढ़
4. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
5. समस्त सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़
6. सचिव, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़
7. सचिव, विधान सभा, छत्तीसगढ़

विषयः राज्य शासन के समस्त विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भण्डार क्रय निमों के अंतर्गत आपूर्ति की व्यवस्था ।

– – – – –

इस विभाग के ज्ञाप क्र.1125 / वाउसाउ / 2001 दि. 24.12.2001 के द्वारा दि. 31.3.2002 तक के लिए समस्त शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था केन्द्रीय क्रय संस्था के रूप में छत्तीसगढ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर द्वारा किये जाने के निर्देष जारी किये गये थे । तब राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 31.3.2002 की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2002 की जाती है ।

––हस्ता––
(आर. के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य उद्योग विभाग

पृ. क्र. : 721 / सं.स / वा.उ.वा.उ / 2001 / रायपुर दि. 02 / 05 / 2002

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़
5. समस्त नगर निगम / नगर पालिका, छत्तीसगढ़
6. मुख्य महाप्रबंधक, उद्योग, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर
7. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला– .....

(आर. के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य उद्योग विभाग

परिशिष्ठ–11

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : एफ–18–18/2003/6/11 रायपुर दि. 05/01/2004

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड,
शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषयः छत्तीसगढ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर प्रभाग के लिए पद स्वीकृति ।

– – – – –

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, विपणन प्रभाग के लिए निम्नानुसार पद स्वीकृत किये जाते हैं :–

क.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	टीप
1	मुख्य महाप्रबंधक	12000 – 16500	1	
2	महाप्रबंधक	10000 – 15200	4	
3	प्रबंधक	8000 – 13500	8	
4	सहा. प्रबंधक	5500 – 9000	2	
5	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000 – 13500	1	
6	वरिष्ठ लेखापाल	5000 – 8000	1	
7	वरिष्ठ सहायक	5000 – 8000	6	
8	स्ऐनोग्राफर ग्रेड–3	4500 – 7000	1	
9	कैषियर	4000 – 6000	1	
10	कनिष्ठ सहायक ग्रेड–2	4000 – 6000	8	
11	सहायक ग्रेड–3	3050 – 4590	4	
12	डाटा एंट्री आपरेटर	3050 – 4590	7	
	वाहन चालक	3050 – 4590	2	
	भृत्य	2550 – 3200	5	
	चौकीदार	कलेक्टर दर	2	
	स्वीपर	कलेक्टर दर	1	
	कुल योग		54	

स्वीकृत पदों की सेवा–षर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. सेवा भरती नियमों में आष्यक संषोधन कर लिया जायेगा ।
2. पद संरचना के अंतर्गत रिक्त पद तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं की ली जाए ।
3. चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता कलेक्टर दर के पद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जाएंगे । ये पद अतिषेष कर्मचारियों से ही भरे जाएं ।
4. दर्षाये गए वेतनमान सहीं हैं, इस बात की पुष्टि विभाग द्वारा कर ली गई है ।

उपरोक्त पदों पर होने वाला भाग संख्या : 11– मु. षी./2852–80/सामान्य800–अन्य व्यय 5520 छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड रायपुर से विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 19/एसएफ–3/बी–5/एफ/04 दि. 15.1.04 द्वारा महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से तथा आदेषानुसार

––हस्ता––
(अभय कुमार मिश्रा)
अवर सचिव
छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

पृ. क्र. एफः 18–18/2003/(6)/11 रायपुर दि. 05/01/04

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की और दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर, छत्तीसगढ़,
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), रायपुर, छत्तीसगढ़,
5. अपर संचालक–उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर
6. मुख महाप्रबंधक विपणन, छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड रायपुर
7. नियंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्राणालय, छ.ग. राजनांदगांव की और अगले अंक में प्रकाषन हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव
छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

परिशिष्ठ–12

सामग्रियों की सूची जिनका विपणन शाखा द्वारा मूल्य निर्धारित किया जा चुका है

क.	सामग्री का नाम	क.	सामग्री का नाम
1	ए सी प्रेशर पाइप	23	एस. टी. बैट्री
2	बारबेड वायर	24	मैनहोल कव्हर
3	ब्लीचिंग पावडर	25	मैन्युअल टाईपराईटर
4	सिलिंग फेन	26	पेट्स एण्ड डिस्टेम्पर (द्वितीय बार)
5	सी आई स्पेशल्स	27	फिनाईल
6	कंट्रोल पैनल	28	फोटोकापी मशीन
7	कट–आउट	29	पी वी सी एल्यूमिनियम केबल
8	डीपवेल हण्ड पम्प	30	आर सी सी फेंसिंग पोल
9	डेजर्ट कूलर	31	आर सी सी ह्यूम पाईप(द्वितीय बार)
10	डी आई स्पन पाईप	32	सबमर्सिबल केबल (द्वितीय बार)
11	फैक्स मशीन	33	यू पी एस सिस्टम
12	फ्लोरोसेंट लैम्प	34	यू पीव्हीसी केसिंग पाइप (द्वितीय बार)
13	यूपीवीसी पाईप फॉर पौटेबल वाटर सप्लाई	35	वाटर कूलर
14	जी एल एस लैम्प	36	कम्प्यूटर सिस्टम व पेरिफेरियल्स
15	जी आई बकेट	37	सोडियम आईपोक्लोराईट
16	हैण्ड पम्प स्पेयर्स	38	एंगल आयरन फेंसिंग पोल
17	आर सी सी बाउंड्री व कि.मी. स्टोन	39	स्लूज वाल्व
18	क्वायर मैट्रेस व पिलो	40	क्लोरीन टेबलेट
19	माइक्रोस्कोप	41	ब्लीचिंग पावडर
20	एच डी पी ई पाइप	42	सबमर्सिबल पम्प
21	एव डी पी ई स्टोरेज टैंक	43	सैनिटरी एप्लायंसेस
22	लाइन वोल्टेज करेक्टर	44	केनवास शू / केनवास बूट

परिशिष्ठ–14

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of C.G. Undertaking)

Marketing Branch: C-168, Tagore Nagar, Raipur (CG) 492001
Telephone 2427858, Fax 0771-2426381, email: csidcrpr@sify.com

No. CSIDC/Mkt/RPR/03/359 to 378 Raipur, Dtd. : 30-04-03

In view of Store Purchase Rules, 2002 declared by Government of Chhattisgarh, a Tender Advisory Committee (TAC) has been constituted. TAC is a State Level Forum for trade in interact with CSIDC Ltd. on various aspects of Marketing & Export Promotion. TAC to meet twice in a year. This committee consists followings:-

Sl.No.	Designation	Nomination
1	MD, CSIDC Ltd.	Chairman
2	CGM (Mktg & Expo. Prom.)	Member Secretary
3	C.E., PHE	Member
4	C.E., PWD	Member
5	C.E., Irrigation	Member
6	Commissioner, Tribal Welfare	Member
7	Commissioner, Commercial Tax	Member
8	Addl. Director Gen. of Police, PHQ	Member
9	Principal Conservator of Forest	Member
10	Director, Higher Education	Member
11	Director, Agriculture	Member
12	Director, Health Services	Member
13	Director, Women & Child Development	Member
14	Director, Science & Technology	Member
15	Director, Industries	Member
16	Director, Mining	Member
17	President, Chhattisgarh Chember of Commerce	Member
18	Chairman, PHD Chamber of Commerce	Member
19	Chairman, Udyog Mahasangh	Member

The date, time and venue will be intimated shortly.

This has the approval of M.D.

-S/d-
(S. K. Gupta)
Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

Endt. No.CSIDC/Mkt/RPR/03/378 Raipur, Dtd. : 30-04-03

Copy to-

1. P A to MD CSIDCL
2. Chief Engineer, P H E
3. Chief Engineer, P W D
4. Chief Engineer, Irrigation
5. Commissioner, Trival Welfare
6. Commissioner, Commercial Tax
7. Addl. Director Gen. of Police, P H Q
8. Principal Conservetor of Forest
9. Director, Higher Education
10. Director, Agriculture
11. Director, Health Services
12. Director, Women & Child Development
13. Director, Science & Technology
14. Director, Industries
15. Director, Mining
16. President, Chhattisgarh Chamber of Commerce
17. Chairman, PHD Chamber of Commerce
18. Chairman, Udoyg Mahasangh... for information please
19. Office Records
20. Personal Records

(S. K. Gupta)
Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

परिशिष्ठ–15

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of C.G. Undertaking)
Marketing Branch: C-168, Tagore Nagar, Raipur (CG) 492001
Telephone 2427858, Fax 0771-2426381, email: csidcrpr@sify.com

No. CSIDC/Mkt/RPR/03/400 to 406 Raipur, Dtd. : 30-04-03

OFFICE ORDER

In view of the work related to Registration of Firms and concluding Rate Contracts, a Tender Purchase Committee has been formed which will recommend the Rate Fixation alongwith the Rate Contract holding firms for approval of Managing Director. Tender Purchase Committee is to meet twice in a month depending upon proposals from Purchase Section (PS) . It is also required to deal with consultancy cases. This committee consists of following -

1. C.G.M. (Mkt. & Export Promotion), CSIDC Ltd. In-charge
2. G.M.(Finance), CSIDC Ltd. Member
3. Manager (Mkt.) of concerned PS, CSIDCL Member
4. Manager (Tech.), CSIDC LTd. (Mkt.Dn.) Member
5. Dy. Director (QA), DGS&D, Bhilai Co-optd. Member

The schedule of meeting will be informed soon.

This has the approval of M.D.

-S/d-
(S. K. Gupta)
Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

Endt. No.CSIDC/Mkt/RPR/03/ Raipur, Dtd. : 30-04-03
Copy to-
1. P A to Managing Director, CSIDC Ltd.
2. Gen. Manager (Fin.), CSIDC Ltd.
3. Manager (Mkt.) of concerned PS, CSIDC Ltd. (Mkt. Dn.)
4. Manager (Tech.), CSIDC Ltd., (Mkt. Dn.)
5. Dy. Director (QA), DGS&D, Bhilai... ... for information please.
4. Office Records
5. Personal Records

Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

परिशिष्ठ–16

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of C.G. Undertaking)
Marketing Branch: C-168, Tagore Nagar, Raipur (CG) 492001
Telephone 2427858, Fax 0771-2426381, email: csidcrpr@sify.com

No. CSIDC/Mkt/RPR/03/963 to 975 Raipur, Dtd. : 07-07-03

OFFICE ORDER

To streamline the work related to tenders, following arrangements have been made:-

A. Safe Custody of Tenders & Tender Opening :-

A Tender Box will be kept in the Tender Opening Hall duly locked which will be under the custody of Manager (A/cs.) all the time.

Three Pigeon Hole almirahs have been received/ got manufactured from CSIDC Factory & kept in a Strong Room which will be under the control of Manager (A/c.), Manager A/c. is also a regular member in Tender Opening Committee as already notified. He is required to open the Tender Box associating Manager (Co-ordination) at Closing Time of dropping of Tender and keep a separate record jointly signed by the two Managers and the Representative of Firms (who even is present at the time of opening). Both Managers will also sign with date & time on each cover taken out from the Tender Box. Thereafter, Manager (A/c.) is to segregate the tenders and keep it in the respective slots of Pigeon Hole Almirah date wise i.e. due date of Tender Opening.

Just before tender opening hours, Manager (A/c) will forward the tenders alongwith slip CSIDC Form No. 6 to the respective Manager of Purchase Section to which case pertains. Thereafter, the concerned Manager to which case pertains will transfer the tenders duly recorded on main purchase section file to the incharge of the Tender Opening Committee.

The Tender Opening Committee consisting of 3 members as already notified will open the tenders and encircle all price elements, forms and conditions in presence of Firms Representative and sign on each page of original copy of the tender. They will also prepare Spot Comparative Statement in CSIDC Form No. 7 and get signatures of all Firm's Autho. Representatives in CSIDC Form No. 8.

Thereafter, the Tender Opening Committee will transfer all the Tender Papers signature slip (CSIDC Form No. 8) & Spot Comparative Statement (CSIDC Form No. 7) back to Manager of the concerned Purchase Section who is to deal with the case for conclusion of ccontracts / Rate Contracts.

Similar drill will be followed for tenders related to Consultancy Cases (i.e. instead of PS indicated as C in Certification of Tender Enquiry)

B. Tender Opening Officer :-

Following arrangements are made with respect to Manager (Mkt.) other than the dealing section. In absence of Regular Tender Opening Officer, the alternative officer will be incharge of the Tender Opening Committee. This is to be exercised only in Rare Cases :-

Sl.No.	Case pertaining to Purchase Section	Tender Opening Officer	
		Regular	Alternate
1	P.S. - I	PS II	PS III
2	P.S. - II	PS III	PS IV
3	P.S. - III	PS IV	PS V
4	P.S. - IV	PS V	PS VI
5	P.S. - V	PS VI	PS I
6	P.S. - VI	PS I	PS II

C. Alternative Officer :-

The alternative officer to deal with a particular purchase section in case the regular Officer is on leave, will be as per the following :-

Regular Officer	Alternative Officer
Manager P.S. - I	Manager PS II
Manager P.S. - II	Manager PS III
Manager P.S. - III	Manager PS IV
Manager P.S. - IV	Manager PS V
Manager P.S. - V	Manager PS VI
Manager P.S. - VI	Manager PS I
Manager (A/c.)	Manager PS V

E. Manager concerned of Purchase Section (PS) will be individually responsible for safe custody of tenders & its processing for conclusion of Contract/Rate Contracts through Tender Purchase Committee (TPC) as already notified.

F. Any tender received by Post without any indication of tender being inside the cover, when opened by the Receipt Clerk, will brought to the notice to C.G.M. (Mkt. & Exp. Prom.) / Manager (A/c.) so that such tenders are sealed again & dropped to the Tender Box with details on cover immediately.

This order will come in force with immediate effect.

Approved by Managing Director .

Encl : CSIDC Form No. 6,7 & 8.

-S/d-
(S. K. Gupta)
Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

##606##

Endt. No. CSIDC/MKD/RPR/03/ Raipur, Dtd. :

Copy to-

1. PA to M.D. for information
2. PA to Addl. M. D. for information
3. G.M.(Estt.) for information
4. G.M.(F/A) for information

5. Manager (Mkt.) Shri .... for information & compliance
6. Manager (A/c.) Shri R P Sahu for information & compliance
7. Office Records
8. Personal Records.

Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

परिशिष्ठ–17

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of C.G. Undertaking)
Marketing Branch: C-168, Tagore Nagar, Raipur (CG) 492001
Telephone 2427858, Fax 0771-2426381, email: csidcrpr@sify.com

No. CSIDC/Mkt/RPR/03/407 to 411 Raipur, Dtd. : 30-04-03

OFFICE ORDER

To scrutinize registration proposals received from various firms and to issue Registration Certificate on satisfactory performance / documentation as per guidelines given in the Registration Form, a Registration Committee has been formed which will meet twice in a month. This committee consists of following -

1. C.G.M. (Mkt. & Export Promotion), CSIDC Ltd.
2. Shri M D Banjare, Manager (Mkt.), CSIDC Ltd.
3. Shri Sanjay Rane, Manager (Mkt.) - will work as Member Secretary

The schedule of meeting will be informed soon.

This has the approval of M.D.

-S/d-
(S. K. Gupta)
Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

Endt. No.CSIDC/Mkt/RPR/03/ Raipur, Dtd. : 30-04-03
Copy to-
1. P A to Managing Director, CSIDC Ltd.
2. Shri M D Banjare, Manager (Mkt.), CSIDC Ltd.
3. Shri Sanjay Rane, Manager (Mkt.), CSIDC Ltd. (Mkt. Dn.)
4. Office Records
5. Personal Records

Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

परिशिष्ठ–18

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.

LIC Building Business Complex, Vidhan Sabha Road, Pandri, Raipur (CG)

Statement showing allocations. offers, acceptances and supplied of Iron & Steel Materials for the Years : 2002 to August - 2005

In respect of : Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.

Name of Producer **: Steel Authorityof India Ltd. (SAIL)**

Sl. No.	Item	Year 2002-03			Year 2003-04		
		Allocation	Offer	Lifting	Allocation	Offer	Lifting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Joints	-	-	-	-	-	-
2	Channels	-	-	-	-	-	-
3	Angles	30.000	0.000	0.000	200.000	366.140	175.470
4	Rounds	-	-	-	-	-	-
5	TMT/Bar	-	-	-	-	-	-
6	Tor/Tiscon	-	-	-	-	-	-
7	Wire Rod	26684.760	24766.380	24766.380	32400.000	38578.630	30277.140
8	Plates	300.000	0.000	0.000	800.000	963.000	69.670
9	HR Coils	-	-	-	-	-	-
10	HR/BP Sheet	400.000	0.000	0.000	1200.000	125.000	0.000
11	CR Coils	-	-	-	-	-	-
12	CR Sheets	300.000	0.000	0.000	1000.000	0.000	0.000
13	GP Sheets	-	-	-	-	-	-
14	GC Sheets	100.000	0.000	0.000	400.00	84.000	0.000
	Total	**27814.760**	**24766.380**	**24766.380**	**36000.000**	**40116.770**	**30522.280**

Sl. No.	Item	Year 2004-05			Year 2005-06 (Upto Aug-05)		
		Allocation	Offer	Lifting	Allocation	Offer	Lifting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Joints	-	-	-	-	-	-
2	Channels	-	-	-	-	-	-
3	Angles	150.000	229.000	606800	84.000	90.000	184.020
4	Rounds	-	-	-	-	-	-
5	TMT/Bar	-	-	-	-	-	-
6	Tor/Tiscon	-	-	-	-	-	-
7	Wire Rod	33000.000	38858.700	22119.160	25943.000	16123.550	6065.670
8	Plates	1000.000	1167.000	602.640	272.000	279.000	176.150
9	HR Coils	-	-	-	-	-	-
10	HR/BP Sheet	800.000	519.000	145.880	147.000	156.000	92.450
11	CR Coils	-	-	-	-	-	-
12	CR Sheets	1000.000	327.700	121.640	89.000	108.000	29.724
13	GP Sheets	-	-	-	-	-	-
14	GC Sheets	500.000	224.000	11.250	17.00	0.000	0.000
	Total	**36450.000**	**41325.400**	**23061.250**	**26552.000**	**16756.550**	**6448.014**

परिशिष्ठ–19

छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
श्रेणी अंकन प्रयोगशाला
औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई

– परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई में उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं –

1. रासायनिक परीक्षण संबंधी परीक्षण सुविधाएं :–

अ– एंगल, बीम, चैनल, राड, कॉस्ट आयरन, स्टील कॉस्टिंग, पिग आयरन एवं एलाय स्टील इत्यादि के रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, गैंगनीज, सिसलिकान, निकल, क्रोमियम, मलिब्छेनम, वेनेडियम, कॉपर इत्यादि परीक्षण ।

ब– वायर, प्लेट, नट, बोल्ट, स्टेसेट अर्थिंग वायर एवं बारबेड वायर इत्यादि के बेल्वनाइजिंग परीक्षण ।

स– स्टील बर्तन अत्यादि के स्टेनिंग परीक्षण ।

द– एलम, नेफ्थलिंन इत्यादि का परीक्षण ।

2. मैकेनिकल / भौतिक परीक्षण संबंधी सुविधाएं :–

अ– एंगल, बीम, चैनल, स्टील कॉस्टिंग, कॉस्ट आयरन, टार स्टील, एलाय स्टील, इत्यादि का टेंसाइल बण्ड एवं हार्डनेस परीक्षण ।

ब– ज्वाइंट्स, रेसेट, वेल्डिंग ज्वाइंट्स, इत्यादि का लोड टेस्ट

स– बायलर प्लेट का टेंसाइल, बेण्ड, इम्पेक्ट एवं माइक्रोस्ट्रक्चर परीक्षण ।

द– रिविट मटेरियल का डम्प, काम्प्रेशर टेस्ट ।

इ– वायर्स का टेंसाइल, बेण्ड, रिवर्स बेण्ड, टारसन, रेपिंग इत्यादि परीक्षण

3. सिविल परीक्षण संबंधी सुविधाएं :–

अ– ईट का क्रसिंग स्ट्रेन्थ, वाटर एब्जार्वशन डेंसिटी इत्यादि परीक्षण ।

ब– आर. सी. सी. क्यूब का क्रसिंग स्ट्रेन्थ टेस्ट ।

स– मिट्टी का क्रसिंग इम्पेक्ट, एब्रेशन, सीव एनालिसीस, स्पेसिफिक ग्रेव्हीटी, वाटर एब्जार्वशन इत्यादि ।

द– रेत का सीव एनालिसीस, फाइननेस मोड्यूबस इत्यादि

इ– मुरूम का सी. बी. आर. एवं पी. आई. परीक्षण ।

ई– आर. सी. सी. में प्रयुक्त होने वाले स्टील के टेंसाइल, बण्ड इत्यादि का परीक्षण ।

परिशिष्ठ–20

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : एफ–18–18 / 2003 / वा.उ. / 11 / (6) रायपुर दि. 26 / 3 / 03

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमि.
बी–4 एम.आर.कालोनी, षैलेन्द्र नगर,
रायपुर

विषय : मध्यप्रदेष लघु उद्योग निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. में लगे कर्मचारियों के वेतन, भत्ते भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि, नवीन योजना एवं बजट प्रस्ताव ।

संदर्भ : आपका ज्ञाप क्रमांक : सीएसआईडीसी / 2002 / 4046 रायपुर, दि. 09.01.2003 ।

– – – – –

कृपया उपर्यक्त विषयांतर्गत पत्र का अवलोकन करें । मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 12 नवम्बर 2002 के उपरान्त मार्च 2003 तक मार्केटिंग प्रभाग पर किन–किन मदों में कितना व्यय किया गया है । मार्केटिंग प्रभाग में कितने कर्मचारी / अधिकारी कार्यरत हैं । मार्केटिंग प्रभाग के साथ–साथ निगम के शेष स्टॉफ को व उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी कृपया तत्काल भेजने का कष्ट करें ।

––हस्ता––
(आर. के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
वणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्र. :एफ–18–18 / 03 / वा.उ. / (6) रायपुर दि. 26 / 3 / 03

प्रतिलिपिः–
अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, खनिज भवन, रायपुर की और उनके ज्ञाप क्रमांक संचा / बजट / 2002 / 384 रायपुर दिनांक 8.1.2003 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
वणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ठ–21

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : एफ–18–28/2003/11/वा.उ./(6) रायपुर दि. 24/3/04

प्रति,

अपर संचालक

उद्योग संचालनालय

खनिज भवन, रिंग रोड, रायपुर (छ.ग.)

विषय : प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव वर्ष 2003–04 का बजट अनुमान में स्वीकृति बाबत ।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक : 64/यो.ब./2003/1588 दिनांक 28.01.2004 ।

– – – – –

राज्य शासन एतदद्वारा अपर संचालक उद्योग से प्राप्त प्रस्तावानुसार छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के विपणन प्रभाग के व्यय हेतु राशि रू. 60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान करता है ।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 मांग संख्या 11–2852, उद्योग (80) सामान्य (800) अन्य व्यय (5520) छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर 14–आर्थिक सहायता मद के अंतर्गत प्रथम अनुपरक अनुमान वर्ा 2003–04 मद के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 162/एस आर/03/बी–5/एफ/04 दिनांक 29.2.04 द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर को पृष्ठांकित की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से तथा आदेषानुसार

––हस्ता––

(शैलेष पाठक)

विशेष सचिव

छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

पृ. क्र. :एफ 18–28/2003/11/वा.उ./(6) रायपुर दि. 24/3/04

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की और तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर
4. प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड रायपुर को उनके पत्र क्र. सी एस आई डी सी दिनांक 23.1.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष सचिव

छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

परिशिष्ठ–22

उद्योग संचालनालय, रायपुर
(यो. ब. कक्ष)

क्रमांक : 64 / यो.ब. / 2003 / रायपुर दि. ... / .... / .....

प्रति,

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय : छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के विपणन प्रभाग को शासन से प्राप्त बजट के हस्तांतरण बाबत् ।

संदर्भ : वित्त विभाग का पत्र क्र.: :एफ 18–28 / 2003 / 11 / वा.उ. / (6) दि. 05 / 9 / 2003

– – – – –

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के विपणन प्रभाग के व्यय हेतु रू. 60,00,000.00 (रूपये साठ लाख मात्र) की बजट संसूचना प्राप्त हुई है । उक्त राशि आहरण कर उन्हें उपलब्ध कराया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त राशि के आहरण करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें ।

––हस्ता––
(अपर संचालक उद्योग)
उद्योग संचालनालय, रायपुर

पृ. क्र.: 64 / यो.ब. / 2003 / 15522 रायपुर दि. ... / .... / .....

प्रतिलिपिः–
मुख्य महाप्रबंधक (विपणन एवं निर्यात संवर्धन) छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, सी–168, टैगोर नगर, रायपुर को सूचनार्थ ।

(अपर संचालक उद्योग)
उद्योग संचालनालय, रायपुर

परिशिष्ठ–23

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : एफ–18–73/2004/11/(6) रायपुर दि. 24/3/05

प्रति,

उद्योग आयुक्त
उद्योग संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय : छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को आबंटित राशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत् ।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक : 50/योजना बजट/1590 दिनांक 08.02.2005 ।

– – – – –

राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के विपणन प्रभाग के स्थापना व्यय हेतु राशि रू. 1.75 करोड़ (रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

2. उक्त व्यय मांग संख्या मांग संख्या 11, मुख्य शीर्ष –2852, उद्योग (80) सामान्य (800) अन्य व्यय 0101–राज्य आयोजना सामान्य (5520) छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर 14–आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

3. वित्त विभाग के यू. ओ. नोट क्रमांक 529/बजट–5/वित्त/चार/05 दि. 21.3.05 द्वारा स्वीकृति दी गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से तथा आदेशानुसार
––हस्ता––
(जी. डी. गुप्ता)
उप–सचिव
छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

पृ. क्र. :एफ 18–73/2004/11/(6) रायपुर दि. 24/3/05

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), फाफाडीह चौक, रमण मंदिर वार्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड रायपुर ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (वि/नि.सं.), छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड रायपुर ।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर

उप–सचिव
छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

परिशिष्ठ–24

उद्योग संचालनालय, रायपुर

(योजना एवं बजट शाखा)

क्रमांक : 50 / यो.ब. / 2004 / 017 रायपुर दि. 24 / 03 / 2005

–: आबंटन आदेश :–

– – – – –

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर की संसूचना क्रमांक एफ–1 / 1 / 2004 / ब–1 / चार / 690 रायपुर दि. 29.06.2004 से प्राप्त आबंटन में से मांग संख्या 11, मुख्य शीर्ष –2852, उद्योग (80) सामान्य (800) अन्य व्यय 0101–राज्य आयोजना सामान्य (5520) छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर 14–आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजनेत्तर) के अंतर्गत वर्ष 2004–05 के लिए राशि रू. 1.75 करोड़ (रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) आहरण एवं संवितरण अधिकारी लेखा कक्ष उद्योग संचालनालय, रायपुर को आबंटन किया जाता है । उक्त राशि का आहरण कर प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर को भुगतान किया जाये ।

प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ–18–73 / 2004 / 11 / 6 दिनांक 24.3.2005 से जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश के अनुसार छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, रायपुर के विपणन प्रकोष्ट हेतु व्यय करेंगे ।

उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

––हस्ता––
(एस. के. गुप्ता)
अपर संचालक, उद्योग
उद्योग संचालनालय, रायपुर

पृ. क्र.: 50 / यो.ब. / 2004 / 4449–4453 रायपुर दि. 24 / 03 / 2005

प्रतिलिपिः–

1. **महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर**
2. **विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर**
3. **प्रबंध संचालक,** छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड,
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (लेखा कक्ष), उद्योग संचालनालय, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

अपर संचालक–उद्योग
उद्योग संचालनालय, रायपुर

परिशिष्ठ–25

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ ाासन से सी. एस. आई डी. सी., रायपुर के विपणन प्रभाग को वर्ष 2004–05 हेतु रू. 1,75,00,000.00 का बजट की राशि प्राप्त हो चुकी है जिसके एवज में विभाग द्वारा निम्नलिखित व्यय किया जा चुका है । विस्तृत में निम्नानुसार है –

क.	वित्तीय वर्ष		व्यय राशि	शासन द्वारा स्वीकृत बजट	रिमार्क
1.	12 नव. 02 से 31 मार्च 03 तक		4224301.00		वर्ष 03–04 के बजट में से शासन से प्राप्त हो चुका है ।
2.	1 अप्रेल 03 से 31 मार्च 04 तक		8103151.00	6000000.00	
	कुल योग		**12327452.00**	**6000000.00**	
3.	1 अप्रेल 04 से 31 मार्च 05 तक				वर्ष 04–05 के बजट में से शासन से प्राप्त हो चुका है ।
अ	अप्रेल 04 से जून 04	22403 72.00			
ब	जुलाई 04 से सितंबर 04	35791 56.00	11090848.00	17500000.00	
स	अक्टू–04 से दिस. 04	23661 10.00			
द	जन. 05 से 31 मार्च 05	29052 10.00			
	महा–योग	11090 848.00	**23418300.00**	**23500000.00**	

इस प्रकार सी एस आई डी सी, रायपुर के विपणन प्रभाग द्वारा 12 नवम्बर 2002 से 31 मार्च 2005 तक कुल व्यय रूपये 2,34,18,300.00 (रूपये दो करोड़ चौतीस लाख अठारह हजार तीन सौ मात्र) खर्च किये जा चुके हैं । इसके एवज में शासन से आज तक रूपये 60,00,000/– एवं रू. 1,75,00,000.00 कुल रूपये 2,35,00,000.00 (रूपये दो करोड पैंतीस लाख मात्र) प्राप्त हो चुके हैं ।

परिशिष्ठ–26

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION, MARKETING DIVISION

Satement of Expenditure from the period from : 12-11-2002 to 31.03.2003

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Salary & Wages	3262532.00
2	Employer Provident Fund	391503.00
3	Postage & Telegram	6045.00
4	Stationery & Printing	129096.00
5	Staff Welfair	8236.00
6	Entertainment Expenses	609.00
7	Electric & Water Charges	13361.00
8	Telephone & Telex	10820.00
9	Rent of Office Building	142781.00
10	Office Expenses	41911.00
11	Conveyance Charges	100.00
12	Books & Periodicals	970.00
13	Electric Equipment	31380.00
14	Furniture & Fixtures	93135.00
15	Running & Maintenance of Vehicles	47521.00
16	Security Services	26365.00
17	Travelling Expenses	17936.00
	GRAND TOTAL	**4224301.00**

Sr. Accountant
C.S.I.D.C.
Raipur

Manager (A/cs.)
Marketing, CSIDC
Raipur (C.G.)

Chief Gen.Manager
CSIDC, Raipur

परिशिष्ठ–27

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION, MARKETING DIVISION

Satement of Expenditure from the period from : 1-04-2003 to 31.03.2004

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Salary & Wages	5580203.00
2	Employer Provident Fund	669624.00
3	Multifunction Machine	611045.00
4	Stationery & Printing	415646.00
5	Telephone & Telex	52256.00
6	Rent of Office Building	217119.00
7	Office Expenses	121523.00
8	Travelling Expenses	150700.00
9	Electricity & Water Charges	66113.00
10	Security Services	63276.00
11	Leave Salary & Pension Contribution	40748.00
12	Entertainment Expenses	11478.00
13	Postage & Telegram	15575.00
14	Repair & Maintenance of Vehicle	25577.00
15	Staff Welfair	24152.00
16	Medical Expenses	4488.00
17	Advertisement & Publicity	4203.00
18	Repair & Maintenance of Electric Equipment	2903.00
19	Repair & Maint. of Office Equipments	3540.00
20	Membership Fees	1000.00
21	Books & Periodicals	1066.00
22	Dead Stock (Mobile)	501.00
23	Inspection Charges of Salt	330.00
24	Bank Charges	85.00
25	L I F T Training Fees	20000.00
	GRAND TOTAL	**8103151.00**

Sr. Accountant
C.S.I.D.C.
Raipur

Manager (A/cs.)
Marketing, CSIDC
Raipur (C.G.)

Chief Gen.Manager
CSIDC, Raipur

परिशिष्ठ–28

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION, MARKETING DIVISION

Satement of Expenditure from the period from : 1-04-2004 to 31.06.2004

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Advertisement & Publicity	1013.00
2	Bank Charges	35.00
3	I I F T Training Fees	1000.00
4	Entertainment Expenses	4495.00
5	Electricity & Water Charges	22107.00
6	Furniture and Fixtures	7644.00
7	Inspection Charges	110.00
8	Office Expenses	14749.00
9	Repairs & Maintenance of Office Equipment	5361.00
10	Postage & Telegram	3508.00
11	Rent of Office Building	88200.00
12	Salary & Wages	1760230.00
13	CPF (Employer Share 12%)	211228.00
14	Staf Welfair	6500.00
15	Stationery & Printing	80946.00
16	Telephone & Telex	16944.00
17	Medical Expenses	8892.00
18	Dead Stock (Mobile)	1410.00
19	Security Services	6000.00
	GRAND TOTAL	**2240372.00**

Sr. Accountant	**Manager (A/cs.)**	**Chief Gen.Manager**
C.S.I.D.C.	Marketing, CSIDC	CSIDC, Raipur
Raipur	Raipur (C.G.)	

परिशिष्ठ–29

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION, MARKETING DIVISION

Satement of Expenditure from the period from : 01.07.2004 to 30.09.2004

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Advertisement & Publicity	1021297.00
2	Books & Periodicals	387.00
3	Bank Charges	65.00
4	I I F T Training Fees	500.00
5	Plotocopier Machine	202466.00
6	Entertainment Expenses	6196.00
7	Electricity & Water Charges	26170.00
8	Registration Fee (Professional Tax)	7500.00
9	Exgratia to the staff	407372.00
10	Inspection Charges	110.00
11	Membership Fees	25000.00
12	Office Expenses	18481.00
13	Liveries to Employees	5830.00
14	Postage & Telegram	6010.00
15	Computer Electric Equipment	59019.00
16	Rent of Office Building	44100.00
17	Rent of Taxi	19500.00
18	Salary & Wages	1366806.00
19	CPF @ 12% (Employers Share)	88292.00
20	Staff Welfair	6900.00
21	Stationery & Printing	82170.00
22	Telephone & Telex	21409.00
23	T A Expenses	96629.00
24	House Rent Allowance	31137.00
25	Leave Salary & Pension Contribution	15668.00
26	Security Guard (Wages)	19842.00
	GRAND TOTAL	**3579156.00**

Sr. Accountant
C.S.I.D.C.
Raipur

Manager (A/cs.)
Marketing, CSIDC
Raipur (C.G.)

Chief Gen.Manager
CSIDC, Raipur

परिशिष्ठ–30

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION, MARKETING DIVISION

Satement of Expenditure from the period from : 01.10.2004 to 31.12.2004

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Advertisement & Publicity	118162.00
2	Books & Periodicals	1195.00
3	Conveyance Charges	40.00
4	Entertainment of visitors	5743.00
5	Electricity and Water Charges	16289.00
6	Exgratia to the Staff	428513.00
7	Office Expenses	10853.00
8	Repair & Maintenance of Office Equipments	2900.00
9	Postage & Telegram	4830.00
10	Repair and Maintenance of Elect. Equipments	1294.00
11	Rent of Office Building	44100.00
12	Rent of Taxi	39000.00
13	Salary & Wages	1376173.00
14	CPF @ 12% (Employer Share)	89333.00
15	Staff Welfair	6300.00
16	Stationery & Printing	149753.00
17	Telephone & Telex	25308.00
18	T A Expenses	10609.00
19	Medical Expenses	10653.00
20	Security Guard (Wages)	19842.00
21	Electric Equipments	4870.00
22	Sales Tax	260.00
	GRAND TOTAL	**2366110.00**

Sr. Accountant
C.S.I.D.C.
Raipur

Manager (A/cs.)
Marketing, CSIDC
Raipur (C.G.)

Chief Gen.Manager
CSIDC, Raipur

परिशिष्ठ–31

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION, MARKETING DIVISION

Satement of Expenditure from the period from : 01.01.2005 to 31.03.2005

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Advertisement & Publicity	191892.00
2	Books & Periodicals	2699.00
3	Bank Charges	70.00
4	Hire charges of Taxi	58500.00
5	Entertainment of visitors	11367.00
6	Electricity and Water Charges	26095.00
7	Inspection Charges (Salf)	110.00
8	Office Expenses	30374.00
9	Repair & Maintenance of Office Equipments	2350.00
10	Postage & Telegram	6180.00
11	Repair and Maintenance of Elect. Equipments	3131.00
12	Rent of Office Building	154350.00
13	Repairs & Maintenance of Vehicles	4490.00
14	Salary & Wages	2004585.00
15	CPF @ 12% (Employer Share)	160509.00
16	Staff Welfair	6600.00
17	Stationery & Printing	192568.00
18	Telephone & Telex	23500.00
19	Medical Expenses	6292.00
20	Security Guard (Wages)	19548.00
	GRAND TOTAL	**2905210.00**

Sr. Accountant
C.S.I.D.C.
Raipur

Manager (A/cs.)
Marketing, CSIDC
Raipur (C.G.)

Chief Gen.Manager
CSIDC, Raipur

परिशिष्ठ–32

C. S. I. D. C., Marketing Division, Raipur (C. G.)
Expenditure Statement of Marketing Division through Head Office for the year 2004-05

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Advertisement & Publicity	1332364.00
2	Books & Periodicals	4281.00
3	Bank Charges	170.00
4	IIFT Training Fees A/c.	1500.00
5	Photocopier Machine (Multifunction)	202466.00
6	Conveyance Charges	40.00
7	Registration Fees (Professional Tax)	7500.00
8	Entertainment Of Visitors	27801.00
9	Electricity and Water Charges	90961.00
10	Computer Electric equipment	59019.00
11	Exgratia to Staff	835885.00
12	Furniture & Fixtures	7644.00
13	Inspection Charges (Salf)	330.00
14	Membership Fees	25000.00
15	Office Expenses	74457.00
16	Repair & Maintenance of Office Equipments	10611.00
17	Liveries of Employees	5830.00
18	Postage & Telegram	20528.00
19	Repair and Maintenance of Elect. Equipments	4425.00
20	Rent of Office Building	330750.00
21	House Rent Allowance	31137.00
22	Salary & Wages	6507794.00
23	CPF @ 12% (Employer Share)	549362.00
24	Staff Welfare	26300.00
25	Stationery & Printing	505437.00
26	Telephone & Telex	87161.00
27	TA Expenses	107328.00
28	Rent of Taxi	117000.00
29	Leave Salary & Pension Contribution	15668.00
30	Medical Expenses	25837.00
31	Security Guard (Wages)	65232.00
32	Dead Stock [Mobile of CGM (Mkt) Raipur]	1410.00
33	Electric Equipment	4870.00
34	Sales Tax	260.00
35	Repairs & Maintenance of Vehicles	4490.00
	GRAND TOTAL	**11090848.00**

List of Rate Contract Agreement Issued

Sl. No.	Rate Contract No.	Name of Item with Brief Specification	Name & Address of Firm	Estimated Drawal	Rate Contract Period		Date of initiation of New RC
					From	To	
1	PS-IV/009/MKD/00100/03-04/022/Paints/SP/001	Paints & Distemper (ISI Marked)	M/s S.P. Industries 636, Urla I/A, Raipur	N.A.	16-10-03	15-10-04	16-04-04
2	PS-IV/009/MKD/00100/03-04/022/Paints/KI/002	Paints & Distemper (ISI Marked)	M/s Kukreja Industries 20-B, Light I/A, Bhilai	N.A.	16-10-03	15-10-04	16-04-04
3	PS-IV/009/MKD/00100/03-04/022/Paints/SP/003	Paints & Distemper (ISI Marked)	M/s Synorganic Paints P. Ltd. 85-86, Industrial Estate, Bhilai	N.A.	16-10-03	15-10-04	16-04-04
4	PS-IV/009/MKD/00100/03-04/022/Paints/OP/004	Paints & Distemper (ISI Marked)	M/s Oshian Paint Industries 79, Nehru Colony, Gandhi Road, Gwalior	N.A.	07-11-03	15-10-04	16-04-04
5	PS-II/001/MKD/06300/03-04/004/Fax/Sharp/005	Fax Machine	M/s Sharp Business Systems India Ltd. No. 8, Plot No. 23, Modern Sociey, Prince Complex, Chatrapati Square, Nagpur	N.A.	05-12-03	04-12-04	05-06-04
6	PS-IV/003/MKD/04800/03-04/016/UPVC/GP/006	UPVC Pipe IS - 12818 / 1992	M/s Gautam Plastic & Ind. 32-B/ 21 - B1 Tifra Industrial Estate, Bilaspur	N.A.	05-12-03	04-12-04	05-06-04
7	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/QCP/007	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Quality Cement Pipes Ravigram, Raipur, C.G.	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
8	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/DI/008	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Dinesh Industries Telibandha, Raipur	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
9	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/RCP/009	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Rajdeep Cement Pipes HIG 9, Shankar Nagar, Raipur	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-09-04
10	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/VCI/010	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Verma Concrete Industries Vill. Raveli, Patan, Durg	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
11	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/NPI/011	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Narmada Pole Industries P.O. Pendra Road, Distt. Bilaspur	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
12	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/MPTTI/012	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s M.P. Tent Tarpaulin Industries Kamptee Line, Rajnandgaon	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
13	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/RSHI/013	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s R.S.H. Industries Vill. Krishnapur, Raigarh	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04

14	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/GCPI/014	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Grewal Cement Pipe Industries 21/59, Civil Lines, Opp. Premkunj, Raipur	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
15	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/NCC/015	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Narmada Concrete Components P.O. Pendra Road, Distt. Bilaspur	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
16	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/RJU/016	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Ramanlal Jain Udyog Mathpara, Rajnandgaon	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
17	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/RHSI/017	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s R.H.S. Industries Shyam Talkies Road, Raigarh	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
18	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/GCA/018	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Gopesh Cement Arts Dayalbandh, Bilaspur	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
19	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/RBK&Co./019	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Radhesyam Benishyam Kesri & Company Dayalbandh, Bilaspur	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
20	PS-III/003/MKD/05800/03-04/013/RCCFP/RHSP/020	RCC Fencing Pole IS-456/2000	M/s Raigarh Hume & Spun Pipe Distt. Raigarh	N.A.	22-12-03	21-12-04	22-06-04
21	PS-IV/003/MKD/04800/03-04/016/UPVC/KP/021	UPVC Pipe IS - 12818 / 1992	M/s Krishna Plast Pipes P. Ltd. Industrial Estate, Bargarh, Orissa	N.A.			
22	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/NCPL/022	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s Navneet Casting Pvt. Ltd. Sephiar Twins, 16-17, PU3, Scheme No. 54, AB Road, Indore	N.A.	29-12-03	28-12-04	29-06-04
23	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/PPPL/023	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s Padam Pipes Pvt. Ltd. 25, Siltara Ind. Area (Phase II) Raipur	N.A.	29-12-03	28-12-04	29-06-04
24	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/CPPL/024	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s Chhattisgarh Pipes Pvt. Ltd. 78-B, I/A, Siltara (Pahse II), Raipur	N.A.	29-12-03	28-12-04	29-06-04
25	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/HAPL/025	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s Hem Asbestos Pvt. Ltd. Plot No. 19-20, Industrial Growth Centre, Siltara Phase I, SSI Sector, Raipur	N.A.	29-12-03	28-12-04	29-06-04
26	PS-II/006/MKD/02701/03-04/009/Sub. Cab./SC/026	Submersible Cable IS - 694/1990	M/s Surya Cables Y-25, Okhla I/A, New Delhi	N.A.	31.12.03	30.12.04	30.06.04

27	PS-II/006/MKD/02701/03-04/009/Sub. Cab./AC/027	Submersible Cable IS - 694/1990	M/s Asian Cable Co. Raigarh	N.A.	31.12.03	30.12.04	30.06.04
28	PS-II/013/MKD/06401/03-04/035/M.T./Fal. In./028	Manual Typewriter	M/s Fal Industries Ltd. Bhagat Singh Chowk, Shanti Nagar, Raipur, C.G.	N.A.	03-01-04	02-01-05	03-04-04
29	PS-IV/003/MKD/04800/03-04/016/UPVC/TS/029	UPVC Pipe IS - 12818 / 1992	M/s Tirupati Structurals Ltd. A-6/5, Site No. 4, Industrial Area, Saibabad, Gaziabad, U.P.	N.A.	01-01-04	04-12-04	05-06-04
30	PS-V/001/MKD/01902/03-04/023/B.Wire/S.W./030	Barbed Wire IS-12818/1992	M/s Swastik Wires Industrial Area, Bhanpuri, P.O. Birgaon, Raipur, C.G.	N.A.	03-01-04	02-01-05	03-04-04
31	PS-II/018/MKD/02901/03-04/040/LVC/ /031	Line Voltage Corrector IS-8448/1989	------ not issued --------				
32	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/AAPPL/032	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s Acme Asbestos Pipes Pvt. Ltd. Atl Compound, Nunhai, Agra, U.P.	N.A.	03-02-04	28-12-04	29-06-04
33	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/UPPL/033	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s Udaipur Pipes Pvt. Ltd. Plot No. E-46, Mewar Industrial Area, Udaipur, Rajasthan	N.A.	26-02-04	28-12-04	29-06-04
34	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/AIL/034	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s A. Infrastructure Ltd. 51, Shyamala Road, Near Bharat Bhavan, Bhopal, M.P.	N.A.	26-02-04	28-12-04	29-06-04
35	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/ACPP-CIDJ/KSGMCL/035	AC Pressure Pipe & CID Joints IS 1592/1989 & IS 8794/1988	M/s Kanoria Sugar & General Manufacturing Co.Ltd. 10-C, 2nd Floor, SBI Colony, Zone - II, M.P. Nagar, Bhopal	N.A.	26-02-04	28-12-04	29-06-04
36	PS-IV /012/MKD/02504/03-04/049/BP/BBPL/036	Bleaching Powder IS 1065/1989 with Amdt.1	M/s. Bhopal Bleach Pvt. Ltd. 10-C, 2nd Floor, SBI Colony, Zone - II, M.P. Nagar, Bhopal	N.A.	26-02-04	28-12-04	29-06-04
37	PS-IV /012/MKD/02504/03-04/049/BP/IC/037	Bleaching Powder IS 1065/1989 with Amdt.1	M/s. Imperial Chemical 10-C, 2nd Floor, SBI Colony, Zone - II, M.P. Nagar, Bhopal	N.A.	26-02-04	28-12-04	29-06-04
38	PS-IV/008/MKD/04500/03-04/021/S.I./038	HDPE PIPE IS No. 4984/95	M/s Swastik Industries 595, Urla I/A, Raipur	N.A.	19.05.04	18.05.05	18.11.04

39	PS-IV /013/MKD/04801/03-04/050/UPVC Pipe/ G.P./039	UPVC Pipe for potable water supply	M/s Gautam Plastic Industries 32-B/21-B1, Tifra, Bilaspur	N.A.	04.06.04	03.06.05	03.01.05
40	PS-IV /013/MKD/04801/03-04/050/UPVC Pipe/ S.I./040	UPVC Pipe for potable water supply	M/s Swastik Industries, Raipur 23-A, NSC Road, Kolkata	N.A.	04.06.04	03.06.05	03.01.05
41	PS-IV /013/MKD/04801/03-04/050/UPVC Pipe/ K.D./041	UPVC Pipe for potable water supply	M/s Krishna Plast P. Ltd. I/A, Station Road, Bargarh	N.A.	04.06.04	03.06.05	03.01.05
42	PS-IV/002/MKD/04600/03-04/015/S. Tank/ A.C./042	HDPE Storage Tank IS No. 1270/96	M/s Annapurna Containers C-2, Annapurna Kutir, Shankar Nagar, Raipur	N.A.	04.06.04	03.06.05	03.01.05
43	PS-II/004/MKD/06202/03-04/007/UPS/KL/043	UPS	M/s KLA Electronics Pvt. Ltd. Uniline House, 198/23, Ramesh Market, East of Kailash New Delhi	N.A.	16-06-04	15-06-05	15-01-05
44	PS-II/004/MKD/06202/03-04/007/UPS/AZ/044	UPS	M/s AZ Electronics, 9 Purva Plaza, 515/516, Sadashiv Peth Pune	N.A.	24-06-04	15-06-05	15-01-05
45	PS-II/012/MKD/03500/03-04/034/M.T./ SERVO/045	M.T. Battery	M/s Servo Accumulators	N.A.	20.07.04	19.07.05	19.01-05
46	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/BCP/046	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Bilaspur Cement Products Torwa Distt. Bilaspur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
47	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/AIC/047	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Anand Industrial Corporation Rawabhata P.O. Birgaon-493221,Raipur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
48	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/RHP&SP/048	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Raigarh Hume Pipe & Spun Pipe Semi Urban Industrial Estate, Raigarh (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
49	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/RBK&Co./049	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Radheshyam Benishyam Kesary & Co. Dayalband, Bilaspur	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
50	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/D&Co./050	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Dhanshree & Co. Deviganj Road, Ambikapur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
51	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/RP/051	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Raj Pipe Opp. Industrial Estate, G.E. Road, Rajnandgaon	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05

52	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/RCCHP/053	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. R.C.C. Hume Pipe & Products Industrial Estate, Naya MundaPara, Jagdalpur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
53	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/BCPMCo./053	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Bhilai Cement Pipe Mfg. Co. Industrial Estate, Nandini Road, Bhilai (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
54	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/QCP/054	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Quality Cement Pipes 12, Industrial Estate, Post-Birgaon, Raipur	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
55	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/DI/055	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Dinesh Industries Plot-370, Urla Industrial Estate Raipur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
56	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/GCPI/056	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Grewal Cement Pipes 12, Industrial Area, P.O. Birgaon, Raipur	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
57	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/JCP/057	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Jaiswal Cement Products Near Mission Chowk, Ring Road, Ambikapur, Distt-Sarguja	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
58	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/SHPRCCP/058	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s.Sinhal Hume Pipe & R.C.C. Products Manendragarh Road, Ambikapur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
59	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/VHP/059	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Vipra Hume Pipes Semi Urban Industrial Estate,Frezerpur,Jagdalpur	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
60	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/BCP/060	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Bastar Cement Products Beside Kosa Seed Centre, Geedam Road, P.O. Pandripani, Jagdalpur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
61	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/SCPI/061	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Surguja Cement Pipe Industries Manendragarh Road, Ambikapur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
62	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/MPCP/062	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. M.P. Cement Products Abhanpur (C.G.), Distt-Raipur	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
63	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/EE/063	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Engineers Enterprises Rawabhata Industrial Area, P.O. Birgaon-493221,Raipur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05

64	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/NCPI/064	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. National Cement Pipe Industries 31,36 Industrial Estate, Tifra, Bilaspur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
65	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/BCP/065	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Bramha Cement Products Chatanua (Chakarbhata), Bilapur (C.G.)	NA	02.08.04	01.08.05	01.02.05
66	PS-II/005/MKD/06000/03-04/008/PC/Godrej/066	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Godrej & Boyce M.C.Ltd. 217, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal	NA	31.07.04	30.07.05	30.01.05
67	PS-II/005/MKD/06000/03-04/008/PC/HCL/067	Photocopier Machine	M/s. HCL Info Systems Ltd. Shop No. 8, Pagaria Complex, Raipur	NA	31.07.04	30.07.05	30.01.05
68	PS-II/005/MKD/06000/03-04/008/PC/Sharp/068	Photocopier Machine	M/s. Sharp Business System Ltd. C/o. AFL Logistics Ltd., Ring Road No.1, Raipur	NA	31.07.04	30.07.05	30.01.05
69	PS-II/005/MKD/06000/03-04/008/PC/RICOH/069	Photocopier Machine	M/s. Ricoh India Ltd. C/o. Allens Business House, F-4 Rama Complex, Bhopal	NA	31.07.04	30.07.05	30.01.05
70	PS-II/022/MKD/03001/03-04/065/DC/Swastik/070	Desert Cooler	M/s. Swastik Refregeration Sighee Sadan ,East Gandhi Sagar Road, Nagpur	NA	31.07.04	30.07.05	30.01.05
71	PS-II/010/MKD/02702/03-04/032/PVC/Asian/071	PVC Aluminium Cable IS No. 694/990	M/s. Asian Cable Company 2, Industrial Estate, Raigarh	NA	24.08.04	23.08.05	23.02.05
72	PS-II/010/MKD/02702/03-04/032/PVC/Prakash/072	PVC Aluminium Cable IS No. 694/990	M/s. Prakash Cable Products Subhash Marg, Surajpur Sarguja	NA	24.08.04	23.08.05	23.02.05
73	PS-III/001/MKD/05600/03-04/011/RCCHP/KCP/073	RCC Hume Pipe IS No. 458/1988	M/s. Korba Cement Products B-14, D.D. Market, Korba-495678	NA	08.09.04	01.08.05	01.02.05
74	PS-II/017/MKD/07700/03-04/039/GLS/C.I./074	G.L.S. Lamp IS No. 1112	M/s. Cambridge Industries 4-D-3 Pagaria Complex, Raipur	NA	24.11.04	23.11.05	23.05.05
75	PS-II/020/MKD/07600/03-04/042/F.L./C.I./075	Fluorosent Lamp	(Not Issued)				
76	PS-IV/026/MKD/08900/04-05/108/DWHP/CA/076	Deepwell Hand Pump IS No. 9301/1990	M/s. Chhattisgarh Aqua (P) Ltd. Shed No.4&5 CSIDC, Sheds Siltara Ind. Area, Raipur	NA	02.12.04	01.12.05	01.06.05
77	PS-IV/026/MKD/08900/04-05/108/DWHP/NBS/077	Deepwell Hand Pump	M/s. Nav Bharat Steels	NA	02.12.04	01.12.05	01.06.05

		IS No. 9301/1990	P.O./Village-Kondatarai, Distt-Raigarh (C.G.)				
78	PS-IV/026/MKD/08900/04-05/108/DWHP/DPEC/078	Deepwell Hand Pump IS No. 9301/1990	M/s. Deepwell Pumps & Engineering Co. D-47, Greater Kailash Enclave-11, New Delhi	NA	02.12.04	01.12.05	01.06.05
79	PS-II/021/MKD/07900/03-04/064/C.O./M.T./079	Cut Out IS No. 13947/93	M/s. Maheshwari Traders C-31, Nandini Road, Bhilai	NA	16.12.04	15.12.05	15.06.05
80	PS-II/011/MKD/03100/03-04/061/WC/BS/080	Water Cooler IS No.1475/78	M/s. Blue Star Ltd. Star Arcade M.P. Nagar, Bhopal	NA	28.01.05	27.01.06	27.07.05
81	PS-II/014/MKD/02802/03-04/036/C.F./S.D.I./081	Celing Fan IS No. 374/79	M/s. Shree Durga Industries 37, Ramnagar Paharganj, New Delhi	NA	20.01.05	19.01.06	19.07.05
82	PS-II/014/MKD/02802/03-04/036/C.F./BFFC/082	Celing Fan IS No. 374/79	M/s. Breezy Fans & Furniture Shriram Mandir Complex, Tilak Road, Akola	NA	20.01.05	19.01.06	19.07.05
83	PS-IV/026/MKD/08900/04-05/108/DWHP/CEC/083	Deepwell Hand Pump IS No. 9301/1990	M/s. Choudhary Electronic & Co. Shiv Talkies Chowk, Bilaspur (C.G.)	NA	15.12.04	01.12.05	01.06.05
84	PS-IV/003/MKD/04800/03-04/016/UPVC/GP/084	UPVC Caseing Pipe IS No. 12818/1992	M/s. Gautam Poles Raipur	NA	12.12.04	14.12.04	14.06.05
85	PS-IV/003/MKD/04800/03-04/016/UPVC/MI/085	UPVC Caseing Pipe IS No. 12818/1992	M/s. Shri Mohit Industries P.B. No.35, Bhadarpuri Road, Burhanpur	NA	14.12.05	13.12.06	14.06.05
86	PS-IV/009/MKD/00100/04-05/092/P&D/SPI/086	Paints & Distemper (ISI Marked)	M/s. S.P. Industries Raipur	NA	18.01.05	17.01.06	17.07.05
87	PS-IV/009/MKD/00100/04-05/092/P&D/KI/087	Paints & Distemper (ISI Marked)	M/s. Kukreja Industries Bhilai	NA	18.01.05	17.01.06	17.07.05
88	PS-IV/009/MKD/00100/04-05/092/P&D/SP/088	Paints & Distemper (ISI Marked)	M/s. Synogranic Paints Bhilai	NA	18.01.05	17.01.06	17.07.05
89	PS-IV/021/MKD/00801/04-05/129/DI/ESC/089	DI Spun Pipe IS No. 8329/2000	M/s. Electro Steel Casting Ltd. Kolkatta	NA	22.01.05	21.01.06	21.07.05
90	PS-IV/021/MKD/00801/04-05/129/DI/ESC/090	DI Spun Pipe IS No. 8329/2000	M/s Lanco Industries Ltd. Chennai	NA	12.04.05	21.01.06	21.07.05
91	PS-IV/027/MKD/008901/04-05/109/HPS/NBS/091	Hand Pump Spares IS No. 9301 & IS No. 14101-105	M/s. Nav Bharat Steels Raigarh	NA	05.02.05	04.02.06	04.08.05

92	PS-IV/027/MKD/008901/04-05/109/HPS/CA/092	Hand Pump Spares IS No. 9301 & IS No. 14101-105	M/s. Chhattisgarh Aqua (P) Ltd. Raipur	NA	05.02.05	04.02.06	04.08.05
93	PS-IV/027/MKD/008901/04-05/109/HPS/F/093	Hand Pump Spares IS No. 9301 & IS No. 14101-105	M/s. Febritech Raipur	NA	05.02.05	04.02.06	04.08.05
94	PS-IV/027/MKD/008901/04-05/109/HPS/CGP/094	Hand Pump Spares IS No. 9301 & IS No. 14101-105	M/s. C.G. Pumps Raipur	NA	05.02.05	04.02.06	04.08.05
95	PS-IV/027/MKD/008901/04-05/109/HPS/QP/095	Hand Pump Spares IS No. 9301 & IS No. 14101-105	M/s. Quality Pump Kanpur	NA	05.02.05	04.02.06	04.08.05
96	PS-IV/027/MKD/008901/04-05/109/HPS/CE/096	Hand Pump Spares IS No. 9301 & IS No. 14101-105	M/s. Choudhary Electronics Bilaspur	NA	05.02.05	04.02.06	04.08.05
97	PS-IV/027/MKD/008901/04-05/109/HPS/DWP/097	Hand Pump Spares IS No. 9301 & IS No. 14101-105	M/s. Deepwell Pumps New Delhi	NA	05.02.05	04.02.06	04.08.05
98	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/KCP/098	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s Korba Cement Products Urga, P.O. Bhaisma	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
99	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/VCI/099	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s Verma Concrete Products Raweli, Tarra, Distt. Durg	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
100	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/CCA/100	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s Chhattisgarh Cement Art Kargil Chowk, Sunder Nagar, Raipur	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
101	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/RJU/101	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s Ramanlal Jain Udyog Mathpara, Rajnandgaon	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
102	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/UI/102	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s Ujjawala Industries Ganj Line, Rajnandgaon	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
103	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/ACP/103	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s Agrawal Cement Products Polsay Chowk, Durg	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
104	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/MPCP/104	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s M.P. cement Products Abhanpur, Raipur	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05

105	PS-III/003/MKD/05800/04-05/119/RCCFP/RSHI/105	RCC Fencing Pole IS No. 456/2000	M/s R.S.H. Industries Krishnapur, Raigarh	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
106	PS-II/004/MKD/06202/03-04/007/UPS/TI/106	UPS System	M/s Titronics (India) P. Ltd. 794/I A Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi	NA	18.02.05	15.06.05	15.12.04
107	PS-II/006/MKD/02701/04-05/095/S.Cable/PC/107	Submersible Cable IS No. 694/1990	M/s Prakash Cable Products Surajpur, Sarguja	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
108	PS-II/006/MKD/02701/04-05/095/S.Cable/AC/108	Submersible Cable IS No. 694/1990	M/s Asian Cable Co. Raigarh	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
109	PS-II/006/MKD/02701/04-05/095/S.Cable/RI/109	Submersible Cable IS No. 694/1990	M/s Rishabh Industries Dhamtari	NA	21.02.05	20.02.06	20.08.05
110	PS-II/006/MKD/02701/04-05/095/CP/AC/110	Control Panel	M/s Asian Cable Co. Raigarh	NA	26.02.05	25.02.06	25.08.05
111	PS-V/012/MKD/01906/03-04/086/CI Spl/LM/111	CI Specials IS No.5531	M/s Lalitha Metals A-1/2 Apie, Auto Nagar, Vizag	NA	05.03.05	04.03.06	04.09.05
112	PS-V/012/MKD/01906/03-04/086/CI Spl/GIE/112	CI Specials IS No.5531	M/s Golden India Enterprises 90, Vivekanand Nagar, Raipur	NA	05.03.05	04.03.06	04.09.05
113	PS-II/006/MKD/02701/04-05/095/CP/MMK/113	Control Panel	M/s Matrix Motor Control Bilaspur	NA	09.03.05	25.02.06	25.08.05
114	PS-V/013/MKD/01907/03-04/087/GI Bkt/LEW/114	GI Bucket Is No. 726/82	M/s Laxmi Engineering Works Near Railway Station, Champa	NA	14.03.05	13.03.06	13.09.05
115	PS-V/013/MKD/01907/03-04/087/GI Bkt/AI/115	GI Bucket Is No. 726/82	M/s Ankur Industries Nahar Para, Station Road, Raipur	NA	14.03.05	13.03.06	13.09.05
116	PS-V/013/MKD/01907/03-04/087/GI Bkt/SE/116	GI Bucket Is No. 726/82	M/s Steel Enterprises Kodabhat, Kanker	NA	14.03.05	13.03.06	13.09.05
117	PS-V/013/MKD/01907/03-04/087/MHC/GIE/117	Manhole Cover IS 1726/99	M/s Golden India Enterprises 90, Vivekanand Nagar, Raipur	NA	14.03.05	13.03.06	13.09.05
118	PS-V/013/MKD/01907/03-04/087/MHC/JNL/118	Manhole Cover IS 1726/99	M/s Jaiswals Neco Ltd. F-8-1, MIDC I/A, Hingana, Nagpur	NA	14.03.05	13.03.06	13.09.05
119	PS-IV/018/MKD/02505/04-05/126/Phe/PDC/119	Phenyle IS 1061/97 & Non ISI	M/s Prime Disin Chemicals Prime Compund, 88/2, Dewas Naka, Indore	NA	01.04.05	31.03.06	01.10.05

120	PS-IV/018/MKD/02505/04-05/126/Phe/DC/120	Phenyle IS 1061/97 & Non ISI	M/s Dhanwantri Chemicals Rani Durgawati I/A, Anjani, Pendra Road	NA	01.04.05	31.03.06	01.10.05
121	PS-IV/024/MKD/02506/04-05/141/SOD. H./Maha/121	Sodium Hypochloride Non IS	M/s Mahalaxmi Chloritech 4-Tifra Industrial Estate, Bilaspur, Chhattisgarh	NA	19.04.05	18.04.06	18.10.05
122	PS-III/005/MKD/05900/04-05/120/RCCB&KMS/RSHI/122	RCC Boundry & K.M. Stone IS : 456/2000 & IS : 2062/1999	M/s R.S.H. Industries Krishnapur, Raigarh	NA	16.05.05	15.05.06	15.11.05
123	PS-III/005/MKD/05900/04-05/120/RCCB&KMS/RJU/123	RCC Boundry & K.M. Stone IS : 456/2000 & IS : 2062/1999	M/s Ramanlal Jain Udyog Unit No. 1, Mathpara, Rajnandgaon	NA	16.05.05	15.05.06	15.11.05
124	PS-III/005/MKD/05900/04-05/120/RCCB&KMS/ACP/124	RCC Boundry & K.M. Stone IS : 456/2000 & IS : 2062/1999	M/s Agrawal Cement Products Polsay Chowk, Durg	NA	16.05.05	15.05.06	15.11.05
125	PS-III/005/MKD/05900/04-05/120/RCCB&KMS/ACP/124	RCC Boundry & K.M. Stone IS : 456/2000 & IS : 2062/1999	M/s Ujjawala Industries Ganj Lne, Rajnandgaon	NA	16.05.05	15.05.06	15.11.05
126	PS-II/002/MKD/06200/04-05/139/P.Comp./MIT/125	Computer System	M/s Mitshri Infotech Sunder Nagar, Raipur	NA	11.05.05	10.11.05	11.08.05
127	PS-II/002/MKD/06200/04-05/139/P.Comp./MINI/126	Computer System	M/s Mini Infotech Pachpedi Naka, Raipur	NA	11.05.05	10.11.05	11.08.05
128	PS-II/002/MKD/06200/04-05/139/P.Comp./MINI/127	Computer System	M/s Acer India Ltd. Nagpur	NA	01.06.05	10.11.05	11.08.05
129	PS-II/002/MKD/06200/04-05/139/P.Comp./MINI/128	Computer System	M/s AZ Electronics Pune	NA	01.06.05	10.11.05	11.08.05
130	PS-II/002/MKD/06200/04-05/139/P.Comp./MINI/129	Computer System	M/s Stream Softtech Raipur	NA	01.06.05	10.11.05	11.08.05
131	PS-IV/018/MKD/04702/04-05/125/CMP&C/Aerocom/130	Coir Matressess and Pillow	M/s Aerocom Cushions P. Ltd. Mumbai	NA	02.06.05	01.06.06	01.08.05
132	PS-IV/018/MKD/04702/04-05/125/CMP&C/Aero. Bhu./132	Coir Matressess and Pillow	M/s Aerocom Cushions P. Ltd. Bhubaneswar	NA	06.06.05	01.06.06	01.08.05
133	PS-III/001/MKD/05600/04-05/097/ACPP/HAPL/133	AC Pressure Pipe IS 1592/2003 (4th Rev.)	M/s Hem Asbestos Pvt. Ltd. Raipur	NA	20.06.05	19.06.06	19.10.05

134	PS-III/001/MKD/05600/04-05/097/ACPP/PPPL/134	AC Pressure Pipe IS 1592/2003 (4th Rev.)	M/s Padam Pipes Pvt. Ltd. Raipur	NA	20.06.05	19.06.06	19.10.05
135	PS-III/001/MKD/05600/04-05/097/ACPP/CPPL/135	AC Pressure Pipe IS 1592/2003 (4th Rev.)	M/s Chhattisgarh Pipes Pvt. Ltd. Raipur	NA	20.06.05	19.06.06	19.10.05
136	PS-II/032/MKD/03901/04-05/114/Microscope/SE/136	Microscope	M/s Shrishti Enterprises Raipur	NA			
137	PS-V/019/MKD/01303/04-05/137/AIFP/AI/137	Angle Iron Fencing Pole	M/s Ankit Industries, Rajnandgaon	NA	15.07.05	14.07.06	15.01.06
138	PS-V/019/MKD/01303/04-05/137/AIFP/BE/138	Angle Iron Fencing Pole	M/s Belson Enterprises Rajnandgaon	NA	15.07.05	14.07.06	15.01.06
139	PS-IV/022/MKD/01901/04-05/SI.V./S.M.W./139	Sluice Valve IS 14846/2000	M/s Sachdeva Metal Works Jalandhar	NA	01.08.05	31.07.06	01.02.06
140	PS-IV/027/MKD/08500/05-06/C.T./Amit/140	Chlorine Tablet IS:9825/1993	M/s Amit Entersprises Bhopal		25.08.05	24.08.06	25.02.06
141	PS-IV/027/MKD/08500/05-06/C.T./Maha/141	Chlorine Tablet IS:9825/1993	M/s Mahalaxmi Chloritech Bilaspur		25.08.05	24.08.06	25.02.06
142	PS-IV/012/MKD/02504/05-06/178/B.P./Amit/142	Bleaching Powder	M/s Amit Entersprises Bhopal		25.08.05	24.08.06	25.02.06
143	PS-IV/025/MKD/0900/04-05/107/SP/CEC/143	Submersible Pump IS 8034/89	M/s Chaudhary Electronics & co. Bilaspur		30.08.05	29.08.06	27.02.06
144	PS-IV/025/MKD/0900/04-05/107/SP/VSP/144	Submersible Pump IS 8034/89	M/s Vikrant Submersible Pumps Pvt. Ltd. Raipur		30.08.05	29.08.06	27.02.06
145	PS-IV/025/MKD/0900/04-05/107/SP/SPPL/145	Submersible Pump IS 8034/89	M/s Shriva Pumps P. Ltd. Raipur		30.08.05	29.08.06	27.02.06
146	PS-IV/025/MKD/0900/04-05/107/SP/GAI/146	Submersible Pump IS 8034/89	M/s Gupta Agro Implements Raipur		30.08.05	29.08.06	27.02.06
147	PS-IV/025/MKD/0900/04-05/107/SP/Super/147	Submersible Pump IS 8034/89	M/s Super Pumps P. Ltd. Bhopal		30.08.05	29.08.06	27.02.06
148	PS-IV/025/MKD/0900/04-05/107/SP/AEC/148	Submersible Pump IS 8034/89	M/s Agro Equipment Co. P. Ltd., Indore		30.08.05	29.08.06	27.02.06
149	PS-V/009/MKD/01700/05-06/190/SA/VWE/149	Sanitary Appliances	M/s Vindyawasini Enterprises, Raipur		29.08.05	28.08.06	28.02.06
150	PS-VI/010/MKD/07804/05-06/CS/ASI/150	IS 3735/96 & 3736/83	M/s A.S. Industries, Raipur		05.09.05	04.09.06	05.11.05

151	PS-VI/010/MKD/07804/05-06/CS/ASI/150	Canvas Shoes IS 3735/96 & 3736/83	M/s Naman Rubber Industries, Bilaspur		05.09.05	04.09.06	05.11.05
152	PS-IV/027/MKD/08500/05-06/C.T./GMP/152	Chlorine Tablet IS:9825/1993	M/s Getwell Mediproducts Bhopal		08.09.05	24.08.06	25.02.06
153	PS-IV/012/MKD/02504/05-06/178/B.P./Bhopal/153	Bleaching Powder	M/s Bhopal Bleach Pvt. Ltd., Bhopal		15.09.05	24.08.06	25.02.06
154	PS-II/022/MKD/03001/05-06/155/DC/SFI/154	Dessert Cooler (Plastic Body)	M/s Shakti Fair Industries, Nagpur		06.10.05	05.10.06	05.04.06

17.13 औद्योगिक संवर्धन प्रकोष्ठ IPPD Cell

अन्य उपयोगी जानकारियॉ–

संभावित प्रश्न

एकीकृत अधोसंरचना विकास कार्यक्रम
(भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम)

भारत सरकार की एकीकृत अधोसंरचना विकास योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया जाना है तथा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन भी इस योजना में शामिल हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

ii. Tosupport the susainability and growth of MSEs by adderssing common issues such as improvement of technology, skills and quality, market acess, access to capital, etc.
iii. To build capacity of MSEs for common supportive action through tormation of self help groups, consortia, upgradation of associations, etc.
iv. To create/upgrade infrastructural facilities in the new/existing industrial areas/clusters of MSEs.
v. To set up common facility centres (for testing, training center, raw material depot, effluent treatment, complementing production processes, etc).

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत आदर्श परियोजना लागत रूपए 10.00 करोड़ (भूमि छोड़कर) है, जिसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदान अधिकतम 60 प्रतिशत राशि रूपए 6.00 करोड़ दिया जाता हैं । एवं शेष राशि राज्य शासन/क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध, ऋण से उपलब्ध कराया जाना है । परियोजना लागत रू. 10.00 करोड़ से अधिक होने पर शेष राशि राज्य शासन/क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है । परियोजना हेतु भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

उक्त परियोजना के अंतर्गत् राज्य के प्रत्येक जिले के एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र ।

उक्त परियोजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना किया जाना है ।

इस योजना के अंतर्गत् राज्य में अब तक निम्नानुसार आई.आई.डी.सी. की स्थापना की गई है/की जा रही है :–

क्र.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोनी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित
4	कापन, जिला जांजगीर–चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	टेकनार, जिला दंतेवाड़ा	20	स्थापित
7	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	प्रक्रियाधीन
8	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	24	प्रक्रियाधीन

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली :–

1. राज्य के विभिन्न जिलों में औ. क्षेत्र के निर्माण हेतु उद्योग संचालनालय के माध्यम से भूमि की उपलब्धता तथा चयन ।
2. उद्योग संचालनालय के माध्यम से भू–अर्जन तथा सीएसआईडीसी को हस्तांतरण ।
3. अभिन्यास तैयार किना तथा विकास कार्य हेतु राशि का तकनीकि ऑकलन तैयार करना ।
4. परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना ।
5. राज्य शासन से बजट प्राप्त करना/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना ।
6. परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण कर बैंक/स्वतंत्र तकनीकि सलाहकार एजेंसी/सिड्बी को अप्रेजल हेतु भेजा जाना ।
7. अप्रेजल पश्चात प्रतिवेदन भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिती को प्रेषित किया जाना ।
8. उच्च स्तरीय समिती द्वारा परियोजना का विस्तृत परीक्षण कराकर अनुमोदन प्राप्त करना । अनुमोदित होने पर परियोजना हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाना ।
9. राज्य शासन से परियोजना हेतु बजट आबंटन प्राप्त करना ।
10. विकास कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित किया जाना ।
11. विकास कार्य प्रारंभ करना ।
12. भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही करना ।
13. परियोजना का क्रियान्वयन तथा पूर्णता ।

संभावित प्रश्न तथा उत्तर

परिशिष्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत् बनाए जा रहे वर्ष 2013–14 के मैन्यूअल में आई.पी.पी.डी. कक्ष से संबंधित संलग्न किये जाने वाले परिशिष्टों की जानकारी

अपैरल पार्क

अपैरल पार्क के अंतर्गत् लगभग 8000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल की जी+3 फ्लैटेड फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण किया गया है भवन की लागत 1454.74 लाख है । पार्क में रेडीमेड गारमेंट एवं संबंधित उत्पादों के निर्माताओं को लीज पर स्थान उपलब्ध कराया जाना था । इस हेतु विज्ञापन के माध्यम से कई बार प्रयास किये गये परंतु कोई आवेदन प्राप्त नही हुए । निगम द्वारा शासन को पत्र क्रमांक 106 दिनांक 04.04.2013 के द्वारा इस स्थान पर आई.टी. कंपनियों को आकर्षित करने बाबत् अतिरिक्त/छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

लघु औद्योगिक क्षेत्र

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत् राज्य में लघु, अति लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है । नवीन योजना के अंतर्गत् परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि राज्य शासन द्वारा अंशदान दिया जाता है । राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है ।

इस योजना के अंतर्गत् राज्य में अब तक निम्नानुसार आई.आई.डी.सी. की स्थापना की गई है/की जा रही है :–

क्र.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोनी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित
4	कापन, जिला जांजगीर–चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	टेकनार, जिला दंतेवाड़ा	20	स्थापित
	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	प्रक्रियाधीन
	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	24	प्रक्रियाधीन

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2012 (2 एवं 3 नवंबर 2012) :–

छत्तीसगढ़ राज्य को निवेश का बेहतर स्थान के रूप में स्थापित करने एवं राज्य की ब्रांडिंग करने, राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय निवेशकों को छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं से अवगत कराए जाने, निवेश हेतु प्रोत्साहित करने तथा राज्य में नैसर्गिक संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए मानव संसाधन के विकास के लिये वातावरण निर्मित करने हेतु नया रायपुर में दिनांक 2 एवं 3 नवंबर 2012 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें आयोजन में देश एवं विदेश के 500 से अधिक प्रमुख निवेशकों द्वारा भाग लिया गया जिससे कोर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम उद्योगों, इंजीनियरिंग इक्वीपमेंट, आटोमोबाईल एवं आटोमोटिव सहायक उद्योग, खद्य एवं कृषि उत्पाद प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन,

लघु वनोपज, हर्बल/मेडिसिनल उत्पादों का मूल्य संवर्धन, शहरी अधोसंरचना विकास, नई एवं नवीकरण ऊर्जा, आई.टी. एवं आई.डी.ई.एस. हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट टूरिज्म में निवेश हेतु निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया ।

दिनांक 2 एवं 3 नवंबर 2012 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में देश एवं विदेशों से निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए है । दिनांक 3 नवंबर 2012 की स्थिति में एम.ओ.यू. के 137 प्रस्ताव तथा निवेश अभिरूचि के 135 इस प्रकार कुल 272 प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिनमें रू. 1,23,953 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिससे 6,21,670 रोजगार सृजित होने की संभावना है । मीट के दौरान बने वातावरण से नवंबर 2012 से आज तक कुल 410 एम.ओ.यू. और ई.ओ.आई. निष्पादित किये जा चुके है जिनमें लगभग रू. 1,60,000 करोड़ के पूंजी निवेश से 10,00,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा । इस प्रकार आयोजन प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । इससे राज्य के नागरिकों को निश्चित ही लाभ होगा एवं रोजगार के अवसर निर्मित होंगे एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नयन होगा ।

बजट

	राज्य शासन	केन्द्रीय अनुदान
वर्ष 2004–05	100 लाख (प्राप्त)	–
वर्ष 2005–06	100 लाख (प्रावधानित)	43.86लाख (प्राप्त)

वर्तमान स्थिति

रूपए 87 लाख के कार्य प्रारंभ

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र नयनपुर/गिरवरगंज, जिला सरगुजा

कुल क्षेत्रफल	–	126 एकड़
कुल परियोजना लागत	–	803.00 लाख
केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान(प्रस्तावित)	–	200 लाख
राज्य शासन/सीएसआईडीसी द्वारा	–	603 लाख
		803 लाख
राज्य शासन द्वारा परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति	–	488.29 लाख
स्वीकृति तिथि	–	25/1/05

बजट

	राज्य शासन	केन्द्रीय अनुदान
वर्ष 2004–05	100 लाख (प्राप्त)	–
वर्ष 2005–06	100 लाख (प्रावधानित)	–

वर्तमान स्थिति

रूपए 87 लाख के कार्य प्रारंभ

परियोजना प्रतिवेदन तैयार सिड्बी को अप्रेजल हेतु भेजा जा रहा है ।

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली–

1. राज्य के विभिन्न जिलों में औ.क्षेत्र के निर्माण हेतु उद्योग संचालनालय के माध्यम से भूमि की उपलब्धता तथा चयन ।
2. उद्योग संचालनालय के माध्यम से भू–अर्जन तथा सीएसआईडीसी को हस्तांतरण।
3. अभिन्यास तैयार किया जाना तथा विकास कार्य हेतु राशि का तकनीकी ऑकलन तैयार करना ।
4. परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना ।

5. राज्य शासन से बजट प्राप्त करना/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना ।
6. परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण कर सिड्बी को अप्रेजल हेतु भेजा जाना । सिड्बी द्वारा स्थल निरीक्षण तथा परियोजना का परीक्षण किया जाना ।
7. सिड्बी द्वारा अप्रेजल कर प्रतिवेदन भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाना ।
8. उच्च स्तरीय समिति द्वारा परियोजना का विस्तृत परीक्षण कराकर अनुमोदन प्राप्त करना। अनुमोदित होने पर परियोजना हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाना ।
9. राज्य शासन से परियोजना हेतु बजट आबंटन प्राप्त करना ।
10. विकास कार्यो हेतु निविदाएं आमंत्रित किया जाना ।
11. विकास कार्य प्रारंभ करना ।
12. भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही करना ।
13. प्रोजेक्ट मानिटरिंग कमेटी से परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाना तथा तदनुसार केन्द्र से विभिन्न चरणों में अनुदान की राशि मुक्त कराना ।
14. परियोजना का क्रियान्वयन तथा पूर्णता ।

भविष्य की कार्य योजना

भविष्य में उक्त परियोजना का क्रियान्वय निम्न जिलों में किया जाना प्रस्तावित है । (उन जिलों को छोड़कर जिनमें ग्रोथ सेन्टर स्थापित है)

1. धमतरी
2. चापा – जान्जगीर
3. राजनादगांव
4. जशपुर
5. कांकेर
6. कोरिया
7. दंतेवाड़ा
8. कोरबा
9. रायगढ़
10. बस्तर

इस हेतु उद्योग संचालनायल के माध्यम से भूमि की उपल्बधता सुनिश्चित किया जा रही है ।

संभावित प्रश्न तथा उत्तर

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि, रायपुर
अपैरल पार्क पर एक संक्षेपिका

1. राज्य में अपरेल पार्क तैयार करने वाली इकाईयों को व्यवस्थित रुप देने एवं उन्हे एकीकृत अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अपरेल पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है ताकि उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इन इकाईयों को निर्यातोन्मुखी बनाया जा सके ।

2. निगम द्वारा **जुलाई 2003** में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में रायपुर शहर से लगभग 8 कि.मी दूर रावांभाटा में 150 एकड़ भूमि पर अपरेल पार्क बनाने हेतु कल्सल्टेंसी सर्विसेस के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ।

3. कन्सल्टेंसी सर्विसेस हेतु कुल 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके परीक्षण हेतु विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा **अगस्त 2003** में एक समिति गठित की गई थी । समिति में श्री एस.के.गुप्ता, अपर संचालक उद्योग, श्री मानवेन्द्र मिश्रा, अपर संचालक (संस्थागत् वित्त), श्री एन.एम.जोशी, सहायक संचालक (हाथकरघा), श्री एस.के.गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (विपणन) एवं श्री ए.एच.गौरे, महाप्रबंधक, सीएसआईडीसी. थे ।

4. समिति की बैठक दिनांक **26/08/2003** में कुल प्राप्त 14 प्रस्तावों में से 7 उपयुक्त प्रस्तावों को शार्टलिस्ट किया गया तथा टी.ओ.आर. भेजकर पुनः प्रस्ताव मंगाए गए जिसमें से 5 कन्सल्टेंट प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित हुए । प्रस्तुतिकरण दिनांक 20 व 21 जनवरी 2004 को किया गया, जिसमें 3 कन्सल्टेंट को उपयुक्त पाया गया ।

5. अंतिम रुप से **में. विल्बर स्मिथ एसोसिएट्स प्रा. लि., बैगंलोर** को उक्त कार्य हेतु **चयनित कर पत्र दिनांक 9/8/2004 द्वारा सूचित किया गया** । टी.ओ.आर. के अनुसार उनको निम्न कार्य करना है :–

5.1	स्टेज –I	:	फिजिबिलिटी स्टडी एवं डी.पी.आर.
5.2	स्टेज– II	:	बिड प्रोसेस मैनेजमेंट एवं फायनेंशियल क्लोजर
5.3	स्टेज–III	:	मार्केटिंग (एक वर्ष के लिए)

6. कन्सल्टेंट को उपरोक्त कार्य हेतु कन्सल्टेंसी फीस के रुप में रुपये **30.93 लाख का भुगतान किया जाना है**

7. कन्सल्टेंट के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना है, जिसका प्रारुप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है ।

8. कन्सल्टेंट द्वारा टी.ओ.आर के अनुसार प्रारभ कर दिया गया है तथा **कार्य योजना सितंबर 2004** में, विस्तृत सर्वे रिपोर्ट नवंबर 2004 में तथा विजन स्टेटमेंट व कान्सेप्ट मास्टर प्लान **दिसंबर 2004 में प्रस्तुत कर दिया है ।**

9. कन्सल्टेंट के साथ दिनांक 20/01/2005 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग व प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी., अपर संचालक उद्योग, कार्यपालक संचालक, सी,एस,आई,डी,सी. तथा फिक्की, सी.आई.आई., सिड्बी के प्रतिनिधि, युनिवर्थ के सी.ई.ओ के समक्ष परियोजना पर विस्तृत चर्चा की गई । चर्चा के दौरान यह तथ्य विशेष रुप से उल्लेख किया गया कि उक्त प्रस्तावित स्थल पर प्रदूषण की समस्या के कारण अपैरल पार्क हेतु वह स्थल उपयुक्त नहीं है । अतः अन्य वैकल्पिक स्थल का चयन किए जाने का निर्णय लिया गया ।

10. तत्पश्चात अन्य वैकल्पिक स्थल चयन बाबत् प्रबंधक (भू–अर्जन), सी.एस.आई. डी.सी. को निर्देशित किया गया है । उनके द्वारा ग्राम धनसूजी एवं सकरी की भूमि के अभिलेख लाने हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया । तद्नुसार भू–अर्जन प्रकरण तैयार किया जा चुका है । राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर संबंधित अभिलेख पर लिए जाने हैं । प्रस्तावित स्थल लगभग 217 एकड़ है, जिसमें लगभग 40 एकड़ शासकीय भूमि है एवं शेष निजी भूमि है । उक्त स्थल का स्थल निरीक्षण श्री एम.के.पाण्डे, अपर संचालक उद्योग, श्री एस.के.गुप्ता, अपर संचालक उद्योग एवं श्री पी.के.चक्रवर्ती, कार्यपालक संचालक द्वारा किया गया है ।

11. वर्तमान में कन्सल्टेंट को स्थल चयन बाबत् पुनः बुलाया गया है । तथा उनकें साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर अंतिम रुप दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि, रायपुर

एल्यूमीनियम /मेटल पार्क पर एक संक्षेपिका

1. भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमि. के उत्पादन को ध्यान में रखकर एल्यूमीनियम पर आधारित सहायक उद्योगों के विकास के प्रयोजन से राज्य में एल्यूमीनियम पार्क की स्थापना प्रस्तावित की गई ।

2. प्रस्तावित एल्यूमीनियम पार्क की स्थापना हेतु कल्सल्टेंट नियुक्त करने बाबत् राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में दिनांक 26/08/2003 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया ।

3. इसके तारतम्य में कुल 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन्हे शार्टलिस्ट करने हेतु समिति गठित की गई ।

4. इस बाबत् दिनांक 16/10/2003 को समिति की बैठक आयोजित कर 19 में से 9 प्रस्तावों को प्राथमिक रुप से उपयुक्त पाया गया । इस समिति में बाल्कों के तत्कालीन अध्यक्ष श्री बी.एस.बाफना विशेष रुप से उपस्थित रहे ।

5. प्राथमिक रुप से चयनित 9 कल्सल्टेंट्स को टी.ओ.आर. भेजकर प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 05/04/2004 को आमंत्रित किया गया, जिसमें 5 प्रस्तावों को उपयुक्त पाया जाकर तथा उनके प्रस्तुतीकरण के आधार पर में. टाटा इकानामिक कन्सल्टेंसी सर्विसेस, मुंबई (टी.ई.सी.एस.) को कन्सल्टेंट नियुक्त किया गया । तथा उन्हें नियुक्ति बाबत् पत्र दिनांक 05/05/04 को जारी किया गया ।

6. कन्सल्टेंट द्वारा कान्सेप्ट प्लान वायबिलिटि रिपोर्ट / डी.पी.आर, ज्वाइंट वेंचर, बीड मेनेंजमेंट एवं मोर्केटिग करना है । कुल फीस रुपये 31.80 दिया जाना है ।

7. टी.ओ.आर. के अनुसार मे टी.ई.सी.एस. को प्रथम चरण के कार्य हेतु अग्रिम के रुप में रुपये 60 हजार का भुगतान दिनांक 15/06/2004 को किया गया है । टी.ई.सी.एस. के अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार 18/05/2004 को प्रबंध संचालक के प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं 19/05/2004 को बाल्कों के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई ।

8. दिनांक 28/05/2004 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा का विजिट रिपोर्ट के अतिरिक्त बाल्कों, एसईसीआर, सीएसईबी के साथ हुई बैठक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा बिलासपुर एवं कोरबा का स्थल चयन पर तुलनात्मक प्रस्तुत किए गए ।

9. दिनांक 08/06/2004 को कन्सल्टेंट द्वारा कान्सेप्ट प्लान प्रस्तुत किया गया । इस रिपोर्ट में बिलासपुर को एल्यूमीनियम पार्क के लिए उपयुक्त बताया गया ।

10. दिनांक 23/06/2004 को कन्सल्टेंट द्वारा एक अंतरित रिपोर्ट प्रस्तुत किया ।

11. दिनांक 16/07/2004 को कन्सल्टेंसी द्वारा संशोधित स्थल चयन पत्रक प्रस्तुत किए जिसमें, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, रायपुर, रायगढ़ का निरीक्षण/अवलोकन कर प्रपत्र तैयार किया गया है । इस रिपोर्ट में सिलतरा ग्रोथ सेंटर को उपयुक्त माना गया ।

12. तत्पश्चात् 9–11 डिसम्बर, 2004 को निर्देशानुसार कन्सल्टेंट द्वारा पुनः तीन क्षेत्र सिमगा, बोराई एवं बिररोनी का स्थल निरीक्षण किया ।

13. दिनांक 07/01/2005 को पुनः कन्सल्टेट द्वारा परियोजना पर विस्तृत रिपोर्ट एवं स्थल चयन पर पत्रक प्रस्तुत किया गया ।

14. तत्पश्चात् दिनांक 3 मार्च 2005 को टी.ई.सी.एस. द्वारा बिलासपुर, दुर्ग क्षेत्र, सिमगा, बिरकोनी के अतिरिक्त पूर्व में प्रस्तावित अपैरल पार्क हेतु चयनित स्थल ग्राम रावांभाटा का सर्वे किया गया एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर रावांभाटा की लगभग 150 एकड़ भूमि पार्क हेतु लगभग उपयुक्त पाया गया है । तथा 9 मार्च 2005 को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया।

15. इसी बीच यह बात ध्यान में लाई गई कि बिलासपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने कि लिए भूमि चयनित की जा रही है । अतः उक्त पार्क के लिए बिलासपुर जिले में पुनः वैकल्पिक स्थल के चयन पर विचार किया जाना लगा ।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि, रायपुर
सीएसआईडीसी. की बिजनेस प्लान पर एक संक्षेपिका

1. दिनांक 29 एवं 30/11/2001 में राष्ट्रीय स्तर में बिजनेस प्लान तैयार करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया । जिसकें तहत् कुल 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए । जिसमें से समिति द्वारा 9 प्रस्ताव को प्रथम दृश्टा उपयुक्त पाया गया ।
2. चयन समिति द्वारा अंतिम रुप से में अर्नेस्ट एन्ड यंग प्रा.लि. को चयन किया गया तथा उन्हें चयन बाबत् पत्र दिनांक 07/06/2002 को जारी किया गया ।
3. कन्सल्टेंट के साथ दिनांक 06/03/2003 को इकरानाम निष्पादित किया गया । कन्सल्टेंट को कुल रुपये 12.50 लाख का भुगतान करना है । जिसमें रुपये 1.50 लाख अनुबंध के समय एवं शेष रुपये 11.00 लाख बिजनेस प्लान बनने के पश्चात् दिया जाना है ।
4. कन्सल्टेंट को दिनांक 14/10/2003 को प्रथम किस्त रुपये 1.50 लाख का भुगतान किया गया है ।
5. कल्सल्टेंट द्वारा एक बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसमें आवश्यक संशोधन पश्चात् दिनांक 27/09/03 को उन्हें इस कार्यलय द्वारा प्रेषित किया गया ।
6. दिनांक 05/03/2004 को कन्सल्टेंट के साथ बैठक की गई एवं निर्णय लिया गया कि औद्योगिक संगठनों, प्रमुख जिलों के अधिकारियों, उद्योगपतियों पृथक से बैठक आयोजित कर उनसे विचार/सुझाव इस बिजनेस प्लान में समाहित किया जाये ।
7. दिनांक 12/03/2004 को कन्सल्टेंट द्वारा संशोधित वर्क प्लान दिया गया ।
8. कन्सल्टेंट द्वारा निम्नानुसार बैठक आयोजित की गई ।

26/04/2004	रायपुर में
27/04/2004	दुर्ग–भिलाई में
28/04/2004	बिलासपुर में
29/04/2004	कोरबा में
30/04/2004	रायगढ़ में

उक्त सभी बैठकों मे सीआईआई से उनके राज्य प्रमुख श्री शुभ्रो बैनर्जी उपस्थित रहें ।

9. तत्पश्चात् मई 2004 में कन्सल्टेंट द्वारा पुनः दौरा किया गया एवं संबंधित जानकारियॉ एकत्रित की ।

10. कन्सल्टेंसी द्वारा जून 2004 में ड्राफट् बिजनेस प्लान प्रस्तुत किया । सितम्बर 2004 में कन्सल्टेंट में डायरेक्टर श्री प्रकाश राव ने कम्पनी छोड़ दी । यहॉ का कार्य उनके सहायक श्री जार्ज थामस देख रहे थे।

11. जुलाई 2004 में ड्राफ्ट बिजनेस प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई । चर्चा में कन्सल्टेट के अतिरिक्त विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारीयॉ से भी अभिमत लिया गया ।

12. तत्पश्चात् अगस्त, 2004 में अंतिम ड्राफ्ट बिजनेस प्लान प्रस्तुत किया गया । जिस पर अभिमत देना है ।

13. डिसम्बर 2004 में प्रभारी श्री जार्ज थामस भी कम्पनी छोड़ दिए तथा उनका प्रभार श्री अशोक राजगोपाल ने लिया ।

14. इस बीच कन्सल्टेंट से पुनः चर्चा की गई परन्तु काई प्रत्यत्तर नहीं मिला ।

15. कन्सल्टेंट को ड्राफ्ट बिजनेस प्लान को अंतिम रुप देने हेतु पुनः पत्र लिखा गया है ।

विषय : **नये औद्योगिक क्षेत्र हेतु कन्सलटेंट की नियुक्ति**

1) राज्य में नये औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने हेतु कन्सलटेंट की नियुक्ति किए जाने बाबत् इकानामिक्स टाइम्स में दिनांक 18/12/2004 को विज्ञापन प्रकाशित किया गिया था ।
2) कल 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से शार्ट लिस्ट करने हेतु कमेटी गठित की गई ।
3) कमटी द्वारा 10 प्रस्ताव को उपयुक्त पाया गया एवं 13/04/2005 को कन्सलटेंट द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया ।
4) चयन समिति द्वारा निम्न प्रस्तावों को उपयुक्त पाया गया ।
    1) मेसर्स घेरजी इस्टनी लिमि.
    2) मसर्स फीड बैक टर्नकी
    3) मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग
    4) मेसर्स एल एण्ड टी रामबोल
    5) मेसर्स मुकेश एसोसियेट्स

5) उक्त पांचो कन्सलटेंट से पुनः टी.ओ.आर तथा वित्तीय प्रस्ताव मंगाया गया ।
6) तत्पश्यात् कमेटी द्वारा अंतिम चयन की प्रक्रिया की गई है ।
7) मेसर्स कन्सलटिंग इजीनियरिंग सविर्सेस को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः बुलाया गया है ।

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd, Raipur

1. List of cases sent to Goi MOFPI for providing Financial Assistance as a Grant-in-aid

S.No.	Name & Address of the Concern	Main Promoter	Product	Case sent to Ministry
1.	M/s Sita Agro Tech. (P) Ltd., Behind District Court, Mill Para, Durg (C.G.)	Rajan Agrawal Naveen Agrawal	Rice	May 2003
2	Sanjay Grain Products (P) Ltd. IInd Floor Adeshwar Complex, Punjab Oil Mill Gali, Raipur	Sanjay Mittal Lalit Kumar Agrawal	Rice	12.09.2003
3	M/s Adarsh Rice Mill Rukmani Sadan Ramsaagarpara, Raipur (C.G.)	Krishna Kumar Agrawal	Rice	12.12.2003

4	M/s Shree Jagannath Poha & Rice Mill, Radha Mohan Complex, Baisthan, Raipur	Gitaram Agrawal	Parboiled Rice	12.12.2003
5	M/s Kamal Rice Mill Village Farahad (Paneka) District Rajanandgaon (C.G.)	Raj Kumar Agrawal	Rice	07.02.2004
6	M/s A.T.C. Rice Products Mohan Road, Rajnandgaon (C.G.)	Harish Agrawal	Rice	07.02.2004
7	M/s Agrawal Foods Village - Tilda P.O. Neora District Raipur (C.G.)	Om Prakash Agrawal	Parboiled Rice	26.03.2004
8	Shree Sita Agro Food (P) Ltd., Behind District Court, Mill Para, Durg (C.G.)	Ganesh Pd. Agrawal Rajen Agrawal	Fine Rice	06.04.2004
9	M/s Bajrang Agro Tech. (I) Pvt. Ltd., Industrial Estate, Dhamda Road, Durg (C.G.)	Satya Prakash Bansal Sunil Agrawal	Rice	07.0.2004
10	M/s Gurudeo Rice Mill Nawapara Rajim District Raipur (C.G.)	Gambhirmal Sanshla	Rice	19.04.2004
11	M/s Bhagwati Industries, Village Sakri Post Amaseoni District Raipur (C.G.)	Anand Agrawal	Rice	23.04.2004
12	M/s Maruti Agro Products (P) Ltd., Indusltrial Ara Raipur (C.G.)	Kamal Kishore Khetan Bimal Kishore Khetan	Maida, Atta, Suji & Bran	29.04.2004
13	Gopal Rice Industries, Village Sambalpur, Dhamtari District Dhamtari (C.G.)	Sanjay Agrawal	Rice	29.04.2004
14	M/s Ajay Poha Industries Village Patpar Bhatapara, District Raipur (C.G)	Jairam Das Kachhela	Poha	09.06.2004
15	M/s Ganesh Bakers (P) Ltd., Village Kachana, Amaseoni P.O. Saddu Raipur	Dilip Kumar Bareria	Biscuit	04.08.2004
16	M/s Raigarh Solvent Extraction Ltd., Village Sahdeopali, Raigarh (C.G)	Govind Ram Agrwal	Edible Oil Refinery	09.09.2004
17	M/s Chaitanya Solvex Limited, Village Meora (Tilda)	Shri Prem Chand Bagudia	Bran Rice Oil	26.03.04
18	M/s Food Products Village-Pathalgore District Jashpur	Shri S.P. Agrawal	Bread /Biscuit mrkg. unit	24.03.05
19.	M/s P.B.S. Oil Industries Village Arjuni District Dhamtari	Shayam Agrawal	Bran Rice Oil	

परिशिष्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए जा रहे वर्ष 2013–14 के मैन्यूअल में आई.पी.पी.डी. कक्ष से संबंधित संलग्न किये जाने वाले परिशिष्टों की जानकारी

अपैरल पार्क

अपैरल पार्क के अंतर्गत लगभग 8000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल की जी+3 फ्लैटेड फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण किया गया है भवन की लागत 1454.74 लाख है । पार्क में रेडीमेड गारमेंट एवं संबंधित उत्पादों के निर्माताओं को लीज पर स्थान उपलब्ध कराया जाना था । इस हेतु विज्ञापन के माध्यम से कई बार प्रयास किये गये परंतु कोई आवेदन प्राप्त नही हुए । निगम द्वारा शासन को पत्र क्रमांक 106 दिनांक 04.04.2013 के द्वारा इस स्थान पर आई.टी. कंपनियों को आकर्षित करने बाबत् अतिरिक्त/छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

लघु औद्योगिक क्षेत्र

निम्न आई.आई.डी.सी. केन्द्र की स्थापना कार्य प्रगति है । विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	औ.क्षेत्र का नाम	रकबा हेक्टे. में	परियोजना लागत	भारत सरकार से प्राप्त राशि
1	तिफरा (बिलासपुर)	57	1800	72.74
2	कापन (जांजगीर–चांपा)	43	1250	–
3	तेंदुआ (रायपुर)	21	1220	सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त
4	टेकनार (दंतेवाड़ा)	20	1086	सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त
5	बरतोरी (रायपुर)	24	1500	सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2012 (2 एवं 3 नवंबर 2013) :–

छत्तीसगढ़ राज्य को निवेश का बेहतर स्थान के रूप में स्थापित करने एवं राज्य की ब्रांडिंग करने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं से अवगत कराए जाने, निवेश हेतु प्रोत्साहित करने तथा राज्य में नैसर्गिक संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए मानव संसाधन के विकास के लिये वातावरण निर्मित करने हेतु नया रायपुर में दिनांक 2 एवं 3 नवंबर 2012 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें आयोजन में देश एवं विदेश के 500 से अधिक प्रमुख निवेशकों द्वारा भाग लिया गया जिससे कोर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम उद्योगों, इंजीनियरिंग इक्वीपमेंट, आटोमोबाईल एवं आटोमोटिव सहायक उद्योग, खाद्य एवं कृषि उत्पाद प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन, लघु वनोपज, हर्बल/मेडिसिनल उत्पादों का मूल्य संवर्धन, शहरी अधोसंरचना विकास, नई एवं नवीकरण ऊर्जा, आई.टी. एवं आई.डी.ई.एस. हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट, फार्मास्यूटिकल एवं बायो टेक्नॉलाजी, हेल्थकेयर एवं मेडिकल टूरिज्म में निवेश हेतु निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया ।

दिनांक 2 एवं 3 नवंबर 2012 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में देश एवं विदेशों से निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए है । दिनांक 3 नवंबर 2012 की स्थिति में एम.ओ.यू. के 137 प्रस्ताव तथा निवेश अभिरूचि के 135 इस प्रकार कुल 272 प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिनमें रू. 1,23,953 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिससे 6,21,670 रोजगार सृजित होने की संभावना है ।

मीट के दौरान बने वातावरण से नवंबर 2012 से आज तक कुल 410 एम.ओ.यू. और ई.ओ.आई. निष्पादित किये जा चुके है जिनमें लगभग रूपये 1,60,000 करोड़ के पूंजी निवेश से 10,00,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा । इस प्रकार आयोजन प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । इससे राज्य के नागरिकों को निश्चित ही लाभ होगा एवं रोजगार के अवसर निर्मित होंगे एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नयन होगा ।

आवेदक द्वारा चाहे गये नस्ती क्रमांक 1042/14 (आ. क्र. 2251 दि. 17.06.2014)

I request you to provide the information related to the status of eligibility of grant/assistance under National Mission on Food Processing (NMFP,2013-17) for Establishment/Up-gradation/ Modernisation of "Rice Milling Industry" in Chhattisgarh state.

State whether the Rice Mill ar e eligible or not for assistance undr NMFP. Provide the abocve information under Right to Information act 2005, I am ready to bear the cost of providing the information as per the rules made in this behalf.

प्रभारी, आईपीपीडी द्वारा प्रेषित जवाब (जावक क्रमांक 3222 दिनांक 28.06.2014)

:: जवाब ::

सदंर्भ :– लोक सूचना कक्ष का अशा.टीप क्र. 1042/14/2732 दिनांक 19.06.2014

उपरोक्त विषयांर्तगत आवेदक श्री गिरधर गिल्दा, दुर्ग द्वारा लोक सूचना के तहत् दिनांक 17.06.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर एन.एम.एफ.पी. 2013–17 में राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज को छत्तीसगढ़ राज्य के अंर्तगत अनुदान अथवा छूट के संबंध में जानकारी चाही गयी है।

National Mission on Food Processing (NMFP) योजना के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति (SLEC) की बैठक दिनांक 23.02.2013 के निर्णय के अनुपालन में ''राज्य की औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत राईस मिल, पैडी पारबायलिंग एवं क्लीनिंग, पोहा, मुरमुरा, मिनरल वाटर, सभी प्रकार के साफट ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक नेगेटिव लिस्ट में सम्मिलित है'', एन.एम.एफ.पी के अंतर्गत इन्हे तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि चावल से बने अन्य मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने वाली इकाईयॉ योजना के अंतर्गत लाभ हेतु नियमानुसार पात्र होंगी।

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2009–14 एवं छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012 (01 नवम्बर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक लागू) में राईस मिल को अपात्र उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है। इसी तारतम्य में National Mission on Food Processing (NMFP) 2013–17 योजना में लाभ हेतु पात्रता नहीं हैं।

सूचनार्थ

प्रभारी आई.पी.पी.डी

अन्य उपयोगी जानकारी

17.13 निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ Export Promotional Cell

परिशिष्ठ–19

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of C.G. Undertaking)
Marketing Branch: C-168, Tagore Nagar, Raipur (CG) 492001
Telephone 2427858, Fax 0771-2426381, email: csidcrpr@sify.com

No. CSIDC/Mkt/RPR/03/395 to 399 Raipur, Dtd. : 30-04-03

OFFICE ORDER

To review the Export Promotional Measures/ Projects/ Various Schemes of Govt. of India, an Export Promotional Committee has been formed which will meet in regular basis. The committee consists following:-

1. Managing Director, CSIDC Ltd.	Chairman
2. C.G.M.(Mkt. & Export Promotion)	Member
3. Project Co-ordinator, CSIDCL	Member
4. Manager (Exports), CSIDC LTd.	Member Secretary

This has the approval of M.D.

-S/d-
(S. K. Gupta)
Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

Endt. No.CSIDC/Mkt/RPR/03/ Raipur, Dtd. : 30-04-03
Copy to-
1. P A to Managing Director, CSIDC Ltd.
2. Project Co-Ordinator, CSIDC Ltd.
3. Manager (Exports), CSIDC Ltd. (Mkt. Dn.) ... for information please.
4. Office Records
5. Personal Records

Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

(परि.–19क्रमशः)

छत्तीसगढ़ स्टैट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी–168, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492001
दूरभाष : 0771–2427858 फैक्सः 0771–2426381

क्रमांक : सीएसआईडीसी / आर / विप / 03 / 169–175 रायपुर दि. 09 / 04 / 03

– कार्यालयीन आदेश –

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेषन लिमिटेड को छत्तीसगढ़ राजय में निर्यात संवर्धन से संबंधित कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा नोडल एजेंसी घोषित किया गया है तथा प्रबंध संचालक महोदय, सी एस आई डी सी को निर्यात आयुक्त घोषित किया गया है । संचालक मण्डल की 87 वीं बैठक में विपणन प्रभाग के अंतर्गत **"निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ"** का गठन का निर्णय लिया गया है ।

विपणन प्रभाग के अंतर्गत निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ का सम्पूर्ण दायित्व श्री पी. एस. बिसेन, प्रबंधक को सौंपा जाता है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावे ।
यह आदेश प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित है ।

––हस्ता––

(एस के गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक
(विपणन एवं निर्यात)

क्रमांक : सीएसआईडीसी / आर / विप / 03 / रायपुर दि. 09 / 04 / 03

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, सी एस आई डी सी लिमिटेड, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. निज सचिव, अपर प्रबंध संचालक, सी एस आई डी सी लिमिटेड, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. महाप्रबंधक (लेखा एवं वित्त), सी एस आई डी सी लिमिटेड, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महाप्रबंधक (स्थापना), सी एस आई डी सी लिमिटेड, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. श्री पी. एस. बिसेन, प्रबंधक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. आदेश नस्ती
7. व्यक्तिगत नस्ती

मुख्य महाप्रबंधक
(विपणन एवं निर्यात)

##654##

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

/ /आदेश/ /

रायपुर दिनांक मई 2010

क्रमांक एफ 1–9/2010/11/(6): विभाग के आदेश क्रमांक 326/प्र.सं./वा.उ./2002, दिनांक 19/03/2002 में संशोधन करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा आयुक्त उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर को तत्काल प्रभाव से प्रदेश का "एक्सपोर्ट कमिश्नर" पदेन नियुक्त करता है । एक्सपोर्ट कमिश्नर राज्य से निर्यात के विकास हेतु संबंधित सभी समन्वयक कार्य करेगा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(विनोद गुप्ता)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1–9/2010/11/(6) रायपुर, दिनांक 18 मई 2010
प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर ।
4. सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, नई दिल्ली ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव–शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
6. आयुक्त उद्योग, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर ।
7. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी पंडरी, रायपुर ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

17.14 लेखा प्रकोष्ठ (Accounts cell)

अन्य उपयोगी जानकारी

1. सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उत्तर

(1) भुगतानों संबंधी निर्णय की क्या प्रक्रिया है

भुगतान हेतु प्रकरण /देयकों का निगम में प्रचलित विभिन्न नियमों / निर्देशों के तहत् परीक्षण कर उन्हें निर्णय /स्वीकृति हेतु कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाता है । स्वीकृति पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जाती है ।

(2) क्या भुगतान किए जाने हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित है ।

स्वीकृति /अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत सामान्यतः 3–4 दिवस में भुगतान किया जाता है । वेतन देयकों का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अंदर किया जाता है एवं निर्माण/संधारण कार्यों के देयकों का भुगतान स्वीकृति/अनुमोदन के उपरांत किया जाता है ।

(3) भुगतान करने के पूर्व किन–किन स्तरों पर परीक्षण किया जाता है ।

प्रकरण की प्रकृति एवं अधिकारों के प्रत्योजन के अनुसार परीक्षण संबंधित कक्ष सहायक, सहा.प्रबंधक (लेखा), उप प्रबंधक (लेखा एवं वित्त), कार्यपालक संचालक / प्रबंध संचालक द्वारा किया जाता है ।

(4) भुगतान संबंधी अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है ।
प्रकरण की प्रकृति एवं अधिकारों के प्रत्योजन के अनुसार उप प्रबंधक (लेखा एवं वित्त) कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं ।

मैन्युअल –17
Manual - 17

सामान्य कक्ष
General Section

17.15

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।

प्रपत्र "क"

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत वेबसाईट में जानकारी देने बाबत्।

संदर्भ :– लोक सूचना कक्ष की नस्ती में नोटशीट पृ.क्र.–2 की टीप – "A"

निगम के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न कार्यालयों, औद्योगिक क्षेत्रों, आदि में आऊट सोर्सिंग व्यवस्था अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों यथा चौकीदार/भृत्य, वाहन चालक, कम्प्युटर ऑपरेटर आदि के श्रेणी के कर्मी उपलब्ध कराने हेतु, "बुंदेलॉज सिक्युरिटॉस एण्ड कंसलटेन्ट प्रा.लि., L/34 यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर (छ.ग.) से तीन (03) वर्ष की अवधि हेतु अनुबंध निष्पादन किया गया है। इस अनुबंध अनुसार उक्त संस्था द्वारा कार्यादेश अनुरूप दिनांक 16.03.2015 से कार्य प्रारम्भ किया गया है।

उक्त संस्था का (1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पंजीयन क्रमांक : CG/RAI/0018478/000 तथा (2) कर्मचारी राज्य बीमा पंजीयन क्रमांक : 59000001880001018 है। तद्नुसार संबंधित अधिनियमों के अनुसार नियोक्ता का अंशदान की राशि का, निगम द्वारा प्रत्येक माह वेतन राशि के साथ उक्त संस्था को भुगतान किया जाता है।

13/7/16

प्रबंधक (सा.)

मैन्युअल–17
Manual - 17

संपदा प्रकोष्ठ
Estate Managment Cell

17.16

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।

निरंक

मैन्युअल–17
Manual – 17
CSR & Rehabilitation Section

17.17

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।

निरंक

मैन्युअल–17
Manual – 17
Public Information Section

लोक सूचना कक्ष

17.18 अन्य कोई सूचना विहित की जावें ।

वार्षिक प्रतिवेदन 2014 का विवरण

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : कार्या.– 0771–6002071,72,73, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com
PAN : AABCM6288N, ST Regn No. AABCM6288NSD004

क्र.: सीएसआईडीसी / लो.सू. / वा.प्रति–14 / रायपुर, दिनांक / 01 / 2015

प्रति,

श्री जी.एल. सांकला,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
महानदी भवन मंत्रालय,
नया–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014 हेतु संशोधित जानकारी भेजने के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक एफ–15–61 / 2011 / 11 / 6, नया रायपुर दिनांक 09.12.2014

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत् सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् वार्षिक प्रतिवेदन माह– जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक की जानकारी निर्धारित परिशिष्ट 4.1 से 4.5 एवं परिशिष्ट 4.7 से 4.9 में भरकर संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(सालोमन मैथ्यू सिलाह)
कार्यपालक संचालक

परिशिष्ट – 4.1

विभागीय जानकारी धारा 4(1) ख के अंतर्गत प्रसारित करने वाले लोक प्राधिकारियों का विवरण वर्ष–2014

विभाग	लोक प्राधिकारी की संख्या	धारा (4)(1) ख के अंतर्गत प्रकाशन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या	विभागीय मैन्युअल अद्यतन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या	इन्टरनेट पर मैन्युअल प्रसारित करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	1	01 (समस्त संबंधित कक्ष प्रभारी एवं शाखा प्रभारी)	01 (समस्त संबंधित कक्ष प्रभारी एवं शाखा प्रभारी)	01 (समस्त संबंधित कक्ष प्रभारी एवं शाखा प्रभारी)

परिशिष्ट – 4.2

विभागीय जनसूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का विवरण वर्ष – 2014

क्र.	विभाग	लोक प्राधिकारियों की संख्या	जनसूचना अधिकारियों की संख्या	सहायक जनसूचना अधिकारियों की संख्या	अपीलीय अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	1	1	2	1

परिशिष्ट – 4.3

राज्य शासन एवं लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण का विवरण वर्ष–2014

क्र.	विभाग	प्रशिक्षित जनसूचना अधिकारियों/सहायक जनसूचना अधिकारियों/अन्य अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित अशासकीय संस्था/जन प्रतिनिधि की संख्या
1	2	3	4
1.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	40	निरंक

परिशिष्ट – 4.4

सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण वर्ष–2014

विभाग	कार्यालय का नाम	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या 2013	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या 2014	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की कुल संख्या	शेष आवेदनों की संख्या (दिसम्बर 2014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	12	233	245	233	निरंक	241	04

परिशिष्ट – 4.5

प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये अपीलों का विवरण वर्ष– 2014

विभाग	गत वर्ष के लंबित अपील प्रकरणों की संख्या 2013	वर्ष में प्राप्त अपीलों की संख्या 2014	योग (कॉलम 2+3)	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या	शेष अपीलों की संख्या दिसम्बर 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	निरंक	22	22	22	निरंक	22	निरंक

लोक प्राधिकारियों एवं जनसूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित फीस एवं अभिलेख शुल्क का विवरण वर्ष–2014

विभाग	अधिनियम की धारा–4(4) के तहत् संकलित राशि का विवरण (प्रसारण एवं संधारण शुल्क)	अधिनियम की धारा–6(1) के तहत् प्राप्त फीस का विवरण (आवेदन शुल्क)	अधिनियम की धारा–7(1) के तहत् प्राप्त फीस का विवरण (जानकारी शुल्क)	अधिनियम की धारा–7(5) के तहत् प्राप्त फीस का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक्स आदि से शुल्क)	अन्य संकलित राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	निरंक	570/– + 100/– 670/–	रू. 3028/–	निरंक	–	रू. 3698/–
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	निरंक	400/– + 400/– 800/–	रू. 1362/–	निरंक	–	रू. 2162/–
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	निरंक	490/– + 300/– 790/–	रू. 3464/–	निरंक	–	रू. 4254/–
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	निरंक	420/– + 300/– 720/–	रू. 2966/–	निरंक	–	रू. 3686/–
यांगः–	**निरंक**	**2980/–**	**10820/–**	**–**	**–**	**13,800/–**

परिशिष्ट – 4.8

धारा 6(1) के अंतर्गत् प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में श्रेणीवार विवरण वर्ष– 2014

विभाग	प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या								
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल	गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत् प्राप्त	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	पिछड़ा वर्ग की संख्या	अन्य वर्ग	योग *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	56	05	61	निरंक	–	–	–	–	61
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	52	02	54	निरंक	–	–	–	–	54
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	66	03	69	निरंक	–	–	–	–	69
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	47	02	47	निरंक	–	–	–	–	49
योग :–	**221**	**12**	**233**	**निरंक**	**–**	**–**	**–**	**–**	**233**

* नोट :– प्राप्त आवेदनों में आवेदक द्वारा श्रेणी/वर्ग स्पष्ट नही करने से जानकारी अनुपलब्ध है ।

परिशिष्ट – 4.9

धारा 6(1) के अंतर्गत् प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में श्रेणीवार विवरण वर्ष– 2014

विभाग	प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या					
	शासकीय सेवक	पत्रकार	सामाजिक कार्यकर्ता	महिला	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	04	02	निरंक	01	54	61
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	02	02	02	02	46	54
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	03	05	02	02	57	69
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नं. 01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छ.ग.)	12	02	निरंक	निरंक	35	49
योग :–	**21**	**11**	**04**	**05**	**192**	**233**

सीएसआईडीसी, रायपुर
प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपीलीय प्रकरण की सूची – 2014–15

क्र.	अपील क्रमांक	अपीलार्थी का नाम/पता	सुनवाई दिनांक	आदेश पारित दिनांक
1.	96/14	श्री मनीष शर्मा, रायपुर	17.01.2014	17.01.2014
2.	97/14	श्री खिलेश्वर साहू, दुर्ग	17.01.2014	17.01.2014
3.	98/14	मो. हुसैन जकरीया, रायपुर	07.05.2014	07.05.2014
4.	99/14	श्री मनीष कुमार पी, भोपाल	26.05.2014	27.05.2014
5.	100/14	श्री ध्रुवधर, नई दिल्ली	26.05.2014	27.05.2014
6.	101/14	श्री आलोक शुक्ला, रायपुर	24.06.2014	24.06.2014
7.	102/14	मो. फिरोज, रायपुर	24.06.2014	24.06.2014
8.	103/14	श्री अनिल साखरे, भिलाई	04.07.2014	04.07.2014
9.	104/14	श्री रामनारायण कोरी, दुर्ग	17.07.2014	21.07.2014
10.	105/14	श्री सुभाष शर्मा, नई दिल्ली	17.07.2014	26.07.2014
11.	106/14	श्री व्ही.एच.पी. राव, रायपुर	06.08.2014	08.08.2014
12.	107/14	श्री अनिल साखरे, भिलाई	06.08.2014	08.08.2014
13.	108/14	मो. इकबाल अहमद, रायपुर	06.08.2014	08.08.2014
14.	109/14	श्री अमित कुमार अग्रवाल, रायपुर	09.09.2014	26.09.2014
15.	110/14	श्री सुभाष शर्मा, नई दिल्ली	24.09.2014	24.09.2014
16.	111/14	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	25.09.2014	01.01.2014
17'.	112/14	श्री निखिल चतुर्वेदी, रायपुर	28.10.2014	07.11.2014
18.	113/14	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	14.11.2014	17.11.2014
19.	114/14	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	14.11.2014	17.11.2014
20.	115/14	श्री उमेश पासवान, अहिवारा	18.11.2014	19.11.2014
21.	116/14	श्री गणेशराम केंवट, रायपुर	11.12.2014	15.12.2014
22.	117/14	मो. अकरम, रायपुर	16.12.2014	16.12.2014
23.	118/15	श्री राजकुमार अग्रवाल, रायगढ़	30.01.2015	25.02.2015
25.	119/15	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	19.02.2015	24.03.2015

26.	120 / 15	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	19.02.2015	24.03.2015
27.	121 / 15	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	19.02.2015	24.03.2015
28.	122 / 15	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	19.02.2015	24.03.2015
29.	123 / 15	श्री अनिल अग्रवाल, रायपुर	19.02.2015	20.02.2015
30.	124 / 15	श्री अनिल अग्रवाल, रायपुर	19.02.2015	20.02.2015
31.	125 / 15	श्री अनिल अग्रवाल, रायपुर	19.02.2015	20.02.2015
32.	126 / 15	श्री परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर	27.02.2015	24.03.2015
33.	127 / 15	श्री माधो देवांगन, सारंगढ़	10.03.2015	24.03.2015
34.	128 / 15	श्री एस.पी. चटर्जी, रायपुर	20.04.2015	20.04.2015

सीएसआईडीसी, रायपुर
राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपीलीय प्रकरण की सूची – 2013

क्र.	प्रकरण क्र.	रा.सू.आ. का पत्र क्रमांक	आवेदन का नाम/आवेदन नस्ती	सुनवाई दिनांक	विषय	निर्णय/आदेश का दिनांक
1.	A/1765/2012/13-12-2012	14228/वा.01/प्र.क्र. A/1765/2012, रायपुर	श्री राजकुमार दुबे, गुलाब गली, झंडा चौक टिकरापारा, रायपुर	18.01.2013 समय 10:30 बजे	मे. रोजर पावर से संबंधित जानकारी विलंब से प्राप्त होना एवं अपूर्ण प्राप्त होना, उरला इण्ड. एरिया भू.क्र. 704 पार्ट ABC/705 ABC की जानकारी	जवाब प्रेषित दिनांक/सुनवाई तिथि 27.02.13 को 10:30 बजे। प्रकरण निराकृत दिनांक 27.02.13
2.	आ.क्र. 16045 दि. 14.03.13	2468/वा.03/छ.ग.रा.सू.आ./शिका. प्र.क्र. 590/09/दि. 06.03.2013	श्री राधेश्याम देवांगन आर्यनगर, इन्द्रलोक कालोनी के पीछे, दुर्ग	04.04.2013 समय 12:00 बजे	अवर सचिव, छ.ग. शासन वा. एवं उ. विभाग से अनगरीय (शासकीय कार्यालयों में आने वाली सामग्रियों को क्रम, भंडार नियम–02 की जानकारी)	जवाब प्रेषित दिनांक/सुनवाई तिथि 04.04.13 को समय 12:00 बजे सुनवाई पूर्ण प्रकरण निराकृत
3.	छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर को प्राप्त	शिकायत	श्री श्रीकांत देवांगन	13.06.2013 समय 10:30 बजे	वा. एवं उ. विभाग छ.ग. शासन द्वारा सूचित किया गया व अपील में उपस्थित होने का आदेश दिया गया	जवाब प्रस्तुत सुनवाई पूर्ण प्रकरण निराकृत
4.	आ. क्र. 116 दि. 03.04.13	C/60/2013 दि. 25.12.2012	श्री जयगोपाल सोनी विरूद्ध ज.सू. अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंग	09.04.2013 समय 02:00 बजे	शिकायतकर्ता ने 70 दिनों बाद जानकारी मिलने एवं अंत दिन नही करने के कारण आयोग में शिकायत की है अन्य बिन्दुओं को अभी आधार बनाया है	सुनवाई पूर्ण 2 अपील समान विषयवस्तु पर की गई जवाब प्रेषित 1) आदेश प्राप्त प्रकरण निराकृत

क्रमशः.....2

सीएसआईडीसी, रायपुर

क्र.	प्रकरण क्र.	रा.सू.आ. का पत्र क्रमांक	आवेदन का नाम/आवेदन नस्ती	सुनवाई दिनांक	विषय	निर्णय/आदेश का दिनांक
5.	A/1386/2013/रायपुर	6703/वा.01/प्र.क्र. A/1386/2013/ रायपुर	श्री बी. सत्यनारायण, सचिवालयीन सहायक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, मुख्यालय रायपुर	15.07.2013 समय 10:30 बजे	अधूरी भ्रामक जानकारी देने बाबत् (नवीन सेटअप सीएसआईडीसी में सचिवालयीन सहायक की अगामी पदोन्नित किस पद/वेतनमान/ अवधि में होगी)	सुनवाई में लो.सू.अधि., प्र.अ. अधि., सहा. लो.सू. अधि., महाप्रबंधक (का.एवं प्रशा.) सहा. प्रबंधक (का. प्रशा.) उपस्थित हुए, अपील खारिज दिनांक 15.07.13 प्रकरण निराकृत
6.	A/1384/2013/रायपुर	6728/वा.01/प्र.क्र./ A/1384/2013/रायपुर	श्री के.व्ही.एम कुमार, PBX सीएसआईडीसी, तक.–06, उद्योग भवन, मुख्यालय, रायपुर	16.07.2013 समय 10:30 बजे	अधूरी/भ्रामक जानकारी देने पर लो.सू.अधि./प्र.अ. अधि. के विरूद्ध नवीन सेटअप में PBX OP (डाईग केडट) में अगली पदोन्नित किस पद/वेतनमान पर होगी	सुनवाई में लो.सू. अधि./ प्र.अ. अधि./सहा. लो.सू.अ. /उपस्थित दि. 16.07.13 प्रकरण निराकृत
7.	A/1039/2012	9363/छ.ग. रा.सू.आ./वा.03/1039/12 रायपुर दि. 12.07.2013	श्री संजय शर्मा, प्रधान संपादक, (जवाबदार पहल), जिला–नैला, जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)	09.07.13, 23.07.13, 20.08.13	जिला–जांजगीर–चांपा में किन–किन औ. संस्थानों के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की गई अथवा की जानी है, प्रमाणित छायाप्रति	सुनवाइ पूर्ण जानकारी की 47 पृष्ठों की प्रेषित पत्र क्र. 7717 दि. 24.08.2013 रू. 500/– क्षतिपूर्ति आदेश किया, जमा राशि अपीलार्थी को भेज दी गई प्रकरण निराकृत
8.	A/192/2012 रायपुर दिनांक 17.07.2013	10221/छ.ग.रा.सू. आ./वा.03/192/12 रायपुर, दिनांक 02.08.2013	श्री संजय शर्मा, प्रधान संपादक, (जवाबदार पहल), जिला–नैला, जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)	09.07.13, 23.07.13, 20.08.13	विभिन्न औ. संस्थानों के पावर प्लांटों की पायविरणीय जन सुनवाई के जिला का केन्द्र जांजगीर–चांपा को जानकारी बाबत् (जारी सूचना एवं संभागों) की छायाप्रति बाबत्	सुनवाई पूर्ण जानकारी निरंक प्रेषित पत्र क्र. 7692 दि. 23.08.13 रू. 500/– क्षतिपूर्ति आदेश किया, जमा राशि अपीलार्थी को भेज दी गई प्रकरण निराकृत

क्रमशः.....3

सीएसआईडीसी, रायपुर

क्र.	प्रकरण क्र.	रा.सू.आ. का पत्र क्रमांक	आवेदन का नाम/आवेदन नस्ती	सुनवाई दिनांक	विषय	निर्णय/आदेश का दिनांक
9.	A/1637/2012, शिकायत दिनांक 07.09.2013	9368/छ.ग.रा.सू. आ./वा.03/12.07.2013, रायपुर	श्री संजय शर्मा, प्रधान संपादक, (जवाबदार पहल), जिला–नैला, जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)	09.07.13, 23.07.13, 20.08.13	मे. आर.के.एम. गेन, प्रा.लि. के निर्माण से प्रभावित परि. को शासन की पुर्नवास नीति के तहत् नौकरी/भत्ता देने बाबत्	सुनवाई पूर्ण जानकारी "निरंक" प्रेषित पत्र जा.क्र. 7690/23.08.13 रू. 500/– क्षतिपूर्ति आदेश किया, जमा राशि अपीलार्थी को भेज दी गई प्रकरण निराकृत
10.	A/203/2012, रायपुर	10666/छ.ग.रा.सू.आ./वा. 03/203/13/रायपुर दि. 08.08.2013	श्री संजय शर्मा, प्रधान संपादक, (जवाबदार पहल), जिला–नैला, जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)	09.07.13, 23.07.13, 20.08.13	जिला–जांजगीर–चांपा में विभिन्न औ. संस्थानों के लिए अब तक कितनी जमीने अधिग्रहित की गई है उनसे संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति	सुनवाई पूर्ण, पत्र क्र. 7719/दि. 24.08.13 द्वारा 22 पृष्ठों को जानकारी प्रेषित रू. 300/– क्षतिपूर्ति आदेश किया, जमा राशि अपीलार्थी को भेज दी गई प्रकरण निराकृत
11.	A/1050/2012, रायपुर	9366/छ.ग.रा.सू.आ./वा.03/1050/12 रायपुर दिनांक 17.07.2013	श्री संजय शर्मा, प्रधान संपादक, (जवाबदार पहल), जिला–नैला, जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)	09.07.13, 23.07.13, 20.08.13	जिला–जांजगीर–चांपा में विभिन्न पावर प्लांटों में शासन की पुर्नवास नीति के तहत आज दिनांक तक प्रभावित परिवारों को नौकरी/भत्ता दिये जाने की पृथक–पृथक प्लांटवार जानकारी देने बाबत्	सुनवाई पूर्ण पत्र क्र. 7710 दि. 23.08.2013 द्वारा कुल 382 पृष्ठों की जानकारी प्रेषित की गई, रू. 300/– क्षतिपूर्ति आदेश किया, जमा राशि अपीलार्थी को भेज दी प्रकरण निराकृत

क्रमशः.....4

सीएसआईडीसी, रायपुर

क्र.	प्रकरण क्र.	रा.सू.आ. का पत्र क्रमांक	आवेदन का नाम/आवेदन नस्ती	सुनवाई दिनांक	विषय	निर्णय/आदेश का दिनांक
12.	A/1046/2012, रायपुर	10668/छ.ग.रा.सू.आ./वा.03/1046/12 रायपुर दिनांक 08.08.2013	श्री संजय शर्मा, प्रधान संपादक, (जवाबदार पहल), जिला–नैला, जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)	09.07.13, 23.07.13, 20.08.13	मे. के.एस.के. महानदी वर्धा पावर कंपनी लिमि. के निर्माण से प्रभावित परिवारों को शासन की पुर्नवास नीति के तहत् नौकरी/काम पर दिये जाने वालों की सूची से संबंधित जानकारी	सुनवाई पूर्ण पत्र क्र. 7710 दि. 23.08.2013 द्वारा कुल 382 पृष्ठों की जानकारी प्रेषित की गई, रू. 300/– क्षतिपूर्ति आदेश किया, जमा राशि अपीलार्थी को भेज दी गई, उपरोक्त के साथ शामिल कर जानकारी प्रेषित, प्रकरण निराकृत
13.	A/2231/2013, रायपुर	13223/वा.01/प्र.क्र. A/2231/2013 रायपुर दिनांक 30.09.2013	श्री विजय कुमार रात्रे, अभनपुर	07.11.2013 समय 10:30 बजे	उत्पादन इकाईयों में किये गये कार्यों केश मेमो फर्नीचर निर्माण स्टील में अनियमितता आदि का रिकार्ड शिकायत निवारण आदि से संबंधित	आदेश पारित अपील खारिज की गई आयोग का आदेश पत्र क्र. 25346, दिनांक 20.11. 2013 प्राप्त हुआ। प्रकरण निराकृत

सीएसआईडीसी, रायपुर

राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपीलीय प्रकरण की सूची – 2014-15

क्र.	प्रकरण क्र.	रा.सू.आ. का पत्र क्रमांक	आवेदन का नाम/आवेदन नस्ती	सुनवाई दिनांक	विषय	निर्णय/आदेश का दिनांक
1.	A/2595/2013 रायपुर	16061/वा.01/प्र.क्र./ A/2595/13, रायपुर दिनांक 07.12.2013	सुश्री ऋचा पांडे, बिलासपुर (अधि. गंजपारा, बांसटाल, देशबंधु के पीछे, स्टेशन रोड, रायपुर)	21.01.2014 समय 10:30 बजे	मे. शांति माइनिंग कंपनी/श्री माइनिंग कंपनी के भू–आबंटन के संबंधित जानकारी उपलब्ध नही कराने पर	आदेश पारित जानकारी अपीलार्थी को सौप दी गई है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही अपेक्षित । प्रकरण निराकृत
2.	A/107/2014 रायपुर	1666/वा.01/प्र.क्र. A/107/2014 रायपुर दिनांक 24.01.2014	व्ही.एच.पी. राव, वरिष्ठ सहायक, सीएसआईडीसी मुख्यालय, रायपुर	10.03.2014 समय 10:30 बजे	सीएसआईडीसी में सीधी भर्ती बिन्दु क्र. 01 से 07 तक की जानकारी नही देने पर	सुनवाई पूर्ण दिनांक 10.03.2014 आदेश प्राप्त नही हुआ ।
3.	A/174/2014, रायपुर	3102/वा.01/प्र.क्र. A/174/2014 रायपुर दिनांक 11.02.2014	श्री यू.सी. देवांगन, सहायक प्रबंधक, सीएसआईडीसी मुख्यालय, रायपुर (15.05.14 समय 10:30 बजे)	1) 27.03.14 समय 10:30 बजे	वेतनवृद्धि रोकने संबंधित शासन के आदेश पत्राचार आदि प्राप्त करने हेतु	आगामी सुनवाई बढ़ाई तिथि 15.07.2014 को समय 10:30 बजे
4.	C/533/2013	789/वा.03/शिकायत प्र.क्र.C/533/2013, जांजगीर चांपा, रायपुर दिनांक 13.01.2014	श्री जयगोपाल सोनी मातेश्वरी मंदिर रोड, सोनर पारा–चांपा, जिला– जांजगीर–चांपा, चांपा–495671, छत्तीसगढ़	1) 12.03.14 समय 12:00 बजे 2) 30.04.14 3) 17.07.14	पूर्व में प्रस्तुत आपील पर पुनः शिकायत दर्ज कराने हुए सुनवाई हेतु बुलाया गया । C/140/2013, C/60/2013, C/140/2013, C/181/2013	सुनवाई पर उपस्थित हुए दिनांक 30.04.2014 पुनः 17.07.2014 को उपस्थिति नोटिस प्राप्त
5.	A/297/2014/ रायपुर	4270/वा.01/प्र.क्र.A/297/2014/ रायपुर, दिनांक 19.02.2014	श्री जयदीप परगनिहा, ईदगाहभाठा, मंगलबाजार, गली नं. 01, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	05.05.2014 आगामी सुनवाई 28.05.2014	मे. जयसवाल निको द्वारा भू–अर्जन से प्रभावितों को नौकरी देने बाबत्	28.05.2014 सुनवाई पूर्ण आदेश प्राप्त दिनांक 08.07.14 अपील खारिज ।
6.	A/688/2014/ रायपुर	5701/वा.01/प्र.क्र.A/688/2014/ रायपुर, दिनांक 05.05.2014	श्री पी. व्ही. जोशी, सहायक महाप्रबंधक, (मानव संसाधन प्रबंधन), मेसर्स जयसवाल निक्को इण्ड. लिमि.,औ. क्षेत्र, सिलतरा, फेज–I, रायपुर (छ.ग.)	28.05.2014 समय 10:30 बजे	"जयसवाल निको" द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध दायर	उपस्थित/सुनवाई पूर्ण निर्णय अपेक्षित सुनवाई पूर्ण 28.05.2014

7.	A/2707/2014	16090/वा.1/प्र.क्र.A/2707/2014 रायपुर, दिनांक 10.10.2014	श्री इकबाल अहमद, रहिम मंजिल मौदहापारा, पंजाब टायर्स के पास, रायपुर (छ.ग.)	14.11.2014 समय 10:30 बजे	सीएसआईडीसी में संविलियन निगम एवं अन्य निगमों से संबंधित कर्मचारियों की जानकारी के अवलोकन नहीं करते हुए प्राप्त करने बाबत्।	आयोग का आदेश पत्र क्र. 19337/छगरासूआ/वा. 01/अपील प्र.क्र. A/2707/14 दिनांक 10.12.2014 अपील अस्वीकार किया जाता है।
8.	A/3488/2014	648/वा.1/प्र.क्र. A/3488/2014 रायपुर, दिनांक 13.01.2015	श्री निखिल चतुर्वेदी, सिंचाई कालोनी के सामने, सरोरा, तिल्दा, पो. नेवरा, जिला- रायपुर (छ.ग.)	12.02.2015 समय 10:30 बजे	लीजडीड की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। आधी-अधुरी भ्रामक जानकारी देने के कारण	सुनवाई पूर्ण, जवाब प्रस्तुत 1084/द्वि.अ./11515 दिनांक 06.02.2015

मैन्युअल–17

Manual - 17

उत्पादन इकाई कक्ष
Furniture Unit

17.19 <u>अन्य उपयोगी जानकारियां</u>

संभावित प्रश्न

फर्नीचर निर्माण का कार्य कहॉ–कहॉ किया जाता है।

संभावित उत्तर

फर्नीचर निर्माण का कार्य (वुडन) अभनपुर,(स्टील)भिलाई मे किया जाता है।

परिशिष्ट

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of C.G. Undertaking)
Marketing Branch: C-168, Tagore Nagar, Raipur (CG) 492001
Telephone 2427858, Fax 0771-2426381, email: csidcrpr@sify.com

No. CSIDC/Mkt/RPR/03/379 to 383 Raipur, Dtd. : 30-04-03

ORDER

To review functioning of Testing Lab / LRaw Material Depot/ Manufacturing Unit at Bhilai and Abhanpur / Emporiums, a Co-Ordination Committee has been formed which will meet once in a month. The committee consists following :-

1. Managing Director, CSIDC Ltd.	Chairman
2. C.G.M.(Mkt. & Export Promotion)	Member
3. General Manager (Fin.)	Member
4. Manager Co-ordination	Member Secretary

-S/d-
(S. K. Gupta)
Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

Endt. No.CSIDC/Mkt/RPR/03/383 Raipur, Dtd. : 30-04-03
Copy to-
1. P A to MD CSIDC Ltd.
2. general Manager (Fin.), CSIDC Ltd.
3. Manager, Coordination, CSIDC Ltd. (Mkt. Dn. ... for information please.
4. Office Records
5. Personal Records

Chief General Manager
(Mkt. & Export Promotion)

परिशिष्ठ–22

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : एफ–5–7/2002/(6) रायपुर दि. 31/10/02

आदेश

राज्य शासन एतदद्वारा मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम की छत्तीसगढ राज्य में स्थित दो इकाईयों अर्थात फर्नीचर वक्स, अभनपुर तथा कृषि उपकर कारखाना, भिलाई को उनके अमले सहित छत्तीसगढ़ स्टैट इंडस्ट्रीलय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नियंत्रण में दिनांक 31 मार्च 2002 की स्थिति में प्रावधिक रूप से अधिग्रहित करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से तथा
आदेषानुसार

––हस्ता––
(आर. के. श्रीवास्तव)
अवर–सचिव
छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

क्रमांक : एफ–5–7/2002/(6)/11/वा.उ./ रायपुर दि. 31/10/02

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्री/राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, पंचानन भवन, मालवीय नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर पत्र दिनांक 18.06.2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संचालक, संस्थागत, वित्त मंत्रालय, रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड, बी–4, एम. आर. कालोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपुर्याक्तानुसार इकाईयों के अधिग्रहरण करने से उनके प्रबंधन व अमले की स्थापना व्यय पर छत्तीसगढ़ शासन एवं आपके निगम का कोई वित्तीय भार न पड़े।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
8. प्रबंधक, फर्निचर वर्क्स अभनपुर एवं कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक निगम मर्या. की ओर सेचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्या., भोपाल की छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भिलाई तथा अभनपुर इकाईयों का संचालन इस प्रकार किया जावे कि इस पर होने वाला कोई भी वित्तीय भार छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को न पड़े।

(आर. के. श्रीवास्तव)
अवर–सचिव
छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग

PROGRESS REPORT
OF PRODUCTION UNITS OF C.S.I.D.C.

(After Provisional Takeover in CSIDCL)

Name of Unit	Particular	Financial Year			Remarks
		2002-03	2003-04	2004-05	
Furniture Works, Abhanpur	Sale	22.87	167.65	141.49	
	Expenditure	30.41	166.37	136.08	
	Profit/Loss	**-7.53**	**2.28**	**5.41**	
Agri. Impl. Factory, Bhilai	Sale	28.95	96.66	126.56	
	Expenditure	29.44	92.55	123.88	
	Profit/Loss	**-0.49**	**4.10**	**2.68**	
GRAND TOTAL	Sale	51.82	264.31	268.05	
	Expenditure	59.85	258.93	259.96	
	Profit/Loss	**-8.03**	**6.38**	**-8.09**	

-S/d-
Manager (Production)

उत्पादन इकाई फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर के वर्षवार उत्पादन विक्रय एवं लाभ–हानि का विवरण वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2012–13

क्र.	वित्तीय वर्ष	उत्पादन	विक्रय / ट्रेडिंग सहित	शुद्ध लाभ–हानि
1	2005–06	1,36,54,795	2,47,79,768	(+) 14,20,423
2	2006–07	50,97,666	1,95,52,117	(–) 5,84,545
3	2007–08	1,16,08,466	2,92,81,804	(+) 18,20,994
4	2008–09	4,27,63,442	4,83,29,655	(+) 11,35,023
5	2009–10	2,39,01,173	2,78,25,234	(–) 12,44,471
6	2010–11	2,44,29,977	2,95,61,489	(+) 15,93,108
7	2011–12	6,41,91,470	6,62,31,424	(+) 21,90,677
8	2012–13	11,58,03,891	13,93,41,002	(+) 17,20,825

THE CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPN.LTD.
A.I.F. BHILAI
FIGURE OF PRODUCTION SALE & PROFIT/LOSS FROM 2005-06 TO 2012-13

S/N.	YEAR	PRODN	SALE/Including/Trading	NET PROFIT/LOSS Rs.in (Lacs)
			TOTAL	
1	2005-06	106.97	352.81	(+) 6.60
2	2006-07	144.51	169.71	(+) 8.17
3	2007-08	64.82	73.09	(-) 8.75
4	2008-09	68.21	94.24	(-) 12.42
5	2009-10	44.83	47.80	(+) 0.11
6	2010-11	135	179	(-) 6.93
7	2011-12	507.90	581.08	(+) 39.11
8	2012-13	574.85	586.40	(+) 30.21

मैन्युअल–17

Manual - 17

Testing lab, Bhilai

परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.

Quality marking & Testing Laboratary, Bhilai

Testing Charges with effect from dated 01.04.2013

SL. No.	Type of Tests	TestingCharges inRs + Service Tax Extra (as applicable)
23.	Complete tests Steel Bars for concrete reinforcement (Tor Steels etc.) Mech. & Chem. Tests as per IS	1440.00
24.	Complete Tests of H.D. Wire/M.S. Wire Rods (Mech. & Chem. tests as per IS.)	1440.00
25.	Complete Tests of M.S. Wire for Gen. Engg. Purpose (Mechanical & Chemical Tests as per IS)	1440.00
26.	Complete Test of any Metallic/Non Metallic Materials	1440.00
27.	Any Specific Mech./Physical Test of Metallic/Non-Metallic Material (Uncategorised)	500.00
28.	Complete test of Individual wire of GI Stay wire & Standard conductors as per IS:	3000.00
29.a	Load/proof load test of wire Rope chain & Hook etc in Horizontal wire & Rope Testing Machine upto 50MT	500.00
b	Load/proof load test of wire Rope chain & Hook etc in Horizontal wire & Rope Testing Machine from 51 to 75 MT	1000.00
c	Load/proof load test of wire Rope chain & Hook etc in Horizontal wire & Rope Testing Machine from 76 to 100 MT	2000.00
d	Load/proof load test of wire Rope chain & Hook etc in Horizontal wire & Rope Testing Machine above 100 MT	3000.00

B CIVIL ENGG.TESTS (Building Materials)

1.	Crushing Strength of Cubes/Bricks (upto six Pieces)	400.00
2.	Water absorption on Bricks/Tiles & other (Upto Six Pieces)	330.00
3.	Transverse/ Flexural Strength of Tiles (Upto Six Pieces)	400.00
4.	Tile Abrasion (Resistance to Wear)(Upto Six Pieces)	530.00

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.

Quality marking & Testing Laboratary, Bhilai

Testing Charges with effect from dated 01.04.2013

Sl. No.	Type of Tests	TestingCharges InRs + Service Tax Extra (as applicable)
5.	Density of Brick/Cube (Upto Six Pieces)	200.00
6.	Dimesions & Visual Examination of Bricks/Tiles & Other (Upto Six Pieces)	170.00
7.	Acid Solubility of Building Material (Tiles/Pipes etc, (Resistance of Acid/Alkali)	330.00
8.	Fineness/Particle Size analysis of Cement/Sand/ Aggregate etc.	330.00
9.	Impact Test of Aggregate	330.00
10.	Abrasion Test of Aggregate	400.00
11.	Crushing (Compressive) Strength of Aggregates etc.	330.00
12.	Complete Test of Terrazo & Other Tiles (As per IS)	1320.00
13.	P.I. of Moorum	800.00
14.	CBR of Moorum	1600.00
15.	Compaction Test of Moorum	900.00
16.	General Tests, Such As; Bulk Density Specific Gravity, Flankiness, Warpage, Straightness, Mositure, Deleterious Material, Soundness and other similar Uncategorised Tests.	330.00
17.	Any specific civil test fo misc material (Uncatagorsed)	500.00

C CHEMICAL & ALLIED TESTS

1.	Detrmination of Any Individual (Single) Element Cast Iron & Steel, out of C.S.P. Mn, Si.	220.00
2.	Detrmination of Any Individual (Single) Element in Ferrous Material out of Ni, Cr.V. Mo Pb. Zn.TiFe etc.	290.00
3.	Determination of any Three Element in Cast Iron & Steel out of C,S,P, Mn, Si	580.00
4.	Determination of Five Elements in Cast Iron & Steel (C,S,P, Mn, Si)	870.00
5.	Dip Test For Uniformity of Zinc Coating (Single Article)	290.00
6.	Dip Test for Stay Set/LT Shackle Hardware Set/GI Pin Set/Stay wire Etc.(Upto Five Components) & for Each Addl.Components)	740.00 150.00

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.
Quality Marking & Testing, Laboratory, Bhilai
Monthly Progress Report for the Month of March-2015

Sl.No.	Particular	Actual Reporting Month	Previous upto the Month	Actual upto the Month
	INCOME-A			
	Testing Fees	325,080.00	3,272,320.00	3,597,400.00
	Inspection Charges	64,545.00	331,883.00	396,428.00
	Other Miscellaneous Receipts	--	--	--
	Total	**389,625.00**	**3,604,203.00**	**3,993,828.00**
	EXPENSES-B			
(B-I)	Employment Cost			
	Salary and Wages to Employees	228,278.00	2,511,058.00	2,739,336.00
	Bonus	--	--	--
	Medical Expenses	--	--	--
	Liveries to Employee	--	--	--
	Total B-I	**228,278.00**	**2,511,058.00**	**2,739,336.00**
(B-II)	**Addministrative & General Exp.**			
	Stationery & Printing	--	1,749.00	1,749.00
	Postage & Telegram	129.00	1,745.00	1,874.00
	Telephone & Telex	3,258.00	19,762.00	23,020.00
	Office Expenses	7,060.00	92,541.00	99,601.00
	Tea & Coffee to other	1,870.00	23,128.00	24,998.00
	Electricity & Water Charges	--	--	--
	Repair & Maint. of M/c & Equip.	6,550.00	15,816.00	22,366.00
	Consumables	--	52,976.00	52,976.00
	Bank Charges	112.00	168.00	280.00
	Travelling Expn.	40,185.00	243,680.00	283,865.00
	Repairing of Furniture & Fixture	--	1,000.00	1,000.00
	Repair & Maint. of Building	--	--	--
	Conveyance Charges	760.00	6,120.00	6,880.00
	Books & Periodicals	100.00	1,043.00	1,143.00
	Gift to other	--	16,000.00	16,000.00
	Total- B-II	**60,024.00**	**475,728.00**	**535,752.00**
	Total - B=(B-I+B-II)	**288,302.00**	**2,986,786.00**	**3,275,088.00**
	Net Working Results (A-B)	**101,323.00**	**617,417.00**	**718,740.00**

Note: 1. Service Tax Rs.49,598/- is received in the current reporting month @ 12.36% of the fees which is not taken in to account while calculating the net working result.

I/c Account

Incharge

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.

Quality Marking & Testing Laboratory, Bhilai

Statement of Last Five Years of Sample Received & Revenued Earned

Sl. No.	Finencial Year	Total Sample Recieved (Nos.)	Total Revenue Earned (in Rs.)
1	2010 - 2011	4562	22,29,240.00
2	2011 – 2012	4809	23,00,610.00
3	2012 – 2013	5851	27,47,788.00
4	2013 – 2014	5129	32,27,781.00
5	2014 – 2015	5893	39,93,828.00

F:\vikas\letter.237

मैन्युअल–17

Manual -17

हाईटेक बस स्टैण्ड, बिलासपुर

High Tech Bus Stand, Bilaspur

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।	अन्य कोई सूचना विहित नही है ।

##686##

छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

सेवा एवं भर्ती नियम – 2011

छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
सेवा एवं भर्ती नियम – 2011

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) ये नियम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा एवं भर्ती नियम –2011'' कहलायेंगे।

(2) ये आदेश जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं :**

इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) ''राज्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य,

(2) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(3) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

(4) ''विभाग'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ,

(5) ''सामान्य प्रशासन विभाग'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग,

(6) ''निगम'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,

(7) ''संचालक मंडल'' ('बोर्ड') से अभिप्रेत है शासन द्वारा गठित छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का संचालक मंडल,

(8) ''प्रबंध संचालक'' से अभिप्रेत है शासन द्वारा नियुक्त निगम का प्रबंध संचालक,

(9) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा ,

(10) ''नियम'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ''सेवा एवं भर्ती नियम 2011'' ,

(11) सेवा के सम्बन्ध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौपी गई हो अथवा इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सौंपी जाये।

(12) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है सीधी भर्ती के लिए निम्नानुसार गठित समिति –

गैर तकनीकी पदों पर सीधी भर्ती हेतु –

1 **कार्यपालक संचालक – अध्यक्ष**

2 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी–सदस्य (अजा / अजजा)

3 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी– सदस्य

4 महाप्रबंधक (कार्मिक / प्रशासन) – सदस्य सचिव

तकनीकी पदों पर सीधी भर्ती हेतु –

1 **कार्यपालक संचालक – अध्यक्ष**

2 मुख्य अभियंता – सदस्य

3 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी– सदस्य (अजा / अजजा)

4 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी– सदस्य

5 **महाप्रबंधक (कार्मिक / प्रशासन) – सदस्य सचिव**

उपरोक्त समिति में आवश्यक होने पर एक सदस्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा ।

(13) ''पदोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है पदोन्नति हेतु निम्नानुसार गठित समिति –

गैर तकनीकी पदों पर पदोन्नति हेतु –

1 **कार्यपालक संचालक – अध्यक्ष**

2 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी– सदस्य (अजा / अजजा)

3 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी– सदस्य

4 महाप्रबंधक (कार्मिक / प्रशासन) – सदस्य सचिव

तकनीकी पदों पर पदोन्नति हेतु –

1 कार्यपालक संचालक – अध्यक्ष

2 मुख्य अभियंता – सदस्य

3 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी– सदस्य (अजा / अजजा)

4 नामांकन अनुसार न्यूनतम 'ब' वर्ग का अधिकारी– सदस्य

5 महाप्रबंधक (कार्मिक/प्रशासन) – सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति में आवश्यक होने पर एक सदस्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा ।

(14) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(15) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(16) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय समय पर यथासंशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,

(17) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(18) आचरण नियम से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किया गया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये संशोधन ।

3. नियमों का विस्तार तथा लागू होना :

छ.ग. सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 सेवा के अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवाओं का गठन :

सेवाओं में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा में भर्ती किये जायें।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :

वेतनमान का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक (अ) एवं (ब) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी ।

परन्तु शासन की अनुमति से छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि अथवा कमी कर सकेगी ।

6. भर्ती का तरीका :

(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात सेवाओं में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी,

अर्थात :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा

(ख) पदोन्नति द्वारा

(ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा

(घ) संविलियन द्वारा

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक (अ) एवं (ब) में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो (1) एवं (2) में दर्शाये गये पदों की संख्या/प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालक मंडल के परामर्श से निश्चित की जायेगी ।

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा अपेक्षित हो, तो छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संचालक मंडल की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उप नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो कि वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित करे ।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए चयन समिति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियुक्ति की अनुशंसा कर सकेगी । यह भी कि समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के साथ–साथ अथवा पृथक से अन्य युक्तिसंगत मापदण्डों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन संचालक मंडल की अनुमति से किया जा सकेगा।

(6) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

7. सेवाओं में नियुक्ति :

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी नियुक्तियॉ नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तेः

परीक्षा में स्पर्धा करने/चयन किये जाने के लिए पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

1– आयु–

(क) उसने चयन/परीक्षा प्रारंभ होने के दिनांक के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन(1)एवं(2) के कालम 05 यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो।

(ख) सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जानी वाली आयु सीमा की छूट दी जावेगी ।

(ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो आयु की उच्चतर सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम–4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ड़) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन / निगम / मंडल के नियमित, स्थायी, अस्थायी, संविदा के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी, अर्थात्–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी'' हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त स्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 (सात)वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3(तीन)वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– *शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया था ।*

(चार) सीधी भर्ती के कुछ पदों में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष दी गई है, जो कि कंडिका 8 (ड़)(एक) (दो) के अतिरिक्त है । जिन पदों हेतु अनुभव अनिवार्य है, उन पदों में निर्धारित अनुभव अवधि की अतिरिक्त छूट दी जायेगी जो कि निर्धारित अधिकतम आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(च) ऐसे अभ्यर्थी, जो 'भूतपूर्व सैनिक' है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– *शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिनको किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो ।*

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो।

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो ।

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किये गये हों ।

(चार) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरूद्ध छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे ।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(छ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) ''शहीद राजीव पाण्डे/गुण्डाधर/महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त'' अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं–सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ट) शासन द्वारा घोषित अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के अनुरूप निगम के अधिकारी बने रहेंगे।

2—अर्हताएँ —

अभ्यर्थी के पास ऐसी अर्हताएँ होनी चाहिए, जो अनुसूची तीन एवं चार (1) एवं (2) में संदर्भित पद के लिए विहित की गई हैं। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विशेष परिस्थितियों में अर्हता शिथिल करने का अधिकार संचालक मंडल को होगा ।

3—फीस —

अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता :**

अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी अनुचित साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके परीक्षा/चयन में प्रवेश के सम्बन्ध में निरर्हता के रूप में माना जायेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगाः**

परीक्षा में बैठने के सम्बन्ध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. **सीधी भर्ती की प्रक्रिया :**

(1) चयन समिति द्वारा सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार अथवा साक्षात्कार, जैसा कि चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के द्वारा किया जाएगा ।

(2) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित किये जायेंगे।

(3) उप नियम (2) के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को भरने में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायेगा चाहे मूल सूची की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 (तीस) प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ।

(5) शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।

(6) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव, आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को संचालक मंडल के परामर्श से शिथिल कर सकेगा।

12. चयन समिति द्वारा अनुशंसित किये गये अभ्यर्थियों की सूची :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति द्वारा निश्चित किये गये ऐसे मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की सूची योग्यता क्रम से बनाएगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, बनायेगा। यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिये गये नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जायेगा।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए गठित समिति परिभाषित है ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों पर होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं हो।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा ।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उप नियम 3 में उल्लिखित नियम तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार रहेगी ।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :

(1) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(2) उप नियम 1 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जो शासन के नियमों के अंतर्गत विचारण क्षेत्र में आते हों तथा जिन्होंनें उस वर्ष की 1 जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) वह अर्हता प्राप्त कर ली हो जो अनुसूची 'चार' (एक) एवं (दो) के कालम 5 में उल्लेखित है ।

स्पष्टीकरण – *पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति– वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद में आया है ।*

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना :

(1) पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें पदोन्नति समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) 'द' वर्ग से 'स' वर्ग के पद पर/'स' वर्ग से वरिष्ठ 'स' वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारियेां की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड वरिष्ठता – सह – उपयुक्तता (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी ।

(3) वरिष्ठ 'स' वर्ग से 'स' कार्यपालिक वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सिनियारिटी कम मेरिट) होगी ।

(4) कार्यपालिक 'स' वर्ग से 'ब' वर्ग पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी।

(5) 'ब' वर्ग से 'अ' वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियेां की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड 'वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता' (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी ।

(6) 'अ' वर्ग से 'अ' वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड 'योग्यता–सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियरिटी) होगी।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम <u>अनुसूची–चार</u> (एक) एवं (दो) के कालम–4 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ।

(8) ऐसी तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी । **तैयार की गई सूची पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा अगली पदोन्नति समिति की बैठक एक वर्ष से पूर्व होने पर अगली पदोन्नति समिति की बैठक तक के लिए वैध होगी ।**

(9) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यथास्थिति, सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाता है, तो समिति ऐसे प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए इसके कारणों का उल्लेख करेगी।

16. चयन सूची :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची चार (एक) एवं (दो) के कालम 4 में दर्शाये गये पदों से अनुसूची चार (एक) एवं (दो) के कालम 6 में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) सामान्यतः वर्षवार पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को संसूचना प्राप्त होने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के आधार पर संचालक मंडल के निर्देशों के अनुसार की जावेगी ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में, उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18) प्रतिनियुक्ति :

प्रतिनियुक्ति शासन के नियमानुसार की जाएगी ।

19) संविलियन :

संविलियन शासकीय आदेश तथा शासन के नियमानुसार किया जाएगा ।

20) **नियमों तथा आदेशों का पालन करने का दायित्व :**

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी इन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा/करेगी और उनका पालन करेगा/करेगी और ऐसे सभी आदेशों और निर्देशों का पालन, अनुपालन और परिपालन करेगी/करेगा, जो समय–समय पर उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाए, जिसके अधिकार क्षेत्र अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन उसे तत्समय रखा गया है। शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, निगम के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

21) **कर्मचारी निगम के हितों का संवर्धन करेंगे :**

प्रत्येक कर्मचारी निगम की सेवा ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करेगा/करेगी और वह निगम के हितों के संवर्धन के भरसक प्रयास करेगा/करेगी और प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जिसके साथ निगम के एक कर्मचारी की हैसियत में उसका संपर्क हो, सभी संव्यवहारों में, परस्पर क्रियाओं में (सौजन्य प्रदर्शित करेगा/करेगी) और उस पर ध्यान देगा/देगी ।

22) **राजनीति में भाग लेने तथा निर्वाचन के लिए खड़े होने पर निषेध :**

कोई भी कर्मचारी राजनीति में या किसी भी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या विधायी निकाय के निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं होगा ।

23) **समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में लेखन/वक्तव्य :**

कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में शासन/निगम की नीतियों एवं अन्य विषयों से संबंधित लेख आदि नहीं लिखेगा या कोई भी ऐसे दस्तावेज, कागज पत्र की जानकारी, जो उसकी पदीय हैसियत से उसके अधिकार में हो प्रकाशित नहीं करवाएगा अथवा इस संबंध में वक्तव्य नहीं देगा।

आचरण, अनुशासन और अपील

24) कर्मचारी की सेवा का विस्तार क्षेत्र :

जब तक किसी मामले में सुस्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, तब तक निगम का प्रत्येक कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और वह निगम के कार्य में उसकी सेवा हैसियत और ऐसे स्थान में करेगा/करेगी, जैसे कि उसे समय–समय पर प्रबंध संचालक / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाएं ।

25) कर्मचारी बाहरी नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :

कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी नियोजन या पद चाहे वह वैतनिक हो या अवैतनिक स्वीकार नहीं करेगा/पद के लिये आवेदन नहीं करेगा या प्रयास नहीं करेगा ।

26) बाहरी निकायों के लिये अंशकालिक कार्य :

कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की मंजूरी के बिना किसी भी अशासकीय या शासकीय निकाय या किसी व्यक्ति के लिए अंशकालिक कार्य नहीं करेगा या उसके लिये फीस स्वीकार नहीं करेगा । प्रबंध संचालक केवल आपवादित मामलों में तभी मंजूरी देगा जब उसका यह समाधान हो जाये कि इस कार्य के लिये कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई फीस का भुगतान पूर्णतः या अंशतः निगम को किया जायेगा ।

27) उच्च अध्ययन के लिए अनुमति :

कोई भी कर्मचारी अनुमति के बिना उच्च अध्ययन/अंशकालिक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा । यदि प्रबंध संचालक की यह राय हो कि ऐसी अनुमति से निगम के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह अनुमति दे सकेगा । प्रबंध संचालक, जहां कहीं आवश्यक हो, किसी भी समय निगम के हित में अनुमति वापस ले सकेगा ।

28) उच्चतर प्राधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार :

कोई भी कर्मचारी अपनी शिकायतों के सिलसिले में प्रबंध संचालक/अध्यक्ष के सिवाय किसी भी उच्चतर प्राधिकारी के साथ सीधा पत्र व्यवहार/पृष्ठांकन नहीं करेगा।

29) **कर्मचारी अनुमति के बिना कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं रहेंगे या विलंब से उपस्थित नहीं होंगेः**

(क) कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक से या अपने पर्यवेक्षण अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं रहेगा और न वह बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में, ऐसी अनुपस्थिति के तीन दिनों के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना अनुपस्थित रहेगा, परंतु अस्थायी अस्वस्थता के मामले में, प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से, चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण से छूट दे सकेगा ।

(ख) यदि कोई कर्मचारी, अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों को छोड़ जिनके लिये उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा अवकाश लिये बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहे या अवकाश की अवधि के बाद अनुपस्थित रहे, तो वह ऐसी अनुपस्थित पर अवकाश की अवधि के परे अनुपस्थित रहने की अवधि के लिये कोई भी वेतन तथा भत्ते आहरित करने का हकदार नहीं होगा । ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति को, जैसा कि प्रबधं संचालक द्वारा निश्चित किया जाये, देय अवकाश या असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि माना जा सकेगा ।

(ग) यदि कोई कर्मचारी, अनुमति के बिना अपने कर्तव्य पर आदतन विलंब से उपस्थित होता हो तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जैसी शास्ति अधिरोपित करना प्रबंध संचालक द्वारा उचित समझा जाये या प्रबंध संचालक के स्वविवेक से, किसी माह में उसके विलंब से उपस्थित होने के प्रत्येक तीन दिन के लिए उसका एक आकस्मिक अवकाश समाहित कर लिया जायेगा । परंतु यदि ऐसे कर्मचारी को कोई भी आकस्मिक अवकाश देय न हो तो समाहित की जाने वाली अवकाश अवधि को, जैसा प्रबंध संचालक द्वारा निश्चित् किया जावे, देय अवकाश या असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि माना जा सकेगा ।

30) **मुख्यालय से अनुपस्थिति :**

कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक/पर्यवेक्षण अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किये बिना, अपने मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

31) **उपहारों की स्वीकृति :**

इस संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधान लागू होंगे ।

32) **प्रशंसापत्र आदि स्वीकार करना :**

कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी को छोड़ :–

कोई भी अभिनंदनात्मक या प्रशंसात्मक मानपत्र ग्रहण नहीं करेगा, उसे प्रस्तुत किये गये कोई भी प्रशंसापत्र स्वीकार नहीं करेगा या उसके सम्मान में आयोजित किसी भी सार्वजनिक सभा या उत्सव में उपस्थिति नहीं होगा ।

33) **कर्मचारियों द्वारा संघों में सम्मिलित होना :**

निगम का कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे संघ, संगठन अथवा समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा या उसकी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा जो भारत सरकार/राज्य शासन/निगम द्वारा प्रतिबंधित हैं ।

34) **निजी व्यापार या कारोबार :**

निगम में कार्यरत कोई भी कर्मचारी स्वयं के या दूसरे के एजेंट के रुप में किसी भी वाणिज्यिक कारोबार या धंधे में काम नहीं करेगा, न ही भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा कंपनी के बीमा एजेंट के रुप में कार्य करेगा तथा न ही किसी संयुक्त पूंजी कम्पनी/फर्म में अंशधारक/हिस्सेदार अथवा प्रबंधन में सम्बद्ध होगा । साथ ही निगम में कार्यरत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी या उनके परिवार का उन पर आश्रित सदस्य किसी भी ऐसी संस्था के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं रखेगा जिसका निगम के भी कर्मचारी, किसी भी प्रकार का सट्टा नहीं लगायेगा परंतु इस नियम में

किसी बात के होते हुए किसी कर्मचारी पर अपनी स्वयं की निधियों से, ऐसी रीति से जैसी वह आवश्यक समझे, वास्तविक विनियोजन करने से रोक नहीं होगी साथ ही निगम का कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसी संस्था/कम्पनी/फर्म जिससे पदीय संव्यवहार हो, उनमें किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं करेगा ।

36) **उधार तथा विनियोजन पर प्रतिबंध :**

(क) कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई विनियोजन नहीं करेगा और न अपने परिवार के आश्रित किसी सदस्य को ऐसा विनियोजन करने की अनुमति देगा, जिससे कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसके प्रभावित हो जाने की संभावना हो ।

(ख) कोई कर्मचारी किसी ऐसे दलाल या अपने अधीनस्थ निगम के किसी ऐसे कर्मचारी या किसी ऐसी फर्म या ऐसे व्यक्ति से, जिसका निगम से लेनदेन हो, पैसे उधार नहीं लेगा या आर्थिक अनुग्रह स्वीकार नहीं करेगा ।

37) **ऋणग्रस्त कर्मचारी :**

(क) जब निगम का कोई कर्मचारी दिवालिया हो या दिवालिया घोषित हो गया हो या जब ऐसे कर्मचारी के वेतन का आधा भाग अक्सर कुर्क कर लिया जाता हो या उसका वेतन दो वर्ष से अधिक अवधि के लिये कुर्की के अधीन हो या ऐसी रकम के लिए कुर्क किया जाता हो, जिसे सामान्य परिस्थितियों में उसके व्यक्तिगत स्त्रोतों पर ध्यान देने पर ऐसा प्रतीत हो कि अपरिहार्य चालू व्ययों को देखते हुये दो वर्षों की अवधि में वह चुकाया नहीं जा सकता तो उसे बरखास्त कर दिया जायेगा ।

(ख) जब किसी कर्मचारी के वेतन का आधा भाग कुर्क किया जाये तो प्रतिवेदन में यह दर्शाया जायेगा कि उसके वेतन से ऋण का क्या अनुपात है तथा उससे कहां तक निगम के कर्मचारी की दक्षता पर आँच आयेगी, क्या ऋणी की स्थिति असाध्य है, क्या मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसे उस समय उस पद पर, जिस समय मामला जानकारी में आया था निगम के किसी अन्य पद पर रखना वांछनीय होगा ।

(ग) इस नियम के अधीन प्रत्येक मामले में यह सिद्ध करने का भार ऋणी पर होगा कि ऋणग्रस्तता उन परिस्थितियों का परिणाम है, जिनका सामान्य प्रयास द्वारा पूर्वानुमान लगाना ऋणी के लिए संभव नहीं था या जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और वह ऋणग्रस्तता अपव्यय या फिजूलखर्ची का परिणाम नहीं थी ।

38) **ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया कर्मचारी :**

(क) ऐसे कर्मचारी को जिसे ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तथा उसे 48 घंटे तक निरूद्ध रखा जाता है तो उसे उसकी गिरफ्तारी की तारीख से निलंबित माना जायेगा तथा किसी निलंबित कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान उसे तब तक अनुमत होंगे जब तक कि उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त न हो जाये । उसके वेतन और भत्ते के मामले परिस्थितियों के अनुसार, तथा इस कार्यवाही के निर्णय के प्रकाश में समायोजित किये जायेंगे कि क्या उसकी अनुपस्थिति को कर्तव्य अवधि या छुट्टी अवधि या निलंबन में व्यतीत की गई अवधि के रूप में परिगणित किया जाये । संपूर्ण वेतन और भत्ते केवल उसी स्थिति में दिए जायेंगे जबकि कर्मचारी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो, और उसे अनुपस्थिति की अवधि में कर्तव्य पर उपस्थित माना गया हो और जिसमें से वह अवधि घटा दी जायेगी, जो कर्मचारी ने वास्तव में कारावास में बितायी हो । किसी कर्मचारी को किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया हो, बर्खास्त कर दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरणः—*इस नियम में अभिव्यक्ति "कार्रवाई की समाप्ति" से तात्पर्य उस न्यायालय के निर्णय से है, जिसने मामले का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया हो ।*

निगम के ऐसे कर्मचारी को, जिसे जेल भेजा गया हो या आपराधिक आरोप में सिद्धदोष ठहराया गया हो, उस तारीख से, जिस तारीख को न्यायालय द्वारा उसे सिद्धदोष ठहराया गया हो, बर्खास्त करने की छूट होगी ।

39) **शास्तियाँ :**

कोई कर्मचारी निगम के नियमों को भंग करे या जो उदासीनता, अदक्षता प्रदर्शित करे या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करे, जो निगम के हितों या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो या उसके अनुदेशों के विपरीत हो, या जो अनुशासन भंग करे या जो दोषी हो या जो दुराचरण या दुर्व्यहार का कोई कार्य करे, ऐसे कर्मचारियों पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान लागू होंगे ।

अपील

40) अपील करने का अधिकार :

(1) किसी कर्मचारी को किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे किसी आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा, जिससे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(2) कोई भी अपील उस आदेश के प्राप्त होने के साठ दिनों के बाद नहीं की जायेगी, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है किंतु अपीलीय अधिकारी विलंब से प्राप्त अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे ।

41) अपीलीय प्राधिकारी :

अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेगी –

(क) किसी ऐसे अन्य अधिकारी, जो इन नियमों के द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हो, द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरूद्ध प्रबंध संचालक को, तथा

(ख) प्रबंध संचालक के आदेशों के विरूद्ध अध्यक्ष को ।

(ग) अध्यक्ष के आदेशों के विरुद्ध संचालक मंडल को ।

संचालक मंडल द्वारा पारित किसी मूल आदेश के पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन के लिये आवेदन ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा संचालक मंडल के पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत कराया जा सकेगा ।

42) अपील में निम्नलिखित शर्ते पूरी होनी चाहिए :

प्रत्येक अपील में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन होना चाहिये :–

(क) इसमें नियम 40 (1) की अपेक्षा का पालन किया गया हो,

(ख) यह हिन्दी में लिखी जायेगी,

(ग) इसमें नम्र तथा सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जायेगा तथा अनावश्यक या निरर्थक शब्दाडम्बर से बचा जायेगा।

(घ) इसमें सभी तत्थ्यात्मक विवरण एवं उस पर आधारित तर्क होंगे तथा वह अपने आप में पूर्ण होगी ।

(ड़) इसमें मांगी गयी राहत का उल्लेख होगा ।

(च) यह उचित माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी ।

43) अपील कब रोकी जा सकेगी :

किसी अपील को, यथास्थिति, प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक द्वारा रोका जा सकेगा यदि :–

(क) इसमें नियम 40 (1) की अपेक्षा का पालन न किया गया हो,

(ख) यह स्पष्ट न हो या बोधगम्य न हो,

(ग) यह ऐसे मामले में की गयी हो, जिसका व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंध न हो,

(घ) इसे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसे पहले अपील की गयी हो रद्द कर दिया हो, दुबारा की गयी हो तथा यथास्थिति, प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक की राय में अपील किसी भी प्रकार परिस्थितियों के उन नये मुद्दों को उद्घाटित नहीं करती, जिनके आधार पर दुबारा विचार करने के लिये उसे प्रस्तुत किया गया हो परंतु यह कि तब इस खण्ड के अधीन कोई अपील रोक ली जाये तो प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक उन कारणों का एक विवरण, जिनके आधार पर अपील रोकी गयी हो, अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) इसे ऐसे प्राधिकारी को सम्बोधित किया गया हो जिसे इन नियमों के अधीन कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती ।

44) अपील रोक रखने का आधार, आवेदक को सूचित किये जायेंगे :

प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अपील रोक ली जाये, अपील को रोकने वाला प्राधिकारी अपील रोकने के तथ्य तथा उसे रोकने के कारण आवेदक को सूचित करेगा ।

45) अपील प्रेषण सहित अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित की जानी चाहिये :

अपील, जो नियम 43 के अधीन न रोकी गयी हो, यथाशीघ्र, यथास्थिति प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक की टिप्पणी सहित अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी ।

46) अपील रोकने के आदेश के विरूद्ध अपील :

नियम 43 के अंतर्गत रोकी गई अपील के आदेश के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी ।

47) **अपील संचालकों या राज्य शासन को संबोधित नहीं की जायेगी :**

अपीलें व्यक्तिगत रूप में मंत्री या राज्य प्रशासन के अधिकारियों या संचालक मंडल के संचालकों को संबोधित नहीं की जायेगी, तथा ऐसी कोई कार्यवाही अनुशासन भंग मानी जायेगी ।

48) **संयुक्त याचिकायें :**

(I) किसी मान्यता प्राप्त संघ द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी संयुक्त याचिका पर विचार नहीं किया जायेगा यदि :–

(क) इसका संबंध किसी ऐसे विषय से हो, जिस पर आदेश पारित करने के लिये प्रबंध संचालक प्राधिकृत हो तथा निवारण के लिये उसे कोई आवेदन प्रस्तुत न किया गया हो,

(ख) इसका संबंध किसी ऐसे मामले से हो जिसके निवारण के संबंध में किसी नियम या निगम द्वारा जारी किसी अनुदेश के अधीन कोई विशिष्ट प्रक्रिया विहित की गयी हो, या

(ग) इसका संबंध किसी व्यक्ति से हो तथा उसके द्वारा इसे प्रस्तुत न किया गया हो,

(II) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी संयुक्त याचिकाएं जो किसी मान्यता प्राप्त संघ के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हों, विचारणीय नहीं होंगी ।

वेतन भत्ते तथा अन्य रियायतें

49) **वेतन तथा भत्ते :**

निगम के अधीन विभिन्न पदों से संलग्न वेतनमान वही होंगे, जो शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप में मान्य किये गये हैं ।

50) **कब प्रोदभूत तथा भुगतान योग्य होंगे :**

इन नियमों के उपबंधों के अध्ययीन वेतन तथा भत्ते किसी कर्मचारी की सेवा के प्रारंभ से प्रोदभूत होंगे तथा माह के अंतिम कार्य दिवस को भुगतान योग्य होंगे ।

51) **कब बन्द होंगे :**

सेवा में न रहने पर किसी कर्मचारी के वेतन और भत्ते बन्द हो जायेंगे । निगम की सेवा से किसी कर्मचारी के बरखास्त कर दिये जाने के मामले में वे उसकी बरखास्तगी की तारीख से बन्द हो जायेंगे । सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के मामले में मृत्यु होने की अगली तारीख से बन्द हो जायेंगे ।

52) **माह के किसी भाग के लिये कब से भुगतान नहीं किया जायेगा :**

किसी ऐसे कर्मचारी को जो एक माह की समुचित सूचना के बगैर अपनी सेवा छोड़ देता है या समाप्त कर देता है, किसी माह के किसी भाग के लिये वेतन तथा भत्ते का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे प्रबंध संचालक द्वारा ऐसी सूचना से छूट न दे दी गयी हो।

53) **सभी कर्मचारी श्रेणीबद्ध किये जायेगें :**

प्रत्येक कर्मचारी, जिसे उसकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद स्थाई पद होने पर नियमित कर दिया गया हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणी में से कोई एक पद धारण करेगा जो उसकी मूल श्रेणी मानी जायेगी तथा :–

(क) निलम्बनाधीन, या

(ख) अवकाश या प्रतिनियुक्ति, या

(ग) कोई अस्थायी पद धारण करने या अन्य श्रेणी में स्थानापन्न कार्य समाप्त होने की स्थिति में उसी श्रेणी में वापस होगा ।

54) **स्थानांतरण पर कर्मचारी :**

जहां कोई कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया जाये तो वह पुराने पद का अपना प्रभार सौंपने की तारीख तथा नए पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की किसी अंतरावधि के दौरान पुराने या नए पद के वेतन और भत्तें, जो भी कम हो, आहरित करेगा ।

55) **भत्तों की स्वीकार्यता :**

भत्तों का भुगतान, जहां तक वे स्वीकार्य हों, केवल उन्हीं कर्मचारियों को किया जाएगा, जो उस समय शर्तों को पूरा करते हों ।

56) **व्यक्तिगत वेतन :**

परिवार नियोजन आपरेशन के लिए व्यक्तिगत वेतन प्रबंध संचालक द्वारा राज्य शासन के नियमों के अनुसार ही मंजूर किया जा सकेगा ।

सामान्य सेवा नियम तथा शर्ते

57) **अवकाश :**

निगम के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश सहित अन्य अवकाश राज्य शासन के नियमों के अनुसार दी जाएगी ।

58) **अर्जित अवकाश का समर्पण तथा नगदीकरण :**

निगम का कर्मचारी राज्य शासन के नियमों तथा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अर्जित अवकाश का समर्पण तथा उनका नगदीकरण करवा सकेगा ।

59) **उपादान एवं कर्मचारी भविष्य निधि :**

उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान अनुसार एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार होगा ।

60) **समूह बीमा योजना :**

भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह बीमा योजना के अंतर्गत निगम के सभी कर्मचारी आते हैं । यह लाभ निगम के कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक लाभ प्राप्त होगा ।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में यह राशि उनके पैतृक विभाग में वेतन से कटवाए जा रहे कटौत्रे के अनुसार राज्य शासन के नियमों के अनुकूल होगी ।

61) **परिवीक्षा :**

सेवा में सीधी भर्ती से भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

62) **नियमितीकरण :**

परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात परिवीक्षाधीन कर्मचारी को निगम की सेवा में नियमित किया जाएगा ।

63) **दैनिक/तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण :**

दैनिक/तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितिकरण शासन के नियमानुसार संचालक मंडल के अनुमोदन के उपरांत प्रबंध संचालक द्वारा किया जाएगा।

64) **निर्वचन :**

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो, उसे संचालक मंडल को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

65) **शिथिलीकरण :**

इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यशासन/बोर्ड/निगम की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों से उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

66) **निरसन तथा व्यावृत्ति** :

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

इन नियमों के कोई भी प्रावधान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों/ आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निगम का स्वीकृत सेट–अप **''सेवा एवं भर्ती नियम 2011''** का भाग समझा जायेगा। **सेवा एवं भर्ती नियम 2011 में जिन नियमों का उल्लेख नहीं हैं उनके संबंध में शासन के नियम लागू होंगे । किसी भी विवाद की स्थिति में शासन का निर्णय सर्वोपरि एवं यथावत लागू/मान्य किया जावेगा ।**

सही/–

(व्ही.के. छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग
विभाग

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.
अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (गैर तकनीकी)
अनुसूची एक (अ) (नियम 5 देखिए)

सं.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	प्रबंध संचालक	01	'अ' वर्ग	37400—67000 ग्रेड पे 10000/—
2	कार्यपालक संचालक	01	'अ' वर्ग	37400—67000 ग्रेड पे 8700/—
3	उप महाप्रबंधक डाईंग केडर	01	'अ' वर्ग	37400—67000 ग्रेड पे 8700/—
4	मुख्य महाप्रबंधक	05	'अ' वर्ग	15600—39100 ग्रेड पे 7600/—
5	महाप्रबंधक	12	'अ' वर्ग	15600—39100 ग्रेड पे 6600/—
6	कम्पनी सचिव	01	'ब' वर्ग	15600—39100 ग्रेड पे 5400/—
7	प्रबंधक	20	'ब' वर्ग	15600—39100 ग्रेड पे 5400/—
8	प्रबंधक (एम.आई.एस)	01	'ब' वर्ग	15600—39100 ग्रेड पे 5400/—
9	सहायक प्रबंधक	24	'स' वर्ग (कार्यपालिक)	9300—34800 ग्रेड पे 4400/—
10	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	02	'स' वर्ग (कार्यपालिक)	9300—34800 ग्रेड पे 4400/—
11	सहायक प्रबंधक(तकनीकी)/निरीक्षक	03	'स' वर्ग (कार्यपालिक)	9300—34800 ग्रेड पे 4400/—
12	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	01	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4300/—
13	शीघ्रलेखक वर्ग—1	01	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4400/—
14	शीघ्रलेखक वर्ग—2	02	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4300/—
15	शीघ्रलेखक वर्ग—3	03	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2800/—
16	सहायक लेखाधिकारी	03	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4300/—
17	लेखापाल डाईंग केडर	01	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4300/—
18	लेखापाल	08	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2800/—
19	कैशियर	01	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2400/—
20	सहायक ग्रेड—1	18	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4300/—
21	फील्ड आफिसर डाईंग केडर	01	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4300/—
22	सहायक ग्रेड—2	24	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2800—
23	सहायक ग्रेड—3	36	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2400/—
24	सेल्समेन डाईंग केडर	03	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
25	स्टोर कीपर डाईंग केडर	02	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
26	डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर	10	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
27	पी.वी.एक्स ऑपरेटर डाईंग केडर	01	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2800/—
28	तकनीशियन	03	'स' वर्ग	9300—34800 ग्रेड पे 4300/—
29	पटवारी	02	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2200/—
30	वाहन चालक	15	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
31	भृत्य	23	'द' वर्ग	4750—7400 ग्रेड पे 1300/—
32	माली	02	'द' वर्ग	4750—7400 ग्रेड पे 1300/—
33	दफ्तरी डाईंग केडर	01	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1800/—

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.
अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (तकनीकी)
अनुसूची एक (ब) (नियम 5 देखिए)

सं. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम		पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
34	मुख्य अभियंता		01	'अ' वर्ग	37400—6700 ग्रेड पे 8700/—
35	कार्यपालन अभियंता		04	'अ' वर्ग	15600—39100 ग्रेड पे 6600/—
36	सहायक अभियंता		08	'ब' वर्ग	15600—39100 ग्रेड पे 5400/—
37	कनिष्ठ अभियंता		16	'स' वर्ग(कार्यपालिक)	9300—34800 ग्रेड पे 4400/—
38	मानचित्रकार		01	'स' वर्ग(कार्यपालिक)	9300—34800 ग्रेड पे 4400/—
39	सहायक मानचित्रकार		02	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2800/—
40	अनुरेखक		02	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2400/—
41	सहायक फोरमेन	डाईंग केडर	01	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2400/—
42	मशीन ऑपरेटर	डाईंग केडर	02	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2200/—
43	कारपेंटर	डाईंग केडर	01	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 2200/—
44	समयपाल		16	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
45	रोड रोलर चालक	डाईंग केडर	03	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
46	पंप ऑपरेटर — I		05	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
47	पंप ऑपरेटर —II		03	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1800/—
48	प्लंबर		05	'स' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
49	फिल्टर प्लांट ऑपरेटर/मीटर रीडर		13	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1800/—
50	इलेक्ट्रिशियन		03	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1800/—
51	लाईनमेन		06	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1800/—
52	हेल्पर	डाईंग केडर	44	'द' वर्ग	4750—7440 ग्रेड पे 1300/—'
53	चौकीदार		20	'द' वर्ग	4750—7440 ग्रेड पे 1300/—
54	कुशल श्रमिक	डाईंग केडर	02	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
55	टर्नर	डाईंग केडर	01	'द' वर्ग	5200—20200 ग्रेड पे 1900/—
56	लेबर	डाईंग केडर	02	'द' वर्ग	4750—7440 ग्रेड पे 1300/—

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (गैर तकनीकी)

अनुसूची–दो (1)(नियम–6 दो)

क्र	संस्था का नाम	पद क्र.	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				चयन से सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.	1	प्रबंध संचालक – 01 (प्रतिनियुक्ति)	–	–	अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
		2	कार्यपालक संचालक – 01 (प्रतिनियुक्ति)	–	–	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
		3	उप महाप्रबंधक – 01	–	–	डाईंग केडर
		4	मुख्य महाप्रबंधक – 05	–	02 पद पदोन्नति (महाप्रबंधक पद से)	03 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
		5	महाप्रबंधक – 12	–	07 पद पदोन्नति (प्रबंधक पद से)	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
		6	कम्पनी सचिव – 01	100% सीधी भर्ती	–	–
		7	प्रबंधक – 20	5 पद सीधी भर्ती	5 पद पदोन्नति (सहायक प्रबंधक पद से)	10 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर

1	2	3	4	5	6	7
		8	प्रबंधक (एम.आई.एस.) – 01	सीधी भर्ती	पदोन्नति सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	सीधी भर्ती का पद यदि निश्चित अवधि (05 वर्ष) तक रिक्त रहेगा तो इसकी पूर्ति पदोन्नति द्वारा की जा सकेगी ।
		9	सहायक प्रबंधक–24	12 पद सीधी भर्ती	12 पद पदोन्नति (सहायक वर्ग–1)	
		10	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस)–02	100% सीधी भर्ती	–	
		11	सहायक प्रबंधक तकनीकी / निरीक्षक 03	1 पद सीधी भर्ती	02 पद पदोन्नति (तकनीशियन पद से)	
		12	तहसीलदार / नायब तहसीलदार–01	–	–	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति
		13	शीघ्रलेखक वर्ग I - 01	–	पदोन्नति (शीघ्रलेखक वर्ग–II से)	
		14	शीघ्रलखेक वर्ग II – 02	–	पदोन्नति (शीघ्रलेखक वर्ग–III से)	
		15	शीघ्रलेखक वर्ग III – 03	100% सीधी भर्ती	–	
		16	सहायक लेखाधिकारी – 03	1 पद सीधी भर्ती	02 पद पदोन्नति (लेखापाल पद से)	
		17	लेखापाल – 1	–	–	डाईंग केडर
		18	लेखापाल – 8	4 पद सीधी भर्ती	4 पद पदोन्नति (सहायक वर्ग–3 एवं कैशियर पद से)	

1	2	3	4	5	6	7
		19	कैशियर – 1	100% सीधी भर्ती	–	
		20	सहायक वर्ग 1–18	–	पदोन्नति (सहा. ग्रेड–2 से)	
		21	फील्ड ऑफिसर – 01	–	–	डाईंग केडर
		22	सहायक वर्ग 2 – 24	–	100% पदोन्नति (सहा. वर्ग–3 से)	
		23	सहायक वर्ग 3 – 36	27 पद सीधी भर्ती	9 पद पदोन्नति (चतुर्थ वर्ग से)	
		24	सेल्समेन – 03	–	–	डाईंग केडर
		25	स्टोर कीपर – 02	–	–	डाईंग केडर
		26	डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर – 10	100% सीधी भर्ती	–	
		27	पी. बी. एक्स ऑपरेटर – 1	–	–	डाईंग केडर
		28	तकनीशियन – 3	100% सीधी भर्ती	–	
		29	पटवारी – 2	100% सीधी भर्ती	–	
		30	वाहन चालक – 15	100% सीधी भर्ती	–	
		31	भृत्य – 23	100% सीधी भर्ती	–	
		32	माली – 2	100% सीधी भर्ती	–	
		33	दफ्तरी – 1	–	–	डाईंग केडर

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (तकनीकी कक्ष)

अनुसूची–दो(2)(नियम 6–दो)

क्र.	संस्था का नाम	पद क्र.	कर्तव्य पदों की कुलसंख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				चयन से सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.	1	मुख्य अभियंता – 01	–	–	लोक निर्माण विभाग / जल संसाधन / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सं समकक्ष स्तर के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर
		2	कार्यपालन अभियंता – 04	–	100% पदोन्नति (सहायक अभियंता पद से)	–
		3	सहायक अभियंता – 08	4 पद सीधी भर्ती	4 पद पदोन्नति (कनिष्ठ अभियंता पद से)	–
		4	कनिष्ठ अभियंता –16	100% सीधी भर्ती	–	–
		5	मानचित्रकार – 01	–	पदोन्नति (सहायक मानचित्रकार पद से)	–
		6	सहायक मानचित्रकार–02	सीधी भर्ती 1 पद	पदोन्नति 1 पद (अनुरेखक पद से)	–
		7	अनुरेखक – 02	100% सीधी भर्ती	–	–
		8	सहायक फोरमेन – 01	–	–	डाईंग केडर
		9	मशीन आपरेटर – 02	–	–	डाईंग केडर

1	2	3	4	5	6	7
		10	कारपेंटर – 01	–	–	डाईंग केडर
		11	समयपाल –16	100% सीधी भर्ती	–	–
		12	रोड रोलर चालक – 03	–	–	डाईंग केडर
		13	पम्प ऑपरेटर – I 05	3 पद सीधी भर्ती	2 पद पदोन्नति (पंप ऑपरेटर–II से)	–
		14	पम्प ऑपरेटर – II 03	100% सीधी भर्ती	–	–
		15	प्लंबर – 05	100% सीधी भर्ती	–	–
		16	फिल्टर प्लांट – 13 ऑपरेटर/मीटर रीडर	100% सीधी भर्ती	–	–
		17	इलेक्ट्रिशियन – 03	100% सीधी भर्ती	–	–
		18	लाइनमेन – 06	100% सीधी भर्ती	–	–
		19	हेल्पर – 44	–	–	डाईंग केडर
		20	चौकीदार – 20	100% सीधी भर्ती	–	–
		21	कुशल श्रमिक – 02	–	–	डाईंग केडर
		22	टर्नर – 01	–	–	डाईंग केडर
		23	लेबर – 02	–	–	डाईंग केडर

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (गैर तकनीकी)

अनुसूची–तीन (1)(नियम–8)

क्र.	संस्था का नाम	पद क्र.	सेवा पदों की कुल संख्या	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम अर्हता	चयन समिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.	1	कम्पनी सचिव	21 वर्ष	38 वर्ष	मेम्बर ऑफ इन्सटीट्यूट ऑफ कम्पनी सेकेट्रीज़ आफ इंडिया एवं कम्पनी सचिव के पद पर 03 वर्ष का अनुभव	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		2	प्रबंधक	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि या औद्योगिक रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र,रसायन शास्त्र विशेष विषय के रूप में स्नातकोत्तर या एम.बी.ए.	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		3	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	21 वर्ष	45 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से बी. ई. / बी.टेक (कम्प्यूटर साईन्स) / बी.ई(आई.टी) / इक्लेट्रॉनिक्स / कम्यूनिकेशन / इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या एम.बी.ए. या एम.एस.सी.(कम्प्यूटर साईन्स / आई.टी.) या एम.सी.ए. प्रथम श्रेणी सहित संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव।	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति

1	2	3	4	5	6	7	8
		4	सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	30 वर्ष	अ) मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक (कला,वाणिज्य,विज्ञान) अथवा ब) मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		5	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	21 वर्ष	45 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से बी.ई. / बी.टेक(कम्प्यूटर साईन्स) / बी.ई. (आई.टी.) / एम सी.ए. / एम.एस सी. (भौतिकी / गणित / सांख्यि की अर्थशास्त्र) सह पी.जी. डी.सी.ए. –संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव ।	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		6	सहायक प्रबंधक (तकनीकी / निरीक्षक)	21 वर्ष	30 वर्ष	**मान्यता प्राप्त संस्था से बी.ई. / बी.टेक सहित उपाधि की ब्रांच के क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव ।** अथवा **मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित डिप्लोमा की ब्रांच के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव ।**	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		7	तकनीशियन	21 वर्ष	30 वर्ष	**मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित डिप्लोमा की ब्रांच के क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव**	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति

1	2	3	4	5	6	7	8
		8	शीघ्रलेखक वर्ग–3	21 वर्ष	30 वर्ष	**1) मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण** **2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से –** (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए 100 शब्द तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रजी टाईप लेखन (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये उपर खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाइप लेखन, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाणपत्र धारण करता हो । (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा ऐन्ट्री का 10000 की "डिप्रेशन प्रति घंटा की गति" होना चाहिए	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति

1	2	3	4	5	6	7	8
		9	सहायक लेखाधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से एम.कॉम. / एम.बी.ए. (फायनैंस) एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री / डिप्लोमा लेखा कार्य में 02 वर्ष का अनुभव	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		10	लेखापाल	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से बी. कॉम. / बी.बी.ए. / बी.बी.एम. / डी.बी.एम. एवं कम्प्यूटर में 01 वर्ष का डिप्लोमा लेखा कार्य में 02 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		11	कैशियर	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से बी. कॉम. / बी.बी.ए. / बी.बी.एम. एवं कम्प्यूटर में 01 वर्ष का डिप्लोमा	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		12	सहायक वर्ग–3	21 वर्ष	30 वर्ष	1) मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था से 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उतीर्ण 2) 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उतीर्ण 3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण–पत्र तथा डाटा ऐन्ट्री 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए ।	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति

1	2	3	4	5	6	7	8
		13	डाटा एन्ट्री ऑपरेट	21 वर्ष	30 वर्ष	1) कक्षा 12 वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा **कक्षा 10 वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में तृवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ।** 2) डाटा इन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एकवर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिंदी एवं अंग्रजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति ।	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		14	पटवारी	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2वीं पास एवं पटवारी प्रशिक्षण उत्तीर्ण राजस्व विभाग के अनुसार	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		15	वाहन चालक	21 वर्ष	30 वर्ष	8वीं कक्षा उतीर्ण साथ में ड्रायविंग लाईसेंसधारी अनुभवी को प्राथमिकता	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		16	भृत्य	21 वर्ष	30 वर्ष	8वीं पास	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		17	माली	21 वर्ष	30 वर्ष	8वीं पास अनुभवी को प्राथमिकता	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (तकनीकी)

अनुसूची–तीन (2)(नियम–8)

क्र.	संस्था का नाम	पद क्र.	सेवा पदों की कुलसंख्या	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम अर्हता	चयन समिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.	1	सहायक अभियंता	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से बी.ई. / बी.टेक (सिविल / इलेक्ट्रिकल)	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		2	कनिष्ठ अभियंता	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		3	सहायक मानचित्रकार	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हायर सेकेंड्री (10+2) तथा आई.टी.आई. ट्रेसर / ड्राफ्ट्समेन ट्रेड प्रमाणपत्र तथा अनुरेखक पद का तीन वर्ष का अनुभव	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		4	अनुरेखक	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हायर सेकेंड्री (10+2) तथा आई.टी.आई. ट्रेसर / ड्राफ्ट्समेन ट्रेड प्रमाणपत्र	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		5	पंप ऑपरेटर–I	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रमाणपत्र तथा 1 वर्ष का अनुभव	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति

1	2	3	4	5	6	7	8
		6	पंप ऑपरेटर–II	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रमाणपत्र	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		7	प्लंबर	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. प्लंबर ट्रेड प्रमाणपत्र	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		8	फिल्टर प्लांट ऑपरेटर/मीटर रीडर	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेंड्री (10+2) एवं आई. टी.आई. इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रमाणपत्र	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		9	इलेक्ट्रिशियन	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रमाणपत्र एवं इण्डस्ट्रियल वायरमेन परीक्षा उत्तीर्ण	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		10	लाईनमेन	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रमाणपत्र एवं इण्डस्ट्रियल वायरमेन परीक्षा उत्तीर्ण	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति
		11	चौकीदार	21 वर्ष	30 वर्ष	8वीं पास	नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (गैर तकनीकी)

अनुसूची – चार (एक) (नियम 14 (1) एवं नियम 16(1) देखिये)

क्र.	संस्था का नाम	पद क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पात्रता की कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.	1	महाप्रबंधक	05 वर्ष	मुख्य महाप्रबंधक	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		2	प्रबंधक	05 वर्ष	महाप्रबंधक	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		3	सहायक प्रबंधक	05 वर्ष + सहायक प्रबंधक पद हेतु निर्धारित योग्यता	प्रबंधक	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		4	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	5 वर्ष	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		5	सहायक वर्ग–1 / सहायक लेखाधिकारी	5 वर्ष एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक + विभागीय परीक्षा	सहायक प्रबंधक	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6	तकनीशियन	5 वर्ष + विभागीय परीक्षा	सहायक प्रबंधक तकनीकी	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		7	लेखापाल	5 वर्ष	सहायक लेखा अधिकारी	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		8	शीघ्रलेखक वर्ग–2	5 वर्ष	शीघ्रलेखक वर्ग–1	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		9	शीघ्रलेखक–3	5 वर्ष	शीघ्रलेखक वर्ग–2	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		10	सहायक वर्ग–2	5 वर्ष	सहायक वर्ग–1	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		11	सहायक वर्ग–3	5 वर्ष	सहायक वर्ग–2	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		12	सहायक वर्ग–3	5 वर्ष + विभागीय परीक्षा	लेखापाल	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		13	कैशियर	5 वर्ष	लेखापाल	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		14	चतुर्थ श्रेणी	5 वर्ष + सहायक वर्ग–3 हेतु निर्धारित योग्यता + विभागीय परीक्षा	सहायक वर्ग–3	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग (तकनीकी)

अनुसूची – चार (दो) (नियम 14 (1) एवं नियम 16(1) देखिये)

क्र.	संस्था का नाम	पद क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पात्रता की कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.	1	सहायक अभियंता	05 वर्ष	कार्यपालन अभियंता	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		2	कनिष्ठ अभियंता	05 वर्ष	सहायक अभियंता	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		3	सहायक मानचित्रकार	08 वर्ष	मानचित्रकार	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		4	अनुरेखक	05 वर्ष	सहायक मानचित्रकार	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	
		5	पंप ऑपरेटर–II	05 वर्ष	पंप ऑपरेटर–I	नियम 2(13) के अनुसार गठित समिति	

सही/–

(व्ही.के. छबलानी)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

NO END Updation Continue.... ***E.& O. E.***

i. Presented on : October - 2005

ii. First Updation on : January – 2013

iii. Second Updation on : July– 2015

संदर्भ :–

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 1232/101/2014/11/6 नया रायपुर दिनांक 26.03.2014 ।
2. कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त आफिस मेमोरेंडम नं. 1/6/2011–IR दिनांक 15.04.2013 ।
3. सामान्य प्रशासन विभाग,
4. छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक 349/जी–216/2014/1–सूअप्र, दिनांक 17.02.2014

Discailmer :-

"Though all possible care has been taken to ensure accuracy and consistency, in the event of a conflict between Manual and Government/CSIDC Ltd. order/instruction on the subject, the later will prevail.
Any information given herein can not be cited in any dispute or litigation, not is it a substitute for legal interpretation/evidence. The user will be solely responsible for any consequence of the decision taken on the basis of information contained in this Manual".

नवीनतम जानकारी –संषोधित

मैन्युअल–10 पृष्ठ क्रमांक 480 के स्थान पर जानकारी को पढ़ा जावें।

Csidc 2017-18
1-Apr-2017 to 30-Apr-2017

S.No.	Particulars	Designation	Basic	Grade	Total	D. Based
1	Chhagan Lal Mundra	Chairman	10000		**10000**	1
2	SUNIL KUMAR MISHRA	MANAGING	55300	10000	**65300**	2
109	Saloman Methusila	Executive	40220	8700	**48920**	3
110	SANTOSH BHAGAT	CHEIF	31970	7600	**39570**	4
68	ALOK KUMAR TRIVEDI	CHIEF	34630	7600	**42230**	4
99	NARAYAN PRASAD YADAV	GANERAL	31080	6600	**37680**	5
4	ANIL SHRIVASTAVA	GENERAL	32870	7600	**40470**	5
67	ABHYANKAR KHARE	GENERAL	17670	6600	**24270**	5
100	Narendra Kumar Tiwari	General Manager	32020	7600	**39620**	5
117	SMT.MANJU JAIN	GENERAL	33620	7600	**41220**	5
133	G.V.S.P. RAO	DY. MANAGER	46380	8700	**55080**	6
136	OM PRAKASH BANJARE	DY. MANAGER	30010	6600	**36610**	6
137	RAMDAS JHARBADE	DY. MANAGER	30010	6600	**36610**	6
139	SATYENDRA CHANDRAKAR	DY. MANAGER	38090	7600	**45690**	6
141	THOMAS MATHEW	DY. MANAGER	48040	8700	**56740**	6
162	S.B.Parate	DY. MANAGER	53320	8700	**62020**	6
163	SOMNATH CHOPRA	DY. MANAGER	37210	7600	**44810**	6
205	NAND KISHORE BURDE	DY. MANAGER	30010	6600	**36610**	6
224	Abdul Shakil	Cheif Engineer	41888		**41888**	7
57	ASHOK KUMAR DUBEY	EXECUTIVE	32570	7600	**40170**	8
64	SUSHIL KUMAR SONI	EXECUTIVE	31420	7600	**39020**	8
171	MAHESHWER KUMAR AGRAWAL	EXECUTIVE	31420	7600	**39020**	8
180	SUNIL RAJGIRE	EXECUTIVE	31420	7600	**39020**	8
54	Thulasi Das	ASSISTANT	32280	7600	**39880**	9
87	KISHOR PILLAY	ASSISTANT	32280	7600	**39880**	9
134	MANOJ KUMAR BUNDELA	ASSISTANT	24630	5400	**30030**	9
203	ASHOK KUMAR PAWAR	ASSISTANT	20050	4400	**24450**	9
34	UDAY CHAND DEWANGAN	ASSTT.	33590	7600	**41190**	9
106	P.T. Thomas	ASSTT.	31350	7600	**38950**	9
125	FANIKANT GUPTA	ASSTT.	37210	7600	**44810**	9
160	M.A.ANSARI	ASSTT.	32130	7600	**39730**	9
164	VIVEK MANOHAR KAYANDEY	ASSTT.	31400	7600	**39000**	9
165	ANIL KUMAR SHARMA	ASSTT.	32130	7600	**39730**	9
170	SMT. MAYA RAMRAKHYANI	ASSTT.	32540	6600	**39140**	9
208	DHRUV DHAR	ASSTT.	32870	7600	**40470**	9
209	SUBHASH CHANDRA SHARMA	ASSTT.	35070	7600	**42670**	9
212	S.T.MANTHANWAR	ASSTT.	33590	7600	**41190**	9
226	SHAFI KHAN	ASSTT.	30840		**30840**	9
127	RAJESH BIHARI LAL	ASSTT.MANAG	35510	7600	**43110**	9
107	RAMANUJ GUPTA	ACCOUNTANT	22850	5400	**28250**	10
144	AMIT SINGH DHRUV	ACCOUNTANT	17500	4300	**21800**	10

129	SHIV SHANKAR GUPTA	JR. EXECUTIVE	28720	6600	**35320**	
215	BASANT KUMAR BARAV	JR. STENO	16580	4300	**20880**	
71	Ashish Kujur	Jr.Eng	9300	4400	**13700**	
48	RAKESH DEWANGAN	JUNIOR	22850	5400	**28250**	
112	SHATRUGHAN LAL PATEL	JUNIOR	14790	4300	**19090**	
120	TEJRAM DEWANGAN	JUNIOR	16580	4300	**20880**	
121	V.R.CHAUDHARY	JUNIOR	17230	4300	**21530**	
77	DOLLY MISHRA	JUNIOR ASST.	5420	1900	**7320**	
6	Ganpati Patel	Junior Engineer	9300	4400	**13700**	
42	GOPAL RAO PATNAYAK	JUNIOR	16790	4400	**21190**	
47	Mohit Kumar Chandrakar	Junior Engineer	9300	4400	**13700**	
59	MAHENDRA THAKUR	JUNIOR	16790	4400	**21190**	
61	RAKESH JAIN	JUNIOR	22850	5400	**28250**	
178	HIMMAT PAL GUPTA	JUNIOR	16790	4400	**21190**	
228	SMT.SUMITRA PAL	LAB	15638		**15638**	
183	BHAGWATI PRASAD SAHU	LABOUR	9090	1800	**10890**	
185	GIRDHARI LAL SAHU	LABOUR	9090	1800	**10890**	
3	Shailendra Singh Thakur	LDC	7248		**7248**	
151	PRAHLAD PRASAD YADAV	LDC	11770	2800	**14570**	
153	RAKESH CHOUHAN	LDC	10570	2800	**13370**	
155	S.L. PATEL	LDC	14910	4300	**19210**	
158	VED RAM NIRMALKAR	LDC	15190	4300	**19490**	
211	SMT. VEENA SINHA	LDC	12960	4300	**17260**	
221	SMT. TRISHNA CHAKRABORTY	LDC	7750	1900	**9650**	
60	MOHAN LAL GHIVARIYA	LINEMAN	9940	1900	**11840**	
186	JAILAL SAHU	MALI	9650	1900	**11550**	
189	T. RAJA RAO	MALI	9230	1900	**11130**	
40	PARVAT SINGH PATTA	MANAGER	38090	7600	**45690**	
146	Harveer Singh	Manager	29090	5400	**34490**	
149	MILAN DAS BANJARE	MANAGER	37210	7600	**44810**	
154	S. K. SONWANI	MANAGER	37210	7600	**44810**	
156	SUBHAS CHANDRA BHAGAT	MANAGER	32430	7600	**40030**	
169	RAVI MATHUR	MANAGER	44510	7600	**52110**	
218	K. P. YADAV	MESSANGER	9250	1900	**11150**	
210	CHIKNU RAM SONWANI	MESSENGER	8730	1800	**10530**	
9	RAMESH KUMAR SHUKLA	METER	6410	1300	**7710**	
88	K.V.M.KUMAR	P.B.X.	16920	4300	**21220**	
25	DEVARI SINGH PORTE	PEON	10190	1900	**12090**	
32	RAM SINGH SAHU	PEON	9840	1900	**11740**	
75	CHETAN KUMAR VERMA	PEON	5530	1300	**6830**	
78	DOMESH SINGH THAKUR	PEON	5740	1300	**7040**	
95	MANISH KUMAR SAHU	Peon	5130	1300	**6430**	
98	MUKESH KUMAR SAHU	PEON	5960	1300	**7260**	
102	PAPPU CHOUHAN	PEON	5960	1300	**7260**	

114	SMT. DAMYANTI BAWARIYA	PEON	6650	1300	**7950**	
131	BIRJU KUMAR GOUND	PEON	6410	1300	**7710**	
132	DASHRATH LAL YADAV	PEON	6410	1300	**7710**	
140	SHANKAR DAS MANAKPURI	PEON	10000	1900	**11900**	
152	PURSHOTTAM TARONE	PEON	8550	1800	**10350**	
167	NAWAB KHAN	PEON	9250	1900	**11150**	
206	SANJAY KUMAR KAURATI	PEON	5960	1300	**7260**	
213	SUKHSAGAR DAS MANIKPURI	PEON	6410	1300	**7710**	
214	TAPAS KUMAR DATTA	PEON	6410	1300	**7710**	
217	HEMLAL SAHU	PEON	6410	1300	**7710**	
219	NARENDRA VALLABH PATEL	PEON	9250	1900	**11150**	
202	VIJAY SHRIVASTAVA	PIPE FITTER	15290	4300	**19590**	
17	KIRTAN SINGH	PLUMBER	9750	1900	**11650**	
19	MELA RAM SONWANI	PLUMBER	9750	1900	**11650**	
49	BHUWAN LAL SAHU	PLUMBER	9750	1900	**11650**	
52	VIJAY SINGH THAKUR	PLUMBER	10520	1900	**12420**	
182	BANSHIRAM SAHU	PLUMBER	10310	1900	**12210**	
190	BADRI PRASAD YADAV	PLUMBER	9750	1900	**11650**	
18	MANHARAN LAL YADAV	PUMP	10280	2800	**13080**	
46	LAXMINARAYAN MISHRA	PUMP	6410	1300	**7710**	
51	TEK RAM DESHMUKH	PUMP	6410	1300	**7710**	
176	CHHAGAN LAL VERMA	PUMP	6410	1300	**7710**	
79	DWARIKA PRASAD SAHU	ROAD ROLLER	13080	4300	**17380**	
173	SHIV KUMAR SAHU -R	ROAD ROLLER	14520	4300	**18820**	
36	BHUPAT SINGH SHYAM	SALES MAN	11150	2800	**13950**	
148	K. VIJAY KUMAR	SALES MAN	10000	2800	**12800**	
122	B. SATYANARAYAN	SEC. ASSTT.	11460	2800	**14260**	
128	RAMDAS BHOYAR	SEC. ASSTT.	10980	2800	**13780**	
29	PREMLAL YADAV-II	SENIOR	22850	5400	**28250**	
35	V.HARIHAR PRASAD RAO	SENIOR	22850	5400	**28250**	
62	RAMESHWER PURI GOSWAMI	SENIOR	22850	5400	**28250**	
69	ANOKHI LAL SARVA	SENIOR	22850	5400	**28250**	
81	HRIDAY PRAKASH MISHRA	SENIOR	22850	5400	**28250**	
84	JAGDAMBA PRASAD MISHRA	SENIOR	22850	5400	**28250**	
92	MAHENDRA KUMAR PANDEY	SENIOR	22850	5400	**28250**	
105	PRAKASH CHANDRA KULSHRESTHA	SENIOR	22850	5400	**28250**	
39	NARESH KUMAR KAUSHIK	SR. ASSTT.	22850	5400	**28250**	
142	U.S.R. BHIMA SANKARAM	SR. ASSTT.	21630	5400	**27030**	
41	PRAVEEN KUMAR KUTTY	SR. SEC. ASSTT.	19810	5400	**25210**	
123	DARSHAN ORAON	SR. SEC. ASSTT.	16140	4300	**20440**	
126	MUNNE SINGH	SR. SEC. ASSTT.	16350	4300	**20650**	
130	SUNIL RAMDAS PATRE	SR. SEC. ASSTT.	17380	4300	**21680**	
97	MH. HASAN KHAN	STENO TYPIST	16580	4300	**20880**	
111	SHAKIR ALI	STENO TYPIST	11390	2800	**14190**	

157	U. RAVI PATNAYAK	STONO TYPIST	14320	4300	**18620**	
5	ASHOK BARI	TIMEKEEPER	13170	4300	**17470**	
11	SUNIL SIRASWAR	TIMEKEEPER	10980	2800	**13780**	
12	VISHNU PRASAD SHARMA	TIMEKEEPER	15290	4300	**19590**	
43	GYAN CHAND YADAV	TIMEKEEPER	10980	2800	**13780**	
172	MANOHAR LAL YADAV	TIMEKEEPER	15290	4300	**19590**	
174	SITA RAM BANDHE	TIMEKEEPER	10980	2800	**13780**	
188	PREMLAL YADAV-T	TIMEKEEPER	15290	4300	**19590**	
195	GOVERDHAN PRASAD VERMA	TIMEKEEPER	12000	2800	**14800**	
197	KOMAL SINGH NISHAD	TIMEKEEPER	10980	2800	**13780**	
118	SURESH KUMAR YADAV	TRECER	12480	2800	**15280**	
	Grand Total		**3894864**	**861390**	**4756254**	

ANNEXURE I

FORM OF CONSENT

THROUGH LETTER OF INTENT DATED____/_____/2015

Whereas upon the request of the Shri _____ hereinafter called the applicant which shall include his heirs, successor, partners and directors, the Nigam has agreed to grant lease subject to the terms and conditions herein appended in the form of a lease to allot land in sector_____ measuring about _____situated at Industrial Area _____Raipur/Bilaspur, more particularly described in the schedule hereunder and for greater clearness delineated in the plan hereto annexed and hereon shown with the boundaries coloured in red (hereinafter referred to as the said land/premises) for a term of 99 years from the date of taking over possession of land for the purpose of_____

And whereas I/We _____on behalf of M/s_____as its proprietor/partner/director/ Authorised Signatory agree to take the lease and witness as follows:-

1) I/We have read the Letter of Intent No. Dt issued to us and I/We hereby agree that all the terms and Conditions of this Letter of Intent is hereby accepted and will be binding on Me/Us.

1) I/We accept a lease of said premises to hold the same for a period of 99 years commencing from the date of taking over possession of land.

2) I/We agree that the allotment shall be subject to all terms and conditions in the form of lease deed hereto annexed with such modification and with such additional terms and conditions as the allotting authority may deem necessary to add from time to time.

3) I/We shall after execution of such documents and payment of such dues as may be prescribed will take possession of the said premises by the time and in the manner directed by the allotting authority.

4) a) I/We opt for the deferment of payment of premium (10 % initially and balance in _____ installments) or Lump-Sum payment of premium (100 % premium amount).

4 b) I /We shall deposit the following amount within in 30 days from the date of issue of Letter of Intent :-

condt....2

(1)	Premium	Rs.
(2)	Annual lease rent (3 %)	Rs.
(3)	Service Tax @ 14% of Lease Rent	Rs.
(4)	Three years annual lease rent as **security deposit** for timely payment of annual lease rent.	Rs.
(5)	Annual maintenance charges of Industrial area (and as revised by the Board of Directors from time to time)	Rs.
(6)	Annual street light charges (and as revised by the Board of Directors from time to time)	Rs.
	Total	Rs.

5) I/We hereby accept to take land on lease on the terms and conditions of L.O.I. No. _____ dated _____.

6) I/we hereby agree that if any breach of the terms and conditions of the letter of Intent or there is failure to obey the instructions and directions given to me/us or there is failure to take possession of the land/premises as may be directed by the allotting authority, it shall be lawful for allotting authority to withdraw the letter of intent/allotment order, without giving any separate notice in this regards.

7) In witness whereof I/We have signed this acceptance on the date & year mentioned against the signatures.

Applicant, holder of the
Letter of Intent for
Allotment of plot/shed

Provided further that no such digging will be allowed to be done in an industrial area in which the Corporation or any other person or agency authorised by the Corporation is operating, or proposes to operate water supply scheme and it will be obligatory for you to draw water from such supply system of the Corporation/authorised person or agency.

In acceptance of the above terms and conditions, please submit the Letter of Consent (attached with this letter) along with the amount of premium, security deposit, lease rent, development fund for maintenance of Industrial Area and street light charges as aforesaid, within 30 days to enable us to issue Letter of Land Allotment otherwise this Letter of Intent will stand automatically cancelled.

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial Development
Corporation Limited, Raipur (C.G.)

LEASE DEED FOR ALLOTMENT/TRANSFER OF LAND FOR INDUSTRIAL PURPOSE

IN INDUSTRIAL AREA..... DISTRICT.....

Plot /shed /Flat Identification No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Lessor	**The Governor of Chhattisgarh** Through –Director of Industries/Chief General Manager/General Manager (Name of Distt , as applicable)
Lessee	**M/s /Mr/Mrs/Ms.....** Through..... (Proprietor/Partner/Director/Authorised Signatory)
Location of land/Name of Industrial Area	
Plot No./Khasra no.	
Area (in Sqm/Hectares) with size, width, breadth (Map with such measurement to be enclosed)	

This deed is made on this..... day of ..... year ..... between the Governor of Chhattisgarh acting through, Director of Industries/Chief General Manager/General Manager, Directorate of Industries/District Trade & Industrial Center,.....(herein after called the '**Lessor**') which expression shall, where the context so admits, include his successor, of the one part **and**

Mr/Mrs/Ms.....S/o,.....W/o.....R/o.....acting M/s ..... as (Proprietor/Partner/Director/Authorised Signatory) of M/s .....a Proprietorship/ Partnership/ Company registered under the ..... and having EM Part I/II No.....Date.....as MSME with D.T.I.C..... and/or IEM No.....Date.....with Government of India having its registered office at.....Udyam Akansha No...../Production Certificate No.....(hereinafter called the '**Lessee**') which expression shall where the context so admits include this successor and permitted assigns of the other part.

WHEREAS upon the request of the Lessee, the Lessor has agreed to grant to the Lessee, lease for **Plot /shed /Flat/Land for Industrial Purpose (details to be mentioned)**, subject to the **term and conditions** hereinafter specified a lease of the piece of land in the industrial area.....District.....having Plot/shed/flat No.....comprising of an area, admeasuring approximately..... Hectares (.....Sq. Mts. **size, width, breadth**), thereabout situated in the Village(s)....., Tehsil.....District....., more particularly described in the schedule

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़/पोस्ट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक 1114/817/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25-11-2013 से 07-12-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-11-2013 एवं 08-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो, आगामी आदेश तक उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 20-47/2013/ग्यारह/(छै:).—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है.

अत: छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लांट भूमि आवंटन नियम) 1974 यथासंशोधित की कंडिका क्रमांक-19 अंतरण में संशोधन किया जाये अर्थात् :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लांट भूमि आवंटन नियम) 1974 यथासंशोधित की कंडिका क्रमांक-19 अंतरण में निम्नानुसार जोड़ा जाय :—

(iv) पति/पत्नि एवं रक्त संबंधियों को हस्तांतरण/अंतरण

(क) मूल आवंटी/मूल आवंटियों के पति/पत्नि एवं रक्त संबंधियों माता-पिता/पुत्र-पुत्री/भाई-बहन/पोता-पोती को आवंटित भूमि, शेड-भवन की लीज हस्तांतरित किये जाने पर हस्तांतरण के समय केवल रु. 10,000 (रुपये दस हजार) हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा परंतु आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही पूर्ण न होने पर यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी.

यह भी कि, उक्तानुसार हस्तांतरण की अनुमति मूल आवंटी/मूल आवंटियों द्वारा शपथ-पत्र के रूप में दिये गये नामांकन के आधार पर दी जा सकेगी.

(ख) मूल आवंटी की मृत्यु उपरांत आवंटित भूमि/शेड-भवन के हस्तांतरण के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार अनुमति जारी करने के पूर्व मूल आवंटी/मूल आवंटियों के नामांकित उत्तराधिकारियों को आपत्ति/सहमति देने बाबत् सूचना दी जायेगी तथा सहमति अनुसार अनुमति जारी की जायेगी. दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जावेगी, निर्धारित न्यूनतम 30 दिवस में आपत्ति न आने पर आवंटी अधिकारी द्वारा हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी एवं कुल 45 दिवस उपरांत आदेश पारित किया जा सकेगा. न्यायालयीन वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय के निर्णयानुसार भू-हस्तांतरण की अनुमति दी जावेगी.

(ग) हस्तांतरण की अनुमति उपरांत मूल निष्पादित पट्टाभिलेखों के संबंध में हस्तांतरण लीजडीड निष्पादित की जावेगी तथा तत्कालीन प्रचलित भू-प्रब्याजि की दर पर भू-भाटक निर्धारित किया जाकर उसकी प्रविष्टि एवं बढ़े हुए भू-भाटक के प्रभावी होने की तिथि हस्तांतरण से संबंधित पट्टाभिलेख में अंकित की जावेगी. यह संशोधित पट्टाभिलेख मूल पट्टाभिलेखों के अनुक्रम में जारी होगा अर्थात् मूल पट्टाविलेख में वर्णित अवधि में से शेष बची हुई अवधि के लिए ही यह संशोधन मान्य होगा. हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों में हस्तांतरण रक्त संबंधी होने की कंडिका अंकित की जाएगी.

छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लांटभूमि आवंटन नियम) 1974 यथासंशोधित में उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगा.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मार्च 2015— फाल्गुन 16, शक 1936

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/6. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन की प्रक्रिया के विनियमन हेतु निम्नानुसार नियम प्रशासित करता है :-

अध्याय-एक
लघु शीर्षक, प्रारंभ एवं विस्तार, परिभाषायें, उद्देश्य एवं प्रक्रिया

1.1 **लघु शीर्षक, प्रारंभ एवं विस्तार :-**

1.1.1 यह नियम "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" कहलायेंगे।

1.1.2 यह नियम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं उसके उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी. के आधिपत्य एवं उसके अधीन औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि, भवन-शेड, प्रकोष्ठ तथा लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) की भूमि का प्रबंधन करने वाले समस्त अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों पर बंधनकारी होंगे। यह नियम छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

1.1.3 यह नियम मूल स्वरूप में ही सी.एस.आई.डी.सी. के आधिपत्य एवं उसके अधीन औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि, भवन-शेड, प्रकोष्ठ तथा लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) की भूमि पर लागू होगा।

1.2 परिभाषायें :–

इन नियमों में जब तक कि, प्रसंग से (in the context) अन्यथा अपेक्षित न हो; उपयोग की गई शब्दावली का आशय निम्नानुसार रहेगा :–

क्रमांक	शब्दावली	शब्दावली का आशय
1	राज्य शासन	से अभिप्रेत है,"छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग"
2.	केन्द्रीय शासन	से अभिप्रेत है, "भारत सरकार"
3.	आयुक्त/संचालक/अपर संचालक	से अभिप्रेत है, "आयुक्त/संचालक/अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
4.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.आई.डी.सी.)	से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का उपक्रम, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एवं निगमित "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.आई.डी.सी.)"
5.	प्रबंध संचालक / कार्यपालक संचालक	से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" के प्रबंध संचालक/कार्यपालक संचालक
6.	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं सी.एस.आई.डी.सी.	से अभिप्रेत है "जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं सी.एस.आई.डी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक"
7.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	से अभिप्रेत है, "भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय द्वारा समय–समय पर परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिनकी ज्ञापन अभिस्वीकृति (Entrepreneur Memorandum Acknowledgement) संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 (माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राईजेस डेव्हलपमेंट एक्ट, 2006) के अंतर्गत जारी की गयी हो"
8.	वृहद औद्योगिक इकाई	से अभिप्रेत है, बिंदु क्रमांक 07 में वर्णित उद्योगों को छोड़कर अन्य औद्योगिक इकाईयां जिनकी स्थापना हेतु भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट)/औद्योगिक लायसेन्स/आई.ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र जारी किया गया हो एवं कुल स्थायी पूंजी निवेश, मेगा प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश से कम हो"
9.	मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स	राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर लागू औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत परिभाषित मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स
10.	औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अथवा सी.एस.आई.डी.सी. के पूर्णतः स्वामित्व/आधिपत्य की भूमि पर विकसित किये गये/किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र, चाहे उसे राज्य शासन द्वारा किसी भी नाम से नामित किया जावे, यथा–औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान, अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, ग्रामीण कर्मशाला, आई.आई.डी.सी., फूड पार्क, अपैरल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, हर्बल मेडिसिनल पार्क, जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग पार्क, मेटल पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, निर्यात पार्क एवं/या अन्य कोई औद्योगिक पार्क जिसमें आबंटन/प्रबंधन उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया जाता हो। टीपः– विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (स्पेशल इकॉनोमिक जोन) स्वयं की प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत शासित होंगे।
11.	लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन)	से अभिप्रेत है, "वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अथवा सी.एस.आई.डी.सी. के स्वामित्व/आधिपत्य की वह भूमि जो किसी भी घोषित औद्योगिक क्षेत्र से बाहर हो तथा जिससे उद्योग की स्थापना हेतु उद्योग की आवश्यकताओं/प्रयोजन की पूर्ति होती हो।

This image can't be displayed.Ensure the URL is valid, and that it is a file.

This image can't be rendered by GD. Install GD, Imagick, xscm or GraphicsMagick on this file.

2.3 आबंटन हेतु भूमि की मात्रा का निर्धारण :–

2.3.1 आवेदक इकाई द्वारा भूमि आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (Project Report), प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र तथा ले–आऊट का परीक्षण आबंटन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्मित क्षेत्र का आंकलन उद्योग में स्थापित की जाने वाली मशीनों के आकार, मशीनों के आस–पास मानव प्रचलन, सामग्री का परिचालन एवं संग्रहण, उद्योग की क्षमता अनुसार कच्चे माल तथा निर्मित माल के लिए गोदाम के निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता तथा कार्यालयीन भवन के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा।

2.3.2 आबंटित की जाने वाली भूमि की मात्रा निम्नानुसार 'अ' एवं 'ब' में जो भी कम हो निर्धारित की जायेगी किन्तु यह निर्धारित करते समय भू–खण्ड का विभाजन नहीं किया जायेगा अपितु भूमि की मात्रा उस सीमा तक सीमित कर दी जायेगी जिस सीमा तक पूर्ण भू–खण्ड की न्यूनतम् संख्या आती हो। उदाहरण के लिये किसी प्रकरण में 2 से अधिक किन्तु 3 से कम भू–खण्डों की पात्रता आती हो तो आबंटन 2 भू–खण्डों का किया जायेगा।

(अ) नवीन उद्यमों की स्थापना, विस्तार तथा शवलीकरण हेतु निर्मित क्षेत्र के अधिकतम् तीन गुना तक आबंटन किया जा सकेगा। किन्तु,

(ब) सामान्यतः आबंटित की जाने वाली भूमि की मात्रा निम्नानुसार होगी :–

क्रमांक	उद्यम की श्रेणी	आबंटन योग्य भूमि की अधिकतम मात्रा
1	यंत्र/संयंत्र मद में निवेश रूपये 25 लाख तक होने पर।	1000 वर्गमीटर तक
2	यंत्र/संयंत्र मद में निवेश रूपये 25 लाख से अधिक किन्तु रूपये 5 करोड़ तक।	भूमि की आवश्यकता 1000 वर्गमीटर से अधिक होने पर यंत्र–संयंत्र मद में प्रत्येक रूपये 25 लाख के निवेश के ब्लाक के लिये 500 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि, अधिकतम भूमि 1 (एक) हेक्टेयर तक।
3	यंत्र/संयंत्र मद में निवेश रूपये 5 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 10.00 करोड़ तक।	भूमि की आवश्यकता 1(एक) हेक्टेयर से अधिक होने पर यंत्र–संयंत्र मद में प्रत्येक रूपये 1 करोड़ के निवेश के ब्लाक के लिये 0.2 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि, अधिकतम 2 (दो) हेक्टेयर भूमि तक।
4	यंत्र/संयंत्र मद में निवेश रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 100 करोड़ तक।	भूमि की आवश्यकता दो हेक्टेयर से अधिक होने पर यंत्र–संयंत्र मद में प्रत्येक पांच करोड़ के निवेश के ब्लाक के लिये 0.4 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि, अधिकतम भूमि 10 (दस) हेक्टेयर तक।
5	यंत्र/संयंत्र मद में निवेश रूपये 100 करोड से अधिक ।	भूमि की आवश्यकता 10 हेक्टेयर से अधिक होने पर यंत्र–संयंत्र मद में प्रत्येक पांच करोड़ के निवेश के ब्लाक के लिये 0.4 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि, अधिकतम भूमि 100 (सौ) हेक्टेयर तक।

परन्तु, विशिष्टीकृत पार्कों (Specialized Parks) जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/बायोटेक्नालॉजी/नैनो टेक्नालॉजी पार्क आदि जिनके लिये भूमि की आवश्यकता सामान्य पार्कों की तुलना में कम होती है, आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड क्रमशः राज्य शासन से एवं संचालक मण्डल से अनुमोदित मापदण्डों के आधार पर भू–आबंटन कर सकेंगे। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य पार्कों में भी उपरोक्तानुसार भू–आबंटन किये जा सकेंगे।

2.3.3 औद्योगिक क्षेत्रों में सहायक (आनुषांगिक) प्रयोजन, उद्योगों हेतु आवश्यक सेवायें, उद्योगों हेतु सहयोगी व्यापार/सेवा के लिये भूमि आबंटन की अधिकतम मात्रा परिशिष्ट–1 अनुसार होगी।

2.3.4 उपरोक्त उप नियम (2.3.2) के खण्ड (अ) एवं (ब) में वर्णित निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता अनिवार्य होने की स्थिति में पात्रता से 150 प्रतिशत अधिक तक भूमि आबंटित की जा सकेगी, किन्तु इसका निर्णय लेने हेतु सक्षम आबंटन प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :–

भू–आबंटन अधिकारी	पात्रता से 150 प्रतिशत अधिक तक भूमि आबंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय

भू-आबंटन अधिकारी	पात्रता से 150 प्रतिशत अधिक तक भूमि आबंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी
अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय
आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय	छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी.लि.	कार्यपालक संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
कार्यपालक संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	संचालक मंडल, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

परन्तु, इन मामलों में पात्रता से अधिक भूमि की आवश्यकता की अनिवार्यता के संबंध में स्पष्ट आधार आबंटन आदेश में अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

2.3.5 भूमि की मांग निर्धारित पात्रता से 150 प्रतिशत से भी अधिक होने पर संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (यथा स्थिति जो लागू हो) की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2.3.6 वृहद एवं इससे उच्च निवेश स्तर की औद्योगिक इकाईयों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों यथा लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) से भूमि आबंटन प्राप्त करने की दशा में आबंटन योग्य भूमि की मात्रा का निर्धारण करने के लिये एवं औद्योगिक इकाई एवं उसके सहायक (अनुषांगिक) औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के संबंध में आबंटित भूमि के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। इन औद्योगिक परियोजनाओं के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप किया जा सकेगा। उक्त से शिथिलता हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

2.3.7 औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर लैंड बैंक की भूमि का आबंटन–प्राप्तकर्त्ता औद्योगिक इकाईयों पर कंडिका क्रमांक 2.2.1, 2.2.2 एवं 2.2.3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(स) औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर लैंड बैंक की भूमि के आबंटन प्रकरणों में भूमि की मात्रा का निर्धारण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, निर्मित क्षेत्र तथा ले–आऊट के आधार पर किया जायेगा।

(द) औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण हेतु मापदण्ड :–

(i) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास में भूखण्डों का आकार 2000, 5000, 10000 तथा 20000 वर्गफीट के गुणांकों में होगा।

(ii) ये नियम प्रवृत्त होने के पश्चात विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में निम्न मापदण्डों का पालन करते हुए अभिन्यास तैयार किया जायेगा:–

(क) आबंटन योग्य भूमि का अधिकतम 20 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आबंटन हेतु ।

(ख) आबंटन योग्य भूमि का अधिकतम 10 प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन, वेयर हाऊसिंग आदि हेतु।

(ग) आबंटन योग्य भूमि का अधिकतम 10 प्रतिशत अनुषांगिक प्रयोजन हेतु ।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/भू–खण्ड में निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत, खुला क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र (Open Area and Floor Area) का अनुपात नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के मापदण्ड के अनुसार होगा।

2.4 आबंटन के अधिकार

औद्योगिक क्षेत्रों में सहायक (अनुषांगिक) औद्योगिक प्रयोजन, उद्योगों हेतु आवश्यक सेवायें, उद्योगों हेतु सहयोगी व्यापार सेवा हेतु भूमि आबंटन की अधिकारिता परिशिष्ट–6 में दर्शाये अनुसार होगी।

2.5 औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि, भवन–शेड, प्रकोष्ठ आबंटन हेतु भू–प्रब्याजि/भू–भाटक/संधारण शुल्क /प्रतिभूति राशि की दरें :–

2.5.1 दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

2.5.1.1 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों की विकसित भूमि के आबंटन के लिए प्रब्याजि, भू–भाटक व संधारण शुल्क (Premium, Lease Rent and Maintenance Charges) की दरें विभिन्न श्रेणी के जिलों तथा उद्योगों की श्रेणी अनुसार उद्योग संचालनालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होंगी।

2.5.1.2 विभाग के उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी.लि. के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि के आबंटन के लिए प्रब्याजि, भू–भाटक एवं संधारण शुल्क का निर्धारण सी.एस.आई.डी.सी. के संचालक मंडल द्वारा किया जायेगा।

2.5.1.3 भू–प्रब्याजि, भू–भाटक, संधारण शुल्क की दरें निर्धारित होने के पश्चात प्रत्येक वर्ष इसकी समीक्षा किया जा कर आवश्यकतानुसार दरों का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा, किन्तु अधिकतम 3 वर्षों के अंतराल में दरों का पुनर्निर्धारण आवश्यक होगा।

परंतु , राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि इस अंतराल के पूर्व ही भू–आबंटन संबंधी दरों को पुनः निर्धारित कर सके।

परंतु, निर्धारित समयावधि में दर निर्धारण न होने पर पूर्व निर्धारित दरों में संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से स्वमेव (Automatically) 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी । यह वृद्धि शासन/उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दर निर्धारित करने पर स्वमेव समाप्त हो जायेगी ।

परंतु, दर निर्धारित करते समय उक्त 20 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य नहीं होगा।

2.5.1.4 कार्नर के एवं 80 फुट अथवा अधिक चौड़ी सड़क पर अवस्थित भू–खण्डों/भवन पर सामान्य दरों से 10 प्रतिशत अतिरिक्त भू–प्रब्याजि ली जायेगी।

2.5.1.5 नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भू–खण्डों पर सामान्य दरों से 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रब्याजी ली जावेगी।

2.5.1.6 नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र के आठ किलो मीटर की परिधि में स्थित भू–खण्डों पर सामान्य दरों से 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रब्याजी ली जावेगी।

2.5.1.7 भू–आबंटन के समय प्रचलित औद्योगिक नीति के अनुसार प्रब्याजि में छूट प्राप्त आबंटियों को आबंटित भूखण्ड पर तत्समय प्रचलित छूट सहित दर पर भू–भाटक, प्रतिभूति की राशि एवं संधारण शुल्क देय होगा।

2.5.1.8 उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी द्वारा विकसित एवं नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त व्यावसायिक प्रयोजन के भूखंडों/क्षेत्र के आबंटन हेतु दरों का निर्धारण ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना होगा। शेष समस्त प्रक्रिया अन्य प्रयोजन हेतु निर्धारित अनुसार ही रहेगी।

2.5.1.9 उद्योग संचालनालय द्वारा इस तरह का प्रथम निर्धारण वर्ष 2015 में किया जायेगा।

2.5.2 भूमि आबंटन/हस्तांतरण के समय जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि तीन वर्ष के भू–भाटक की राशि के समतुल्य नगद राशि के रूप में देय होगी। शेड/प्रकोष्ठ के मामले में आबंटन/हस्तांतरण के समय जमा की जाने वाली प्रतिभूति तीन माह के किराये की राशि के समतुल्य नगद राशि के रूप में देय होगी।

2.5.3 भूमि, भवन–शेड, एवं प्रकोष्ठ के आबंटियों से भू–भाटक (लीज रेन्ट) उपरोक्त 2.5.2 की गणनानुसार कुल प्रचलित प्रब्याजि की 3 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा। औद्योगिक नीति के तहत् राज्य शासन द्वारा यदि उद्योगों को भू–प्रब्याजि में छूट अथवा रियायत प्रदान की गई हो, उन प्रकरणों में भी भू–भाटक (लीज रेन्ट) की गणना उपरोक्त 2.5.2 की गणनानुसार कुल प्रचलित प्रब्याजि के आधार पर की जायेगी।

2.5.4 भूमि, भवन–शेड, एवं प्रकोष्ठ के आबंटियों से संधारण शुल्क भूमि आबंटन की मात्रा के आधार पर लिया जायेगा। संधारण शुल्क को निर्धारित करते समय संधारण में हो रहे वास्तविक व्यय को ध्यान में रखा जायेगा। यह निर्धारण उद्योग संचालनालय/सी.एस.आई.डी.सी. (यथा स्थिति, जो लागू हो) के द्वारा शासन/संचालक मण्डल के अनुमोदन से किया जायेगा तथा संधारण शुल्क का पुर्ननिर्धारण प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाना आवश्यक होगा।

परंतु, संधारण शुल्क की दरें निर्धारित होने के पश्चात प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल में पुनः निर्धारित की जायेगी किन्तु उद्योग संचालनालय/सी. एस.आई.डी.सी. को यह अधिकार होगा कि इस अंतराल के पूर्व ही संधारण शुल्क संबंधी दरों को पुनः निर्धारित कर सके।

परंतु, निर्धारित समयावधि में दर निर्धारण न होने पर पूर्व निर्धारित दरों में संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से स्वमेव 15 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी ।

2.5.5 इन नियमों के जारी होने के पूर्व प्रचलित नियमानुसार भूमि/शेड आबंटन प्राप्त आबंटी, पट्टा अभिलेख में वर्णित शर्तों के अनुसार तत्समय प्रचलित दरों से भू-भाटक एवं संधारण शुल्क का भुगतान करेंगे किन्तु पट्टाभिलेख में किसी भी तरह के संशोधन की स्थिति में भू-भाटक तथा संधारण शुल्क तत्समय लागू नवीन दर अनुसार देय होगा। संशोधन पट्टाभिलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संशोधन नवीन निर्धारित दरों के अनुसार भू-भाटक एवं संधारण शुल्क का भुगतान करने पर ही लागू माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में भू-भाटक की गणना प्रकरण में लागू होने वाली उपरोक्त 2.5.2 की गणनानुसार कुल प्रचलित प्रब्याजि की सांकेतिक रूप से गणना करने के आधार पर की जायेगी।

परंतु, इन नियमों के जारी होने के पश्चात होने वाले भू-आबंटन प्रकरणों में भी भू-आबंटी को पट्टाभिलेख में किसी भी तरह के संशोधन की स्थिति में भू-भाटक तथा संधारण शुल्क तत्समय लागू नवीन दर अनुसार देय होगा। संशोधन पट्टाभिलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संशोधन नवीन निर्धारित दरों के अनुसार भू-भाटक एवं संधारण शुल्क का भुगतान करने पर ही लागू माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में भू-भाटक की गणना प्रकरण में लागू होने वाली उपरोक्त 2.5.2 एवं 2.5.3 की गणनानुसार कुल प्रचलित प्रब्याजि को सांकेतिक (Notional) रूप से गणना करने के आधार पर की जायेगी।

2.5.6 सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई, जो कि स्थापित होकर उत्पादनरत रहते हुए विकास के अनुक्रम में मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योग की श्रेणी में विकसित हो जाती है, तो ऐसी पट्टाग्रहिता इकाई अपनी मूल पट्टे की शर्तों के अनुरूप ही नवीन श्रेणी में सुखाधिकार प्राप्त करती रहेगी तथापि अध्याय-3 की कंडिका-(3.12.2) में दर्शित अवधि में यदि ऐसा परिवर्तन हो जाता है तो, नवीन श्रेणी के अनुसार, नवीन श्रेणी होने के दिनांक से पूर्व एवं नवीन श्रेणी की दरों में तत्समय प्रचलित भू-प्रब्याजि की दरों की अंतर राशि का भुगतान करना होगा तथा नयी दरों पर भू-भाटक एवं संधारण शुल्क भी देय होंगे।

2.5.7 अविकसित भूमि के आबंटन की दरें :- ऐसी भूमि, जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित/ हस्तांतरित की गई है तथा जिस पर सर्वे एवं डिमार्केशन को छोड़कर अन्य कोई विकास व्यय नहीं किया गया है, को अविकसित भूमि माना जायेगा। ऐसी निजी भूमि अर्जन के अर्जन के वर्तमान मूल्य/गाईड लाईन मूल्य पर किये गये व्यय में 10 प्रतिशत राशि जोड़कर भूमि की प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी। शासकीय भूमि होने की दशा में भी उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के अर्जन मूल्य/गाईड लाईन मूल्य में से जो भी अधिक हो, में 10 प्रतिशत राशि एवं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि जोड़ कर भू प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी। ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा। ऐसी अविकसित भूमि का वार्षिक भू-भाटक निर्धारित भू-प्रब्याजि का 3 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा एवं इस भूमि पर संधारण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

परंतु, भविष्य में यदि ऐसे अविकसित क्षेत्र में राज्य शासन/निगम कोई विकास कार्य प्रारंभ करता है तो पूर्व के भूमि आबंटन के प्रकरणों में भी औद्योगिक इकाइयों को राज्य शासन/सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दरों पर भू-भाटक तथा संधारण शुल्क देना होगा।

परंतु, यदि किसी भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ है, चाहे उस क्षेत्र में विकास पूर्ण नहीं हुआ है तो भी विकसित भूमि मानकर तदनुसार निर्धारित दरों से भू-प्रब्याजि, भू-भाटक तथा यथा निर्धारित संधारण शुल्क लिया जायेगा।

2.5.8 लैंड बैंक की भूमि का भू-आबंटन प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

2.5.9 सहायक (अनुषांगिक) औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूमि/शेड आबंटन के लिए प्रयोजनवार प्रब्याजि/किराया/भू-भाटक/प्रतिभूति राशि/संधारण शुल्क की दरें समय-समय पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा निर्धारित की जायेगी। सी.एस.आई.डी.सी. का संचालक मंडल उक्त प्रयोजनों के लिये पृथक से दर निर्धारण कर सकेगा किन्तु वे किसी भी दशा में उद्योग संचालनालय द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

2.5.10 पट्टाभिलेख में संशोधन शुल्क, जो अन्यथा उल्लेखित नहीं है, सूक्ष्म उद्यम हेतु रूपये एक हजार, लघु उद्यम हेतु रूपये दो हजार एवं सूक्ष्म व लघु उद्यम से भिन्न उद्यमों हेतु तत्समय प्रचलित भू-प्रब्याजि का 0.5 प्रतिशत होगा। ऐसे किसी भी संशोधन उपरांत भू भाटक की दरें तत्समय प्रचलित प्रब्याजि के अनुसार लागू होंगी तथा संधारण शुल्क तत्समय प्रचलित हर पर देय होगा। संशोधन पट्टाभिलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संशोधन नवीन निर्धारित दरों के अनुसार भू-भाटक एवं संधारण शुल्क का भुगतान करने पर ही लागू माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में भू-भाटक की गणना प्रकरण में लागू होने वाली कुल प्रचलित प्रब्याजि को सांकेतिक रूप से गणना करने के आधार पर की जायेगी।

2.5.11 औद्योगिक क्षेत्रों में सहायक (आनुषांगिक) औद्योगिक प्रयोजन, उद्योगों हेतु आवश्यक सेवायें उद्योगों हेतु सहयोगी व्यापार सेवा हेतु भूमि आबंटन की दरों का निर्धारण उद्योग संचालनालय/सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा (यथा स्थिति जो लागू हो) शासन के अनुमोदन से किया जायेगा। इन दरों का प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक होगा।

परंतु, उद्योग संचालनालय/सी.एस.आई.डी.सी. को यह अधिकार होगा कि इस अंतराल के पूर्व ही भू-आबंटन संबंधी दरों को पुनः निर्धारित कर सके।

अध्याय–तीन

औद्योगिक भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ एवं लैंड बैंक से आबंटित भूमि का आबंटन पश्चात् नियमन एवं प्रबंधन

3.1 परियोजना का क्रियान्वयन :–

3.1.1 इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करना :–

प्रत्येक पट्टाग्रहिता को भूमि/शेड का आधिपत्य प्राप्त कर पट्टा अंतर्गत दर्शित प्रयोजन एवं भू–आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) अनुसार अपनी परियोजना क्रियान्वित करनी होगी। इस हेतु सभी आवश्यक प्रभावशील कदम उठाकर, नियमानुसार आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर, भवन–शेड निर्माण कर यंत्र–संयंत्र की स्थापना कर समयावधि में परियोजना में उत्पादन प्रारंभ करना होगा। समयावधि की गणना इकाई द्वारा भूमि/शेड/प्रकोष्ठ का आधिपत्य प्राप्त करने की दिनांक से निम्नानुसार होगी :–

(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मामले में आधिपत्य दिनांक से दो वर्ष।

(ब) मध्यम उद्यमों के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष।

(स) वृहद उद्यमों के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से चार वर्ष।

(द) मेगा उद्यमों के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से पांच वर्ष।

(इ) अल्ट्रा मेगा के उद्यमों के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से छः वर्ष।

3.1.1.1 उपरोक्त समय–सीमा में उत्पादन प्रारंभ न होने पर निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शित अनुसार समस्त श्रेणियों के लिये निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व तथा निरस्तीकरण आदेश जारी होने के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु उठाये गये प्रभावी कदमों की सप्रमाण जानकारी सहित आवेदन करने पर तालिकानुसार अवधि की वृद्धि की जा सकेगी –

(I) महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जि.व्या.उ.के./सीएसआईडीसी द्वारा आबंटित दो हेक्टयर तक भूमि आबंटन के प्रकरणों में अपनी आबंटन सीमा के अंतर्गत उपरोक्तानुसार (अ) एवं (ब) श्रेणी के उद्योगों के मामले में प्रस्तावित परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी पूंजी निवेश होने की दशा में उद्योग स्थापना हेतु निर्धारित मूल अवधि (अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग – 2 वर्ष (ब) मध्यम उद्योग – 3 वर्ष में निम्नांकित अनुसार वृद्धि की जा सकेगी :–

क्र	उद्यम का स्तर	प्रथम वृद्धि			द्वितीय वृद्धि			तृतीय वृद्धि		
		सक्षम प्राधिकारी	शास्ति (तत्समय देय प्रब्याजी प्रतिशत)	अधिकतम समय वृद्धि	सक्षम प्राधिकारी	शास्ति (तत्समय देय प्रब्याजी प्रतिशत)	अधिकतम समय वृद्धि	सक्षम प्राधिकारी	शास्ति (तत्समय देय प्रब्याजी प्रतिशत)	अधिकतम समय वृद्धि
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जि.व्या.उ.के./सीएसआईडीसी	निरंक	6 माह	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जि.व्या.उ.के./सीएसआईडीसी	10	6 माह	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय/कार्यपालक संचालक, सीएसआईडीसी	15	1 वर्ष
2	मध्यम उद्योग	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जि.व्या.उ.के./सीएसआईडीसी	निरंक	6 माह	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जि.व्या.उ.के./सीएसआईडीसी	10	6 माह	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय/कार्यपालक संचालक, सीएसआईडीसी	15	1 वर्ष

This image can't be opened using this version of Microsoft Office.
To view this image, click the button below to download it to your computer, open it in a compatible image viewer, and then open Microsoft Office and insert the image.

This image can't be rendered by GD. PHPZIP, zlib or libdl is missing.

3.1.2.5 उपरोक्त कंडिका (3.1.1) एवं (3.1.2) उन प्रकरणों में लागू नहीं होंगी जहां भूमि/शेड आबंटन के समय अन्य कोई समय-सीमा राज्य शासन द्वारा पूर्व से सुनिश्चित/अनुबंधित हो। ऐसे प्रकरणों में समय-सीमा बढ़ाने अथवा अन्य कार्यवाही के अधिकार राज्य शासन को होंगे। अतिरिक्त समय की समाप्ति उपरांत प्रकरण की समीक्षा करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

3.2 बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन (Mortgage):-

3.2.1 पट्टाधिकार के अभिहस्तांकन की अनुमति वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् ही दी जायेगी।

3.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत घोषित लोक हित वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत गठित वित्त निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में, जैसी भी स्थिति हो, पट्टाग्रहिता को उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को संबंधित वित्तीय संस्था के पक्ष में अभिहस्तांकन करने की अनुमति संबंधित आबंटन प्राधिकारी द्वारा आवेदन करने पर दी जा सकेगी।

3.2.3 पट्टाग्रहिता के लिये यह अनिवार्य होगा कि, वह लिखित में आबंटन अधिकारी से उक्त अभिहस्तांकन की अनुमति प्राप्त करें।

3.2.4 पट्टेदारी अधिकारों के अभिहस्तांकन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

3.2.4.1 राज्य शासन/उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आबंटित भूमि, भवन-शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि होगा।

3.2.4.2 अभिहस्तांकन अनुमति बैंक/वित्तीय संस्था एवं आबंटी के आवेदन पर महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंध संचालक द्वारा पृथक से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र में जारी की जायेगी।

3.2.4.3 यह अनुमति मूल पंजीकृत पट्टाभिलेख सीधे संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को भेजते हुए दी जायेगी। पट्टाग्रहिता को उसे प्रदत्त पट्टाधिकार को वित्तीय संस्थाओं/बैंक के पक्ष में अभिहस्तांकित करने की स्थिति में राज्य शासन/उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आबंटित भूमि/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि होगा तथा दिये गये ऋण की वसूली ऋण से निर्मित संपत्तियों तथा ऋण गृहिता से ही किये जाने का उल्लेख अभिहस्तांकन पत्र में किया जाना होगा। इन नियमों के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परिसंपत्तियों के क्रेता के पक्ष पट्टाधिकारों का हस्तांतरण नियमानुसार किया जा सकेगा।

3.2.4.4 बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की वसूली हेतु ऋणी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने के तीन माह पूर्व आबंटन अधिकारी को सूचना देनी होगी।

3.2.4.5 बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज इन्ट्रेस्ट एक्ट (सरफेसी एक्ट) के तहत कार्यवाही करने पर अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई विधिक कार्यवाही करने/विधिक कार्यवाही पर ऋणी के विरूद्ध जारी की जानी वाली नोटिस/समाचार पत्रों में सूचना/विक्रय हेतु नोटिस एवं अन्य पक्षकार के साथ किये जाने वाले अनुबंध में निम्नाशय की शर्तें अंकित होंगी :-

(अ) भूमि/शेड-भवन का उपयोग उद्योग की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

(ब) राज्य शासन/उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आबंटित भूमि/शेड को देय तत्समय में प्रचलित भू-हस्तांतरण शुल्क एवं पुरानी देयताओं का ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

(स) अनुमति उसी प्रयोजन हेतु है जिस प्रयोजन हेतु भूमि/शेड-भवन आबंटित है।

3.2.4.6 उक्त कार्यवाही उपरांत क्रेता को इस नियम में मान्य किसी गतिविधी के लिये वित्तीय संस्था से परिसंपत्तियों का आधिपत्य प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में भूमि आबंटन/हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तदुपरांत उपरोक्त अध्याय-दो में वर्णित कंडिकाओं का पालन करते हुये संबंधित भूमि/शेड-भवन की लीजडीड मूल लीजडीड में से शेष रही अवधि के लिये निष्पादित करानी होगी। समयावधि में लीजडीड निष्पादित न कराने पर पट्टे में वर्णित संपत्ति-भूमि/शेड/भवन पर क्रेता को कोई विधिक अधिकार नहीं होगा तथा इन नियमों के अनुसार सक्षम आबंटन प्राधिकारी पट्टे में वर्णित संपत्ति- भूमि/शेड/भवन का आबंटन अन्य उद्यमी को नियमानुसार कर सकेगा।

This image can't be displayed.Ensure the URL is valid, and that it's not blocked or has the

This image can't be opened using this version of Microsoft Office. To view this image, click on this message to find out more about the latest version of Office, or open the image with another application.

3.6.7 आबंटी द्वारा भूखण्ड का आधिपत्य वापिस सौंपने के बाद ही उक्तानुसार भू-प्रब्याजि की वापसी की जायेगी।

टीप :- इस कंडिका के उद्देश्य हेतु पट्टाग्रहिता के पास भूमि पर आधिपत्य की अवधि का निर्धारण, पट्टाग्रहिता द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से पट्टादाता को आधिपत्य वापस देने तक की अवधि तक के आधार पर किया जाएगा। परंतु, जहां भूमि का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पट्टाभिलेख निष्पादन दिनांक से भूमि का समर्पण दिनांक तक की अवधि, प्रब्याजि के प्रत्यर्पण की गणना हेतु विचारित की जायेगी।

3.6.8 आबंटनकर्ता प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के तहत् आवेदनकर्ता इकाईयों की जमा प्रब्याजि राशि नियमों के अंतर्गत पात्रतानुसार इकाईयों को वापिस करने हेतु अधिकृत होंगे।

3.7 पट्टे का निरस्तीकरण :-

3.7.1 आबंटन प्राधिकारी निष्पादित पट्टाभिलेख की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर पट्टाग्रहिता/उसके अभिहस्तांकिती को प्रदत्त भू-आबंटन आदेश और पट्टाभिलेख का निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

3.7.2 पट्टाभिलेख की शर्तों का उल्लंघन पट्टाग्रहिता द्वारा करने की स्थिति में आबंटनकर्ता प्राधिकारी पंजीकृत डाक से अभिस्वीकृति/पावती सहित सूचना-पत्र जारी कर पट्टाग्रहिता को निर्देशित किया जायेगा कि, वह किए गए उल्लंघन का निराकरण सूचना-पत्र जारी होने की दिनांक से 60 (साठ) दिवस की समयावधि में दूर कर लिखित में प्रमाण सहित पुनः सूचित करें अन्यथा आबंटन प्राधिकारी द्वारा पट्टे का निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

3.7.3 उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार जारी किये जाने वाले सूचना-पत्र/निरस्तीकरण आदेश अथवा अन्य आवश्यक पत्राचार आबंटी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदनपत्र में उल्लेखित पतें पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा। यदि इस कार्यवाही के पूर्व आबंटी द्वारा लिखित में पता परिवर्तन सूचित किया गया है तो परिवर्तित पता उपरोक्त कार्यवाही हेतु मान्य किया जा सकेगा। सूचना-पत्र एवं निरस्तीकरण आदेशों की प्रति पट्टेदार की ज्ञात वित्तीय संस्थाओं, विद्युत प्रदायकर्ता कंपनी, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं उद्योग विभाग के सर्व संबंधित कार्यालयों को भी पृष्ठांकित की जायेगी। सूचना-पत्र एवं निरस्तीकरण आदेश की एक प्रति आबंटित परिसर पर भी विभागीय प्रबंधक/सहायक प्रबंधक द्वारा समक्ष में चस्पा करायी जायेगी जिसे इकाई को सूचना प्राप्त होना माना जायेगा। ज्ञात होने पर आबंटी को ई-मेल/फैक्स द्वारा भी सूचित किया जायेगा तथा इसे भी इकाई को सूचना प्राप्त होना माना जायेगा।

3.8 अपील :-

3.8.1 इन नियमों के अंतर्गत आबंटन अधिकारी द्वारा पारित/जारी निरस्तीकरण आदेश अथवा किसी अन्य आदेश से असंतुष्ट पट्टेदार, ऐसा आदेश पारित होने की दिनांक से तीस (30) दिवस की अवधि में इस नियम की कंडिका (3.8.3) में वर्णित अधिकारी के समक्ष अपील निम्नानुसार अपील शुल्क सहित प्रस्तुत की जा सकेगी :-

क्रमांक	उद्योग की श्रेणी	अपील शुल्क(राशि रूपये में)	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु	2000	5000
2	सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों हेतु	10,000	25,000

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के संबंधित अपील प्रकरणों में अपील शुल्क उस निगम को देय होगा।

3.8.2 अपील शुल्क वापिस नहीं होगा तथा निर्धारित अपील शुल्क के बिना जमा की गई अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। निर्धारित अपील शुल्क के बिना प्राप्त अपील प्रकरणों में यह माना जायेगा कि इकाई ने अपील नहीं की है तथा तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही का अधिकार विभाग के अधिकारियों को होगा।

परंतु, निर्धारित अपील शुल्क के बिना प्राप्त अपील प्रकरणों में कोई कार्यवाही करने के पूर्व आवेदन अपीलार्थी को कारण बताते हुये मूलतः वापिस कर दिया जायेगा।

3.8.3 अपील के संबंध में क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा –

क्रमांक	निरस्तीकरण आदेशकर्ता	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/ सी.एस.आई.डी.सी.	संचालक/ आयुक्त, उद्योग संचालनालय अथवा प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
2	अपर संचालक उद्योग संचालनालय	संचालक/ आयुक्त, उद्योग संचालनालय	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
3	संचालक/ आयुक्त, उद्योग संचालनालय	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	—
4	कार्यपालक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
5	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	——

3.8.4 अपील निर्धारित अवधि में प्राप्त होने पर ही मान्य की जायेगी।

3.8.5 अपीलीय प्राधिकारी प्रकरण के गुणदोष के आधार पर निर्धारित अवधि के उपरांत विलंब से प्राप्त अपील के प्रकरण में उक्त कंडिका 3.8.1 के में दर्शित अपील शुल्क, शास्ति स्वरूप दो गुना प्राप्त करके अपील आवेदन ग्राह्य कर विलंब को शिथिल कर अपील की सुनवाई कर सकेगा।

3.8.6 अपील आवेदन की प्रति अपीलकर्ता द्वारा पट्टादाता/पट्टा निरस्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से प्रस्तुत की जायेगी। इसके आधार पर पट्टा निरस्तकर्ता अधिकारी अपील का निर्णय होने तक अपीलाधीन भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ, जैसी भी स्थिति हो, का आधिपत्य वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्रतीक्षा कर सकेंगे।

3.9 पट्टाभिलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना :–

3.9.1 यदि पट्टेदार द्वारा आबंटित भूमि/शेड में अपनी कोई परिसंपत्तियां (बाउंड्री वॉल जैसी अनुत्पादक संपत्तियां छोड़कर) निर्मित नहीं की गयी हो तो पट्टाभिलेख निरस्तीकरण उपरांत (लंबित अपील/न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त मामलों को छोड़कर) संबंधित भूमि/भवन/प्रकोष्ठ का आधिपत्य महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एकपक्षीय आधार पर अधिकतम 15 दिवस में पंचनामा कर प्राप्त कर लिया जायेगा तथा इसकी सूचना पट्टेदार को पंजीकृत पत्र द्वारा दी जायेगी। इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी । तथापि, अनुपात्दक संपत्तियों को आबंटी स्वयं के व्यय पर निरस्तीकरण आदेश दिनांक से 30 दिवस में हटा सकेगा।

3.9.2 यदि आबंटित भूमि पर आबंटी द्वारा परिसंपत्तियाँ निर्मित की गई है तो आबंटन प्राधिकारी द्वारा निरस्तीकरण उपरांत पट्टेदार को अपनी परिसंपत्तियाँ हटाने हेतु निरस्तीकरण आदेश की तिथि से अधिकतम 3 माह का समय प्राप्त होगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर पट्टादाता को उक्त परिसर में छोड़ी गई पट्टेदार की समस्त संपत्ति पर बिना कोई क्षतिपूर्ति दिये पूर्ण अधिकार होगा एवं तद्नुसार वह उसका निपटान करने को स्वतंत्र होगा।

3.9.3 परिसंपत्तियाँ हटाने हेतु प्रदत्त अनुसार अवधि में परिसंपत्तियाँ हटाकर आधिपत्य विभाग को नही सौंपने पर प्रकरण का निराकरण होने तक की अवधि के लिये वार्षिक भू–भाटक के समतुल्य राशि प्रत्येक माह शास्ति के रूप में देय होगी तथा इसकी वसूली पट्टाग्रहिता से भू–राजस्व की भांति आर.आर.सी. जारी कर की जायेगी।

3.9.4 आधिपत्य प्राप्तकर्ता द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के लिये पट्टाभिलेख निरस्तीकरण आदेश का विवरण देते हुए, निश्चित तिथि व समय अंकित कर, जो सात दिवस से अधिक नहीं होगा, निरस्त पट्टा के पट्टाग्रहिता को पंजीकृत डाक से उद्योग के कार्यस्थल, कार्यालय तथा निवास के ज्ञात पते/ई–मेल/फैक्स पर प्रथम पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया जायेगा।

3.9.5 नियत तिथि व समय पर निरस्त पट्टा के पट्टाग्रहिता के उपस्थित न होने पर एक बार पुनः पंजीकृत पत्र से एक निश्चित तिथि व समय निर्धारित करते हुए, जो पुनः सात दिवस से अधिक नहीं होगी, आधिपत्य वापस सौंपने हेतु निर्देशित किया जायेगा, जिसमें यह भी उल्लेख होगा कि, निरस्त पट्टा के पट्टाग्रहिता के उपस्थित न होने पर एकतरफा आधिपत्य पंचनामा के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

3.9.6 निरस्त पट्टा के पट्टाग्रहिता के नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने पर आधिपत्य प्राप्तकर्ता द्वारा निरस्त भूमि/भवन/प्रकोष्ठ का आधिपत्य पंचनामा तैयार कर वापस लिया जा सकेगा तथा पंचनामा में अन्य पंच/गवाहों के पूर्ण नाम, पद एवं पता अंकित कर हस्ताक्षर प्राप्त किए जावेंगे।

3.9.7 अपील/न्यायालयीन प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरणों में आधिपत्य प्राप्त करने की पूर्ण कार्यवाही निरस्तीकरण दिनांक के 3 माह के अंदर पूर्ण की जायेगी। आधिपत्य प्राप्त करने के उपरांत इसकी सूचना प्रभावित पक्ष को पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।

3.9.8 अपील में पट्टा निरस्तीकरण का निर्णय यथावत् निरंतर रखा जाने की स्थिति में महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंध संचालक द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार अनिवार्यतः उपरोक्तानुसार 3 माह में निरस्त भूमि/भवन/प्रकोष्ठ का आधिपत्य प्राप्त किया जायेगा।

3.9.9 उपरोक्त कंडिकाओं के निराकरण योग्य प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) अनुसार बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिये सक्षम अधिकारी के पास निरस्तीकरण/अपील निराकरण/आधिपत्य प्राप्त न होने, जैसी भी स्थिति हो, उसके 45 दिवस में प्रकरण पंजीकृत कराया जायेगा। प्रकरण पंजीकृत कराने की जिम्मेदारी संबंधित आबंटनकर्त्ता प्राधिकारी की होगी।

3.10 निरस्त पट्टाभिलेख अंतर्गत भूमि, भवन/शेड का पुनर्स्थापन :–

3.10.1 कार्यरत् इकाई के देय राशियों का भुगतान न करने के कारण निरस्त भूमि, भवन/शेड के पट्टा प्रकरण में अंतिम निराकरण के पूर्व नियमों में उल्लेखित/पट्टे की शर्तों में वर्णित प्रावधान अनुसार पट्टाग्रहिता द्वारा देयताओं का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही प्रचलित प्रब्याजि की दस प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन/शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। यह पुनर्स्थापन अवधि आबंटन अधिकारी द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश में वर्णित अपील अवधि समाप्त होने के पूर्व की होगी। इस अवधि के भीतर भुगतान सहित आवेदन प्राप्त होने पर निरस्त पट्टे का पुर्नस्थापन पट्टा निरस्तीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

परंतु, कार्यरत् इकाई के देय राशियों का भुगतान न करने के कारण निरस्त भूमि, भवन/शेड के पट्टा निरस्तीकरण प्रकरण के अपील प्रकरणों मे अपीलीय अधिकारी प्रचलित प्रब्याजि की 10 (दस) प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन/शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित कर सकेगा।

3.10.2 उपरोक्त कंडिका 3.10.1 से भिन्न प्रकरणों में पट्टा निरस्तीकरण के मामलों में भूमि, भवन/शेड की पुनर्स्थापना के प्रत्येक प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर इकाई की अद्यतन स्थिति, रोजगार, पूंजी निवेश, उल्लंघित प्रावधानों की पूर्ति एवं उद्योग स्थापनार्थ नये प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुये की जा सकेगी। ऐसा करते समय कंडिका क्रमांक 3.8.3 में वर्णित अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रचलित प्रब्याजि के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर पुनर्स्थापना राशि एवं अन्य देय राशि पट्टेदार पर आरोपित कर पुनर्स्थापन की अनुमति दी जा सकेगी ।

3.10.3 यदि पट्टेदार द्वारा न्यायिक वाद प्रचलित किया गया हो तो वह स्वेच्छा से वाद वापस लेकर उपरोक्त कंडिका 3.10.1 अथवा 3.10.2 जैसी भी स्थिति हो, अनुसार निराकरण हेतु आवेदन कर सकेगा।

3.10.4 उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में गुण–दोष के आधार पर राज्य शासन ऐसा निर्णय ले सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

3.11 शेडों/फ्लैटेड फैक्ट्रियों (बहुमंजिला भवन के शेड) का भाड़ाक्रय पद्धति के अंतर्गत आबंटन :–

3.11.1 केवल भवन/फ्लैटेड फैक्ट्री प्रकोष्ठ ही भाड़ा क्रय पर दिये जा सकेंगे, भूमि नहीं। जिस भूमि पर भवन निर्मित है तथा पास की न्यूनतम खुली भूमि नियमों में वर्णित अवधि की लीज पर दी जायेगी, जिसके लिए एक लीजडीड अलग से निष्पादित करनी होगी। इन प्रकरणों में खुली तथा शेड/फ्लैटेड अंतर्गत निर्मित क्षेत्र की भूमि सम्मिलित कर आबंटन योग्य कुल भूमि की मात्रा का निर्धारण इस नियम में वर्णित भूमि की मात्रा संबंधी नियम से शासित होगा ।

3.11.2 भवन/फ्लैटेड (बहुमंजिला भवन के शेड) के भाड़ा क्रय हेतु मूल्य निर्धारण के सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :–

(अ) आवेदन के निराकरण के समय प्रचलित वास्तविक मूल्य/पीडब्ल्यूडी दर अनुसूची (एस.ओ.आर.–शेड्यूल आफ रेट्स) के आधार पर भवन/प्रकोष्ठ का मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

(ब) निर्धारित मूल्य का अधिकतम 10 (दस) वर्षों में 20 समान अर्ध–वार्षिक किश्तों में भुगतान करना होगा, जिस पर प्रचलित वार्षिक बैंक ब्याज की दर की से सामान्य ब्याज देय होगा। पूर्व जमा सिक्यूरिटी राशि अंतिम किश्त के साथ समायोजित की जायेगी। 10 (दस) वर्ष पूर्ण होने/ पूर्ण मूल्य प्राप्त हो जाने पर शेड, प्रकोष्ठ/भवन का शेष अवधि के लिए विक्रय विलेख निष्पादित होगा।

(स) भवन और उसके साथ लगी हुई खुली भूमि, दोनों पर तत्समय प्रचलित दर से प्रब्याजि तथा भू–भाटक ली जाकर लीजडीड निष्पादित की जाएगी। क्रयकर्ता को प्रचलित दरों के अनुसार संधारण शुल्क देना होगा। फ्लेटेड प्रकोष्ठ के भाड़ा क्रय प्रकरणों में भूमि और सामूहिक उपयोग के स्थल की लीजडीड नहीं होगी।

(द) यदि भवन/प्रकोष्ठ का पुराना किराया शेष हो तो आबंटी को पूर्व बकाया राशि का भुगतान प्रथमतः करना होगा ।

(इ) भवन/फ्लेटेड प्रकोष्ठ (बहुमंजिला भवन) का मासिक किराया जो आबंटनकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित हो वह भी देय होगा।

(फ) आवेदन के पूर्व जो भवन/प्रकोष्ठ का किराया लिया गया हो वह भवन/प्रकोष्ठ की कीमत में सम्मिलित नहीं माना जाएगा।

3.11.3 यदि कोई आबंटी निर्धारित दिनांक पर किश्त जमा नहीं करता है, तो देय राशि पर बारह (12) प्रतिशत प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज अतिरिक्त शास्ति के रूप में देय होगा। शास्ति अतिदेय राशि पर उस दिन से वसूल की जायेगी, जिस दिन मूल किश्त जमा करना थी।

3.11.4 यदि कोई आबंटी 2(दो) से ज्यादा किश्तों का भुगतान नहीं करता है तो भवन/प्रकोष्ठ राज्य शासन/सी.एस.आई.डी.सी. के पक्ष में वापिस माना जाएगा एवं पूर्व में जमा की गयी किश्तें राशि राज्य शासन/ सी.एस.आई.डी.सी. के पक्ष में राजसात हो जाएगी। इस प्रक्रिया को करने के पूर्व सम्बधित आबंटी को किश्तो की भुगतान देय दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में एक 15 दिवसीय कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जायेगा। निर्धारित अवधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर जमा राशि राजसात करने की कार्यवाही समुचित आदेश जारी कर की जायेगी तथा यह आदेश आबंटी को पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा। परंतु, चूक का समाधानकारक कारण होने पर उक्त कंडिका 3.11.3 के अनुसार कार्यवाही आबंटी को उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर के साथ पूर्ण करनी होगी। परंतु, राजसात किये जाने के उपरांत अधिकतम 3 माह की अवधि में यदि आबंटी पुनः किराये पर भवन/प्रकोष्ठ आबंटन हेतु आवेदन करता है तो उसे तत्समय प्रचलित किराये की दर से चूक (डिफाल्ट) की अवधि की मासिक किश्तें अतिदेय राशि पर 18 (अठ्ठारह) प्रतिशत प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज अतिरिक्त शास्ति के रूप में चुकाने पर ही भवन/प्रकोष्ठ किराये पर दिया जा सकेगा।

3.11.5 भाड़ा क्रय योजना के अंतर्गत प्राप्त भवन/प्रकोष्ठ फ्लेटेड शेड यथा संबंधित, आबंटन प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी को विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

3.11.6 भाड़ा क्रय योजना के अंतर्गत प्राप्त भवन/प्रकोष्ठ का उपयोग उद्योग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

3.11.7 भाड़ा क्रय अनुबंध की अवधि में भवन/प्रकोष्ठ फ्लेटेड शेड राज्य शासन/सी.एस.आई.डी.सी. की संपत्ति रहेगा।

3.11.8 भाड़ा क्रय योजना के अंतर्गत भवन/प्रकोष्ठ फ्लेटेड शेड प्राप्तकर्ता को स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क का भुगतान स्वयं वहन करना होगा।

3.11.9 भाड़ा क्रय योजना की अवधि में भवन/प्रकोष्ठ को अच्छी स्थिति में रखने तथा उसकी मरम्मत एवं संरक्षण कर उसे अच्छी स्थिति में बनाये रखने की जिम्मेदारी भवन/प्रकोष्ठ क्रय करने वाले की होगी ।

3.11.10 भवन/प्रकोष्ठ क्रय करने वाले को उद्योग संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, जैसी भी स्थिति हो, के सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में भवन/प्रकोष्ठ का बीमा,अपने खर्च पर भाड़ा क्रय की अंतिम किश्त के भुगतान की अवधि तक करना होगा।

3.11.11 भाड़ा क्रय योजना अंतर्गत भवन/शेड फ्लेटेड के विक्रय की अनुमति के अधिकार आबंटन प्राधिकारी को होंगे।

3.12 स्वप्रेरणा से निर्णय का पुनरीक्षण :–

इन नियमों में किसी विपरीत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी राज्य शासन किसी भी प्रकरण के अभिलेख को बुला सकेगा तथा प्रकरण में हुए निर्णय का पुनरीक्षण कर यथायोग्य आदेश पारित कर सकेगा, परंतु ऐसा करने के पूर्व प्रभावित पक्षों को सुनवाई का मौका देना आवश्यक होगा।

3.13 स्पष्टीकरण एवं व्याख्या के अधिकार :–

नियमों में अस्पष्टता/विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय उसकी व्याख्या के लिये अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इन नियमों के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार परिपत्र संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जा सकेंगे किन्तु वह इस नियम के मूल स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन नही कर सकेगा। आवश्यकता होने पर संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय राज्य शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा।

परंतु, संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय इस नियम के मूल स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन राज्य शासन के अनुमोदन से कर सकेगा।

3.14 पूर्व नियमों का अधिक्रमण :-

ये नियम निम्नलिखित नियमों को अधिक्रमित कर उनके स्थान पर प्रभावी होंगे :-

3.14.1 छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि) आबंटन नियम, 1974 (मूल एवं यथा संशोधित) एवं उसके संदर्भ में राज्य शासन/उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश।

3.14.2 औद्योगिक शेडों को भाड़ा क्रय पद्धति पर प्रदाय करने की योजना से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश।

3.14.3 इन नियमों के लागू होने के पूर्व से प्रचलित नियमों के अंतर्गत उद्योग संचालनालय, एवं सीएसआईडीसी में भूमि आबंटन हेतु लम्बित समस्त आवेदन पत्र इन नियमों के लागू होने की दिनांक पर निरस्त माने जायेंगे।

3.15 राज्य शासन के अधिकार :-

इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रावधान के संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा।

3.16 न्यायालयीन क्षेत्राधिकार :-

"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" के समस्त विवाद छत्तीसगढ़ राज्य की भू-सीमा के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही स्वीकार योग्य होंगे।

3.17 निरसन एवं व्यावृत्ति :-

इन नियमों के प्रवृत्त होने की दिनांक के पूर्व से प्रचलित इस विषय के समस्त नियम/प्रावधान इन नियमों के लागू होने की दिनांक से निरस्त माने जावेंगे, तथापि उन नियमों के तहत लिए गये समस्त निर्णय एवं दिये गये आदेश इन नियमों के तहत लिये गये एवं दिये गये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

अध्याय–चार

विविध परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, भवन–शेड, प्रकोष्ठ की भूमि की प्रब्याजी, भू–भाटक, संधारण शुल्क की दरें

(See Clause No. 2.2)

1. औद्योगिक प्रयोजन हेतु –

औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ एवं लैंड बैंक भूमि की प्रब्याजी, विकास शुल्क, भू–भाटक, संधारण शुल्क की दरों को समय–समय पर उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित किया जायेगा। ऐसी दरें आदेश में वर्णित दिनांक से प्रभावी समझी जायेंगी।

2. सहायक (अनुषंगिक) प्रयोजन हेतु –

(अ) उद्योगों हेतु आवश्यक अधोसंरचनायें एवं पट्टा हेतु प्रब्याजि, भू–भाटक, संधारण शुल्क इत्यादि की दरें

क्र.	गतिविधि का नाम	भू–आबंटन की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार अनुसार)	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	1–ड्रायपोर्ट एवं कंटेनर डिपो तथा उनके लिये स्टाकयार्ड 2–रेलवे लाईन/ साइडिंग, एयरपोर्ट (भूमि का आकार आवश्यकतानुसार)	अपर संचालक/ संचालक/आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से भिन्न उद्योगों हेतु निर्धारित प्रचलित दर से चार गुना।
			भवन/प्रकोष्ठ हेतु मासिक किराया।	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से भिन्न उद्योगों हेतु निर्धारित दर से चार गुना।
			भू भाटक (प्रतिवर्ष देय)	प्रचलित प्रब्याजी के निर्धारित प्रतिशत का चार गुना।
			प्रतिभूति	वार्षिक भू–भाटक अथवा मासिक किराये का तीन गुना।
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से भिन्न उद्योगों हेतु निर्धारित दर से चार गुना।
(2)	1– औद्योगिक रिसर्च, अनुसंधान एवं परीक्षण प्रयोग शालायें (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु) अधिकतम दो हेक्टेयर तक। दो हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर प्रत्येक मद की दरें संपूर्ण भूमि पर तीन गुना लागू होंगी (प्रतिभूति छोड़कर)	अपर संचालक/ संचालक/आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि।	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर पर।
			भवन/प्रकोष्ठ हेतु मासिक किराया।	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर पर।
			भू भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर पर
			प्रतिभूति	वार्षिक भू–भाटक/ मासिक किराये का तीन गुना

क्र.	गतिविधि का नाम	भू-आबंटन की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार अनुसार)	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	प्रचलित प्रब्याजि का दो प्रतिशत
(3)	बैंक/ए.टी.एम. (आबंटन पात्रता अधिकतम क्रमशः 100/10 वर्गमीटर)	अपर संचालक/ संचालक/आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भू भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			प्रतिभूति	भू-भाटक/ मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
(4)	1- उद्योग संघ एवं श्रमिक संघों के कार्यालय (आबंटन पात्रता अधिकतम 500 वर्गमीटर) 2- केन्द्र व राज्य शासन के विभाग या संस्था जिनका कार्यक्षेत्र औद्योगिक गतिविधि / रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से संबंधित हो (आबंटन पात्रता अधिकतम एक एकड़) 3- डाकघर (आबंटन पात्रता अधिकतम 100 वर्गमीटर)	अपर संचालक/ संचालक/आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म लघु उद्योगों हेतु निर्धारित दर पर
			भवन/प्रकोष्ठ हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु निर्धारित दर पर
			भू-भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योगों हेतु निर्धारित दर पर
			प्रतिभूति	वार्षिक भू-भाटक/मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योगों हेतु निर्धारित दर पर
(5)	1-पुलिस थाना/चौकी (1000 वर्गमीटर तक) 2-जलशोधन संयंत्र (अधिकतम 0.5 एकड़) 3-सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र (अधिकतम 0.5एकड़) 4-फायर बिग्रेड (अधिकतम 0.5 एकड़) 5-सार्वजनिक प्याऊ (अधिकतम 10 वर्गमीटर) 6-सार्वजनिक झूलाघर (अधिकतम 100 वर्गमीटर) शासकीय अस्पताल/ 7-डिस्पेंसरी (अधिकतम 0.5 एकड़)	संचालक/ आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	निःशुल्क	निःशुल्क

(ब) उद्योगों हेतु आवश्यक सेवाओं एवं पट्टा हेतु प्रब्याजि, भू-भाटक, संधारण शुल्क इत्यादि की दरें –

क्रमांक	गतिविधि का नाम	भू-आबंटन की अधिकारिता	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निजी इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (अधिकतम 1000 वर्गमीटर)	अपर संचालक/ संचालक/आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भू-भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			प्रतिभूति	भू-भाटक/ मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
2.	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/ गुणवत्ता प्रमाणीकरण/ परामर्श/सेवा एजेन्सीज़ (अधिकतम 500 वर्गमीटर)	अपर संचालक/ संचालक/आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भू-भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			प्रतिभूति	भू-भाटक/ मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
3.	उद्योग आयात– निर्यात परामर्श/सेवा एजेंसी (आबंटन पात्रता अधिकतम 100 वर्गमीटर)	अपर संचालक/ संचालक/आयुक्त/ उद्योग संचालनालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भू-भाटक(प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			प्रतिभूति	भू-भाटक/ मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना

क्रमांक	गतिविधि का नाम	भू–आबंटन की अधिकारिता	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	1–एस.टी.डी./आई.एस.डी./ फोटोकॉपी/फैक्स/ सायबर कैफे (आबंटन पात्रता अधिकतम 50 वर्गमीटर) 2–सुविधा केन्द्र/ट्रेव्हल एजेंसी (आबंटन पात्रता अधिकतम 15 वर्गमीटर) 3–आटोमोबाईल्स रिपेरिंग एवं सर्विसिंग, (शो–रूम को पात्रता नहीं) (आबंटन पात्रता अधिकतम 500 वर्गमीटर) 4–लघु मरम्मत केन्द्र (आबंटन पात्रता अधिकतम 200 वर्गमीटर) 5– टेस्टिंग एवं केलिब्रेटिंग लेब (आबंटन पात्रता अधिकतम 500 वर्गमीटर)	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			भू–भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			प्रतिभूति	भू–भाटक/ मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	सूक्ष्म, लघु उद्योग हेतु निर्धारित दर से दो गुना

(स) उद्योगों हेतु सहयोगी सेवा व्यापार के लिये पट्टा प्रब्याजि, भू–भाटक, संधारण शुल्क इत्यादि की दरें

क्रमांक	गतिविधि का नाम	भू–आबंटन की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार अनुसार)	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोरियर एवं ट्रांसपोर्ट एजेन्सी (केवल 100 एकड़ से अधिक के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमत) अधिकतम 25 वर्गमीटर	अपर संचालक/ संचालक/ आयुक्त/उद्योग संचालनालय/ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों का न्यूनतम चार गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो
			भू–भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना
			प्रतिभूति	वार्षिक भू–भाटक /मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	प्रब्याजि का पच्चीस प्रतिशत

क्रमांक	गतिविधि का नाम	भू-आबंटन की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार अनुसार)	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	पेट्रोल पंप (केवल 100 एकड़ से अधिक के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमत) अधिकतम 1000 वर्गमीटर	अपर संचालक/ संचालक/ आयुक्त/उद्योग संचालनालय/ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			भू-भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			प्रतिभूति	वार्षिक भू-भाटक /मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	उक्त निर्धारित प्रब्याजि का पच्चीस प्रतिशत
3.	डिस्पेंसरी/हॉस्पिटल /नर्सिंग होम (इनमें एकीकृत रूप से आवश्यक ड्रग स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंन्टर खानपान गृह शामिल होंगे) अधिकतम 2500 वर्ग मीटर	अपर संचालक/ संचालक/ आयुक्त/उद्योग संचालनालय/ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			भू-भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			प्रतिभूति	वार्षिक भू-भाटक /मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	उक्त निर्धारित प्रब्याजि का पच्चीस प्रतिशत
4.	1-औद्योगिक इकाईयों के लिये लॉज/ गेस्टहाउस अधिकतम 1000 वर्गमीटर 2-तौलकांटा अधिकतम पांच सौ (500) वर्गमीटर 3- कार्गो सर्विस अधिकतम 1000 वर्गमीटर	अपर संचालक/ संचालक/ आयुक्त/उद्योग संचालनालय/प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो

क्रमांक	गतिविधि का नाम	भू-आबंटन की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार अनुसार)	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4– केन्टीन/रेस्टोरेंट/ भोजनालय अधिकतम पांच सौ (500) वर्गमीटर 5–व्यापारिक काम्प्लेक्स, मिनी मार्केट (अधिकतम पांच सौ (500) वर्गमीटर) 6– दूरसंचार एवं सेल्युलर एक्सचेंज व उनके टावर अधिकतम 100 वर्गमीटर		भू–भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			प्रतिभूति	वार्षिक भू–भाटक /मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	प्रब्याजि का पच्चीस प्रतिशत
10.	व्यवसायिक सामुदायिक भवन (आबंटन पात्रता अधिकतम 1000 वर्गमीटर) (100 एकड़ से अधिक के अधिक के क्षेत्र हेतु अनुमत) (केवल एक) (केवल नीलामी पर)	अपर संचालक/ संचालक/ आयुक्त/उद्योग संचालनालय/ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			भवन हेतु मासिक किराया	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			भू–भाटक (प्रतिवर्ष देय)	सूक्ष्म लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा वाणिज्यिक दर जो भी अधिक हो
			प्रतिभूति	वार्षिक भू–भाटक /मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	प्रब्याजि का पच्चीस प्रतिशत
11.	सामान्य सुविधा केन्द्र अधिकतम 2000 वर्गमीटर	अपर संचालक/ संचालक/ आयुक्त/उद्योग संचालनालय/ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो
			भवन हेतु मासिक किराया	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों का न्यूनतम चार गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो
			भू–भाटक(प्रतिवर्ष देय)	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना
			प्रतिभूति	वार्षिक भू–भाटक /मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना

क्रमांक	गतिविधि का नाम	भू-आबंटन की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार अनुसार)	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			विकास शुल्क (एक बार देय)	प्रब्याजि का पच्चीस प्रतिशत
12.	वेयरहाउस :- न्यूनतम 1000 मीट्रिक टन क्षमता तथा न्यूनतम 1000 वर्गमीटर भण्डार गृह, लॉजिस्टिक हब, कोल्ड स्टोरेज अनाज भण्डारण हेतु साईलोज, पेट्रोलियम / कैरोसिन/गैस भण्डारण हेतु न्यूनतम क्षमता 1000 मीट्रिक टन की शर्त आवश्यक नहीं होगी। कृषि उत्पाद के भण्डारण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम से अनुज्ञा प्राप्त उद्यमी भण्डार गृह निर्माण हेतु भू-आबंटन की पात्रता रखेंगे। पेट्रोलियम, कैरोसिन गैस भण्डारण आदि भण्डारण हेतु संबंधित विभागों की अनुज्ञा प्राप्त उद्यमी भण्डारण की पात्रता रखेंगे।	अपर संचालक/ संचालक/ आयुक्त/उद्योग संचालनालय/ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	भूमि की प्रब्याजि	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम पांच गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो
			भवन हेतु मासिक किराया	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों का न्यूनतम पांच गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो
			भू-भाटक(प्रतिवर्ष देय)	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम पांच गुना
			प्रतिभूति	वार्षिक भू-भाटक /मासिक किराये का तीन गुना
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम पांच गुना
			विकास शुल्क (एक बार देय)	प्रब्याजि का पच्चीस प्रतिशत

परिशिष्ट–2

अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योग

[(See Clause No. 2.1.1. (अ)]

1. अकार्बनिक रसायन उद्योग –
   - 1.1 खनिज अम्ल, क्षार निर्माण उद्योग।
   - 1.2 अम्ल प्रतिक्रिया से निर्मित खनिज लवण।
   - 1.3 कार्बनडाई सल्फाईड, अल्ट्रा मेरिन ब्यू, क्लोरिन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस एवं ब्लीचिंग पावडर निर्माण।
2. कार्बनिक रसायन उद्योग –
   - 2.1 डाई व डाई स्टफ इंटरमिडिएट निर्माण।
   - 2.2 सिंथेटिक, प्लास्टिक (जैसे पॉलिथिन), पी. व्ही.सी. रेजिन, नॉयलान, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डाई।
   - 2.3 कोलतार डिस्टीलेशन प्रक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पाद।
   - 2.4 आर्गनिक साल्वेंटस, क्लोरिनेटेड मिनरल्स, मिथनॉल एल्डीहाईड, पायरिडिन, आयडोफार्म, क्लोरोफार्म, बीटा नेथ्थाल एंव मिथेलेटेड स्प्रिट।
3. पेट्रोलियम उत्पाद –
   - 3.1 कच्चे तेल की रिफायनिंग, प्रोसेसिंग एवं क्रेकिंग, पेट्रोलियम जैली, पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था क्रेकिंग।
   - 3.2 कार्बन ब्लेक व उसके समान अन्य निर्माण।
   - 3.3 पेट्रोलियम कोक।
   - 3.4 लुब्रिकेटिंग एवं उसके समान अन्य निर्माण।
   - 3.5 एल्युमीनियम फॉयल्स।
4. धातु कर्म उद्योग –

   उद्योग जिनमें स्पंज आयरन, पैलेट प्लांट, सिंटरिंग, स्मेलटिंग, ब्लास्ट फर्नेस, रिकॉस्टिंग ऑफ ओर, सल्फाइट, सल्फाइड, ऑक्साइड या मिश्रण जैसे कार्य किये जाये।
5. रेडियोएक्टिव तत्व निर्माण।
6. पेपर, पेपर पल्प, बोर्ड निर्माण, न्यूज प्रिंट निर्माण।
7. अल्कोहल डिस्टीलरीज।
8. शक्कर कारखाना।
9. जहरीले पदार्थ जैसे :– साइनाइड्स, आर्सेनिक यौगिक, बेरियम यौगिक, पायरोगेलिक एसिड।
10. इलेक्ट्रो थर्मल इण्डस्ट्रीज जैसे – केल्शियम कार्बाइड, फास्फोरस, एल्यूमिनियम डस्ट, पेस्ट, कॉपर जिंक एलाय आदि।
11. एस्बेस्टॉस, व्हाईट एस्बेस्टॉस।
12. शिप स्क्रेप प्रोसेसिंग।
13. शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य प्रकार के उद्योग।

परिशिष्ट–3

औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटन हेतु अपात्र गतिविधियों की सूची

[(See Clause No. 2.1.1.(ब)]

1. स्टोन क्रशर ।
2. सभी प्रकार के जंक यार्ड्स ।
3. शहरी अपशिष्ट/मृत पशु एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण एवं संग्रहण ।
4. कॉच, पोलिथिन, प्लास्टिक, पी.व्ही.सी. नॉयलान, रबर, लोहा, लकड़ी जैसी कबाड़ वस्तुओं का संग्रहण एवं ग्रेडिंग ।
5. रेत, गिट्टी, खनिज संग्रहण एवं ग्रेडिंग ।
6. ईट भट्टा एवं चूना भट्टा ।
7. खुली सेंड ब्लास्टिंग ।
8. शहरी एवं मृत पशु अपशिष्टों का प्रसंस्करण एवं उससे खाद बनाना आदि ।
9. विस्फोटक एवं फायर वर्क्स निर्माण व संग्रहण ।
10. चारकोल निर्माण ।
11. गौवंश मांस से संबंधित कोई भी गतिविधि ।
12. पशुवधगृह (कसाईखाना) ।
13. शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य गतिविधियां ।

परिशिष्ट–4

एकीकृत संकेतांक प्रणाली के निर्देश

(See Clause No. 2.7.5)

(1)	(2) से (3)	(4) से (6)	(7) से (9)	(10) से (12)	(13) एवं (14)
प्रथम अंक अंतर्गत – 1. संचालनालय के आधीन औद्योगिक क्षेत्र का संकेत, 2. निगम अंतर्गत क्षेत्र	द्वितीय एवं तृतीय अंक से जिलों का संकेत जैसे 01 रायपुर, 02..... ...	चौथे से छठवें अंक द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र विशेष का संकेत जैसे औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 001/ 002/ 003 आदि	इसमें से सातवां, आठवें एवं नवें अंक द्वारा सेक्टर क्रमांक दर्शित करेंगे।	इसमें से दसवें, ग्यारहवें एवं बारहवें से अंक द्वारा भूखंड/भवन क्रमांक दर्शित करेंगे।	उप भूखंड क्रमांक
1 अथवा 2	01.../...27 जिले एम.एस.एम.ई. कोड अनुसार	XXX	XXX	XXX	AA से AZ तक

परिशिष्ट–5

पंजी का प्रारूप

(See Clause No. 2.7.6)

1. अनुक्रमांक,
2. आवेदक का नाम एवं पत्राचार का पता (ई–मेल आईडी दूरभाष, क्रमांक, फेक्स, मोबाईल क्रमांक सहित),
3. इकाई का नाम एवं पत्राचार का पता (ई–मेल आई.डी. दूरभाष क्रमांक, फैक्स, मोबाईल क्रमांक सहित) कंपनी के प्रकरणों में कंपनी का पंजीकृत पता भी अंकित किया जाएगा।
4. आवेदन प्राप्त होने की दिनांक एवं आवक कमांक,
5. आशय–पत्र क्रमांक व दिनांक तथा भूमि की मात्रा
6. उत्पाद,
7. आबंटन आदेश क्रमांक एवं दिनांक,
8. भू–खण्ड क्रमांक एवं क्षेत्रफल,
9. पट्टाभिलेख निष्पादन का दिनांक तथ पट्टाभिलेख किस–किस के मध्य निष्पादित हुआ,
10. पट्टाभिलेख पंजीयन दिनांक
11. आधिपत्य प्रदाय दिनांक
12. रिमार्क

परिशिष्ट – 6

आबंटन प्राधिकारी

(See Clause No. 2.4)

(अ) महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं सी.एस.आई.डी.सी. के अधिकार

(i) अपने क्षेत्राधिकार के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों की स्थापनार्थ औद्योगिक भवन, शेड एवं प्रकोष्ठ एवं दो हेक्टेयर तक भूमि आबंटन हेतु अधिकृत होंगे।

(ii) अनुषांगिक औद्योगिक प्रयोजन की गतिविधियों के लिए अध्याय–चार के परिशिष्ट–1 में अंकित अधिकारिता अनुसार आबंटन कर सकेंगे।

(iii) जिले के स्तर पर उक्त (i) एवं (ii) में आबंटन से पूर्व सक्षम आबंटन प्राधिकारी द्वारा आबंटन प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ब) अपर संचालक, उद्योग संचालनालय/कार्यपालक संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. के अधिकार

(i) औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों की स्थापनार्थ औद्योगिक भवन, शेड एवं प्रकोष्ठ एवं दो हेक्टेयर से अधिक चार हेक्टेयर तक भूमि आबंटन हेतु अधिकृत होंगे ।

(ii) अनुषांगिक औद्योगिक प्रयोजन की गतिविधियों के लिए अध्याय–चार के परिशिष्ट–1 में अंकित अधिकारिता अनुसार आबंटन कर सकेंगे।

(स) संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय /प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. के अधिकार

(i) संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय/प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. अपनी आधिकारिता के औद्योगिक क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर भूमि से अधिक मात्रा में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु भू–आबंटन के लिए अधिकृत होंगे।

(ii) संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय/प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी अनुषांगिक–औद्योगिक प्रयोजन की गतिविधियों के लिए अध्याय–चार के परिशिष्ट–1 में अंकित अधिकारिता अनुसार आबंटन कर सकेंगे।

(iii) विशेष प्रयोजन हेतु विभाग के आधिपत्य की भूमि संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य शासन की सहमति से छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित की जा सकेगी।

(द) राज्य शासन के अधिकार

(i) राज्य शासन किसी भी स्थान पर, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ एवं लैंड बैंक की भूमि का आरक्षण एवं पट्टेदारी अधिकारों का आबंटन कर सकेगा।

(ii) राज्य शासन उसके द्वारा घोषित प्राथमिकता वाले उद्योगों को/विशेष प्रयोजन हेतु हेतु औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ एवं लैंड बैंक की भूमि आबंटन हेतु किसी भी भूमि–भवन को आरक्षित कर सकेगा।

(iii) राज्य शासन औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से औद्योगिक/अनुषांगिक औद्योगिक प्रयोजन/विशिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत अधोसंरचना विकास एवं उपयोग हेतु आरक्षित कर सकेगा।

(iv) राज्य शासन अनुषांगिक औद्योगिक प्रयोजन की गतिविधियों के लिए अध्याय–चार के परिशिष्ट–1 में अंकित अधिकारिता को अधिक्रमित कर सकेगा।

(v) आवश्यकता होने पर इस नियम में वर्णित किसी भी कंडिका को राज्य शासन परिवर्तित कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(ISO 9001:2015 Certified)
प्रथम तल उद्योग भवन, रिंग रोड़ क्रमांक–1 तेलीबांधा, रायपुर, 492006 (छत्तीसगढ़)
CIN: U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GSTN : 22AABCM6288N5ZY
दूरभाष : कार्या.– 0771–6002071–73, फैक्स: 0771–2583794
Website: www.csidc.in
Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

क्र. सीएसआईडीसी / एमकेडी / पीएस–5 / समन्वय / 17–18 6853 रायपुर, दिनांक 4 / 10 / 2017

प्रति,

कार्यपालक संचालक,
सीएसआईडीसी,
उद्योग भवन
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने बाबत्।

संदर्भः– पत्र क्रमांक / लो.सू. / मैन्युअल / 17 / 6565 रायपुर दिनांक 23.09.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7–6 / 2005 / 1–13 नया रायपुर दिनांक 08.09.2017 में वर्णित दिशा–निर्देश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने के लिए कक्ष की जानकारी निम्नानुसार है :–

सीएसआईडीसी विपणन कक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम 3 के तहत परिशिष्ट–1 की सूची में सूचीबद्ध सामग्रियों के दर निर्धारण कर इकाईयों से दर अनुबंध निष्पादन का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70 / 2004 / 11 / (6) नया रायपुर दिनांक 05.07.2017 अनुसार भण्डार क्रय नियम–3 में निम्नलिखित संशोधन जारी किया है :–

(एक) नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये :–

(अ) "परंतु परिशिष्ट–1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा।"

(ब) "परंतु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एंव जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने

MKT 5/10/17

D:\Dhakate Sir New Computer ps-2,9\1 Dhakate Sir New Computer ps-9\2- Ps Letter Head 008 New.doc

पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट–3 जारी किया जायेगा।"

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(1) छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) की प्रति

(2) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70/2004/11/(6) नया रायपुर दिनांक 05.07.2017 की प्रति।

प्रभारी विपणन

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर दिनांक जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 20–70/2004/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–2/2002/छः/11 दिनांक 07.01.2003 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम – 2002'** में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त भण्डार क्रय नियम में,

(एक) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये:–

(अ) *"परंतु, परिशिष्ट–1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा।"*

(ब) *"परंतु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट–3 जारी किया जायेगा।"*

(दो) नियम 4.3.1 की अंतिम पंक्ति में रूपये *"5000"* को रूपये *"10,000"* (रूपये दस हजार) से प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) नियम 4.3.2 की द्वितीय पंक्ति में रूपये *"5001 से 50,000"* को रूपये *"10,001 से 1,00,000* (रूपये दस हजार एक से रूपये एक लाख) से प्रतिस्थापित किया जाए।

...2

(चार) नियम 4.3.2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएं :–

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल 1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।"

(पांच) नियम 4.3.3 में जहाँ निविदा का अनुमानित मूल्य कॉलम में उल्लेखित *"रूपये 50,001 से 2.00 लाख"* को *"रूपये 1,00,001 से 2.00 लाख"* (रूपये एक लाख एक से रूपये दो लाख) से प्रतिस्थापित किया जाये ।

(छः) नियम 4.3.3 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएं:–

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई–बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।"

(सात) नियम 13.2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 13.3 अंतःस्थापित किया जाये:–

13.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33(3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य एवं यदि आवश्यक हो तो दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

—Sd—

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

...3

पृष्ठा.क एफ 20–70/2004/11/(6)

नया रायपुर, दिनांक 5-7-2017

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन रायपुर
2. शासन के समस्त विभाग
3. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ लेखा एवं हकदारी, रायपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
10. सचिव, लोक आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर
12. समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/मंडलों छ.ग.
13. अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा, मंत्रालय, रायपुर
14. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, छ.ग. राजनांदगांव की ओर अग्रेषित । कृपया उपर्युक्त अधिसूचना छ.ग. राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराएं ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

ANNEXURE I

FORM OF CONSENT

THROUGH LETTER OF INTENT DATED____/_____/2015

Whereas upon the request of the Shri _____ hereinafter called the applicant which shall include his heirs, successor, partners and directors, the Nigam has agreed to grant lease subject to the terms and conditions herein appended in the form of a lease to allot land in sector_____ measuring about _____situated at Industrial Area _____Raipur/Bilaspur, more particularly described in the schedule hereunder and for greater clearness delineated in the plan hereto annexed and hereon shown with the boundaries coloured in red (hereinafter referred to as the said land/premises) for a term of 99 years from the date of taking over possession of land for the purpose of_____

And whereas I/We _____on behalf of M/s_____as its proprietor/partner/director/ Authorised Signatory agree to take the lease and witness as follows:-

1) I/We have read the Letter of Intent No. Dt issued to us and I/We hereby agree that all the terms and Conditions of this Letter of Intent is hereby accepted and will be binding on Me/Us.

1) I/We accept a lease of said premises to hold the same for a period of 99 years commencing from the date of taking over possession of land.

2) I/We agree that the allotment shall be subject to all terms and conditions in the form of lease deed hereto annexed with such modification and with such additional terms and conditions as the allotting authority may deem necessary to add from time to time.

3) I/We shall after execution of such documents and payment of such dues as may be prescribed will take possession of the said premises by the time and in the manner directed by the allotting authority.

4) a) I/We opt for the deferment of payment of premium (10 % initially and balance in _____ installments) or Lump-Sum payment of premium (100 % premium amount).

4 b) I /We shall deposit the following amount within in 30 days from the date of issue of Letter of Intent :-

condt....2

(1)	Premium	Rs.
(2)	Annual lease rent (3 %)	Rs.
(3)	Service Tax @ 14% of Lease Rent	Rs.
(4)	Three years annual lease rent as **security deposit** for timely payment of annual lease rent.	Rs.
(5)	Annual maintenance charges of Industrial area (and as revised by the Board of Directors from time to time)	Rs.
(6)	Annual street light charges (and as revised by the Board of Directors from time to time)	Rs.
	Total	Rs.

5) I/We hereby accept to take land on lease on the terms and conditions of L.O.I. No. _____ dated _____.

6) I/we hereby agree that if any breach of the terms and conditions of the letter of Intent or there is failure to obey the instructions and directions given to me/us or there is failure to take possession of the land/premises as may be directed by the allotting authority, it shall be lawful for allotting authority to withdraw the letter of intent/allotment order, without giving any separate notice in this regards.

7) In witness whereof I/We have signed this acceptance on the date & year mentioned against the signatures.

Applicant, holder of the
Letter of Intent for
Allotment of plot/shed

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited
(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibanda, Raipur 492 006
Phone:0771-6002071, 72, 73, Fax:0771-2583794
CIN:U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, ST regn No.AABCM6288NSD004
website : www.csidc.in E-mail:address:csidc_raipur@yahoo.com, csidc.cg.@nic.in

LAND ALLOTMENT ORDER

NO.CSIDC/ALT/15/ Date / /2015

To,

M/S_____
_____
_____
_____

Sub: Allotment of land at Industrial Area _____District _____ (C.G.)

Ref: 1. Letter of Intent No._____ dated _____
2. Your Letter of Consent dated _____

Dear Sir,

(1) We are in receipt of your acceptance of the terms and conditions of Letter of Intent together with the annexed draft lease deed under reference 1 above communicated vide your consent letter dated _____ along with a Online Money Receipt No._____ dated _____ and _____for Rs._____ and Rs._____ total Rs._____ (Rupees _____ Only).

(2) Under the provisions of the Chhattisgarh Bhumi evam Bhawan Prabandhan Niyam 2015, the Corporation is pleased to allot Plot No._____ admeasuring _____Hectares (_____ Acres) at Industrial Area _____ District _____ (C.G.) which is surrounded by:-

On the North :-
On the South :-
On the East :-
On the West :-

(3) The plot is marked by red boundary in the enclosed map for the establishment of _____etc.

(4) You will be required to execute the lease deed within 30 days from the date of issue of this Allotment Order. All costs and expenses incurred or which may be incurred for

preparation, execution and registration of the lease deed shall be borne and paid by you. You shall be required to deposit the copy of the lease deed duly registered with the Corporation after which the possession of the land will be given.

(5) All the Annual and other charges, which are required to be paid by you, will have to be deposited to the Corporation through online or other system, as may be stipulated, by 10th of January every year even if no demand is raised in this regards. Provided that first payment of this annual charge will become payable from the expiry of 30 days from the date of issue of Allotment Order OR date of taking over the possession of land, whichever is earlier.

(6) You shall be liable to pay taxes and other statutory charges as applicable from time to time.

(7) In case any of the conditions/formalities are not complied within 30 days, the Corporation will be free to cancel this Land Allotment Order without issue of any separate notice in this regards.

(8) On the expiry of the lease period or termination of the lease due to breach of the conditions of the lease deed, the Corporation shall have the right of re-entry over the land/premises. No refund of premium or ground rent or security deposit shall be admissible due to termination of the lease deed due to breach of conditions of the lease deed.

Thanking you,

Yours faithfully,

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial
Development Corporation Ltd. Raipur

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited
(A Government of Chhattisgarh Undertaking)
Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibanda, Raipur 492 006
Phone:0771-6002071, 72, 73, Fax:0771-2583794
CIN:U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, ST regn No.AABCM6288NSD004
website : www.csidc.in E-mail:address:csidc_raipur@yahoo.com, csidc.cg.@nic.in

LETTER OF INTENT

No. CSIDC/ALT/2015/ Raipur, Dated / /2015

To,

M/S_____
_____
_____
_____

Sub : Proposed Allotment of land in Industrial Area _____ District _____ **(C.G.)**

Ref : Your application No. dated _____(Entered at S. No. _____ of the Allotment Records).

Dear Sir,

We have received your application for allotment of land in Industrial Area _____ District _____ **(C.G.)** and it has been entered at the Sr No_____ of the Allotment Records. We hereby propose to allot you land situated at Plot No._____ admeasuring _____hectares. (_____ Acres) at Industrial Area _____ District Raipur (C.G)/Outside Industrial Area at Village _____ District_____(CG) for Setting up of _____ etc. The allotment is subject to following terms and conditions:-

(1) The allotment of the land will be governed by the **Chhattisgarh Audyogik Bhumi Evam Bhawan Prabandhan Niyam 2015** (hereinafter referred to as the said rules)

(2) The land will be allotted on lease for 99 years.

(3) Additional premium @ 10% of the Premium as fixed by the Board of Directors of the Corporation is chargeable for plots situated on 80'/100' wide road or the corner plots. (Strike off, if not applicable)

(4) Additional premium @ 10% of the Premium as fixed by the Board of Directors of the Corporation is chargeable on the land situated within the radius of 8 Kms from Municipal Corporation/Municipality Area **OR** Additional Premium @ 20% in case of land situated within the Municipal Area/Municipal Authority (Strike off whichever is not applicable)

5 (a) The calculation of the Premium which is to be deposited is as follows:-

(i)	Premium as fixed by Board of Directors	Rs.	
(ii)	Additional Premium @ 10% the premium as fixed by the Board of Directors for the plot situated on	Rs.	

	80'/100' Road/Corner Plot as per Clause 2.5.1.4 of the said rules. (If applicable)		
(iii)	Additional Premium for land falling within the Municipal Area/Municipal Authority as per clause 2.5.1.5 of the said rules **OR** Additional Premium for land falling within the radius of 8 Km from Municipal Corporation/ Municipality Area as per Clause No.2.5.1.6 of the said rules or (wherever applicable)	Rs.	
	Effective Premium Per Hectare	**Rs.**	
	Total Effective Premium for ..... Hectare	**Rs**	

5 (b) The Annual Charges which will be required to be deposited every year will be as follows:-

1	Lease rent @ 3% of the Total Effective Premium as at 5 (a) above	Rs.	
2	1. Service Tax on Lease Rent as applicable (Presently @ 14%) 2.Swatch Bharat Cess (0.5 %) of Lease Rent 3.Krishi Kalyan Cess @ 0.5 % of Lease Rent	Rs.	
3	Maintenance Charges @ 2.5 % of The Total Effective Premium as at 5 (a) above	Rs.	
4	Street Light Charges @ Rs 15,000 per Hectare	Rs.	
	Total Annual Charges	**Rs.**	

5 (c) You will have to deposit the following amount within 30 days from the date of issue of this letter of intent:-

a	Effective Premium (as at Point 5 (a) above)	Rs.	
b	Security deposit (three years' lease rent calculated as per point 5 (b) (1) above) for timely payment of annual charges.	Rs.	
C	Advance Annual Charges as per 5 (b) above	Rs.	
	Less : Amount already deposited	Rs.	
	Balance Total	**Rs.**	

Other Terms and Conditions:

(6) Enhanced rate of premium and other charges on account of enhancement in the rates by Board of Directors of this Corporation as per the provisions of Clause 2.5 of the said rules shall be payable, as and when necessary.

(7) In case, the amount as prescribed at Clause 5 (c) above and/or the Consent Letter are not deposited within 30 days, this Letter of Intent will automatically stands cancelled and your name will be struck off from the Register for Application of Land. No separate notice in this regards will be issued.

Provided that, if an application for extension for complying with this clause is made at least 07 days before the expiry of 30 days, the same may be extended for a further period of maximum 30 days by the allotting authority in appropriate cases,

subject to a payment of interest @ 12% p.a. of the total amount payable for the extended period.

(8) The allotment is subject to all the terms and conditions as contained in the draft of lease deed annexed hereto with such modifications and with such additional terms and conditions as the Corporation may deem fit or necessary to add/modify from time to time.

(9) The Letter of Allotment will be issued after the deposit of the amount as specified at Clause 5 (c) within a period of 30 days from the date of issue of this Letter of Intent or such extended period together with interest as per clause 7 above.

(10) You will compulsorily required to execute the lease deed strictly within a period of 30 days from the issue of Allotment Order and the expenses of preparation and execution of lease deed, if any, will have to be borne by you.

(11) You shall, at your own cost and expenses, get the executed lease deed registered with appropriate authority. It is only after the submission of the copy of the Lease deed duly registered, the possession of the land will be given.

(12) a) You shall not construct any factory building unless the construction plans and maps of the building are approved by the competent authority under the Town and Country Planning Act and or any other statutory authority required by law.

b) You shall carry out the construction of the factory buildings as per the approved plan, install the machinery, start the production and completely utilize the land as per the following time limit:

S.No.	Status of Allottee	Time limit for commencing production (from the date of taking over of possession)	Time limit for complete utilisation of land (from the date of taking over the possession)
01.	Micro and Small	02 Years	03 Years
02.	Medium	03 Years	05 Years
03.	Large	04 Years	05 Years
04.	Mega	05 Years	07 Years
05.	Ultra Mega	06 Years	07 Years
06.	Ancillary	02 Years	02 years 06 months

c) You will have to construct _____ sq. ft. of shed and building etc. on the land allotted as per details given in your application within the maximum period as defined in Clause 12 (b) above.

(13) a) You will have to obtain permission from Chhattisgarh Environment Conservation Board, wherever necessary, and submit the same within 90 days from the date of issue of Letter of Intent.

b) You will have to obtain necessary permission from Environment Clearance Authority of Chhattisgarh in case of specified Medium/Large Scale Industry, if applicable, and submit the same within 90 days from the date of issue of Letter of Intent.

(14) You will have to obtain all the necessary permission/license/registration as may be applicable under various Central/State/ Local Authority Acts, Law, Rules etc., which are in force and applicable to you from time to time and submit a copy of the same.

(15) You shall pay the Annual Charges viz. lease rent, maintenance charges, Water charges and Street light charges as may be fixed by allotting authority from time to time.

(16) All the Annual and other charges, which are required to be paid by you, will have to be deposited to the Corporation through online or other system, as may be stipulated, by 10th of January every year even if no demand is raised in this regards. Provided that the annual charge will become due and payable to the Corporation from the expiry of 30 days from the date of execution of Lease Deed OR date of taking over the possession of land, whichever is earlier.

(17) You shall be liable to pay taxes and other statutory charges at the rates as may be applicable from time to time.

(18) You will not change the constitution of unit, partnership, directors, and shareholders without prior approval of the Corporation and in case any such changes in made without prior permission/approval of the allotting authority a penalty of 10% of the effective premium shall be charged. Provided that, if there is a transfer within the meaning of the provisions of the said rules the transfer fees, as applicable will be charged.

(19) You will not change use of land for which it is allotted without prior approval of the Corporation.

(20) In case you withdraw your application or else the allotment is cancelled due to breach of conditions of lease deed or in case of surrender of land 10% of the effective premium deposited by you shall be forfeited.

(21) It will obligatory for you to follow the applicable Rehabilitation and Resettlement Policy of the Government of Chhattisgarh.

(22) On the expiry of the lease period or termination of the lease due to breach of the conditions of the lease deed, the Corporation shall have the right of re-entry over the land/premises. No refund of premium or ground rent or security deposit shall be admissible due to termination of the lease deed under these circumstances.

(23) Digging of well or tube well in the premises to be leased is not permitted without the written permission of the Authority Competent in this regards under intimation to the Corporation in writing.

Provided further that no such digging will be allowed to be done in an industrial area in which the Corporation or any other person or agency authorised by the Corporation is operating, or proposes to operate water supply scheme and it will be obligatory for you to draw water from such supply system of the Corporation/authorised person or agency.

In acceptance of the above terms and conditions, please submit the Letter of Consent (attached with this letter) along with the amount of premium, security deposit, lease rent, development fund for maintenance of Industrial Area and street light charges as aforesaid, within 30 days to enable us to issue Letter of Land Allotment otherwise this Letter of Intent will stand automatically cancelled.

Executive Director
Chhattisgarh State Industrial Development
Corporation Limited, Raipur (C.G.)

दिनांक 01.10.2018 की स्थिति में पदस्थापना

(1)
माननीय अध्यक्ष महोदय कक्ष

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री सत्येन्द्र वर्मा	सहायक प्रबंधक	14.12.2017
2.	श्री जगत राम साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	09.07.2015
3.	श्री प्रभु लाल चौहान	हेल्पर	09.07.2015

(2)

प्रबंध संचालक कक्ष

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री अरूण प्रसाद पी	प्रबंध संचालक	18.09.2018
2.	श्री मोहम्मद हसन खान	स्टेनो टायपिस्ट	03.09.2005
3.	श्री लक्ष्मीकांत वर्मा	वाहन चालक	14.08.2004

(3)

कार्यपालक संचालक कक्ष

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री सालोमन मैथ्यू सिलाह	कार्यपालक संचालक	12.02.2014
2.	श्री शैय्यद शाकिर अली	स्टेनोटायपिस्ट	16.07.2015
3.	श्री कौशल सिंह ठाकुर	भृत्य	24.04.2017

(4)

कंपनी सचिव कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी की सूची
कक्ष प्रभारी– श्री स्वप्निल अवस्थी, कंपनी सचिव (संविदा)

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री स्वप्निल अवस्थी	कंपनी सचिव (संविदा)	01.05.2008

लेखा कक्ष एवं वेतन कक्ष के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.	नम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री जी.व्ही. एस.पी. राव	उप प्रबंधक (लेखा कक्ष)	01.12.2015
2.	श्री पी.टी थॉमस	सहायक प्रबंधक (लेखा कक्ष)	08.07.1996
3.	श्री मनोज बुंदेला	सहायक प्रबंधक	30.04.2015
4.	श्री डी.के निगम	सहायक लेखाअधिकारी	08.09.2015
5.	श्री रामानुज गुप्ता	लेखापाल	06.07.1996
6.	श्री के. राकेश शर्मा	लेखापाल	16.02.2010
7.	श्री नीरज तिवारी	लेखा सहायक (कैशियर)	01.01.2003
8.	श्री के. प्रवीण कुमार	वरिष्ठ सहायक	31.07.2017
9.	श्री नौशाद अली	सहायक ग्रेड–2	15.09.2017
10.	श्री शिव कुमार वर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	08.07.1996
11.	श्री भरत लाल साहू	चौकीदार	28.11.2007
12.	श्री मुकेश साहू	भृत्य	01.07.2010
13.	श्री पप्पू चौहान	भृत्य (लेखा कक्ष)	01.07.2010

(6)

भू–आबंटन कक्ष, मुख्यालय, रायपुर के अंतर्गत कार्यरत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची
कक्ष प्रभारी– श्री आलोक त्रिवेदी, मुख्य महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति उद्योग विभाग)

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री आलोक त्रिवेदी	मुख्य महाप्रबंधक	09.12.2016
2.	श्री के.के.श्रीवास्तव	प्रबंधक	30.12.2017
3.	श्री राम खण्डेलवाल	प्रबंधक (प्रतिनियुक्ति)	29.06.2018
4.	श्री एम.ए.अंसारी	सहायक प्रबंधक	20.08.2014
5.	श्री जे.पी मिश्रा	वरिष्ठ सहायक	09.02.2009
6.	श्री एस.एस. गुप्ता	कनिष्ठ कार्यपालक	02.05.2016
7.	श्री तेजराम देवांगन	कनिष्ठ सहायक	15.01.2014
8.	श्री सुनील रामदास पात्रे	वरिष्ठ सचिवालयीन सहायक	17.07.2015
9.	श्री एस.डब्ल्यू. ओंकार	मानचित्रकार	27.05.1991
10.	श्री बी. सत्यनारायण	सचिवालयीन सहायक	14.10.2014
11.	श्री तेजकुमार बरकड़े	निम्न श्रेणी लिपिक	28.10.2017
12.	श्री रणजीत सिंह राजपूत	सहा. मीटर रीडर	13.01.2010
13.	श्री तोरण लाल साहू	हेल्पर	07.12.2015

(7)

मेटल पार्क, सीएसआईडीसी, मुख्यालय, रायपुर

प्रभारी अधिकारी– श्रीमती मंजू जैन, महाप्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्रीमती मंजू जैन	महाप्रबंधक	19.01.2012
2.	कु. डॉली मिश्रा	सहायक ग्रेड–3	29.06.2018

संपदा कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री थॉमस मैथ्यू, उप प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री थॉमस मैथ्यू	उप प्रबंधक	10.12.2010
2.	श्री दिनेश कुमार कंवर	प्रबंधक (संपदा/भू–आबंटन कक्ष)	25.05.2018
3.	श्री यू. एस. आर भीमाशंकरम्	वरिष्ठ सहायक	15.07.2016

भू–अर्जन कक्ष के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री आर. के. पॉल, महाप्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री आर.के पॉल	महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति)	22.05.2017
2.	श्री टंकेश्वर	प्रबंधक	25.05.2018
3.	श्री अरविंद शर्मा	तहसीलदार (प्रतिनियुक्ति)	22.09.2017
4.	श्री सुरेश कुमार यादव	अनुरेखक	11.09.2006
5.	श्री आशीष आलोक श्रीवास्तव	हेल्पर	30.04.2015
6.	श्री द्वारिका प्रसाद साहू	रोड रोलर चालक (वाहन चालक)	23.10.2009

कार्मिक एवं प्रशासन कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री पी.के.शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति उद्योग विभाग)

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री पी.के.शुक्ला	मुख्य महाप्रबंधक	01.08.2018
2.	श्री किशोर पिल्ले	सहायक प्रबंधक	29.12.2010
3.	श्री अनिल शर्मा	सहायक प्रबंधक	01.08.2017
4.	श्री एम.के पाण्डे	वरिष्ठ सहायक	15.01.2014
5.	श्री डी.डी.शर्मा	सहायक ग्रेड–1	15.09.2017
6.	श्री यू. रवि पटनायक	निम्न श्रेणी लिपिक	23.12.2013
7.	श्रीमती लक्ष्मी चंद्रवंशी	सहायक ग्रेड–3	11.05.2010
8.	कु. डॉली मिश्रा	सहायक ग्रेड–3	30.04.2015
9.	श्री चेतन कुमार वर्मा	भृत्य	25.10.2011
10.	श्री भानु बंजारे	चौकीदार	30.04.2015
11.	श्री इन्द्र कुमार डहरे	चौकीदार	26.07.2018
12.	श्री बिरेन्द्र कुमार साहू	चौकीदार	मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया ।

(11)

सामान्य कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री अभ्यंकर खरे, महाप्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री अभ्यंकर खरे	महाप्रबंधक	26.04.2017
2.	श्री शुत्रघ्न लाल पटेल	कनिष्ठ सहायक (फोटो कॉपी)	08.07.1996
3	श्री वेदराम निर्मलकर	निम्न श्रेणी लिपिक (जावक)	01.04.2007
4	श्री राम नारायण साहू	सहायक ग्रेड–3 (सामान्य)	15.01.2014
5	श्रीमती कल्याणी पिल्ले	सहायक ग्रेड–3 (आवक)	19.01.2015
6	श्री टी.राजाराव	माली	01.04.2006
7	श्री शैलेन्द्र सिंह	लिपिक (दै.वे.भो.)	02.06.2003
8	श्री मंगलदीप	वाहन चालक	01.04.2006
9	श्री नवाब खान	भृत्य	28.11.2007
10	श्री डोमेश सिंह ठाकुर	भृत्य	26.12.2017

निर्यात प्रकोष्ठ एवं जन शिकायत निवारण कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री एस. चंद्राकर, उप प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री एस. चंद्राकर	उप प्रबंधक	21.04.2011
2.	श्री के. विजय कुमार	सेल्समेन	12.01.2007
3.	श्री दिव्येन्दु शेखर गांगुली	सहायक ग्रेड–3	01.10.2018

(13)

आई.पी.पी.डी. कक्ष के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री ओ.पी बंजारे, उप प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री ओ.पी बंजारे	उप प्रबंधक	30.12.2006
2.	श्री मनीष भगत	प्रबंधक	25.05.2018
3.	सुश्री कचिता दर्रो	प्रबंधक	25.05.2018
4.	श्री दिलीप इंगोले	कनिष्ठ कार्यपालक	18.02.2014
5.	श्री शफी खान	सहायक प्रबंधक कम्प्यूटर (संविदा)	30.12.2006
6.	श्री दशरथ यादव	भृत्य	13.08.2008
7.	श्री घनश्याम गायकवाड	चौकीदार	04.12.2014
8.	श्री मनीष कुमार साहू	भृत्य	13.08.2018

(14)

वित्त सेल के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री एन.एस. चंदेल, उप प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री एन.एस. चंदेल	उप प्रबंधक	27.06.2016
2.	श्री आर.बी लाल	सहायक प्रबंधक	07.09.2009
3.	श्रीमती दमयंती बावरिया	भृत्य	26.12.2007

(15)

विपणन कक्ष के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री सुबास चंद्र भगत, प्रबंधक,

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री सुबास चंद्र भगत	प्रबंधक	11.06.2015
2.	श्री पी.एस. धकाते	फील्ड ऑफिसर	01.12.2004 (वर्तमान कार्यो के अतिरिक्त फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भिलाई के कार्य 11.01.2018)
3.	श्री अमित सिंह ध्रुव	लेखापाल	03.04.2016 (वर्तमान कार्यो के अतिरिक्त फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भिलाई के कार्य 11.01.2018)
4.	श्री दर्शन उरांव	वरिष्ठ सचिवालयीन सहायक	04.11.2015 (वर्तमान कार्यो के अतिरिक्त फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भिलाई के कार्य 11.01.2018)
5.	श्री विजयराम पनिका	चौकीदार	04.11.2015
6.	श्री पुरूषोत्तम तरोने	भृत्य	24.01.2014 (वर्तमान कार्यो के अतिरिक्त फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भिलाई के कार्य 11.01.2018)

(16)

कोल सेल बिलासपुर एवं रायपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री आर.के शर्मा मुख्य महाप्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री आर.के शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	27.09.2017
2.	श्री एम.डी. बंजारे	प्रबंधक (मुख्यालय)	02.09.2013
3.	श्री गोपीचंद देवागंन	सहा. लेखाधिकारी	10.01.2011
4.	श्री प्रेमलाल यादव	वरिष्ठ सहायक	06.07.2017
5.	श्री भूपत सिंह श्याम	सेल्समेन	10.08.2005

(17)

कच्चा माल भंडार भिलाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री आलोक चंद्रवंशी, उप प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री आलोक चंद्रवंशी	उप प्रबंधक	04.07.2018
2.	श्री एस. टी मंथनवार	सहायक प्रबंधक	06.08.2008
3.	श्रीमती वीणा सिन्हा	निम्न श्रेणी लिपिक	15.10.2003
4.	श्री चिकनूराम सोनवानी	भृत्य	01.02.2002
5.	श्री तापस कुमार दत्ता	भृत्य	13.08.2008
6.	श्री सुखसागर दास मानिकपुरी	भृत्य	02.07.2008

कार्यालय (औद्योगिक क्षेत्र) सरोरा, सांकरा, गोंदवारा, गोगांव, तेन्दुआ, मेटलपार्क, अटारी, आमासिवनी के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी – श्री आर.डी. झरबड़े, उप प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री आर.डी.झरबड़े	उप प्रबंधक	31.07.2017
2.	श्री हेमंत मरकाम	हेल्पर	08.07.2008

कार्यालय (औद्योगिक क्षेत्र) सिलतरा, उरला के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी – श्री विवेक कायंदे, सहायक प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री विवके कायन्दे	सहायक प्रबंधक	17.06.2016
2.	श्री वंसतराव चौधरी	कनिष्ठ सहायक	23.01.2014

(19)

तकनीकी कक्ष

प्रभारी अधिकारी – श्री अब्दुल शकील, मुख्य अभियंता

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री अब्दुल शकील	मुख्य अभियंता (संविदा)	26.11.2015
2.	श्री जितेन्द्र बघेल	चौकीदार	15.03.2017

तकनीकी कक्ष डिवीजन–1, के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कक्ष प्रभारी – श्री.जी.के स्वर्णकार, कार्यपालन अभियंता

बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर–गिरवर गंज, गंगापुर–खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र अंजनी–पेड्रा रोड़, औद्योगिक क्षेत्र कापन एवं कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में प्रस्तावित सभी औद्योगिक क्षेत्र ।

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1	श्री.जी.के स्वर्णकार	कार्यपालन अभियंता	02.11.2017
2	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	कनिष्ठ अभियंता	16.12.2013
3	श्री प्रकाश कुमार मरकाम	कनिष्ठ अभियंता	01.10.2016
4	श्री गणपति पटेल	कनिष्ठ अभियंता	20.12.2016
5	श्री रूपेश कुमार कश्यप	कनिष्ठ अभियंता	08.12.2017
6	श्री लीला राम वर्मा	लिपिक	08.12.2014
7	श्री कौशल साहू	भृत्य	11.02.2011
	बिलासपुर में पदस्थ		
8	श्री जी.आर. राठौर	सहा. मानचित्रकार	22.06.2017
9	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा	समयपाल	01.10.1988
10	श्री अशोक कुमार बारी	समयपाल	10.08.1990
11	श्री सुनील सिरसवार	समयपाल	12.07.1996
13	श्री मनहरण लाल यादव	फील्ड अटेंडेंट-II	13.10.2008
14	श्री मेलाराम सोनवानी	पंप	04.07.1997
15	श्री कीर्तन सिंह	पंप	28.03.2007
16	श्री रमेश शुक्ला	मीटर रीडर	14.08.2008
17	श्री दल्लू राम केंवट	हेल्पर	08.01.1990
18	श्री शिव कुमार त्रिपाठी	हेल्पर	28.09.2007
19	श्री जगदीश प्रसाद यादव	हेल्पर	23.05.2003
20	श्री रामसिंह साहू	भृत्य	20.07.2009
21	श्री गंगा प्रसाद धुरी	चौकीदार	08.01.1990
22	श्री सुन्दर लाल धुरी	चौकीदार	09.07.1994
23	श्री राधेश्याम गड़रिया	चौकीदार	14.08.2008
24	श्री बिरजू कुमार गौंड	भृत्य	29.11.2006
25	श्री सीताराम सूर्यवंशी	चौकीदार	10.08.1990

26	श्री शिवकुमार साहू	हेल्पर	31.07.2017

##813##

(21)

तकनीकी कक्ष डिवीजन–2, के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी – श्री एच.आर.वर्मा, प्रभारी कार्यपालन अभियंता

औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, भनपुरी रावांभाटा, गोंदवारा, गोगांव, तेंदुआ, सोनडोगरी, आमासिवनी एवं मेंटल पार्क रायपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1	श्री एच. आर. वर्मा	प्रभारी कार्यपालन अभियंता	29.08.2009
2	श्री देवेन्द्र सिंह	सहायक अभियंता	29.06.2016
3	श्री जी.आर.पटनायक	कनिष्ठ अभियंता	14.11.2017
4	श्री दिक्षांशु मेश्राम	कनिष्ठ अभियंता	16.11.2016
5	श्री आशीष कुजूर	कनिष्ठ अभियंता	16.11.2016
6	श्री आर. एस. तिवारी	कनिष्ठ सहायक	17.01.2014
7	श्री मनोहर यादव	समयपाल	08.07.2008
8	श्री कोमल सिंह निषाद	समयपाल	08.07.2008
9	श्री सीताराम बांधे	समयपाल	17.01.2014
10	श्री प्रेमलाल यादव	समयपाल	20.06.2007
11	श्री सत्यप्रदीप चटर्जी, विद्युत	लाईनमेन	26.06.2018
12	श्री देवेश कुमार मिश्रा	हेल्पर	08.07.2008
13	श्री राम कुमार साहू	हेल्पर	31.07.2017
14	श्री रामायण निषाद	हेल्पर	08.07.2008
15	श्री जेठूराम साहू	हेल्पर	08.07.2008
16	श्री माखन लाल निषाद	हेल्पर	08.07.2008
17	श्री अरूण कुमार टंडन	सहायक मीटर रीडर	21.06.2017
18	श्री गिरधारी लाल साहू	श्रमिक	08.07.2008
19	श्री भगवती प्रसाद साहू	श्रमिक	25.08.1991
20	श्री जय लाल साहू	माली	13.05.1986
21	श्री बंद्री प्रसाद यादव	प्लंबर	13.03.2013

(22)

तकनीकी कक्ष डिवीजन–3, कक्ष के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी – श्री एस.के सोनी, कार्यपालन अभियंता

औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा, बरतोरी,छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क, नया रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र टेकनार एवं एसाईड योजना से संबंधित कार्य ।

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री एस. के सोनी	कार्यपालन अभियंता	07.12.2013
2.	श्री हिम्मत पाल गुप्ता	कनिष्ठ अभियंता	16.12.2013
3.	कु. मधुलता नेताम	कनिष्ठ अभियंता	01.10.2016
4.	श्री रामदास भोयर	सचिवालयीन सहायक	14.06.2014
5.	श्री शिवकुमार साहू	रोड रोलर चालक	08.07.2008
6.	श्री ज्ञानचंद्र यादव	समयपाल	07.12.2013

(23)

तकनीकी कक्ष डिवीजन–4, साईट कार्यालय बोरई के अंतगर्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी – श्री एस.के राजगिरे, कार्यपालन अभियंता

इंजीनियरिंग पार्क भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र बोरई जिला दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, जिला– कबीरधाम, जिला राजनांदगांव गांव के समस्त औद्योगिक क्षेत्र

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री एस. के राजगिरे	कार्यपालन अभियंता	07.12.2013
2.	श्री जी.पी पटेल	सहायक अभियंता	21.12.2013
3.	श्री राकेश देवांगन	कनिष्ठ अभियंता	16.12.2013
4.	श्री मोहित कुमार चंद्राकर	कनिष्ठ अभियंता	20.12.2016
6.	श्री आर.पी गोस्वामी	वरिष्ठ सहायक	08.07.1996
7.	श्री शत्रुघ्न लाल पटेल	निम्न श्रेणी लिपिक	14.07.2016
8.	श्री विजय सिंह ठाकुर	पंप अटेंडेंट	03.10.1998
9.	श्री भुवन लाल साहू	प्लबंर – II	25.06.1997
10.	श्री टेकराम देशमुख	पंप अटेंडेंट	13.08.2008
11.	श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा	पंप अटेंडेंट	13.08.2008
12.	श्री नरेन्द्र कुमार दुबे	हेल्पर	07.09.1998
13.	श्री शंकरदास मानिकपुरी (हरिनछपरा)	भृत्य	08.07.2008
14.	श्री आर.पी गोस्वामी	वरिष्ठ सहायक	08.07.1996

(24)

टेस्टिंग लैब भिलाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

तकनीकी –4 के अंतगर्त

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री संजीव अवस्थी	निरीक्षक	11.09.2009
2.	श्री वंसत कुमार बरांव	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	22.08.2007
3.	श्रीमती तृष्णा चक्रवर्ती	निम्न श्रेणी लिपिक	13.08.2008
4.	श्रीमती सुमित्रा पाल	लैब सहायक (संविदा)	24.01.2008
5.	श्री के.पी. यादव	भृत्य	01.02.2002
6.	श्री नरेन्द्र वल्लभ पटेल	भृत्य	01.02.2002
7.	श्री हेमलाल साहू	भृत्य	13.08.2008

(25)

विद्युत कक्ष में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियो की सूची

प्रभारी अधिकारी – श्री राकेश जैन, कनिष्ठ अभियंता,

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री राकेश जैन, विद्युत कक्ष	कनिष्ठ अभियंता	03.08.2010
2	श्री प्रदीप कुमार कौशिक	कनिष्ठ अभिंयता (संविदा)	30.08.2010
3	श्री मोहन लाल घिवरिया, विद्युत	लाईनमेन	30.08.2010.
4	श्री नारायण खरात, विद्युत	वाहन चालक	30.08.2010
5	श्री बंशीराम साहू, विद्युत	प्लंबर ग्रेड–2	08.07.1996
6	श्री नेतूराम निषाद, विद्युत	हेल्पर	30.08.2010
7	श्री बालाराम वर्मा, विद्युत	हेल्पर	30.08.2010

(26)

शाखा कार्यालय तिफरा बिलासपुर में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी – श्री पी.एस.पट्टा, प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री पी.एस.पट्टा	प्रबंधक	27.09.2017
2.	सुश्री नेहा कंवर	प्रबंधक	25.05.2018
3.	श्री चन्द्र किशोर उरेती	प्रबंधक	25.05.2018
4.	श्री एन.के बरड़े	उप प्रबंधक	14.11.2017
5.	श्री राकेश मसीह	कैशियर	04.01.2011
6.	श्री रामायण रजक	हेल्पर	02.08.2002
7.	श्री महेश यादव	हेल्पर	06.07.2009
8.	श्री देवारी सिंह पोर्ते	भृत्य	08.10.2002
9.	श्री जवाहर लाल यादव	चौकीदार	10.08.1990
10.	श्री चंद्रप्रभात यादव	भृत्य	30.06.2014
11.	कु. सुनिता गोंड	चौकीदार (निलंबित)	22.11.2014
12.	श्रीमती मीना बाई केंवट	चौकीदार	18.10.2016

(27)

हाईटेक बस स्टैंड, बिलासपुर

प्रभारी अधिकारी– श्री आर.के शर्मा मुख्य महाप्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री आर.के शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	27.09.2017
2.	श्री यू.सी देवागंन	सहायक प्रबंधक	14.11.2017
3.	श्री एन. पी. मिश्रा	निम्न श्रेणी लिपिक	28.06.2017
4.	श्री संजय करौती	भृत्य	05.11.2014
5.	श्री सुरेन्द्र वानी	हेल्पर	15.05.2015

(28)

क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रभारी अधिकारी– श्री अनिल श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति)

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री अनिल श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबंधक	09.12.2016
2.	श्री प्रवेश कुमार मंडावी	प्रबंधक	25.05.2018
3.	श्री शोभाराम टेम्भरे	निम्न श्रेणी लिपिक	17.09.1998
4.	श्री ईश्वर प्रसाद शर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	03.07.2013
5.	श्री के. व्ही एम. कुमार	पी.बी. एक्स ऑपरेटर	04.12.2014
6.	श्री व्यास सिंह ठाकुर	हेल्पर	13.08.2008
7.	श्री ज्ञान कुमार जॉन	वाहन चालक	30.10.2013
8.	श्रीमती संगीता राजपूत	भृत्य	02.05.2018

शाखा कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत् अधिकारियों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री ध्रुव धर	सहायक प्रबंधक	04.05.2005
2.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	सहायक प्रबंधक	19.12.2006

(30)

फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर, कृषि उपकरण कारखाना भिलाई के कार्यो का प्रभार शो–रूम कार्यालय नवीन बाजार, रायपुर

प्रभारी अधिकारी– श्री सुबास चन्द्र भगत, प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री सुबास चन्द्र भगत	प्रबंधक	30.12.2017
2.	श्री व्ही वेंकटरमन	निरीक्षक	03.02.2018 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट फैक्ट्री भिलाई

टीपः– कुल 09 कर्मचारी फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं 11 कर्मचारी कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई में कार्यरत् हैं ।

(31)

लोक सूचना कक्ष सीएसआईडीसी मुख्यालय, रायपुर

प्रभारी अधिकारी श्री एस. के सोनवानी, प्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन दिनांक
1.	श्री एस.के सोनवानी	प्रबंधक	01.12.2015
2.	श्री एम. ए. अंसारी ★	सहा. प्रबंधक	30.04.2015
3.	श्री ए.आर बारस्कर	सहा.ग्रेड–1	02.02.2009
4.	श्री भुवन लाल साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	19.02.2016

★ भू–आबंटन कक्ष के कार्य के अतिरिक्त लोक सूचना कक्ष का कार्य ।

(32)

समन्वय कक्ष सीएसआईडीसी मुख्यालय, रायपुर

प्रभारी अधिकारी– श्रीमती मंजू जैन, महाप्रबंधक

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्रीमती मंजू जैन	महाप्रबंधक	05.12.2016
2.	श्री तेजकुमार बरकड़े	निम्न लिपिक	24.01.2014

(33)

सीएसआईडीसी शाखा कार्यालय रायगढ़

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री सिमोन एक्का	मुख्य महाप्रबंधक	04.09.2017

(34)

सीएसआईडीसी से सामान्य प्रशासन विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में संलग्न कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1.	श्री मुन्ने सिंह	सचि. वरिष्ठ सहा. (संलग्न– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)	31.07.2006
2.	श्री पवन कुमार साहू	निम्न श्रेणी लिपिक (संलग्न– मान. मुख्यमंत्री सचिवालय)	17.06.2009
3.	श्री राकेश चौहान	सहा.ग्रेड–3 (संलग्न– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)	17.07.2006
4.	श्री प्रहलाद प्रसाद यादव	सहा.ग्रेड–3 (संलग्न– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)	21.02.2007
5.	श्री महेश सारथी	वाहन चालक	27.04.2008

सीएसआईडीसी से अन्यत्र विभाग/संस्था में प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना दिनांक
1	श्री एच. व्ही सिंह	प्रबंधक	मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी)	05.02.2014
2	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव	शीघ्रलेखक	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल म.प्र (प्रतिनियुक्ति)	08.12.2006
3	श्री के.के राठौर	शीघ्रलेखक	छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर (प्रतिनियुक्ति)	11.02.2009

1

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(ISO 9001:2015 Certified)
प्रथम तल उद्योग भवन, रिंग रोड़ क्रमांक–1 तेलीबांधा, रायपुर, 492006 (छत्तीसगढ़)
CIN: U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GSTN : 22AABCM6288N5ZV
दूरभाष : कार्या.– 0771–6002071–73, फैक्स: 0771–2583794
Website: www.csidc.in
Email address:cidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

क्र. सीएसआईडीसी / एमकेडी / समन्वय / 2018–19 रायपुर, दिनांक / 10 / 2018

प्रति,

कार्यपालक संचालक,
सीएसआईडीसी लिमिटेड,
उद्योग भवन
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (b) के तहत 17 बिन्दुओं के अन्तर्गत स्वप्रकटीकरण के संबंध मे।

संदर्भः– पत्र क्र. सीएसआईडीसी / लो.सू. / मैन्यूअल / 18 रायपुर दिनांक 26.09.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निगम के वेब–साईट www.csidc.in पर उपलब्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (b) के तहत 17 बिन्दुओं के अन्तर्गत स्वप्रकटीकरण में सम्मिलित विपणन कक्ष से संबंधित बिन्दुओं में निम्नानुसार संशोधित जानकारी को अपलोड किया जाना है।

पृष्ठ क्र. 88 एवं बिन्दु क्र. 2.14

पद का नाम	प्रभारी विपणन	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	अधिकारी एवं कर्मचारियों को आकस्मिक / ऐच्छिक अवकाश स्वीकृति तथा अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश स्वीकृति हेतु अनुशंसा
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2017)	
	नियम–3	ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएं, जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम–4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे एवं (अ) "परंतु परिशिष्ट–1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (GeM Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा। अनुसार कार्य का संचालन करना।
	(चार) नियम 4.3.2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएं :–	"परन्तु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (GeM Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल–1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।

	1.	जेम पोर्टल के उपयोग से शासकीय खरीदी के लिए जेम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर जेम से संबंधित विभिन्न कार्यवाही यथा पंजीयन, क्रय प्रक्रिया एवं भुगतान से संबंधित पृच्छाओं तथा शंकाओं के समाधान के संबंध में नियमित रूप से क्रेता विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
	2.	विपणन कक्ष के समन्वय एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्य।

पृष्ठ क्र. 88 एवं बिन्दु क्र. 2.15

पद का नाम	लेखापाल	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
	प्रभारी विपणन कक्ष द्वारा सौंपे गये कार्य 1. अंतिम लेखों को तैयार करना एवं इनसे संबंधित विभिन्न आडिट का सम्पादन एवं समन्वय, बजट संबंधी कार्य। 2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ के ए.जी.आडिट एवं आंतरिक अंकेक्षण हेतु आंतरिक अंकेक्षण संबंधी आवश्यक समन्वय। 3. लेखा कक्ष से संबंधित अन्य कार्यो, में सहायता। 4. टी.ए एवं अन्य देयक तैयार करना एवं संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा प्रभारी विपणन कक्ष को प्रस्तुत करना। 5. अमानत राशि (EMD) वापसी के आवेदनों का परीक्षण कर निविदाकर्ता इकाईयों को वापस किये जाने हेतु प्रकरण प्रभारी विपणन कक्ष को प्रस्तुत करना। 6. स्टेशनरी/सामान्य प्रशासन विपणन कक्ष से संबंधित समस्त कार्य।	

पृष्ठ क्र. 89 एवं बिन्दु क्र. 2.16– **विलोपित**

पृष्ठ क्र. 89 एवं बिन्दु क्र. 2.17

पद का नाम	प्रभारी, परचेस कक्ष	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	प्रभारी विपणन कक्ष द्वारा सौंपे गये कार्य 1. पी.एस. कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तों का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. मॉनिटरींग कक्ष के तहत कार्यवाही संचालित कर अभिलेखों का संधारण करना। 3. सामग्री के दर निर्धारण के लिए निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु निविदा प्रस्ताव एवं निविदा प्रारूप अनुमोदन से संबंधित कार्य। 4. जेम GeM – Government e-Marketplace से संबंधित कार्य। 5. समन्वय का कार्य। 6. अंकेक्षण का कार्य। 7. प्रभारी विपणन कक्ष द्वारा दिये गये कार्य का निष्पादन।	

पृष्ठ क्र. 90 एवं बिन्दु क्र. 2.18

पद का नाम	प्रभारी, परचेस कक्ष	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	प्रभारी विपणन कक्ष द्वारा सौंपे गये कार्य 1. पी.एस. कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. प्रभारी विपणन कक्ष द्वारा दिये गये कार्य का निष्पादन।	

पृष्ठ क्र. 90 एवं बिन्दु क्र. 2.19

पद का नाम	प्रभारी, परचेस कक्ष	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	प्रभारी विपणन कक्ष द्वारा सौंपे गये कार्य 1. पी.एस. कक्ष को आबंटित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण किये जाने संबंधित कार्यवाही करना। 2. प्रभारी विपणन कक्ष द्वारा दिये गये कार्य का निष्पादन।	

पृष्ठ क्र. 90 एवं बिन्दु क्र. 2.20– विलोपित।
पृष्ठ क्र. 91 एवं बिन्दु क्र. 2.21– विलोपित।
पृष्ठ क्र. 91 एवं बिन्दु क्र. 2.22– विलोपित।
पृष्ठ क्र. 91 एवं बिन्दु क्र. 2.23– विलोपित।
पृष्ठ क्र. 92 एवं बिन्दु क्र. 2.24– विलोपित।
पृष्ठ क्र. 92 एवं बिन्दु क्र. 2.25– विलोपित।
पृष्ठ क्र. 92 एवं बिन्दु क्र. 2.26– विलोपित।

पृष्ठ क्र. 454 एवं बिन्दु क्र. 9.5

विपणन –1 कक्ष के अंतर्गत मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

Marketing Cell

कक्ष प्रभारी – श्री सुबास चन्द्र भगत, विपणन कक्ष

दिनांक.11.06.2015 से

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	दूरभाष क्रमांक	
				मोबाईल नं.	कार्यालय
1	श्री सुबास चन्द्र भगत	प्रबंधक	11.06.2015	9425215416	0771–6002071,72,73
2	श्री पी.एस. धकार्ते	फील्ड ऑफिसर	01.12.2004	9329486043	0771–6002071,72,73
3	श्री अमित सिंह ध्रुव	लेखापाल	25.07.2005	8319898686	0771–6002071,72,73
4	श्री दर्शन उरांव	वरिष्ठ कार्या. सहा.	04.11.2015	9926848497	0771–6002071,72,73
5	श्री विजयराम पनिका	भृत्य	31.01.2009	9109164982	0771–6002071,72,73

पृष्ठ क्र.159 से 170 तक
में उपलब्ध दस्तावेज के साथ संलग्न भण्डार क्रय नियम में किये गये संशोधन की प्रति को जोड़ा जाना है।

पृष्ठ क्र. 582 एवं बिन्दु क्र. 17.12

विपणन प्रकोष्ठ (Marketing Cell)

अन्य कोई सूचना विहित की जावे।

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

संभावित प्रश्न

1. जेम पोर्टल GeM – Government e-Marketplace के संबंध में क्या कार्यवाही की जाती है ?

संभावित उत्तर

जेम पोर्टल के उपयोग से शासकीय खरीदी के लिए जेम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर जेम से संबंधित विभिन्न कार्यवाही यथा पंजीयन, क्रय प्रक्रिया एवं भुगतान से संबंधित पृच्छाओं तथा शंकाओं के समाधान के संबंध में नियमित रूप से क्रेता विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2. पंजीयन के अलावा क्या विपणन का कार्य भी किया जाता है।
नहीं।

पृष्ठ क्र. 517 एवं बिन्दु क्र. 14.2

विपणन प्रकोष्ठ

Marketing Cell

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

14.2 निम्नलिखित जानकारी वेबसाईट में उपलब्ध है :–

छत्तीसगढ़ स्टटे इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाईट

Web site www.csidc.in

1. विपणन प्रभाग द्वारा जारी निविदाएं
2. विपणन प्रभाग द्वारा जारी रेट कॉंट्रेक्ट

पृष्ठ क्र. 508 एवं बिन्दु क्र. 13.1

मैन्युयल – 13
Manual – 13

अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम
Marketing Cell

13.1 रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

1. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2017) के नियम–3 ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तो का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तो के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएं, जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम–4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे एवं (अ) "परंतु परिशिष्ट–1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (GeM Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा, के अनुक्रम में विपणन कक्ष द्वारा कार्य का संचालन किया जाता है।
2. (चार) नियम 4.3.2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाए :– "परन्तु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (GeM Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल–1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।
3. जेम पोर्टल के उपयोग से शासकीय खरीदी के लिए जेम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर जेम से संबंधित विभिन्न कार्यवाही यथा पंजीयन, क्रय प्रक्रिया एवं भुगतान से संबंधित पृच्छाओं तथा शंकाओं के समाधान के संबंध में नियमित रूप से क्रेता विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

31/10

(सुबास चन्द्र भगत)
प्रभारी विपणन

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002
(यथा संशोधित 2017)

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002

भण्डार क्रय नियम 2002 का उद्देश्य

अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके।

ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित हो सके ।

स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले ।

द) यदि किन्हीं सामग्रीयों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रीयों क्रय करने में ऐसे उद्योगों का प्राथमिकता मिले ।

भण्डार क्रय नियम

नियम–1 (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 कहलायेगें ।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होगें ।

नियम–2 भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से है ।

2.1 समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेगें ।

नियम–3 ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएं, जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम–4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे ।

(अ) परन्तु परिशिष्ट –1 में अंकित वे वस्तुवें जिनकी दर एवं परिशिष्ट –1 भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जावेगा।

(ब) परन्तु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों मंडलों, जिला जनपद पंचायतों तथा निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा। इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट–3 जारी किया जायेगा।

नियम–4 शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली समग्री के मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4.2 निविदा की शर्तो का निर्धारण किया जाएगा।

4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएं :–

4.3.1 एकल निविदा पद्धति:– ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (**Proprietary Character**) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रू. 10,000 से अधिक की न हो ।

4.3.2 **सीमित निविदा पद्धति–** साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रू. 1,0001 से 1,00,000 तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओ अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा। **परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टयां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकता जेम वेबसाईट (GeM Web-site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिए क्रेता विभाग जेम वेब साईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल–1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।**

4.3.3 खुली निविदा पद्धतिः– इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे:–

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य	
रू. 1,00,001 से रू. 2.00 लाख तक हो	**स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में**
रू. 2.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख तक हो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में ।
रू. 10.00 लाख से अधिक तथा रू. 20.00 लाख तक हो दो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में ।
रू. 20.00 लाख से अधिक	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में ।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी ।
परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टयां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम का उपलब्ध ई–बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।

4.4 निविदा विज्ञप्तिः– निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती है ।

4.4.1 निविदा सूचना के लिये विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण:–
निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है । किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे–लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये ।

4.4.2 निविदा सूचना का प्रारूप :– इस हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–2 में दिया गया है ।

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा ।

4.5 निविदा हेतु समय – सीमा निम्नानुसार होगी:–

सीमित निविदा पद्धति	15 दिन
खुली निविदा (रू. 50,000 से अधिक रू. 10 लाख तक)	21 दिन
खुली निविदा (रू. 10 लाख से अधिक)	30 दिन
ग्लोबल निविदा	45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी ।

4.6 निविदा प्राप्ति की पद्धति :–

4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी । अथवा निर्धारित टेण्डर बाक्स में डाली जाएगी ।

4.6.2 रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के कार्यालयीन समय में 3.00 बजे अपरान्ह तक ही प्राप्त कि जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जाएगा ।

4.6.3 निविदा खोलने का समय,निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय के एक घंटे पश्चात् अर्थात उसी दिन 04.00 बजे अपरान्ह रखा जाएगा ।

4.6.4 निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा । एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा । सूरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा । तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा ।

4.6.5 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी , वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी । निविदा वापस करते समय निविदा के बन्द लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा ।

4.7 सुरक्षा निधि :– केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्म ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें , इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये । यह सुरक्षानिधि सफल निविदाकार की रोककर, शेष की 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जाये इकाईयों द्वारा इस आशाय का प्रमाण, टेण्डर के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी ।

4.8 सुरक्षा निधि के प्रकार – सुरक्षा निधि की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा । निविदाकार को यह सुरक्षा निधि चालान से निम्न लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में /उप–खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन देन का कारोबार किया जाता है, जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें ।

"8443– सिविल जमा राशियां 103– प्रतिभूति जमा "

निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है ।

4.9 क्रय की शर्तें– क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग–अलग अर्थ लगाया न जाकर विवाद की स्थिति निर्मित होने से बचा जा सके । क्रय केवल वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्मों से ही किया जाए ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बनें । शर्तों में एक शर्त वह भी जोड़ी जावे कि वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र, जहाँ पर वाणिज्यिक पंजीयन आवश्यक हो, की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे । इसके अलावा फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उसपर कोई कर बकाया नहीं है, इस आशाय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र, जहाँ आवश्यक हो लिया जावे । यह शर्त भी जोड़ी जावे कि प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा। दरों में करों का स्पष्ट उल्लेख हो । माल प्रदाय का स्थान भी दर्शित हो ।

इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी,विक्रयकर्ता का दृष्टिगत रखकर शासन हित में जो भी शर्त लगाना उचित समझे लगा सकता है ।

4.9.1 पूर्व में जारी संशोधन आदेश क्रमांक एफ–20–10/2003/11/(6) दिनांक 10/09/2003 को निरस्त किया जाता है एवं दर निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

राज्य के बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा दी गई दरों की तुलना राज्य में वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जाए । दर निर्धारण की इस प्रक्रिया का उल्लेख क्रेता विभाग द्वारा जारी निविदा या निविदा फार्म में किया जाए ।

4.10 नमूना लिया जाना– उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे । यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है । यदि यह भी संभव नही हो जो करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा ।

4.11 निविदाओं को खोलना – उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है तो, प्राप्त निविदाएं एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावे । निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है । जो प्रतिनिधि उपस्थित हो उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावे ।

4.12 क्रय समिति का गठन– प्रत्येक कार्यालय में जहां प्रतिवर्ष रू. 50,000/= या इससे अधिक का क्रय किया जाता है ,एक क्रय समिति बनायी जावे । क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिवार्यतः सम्मिलित हो । इस समिति में कितने सदस्य हो इसके लिये सक्षम अधिकारी स्वविवेक से निर्णय ले सकते है, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों । क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी । सामान्यतः क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करें । यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेगें ।

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय,निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों के वित्तीय स्थिति, तकनीकी कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाये । जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए । यदि निविदर सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नही हुई है, तो पुनः निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना संभावित समस्त निविदाकारों को पहुंच सके ।

4.13 प्रदाय आदेश जारी करना – क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिये कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करें । यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है । यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है उसको यह समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है । जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है,के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है । वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है । वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जावेगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, जिससे वह एक नियत समयावधि के अंदर एवं नमूने तथा मापदंड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो । करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापदंड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा । करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के

साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेंगी । शर्तें सभी स्पष्ट होनी चाहिये जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें । यह करारनामा स्टाम्प पेपर पर हो और करार विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे ।

4.14 पुनरावृत्ति आदेश (Repeat Order) को मूल आदेश के विरूद्ध दिया जा सकता है, किन्तु :–

(1) किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के एक वर्ष के बाद नहीं दिया जायेगा ।

(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा ।

(3) पुनरावृत्ति आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा ।

नियम–5 महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीने केवल उन्हीं फर्मो से प्राप्त की जायेगी, जिनका नाम डी.जी.एस. एंड.डी. द्वारा पंजीकृत हो अथवा जिनका नाम समय–समय पर उनके द्वारा जारी सूची में सम्मिलित किया गया हो ।

5.1 ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें ऐसी फर्मो से निविदा प्राप्त हुई हो जिनका नाम पंजीयन सूची में न हो । यदि निविदा प्रथम दृष्टया संतोषप्रद हैं तो, उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, अपितु इस संबंध में डी.जी.एस.एंड.डी. से फर्म की दक्षता एवं स्तर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी ।

5.2 क्रयकर्त्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुएं निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जाएंगे।

नियम–6 विदेशों से क्रयः– ऐसी वस्तुएं जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीकी की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा। यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से "ग्लोबल टेण्डर" बुलाकर क्रय किया जा सकेगा ।

नियम –7 जैसा कि नियम–3 में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट–1 के अनुसार वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तो के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी ।

7.1 सीएसआईडीसी के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्त्ता अथवा उनके अधिकृत प्रदायकर्त्ता इकाईयों का पंजीयन किया जायेगा । अंतरिम व्यवस्था के रूप में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने तक डी. जी.एस. एण्ड डी. एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जायेगा ।

7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम–4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा। इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तद्अनुसार सूची प्रकाशित की जायेगी ।

7.3 सामान्यतः सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी ।

7.4 सीएसआईडीसी द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण करेगा। जिसमें समय–समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेगा।

7.5 सीएसआईडीसी परिशिष्ट–1 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा।

नियम –8 हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय :–

8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत गठित महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा ।

8.2 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेल मेटल, लौह, काष्ठ, बांस, शीशम, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृह में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

8.3 समस्त विभागों द्वारा हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय आदेश "छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर एवं "छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर" को ही प्रदान किया जावे।

8.4 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री का निर्माण करती है तो ऐसी निर्माणकर्त्ता इकाई से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

नियम –9 इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है। ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा।

नियम –10 प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे समक्ष अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

नियम –11 सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जानेवाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्त्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्त्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।

नियम –12 निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना:–

वित्त संहिता भाग–1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें अतः रूपए एक लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी।

नियम –13 सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे उद्योगों को यथासंभव प्राथमिकता मिले ।

13.1 मूल्य अधिमान्यता :– क्रेता विभाग दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान करेगा। उदाहरणार्थ यदि राज्य के बाहर स्थित उद्योग इकाई अथवा राज्य में स्थित मध्यम/वृहद इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रूपए 100/– है एवं राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई की दरों में न्यूनतम दर रूपए 110/– है तो क्रेता विभाग स्थानीय लघु उद्योग इकाई से सामग्री का क्रय रूपए 110/– में कर सकेगा ।

13.2 क्रय अधिमान्यता :– स्थानीय लघु उद्योग इकाईयों को राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5% (पांच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि राज्य के बाहर स्थित इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रूपए 100/– है एवं राज्य की लघु उद्योग इकाई की दर रूपए 115/– है, तो क्रेता विभाग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानीय लघु उद्योग इकाई को यह मौका प्रदान करे कि स्थानीय लघु उद्योग इकाई अपनी दर रूपए 110/– कर सके (10% मूल्य अधिमान्यता सहित)। यदि राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई ऐसा करती है तो उसे उसकी पूर्ण क्षमता तक प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा।

13.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33(3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुये नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य एवं यदि आवश्यक हो तो दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

नियम -14 अन्य बातें समान रहने पर, आई.एस.आई. तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश में प्राथमिकता दी जायेगी ।

14.1 राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को राज्य के बाहर स्थित इकाई की तुलना में 10% (दस प्रतिशत) की अधिमान्यता दी जाएगी। तदअनुसार राज्य की बी.आई. एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को अपनी दर रूपए 120/- से 110/- तक (10% मूल्य अधिमान्यता सहित) लाने का अवसर दिया जाएगा और राज्य की बी. आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को उसकी पूर्ण क्षमता तक क्रय आदेश प्रदान किया जाएगा।

नियम -15 भण्डार क्रय नियम से संबंधित मामलों में उपर्युक्त नियम तथा अन्य किसी नियम के अभाव में डी.जी.एस. एण्ड डी. के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।

क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :-

15.1 समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाईट का पता भी दिया जाए।

15.2 निविदा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाए। इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिए यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे। निविदाकार वेबसाईट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जायेगी।

15.3 ऐसे निविदाकारों से, जिन्होंने वेबसाईट से डाऊन लोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जायेगी ।

15.4 कुछ विशेष प्रकृति की सामग्री जिनका ई-टेण्डरिंग किया जा सकता है, ई-टेण्डरिंग के द्वारा निविदा आमंत्रित की जायेगी ।

नियम -16 विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा ।

—0000—

परिशिष्ट – 1
(नियम 3 एवं 7) यथा संशोधित

सरल क्रमांक	परिशिष्ट–1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
1	1.	पेन्ट वारनीश और डिस्टेम्पर
2	5.	स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम के बर्तन
3	6.	कृषि उपकरण :– अ. बेलचा ब. कुदाली, गैंती स. फावड़ा ड. धमेला इ. सब्बल
4	7.	स्टील के पाईप (जीआई पाईप (कैसिंग पाईप/राईजर पाईप) सहित)
5	13.	स्टील रि–रोलिंग मिल के उत्पाद ख) एंगल
6	17.	सेनेटरी फिटिंग
7	19.	जनरल इंजीनियरिंग :– ब) बिल्डिंग मटेरियल :– स्टील स्ट्रक्चर्स, ट्रेसेस, स्टील डोर, विन्डो, ग्रिल, स्टोरेज टैंक, रोलिंग शटर, सेन्टरिंग प्लेट, स्टील बेस फ्रेम, प्रेस्ड डोर व विन्डो स) बारबेड वायर, एन.एस. वायर, वायर नोटिंग, लिंक चेन्स द) शीट मेटल गुड्स :– स्टील ट्रंक, बाक्सेस, ड्रम, कंटेनर, बकेट, आफिस स्टेशनरी आर्टीकल्स :– कान्फीडेंशियल बाक्सेस, पैक्स आदि इ) सभी प्रकार के स्टील फर्नीचरर्स (आफिस व हास्पिटल के लिये) फ) रोड साईन बोर्ड
8	20.	जीप ट्राली, ट्रेक्टर ट्राली, वाटर टैंकर, बनेक साईजो व क्षमतानुसार ट्रालियां
9	21.	केरोसीन स्टोरेज टैंक
10	25.	केमिकल प्रोडक्ट्स :– अ) एसिड–सल्फयूरिक, नाईट्रीक, हाइड्रोक्लोरिक ब) लाईम स) डिस्टील्ड वाटर द) शेलॉक इ) एलम फ) ब्लीचिंग पावडर ज) फिनाईल झ) टिंचर आयोडीन ट) सोडियम हाईपोक्लोराईट
11	27.	इलेक्ट्रिक केबल व वायर, एल्यूमिनियम कंडक्टर
12	28.	इलेक्ट्रिकल आयटम्स :– क) सीलिंग, टेबल व केबिन फेन्स ख) हीटर्स ग) विद्युत उपकरण घ) आयरन क्लैड स्वीचेस च) कॉपर टैप छ) एयर कंडीशनर ज) इक्यूबेटर्स झ) आटो क्लेव ट) एमीटर्स
13	30.	रूम कूलर डेजर्ट टाईप
14	31.	वाटर कूलर
15	35.	बैटरी
16	39.	लेबोरेटरी इक्वीपमेंट

सरल क्रमांक	परिशिष्ट–1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
17	40.	फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट :– अ) होज ब) पम्प स). फायर-इटिंग्यूशर व रिफिल्स
18	41.	वेल्डिंग ट्रांसफारमर व जनरेटर्स
19	43.	प्लास्टिक की वस्तुएं :– मोल्डेड अ) फर्नीचर ब) कैन स) टम्बलर द) जार इ) बकेट्स
20	45.	एच.डी.पी.ई. पाईप व फिटिंग्स
21	46.	एच.डी.पी.ई. स्टोरेज टैंक
22	47.	पालीयुरेथीन फ्लेक्सीबल, फोम मैट्रेक्स, पिलो
23	48.	पी.वी.सी. पाईप व फिटिंग्स
24	49.	पालीप्रोपलीन बैग
25	50.	पोलीथीन बैग
26	54.	एस्बेस्टस सीमेंट पाईप, फिटिंग्स
27	55.	स्टोन टाइल्स
28	57.	स्टील सिलेंडर वि–इन्फोर्समेंट आर.सी.सी. पाईप
29	58.	आर.सी.सी.पोल
30	59.	बाउंड्री कि. मी. पोल
31	60.	फोटो कापीयर
32	62.	कम्प्यूटर एवं एसेसरीज
33	65.	मच्छरदानी नेट
34	66.	तारपोलिन/एच.डी.पी.ई. तारपोलिन/एल.डी.पी.ई. व एच.डी.पी.ई. शीट व फिल्म, कैप फायर
35	75.	बूट पॉलिश
36	76.	गमबूट/जूते तथा मोजे
37	80.	आर.सी.सी. ड्रम पाईप
38	81.	निःशक्त जनों के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण
39	85.	क्लोरिन टेबलेट
40	89.	हैण्ड पंप इंडिया मार्क 2 तथा स्पेयर पार्ट्स
41	90.	सबमर्सिबल पंप
42	92.	ब्रिक्स (फ्लाई ऐश)
43	94.	ट्री गार्ड
44	96.	चॉक
45	97.	रोलअप बोर्ड
46	98.	टीन स्लेट
47	101.	कंट्रोल पैनल
48	102.	सायकल
49	104.	आयरन रिमूव्हल प्लांट
50	105.	स्टैंड अलोन वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम
51	106.	एल.ई.डी. लाईट
52	107.	सी.एफ.एल. लाईट
53	118.	सिलाई मशीन
54	122.	समस्त खेल उपकरण/सामग्री:– 1. 12 स्टेशन मल्टी जिम के उपकरण/सामग्री 2. फुटबाल के उपकरण/सामग्री 3. वॉलीबॉल के उपकरण उपकरण/सामग्री 4. डिस्कस (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री

सरल क्रमांक	परिशिष्ट–1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
		5. शॉट (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री 6. जेवलिन (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री 7. एथलेटिक के उपकरण उपकरण/सामग्री 8. आरचेरी के उपकरण/सामग्री 9. वेट लिफ्टिंग के उपकरण/सामग्री 10. रेसलिंग के उपकरण/सामग्री 11. कबड्डी के उपकरण/सामग्री 12. खो–खो के उपकरण/सामग्री 13. हॉकी के उपकरण/सामग्री 14. हैंडबॉल के उपकरण/सामग्री 15. जिम्नेस्टीक्स के उपकरण/सामग्री 16. स्वीमिंग के उपकरण/सामग्री 17. बेडमिंटन के उपकरण/सामग्री 18. टेबल टेनिस के उपकरण/सामग्री 19. वोषु के उपकरण/सामग्री 20. ताईक्वांडो के उपकरण/सामग्री 21. साईकलींग के उपकरण/सामग्री 22. बॉक्सींग के उपकरण/सामग्री 23. जूडो के उपकरण/सामग्री 24. बास्केट बॉल के उपकरण/सामग्री
55	123.	एल.सी.डी.मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर (LCD Multimedia Projector)
56	129.	फॉगिंग मशीन.
57	130.	फाईबर से बने उत्पाद (डस्टबिन, सीट, ट्रेफिक–कोन)
58	132.	व्हाईट/ब्लेक बोर्ड
59	133.	इलेक्ट्रिक वेईंग स्केल फॉर चाईल्ड
60	134.	मेकेनिकल एडल्ट वेइंग स्केल (प्लेटफार्म)
61	135.	मेकेनिकल बेबी वेइंग स्केल (हेंगिंग)
62	136.	मेकेनिकल चाइल्ड वेइंग स्केल (हेंगिंग)
63	137.	प्री–स्कूल किट (कुल 37 सामग्रियाँ)
64	139.	व्यायाम उपकरण 1. फिसलपट्टी 2. सी–सी झुला (डबल) 3. मेरी गो राउन्ड 4. सामान्य झुला 5. सिंगल बार 6. डबल बार 7. आर्च स्वींग डबल 8. किड्स गो राउन्ड 9. काम्बिनेशन सेट 10. ओशियन वेव 11. रिवाल्विंग प्लेटफार्म 12. वाकिंग बारेल 13. मिनी हट्स विद् स्लाईड 14. राकिंग बोर्ड 15. ब्रीज लीडर 16. स्पाईरल स्लाईड
65	140.	ब्रायो–मीट्रिक डिवाईस।

परिशिष्ट – 2

नियम 4.4.2

(निविदा सूचना का प्रारूप)

निविदा विज्ञप्ति कमांक ..... दिनांक .....

..... की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से ..... (सामग्री का नाम) प्रदान करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहसताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रू..... नगद भुगतान कर दिनांक ..... के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि ..... समय .....
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि ..... समय .....
निविदा खोलने की तिथि ..... समय ..... स्थान .....

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर दिनांक जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 20–70/2004/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–2/2002/छः/11 दिनांक 07.01.2003 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम – 2002"** में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त भण्डार क्रय नियम में

(एक) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये:–

(अ) *"परंतु परिशिष्ट–1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा।"*

(ब) *"परंतु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट–3 जारी किया जायेगा।"*

(दो) नियम 4.3.1 की अंतिम पंक्ति में रूपये *"5000"* को रूपये *"10,000"* (रूपये दस हजार) से प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) नियम 4.3.2 की द्वितीय पंक्ति में रूपये *"5001 से 50,000"* को रूपये *"10,001 से 1,00,000* (रूपये दस हजार एक से रूपये एक लाख) से प्रतिस्थापित किया जाए।

(चार) नियम 4.3.2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए :–

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संदर्भित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल 1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।"

(पांच) नियम 4.3.3 में जहाँ निविदा का अनुमानित मूल्य कॉलम में उल्लेखित "रूपये 50,001 से 2.00 लाख" को "रूपये 1,00,001 से 2.00 लाख" (रूपये एक लाख एक से रूपये दो लाख) से प्रतिस्थापित किया जाये ।

(छः) नियम 4.3.3 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए:–

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई–बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।"

(सात) नियम 13.2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 13.3 अंतःस्थापित किया जाये:–

13.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33(3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य एवं यदि आवश्यक हो तो दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

—Sd—

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

..3

पृष्ठांक एफ 20-70/2004/11/(6) नया रायपुर, दिनांक 5-7-2017

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन रायपुर
2. शासन के समस्त विभाग
3. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ लेखा एवं हकदारी, रायपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
10. सचिव, लोक आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर
12. समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/मंडलों छ.ग.
13. अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा, मंत्रालय, रायपुर
14. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छ.ग. राजनांदगांव की ओर अग्रेषित । कृपया उपर्युक्त अधिसूचना छ.ग. राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराएं ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 20–39/2017/11/(6) नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

प्रति,

1 शासन के समस्त विभाग,
2 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
3 समस्त विभागाध्यक्ष
4 समस्त संभागीय आयुक्त
5 समस्त कलेक्टर्स
6 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

विषय : डीजीएसएण्डडी नई दिल्ली द्वारा विकसित जेम (GeM) प्रणाली का शासकीय उपयोग के लिये सामग्री क्रय करने में अधिकाधिक उपयोग करने बाबत्।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70/2004/11/(6) दिनांक 05/07/2017 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में शासकीय क्रय हेतु जेम (GeM) से क्रय का प्रावधान किया गया है । सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

2/ जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. जेम पोर्टल में क्रेता एजेन्सियों के रूप में राज्य के समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय, सभी जिला कार्यालय, राज्य सरकार के सभी निगम, मण्डल, बोर्ड आदि का पंजीयन शीघ्रातिशीघ्र कराया जा कर यूजर आई डी प्राप्त किया जाये।
2. जेम पोर्टल में विक्रेता एजेन्सियों के रूप में सामग्री एवं सेवायें उपलब्ध कराने वाले राज्य के संबंधित विभागों के सभी निगम, मण्डल, एम्पोरियम आदि का पंजीयन भी तत्काल कराया जा कर यूजर आई डी प्राप्त किया जाये।
3. सभी क्रेता अधिकारी सामग्री क्रय करने हेतु आवश्यकतानुसार अधिसूचना दिनांक 05/07/2017 का पालन करते हुये निविदायें जेम पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित करें।
4. विभागों से जुड़े हुये उद्यमियों/उत्पादकों को अधिक से अधिक संख्या में जेम पोर्टल पर प्रदायकर्ता के रूप में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

निरन्तर ...

5. जेम पोर्टल की दरों पर क्रय अन्य स्थानों से अथवा जेम पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं से सीधे न किया जाये तथा जेम पोर्टल पर केवल पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर क्रय किया जाय।

6. जेम में पंजीयन के लिए अपेक्षित प्रक्रिया का विवरण सुलभ संदर्भ हेतु परिशिष्ट-दो पर संलग्न है ।

3/ जेम पोर्टल पर उपरोक्त कार्यवाहियों की समीक्षा स्वयं भारसाधक सचिव, विभाग प्रमुख, आयुक्त एवं कलेक्टर्स अपने स्तर पर प्रत्येक माह क्रेता एजेन्सियों के कार्य निष्पादन की प्रगति की समीक्षा संलग्न प्रपत्र-1 अनुसार एवं विक्रेता एजेन्सियों के कार्य निष्पादन की प्रगति की समीक्षा प्रपत्र -2 अनुसार करने का कष्ट करें ।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

पृ.क्रमांक एफ 20-28/2017/11/(6)

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, ज़ीरो पाईंट, रायपुर,
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, मा. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
6. सचिव, समस्त आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
7. प्रबंध संचालक, समस्त निगम/मंडल/, छत्तीसगढ़ रायपुर,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण,
10. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर,
11. विशेष सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय नया रायपुर,
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मा. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

GeM – सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. GeM क्या है?

डीजीएसएण्डडी द्वारा उपलब्ध कराए गए वन स्टॉप **गवर्नमेंट ई–मार्किट प्लेस** का संक्षिप्त रूप जेम है। यहां सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए जेम अनुकूल पोर्टल है।

2. जेम की सुविधाएं/विशेषताएं क्या है?

(1) सामान्य प्रयोग की वस्तुओं/सेवाओं की वैयक्तिक, निर्धारित श्रेणियों के लिए उत्पादों को सूचीबद्ध करना।
(2) गतिशील कीमत आधार पर देखने, प्राक्कलन, तुलना और खरीद की सुविधा।
(3) अधिकांश सामान्य प्रयोक्ता मदों की खरीद के लिए मार्किट प्लेस।
(4) जब भी जहां भी आवश्यकता हो वस्तुओं/सेवाओं की ऑनलाईन खरीदारी।
(5) मांगों और आदेशों के सिंगल विंडो सिस्टम।
(6) पारदर्शिता खरीद की सुविधा।
(7) कम मूल्य की खरीद के लिए उपयोगी।
(8) प्रति नीलामी/ई–बिडिंग का प्रयोग करके प्रतिस्पर्धात्मक दर पर बल्क खरीद के लिए भी उपयोगी।
(9) निरंतर वेंडर (प्रदायकर्ता) रेटिंग सिस्टम।

3. जेम के माध्यम से खरीद के लिए कौन अधिकृत है?

जेम की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख और समान स्तर के अधिकारियों को प्राइमरी यूजर के रूप में अधिकृत करता है। प्राइमरी यूजर सीधे क्रय आदेश नहीं दे सकता है किन्तु प्राइमरी यूजर आगे अपने विभाग के अन्य अधिकारियों को जेम की सेवाओं का उपयोग करने के लिए द्वितीय उपयोगकर्ता के रूप अधिकृत कर सकते है।

4. **जेम पोर्टल का उपयोग करने के लिए पूर्व–अपेक्षाएं क्या है?**

(1) आधार संख्या (आधार कार्ड), E-sign हेतु

(2) मोबाइल नंम्बर, जिससे आधार नम्बर का सत्यापन हो सके

(3) सरकारी / एनआईसी मेल,

(4) क्लास 3 हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (डीजीटल सिग्नेचरसर्टिफिकेट)

(5) विभाग के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन,

(6) प्रयोक्ताओं को जेम पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

(7) मांगकर्ता के रूप में मांग प्रस्तुत करना

(8) जेम पर सर्च करना और उत्पाद चुनना

(9) नियत प्रक्रिया उपरांत खरीददार के रूप में आदेश देना

(10) आदेश दिए जाने के बाद, आपूर्तिकर्ता नियत डिलीवरी तारीख के अंदर वस्तुएं / सेवाएं डिलीवर करेगा

(11) वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त हो जाने के बाद, जेम में तारीख के साथ प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट (PRC) को अपलोड करना।

5. **क्या क्रेता अपनी पंसद से जेम पर उत्पादों को चुन सकता है या कोई प्रतिबंध है?**

खरीद अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि, चयनित प्रस्ताव का तकनीकी स्पेसिफिकेशन आवश्यकतानुसार है तथा कीमत उचित है। सरकारी प्रयोक्ताओं द्वारा (अपने विकल्प पर) ऑनलाईन खरीद के लिए जेम का प्रयोग किया जा सकता है, तथापि खरीद अधिकारी पीएमए का उपयोग कर विशेष श्रेणी के विक्रेताओं से भी खरीद कर सकता है।

6. **जेम पर किस मूल्य तक उत्पाद खरीदे जा सकते है?**

(1) 1.00 लाख रूपए तक–जेम पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्दिष्टयां और डिलीवरी अवधि को पूरा करते हों।

(2) 1.00 लाख रूपए से अधिक जेम पर उपलब्ध पूर्तिकर्ताओं में से न्यूनतम कीमत वाले पूर्तिकर्ता के माध्यम से जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्दिष्टी और डिलीवरी अवधि को पूरा करते हों, से जेम ऑनलाइन बिडिंग / ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकता है।

7. क्या जेम पर की गई खरीद शासकीय नियमों के अनुसार है?

जी हां। जेम पर की गई खरीद के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2017 से छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002, में प्रावधान किया गया है।

8. किसी भी मद के लिए जेम पर कीमत निर्धारित है या गतिशील है?

जेम पर कीमत गतिशील है।

9. क्या जेम से वस्तुओं की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है?

जी हां, खरीद अधिकारी को आवश्यक शासकीय नियमों एवं निर्देशों के अनुसरण में अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लेना होगा।

10. आपूर्ति कितने दिनों में की जाएगी?

मद विशेष के लिए जेम पर पूर्तिकर्ता के द्वारा निर्धारित आपूर्ति अवधि के अनुसार मदों की आपूर्ति की जाएगी।

11. यदि हम वस्तुओं की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या होगा?

मांगकर्ता/प्रेषित को प्रेषण प्राप्ती के 10 दिन के अंदर उपयुक्त कारण से प्रेषण स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। यदि 10 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे स्वीकृत मानकर पूर्तिकर्ता के खाते में भुगतान राशि अंतरित कर दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर दिनांक 17-10-2017

क्र. एफ 20-38/2017/11/6 राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 05.07.2017 से शासकीय उपयोग हेतु सामग्रियों के क्रय के लिए गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एतद् द्वारा इस पोर्टल के उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोगकर्ता (प्राइमरी यूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत करता है:-

Sr.No.	Designation	Name of Organization	Role
1.	संचालक	उद्योग संचालनालय छ.ग.	Primary User
	प्रबंध संचालक	सीएसआईडीसी	Primary User
	पंजीयक	फर्म्स एवं संस्थायें, छ.ग.	Primary User
	संयुक्त संचालक	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	Primary Us
	मुख्य निरीक्षक	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	Primary Us
	प्रबंध संचालक	छ.ग. रेल कार्पोरेशन लिमि.	Primary Us
2	विशेष सचिव E-mail- VK.Chhablani@gov.in	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	Verifying Officer

2. उपरोक्त प्राइमरी यूजर GeM (http://gem.gov.in /auth/register) पर पंजीकरण करायें तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं जिला स्तर के प्रमुख को Secondary User/Consignee/DDO के रूप में नामांकित करना सुनिश्चित करें।

3. यदि एक अधिकारी उपरोक्तानुसार दो या अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थानों में वे अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को उस ऑर्गेनाईजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करने हेतु कार्यवाही करेंगे।

4. प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
   a. आधार नम्बर
   b. आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाईल नम्बर
   c. शासकीय पहचान पत्र क्रमांक
   d. शासकीय ई-मेल आई.डी.(nic.in/gov.in)।

5. सभी उपयोगकर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेम पोर्टल का उपयोग करें।

(वी.के. छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

PS-V 24/10/2017

d:/clporte/pp/order2

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 20–38 / 2017 / 11 / 8 नया रायपुर, दिनांक 15 / 01 / 2018

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषय– क्रय सीमाओं का पालन करते हुए सामग्रियों के क्रय जेम के माध्यम से करने बाबत्।

आप अवगत ही होंगे कि राज्य शासन के विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय जेम (GeM-Government e-Marketplace) से करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70 / 2004 / 11 / 6, दिनांक 05.07.2017 एवं 16.10.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन कर प्रावधान किया जा चुका है।

2/ जेम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 05.12.2017 की स्थिति में राज्य के 456 संगठन तथा 858 विक्रेता पंजीकृत हो चुके है। इनमें से 187 संगठनों ने 1555 Transaction में रूपये 69.03 करोड़ की सामग्री का क्रय किया है। क्रय मूल्य के अनुसार ये क्रय Bid 21%, RA 0.23%, Direct Purchase 38.02% तथा L1 40.75% पद्धति से किया गया है।

3/ भण्डार क्रय नियम–2002 के अन्तर्गत वित्तीय सीमाओं के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किये गये है।

4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएं :–

4.3.1 एकल निविदा पद्धति:–ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता। रू. *10,000 से अधिक की न हो*]^{2}।

4.3.2 सीमित निविदा पद्धति–साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि [रूपये 10,001 से 1,00,000 (रूपये दस हजार एक से रूपये एक लाख)] तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रावधान हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

[*परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (GeM-Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में प्रदर्शित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण निर्माता की साख एवं मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।*][1]

4.3.3 खुली निविदा पद्धति–इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे–

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य	
[*रू. 1,00,001 से रू. 2,00 लाख*][2] तक हो	स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में
रू. 2.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख तक हो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में ।
रू. 10.00 लाख से अधिक तथा रू. 20.00 लाख तक हो दो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में ।
रू. 20.00 लाख से अधिक	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में ।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी ।

[*परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई–बिडिंग* (E-bidding) *अथवा रिवर्स ऑक्शन* (Reverse auction) *प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।*][2]

1 म.प्र./उ विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20–10/2004/11/6, दिनांक 05.07.2017 द्वारा परंतुक जोड़ा गया।
2 म.प्र./उ विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20–10/2004/11/6, दिनांक 05.07.2017 द्वारा प्रतिस्थापित

पृष्ठ.क्र. एफ 20–38/2017/11/6 नया रायपुर, दिनांक 17-10-2017

प्रतिलिपिः–

1 विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,

2 संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर

3 प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, रायपुर

4 पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,

5 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. रायपुर

6 संयुक्त संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर

7 मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

MKT

सी. एस. आई. डी. सी.
आवक क्रमांक 7280
दिनांक 23/10/2017
रायपुर (छ.ग.)

d:/clporte/pp/order2

जेम प्रकिया के माध्यम से वर्तमान में किये जा रहे क्रय में उपरोक्त सीमाओं का पालन छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम–2002 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लेखित क्रय आदेशों के आधार पर प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि Bid 21%, एवं RA 0.23% कुल क्रय के सापेक्ष में बहुत कम है।

4/ अतः अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार क्रय सीमाओं का पालन करते हुए सामग्रियों का क्रय जेम के माध्यम से करने के लिये आपके विभाग एवं उसके अधीनस्थ संचालनालय/उपक्रम/कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 20–38/2017/11/6 नया रायपुर दिनांक 17-10-2017

प्रति,

1 समस्त संभागीय आयुक्त
2 समस्त जिला कलेक्टर्स

विषय:– वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विकसित जेम (GeM) प्रणाली का शासकीय उपयोगी के लिये सामग्री क्रय करने में उपयोग करने बाबत् ।

संदर्भ:– इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.07.2017, परिपत्र दिनांक 22.09.2017, 10.10.2017 एवं अधिसूचना दिनांक 16.10.2017

कृपया उपरोक्त संदर्भों का अवलोकन करें ।

2/ आप अवगत ही होंगे कि राज्य शासन के समस्त विभागों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार सामग्रियों के क्रय "जेम" (GeM-Government e-Marketplace) से करने हेतु विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70/2004/11/6, दिनांक 05.07.2017 एवं 16.10.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन कर प्रावधान किया गया है।

3/ जेम पोर्टल पर खरीद को व्यवस्थित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी कलेक्टर जिला स्तर पर तथा प्रत्येक विभाग संचालनालय स्तर पर, आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करायें।

4/ जेम के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण हेतु श्री अभ्यंकर खरे, मुख्य महाप्रबंधक प्रशासन सीएसआईडीसी, उद्योग भवन रिंग रोड नं. 1 रायपुर से मो. नं. 9584228866 से संपर्क किया जा सकता है ।

5/ विदित हो कि जेम" (GeM-Government e-Marketplace) पोर्टल का उपयोग करने हेतु शासकीय ई–मेल आई.डी.(nic.in/gov.in) होना अनिवार्य है। अतः NIC से संपर्क शीघ्रातिशीघ्र समस्त उपयोगकर्ताओं के लिए शासकीय ई–मेल आई.डी. प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

6/ Authentication हेतु 'आधार' का भी होना आवश्यक है।

7/ जेम से क्रय करने में कुशलता के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रणाली से संबंधित जानकारियों से सभी स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को अभ्यस्त किया जाये। इस हेतु FAQ की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार

(डा. कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठांक एफ 20-38/2017/11/6 नया रायपुर, दिनांक 17-10-201

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. शासन के समस्त विभाग,
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर,
6. समस्त सार्वजनिक उपक्रम/ मण्डल छत्तीसगढ़,
6. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर बिन्दु क्रमांक 5 अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री अभ्यंकर खरे, मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन), सीएसआईडीसी, उद्योग भवन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

MKE
18/10/17

9247
23/10/17
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक

क्रमांक एफ 20–70/2004/11/6 :– राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 11 में निम्नांकित पैरा जोड़ा जाये:–

"जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे के भीतर क्रेता को Provisional Reciept Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consingee Receipt & Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जायेगी। यह PRC जारी करने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा। CRAC जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

—Sd/—
(डी.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
नया रायपुर, दिनांक 16-10-2017

पृष्ठांक एफ 20–70/2004/11/6 /11/6

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
4. शासन के समस्त विभाग,

क्रमशः...2

d:/c/norte/pp/order2

5. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर.
6. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, मा. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर.
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर.
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ लेखा एवं हकदारी, रायपुर.
9. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर.
10. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
11. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़.
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़.
13. समस्त आयोग, छत्तीसगढ़.
14. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर.
15. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर.
16. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर.
17. विशेष सहायक, समस्त, मा. मंत्रीगण, मंत्रालय नया रायपुर.
18. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्राधिकरण/जिला पंचायत.
19. समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/मंडलों छ.ग.
20. अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा, मंत्रालय, रायपुर.
21. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छ.ग. राजनांदगांव की ओर अग्रेषित । कृपया उपर्युक्त अधिसूचना छ.ग. राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराएं ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

d:/clporte/pp/order2